सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
2020-2021

विषय सूची

अध्याय – 1 गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा	1-5
अध्याय – 2 आंतरिक सुरक्षा	6-22
अध्याय – 3 सीमा प्रबंधन	23-38
अध्याय – 4 देश में अपराध का परिदृश्य	39-45
अध्याय – 5 मानव अधिकार और राष्ट्रीय एकता	46-51
अध्याय – 6 संघ राज्य क्षेत्र	52-88
अध्याय – 7 पुलिस बल	89-113
अध्याय – 8 अन्य पुलिस संगठन एवं संस्थान	114-141
अध्याय – 9 आपदा प्रबंधन	142-180
अध्याय – 10 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	181-186
अध्याय – 11 प्रमुख पहलें और स्कीमें	187-203
अध्याय – 12 विदेशी राष्ट्रिक, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और पुनर्वास	204-216
अध्याय – 13 महिला सुरक्षा	217-230
अध्याय – 14 जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामले	231-246
अध्याय – 15 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त	247-258
अध्याय – 16 केंद्र–राज्य संबंध और विविध विषय	259-274
अनुलग्नक (I–XXIII)	275-306

अध्याय–1

गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा

1.1 गृह मंत्रालय विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता है, जिनमें देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र–राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) का प्रशासन, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II–"राज्य सूची" की प्रविष्टि 1 और 2 के अनुसार, "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्यों के उत्तरदायित्व हैं, तथापि संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के संबंध में सुरक्षा प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाया जा रहा है। इन दायित्वों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा किए बिना, राज्यों में सुरक्षा, शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए उनकी आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की लगातार निगरानी करता है, राज्य सरकारों को उपयुक्त एडवाइजरी जारी करता है, आसूचना संबंधी जानकारी को साझा करता है तथा जनशक्ति एवं वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और सुविज्ञ राय प्रदान करता है।

1.2 गृह मंत्रालय में दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान मंत्रियों, गृह सचिव, सचिवों, विशेष सचिवों, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के पद पर रहे/पदासीन अधिकारियों के बारे में सूचना अनुलग्नक–I में दी गई है। संगठनात्मक चार्ट अनुलग्नक–II में दिया गया है।

1.3 गृह मंत्रालय के विद्यमान प्रभागों की सूची और उनके मुख्य दायित्व क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

प्रशासन प्रभाग

1.4 प्रशासन प्रभाग का दायित्व सभी प्रशासनिक और सतर्कता मामलों को देखना तथा मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के मध्य कार्य का आवंटन करना है। प्रशासन प्रभाग, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामलों के लिए नोडल प्रभाग भी है। यह प्रभाग सचिवालय सुरक्षा संगठन के प्रशासनिक मामलों को भी देखता है।

न्यायिक विंग

1.5 प्रशासन प्रभाग में न्यायिक विंग, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और जांच आयोग अधिनियम के विधायी पहलुओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। यह संविधान के तहत राष्ट्रपति की सहमति की अपेक्षा वाले राज्य विधायनों, स्वतंत्रता से पहले के तत्कालीन शासकों को राजनयिक पेंशन देने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिकाओं से संबंधित मामलों को भी देखता है।

सीमा प्रबंधन–I (बीएम–I) प्रभाग

1.6 बीएम–I प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय भू–सीमाओं के सशक्तिकरण, वहां पर पुलिस व्यवस्था और चौकसी करने से संबंधित मामलों को देखता है, जिसमें भारत–पाकिस्तान, भारत–बांग्लादेश, भारत–चीन, भारत–नेपाल, भारत–भूटान और भारत–म्यांमार की सीमाओं पर सीमा बाड़, सीमा सड़क, सीमा फ्लड लाइट तथा सीमा रक्षक बलों की सीमा चौकियों इत्यादि से जुड़े अवसंरचनागत कार्यों के सृजन और सुधार के द्वारा भू–सीमाओं का प्रबंधन करना सम्मिलित है। यह प्रभाग "सीमा अवसंरचना संबंधी अधिकार प्राप्त समिति

(ईसीबीआई)" से संबंधित मामलों को भी देखता है।

सीमा प्रबंधन–II (बीएम–II) प्रभाग

1.7 बीएम–II प्रभाग सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी), तटीय सुरक्षा स्कीम (सीएसएस) और भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) से संबंधित मामलों को देखता है। बीएडीपी केन्द्र प्रायोजित एक मुख्य स्कीम है, जिसका कार्यान्वयन सीमा प्रबंधन के एक व्यापक दृष्टिकोण के भाग के रूप में राज्य सरकारों के माध्यम से किया जा रहा है। तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में तटीय सुरक्षा से संबंधित अवसंरचना निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु तटीय सुरक्षा स्कीम का कार्यान्वयन विविध चरणों में किया जाता है। यह प्रभाग एलपीएआई के स्थापना मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। इसे देश की भूमि सीमाओं में एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) का निर्माण, विकास और अनुरक्षण करने तथा साथ ही आईसीपी के विकास हेतु विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है।

समन्वय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (सीआईसी) प्रभाग

1.8 सीआईसी प्रभाग (समन्वय विंग) मंत्रालय के अंदर समन्वय संबंधी कार्य, संसदीय मामलों, लोक शिकायतों (पीजी), अदालती मामलों की निगरानी, राजभाषा, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन, वेबसाइट प्रबंधन, रिकार्ड प्रतिधारण समय–सूची, मंत्रालय के वर्गीकृत और गैर– वर्गीकृत रिकार्डों के अभिरक्षण, ई–समीक्षा के मामले, अनुसूचित जातियों (एससी)/अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और विकलांग व्यक्तियों के रोजगार तथा साथ ही मंत्रालय की उपलब्धियों संबंधी विभिन्न रिपोर्टें प्रस्तुत/प्रकाशित करने इत्यादि से संबंधित कार्यों को देखता है।

1.9 इस प्रभाग का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) विंग सुरक्षा सहयोग से संबंधित करारों/संधियों को अंतिम रूप प्रदान करने/उन पर वार्ता करने, स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापार और द्विपक्षीय पारस्परिक विधिक सहायता संधियों (एमएलएटी) इत्यादि से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल प्रभाग है। यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), बंगाल की खाड़ी बहु–क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक), दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान), शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) आदि से जुड़े कार्यों को देखने के लिए गृह मंत्रालय में एक केंद्र बिंदु है। यह प्रभाग दूसरे देशों के साथ हस्ताक्षरित सभी समझौता ज्ञापनों (एमओयू)/करारों तथा गृह मंत्री और गृह सचिव स्तर पर अन्य द्विपक्षीय वार्ताओं/बैठकों के लिए सुरक्षा स्वीकृतियों के संबंध में समन्वय कार्य भी करता है।

केंद्र– राज्य (सीएस) प्रभाग

1.10 सीएस प्रभाग केन्द्र–राज्य संबंधों का कार्य देखता है, जिसमें इस प्रकार के संबंधों को शासित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की क्रियाशीलता, राज्यपालों की नियुक्ति, नए राज्यों के सृजन, राज्य सभा/लोक सभा के लिए नामांकन, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, राज्यों में अपराध की स्थिति पर नजर रखना, राष्ट्रपति शासन लगाना इत्यादि शामिल है।

1.11 सीएस प्रभाग में पब्लिक सेक्शन भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, पूर्वता अधिपत्र, जीवन रक्षा पदक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय सम्प्रतीक इत्यादि से जुड़े कार्यों को देखता है।

साइबर और सूचना सुरक्षा (सीआईएस) प्रभाग

1.12 सीआईएस प्रभाग की स्थापना देश में साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध के संबंध में बढ़ती चिंताओं का समाधान करने के लिए अक्तूबर, 2017 में की गई थी। सीआईएस प्रभाग सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति और दिशानिर्देश (एनआईएसपीजी) का कार्यान्वयन करने, विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों/ संगठनों की आईटी अवसंरचना की साइबर सुरक्षा और जोखिम मूल्यांकन, देश में साइबर अपराधों से निपटने हेतु समन्वय स्थापित करने, महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध को रोकने से संबंधित स्कीम, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) स्कीम, साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना, नियमित सूचना सुरक्षा ऑडिट, साइबर सुरक्षा और

साइबर अपराध पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, विधिसम्मत इंटरसेप्शन और एनएटीजीआरआईडी (नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड) से संबंधित मामलों/कार्यों को देखता है।

आतंकवाद–रोधी एवं कट्टरवाद–रोधी (सीटीसीआर) प्रभाग

1.13 सीटीसीआर प्रभाग आतंकवाद, कट्टरवाद को रोकने/कट्टरवाद को समाप्त करने, आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने इत्यादि से संबंधित नीतिगत एवं ऑपरेशनल मुद्दों तथा साथ ही राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के प्रशासनिक, वित्तीय और सांविधिक मामलों को देखता है।

आपदा प्रबंधन (डीएम) प्रभाग

1.14 डीएम प्रभाग का दायित्व प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं (सूखा और महामारी को छोड़कर) से निपटने के लिए विधायन, नीति निर्माण, क्षमता निर्माण, रोकथाम, न्यूनीकरण, दीर्घकालिक पुनर्वास, कार्रवाई, राहत कार्य और तैयारी करना है।

वित्त प्रभाग

1.15 वित्त प्रभाग का दायित्व मंत्रालय का बजट तैयार करना, उसे संचालित और नियंत्रित करना है तथा व्यय नियंत्रण एवं निगरानी और वित्तीय सलाह आदि से संबंधित अन्य मामलों को देखना है।

विदेशी विषयक प्रभाग

1.16 विदेशी विषयक प्रभाग वीजा, संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) प्रणाली, आप्रवासन, नागरिकता, प्रवासी भारतीय नागरिकता, विदेशी अभिदाय की प्राप्ति तथा अतिथि सत्कार से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास (एफएफआर) प्रभाग

1.17 एफएफआर प्रभाग, "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम" और पुराना पश्चिमी पाकिस्तान/पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हुये लोगों के पुनर्वास के लिए स्कीमों को बनाता है और इनका कार्यान्वयन करता है तथा श्रीलंकाई और तिब्बती शरणार्थियों को राहत देने की व्यवस्था करता है और शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 का क्रियान्वयन भी करता है।

आंतरिक सुरक्षा–I (आईएस–I) प्रभाग

1.18 आंतरिक सुरक्षा–I प्रभाग आंतरिक सुरक्षा, कानून–व्यवस्था, पंजाब से जुड़े मामलों, राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सौहार्द, अयोध्या, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने; हथियार एवं विस्फोटक पदार्थ; व्यक्तियों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और परियोजनाओं एवं प्रस्तावों को सुरक्षा की दृष्टि से स्वीकृति देने के मामलों को तथा साथ ही ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरएंडडी) और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित मामलों को देखता है।

आंतरिक सुरक्षा–II (आईएस–II) प्रभाग

1.19 आंतरिक सुरक्षा–II प्रभाग प्रत्यर्पण, पारस्परिक कानूनी सहायता, इंटरपोल, मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, मानव अधिकारों की सुरक्षा तथा आतंकवाद/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवाद की हिंसा और सीमा–पार गोलीबारी एवं भारतीय क्षेत्र में माइन/इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) विस्फोट से पीड़ित हुये आम नागरिक/उनके परिवारों हेतु केंद्रीय सहायता स्कीम से संबंधित मामलों को देखता है।

जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामलों का प्रभाग

1.20 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) राज्य को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के रूप में पुनर्गठित किए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर मामलों के प्रभाग का भी पुनर्गठन किया गया है तथा इसका नाम बदलकर अब जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामलों का प्रभाग रखा गया है।

1.21 जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामलों का प्रभाग

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) से संबंधित सभी मामलों, जम्मू और कश्मीर के भीतर आतंकवाद से निपटने के मामलों और साथ ही भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को विशेष रूप से आवंटित विषयों/मामलों के संबंध में समन्वय के कार्य को देखता है। यह प्रभाग जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में भारत सरकार की प्रमुख स्कीमों और व्यक्तिगत लाभार्थी केंद्रित स्कीमों तथा प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) सहित आर्थिक महत्व की प्रमुख परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए भी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय करता है।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभाग

1.22 एलडब्ल्यूई प्रभाग, वामपंथी उग्रवाद की स्थिति और प्रभावित राज्यों द्वारा किए जा रहे उपायों पर नजर रखता है, जिसका उद्देश्य बुनियादी स्तर पर पुलिस व्यवस्था में सुधार करना और प्रभावित राज्यों द्वारा तैयार की गई/तैयार की जाने वाली स्थान–विशिष्ट कार्य योजनाओं के अनुरूप विकास संबंधी कार्रवाई करना है। यह प्रभाग, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के उचित कार्यान्वयन तथा ऐसी योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियों के इष्टतम उपयोग की समीक्षा भी करता है।

पूर्वोत्तर (एनई) प्रभाग

1.23 एनई प्रभाग, पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखता है, जिसमें उस क्षेत्र में विद्रोह से संबंधित मामले और वहां पर सक्रिय विभिन्न उग्रवादी समूहों के साथ बातचीत करना शामिल है।

पुलिस–I (पी–I) प्रभाग

1.24 पुलिस–I प्रभाग, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के संबंध में संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है और पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण, सराहनीय/विशिष्ट सेवा तथा वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक आदि से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है।

पुलिस–II (पी–II) प्रभाग

1.25 पुलिस–II प्रभाग, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) तथा उनकी तैनाती से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

पुलिस आधुनिकीकरण (पीएम) प्रभाग

1.26 पीएम प्रभाग राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न मदों की व्यवस्था, पुलिस संचार, पुलिस सुधार और निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन आदि से संबंधित कार्य करता है।

संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रभाग

1.27 यूटी प्रभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सहित सभी संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) को छोड़कर) से संबंधित सभी विधायी और संवैधानिक मामलों को देखता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस)/भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के "अरुणाचल प्रदेश–गोवा–मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र (एजीएमयूटी) संवर्ग" तथा साथ ही "दिल्ली–अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा (दानिक्स)"/दिल्ली–अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा (दानिप्स) के संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। यह संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में अपराध तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की निगरानी करने के लिए भी उत्तरदायी है।

महिला सुरक्षा प्रभाग

1.28 सरकार देश में महिला सुरक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। इस उद्देश्य के लिए, दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 लागू किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून में संशोधन जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रदर्शित हो और देश में महिला

सुरक्षा में सुधार हो, सरकार ने विविध पहल की हैं। इस प्रकार की एक पहल के अंतर्गत, सरकार ने दिनांक 28.05.2018 को गृह मंत्रालय में महिला सुरक्षा प्रभाग की स्थापना की है ताकि देश के भीतर महिला सुरक्षा के उपायों को सशक्त बनाया जा सके और न्याय का समग्र रूप से त्वरित एवं प्रभावी कार्यान्वयन करके और साथ ही महिलाओं हेतु एक सुरक्षित वातावरण तैयार करके उनमें सुरक्षा की भावना पैदा की जा सके। यह नया प्रभाग उद्देश्यों की प्राप्ति में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को सहायता प्रदान करने के लिए नीति निर्माण करने, आयोजना करने, समन्वय करने और परियोजनाओं/स्कीमों को तैयार कर उनका कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ–साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना तथा साथ ही फॉरेंसिक विज्ञान, अपराध एवं आपराधिक रिकॉर्ड और कारागार सुधार एवं संबंधित विषयों के लिए एक सहायक ईको–सिस्टम तैयार करना शामिल है।

* * * *

अध्याय–2

आंतरिक सुरक्षा

2.1 देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का वर्गीकरण मोटे तौर पर निम्नानुसार किया जा सकता है :–

(क) देश के भीतरी भाग में आतंकवाद

(ख) कतिपय क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई)

(ग) पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में विद्रोह

(घ) जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) में सीमा पार से आतंकवाद

2.2 वर्ष 2020 के दौरान देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में रही। भारत सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने पर उपयुक्त प्राथमिकता दी है। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर मुख्य फोकस जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) में आतंकवाद का मुकाबला करने, पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में सुधार करने, वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने और देश के भीतरी भाग में शांति बनाए रखने पर रहा। यद्यपि जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) के संबंध में ब्यौरा अध्याय– XIV में दिया गया है, तथापि (क), (ख) और (ग) के संबंध में सुरक्षा स्थिति निम्नानुसार है :

2.3 आतंकवाद से निपटने हेतु क्षमता निर्माण

(क) चूंकि, किसी भी आतंकवादी घटना की स्थिति में राज्य सुरक्षा बल सबसे पहले कार्रवाई करने वाले संगठन होते हैं; इसलिए केंद्र सरकार द्वारा आसूचना जुटाने, आतंकवादी घटनाओं पर कार्रवाई करने और जांच करने के क्षेत्र में नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से इन राज्य पुलिस बलों का क्षमता संवर्धन किया जाता है।

(ख) आतंकवाद में शामिल आतंकवादी संगठनों अथवा व्यक्तियों के नाम विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की क्रमशः पहली और चौथी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। केंद्र सरकार ने अभी तक 42 संगठनों और 31 व्यक्तियों को क्रमशः आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी व्यक्तियों के रूप में घोषित किया है।

(ग) गृह मंत्रालय ने ब्रिक्स के सदस्य राष्ट्रों और संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) जैसे विदेशी राष्ट्रों के साथ "आतंकवाद का मुकाबला करने के संबंध में संयुक्त कार्य समूह" की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

(घ) विधि प्रवर्तन एजेंसियां (एलईए) देश की सुरक्षा, शांति और लोक शांति पर प्रभाव डालने वाले सभी कट्टरपंथी संगठनों अथवा समूहों की गतिविधियों पर नजर रखती हैं और जहां कहीं भी जरूरी होता है, कानून के तहत कार्रवाई करती हैं।

आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु संस्थाएं

(क) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए)

2.4 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का गठन एनआईए अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों की जांच करने और अभियोजन चलाने के लिए एक विशेष एजेंसी के रूप में एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) आतंकवाद के वित्तपोषण के मामलों सहित आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक प्रमुख जांच एजेंसी है। एनआईए ने अपने गठन से लेकर अब तक, 363 (वर्ष 2020 में दिनांक 31.12.2020 तक 59 मामले) मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 286 मामलों में आरोप पत्र सौंपे गए हैं। 69 मामलों में विचारण पूरा हो गया है, जिनमें से 63 मामलों में दोषसिद्धि की गई है।

(ख) राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड)

2.5 नेटग्रिड की परिकल्पना एक ऐसे फ्रेमवर्क संस्था के रूप में की गई है, जो देश की आतंकवाद–रोधी क्षमता में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से प्रयोक्ता एजेंसियों (सुरक्षा/विधि प्रवर्तन) को नामित डाटा प्रदाताओं के साथ जोड़ने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार करेगी। परियोजना को वर्ष 2012 में अनुमोदित किया गया था और नेटग्रिड परियोजना के मुख्य घटकों के लिए कुल 1002.97 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई थी। नेटस्टार चरण–। (कनैक्टर्स) का विकास नेटग्रिड द्वारा इन–हाउस रूप में किया गया है और बीटा संस्करण को दिनांक 31.08.2020 को शुरू कर दिया गया है। बेंगलुरू और नई दिल्ली में सिविल निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ग) आतंकवाद वित्तपोषण रोकथाम सेल (सीएफटी सेल)

2.6 गृह मंत्रालय में आतंकवाद वित्तपोषण रोकथाम सेल (सीएफटी) की स्थापना की गई है, जो आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने (सीएफटी) और जाली भारतीय करेंसी नोट (एफआईसीएन) से संबंधित नीतिगत मामलों को देखता है।

2.7 जाली भारतीय करेंसी नोटों के प्रचलन की समस्या से निपटने के लिए राज्यों/केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/सूचना का आदान–प्रदान करने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा एक एफआईसीएन समन्वय समूह (एफसीओआरडी) गठित किया गया है।

2.8 आतंक के वित्तपोषण तथा जाली करेंसी नोटों के मामलों पर केंद्रित जांच करने के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) में एक "आतंक वित्तपोषण एवं जाली करेंसी सेल (टीएफएफसी)" गठित किया गया है।

2.9 जाली करेंसी नोटों की तस्करी और प्रचलन को रोकने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेपाल और बांग्लादेश के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि उन्हें भारतीय करेंसी की तस्करी/जालसाजी के बारे में जागरूक बनाया जा सके। आतंक के वित्तपोषण की गतिविधियों में शामिल तत्वों पर कड़ी नजर रखने के लिए केंद्र और राज्यों की आसूचना और सुरक्षा एजेंसियां साथ मिलकर कार्य करती हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई करती हैं।

2.10 भारत दिनांक 25.06.2010 से वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ), जो एक अंतर–सरकारी निकाय है, का एक सदस्य है। यह निकाय धनशोधन (एएमएल) के विरुद्ध तथा आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) करने के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करने हेतु उत्तरदायी है। भारत, एफएटीएफ की तरह के क्षेत्रीय निकायों (एफएसआरबी) जैसे कि यूरेशियन ग्रुप ऑन काम्बेटिंग मनी लांड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (ईएजी) तथा एशिया पैसेफिक ग्रुप ऑन मनी लांड्रिंग (एपीजी), का भी सदस्य है। भारत "आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम पर बिम्स्टेक उप समूह" की बैठकों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है।

उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों की सुरक्षा

2.11 आतंकवादी और उग्रवादी समूहों से खतरे के कारण उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराना अनिवार्य हो जाता है। चूंकि ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरा एक परिवर्तनशील स्थिति है, इसलिए गृह मंत्रालय द्वारा समय–समय पर उनकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाता है। आतंकवादियों और उग्रवादियों के मंसूबों का प्रभावी तरीके से मुकाबला करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि देश में सुरक्षा, लोक व्यवस्था और शान्ति बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके।

2.12 गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों की सुरक्षा और उनके आवागमन के बारे में भी लगातार सचेत किया जाता है। इस संबंध में, उन्हें आवश्यकतानुसार, नियमित रूप से परामर्शी–पत्र भेजे जाते हैं। राज्यों के सुरक्षा बलों को ऐसी सुरक्षा ड्यूटियों के लिए सुसज्जित करने हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और केन्द्रीय

औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के प्रशिक्षण संस्थानों में पुलिस कमाण्डो के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

2.13 गृह मंत्रालय द्वारा येलो बुक (निजी सुरक्षा के लिए दिशा–निर्देश) का संशोधित एवं अपडेटिड संस्करण फरवरी, 2019 में जारी किया गया था।

विमानपत्तन सुरक्षा/दिल्ली मेट्रो सुरक्षा

2.14 विमानन क्षेत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए, आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की प्राप्ति, विमानपत्तनों में बेहतर सुरक्षा प्रक्रियाओं तथा सुरक्षा कार्मिकों की पर्याप्त तैनाती पर ध्यान दिया गया है। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए), आसूचना ब्यूरो (आईबी), सीआईएसएफ और अन्य संगठनों के साथ परामर्श करके एक प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया गया है। विमानपत्तनों के लिए आतंकवाद–रोधी आकस्मिक योजना (सीटीसीपी) तैयार की गई है तथा इसे कार्यान्वयन हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

2.15 दिल्ली मेट्रो के लिए एक ठोस सुरक्षा फ्रेमवर्क के अंतर्गत सीआईएसएफ द्वारा सुरक्षा मुहैया करायी जाती है।

महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की सुरक्षा

2.16 देश में महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की सुरक्षा मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्रालय/विभाग अथवा संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। गृह मंत्रालय, केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा के आधार पर, उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थापनाओं के सुरक्षा मानकों और आवश्यकता के बारे में आवधिक रूप से परामर्श प्रदान करता है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण संस्थापनाओं के बारे में प्राप्त खतरे की सूचनाओं को संबंधित राज्य सरकारों/यूटी प्रशासनों/मंत्रालयों के साथ तत्काल साझा किया जाता है। संगठनों/मंत्रालयों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, कतिपय महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को तैनात किया जाता है। महत्वपूर्ण संस्थापनाओं के सुरक्षा वर्गीकरण की समीक्षा की गई है और उनके खतरे की संभावना को देखते हुए तथा व्यापक सीमा में महत्वपूर्ण संस्थापनाओं को शामिल करने के लिए उन्हें ए, बी, सी, डी एवं ई के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। अब महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की संख्या 777 है।

धार्मिक पीठों/स्थलों की सुरक्षा

2.17 देश में धार्मिक पीठों/स्थलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/यूटी प्रशासनों का है। तथापि, किसी विशिष्ट खतरे की सूचना प्राप्त होने पर या सुरक्षा को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता होने पर गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/यूटी प्रशासनों को ऐसे धार्मिक पीठों/स्थलों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक एडवाइजरी और चेतावनियां जारी की जाती हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी

2.18 प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कंपनियों, बोलीदाताओं और व्यक्तियों को लाइसेंस, परमिट, अनुमति, अनुबंध आदि जारी करने से पहले इन संबंधित संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) नोडल मंत्रालय है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी का उद्देश्य आर्थिक खतरों सहित, संभावित सुरक्षा खतरों का मूल्यांकन करना है तथा प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश और परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले वहां जोखिम का मूल्यांकन करना है। इसका उद्देश्य एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं के बीच एक संतुलन बनाना है और दूसरी ओर देश में व्यापार को सुगम बनाने एवं निवेश को बढ़ावा देना है। सुरक्षा मंजूरी के प्रस्तावों पर समयबद्ध निर्णय के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह मंत्रालय में अधिकारियों की समिति की बैठक होती है। सुरक्षा मंजूरी के 749 प्रस्तावों का दिनांक 01.04.2020 से 31.01.2021 की अवधि के दौरान निपटान किया गया।

वार्षिक डीजीपी/आईजीपी सम्मेलन

2.19 55वें वार्षिक डीजीपी/आईजीपी सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में दिनांक 02.12.2020 से 05.12.2020 के दौरान किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 02.12.2020 को किया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 02.12.2020 से 05.12.2020 के दौरान सम्मेलन की कार्यवाही की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने और साइबर सुरक्षा से संबंधित कई मुद्दों तथा पुलिस व्यवस्था

के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए सरकार का दृष्टिकोण एवं कार्य योजना

2.20 भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहायता कर रही है। भारत सरकार ने सुरक्षा एवं विकास के क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करके तथा साथ ही सुशासन को भी बढ़ावा देकर वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए एक एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। इसे हासिल करने के लिए, एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना तैयार की गई है जिसके अंतर्गत सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने आदि के क्षेत्रों में बहु–आयामी रणनीति अपनाई गई है।

2.21 सुरक्षा संबंधी उपायों में, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) प्रदान करना, भारतीय रिजर्व (आईआर) बटालियनों की मंजूरी, राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण एवं स्तरोन्नयन, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत सुरक्षा खर्चों की प्रतिपूर्ति, विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) के तहत राज्यों की विशेष खुफिया शाखाओं एवं विशेष बलों को सुदृढ़ बनाना और पुलिस स्टेशनों (पीएस) को सुरक्षित बनाना, एलडब्ल्यूई–रोधी ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर प्रदान करना, रक्षा मंत्रालय (एमओडी), केंद्रीय पुलिस संगठनों और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के माध्यम से राज्य पुलिस को प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करना, खुफिया जानकारी साझा करना, अंतर–राज्य समन्वय की सुविधा देना, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था और नागरिक कार्रवाई आदि शामिल हैं।

2.22 इसके पीछे यह विचाराधारा है कि वामपंथी उग्रवाद के खतरे से ठोस ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता में वृद्धि की जाए।

2.23 इसके साथ ही, विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है। भारत सरकार ने सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी अवसंरचना में सुधार और कौशल उन्नयन आदि के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं। आगे और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, उन सार्वजनिक अवसंरचनाओं और सेवाओं में महत्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना, जो कि तत्काल प्रकृति के होते हैं, की कमी को पूरा करने के लिए एलडब्ल्यूई से सर्वाधिक प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत धनराशि प्रदान की जाती है ।

2.24 सरकार द्वारा राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना के ठोस कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप देश भर में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के परिदृश्य में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। गत छः वर्षों के दौरान वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा के साथ–साथ वामपंथी उग्रवाद के भौगोलिक विस्तार में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। एलडब्ल्यूई हिंसा में गिरावट का सिलसिला वर्ष 2011 में शुरू हुआ था, जो वर्ष 2020 में भी जारी रहा। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2020 में हिंसक घटनाओं में कुल 41% की कमी (1,136 से घटकर 665) हुई है और एलडब्ल्यूई से संबंधित मौतों में 54% की कमी (397 से घटकर 183) हुई है। वर्ष 2019 की तुलना में, वर्ष 2020 में भी हिंसा की घटनाओं में मामूली कमी के साथ इसका स्तर वही रहा (670 से घटकर 665) और परिणामी मौतों में 9% (202 से घटकर 183) की कमी आई है। सुरक्षा बलों की मौतों में 17% (52 से घटकर 43) कमी आई है। साथ ही, भारत सरकार की विकासोन्मुख पहल के कारण वामपंथी उग्रवादियों ने पहले से ज्यादा बड़ी संख्या में हिंसा का रास्ता छोड़ा है और मुख्य धारा में लौटे हैं।

2.25 वर्ष 2020 में, 315 घटनाओं और 111 मौतों के साथ छत्तीसगढ़ सर्वाधिक प्रभावित राज्य रहा, इसके बाद झारखंड (199 घटनाएं और 39 मौतें), ओडिशा (50 घटनाएं और 9 मौतें), महाराष्ट्र (30 घटनाएं और 8 मौतें) और बिहार (26 घटनाएं और 8 मौतें) का स्थान आता है।

2.26 वामपंथी उग्रवाद के परिदृश्य में सुधार का श्रेय वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी और उनकी क्षमता में वृद्धि, प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर अभियान की रणनीति तथा विकास योजनाओं की बेहतर निगरानी को दिया जा सकता है। एलडब्ल्यूई हिंसा की स्थिति का राज्य–वार विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया हैः–

वर्ष 2011–2020 के दौरान एलडब्ल्यूई हिंसा की राज्य–वार स्थिति

राज्य	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		31.03.2021 तक	
	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें
आंध्र प्रदेश	54	9	67	13	28	7	18	4	35	8	17	6	26	7	12	3	18	5	12	4	6	1
बिहार	316	63	166	44	177	69	163	32	110	17	129	28	99	22	59	15	62	17	26	8	8	0
छत्तीसगढ़	465	204	370	109	355	111	328	112	466	101	395	107	373	130	392	153	263	77	315	111	78	29
झारखंड	517	182	480	163	387	152	384	103	310	56	323	85	251	56	205	43	200	54	199	39	39	9
मध्य प्रदेश	8	0	11	0	1	0	3	0	0	0	12	2	3	1	4	0	5	2	16	2	5	0
महाराष्ट्र	109	54	134	41	71	19	70	28	55	18	73	23	69	16	75	12	66	34	30	8	14	2
ओडिशा	192	53	171	45	101	35	103	26	92	28	86	27	81	29	75	12	45	11	50	9	14	2
तेलंगाना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	8	4	14	5	11	2	7	0	5	2	11	2	8	2	15	2	0	0
उत्तर प्रदेश	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	92	45	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्य	6	1	8	0	7	0	8	0	10	0	6	0	1	0	0	0	3	0	2	0	0	0
कुल	**1760**	**611**	**1415**	**415**	**1136**	**397**	**1091**	**310**	**1089**	**230**	**1048**	**278**	**908**	**263**	**833**	**240**	**670**	**202**	**665**	**183**	**164**	**43**

2.27 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) संबंधी हिंसा के भौगोलिक प्रसार में भी काफी कमी आ रही है। वर्ष 2020 में, 9 राज्यों के 53 जिलों के 226 पुलिस स्टेशनों (पीएस) से वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2013 में 10 राज्यों के 76 जिलों के 328 पुलिस स्टेशनों से वामपंथी उग्रवाद के संबंध में हिंसा की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। हिंसा का दायरा उल्लेखनीय रूप से केवल 30 जिलों तक सीमित हो गया है, जो कि 88% वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) संबंधी हिंसा के लिए उत्तरदायी हैं। देश में विभिन्न वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) संगठनों में सीपीआई (माओवादी) सर्वाधिक प्रभावी बना हुआ है और यह कुल वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) हिंसा की 86% से अधिक घटनाओं के लिए तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाली 96% मौतों के लिए जिम्मेदार है। सीपीआई (माओवादी) अंतर–राज्यीय सीमाओं के साथ–साथ नए क्षेत्र में बिना किसी उल्लेखनीय सफलता के अपना विस्तार करने का प्रयास कर रहा है।

2.28 अधिकांश राज्यों में माओवादियों के बैकफुट पर आने के लिए बाध्य हो जाने से वर्तमान समय इस खतरे को हमेशा के लिए समाप्त करने का एक सुअवसर है।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए विशेष उपाय

2.29 **सीपीआई (माओवादी) पर प्रतिबंध:** सीपीआई (माओवादी), जो कि वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा/हताहत होने की अधिकांश घटनाओं के लिए जिम्मेदार प्रमुख वामपंथी उग्रवादी संगठन है, को इसके सभी गुटों और अग्रणी संगठनों के साथ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी संगठनों की अनुसूची में शामिल किया गया है।

2.30 **आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना:** वामपंथी उग्रवाद संबंधी गतिविधियों की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए, केन्द्र और राज्य स्तर पर आसूचना

एजेंसियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने और उसका उन्नयन करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इसमें 24x7 आधार पर केन्द्रीय स्तर पर मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) और राज्य स्तर पर राज्य मल्टी एजेंसी सेंटर (एसएमएसी) के माध्यम से आसूचना साझा करना शामिल है। आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में जगदलपुर एवं गया में संयुक्त कमांड और नियंत्रण केन्द्र की स्थापना करना, तकनीकी और मानवीय आसूचना को सुदृढ़ करना, सुरक्षा बलों (एसएफ), जिला पुलिस और आसूचना एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, वास्तविक समय पर आसूचना के सृजन पर बल देना और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में राज्य आसूचना ब्यूरो (एसआईबी) का सृजन/सुदृढ़ीकरण करना इत्यादि शामिल है, जिसके लिए विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

2.31 **बेहतर अंतर–राज्य समन्वयः** सीपीआई (माओवादी) कैडरों की गतिविधियों का क्षेत्र केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनेक राज्यों में फैला हुआ है। इसलिए, अनेक पहलुओं के संबंध में विभिन्न स्तरों पर बेहतर अंतर–राज्य समन्वय आवश्यक है। इसलिए, भारत सरकार ने अंतर–राज्यीय बैठकों में सुधार करने और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के सीमावर्ती जिलों के बीच पारस्परिक बातचीत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

2.32 **इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज (आईईडी) की समस्या का सामना करनाः** वामपंथी उग्रवाद–रोधी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के हताहत होने का कारण ज्यादातर आईईडी है। गृह मंत्रालय सीएपीएफ एवं राज्य पुलिस बलों को उनके आईईडी–रोधी क्षमता का निर्माण करने में उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। आईईडी के प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने 'वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में विस्फोटकों/आईईडी/बारूदी सुरंगों से संबंधित मुद्दों' पर एक मानक प्रचालन पद्धति (एसओपी) तैयार की है और इसे सभी स्टेकहोल्डरों को परिचालित किया है।

2.33 **इंडिया रिजर्व (आईआर)/स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी)ः** वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों को मुख्यतः उनके स्तर पर सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और विशेष रूप से एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को लाभपूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में राज्यों को समर्थ बनाने के लिए भी 66 इंडिया रिजर्व (आईआर) बटालियनें/स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियनें (एसआईआर) मंजूर की गई हैं। इनमें से 54 बटालियनें गठित कर ली गई हैं।

2.34 **वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में गृह मंत्रालय की स्कीमेंः** वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैंः

(क) **सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजनाः** भारत सरकार, वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) हिंसा में जान गंवाने वाले आम नागरिकों/सुरक्षा बलों (एसएफ) के परिवारों को अनुग्रह–भुगतान, सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं, पुलिस कार्मिकों के बीमा, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों को मुआवजे, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, ग्राम रक्षा समितियों तथा प्रचार सामग्री इत्यादि पर होने वाले सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति करती है। परिव्यय में वृद्धि के साथ स्कीम को और सुदृढ़ किया गया है। इसके अलावा, सुरक्षा कार्मिकों की अशक्तता तथा संपत्ति की क्षति के लिए मुआवजा जैसी नई मदों को वर्ष 2017 में पहली बार स्कीम में शामिल किया गया है। सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम का उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की समस्या से निपटने में, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित राज्यों की क्षमता में वृद्धि करना है। वित्त वर्ष 2019–20 में 367.26 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 304.49 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ख) **वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित राज्यों में 250 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों (पीएस) के निर्माण सहित विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस)ः** राज्यों की राज्य आसूचना शाखाओं (एसआईबी) और विशेष बलों के सशक्तीकरण के लिए तथा प्रति पुलिस स्टेशन 2.5 करोड़ रुपये की दर से 250 पुलिस स्टेशनों (पीएस) को सुरक्षित बनाने के कार्य के लिए स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम के लिए कुल परिव्यय 1006.00 करोड़ रुपये है (अर्थात

केन्द्रीय अंश के रूप में 604 करोड़ रुपये (60%) और राज्य अंश के रूप में 402 करोड़ रुपये)। स्कीम में अग्रिम के रूप में 152.67 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ग) **सुरक्षित पुलिस स्टेशन स्कीम:** इस स्कीम के तहत, 400 सुरक्षित पुलिस स्टेशन (पीएस) संस्वीकृत किए गए थे। स्कीम पूरी होने वाली है और सभी 400 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों (पीएस) का निर्माण पहले ही किया जा चुका है।

(घ) **नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम (सीएपी):** इस योजना के तहत, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों (एसएफ) के बीच दूरी को पाटना है। वित्त वर्ष 2019–20 में सीएपीएफ को 20 करोड़ रुपये जारी किए गए तथा चालू वित्तीय वर्ष में 7.22 करोड़ रुपये जारी किये गये है।

(ङ) **वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए):** इस स्कीम के तहत, राज्यों को ऐसी सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं में उन महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं, जो आकस्मिक प्रकृति की होती हैं और जिन पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। एससीए के तहत कवर किए गए राज्यों को पिछले 3 वर्षों के दौरान 2148.24 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में 450 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

(च) **वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता की स्कीम (एसीएएलडब्ल्यूईएमएस):** यह स्कीम 50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से कुल 150 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित की गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा हेलीकॉप्टर को किराए पर लेने, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) रोधी ऑपरेशनों के लिए भारतीय वायु सेना (आईएएफ) द्वारा प्रदान की गई एयर लिफ्ट सेवा से संबंधित बिलों का भुगतान करने और सीएपीएफ को अवसंरचना संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए सीएपीएफ/केंद्रीय एजेंसियों को इस स्कीम के अंतर्गत निधियां प्रदान की जाती हैं। संबंधित वित्त वर्ष 2019–20 में, "वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता की स्कीम (एसीएएलडब्ल्यूईएमएस)" के तहत 109 करोड़ रु. जारी किए गए थे। चालू वित्त वर्ष 2020–21 में 69.35 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

निगरानी तंत्र

2.35 गृह मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्री, गृह सचिव एवं विशेष सचिव/अपर सचिव के स्तर पर वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की स्थिति की नियमित आधार पर मानीटरिंग करता है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाला एक समीक्षा समूह भी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों और वीडियो कांफ्रेंसों के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की स्थिति और वहां चल रही विकास संबंधी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है।

2.36 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा लागू की जा रही स्कीमें/पहलें:

(क) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों में तेजी से विकास करने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्कूलों, डिस्पेंसरियों/अस्पतालों, विद्युत और दूरसंचार लाइनों, पेय जल परियोजनाओं, पानी/वर्षा के जल संचयन के ढांचों, लघु सिंचाई नहरों, ऊर्जा के गैर–परंपरागत स्रोतों, कौशल उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, ग्रामीण सड़कों इत्यादि संबंधी 14 श्रेणियों में अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं हेतु वन भूमि के डायवर्जन के लिए सामान्य अनुमोदन प्रदान किया है। पहले सामान्य अनुमोदन 5 हेक्टेयर तक वन भूमि का डायवर्जन कराने हेतु था, जिसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए बढ़ाकर 40 हेक्टेयर कर दिया गया है। यह अनुमोदन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 की शर्तों के अनुसार 31.12.2020 तक वैध होगा।

(ख) भारत सरकार 8 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश (अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना), बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं उत्तर

प्रदेश के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 34 जिलों में सड़क सम्पर्क में सुधार करने के लिए दिनांक 26.02.2009 से सड़क आवश्यकता योजना–I (आरआरपी–I) का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम में 8673 करोड़ रुपये की लागत से 5,362 किमी. सड़क और 08 महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। दिनांक 31.03.2021 तक, कुल 4,981 किमी. सड़कों और 06 महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ग) सरकार ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में ग्रामीण सड़क संपर्क में सुधार करने के लिए दिनांक 28.12.2016 को "वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना" नामक एक केंद्र प्रायोजित स्कीम अनुमोदित की है। इस परियोजना को प्रायोजित/कार्यान्वित करने वाला मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इस स्कीम में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 44 जिलों में 11,725 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 5,412 किमी. सड़कों के निर्माण/उन्नयन तथा 126 पुलों/क्रॉस ड्रेनेज कार्यों की परिकल्पना की गई है। 9,268 किमी. के लिए स्वीकृति पहले ही राज्यों को संसूचित कर दी गई है। इसमें से, 3,505 किमी. सड़कों के कार्य को पूरा कर लिया गया है।

(घ) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार कनैक्टिविटी के मुद्दों के निराकरण के लिए, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा मोबाइल टावरों की स्थापना की एक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत, चरण–I में 2,335 टावर चालू कर दिए गए हैं और परियोजना के चरण–II में 4,072 मोबाइल टावरों की स्थापना किये जाने को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इनमें से 2,542 टावर निविदा प्रक्रिया के अधीन हैं।

(ङ) अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लोगों को वन अधिकार अधिनियम के तहत स्वामित्व बिलेख प्रदान किए जाते हैं। अभी तक, 10 एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में व्यक्तियों और समुदाय को 16,22,128 स्वामित्व विलेख वितरित किए गए हैं। यह उनकी आजीविका सुनिश्चित करेगा, उन्हें खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराएगा तथा वन भूमि पर उनके अधिकारों की रक्षा करेगा।

(च) भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में अवसंरचना का सृजन करने और युवाओं को रोजगार प्रदान करने से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक विशेष स्कीम नामतः "वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास" का कार्यान्वयन कर रही है। कौशल विकास स्कीम में 47 जिलों में एक–एक आईटीआई तथा 34 जिलों में दो–दो कौशल विकास केंद्रों (एसडीसी) के निर्माण/स्थापना की परिकल्पना की गई है।

(छ) ग्यारह वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों, जो अत्यधिक प्रभावित हैं, में केंद्रीय विद्यालय (केवी) नहीं थे। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने इन जिलों के लिए 11 नए केंद्रीय विद्यालय मंजूर किए हैं। इनमें से 09 नए केंद्रीय विद्यालय खोल दिए गए हैं तथा शेष 02 केंद्रीय विद्यालय जल्द ही खोले जाएंगे। इसी प्रकार, 06 नए जवाहर नवोदय विद्यालय मंजूर किए गए हैं। ये सभी जवाहर नवोदय विद्यालय खोल दिए गए हैं।

(ज) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों में स्थानीय आबादी के वित्तीय लेनदेन के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग और डाक विभाग द्वारा नई बैंक शाखाएं, एटीएम, बैंक संपर्ककर्ता (बीसी) और डाकघर खोले जा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में 1,170 बैंक शाखाएं, 959 एटीएम, 12,628 बैंक संपर्ककर्ता और 1,769 नए डाकघर खोले गए हैं।

(झ) जनजातीय क्षेत्रों में गुणवतायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय "एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (ईएमआरएस)" खोल रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित 55 जनजातीय बहुल जिलों के लिए 217 ईएमआरएस मंजूर किए गए है तथा 46 अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन हैं। इनमें से 78 संचालन में हैं।

2.37 भारत सरकार बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए समग्र रूप से खतरों का समाधान करती रहती है और इसके परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। पिछले 6 वर्षों में एलडब्ल्यूई प्रभाव वाले क्षेत्रों में हिंसा में लगातार गिरावट आई है और इसके भौगोलिक फैलाव में काफी कमी देखी गई है। तथापि, यह स्पष्ट है कि माओवादी विकास की कमी जैसे मूल कारणों का सार्थक हल नहीं होने देना चाहते क्योंकि वे बड़े पैमाने पर स्कूल भवनों, सड़कों, रेल, पुलों, स्वास्थ्य सुविधाओं, संचार सुविधाओं आदि को अपना निशाना बनाते हैं। वे अपनी पुरानी विचारधारा को कायम रखने के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हाशिए पर रखना चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, देश के एलडब्लूई प्रभाव वाले अनेक भागों में दशकों से विकास की प्रक्रिया थम गई है। सभ्य समाज और मीडिया द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किये जाने की आवश्यकता है कि माओवादियों पर हिंसा का रास्ता छोड़ने और उन्हें मुख्य धारा से जुड़ने का दबाव बनाया जाना चाहिए तथा साथ ही उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि 21वीं सदी के भारत की सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा तथा आकांक्षाएं माओवादी विचारधारा से काफी अलग हैं। सरकार ऊपर बताए गए रणनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से एलडब्लूई की समस्या को समाप्त करने के प्रति आशावादी है।

पूर्वोत्तर

प्रस्तावना

2.38 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में आठ राज्य, अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। यह क्षेत्र सांस्कृतिक एवं जातीय रूप से विविधतापूर्ण है, जिसमें पृथक भाषा, बोली और सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान वाले 200 से अधिक जातीय समूह निवास करते हैं। यह क्षेत्र देश के 7.97% भू–भाग को कवर करता है और इसमें आबादी का लगभग 3.78% हिस्सा निवास करता है। इसकी 5,484 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है यथा, बांग्लादेश (1,880 किमी), म्यांमार (1,643 किमी), चीन (1,346 किमी), भूटान (516 किमी) और नेपाल (99 किमी)। भू–भाग, सामाजिक–आर्थिक विकास की स्थिति और ऐतिहासिक घटक यथा भाषागत/जातिगत, जनजातीय झगड़े, प्रवासन, स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण तथा लंबी और छिद्रयुक्त (पोरस) सीमाएं पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में सुरक्षा की दृष्टि से प्रमुख कारक बने हुये हैं। इसने विभिन्न भारतीय विद्रोही समूहों (आईआईजी), जो पड़ोसी देशों में सुरक्षित ठिकाने/शिविर बनाए हुए हैं, द्वारा हिंसा, जबरन वसूली और विविध मांगों को जन्म दिया है। पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों के क्षेत्रफल और जनसंख्या के संबंध में बेसिक आंकड़े निम्नानुसार हैं–

राज्य	क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में)	जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार)	जनसंख्या का घनत्व
अरुणाचल प्रदेश	83,743	13,83,727	17
असम	78,438	3,12,05,576	398
मणिपुर	22,327	28,55,794	115
मेघालय	22,429	29,66,889	132
मिजोरम	21,081	10,97,206	52
नागालैंड	16,579	19,78,502	119
सिक्किम	7,096	6,10,577	86
त्रिपुरा	10,486	36,73,917	350
कुल पूर्वोत्तर	2,62,179	4,57,72,188	173
अखिल भारतीय	32,87,263	1,21,08,54,977	382

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में विद्रोह से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

2.39 यद्यपि कानून और व्यवस्था राज्य के विषय हैं, फिर भी केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में विद्रोही समूहों की अवैध एवं गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद कर रही है। इनमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम के तहत राज्य सरकारों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता, इंडिया रिजर्व (आईआर) बटालियनों की मंजूरी, विधि–विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में संचालित हो रहे गैर–कानूनी संगठनों पर प्रतिबंध तथा सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 (एएफएसपीए) के तहत कुछ विशिष्ट क्षेत्रों/राज्यों को "अशांत क्षेत्र" घोषित करना आदि शामिल हैं।

2.40 पूर्वोत्तर (एनई) में सशस्त्र विद्रोह से निपटने के लिए, सम्पूर्ण नागालैंड, असम और मणिपुर राज्य (इम्फाल नगर पालिका क्षेत्र के अलावा) सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (एएफएसपीए) के अधीन हैं। सुरक्षा स्थिति में सुधार होने के कारण, दिनांक 22.05.2015 से त्रिपुरा राज्य से और दिनांक 01.04.2018 से मेघालय राज्य से एएफएसपीए को पूरी तरह से हटा लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में, एएफएसपीए के तहत आने वाले क्षेत्रों की संख्या कम हो गई है जो कि असम की सीमा से लगे 16 पुलिस स्टेशनों (पीएस)/आउट पोस्ट्स से घटकर तिरप, चांगलांग तथा लोंगडिंग के 03 जिलों को छोड़कर 04 पुलिस स्टेशनों (पीएस) तक सीमित रह गई है। मणिपुर एवं असम को 'अशांत क्षेत्र" घोषित करने के लिए अधिसूचनाएं राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई हैं।

2.41 पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों के विद्रोही समूहों द्वारा अवैध और गैर–कानूनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, 16 विद्रोही संगठनों को यूएपीए के तहत "विधि–विरुद्ध एसोसिएशन" और/अथवा "आतंकवादी संगठन" घोषित किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की विधि–विरूद्ध एसोसिएशनों/ आतंकवादी संगठनों की सूची अनुलग्नक–III में दी गई है।

2.42 केन्द्र सरकार ने विद्रोह रोधी कार्रवाई करने और असुरक्षित संस्थाओं एवं संस्थापनाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने में राज्य प्राधिकारियों की मदद के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) तैनात किए हैं। पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों की नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सीमा चौकसी कार्यों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की 488 कंपनियां तैनात की गई हैं। पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और विद्रोह–रोधी अभियानों के लिए सीएपीएफ की 393 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार विद्रोह से निपटने के लिए राज्य सरकारों के पुलिस बलों का संवर्धन और उन्नयन करने के लिए उनकी मदद कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों हेतु 61 इंडिया रिजर्व बटालियनों (आई आर बटालियनों) की मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें असम, मणिपुर और त्रिपुरा में प्रत्येक के लिए 11 बटालियनें, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में प्रत्येक के लिए 07, मेघालय के लिए 06, मिजोरम के लिए 05 और सिक्किम के लिए 03 बटालियनें शामिल हैं।

2.43 केन्द्र सरकार ऐसे संगठनों के साथ वार्ता/बातचीत करने के लिए एक नीति पर कार्रवाई करती रही है, जो हिंसा छोड़ने, हथियार त्यागने को तैयार हैं और भारत के संविधान के ढांचे के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, अनेक संगठन सरकार से वार्ता करने के लिए सामने आए हैं और उन्होंने कार्रवाई स्थगन (एसओओ) समझौते किए हैं तथा उनमें से कुछ संगठनों ने समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए हैं और स्वयं का विघटन कर लिया है। जो संगठन वार्ता नहीं कर रहे हैं, उन पर विद्रोह–रोधी कार्रवाई के माध्यम से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), सैन्य बलों और राज्य पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

2.44 केन्द्र सरकार वर्ष 1995 से आतंकवाद/विद्रोह से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) की प्रतिपूर्ति के लिए एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। मिजोरम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में इस स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, निधि में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90:10 के अनुपात में होगी और इसके अंतर्गत विभिन्न सुरक्षा संबंधी मदों पर

पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जा रही है जिसमें इंडिया रिजर्व (आईआर) बटालियनों के गठन, राज्य में तैनात सीएपीएफ/सेना को प्रदान किए गए संभार तंत्र (लॉजिस्टिक), उग्रवादी हिंसा के पीड़ितों को अनुदान सहायता एवं निःशुल्क राहत, अभियानों में पीओएल (पेट्रोल, तेल और ल्यूब्रीकैन्ट) पर किए गए खर्च का 75%, पुलिस कार्मिकों के निकटतम परिजनों को 100% अनुदान सहायता, सुरक्षा के उद्देश्य के लिए तैनात ग्रामीण गार्डों/ग्रामीण रक्षा समितियों/होम गार्डों को प्रदान किया गया मानदेय और ऐसे समूहों, जिनके साथ केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों ने कार्रवाइयों को आस्थगित रखने हेतु करार किया है, के लिए स्थापित किए गए निर्धारित शिविरों के अनुरक्षण पर किया गया व्यय तथा आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों एवं उनके पुनर्वास पर किया गया व्यय इत्यादि शामिल हैं। पिछले पांच वर्षों और चालू वित्त वर्ष (दिनांक 31.12.2020 तक) के दौरान एसआरई स्कीम के तहत पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों को की गई प्रतिपूर्ति अनुलग्नक–IV में दी गई है।

2.45 गृह मंत्रालय भ्रमित युवाओं, जो विद्रोह में भटक गए हैं और बाद में स्वयं को उसमें फंसा हुआ पा रहे हैं, को उससे छुटकारा दिलाने के लिए दिनांक 01.01.1998 से पूर्वोत्तर (एनई) में विद्रोहियों के आत्मसमर्पण–सह–पुनर्वास की एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोही दोबारा विद्रोह में शामिल होने के लिए आकृष्ट न हों। इस योजना को छः पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों (सिक्किम और मिजोरम को छोड़कर) के लिए दिनांक 01.04.2018 से संशोधित किया गया है। नीति के अंतर्गत, आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:–

(क) प्रत्येक सरेंडर करने वाले को 4 लाख रूपए का तत्काल अनुदान, जिसे 3 वर्षों की अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में आत्मसमर्पण करने वालों के नाम से बैंक में रखा जाएगा। इस धनराशि का प्रयोग आत्मसमर्पण करने वालों द्वारा स्वरोजगार हेतु बैंक से ऋण हासिल करते समय समर्थन प्रतिभूति/मार्जिन मनी के रूप में किया जा सकता है।

(ख) तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक आत्मसमर्पण करने वालों को प्रतिमाह 6,000 रुपये वजीफे का भुगतान।

(ग) विद्रोहियों द्वारा आत्मसमर्पण किए गए हथियारों/गोलाबारूद के लिए वित्तीय प्रोत्साहन।

(घ) आत्मसमर्पण करने वालों को स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण।

(ङ) पुनर्वास कैंपों के निर्माण के लिए निधियां। पूर्वोत्तर राज्यों को आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास पर हुए कुल व्यय के 90% की प्रतिपूर्ति एसआरई स्कीम के तहत की जाएगी।

सरकार की इस नीति के अनुसरण में, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न विद्रोही समूहों के कई कैडर आत्मसमर्पण करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।

2.46 स्थानीय जनता का दिल जीतने और आम लोगों के बीच सशस्त्र बलों की छवि सुधारने के लिए, सेना और केन्द्रीय अर्धसैनिक बल आम नागरिकों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत, चिकित्सा शिविरों के आयोजन, स्वच्छता अभियान, खेल कार्यक्रम, बच्चों को अध्ययन सामग्री के वितरण, विद्यालय भवनों, सड़कों, पुलों आदि की छोटी–मोटी मरम्मत और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने आदि जैसी अनेक कल्याणकारी/विकास संबंधी गतिविधियां आरंभ की जाती हैं। विगत पांच वर्षों और चालू वित्त वर्ष (दिनांक 31.12.2020 तक) के दौरान नागरिकों से जुड़े कार्यक्रम के तहत सीएपीएफ/सेना को जारी की गई निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक–V में दिया गया है।

2.47 पूर्वोत्तर के दूरदराज क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकाप्टर सब्सिडी योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर में सस्ता यात्री परिवहन, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान निकासी और आवश्यक चिकित्सा सामग्रियों की निकासी आदि प्रदान करना भी है। गृह मंत्रालय यात्री से होने वाली वसूली की कटौती के बाद कुल परिचालन लागत के 75% अथवा वास्तविक परिचालन लागत के 20%, जो भी अधिक हो, को वहन करता है। सब्सिडी सीमित रखने के प्रयोजनार्थ, इन राज्यों में संचालित की जा रही हेलीकॉप्टर सेवाओं के संबंध में उड़ान के घंटों की वार्षिक सीमा निर्धारित की गई है, जैसाकि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

पूर्वोत्तर राज्य	हेलीकॉप्टर का प्रकार	प्रति वर्ष स्वीकृत उड़ान के घंटों की संख्या
त्रिपुरा	डॉफिन	480
अरुणाचल प्रदेश	पहला एमआई–172 दूसरा एमआई–172 बेल 412 इंजन	960 1200 1300
सिक्किम	बेल –407	1200
मेघालय	डॉफिन	720
नागालैंड	पहला बेल 412 दूसरा बेल 412	1200
मिजोरम	डॉफिन	1200
मणिपुर	बेल 412	744

विगत पांच वर्षों और चालू वित्त वर्ष (दिनांक 31.12.2020 तक) के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाओं पर हुए व्यय/इसके लिए जारी की गई निधि का वर्ष–वार ब्योरा अनुलग्नक–VI में दिया गया है:

पूर्वोत्तर में सुरक्षा की स्थिति

2.48 वर्ष 2014 से पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पिछले दो दशकों के दौरान वर्ष 2020 में विद्रोह की घटनाओं और आम नागरिकों एवं सुरक्षा बलों की मौतों की सबसे कम संख्या दर्ज की गई। वर्ष 2014 की तुलना में, वर्ष 2020 में विद्रोह की घटनाओं में 80% की कमी आई है। इसी तरह, इस अवधि में सुरक्षा बलों (एसएफ) की मौतों की संख्या में 75% और आम नागरिकों की मौतों में 99% की कमी आई है।

2.49 वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में विद्रोह की घटनाओं में लगभग 27% गिरावट (2019–223, 2020–162) तथा आम नागरिकों और सुरक्षा बलों (एसएफ) की मौतों में 72% (2019–25, 2020–07) गिरावट दर्ज हुई है। वर्ष 2020 में क्षेत्र में विद्रोह–रोधी ऑपरेशनों में 21 विद्रोही मारे गए, 646 विद्रोही गिरफ्तार किए गए और 305 हथियार बरामद किए गए। वर्ष 2020 में पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों के विद्रोही संगठनों के कुल 2,644 कैडरों ने अपने हथियार डाले और वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए।

2.50 वर्ष 2014 से संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में हिंसा की स्थिति निम्नानुसार है:–

वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्म–समर्पण करने वाले उग्रवादी	सरेंडर किए गए हथियार	बरामद किए गए हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	824	181	1934	20	212	291	151	1104	369
2015	574	149	1900	46	46	143	69	828	267
2016	484	87	1202	17	48	267	93	605	168
2017	308	57	995	12	37	130	27	405	102
2018	252	34	804	14	23	161	58	420	117
2019	223	12	936	04	21	158	67	312	108
2020	162	21	646	05	02	2,644*	434*	305	68

**अनंतिम आंकड़े*

2.51 जहां मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में कुल मिलाकर शांति रही, वहीं इस क्षेत्र के अन्य राज्यों में सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2019 की तुलना में, वर्ष 2020 में विद्रोह से संबंधित हिंसा की घटनाओं की संख्या में अरुणाचल प्रदेश में 42%, असम में 12%, मणिपुर में 23% और नागालैंड में 45% की कमी हुई है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में हिंसा की स्थिति का राज्य–वार विवरण अनुलग्नक–VII में दिया गया है।

असम

2.52 यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) (वार्ता समर्थक) और कार्बी लोंगरी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ) भारत सरकार और असम सरकार के साथ "कार्रवाई स्थगन (एसओओ) समझौते" के तहत हैं। तथापि, उल्फा (स्वतंत्र) असम के कुछ हिस्सों में सक्रिय है।

2.53 यूपीडीएस (यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडैरिटी) ने दिनांक 25.11.2011 को समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद खुद का विघटन कर लिया। डीएचडी (दीमा हालम दाओगाह) ने दिनांक 08.10.2012 को एमओएस पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद खुद का विघटन कर लिया।

2.54 गुवाहाटी में दिनाक 23.1.2020 को आयोजित किए गए आत्मसमर्पण आयोजन में विभिन्न समूहों के 644 कैडरों (यथा उल्फा/आई–50, नेशनल डैमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी)–8, कामतापुर लिबरेशन आर्गनाइजेशन (केएलओ)–6, रावा नेशनल लिबरेशन फ्रंट–13, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया/माओवादी–1, नेशनल सैंथल लिबरेशन आर्मी–87, आदिवासी ड्रैगन फाइटर–178 और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ बेंगाली–301) ने अपने हथियार डाले। उनके द्वारा कुल 177 हथियार, 52 ग्रेनेड, 71 बम्ब, 3 रॉकेट लांचर, 306 डेटोनेटर, 1.93 किग्रा. विस्फोटक और गोलाबारूद के 1,686 राउंड जमा किए गए।

2.55 50 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी बोडो समस्या को हल करने की दिशा में, एक बड़ी प्रगति के रूप में दिनांक 27.1.2020 को नई दिल्ली में भारत सरकार, असम सरकार और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड/प्रोग्रेसिव (एनडीएफबी/पी), एनडीएफबी/राजन दियामारी, एनडीएफबी/साओराइगवरा, युनाइटेड बोडो पीपुल्स आर्गनाइजेशन (यूबीपीओ) और ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू) आदि बोडो समूहों के प्रतिनिधियों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के पश्चात, दिनांक 30.1.2020 को एनडीएफबी समूहों के 1,615 कैडरों ने अपने हथियार डाल दिए। एनडीएफबी समूहों ने दिनांक 9–10 मार्च, 2020 को खुद को भंग (डिस्बैंड) कर लिया।

2.56 असम में वर्ष 2020 में विद्रोह संबंधी घटनाओं में वर्ष 2019 की तुलना में 12% की कमी हुई है (2019–17, 2020–15)। वर्ष 2020 में, राज्य में हिंसक घटनाओं में किसी सुरक्षा बल (एसएफ) कार्मिक की मृत्यु नहीं हुई है। वर्ष 2020 में, राज्य में चलाए गए विद्रोही–रोधी ऑपरेशनों के परिणामस्वरूप 05 विद्रोही मारे गए, 79 विद्रोही गिरफ्तार किए गए और 73 हथियार बरामद हुए। वर्ष 2020 के दौरान, उल्फा/आई समूह राज्य में लगभग 47% विद्रोही घटनाओं के लिए जिम्मेदार था और 07 हिसंक घटनाओं में शामिल था।

त्रिपुरा

2.57 त्रिपुरा राज्य में माहौल शांतिपूर्ण रहा। प्रमुख यूजी संगठनों, जैसे कि "नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्विपरा/विश्वमोहन (एनएलएफटी/बी)" और "ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ)" की गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया है।

2.58 भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और श्री साबिर कुमार देबबर्मा के नेतृत्व वाले नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्विपरा (एनएलएफटी/एसडी) के बीच दिनांक 10.08.2019 को एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए। एमओएस के अनुसार, एनएलएफटी (एसडी) हिंसा का रास्ता छोड़ने, मुख्यधारा में शामिल होने और भारत के संविधान का पालन करने के लिए सहमत हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, दिनांक 13.08.2019 को आयोजित एक समर्पण समारोह में 88 कैडरों ने 44 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया।

2.59 लंबे समय से ब्रू परिवारों के पुनर्वास के लंबित मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए, नई दिल्ली में दिनांक 16.01.2020 को भारत सरकार, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार और ब्रू प्रवासियों के प्रतिनिधियों के बीच एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस नए समझौते के

अनुसार, ब्रू प्रवासियों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा और त्रिपुरा में उनके पुनर्वास और सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 661.00 करोड़ रुपए के पैकेज के माध्यम से वित्तीय सहायता/मदद दी जाएगी। इसके अलावा, पुनः बसाए गए प्रत्येक परिवार को 4 लाख रूपये की सावधि जमा, दो साल के लिए प्रति माह 5,000/– रूपये नकद सहायता, दो साल के लिए निःशुल्क राशन, 1.5 लाख रूपये की आवास सहायता के अलावा, प्रत्येक परिवार को त्रिपुरा में घर के निर्माण के लिए 30 x 40 वर्ग फुट भूखंड भी दिया जाएगा।

मेघालय

2.60 वर्तमान में राज्य में सक्रिय प्रमुख उग्रवादी समूह "गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जीएनएलए)", और "हाईनीयूट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी)" हैं।

2.61 भारत सरकार, मेघालय राज्य सरकार तथा एएनवीसी (अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल) और एएनवीसी/बी के बीच दिनांक 24.09.2014 को समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए। एएनवीसी और एएनवीसी/बी दिनांक 15.12.2014 को विघटित हो गए हैं।

2.62 वर्ष 2020 में, राज्य में 05 विद्रोह संबंधी घटनाएं हुई हैं और राज्य में हिंसक घटना में किसी आम नागरिक एवं किसी सुरक्षा बल कार्मिक की मृत्यु नहीं हुई है। वर्ष 2020 में राज्य में अपहरण/व्यपहरण का कोई मामला सामने नहीं आया है।

नागालैंड

2.63 नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) वर्ष 1988 में इसाक सी. स्वू और थ. मुइवा के नेतृत्व वाले एनएससीएन– (आईएम) और म्यांमार के एक नागा एस एस खापलांग के नेतृत्व वाले एनएससीएन (के) समूहों में बंट गई। भारत सरकार ने वर्ष 1997 में एनएससीएन के इसाक–मुइवा समूह के साथ एक औपचारिक युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसे वर्ष 2007 से अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया। भारत सरकार और एनएससीएन (आईएम) ने दिनांक 3.08.2015 को एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान में एनएससीएन के विभिन्न धड़े यथा, एनएससीएन (एनके), एनएससीएन (आर) और एनएससीएन (के–खांगो) भारत सरकार के साथ संघर्ष विराम के अधीन हैं। वर्तमान में केवल एनएससीएन/के–युंग आंग गुट, जो मोटे तौर पर म्यांमार में स्थित है, सक्रिय है।

2.64 वर्ष 2020 में नागालैंड राज्य में हिंसक घटनाओं में वर्ष 2019 की तुलना में 45% की कमी आई है (2019–42, 2020–23)। वर्ष 2020 में, राज्य में हिंसक घटनाओं में किसी आम नागरिक और सुरक्षा बल कार्मिक की मृत्यु नहीं हुई है। वर्ष 2020 के दौरान राज्य में विद्रोह–रोधी ऑपरेशनों के परिणामस्वरूप, 02 विद्रोही मारे गए, 222 विद्रोही गिरफ्तार किए गए और 84 हथियार बरामद हुए। वर्ष 2020 में, राज्य में विद्रोही घटनाओं में से लगभग 44% के लिए एनएससीएन/ आईएम जिम्मेदार था। वर्ष 2020 में, अपहरण/व्यपहरण के मामलों की संख्या में वर्ष 2019 की तुलना में 33% की कमी आई है (2019–49, 2020–33)।

अरुणाचल प्रदेश

2.65 अरुणाचल प्रदेश राज्य में कोई स्वदेशी विद्रोही समूह सक्रिय नहीं है। यह राज्य तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) और उल्फा (स्वतंत्र) गुटों की छिट–पुट (स्पिल ओवर) विद्रोही गतिविधियों से प्रभावित है।

2.66 वर्ष 2020 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में विद्रोह की घटनाओं में वर्ष 2019 की तुलना में लगभग 42% की कमी आई है (2019–36, 2020–21)। वर्ष 2020 में राज्य में हिंसा की घटनाओं में किसी आम नागरिक की मौत नहीं हुई है। वर्ष 2020 में सुरक्षा बलों द्वारा चलाये गये विद्रोह–रोधी ऑपरेशनों के परिणामस्वरूप, 07 कैडर/विद्रोही मारे गए, 72 विद्रोही गिरफ्तार किए गए और 37 हथियार बरामद हुए। वर्ष 2020 के दौरान, नागा विद्रोही समूह राज्य में हिंसक घटनाओं को अंजाम देने में शामिल थे (एनएससीएन/आईएम–11, एनएससीएन/के–वाईके–5, एनएससीएन/यू–2 और ईएनएनजी–।)। वर्ष 2020 में राज्य में अपहरण के 21 मामले सामने आए हैं।

मणिपुर

2.67 मणिपुर राज्य मेइतेई, नागा, कुकी, जोमी, हमार विद्रोही समूहों की गतिविधियों से प्रभावित है। वर्तमान में दो समूहों के तहत कुल 23 यूजी संगठन (यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ)–8 और कूकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ)–15) भारत सरकार के साथ अगस्त, 2008 से कार्रवाई स्थगन (एसओओ) के अतंर्गत हैं।

2.68 वर्ष 2020 में, विद्रोही घटनाओं में वर्ष 2019 की तुलना में 23% की कमी आई (2019–126, 2020–97) है। वर्ष 2020 में, राज्य में किसी आम नागरिक की मृत्यु नहीं हुई है। वर्ष 2020 में राज्य में, सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए विद्रोह–रोधी ऑपरेशनों में 7 कैडर/विद्रोही मारे गए, 259 विद्रोही गिरफ्तार किए गए और 92 हथियार बरामद किए गए। राज्य में मेइतेई विद्रोह लगभग 44% हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार था।

सिक्किम और मिजोरम

2.69 सिक्किम और मिजोरम राज्य विद्रोह से मुक्त हैं।

मानवीय आधार पर निधियां जारी करना

2.70 गृह मंत्रालय 'भारतीय भू–भाग पर आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) हिंसा और सीमा पार से फायरिंग तथा बारूदी सुरंग/आईईडी के धमाकों के सिविलियन पीड़ितों/पीड़ित के परिवार के लिए केंद्रीय सहायता स्कीम' नामक एक केंद्रीय स्कीम का संचालन कर रहा है, जिसका उद्देश्य आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी हिंसा (एलडब्ल्यूई)/सीमा पार से गोलीबारी और बारूदी सुरंग/आईईडी के धमाकों के पीड़ित आम नागरिकों के परिवारों के भरण–पोषण और जीविका के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। उक्त स्कीम दिनांक 01.04.2008 से जारी है।

2.71 इस स्कीम के तहत पीड़ितों/पीड़ितों के निकटतम संबंधी को सहायता का भुगतान संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त द्वारा किया जाता है और तत्पश्चात राज्य सरकार उसकी प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करती है।

2.72 स्कीम को प्रभावी, सरल और व्यावहारिक बनाने के लिए स्कीम के दिशानिर्देशों को समय–समय पर संशोधित किया गया है। दिनांक 03.10.2019 से प्रभावी नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

क) लाभार्थी को 5 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाती है, जिसमें से 50% का भुगतान पीड़ित/लाभार्थी के बचत बैंक खाते में किया जाता है और शेष 50% राशि तीन साल की लॉक–इन अवधि के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराई जाती है।

ख) कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे कि पहली गृह संपत्ति के निर्माण, महंगे चिकित्सा व्ययों और आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के तहत सावधि जमा की इस राशि को निर्धारित समय से पहले निकाला जा सकता है।

ग) केंद्र सरकार 70% राशि की प्रतिपूर्ति तत्काल और शेष 30% राशि की प्रतिपूर्ति का भुगतान गृह मंत्रालय के आंतरिक लेखा–परीक्षा विंग से लेखा–परीक्षा सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात करती है।

2.73 वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, गृह मंत्रालय द्वारा स्कीम के तहत 41 लाख रूपये की राशि (दिनांक 31.12.2020 तक) की प्रतिपूर्ति की गई है।

हथियारों और गोला–बारूद का विनियमन

2.74 आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019

(क) देश में आग्नेयास्त्रों की लाइसेंसिंग प्रणाली को विनियमित और नियंत्रित करने वाले आयुध अधिनियम, 1959 के मौजूदा प्रावधानों में आयुध अधिनियम, 2019 के माध्यम से उपयुक्त संशोधन करके इसे और मजबूत बनाया गया है। आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 को दिनांक 13.12.2019 को अधिसूचित किया गया था और यह दिनांक 14.12.2019 से प्रभावी हो गया है।

(ख) यह संशोधन मौजूदा अपराधों के लिए बढ़े हुए दंड और इसके अधिकार क्षेत्र में लाए गए नए अपराधों के लिए कड़े दंड की व्यवस्था करता है। अब आयुध अधिनियम, 1959 के क्षेत्राधिकार के भीतर लाइसेंस का इलैक्ट्रॉनिक स्वरूप, आग्नेयास्त्रों और गोलाबारूद का पता लगाने (ट्रेसिंग) के प्रावधान

तथा अपराधों के नए स्वरूप यथा अवैध तस्करी, संगठित अपराध, संगठित अपराध गिरोह में भागीदारी और खुशी मनाने के लिए बंदूक चलाना आदि निहित हैं।

(ग) संशोधन में आग्नेयास्त्रों और गोलाबारूद के संभावित दुरूपयोग को रोकने के लिए आग्नेयास्त्रों के विनिर्माण, बिक्री और परिवर्तन (कनवर्जन) हेतु लाइसेंस के प्रयोजन सीमा का विस्तार किया गया है; तथा इसमें गोलाबारूद का पता लगाने (ट्रेसिंग), गोलाबारूद पर अंकन (मार्किंग) के साथ छेड़—छाड़ पर प्रतिबंध तथा आग्नेयास्त्रों को ट्रेस करने के प्रावधान को सुदृढ़ बनाने हेतु भी प्रावधान किए गए हैं।

(घ) देश में आग्नेयास्त्रों के प्रसार को रोकने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा हासिल किए जा सकने वाले आग्नेयास्त्रों की अधिकतम संख्या को तीन से घटाकर दो कर दिया गया है, परन्तु लाइसेंसधारकों पर बोझ कम करने के लिए पांच वर्ष की वैधता वाले लाइसेंस जारी करने का प्रावधान किया गया है। खिलाड़ियों और राइफल क्लब के सदस्यों हेतु छूट के प्रावधानों में अब शूटिंग के खेलों में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रकार के आग्नेयास्त्र शामिल हैं, जो कि पहले केवल प्वाइंट 22 बोर राइफलों तथा एयर राइफलों तक सीमित था।

2.75 आयुध नियमावली, 2016 में संशोधन

(क) **नियम 53 (I) में संशोधनः** अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारकों द्वारा भारत में हथियारों के विनिर्माण हेतु निवेश की अनुमति देने के लिए नियम 53 (I) के परन्तुक में संशोधन किया गया है। यह विदेशी सहयोग को बढ़ावा देगा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा देगा।

(ख) **नियम 105 में संशोधनः** नियम 105 के अंतर्गत, ऐसे किसी राज्य में, जहां पर किसी डिवीजन में आयुक्त का पद नहीं है, वहां जिला न्यायधीश के किसी आदेश के खिलाफ अपील राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पास की जा सकेगी।

(ग) **धारा 13(3) (क) (ii) में संशोधनः** राइफल क्लबों अथवा लाइसेंसधारी अथवा मान्यता प्राप्त राइफल संगठनों के सदस्यों द्वारा निशाना लगाने के अभ्यास (टारगेट प्रैक्टिस) में इस्तेमाल होने वाली केवल प्वाइंट 22 बोर राइफल अथवा एयर राइफल के स्थान पर कोई भी आग्नेयास्त्र शामिल करने के लिए धारा 13(3) को संशोधित किया गया है।

खिलाड़ियों को छूट

2.76 दिनांक 12.2.2020 के का. आ. 665(अ) के माध्यम से खिलाड़ियों के लिए अतिरिक्त आग्नेयास्त्र रखने की छूट को 02 आग्नेयास्त्रों की अधिकतम सीमा से उनकी श्रेणियों के अनुसार बढ़ा दिया गया है।

2.77 खिलाड़ियों की विभिन्न श्रेणियो को उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए मंजूर हथियारों की मात्रा को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया हैः

	आग्नेयास्त्रों के प्रकार	हथियारों की मात्रा पहले तथा बाद में	
अन्य शूटर जिनके पास वैध हथियार लाइसेंस है तथा जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) अथवा एनआरएआई की संबद्ध राज्य राइफल एसोसिएशन अथवा राज्य राइफल एसोसिएशन के साथ संबद्ध शूटिंग क्लबों/जिला राइफल एसोसिएशन के सदस्य भी हैं।	.22 एलआर राइफल/ पिस्तौल	500	5000
	कोई अन्य पिस्तौल/रिवाल्वर कैलिबर	300	2000
	शॉटगन कैलिबर	250	5000
	कोई अन्य राइफल	200	500

2.78 दिनांक 01.03.2020 से 31.01.2021 तक की अवधि के दौरान, गृह मंत्रालय द्वारा हथियार विनिर्माण के 17 लाइसेंस जारी किए गए थे।

2.79 गृह मंत्रालय द्वारा इस अवधि के दौरान, व्यक्तियों को आग्नेयास्त्र के 20 लाइसेंस भी जारी किए थे।

सिख जत्थों द्वारा पाकिस्तान की यात्रा

2.80 धार्मिक पीठों की यात्रा के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच दिनांक 14.09.1974 को हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल के अनुसार सिख जत्थे अप्रैल में बैसाखी, जून में अर्जुन देवजी की शहादत, जून मे महाराजा रणजीत सिंह की बरसी और अक्तूबर/नवंबर में श्री गुरू नानक देवजी के जन्मदिन के अवसर पर पाकिस्तान मे नौ गुरुद्वारों की यात्रा करते हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान, श्री गुरू नानक देवजी के जन्मदिवस के अवसर पर पाकिस्तान की यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) को 1,170 तीर्थयात्रियों की अनुशंसा की गई है।

श्री गुरू तेग बहादुर जी का 400वां जन्मदिवस समारोह

2.81 भारत सरकार द्वारा श्री गुरू तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जा रही है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति और माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

* * * *

अध्याय–3

सीमा प्रबंधन

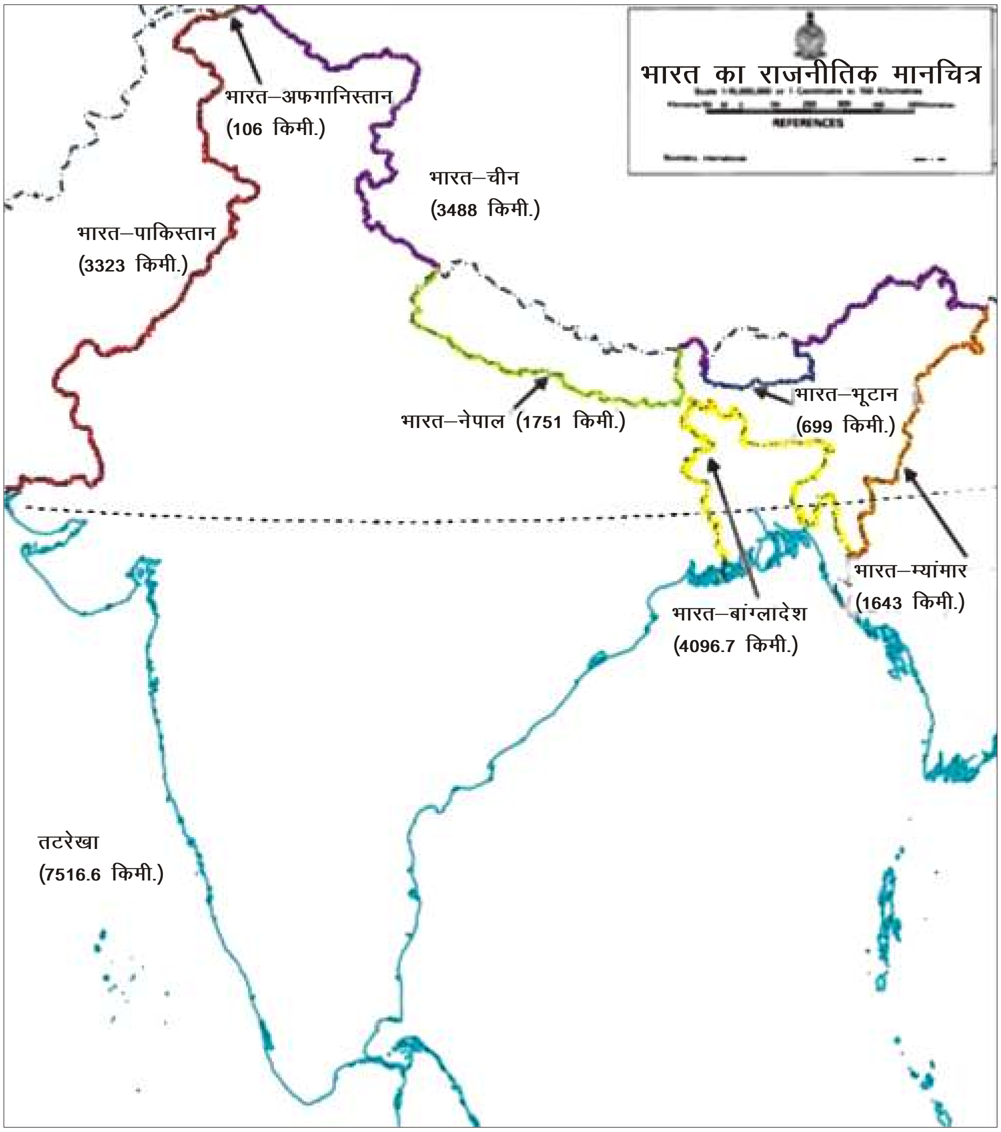

अन्तर्राष्ट्रीय भू–सीमा (स्रोतः भारतीय सर्वेक्षण)

पृष्ठभूमि

3.1 भारत की भू–सीमा 15,106.7 किमी. और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा 7,516.6 किमी. है। पड़ोसी देशों के साथ भू–सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार हैः–

देश का नाम	सीमा की लंबाई (किमी. में)
बांग्लादेश	4,096.7
चीन	3,488.0
पाकिस्तान	3,323.0
नेपाल	1,751.0
म्यांमार	1,643.0
भूटान	699.0
अफगानिस्तान	106.0
कुल	**15,106.7**

3.2 अंतर्राष्ट्रीय भू–सीमा और तटवर्ती सीमाओं के प्रबंधन, सीमावर्ती पुलिस व्यवस्था और चौकसी को सुदृढ़ करने, सीमाओं पर सड़क बनाने, बाड़ लगाने, तेज रोशनी की व्यवस्था करने तथा सीमा चौकियों (बीओपी)/कंपनी ऑपरेटिंग बेस (सीओबी) जैसी अवसंरचना के सृजन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का कार्यान्वयन करने के लिए जनवरी, 2004 में गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग गठित किया गया था।

सीमा प्रबंधन का उद्देश्य

3.3 देश–विरोधी तत्वों से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना और ऐसी प्रणालियों की व्यवस्था करना सीमा प्रबंधन के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं, जो विधिसम्मत व्यापार और वाणिज्य को सुकर बनाते हुए ऐसे तत्वों को रोकने में सक्षम हों। सीमाओं का उचित प्रबंधन, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है और इसके अंतर्गत सीमाओं की सुरक्षा करने तथा इसके सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिए देश की प्रशासनिक, राजनयिक, सुरक्षा, आसूचना, कानूनी, विनियामक और आर्थिक एजेंसियों द्वारा समन्वय और ठोस कार्रवाई किया जाना शामिल है।

3.4 देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना का सृजन करने की रणनीति के एक भाग के रूप में, सीमा प्रबंधन विभाग द्वारा कई पहल की गई हैं। इनमें भारत–पाकिस्तान, भारत–बांग्लादेश, भारत–चीन, भारत–नेपाल, भारत–भूटान और भारत–म्यांमार सीमाओं पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना, सीमा चौकियों (बीओपी)/कंपनी ऑपरेटिंग बेस (सीओबी) तथा सड़कों का निर्माण करना, देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के विभिन्न स्थानों पर एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) का विकास करना और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उपाय करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सीमा प्रबंधन के व्यापक दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में, विभाग द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में कई विकासात्मक कार्य शुरू किए गए हैं।

3.5 सीमाओं पर बलों की तैनाती **'एक सीमा, एक सीमा–प्रहरी बल' (बीजीएफ)** के सिद्धांत पर आधारित है। तदनुसार, प्रत्येक सीमा की जिम्मेदारी निम्नानुसार एक विशेष सीमा प्रहरी बल (बीजीएफ) को सौंपी गई है:–

- बांग्लादेश तथा पाकिस्तान सीमाएं – सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.)
- चीन सीमा – भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.)
- नेपाल तथा भूटान सीमाएं – सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.)
- म्यांमार सीमा – असम राइफल्स

इसके अतिरिक्त:

- भारतीय सेना बी.एस.एफ. के साथ पाकिस्तान सीमा पर नियंत्रण रेखा (एलओसी) तथा आई.टी.बी.पी. के साथ चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से लगी भू–सीमाओं की रक्षा करती है।
- भारतीय नौ सेना समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, जिसमें तटीय और अपतटीय सुरक्षा शामिल है। "भारतीय तट रक्षक" को तटीय पुलिस

द्वारा गश्त लगाए जाने वाले क्षेत्रों सहित भारत के सीमांतर्गत जलक्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेवार प्राधिकरण के रूप में भी अतिरिक्त रूप से नामित किया गया है।

3.6 सीमा प्रबंधन संबंधी दृष्टिकोण और पद्धतियां एक सीमा से दूसरी सीमा के लिए अलग–अलग हैं, जो सुरक्षा अनुमानों तथा पड़ोसी देश के साथ संबंध पर आधारित हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का प्रबंधन

भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी)

3.7 भारत की तरफ भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पश्चिम बंगाल (2216.7 किमी.), असम (263 किमी.), मेघालय (443 किमी.), त्रिपुरा (856 किमी.) और मिजोरम (318 किमी.) से होकर गुजरती है। संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी, नदी तटीय, पर्वतीय और जंगल के क्षेत्र शामिल हैं। इस क्षेत्र की जनसंख्या काफी अधिक है और सीमा तक खेती की जाती है।

सीमा चौकियां

3.8 सीमाओं पर सीमा चौकियां (बीओपी) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का मुख्य कार्य स्थल हैं। ये विशेष दायित्व क्षेत्र वाली सभी सुविधाओं से युक्त रक्षा चौकियां हैं, जो समस्त भू–सीमाओं पर अविच्छिन्न रूप से स्थापित की गई हैं। अन्य बातों के साथ–साथ, इन सीमा चौकियों का उद्देश्य घुसपैठ/अतिक्रमण तथा सीमा के उल्लंघन संबंधी गतिविधियों में संलिप्त सीमा–पार के अपराधियों, घुसपैठियों तथा विरोधी तत्वों को रोकने के लिए बल की उपयुक्त मौजूदगी दर्शाना है। प्रत्येक सीमा चौकी को आवास की सुविधा, संभार तंत्र संबंधी सहायता तथा युद्ध संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराई जाती है। वर्तमान में, भारत–बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पास 1,069 सीमा चौकियां हैं।

3.9 सरकार द्वारा 2,584.85 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 422 कम्पोजिट बीओपी (भारत–पाकिस्तान और भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पर कुल बीओपी) के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है। कुल 422 कम्पोजिट बीओपी में से, 326 कम्पोजिट बीओपी का निर्माण भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पर किया जाना है। इस परियोजना को मार्च, 2021 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

भारत–बांग्लादेश सीमा पर सीमा चौकी

(स्रोतः बीएसएफ)

बाड़ लगाना

3.10 भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) के पार से होने वाली घुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, सरकार ने इस सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य शुरू किया है।

3.11 भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) अत्यधिक सुभेद्य है और सीमा पार की अवैध गतिविधियों तथा बांग्लादेश से भारत में हो रहे अवैध आप्रवासन पर रोक लगाना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। सीमा पार से अवैध आप्रवासन और राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों सहित अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत सरकार ने दो चरणों में सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था करने समेत बाड़ लगाने के कार्य को मंजूरी प्रदान की थी। भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) की कुल लंबाई 4096.7 किमी. है, जिसमें से 3,112.18 किमी. सीमा भौतिक बाड़ से कवर की गई है और शेष लगभग 984.52 किमी. सीमा भौतिक और गैर–भौतिक अवरोधों से कवर की जाएगी। सभी चालू कार्य मार्च, 2021 तक पूरे किए जाने हैं। गैर–भौतिक अवरोधों में प्रौद्योगिकीय समाधान शामिल होंगे। पुराने डिजाइन की बाड़ को नए डिजाइन की बाड़ से बदले जाने की भी मंजूरी प्रदान की गई है। नदी तटीय/निचले क्षेत्र होने, सीमा से 150 गज के अंदर बसावट होने, भूमि–अधिग्रहण के मामले लंबित होने और सीमावर्ती आबादी द्वारा विरोध के कारण इस सीमा के कुछ भागों में बाड़ का निर्माण करने में कुछ समस्याएं आई हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस परियोजना को पूरा करने में विलम्ब हुआ है।

भारत–बांग्लादेश सीमा पर नई डिजाइन की बाड़

(स्रोतः बीएसएफ)

सड़कें

3.12 सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर संचार और ऑपरेशनल आवाजाही के लिए, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किया गया है। अब तक, 4,223.04 किमी. की स्वीकृत लंबाई में से 3,733.90 किमी. सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किया गया है। चालू कार्य मार्च, 2021 तक पूरे किए जाने हैं।

भारत–बांग्लादेश सीमा पर सड़क (स्रोतः बीएसएफ)

तेज रोशनी की व्यवस्था (फ्लड लाइटिंग)

3.13 सरकार ने भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पर पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में तेज रोशनी (फ्लड लाइट) की व्यवस्था संबंधी कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। सीमा पर कुल 3,077.549 किमी. की लंबाई में तेज रोशनी की व्यवस्था करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 2,681.99 किमी. में यह कार्य पूरा हो गया है। चालू कार्य मार्च, 2021 तक पूरा किया जाना है।

भारत–पाकिस्तान सीमा

3.14 भारत की पाकिस्तान के साथ 3,323 किमी. भू–सीमा है। यह सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के साथ लगी हुई है। भारत–पाकिस्तान सीमा पर विविध भूभाग और विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं मौजूद हैं। इस सीमा को आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ किए जाने तथा शस्त्र, गोलाबारुद और निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी करने का प्रयास किए जाने वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

सीमा चौकियां (बीओपी)

3.15 भारत–पाकिस्तान सीमा पर कुल 720 बीओपी की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 662 बीओपी पूरी हो चुकी हैं। 28 बीओपी में चल रहे कार्य के मार्च, 2022 तक पूरा हो जाने की संभावना है और शेष 30 बीओपी के लिए वैकल्पिक स्थलों की तलाश की जा रही है।

तेज रोशनी की व्यवस्था

3.16 घुसपैठ तथा सीमा–पार अपराधों के प्रयासों को रोकने के लिए, सरकार ने 2,078.80 किमी. क्षेत्र में तेज रोशनी (फ्लड लाइट) की व्यवस्था करने की मंजूरी प्रदान की है, जिसमें से 2,043.76 किमी. क्षेत्र में यह कार्य पूरा हो गया है और शेष 35.04 किमी. क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है, जिसके सितम्बर, 2023 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

भारत–पाकिस्तान सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था

(स्रोतः बीएसएफ)

बाड़

3.17 सीमा पार से घुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, सरकार ने 2,091.046 किमी. बाड़ की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से 2,064.666 किमी. बाड़ संबंधी कार्य पूरा हो गया है और शेष 26.38 किमी. का कार्य प्रगति पर है, जिसके अक्टूबर, 2022 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

भारत–पाकिस्तान सीमा पर नई डिजाइन की बाड़

(स्रोतः बीएसएफ)

भारत–पाकिस्तान सीमा (आईपीबी) और भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) के साथ व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली

3.18 व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस) की अवधारणा में जनशक्ति, सेंसर, नेटवर्क, खुफिया और कमान नियंत्रण के समाधान का एकीकरण किया जाना शामिल है, ताकि पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों के बीच स्थितिजन्य जानकारी प्रदान करने में सुधार हो सके और सम्मुख आने वाली परिस्थितियों के अनुरूप त्वरित कार्रवाई की जा सके। बीएसएफ ने भारत–पाकिस्तान और भारत–बांग्लादेश सीमाओं का अध्ययन किया है और सुभेद्यता, भू–भाग की स्थिति, अपराध के पैटर्न और क्षेत्र की विशेषताओं के आधार पर, सीमाओं को प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से कवर करने के लिए विभिन्न हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है।

3.19 आईपीबी के साथ जम्मू में प्रत्येक 5 किमी. की लम्बाई वाली दो पॉयलट परियोजनाएं लागू की गई हैं और आईबीबी के साथ धुबरी, असम में 61 किमी. की लम्बाई वाली एक परियोजना पूर्णता के अंतिम चरण में है।

भारत–म्यांमार सीमा (आईएमबी)

3.20 भारत की म्यांमार के साथ 1,643 किमी. लम्बी सीमा है, जो अरुणाचल प्रदेश (520 किमी.), नागालैंड (215 किमी.), मणिपुर (398 किमी.) और मिजोरम (510 किमी.) से गुजरती है। कुल 1,643 किमी. में से 1,472 किमी. के सीमांकन का कार्य पूरा हो गया है। भारत–म्यांमार सीमा पर दो असीमांकित भाग हैं:

(क) अरुणाचल प्रदेश का लोहित उप–क्षेत्र– 136 किमी.

(ख) मणिपुर में कबाऊ घाटी– 35 किमी.

3.21 भारत और म्यांमार के बीच एक मुक्त आवाजाही व्यवस्था (एफएमआर) विद्यमान है। एफएमआर के अंतर्गत, पहाड़ी जनजातियों का प्रत्येक सदस्य, जो भारत का नागरिक है अथवा म्यांमार का नागरिक है और जो भारत–म्यांमार सीमा (आईएमबी) के किसी भी ओर 16 किमी. के भीतर किसी क्षेत्र का निवासी है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी बॉर्डर पास (एक वर्ष की वैधता वाला) प्रस्तुत करने पर आईएमबी पार कर सकता है और प्रत्येक यात्रा के दौरान दो सप्ताह तक रह सकता है।

भारत–चीन सीमा

3.22 भारत–चीन सीमा पर अवसंरचना की कमी के कारण पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए, सरकार ने भारत–चीन सीमा पर लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्यों में सड़कों और सीमा चौकियों (बीओपी) के निर्माण का कार्य शुरू किया है।

भारत–नेपाल सीमा

3.23 भारत और नेपाल 1,751 किमी. की सीमा साझा करते हैं, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों से गुजरती है। आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा अवैध एवं राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों के लिए सुभेद्य सीमा के दुरुपयोग को रोकना मुख्य चुनौतियां हैं।

3.24 सरकार ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में भारत–नेपाल सीमा पर 1,299.80 किमी. सड़कों के निर्माण/उन्नयन का अनुमोदन प्रदान किया है।

भारत–भूटान सीमा

3.25 भारत और भूटान 699 किमी. की सीमा साझा करते हैं, जो असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों से गुजरती है। आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा अवैध एवं राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों के लिए सुभेद्य सीमा के दुरूपयोग को रोकना मुख्य चुनौतियां हैं।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

3.26 सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय सीमा प्रबंधन के प्रति विस्तृत दृष्टिकोण के भाग के रूप में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के माध्यम से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। बीएडीपी का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के

समीप दूर–दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विकास संबंधी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना और उन्हें खुशहाल बनाना तथा केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/बीएडीपी/स्थानीय स्कीमों के संयोजन तथा सहभागिता के दृष्टिकोण के माध्यम से आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराना है। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय भू–सीमाओं पर स्थित 16 राज्यों और 02 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के 117 सीमावर्ती जिलों के 449 सीमावर्ती ब्लॉक आते हैं। बीएडीपी मुख्य रूप से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। बीएडीपी की वित्तपोषण पद्धति (अन्य कोर सीएसएस की भांति) 08 पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों (अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा), 02 हिमालय क्षेत्र के राज्यों (अर्थात् हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) तथा 01 संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) अर्थात जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) के लिए 90:10 (केंद्र का हिस्साः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा) के अनुपात में है और 06 अन्य राज्यों (अर्थात् बिहार, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के लिए 60:40 (केंद्र का हिस्साः राज्य का हिस्सा) के अनुपात में है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) (बिना विधान मंडल वाला संघ राज्य क्षेत्र) के मामले में केंद्र का हिस्सा 100% है। बीएडीपी के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को निधियां अवसंरचना, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए प्रदान की जाती हैं।

सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गांवः 2केडब्ल्यूएम, ब्लॉकः खजूवाला, जिलाः बीकानेर (राजस्थान) में कंप्यूटर कक्ष, कला कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला और पुस्तकालय का निर्माण, कार्य पूरा होने का वर्षः 2019–20

(स्रोतः राजस्थान राज्य सरकार)

बीएडीपी के दिशानिर्देश

3.27 अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के प्रथम निवास–स्थल से 0–10 किमी. की दूरी (क्रो–फ्लाई/एरियल डिस्टेंस) के भीतर स्थित सभी जनगणना वाले गांव/कस्बे, अर्ध–शहरी और शहरी क्षेत्र इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बीएडीपी के अंतर्गत किए जा रहे कार्य/परियोजनाएं सड़कों और पुलों के निर्माण, पेयजल की आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक क्षेत्र की गतिविधियों जैसे कि सामाजिक अवसंरचना के

निर्माण, खेल–कूद संबंधी गतिविधियों आदि से संबंधित हैं।

बीएडीपी के तहत वित्तपोषण प्रणाली

3.28 बीएडीपी दिशानिर्देशों (2020) के अनुसार, कुल आवंटित निधियों का 10% बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आरक्षित रखा जाता है। कुल आवंटित निधियों का 10% भारत–चीन सीमा से सटे सीमावर्ती जिलों में कार्य/परियोजनाएं शुरू करने के लिए भारत–चीन सीमा से सटे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और उत्तराखंड) को अतिरिक्त रूप से आवंटित किया जाता है। शेष 80% निधियों को 40:60 के अनुपात में बांटा जाता है और 40% निधियां आठ पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों को आवंटित की जाती हैं; 60% निधियां शेष आठ सीमावर्ती राज्यों तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को आवंटित की जाती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को निधियां (i) अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई(33% वेटेज), (ii) सीमावर्ती क्षेत्र, जिनमें 0–10 किमी. की दूरी के भीतर स्थित जनगणना वाले गांव, अर्ध–शहरी तथा शहरी क्षेत्र शामिल हैं (33% वेटेज) और (iii) आईबी के 0–10 किमी. की दूरी के भीतर स्थित जनगणना वाले गाँवों, अर्ध–शहरी तथा शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या (33% वेटेज) के आधार पर आवंटित की जाती हैं।

गांवः रताडिया, ब्लॉकः भुज, जिलाः कच्छ (गुजरात) में रताडिया से रोहताड तक डामर वाली सड़क का निर्माण, कार्य पूरा होने का वर्षः 2019–20

(स्रोतः गुजरात राज्य सरकार)

बीएडीपी के अन्तर्गत निधियों का प्रवाह

3.29 वर्ष 2020–21 में, बीएडीपी के लिए 64.32 करोड़ रु. (सं.अ.)(35 लाख रुपए प्रशासनिक व्यय सहित) की निधि उपलब्ध थी। विगत चार वित्तीय वर्षों (वर्ष 2016–17 से 2019–20) के दौरान बीएडीपी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को जारी की गई निधियों और चालू वित्तीय वर्ष (2020–21) के दौरान आवंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वर्ष 2016–17 से 2019–20 के दौरान बीएडीपी के तहत जारी की गई निधियों और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए आवंटित और जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2016-17 (केंद्रीय अंश)		2017-18 (केंद्रीय अंश)		2018-19 (केंद्रीय अंश)		2019-20 (केंद्रीय अंश)		2020-21 (केंद्रीय अंश) दिनांक 31.01.2021 की स्थिति के अनुसार	
		आवंटित	जारी	आवंटित	जारी	आवंटित	जारी	आवंटित	जारी	आवंटित (RE)	जारी**
1	अरुणाचल प्रदेश	108.97	108.97	154.14	154.14	80.87	80.87	42.15	42.15	24.50	24.50
2	असम	34.05	34.05	56.00	56.00	49.50	49.50	63.30	63.30	0.00	0.00
3	बिहार	46.00	46.00	46.00	46.00	32.20	32.20	51.09	51.09	0.00	0.00
4	गुजरात	38.00	38.00	31.72	31.72	56.23	56.23	14.00	14.00	0.00	0.00
5	हिमाचल प्रदेश	31.00	31.00	35.00	35.00	25.95	25.95	27.49	27.49	0.00	0.00
6	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	190.39	190.39	198.89	198.89	84.00	84.00	69.24	69.24	0.00	0.00
7	लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)							45.13	45.13	0.00	0.00
8	मणिपुर	30.76	30.76	27.56	27.56	20.34	20.34	14.93	14.93	0.00	0.00
9	मेघालय	36.67	36.67	36.56	36.56	22.69	22.69	45.36	45.36	0.00	0.00
10	मिजोरम	46.00	46.00	46.00	46.00	32.20	32.20	55.93	55.93	12.29	12.29
11	नागालैंड	32.15	32.15	40.04	40.04	33.96	33.96	24.85	24.85	5.07	5.07
12	पंजाब	27.98	27.98	28.00	28.00	33.08	33.08	24.72	24.72	0.00	0.00
13	राजस्थान	123.72	123.72	116.00	116.00	81.20	81.20	38.53	38.53	0.00	0.00
14	सिक्किम	25.00	25.00	28.01	28.01	27.50	27.50	53.01	53.01	14.97	14.97
15	त्रिपुरा	70.89	70.89	65.07	65.07	49.70	49.70	44.64	44.64	0.00	0.00
16	उत्तर प्रदेश	38.00	38.00	38.00	38.00	26.60	26.60	51.41	51.41	0.00	0.00
17	उत्तराखंड	27.08	27.08	31.00	31.00	29.20	29.20	43.60	43.60	7.14	7.14
18	पश्चिम बंगाल	108.32	108.32	122.00	122.00	85.40	85.40	115.21	115.21	0.00	0.00
	कुल	1015.00	1015.00	1100.00	1100.00	770.62	770.62	824.59	824.59	63.97	63.97
	बीएडीपी आरक्षित निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	बीएडीपी 'ओसी' शीर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	0.350	0.350
	कुल जोड़	**1015.00**	**1015.00**	**1100.00**	**1100.00**	**770.62**	**770.62**	**824.59**	**824.59**	**64.32**	**64.32**

गाँवः दांग्सापारा, ब्लॉकः कलईचर जिलाः साउथ–वेस्ट गारो हिल्स (मेघालय) में सिंचाई नहर का निर्माण,
कार्य पूरा होने का वर्षः 2020–21

(स्रोतः मेघालय राज्य सरकार)

तटीय सुरक्षा

भारत की तटरेखा

3.30 भारत की तटरेखा 7,516.6 किमी. है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिन्द महासागर और पश्चिम में अरब महासागर सहित मुख्यभूमि और द्वीपों से घिरी है। तट पर नौ राज्य अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तथा चार संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) अर्थात् दमण एवं दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्थित हैं।

क्रम सं	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	लम्बाई (किमी. में)
1	गुजरात	1214.70
2	महाराष्ट्र	652.60
3	गोवा	101.00
4	कर्नाटक	280.00
5	केरल	569.70
6	तमिलनाडु	906.90
7	आंध्र प्रदेश	973.70
8	ओडिशा	476.40
9	पश्चिम बंगाल	157.50
10	दमण एवं दीव	42.50
11	लक्षद्वीप	132.00
12	पुदुचेरी	47.60
13	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1962.00
	कुल	**7516.60**

समुद्री एवं तटीय सुरक्षा ढांचा

3.31 भारतीय नौ सेना को समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेवार प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है, जिसमें तटीय और अपतटीय सुरक्षा शामिल है। भारतीय नौ सेना की सहायता भारतीय तटरक्षक (आईसीजी), तटीय पुलिस और अन्य केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। आईसीजी को तटीय पुलिस द्वारा गश्त

लगाए जाने वाले क्षेत्रों सहित सीमान्तर्गत जलक्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेवार प्राधिकरण के रूप में भी अतिरिक्त रूप से नामित किया गया है। आईसीजी के महानिदेशक को कमांडर तटीय कमांड के रूप में पदनामित किया गया है और वे तटीय सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी हैं।

तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस)

3.32 सीमा प्रबंधन विभाग, तटीय क्षेत्रों, विशेष रुप से तट के निकटवर्ती सतही जल–क्षेत्र में गश्त लगाने और निगरानी करने के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस बल की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस) का चरणबद्ध कार्यान्वयन कर रहा है।

3.33 तटीय सुरक्षा योजना (चरण–।) 6 वर्षों की अवधि में 646 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2005–06 से कार्यान्वित की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को 73 तटीय पुलिस स्टेशन (सीपीएस), 97 जांच चौकियां, 58 आउटपोस्ट, 30 बैरक, 204 इन्टरसेप्टर नौकाएं, 153 जीपें, 312 मोटर साइकिलें और 10 रिजिड इनफ्लेटेबल नौकाएं (आरआईबी) उपलब्ध कराई गई थीं।

3.34 तटीय सुरक्षा योजना (चरण–।।) दिनांक 26.11.2008 को मुम्बई में हुई घटनाओं के पश्चात तेजी से बदलते हुए तटीय सुरक्षा परिदृश्य एवं उसके बाद तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किए गए संवेदनशीलता/कमी संबंधी विश्लेषण के संदर्भ में तैयार की गई है, जिसमें तटीय सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। कुल 1,579.91 करोड़ रुपए के परिव्यय से सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) द्वारा अनुमोदित की गई तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस) (चरण–।।) दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान कार्यान्वित की गई है। चरण–।। के अन्तर्गत, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को 131 सीपीएस, 60 जेटी, 10 समुद्री परिचालन केन्द्र, 131 चार पहिया वाले वाहन और 242 मोटर साइकिलें उपलब्ध कराई गई हैं।

3.35 तटीय सुरक्षा योजना चरण–।। के तहत, सभी स्वीकृत 131 तटीय पुलिस स्टेशन (सीपीएस) कार्यशील कर दिए गए हैं, 36 जेटी का निर्माण किया गया है, 10 समुद्री परिचालन केन्द्र कार्य कर रहे हैं, 131 चार पहिया वाले वाहन और 242 मोटर साइकिलें खरीदी गई हैं।

3.36 सीएसएस–।। का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार कार्यान्वयन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तटीय पुलिस स्टेशन (सीपीएस)				जेटी		चार पहिया वाले वाहन		दो पहिया वाले वाहन		समुद्री परिचालन केंद्र		
		स्वीकृत	कार्यशील	निर्मित	निर्माण जारी	स्वीकृत	निर्मित/स्तरोन्नत की गई	स्वीकृत	खरीदे गए	स्वीकृत	खरीदे गए	स्वीकृत	कार्यशील	निर्मित
1	गुजरात	12	12	11	1	5	0	12	12	24	24	0	0	0
2	महाराष्ट्र	7	7	5	0	3	14*	7	7	14	14	0	0	0
3	गोवा	4	4	1	2	2	2	4	4	8	8	0	0	0
4	कर्नाटक	4	4	4	0	2	2	4	4	8	8	0	0	0
5	केरल	10	10	10	0	4	2	10	10	20	20	0	0	0
6	तमिलनाडु	30	30	30	0	12	5	30	30	60	60	0	0	0
7	आंध्र प्रदेश	15	15	15	0	7	0	15	15	30	30	0	0	0
8	ओडिशा	13	13	11	1	5	2	13	13	26	26	0	0	0

9	पश्चिम बंगाल	8	8	6	2	4	4	8	8	16	16	0	0	0
10	दमण एवं दीव	2	2	2	0	2	2	2	2	4	4	0	0	0
11	पुदुचेरी	3	3	2	1	2	2	3	3	6	6	0	0	0
12	लक्षद्वीप	3	3	1	2	2	1	3	3	6	6	0	0	0
13	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	20	20	20	0	10	0	20	20	20	20	10	10	2
	कुल	**131**	**131**	**118**	**9**	**60**	**36**	**131**	**131**	**242**	**242**	**10**	**10**	**2**

(*) – महाराष्ट्र राज्य सरकार तीन (3) नई जेटी का निर्माण करने के बजाय इंजन कक्षों तथा नौकाओं के कार्मिकों के लिए परिचालन कक्षों का निर्माण करके महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड (एमएमबी) की 14 जेटी का स्तरोन्नयन कर रही है।

तटीय सुरक्षा संबंधी अन्य पहल

सामुदायिक विचार–विमर्श कार्यक्रम (सीआईपी)

3.37 भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) समुद्र में सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में जागरुकता लाने हेतु मछुआरों के लिए सामुदायिक विचार–विमर्श कार्यक्रम (सीआईपी) आयोजित कर रहा है। सामुदायिक विचार–विमर्श कार्यक्रम (सीआईपी) मछुआरा समुदाय को विद्यमान सुरक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने और सूचना के संग्रहण हेतु उन्हें "आंख और कान" के रुप में विकसित करने के लिए भी आयोजित किए जाते हैं।

मछुआरा बायोमीट्रिक पहचान पत्र

3.38 केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग द्वारा मछुआरों को मछुआरा बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.2019 को हुई पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि समुद्र (सीमान्तर्गत जल क्षेत्र, विशेष आर्थिक जोन और खुले समुद्र) में जाने वाले सभी समुद्री मछुआरों को दिनांक 13.03.2019 को अथवा उसके पश्चात मुद्रित किये गये क्यूआर समर्थित स्पष्ट फोटोयुक्त आधार कार्ड साथ में रखना चाहिए।

जलयानों / नौकाओं का पता लगाना

3.39 20 मीटर से अधिक की लंबाई वाले सभी जलयानों पर अनिवार्य रूप से ऑटोमेटिक आइडेंटीफिकेशन सिस्टम (एआईएस) उपकरण लगा होना अपेक्षित है। तथापि, 20 मीटर से कम की लम्बाई वाली नौकाओं के लिए, वर्तमान में उनकी गतिविधियों का पता लगाने हेतु कोई औपचारिक तंत्र मौजूद नहीं है। विभिन्न फोरमों में सभी स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात, सभी तटीय राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से सभी मैकेनाइज्ड जलयानों में इसरो द्वारा विकसित किए गए ट्रैकिंग उपकरण पहले चरण में ही लगाने पर विचार करने हेतु अनुरोध किया गया है।

छोटे / लघु बंदरगाहों की सुरक्षा

3.40 तटीय राज्यों में 227 छोटे बंदरगाह हैं। सभी स्टेकहोल्डरों को दिनांक 11.03.2016 को छोटे बंदरगाहों की सुरक्षा के बारे में 'दिशानिर्देशों का सार संग्रह' जारी किया गया था। इसमें विभिन्न सुरक्षा संबंधी चिंताओं का निराकरण करने के लिए छोटे / लघु बंदरगाहों पर आवश्यक समझी गई आधारभूत सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी तटीय राज्य / संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों से पोत परिवहन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने संबंधित छोटे / लघु बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) के अनुरूप बनाने का अनुरोध भी किया है।

सिंगल प्वाइंट मूरिंग की सुरक्षा

3.41 सिंगल प्वाइंट मूरिंग (एसपीएम) तट से दूर स्थित एक लोडिंग स्थान है, जो गैस अथवा तरल उत्पादों को

चढ़ाने या उतारने वाले टैंकरों के लिए मूरिंग प्वाइंट और अन्तर–संपर्क के रूप में कार्य करता है। तट से विभिन्न दूरियों पर 26 एसपीएम कार्यशील हैं। एसपीएम की सुरक्षा करने के लिए, गृह मंत्रालय ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित की है, जिसे सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को अनुपालन के लिए परिचालित किया गया है।

तटीय मानचित्रण

3.42 तटीय मानचित्रण तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तटीय मानचित्रण, सूचना को मानचित्र में रखने की एक प्रक्रिया है, जिसमें तटीय पुलिस स्टेशनों, स्थानीय पुलिस स्टेशनों, आसूचना ढांचे, मछली उतारने के स्थानों, मछली पकड़ने वाले गांवों, बंदरगाहों, सीमा–शुल्क जांच चौकियों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, बम निष्क्रियकरण सुविधाओं आदि का महत्वपूर्ण ब्यौरा और स्थान शामिल है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दमण एवं दीव, पुदुचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने तटीय मानचित्रण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। लक्षद्वीप इस कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया में है।

अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुए सभी अपराधों से निपटने के लिए तटीय पुलिस स्टेशनों की अधिसूचना

3.43 गृह मंत्रालय ने दिनांक 13.06.2016 की अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र अर्थात प्रादेशिक जलक्षेत्र के आगे और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (ईईजेड) तक के क्षेत्र में हुए अपराधों से निपटने के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में 10 तटीय पुलिस स्टेशनों नामतः नवीबंदर तटीय पुलिस स्टेशन, जिला पोरबंदर (गुजरात), येलो गेट पुलिस स्टेशन, मुम्बई (महाराष्ट्र तथा दमण एवं दीव), हार्बर तटीय सुरक्षा पुलिस स्टेशन, हार्बर, मोर्मुगांव, जिला साउथ गोवा (गोवा), मंगलौर तटीय सुरक्षा पुलिस स्टेशन, जिला दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक), फोर्ट कोच्चि तटीय पुलिस स्टेशन, कोच्चि (केरल और लक्षद्वीप), बी5 हार्बर पुलिस स्टेशन, चेन्नई (तमिलनाडु और पुदुचेरी), गिलाकलाडिंडी, मछलीपट्टनम, जिला कृष्णा (आंध्र प्रदेश), पारादीप मरीन पुलिस स्टेशन, जिला जगतसिंहपुर (ओडिशा), नयाचार तटीय पुलिस स्टेशन, जिला पूर्व मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल) और सेन्ट्रल क्राइम स्टेशन, पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) को अधिसूचित किया है।

नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग (एनएसीपी)

3.44 भारत सरकार ने देवभूमि द्वारका, गुजरात में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग (एनएसीपी) की स्थापना करने का अनुमोदन प्रदान किया है। इस बीच, एकेडमी के एक अस्थायी कैम्पस ने दिनांक 29.10.2018 से कैम्पस से कार्य करना शुरू कर दिया है। तटरक्षक पुलिस/कस्टम कार्मिकों वाले तीन बैचों ने मेरिन पुलिस फाउंडेशन कोर्स पूरा कर लिया है। एनएसीपी के स्थायी कैम्पस की स्थापना हेतु बीएसएफ द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की जांच की जा रही है।

एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) का विकास

3.45 भारतीय भूमि–पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) की स्थापना भारतीय भूमि–पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत दिनांक 01.03.2012 को की गई थी। यह सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय के रुप में कार्य करता है, जिसमें विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, राजस्व विभाग और अन्य स्टेकहोल्डरों का भी प्रतिनिधित्व होता है। एलपीएआई अपने कार्य में संबंधित राज्य सरकारों और भारत की संबंधित सीमाओं पर तैनात बीएसएफ, एसएसबी और असम राइफल्स जैसे संबंधित सीमा प्रहरी बलों (बीजीएफ) को भी शामिल करता है।

3.46 एलपीएआई बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय भू–सीमाओं के नामित स्थानों पर यात्रियों और सामानों की सीमा पार आवाजाही के लिए वेयरहाउस, जांच शेड, पार्किंग स्थल, धर्म–कांटा आदि जैसी "सिंगल विंडो" अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करता है। एलपीएआई यह कार्य विद्यमान भू–सीमा शुल्क केन्द्रों पर एकीकृत जांच चौकियां

(आईसीपी) स्थापित करके करता है। आईसीपी द्वारा एक एकीकृत परिसर के अंदर व्यक्तियों, वाहनों और सामानों के सुचारू सीमा पार आवागमन के लिए संप्रभु और गैर–संप्रभु कार्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह आप्रवासन, सीमा शुल्क, सुरक्षा, संगरोध आदि की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाएगा। इसके लिए, आईसीपी द्वारा प्रदान की गई अवसंरचनात्मक सुविधाएं निम्नानुसार हैं:

- यात्री टर्मिनल भवन
- 24 घंटे बिजली आपूर्ति– विद्युत सबस्टेशन–डीजी सेट–पावर बैक–अप
- कार्गो निरीक्षण शेड
- संगरोध ब्लॉक
- बैंक
- डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर/हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर
- आइसोलेशन बे
- कैफेटेरिया
- मुद्रा विनिमय
- कार्गो प्रोसेस बिल्डिंग
- वेयरहाउस/कोल्ड स्टोरेज
- खुले हुये माल के लिए स्थान
- धर्म कांटा
- सुरक्षित और रोशनीदार परिसर/सीसीटीवी/पीए सिस्टम/फायर अलार्म सिस्टम
- यात्रियों और मालवाहक वाहनों के लिए पार्किंग स्थान
- अन्य सार्वजनिक सुविधाएं।

आईसीपी, यद्यपि एक एकल चारदीवारी वाला परिसर (सिंगल वॉल्ड कॉम्प्लेक्स) है, फिर भी आयात और निर्यात संबंधी कार्य करने के लिए इसे यात्री सुविधा क्षेत्र और कार्गो क्षेत्र में बांट दिया गया है।

3.47 **चरण–I के तहत आईसीपी की स्थिति**

क्र.सं.	स्थान	राज्य	अंतर्राष्ट्रीय सीमा	कार्यशील किए जाने की तारीख
1.	अटारी	पंजाब	पाकिस्तान	13.04.2012
2.	अगरतला	त्रिपुरा	बांग्लादेश	17.11.2013
3.	पेट्रापोल	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश	12.02.2016
4.	रक्सौल	बिहार	नेपाल	03.06.2016
5.	जोगबनी	बिहार	नेपाल	15.11.2016
6.	मोरेह	मणिपुर	म्यांमार	15.03.2018
7.	दवकी	मेघालय	बांग्लादेश	निर्माणाधीन

अतिरिक्त आईसीपी का विकास

3.48 सीमा पर सुरक्षा में और अधिक सुधार करने के साथ–साथ संबंधित पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को सुविधाजनक बनाने और उसमें सुधार लाने हेतु निम्नलिखित 13 स्थानों की पहचान एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) के विकास के लिए की गई है:–

क्र.सं.	आईसीपी का स्थान	राज्य	सीमा
1.	रुपैडिहा	उत्तर प्रदेश	नेपाल
2.	सुनौली	उत्तर प्रदेश	नेपाल
3.	सुतारकंडी	असम	बांग्लादेश
4.	घोजाडंगा	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश

5.	चंग्रबंधा	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश
6.	फुलबाड़ी	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश
7.	भीटामोड़	बिहार	नेपाल
8.	जयगांव	पश्चिम बंगाल	भूटान
9.	पानीटंकी	पश्चिम बंगाल	नेपाल
10.	महादीपुर	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश
11.	हिली	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश
12.	बनबासा	उत्तराखंड	नेपाल
13.	कवरपुइछुआ	मिजोरम	बांग्लादेश

3.49 सरकार ने दिनांक 17.12.2018 को भारत–नेपाल सीमा पर सुनौली, रुपैडिहा (दोनों उत्तर प्रदेश में) तथा भारत–बांग्लादेश सीमा पर सुतारकंडी (असम) में कुल तीन आईसीपी की स्थापना, आईसीपी पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल भवन के विकास, चरण–I की 07 आईसीपी में सीमा चौकसी बल (बीजीएफ) के लिए आवास के निर्माण, 04 स्थानों (अगरतला, दवकी, जोगबनी और मोरेह) पर एफबीटीएस के अधिष्ठापन तथा 05 स्थानों (अगरतला, अटारी, पेट्रापोल, जोगबनी एवं रक्सौल) पर आरडीई की स्थापना का अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, हिली, चंग्रबंधा, कवरपुइछुआ, जयगांव, पानीटंकी, घोजाडंगा, बनबासा, महादीपुर, फुलबाड़ी और भीटामोड़ में 10 आईसीपी के विकास हेतु भी सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3.50 **चल रही परियोजनाएं**

- केन्द्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 22.01.2019 को भारत–पाकिस्तान सीमा पर आईसीपी अटारी (पंजाब) में बीजीएफ आवास के निर्माण की आधारशिला रखी।
- केन्द्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 14.01.2019 को भारत–नेपाल सीमा पर आईसीपी रुपैडिहा, उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखी। निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- केन्द्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 26.02.2019 को आईसीपी अगरतला, आईसीपी रक्सौल तथा आईसीपी जोगबनी में बीजीएफ आवास के निर्माण की आधारशिला रखी।
- पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य फरवरी, 2020 में शुरू हुआ था और यह कार्य प्रगति पर है।

3.51 भारत सरकार ने श्री गुरू नानक देव की 550वीं जयंती मनाने का निर्णय लिया और इस संबंध में सरकार ने गुरूद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर, पाकिस्तान, जहां श्री गुरू नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे, तक तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए जिला गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर साहिब गलियारे का विकास किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। इस परियोजना में सभी आधुनिक सुख–साधनों और सुविधाओं के साथ भारत की तरफ अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल भवन (पीटीबी) शामिल है। इस यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन दिनांक 09.11.2019 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और यह सुविधा चालू हो गई है।

* * * *

अध्याय–4

देश में अपराध का परिदृश्य

4.1 "क्राइम इन इंडिया" प्रकाशन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से संबंधित वार्षिक आंकड़े 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। यह ब्यूरो केवल पुलिस द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक मामलों को वार्षिक आधार पर एकत्रित, मिलान, संकलित और प्रकाशित करता है। ये आंकड़े पुलिस स्टेशन (पीएस)/जिला स्तर पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की पुलिस द्वारा दर्ज किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार, ब्यूरो अपराध के आंकड़ों की गणना के लिए "प्रिंसिपल ऑफेंस रूल" का अनुसरण करता है। इस प्रकार, एक एफआईआर मामले में दर्ज किए गए अनेक अपराधों में से केवल सबसे जघन्य अपराध (जिसमें कठोरतम दंड मिले) को ही गणना की एक इकाई के रूप में लिया जाता है।

क. अपराध की प्रवृत्ति का विश्लेषण

क) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा विशेष एवं स्थानीय कानूनों (एसएलएल) से संबंधित अपराध

अपराध शीर्ष	अपराध की घटना			अपराध दर		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
आईपीसी	30,62,579	31,32,955	32,25,701	237.7	236.7	241.2
एसएलएल	19,44,465	19,41,680	19,30,471	150.9	146.7	144.3
कुल	**50,07,044**	**50,74,635**	**51,56,172**	**388.6**	**383.5**	**385.5**

(स्रोतः एनसीआरबी)

4.2 वर्ष 2019 में कुल 51,56,172 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए थे, जिनमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अंतर्गत 32,25,701 अपराध तथा विशेष एवं स्थानीय कानून (एसएलएल) के अंतर्गत 19,30,471 अपराध शामिल हैं, जो वर्ष 2018 (50,74,635 मामले) के मुकाबले 1.6% की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2018 के मुकाबले वर्ष 2019 के दौरान, आईपीसी के अंतर्गत अपराधों में 03.0% की वृद्धि और एसएलएल के अंतर्गत अपराधों में 0.6% की कमी हुई है। वर्ष 2019 के दौरान कुल संज्ञेय अपराधों में आईपीसी का प्रतिशत हिस्सा 62.6% था, जबकि एसएलएल मामलों का प्रतिशत हिस्सा 37.4% था।

ख) मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

4.3 मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के कुल 10,50,945 मामले दर्ज हुए थे, जो वर्ष 2019 के दौरान कुल आईपीसी अपराधों का 32.6% है। इन अपराधों में अधिकतर मामलों का कारण चोट लगना (10,50,945 मामलों में से 5,45,061 मामले) रहा अर्थात 51.9% और इसके बाद लापरवाही से मौत होना (10,50,945 मामलों में से 1,44,842 मामले) तथा अपहरण एवं व्यपहरण के मामलों (10,50,945 मामलों में से 1,05,037 मामले) का होना रहा है, जिनका प्रतिशत क्रमशः 13.8% और 10.0% रहा।

ग) लोक शांति के विरुद्ध अपराध

4.4 वर्ष 2019 के दौरान लोक शांति के विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के कुल 63,359 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से दंगों के मामलों का प्रतिशत कुल ऐसे मामलों का 72.9% है।

घ) हिंसक अपराध

अपराध के शीर्ष	अपराध की घटना			अपराध दर *		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
हत्या	28,653	29,017	28,918	2.2	2.2	2.2
अपहरण और व्यपहरण	95,893	1,05,734	1,05,037	7.4	8.0	7.9
कुल हिंसक अपराध	4,26,825	4,28,134	4,17,732	33.1	32.4	31.2

* अपराध दरः अपराध दर की गणना प्रति एक लाख जनसंख्या पर अपराध की घटनाओं के आधार पर की जाती है।

(स्रोतः एनसीआरबी)

ङ) हिंसक अपराध– हत्या

4.5 वर्ष 2019 के दौरान हत्या के कुल 28,918 मामले दर्ज किये गए थे, जिसमें वर्ष 2018 (29,017 मामले) की तुलना में 0.3% की कमी देखी गई। हत्याओं के इन अधिकतर मामलों के मकसद विवाद (9,516 मामले) और तत्पश्चात व्यक्तिगत प्रतिशोध या शत्रुता (3,833 मामले) और लाभ अर्जन (2,573 मामले) रहे।

च) हिंसक अपराध – अपहरण और व्यपहरण

4.6 वर्ष 2019 के दौरान अपहरण और व्यपहरण के कुल 1,05,037 मामले दर्ज किए गए। कुल 1,08,025 व्यक्तियों (23,104 पुरुष और 84,921 महिलाएं) का अपहरण अथवा व्यपहरण किया गया। वर्ष 2019 के दौरान, 40,646 पीड़ितों को अपहरित समझे गए श्रेणी के तहत सूचित किया गया था। इसके अलावा, कुल 96,295 अपहरित अथवा व्यपहरित लोग (22,794 पुरुष और 73,501 महिलाएं) बरामद किए गए, जिनमें से 95,551 व्यक्ति जीवित और 744 मृत बरामद किए गए।

छ) पुलिस और न्यायालय द्वारा आईपीसी मामलों का निपटान

क्रम संख्या	आईपीसी के तहत अपराध शीर्ष	जांच के लिए कुल मामले	चार्ज–शीटिंग की दर	विचारण हेतु कुल मामले	दोष सिद्ध हुये कुल मामले	दोष सिद्धि की दर
1	हत्या	48,553	85.3	2,24,747	6,961	41.9
2	बलात्कार	45,536	81.5	1,62,741	4,640	27.8
3	अपहरण और व्यपहरण	1,73,245	37.3	2,45,914	3,952	24.9
4	दंगे	79,004	86.8	5,06,152	5,207	19.4
5	चोट (मामूली एवं गंभीर चोट)	7,02,640	87.7	26,66,893	61,243	30.6
6.	**कुल आईपीसी अपराध**	**44,70,678**	**67.2**	**1,26,61,337**	**6,20,809**	**50.4**

(स्रोतः एनसीआरबी)

4.7 देश में कुल 44,70,678 मामले (12,42,827 पुराने + 32,25,701 नए + 2,150 पुनः खोले गए) जांच के लिए दर्ज हुए हैं। वर्ष 2019 के दौरान, 67.2% की चार्ज–शीटिंग दर के साथ 21,23,924 मामलों में आरोप–पत्र सौंपे गए थे। पुलिस द्वारा 31,60,323 मामलों का निपटारा किया गया और वर्ष के अंत तक 13,07,738 मामले जांच के लिए लंबित थे। वर्ष के दौरान देश में कुल 1,26,61,337 मामले (1,05,37,413 पुराने + 21,23,924 नए) विचारण (ट्रायल) हेतु दर्ज किये गए। वर्ष 2019 के दौरान, 12,32,507 मामलों में विचारण (ट्रायल) पूरा हो गया है और 50.4% दोष सिद्धि दर के साथ 6,20,809 मामलों में दोष सिद्ध हुआ है तथा शेष दोषमुक्त अथवा खारिज हो गए।

ज) पुलिस और न्यायालय द्वारा एसएलएल मामलों का निपटान

क्रम संख्या	एसएलएल के तहत अपराध शीर्ष	जांच के लिए कुल मामले	चार्ज–शीटिंग की दर	विचारण (ट्रायल) हेतु कुल मामले	दोष सिद्ध कुल मामले	दोष सिद्धि की दर
1.	आबकारी अधिनियम	3,20,936	96.9	8,73,926	1,67,556	87.4
2.	स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985	1,01,745	98.5	2,59,492	32,061	76.8
3.	आयुध अधिनियम	86,315	98.9	4,25,349	24,278	66.7
4.	**कुल एसएलएल अपराध**	**23,37,755**	**93.3**	**83,80,425**	**11,17,691**	**80.8**

(स्रोतः एनसीआरबी)

4.8 जांच के लिए कुल मामले 23,37,755 (4,07,133 पुराने + 19,30,471 नए + 151 पुनः खोले गए) दर्ज हुए। वर्ष 2019 के दौरान, 93.3% चार्ज–शीटिंग दर के साथ 17,87,547 मामलों में आरोप पत्र सौंपे गए। पुलिस द्वारा 19,15,765 मामलों का निपटारा किया गया और वर्ष के अंत में 4,21,242 मामले जांच के लिए लंबित थे। देश में वर्ष के दौरान विचारण (ट्रायल) हेतु कुल 83,80,425 (65,92,878 पुराने + 17,87,547 नए) मामले दर्ज हुए। वर्ष 2019 के दौरान, 13,82,893 मामलों में विचारण (ट्रायल) पूरा हो गया है और 80.8% दोष सिद्धि दर के साथ 11,17,691 मामलों में दोष सिद्ध हुआ है तथा शेष दोषमुक्त अथवा खारिज हो गए।

झ) गिरफ्तारी, दोष सिद्धि और दोषमुक्ति

4.9 वर्ष 2019 के दौरान आईपीसी के तहत अपराधों में कुल 31,12,639 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 35,56,801 व्यक्तियों को आरोप पत्र दिए गए, 8,37,075 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और 11,48,939 व्यक्तियों को बरी किया गया अथवा उन्हें छोड़ दिया गया। वर्ष 2019 के दौरान एसएलएल के तहत अपराधों में कुल 21,00,765 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल 23,17,761 व्यक्तियों को आरोप पत्र दिया गया, 13,78,322 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और 3,47,214 व्यक्तियों को दोषमुक्त किया गया अथवा उन्हें छोड़ दिया गया।

ख. समाज के कमजोर वर्ग

क) महिलाओं के प्रति अपराध

अपराध की घटना			अपराध दर		
2017	**2018**	**2019**	**2017**	**2018**	**2019**
3,59,849	3,78,236	4,05,861	57.9	58.8	62.4

(स्रोतः एनसीआरबी)

निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अपराध की अधिकतर घटनायें दर्ज की गई थीं:

अपराध का शीर्ष	कुल दर्ज मामले
पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	1,25,298
महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर हमला	88,367
अपहरण और व्यपहरण	72,780
बलात्कार	32,033

(स्रोतः एनसीआरबी)

4.10 महिलाएँ भी कई आम अपराधों जैसे कि हत्या, डकैती, धोखाधड़ी आदि की शिकार होती हैं। विशेष रूप से केवल महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को 'महिलाओं के विरुद्ध अपराध' के रूप में जाना जाता है। तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग में वर्ष 2018 की तुलना में 7.3% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पुलिस द्वारा अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज किये जाने, गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी एडवाइजरी के माध्यम से पुलिस को संवेदनशील बनाए जाने और जनता के बीच जागरूकता बढ़ाये जाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के फलस्वरूप हुई है। वर्ष 2019 के दौरान महिलाओं के प्रति आईपीसी अपराधों का अनुपात रिपोर्ट किए गए कुल आईपीसी अपराधों का 10.6% है। वर्ष 2019 में महिलाओं के प्रति अपराध की दर प्रति एक लाख महिला जनसंख्या पर 62.4 थी।

4.11 महिलाओं के प्रति अपराध में सबसे अधिक मामले 'पति अथवा उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' (30.9%) के तहत दर्ज किये, इसके बाद 'महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से उन पर हमला करने' (21.8%), 'महिलाओं का अपहरण और व्यपहरण' (17.9%) और 'बलात्कार' (7.9%) के तहत दर्ज किये गए।

ख) बच्चों के प्रति अपराध

अपराध की घटना			अपराध दर		
2017	2018	2019	2017	2018	2019
1,29,032	1,41,764	1,48,185	28.9	31.8	33.2

(स्रोतः एनसीआरबी)

निम्नलिखित शीर्षों में अपराध की अधिक घटनाएं होने की सूचना मिली:

अपराध का शीर्ष	कुल मामलों की रिपोर्ट
अपहरण और व्यपहरण	69,075
पॉक्सो अधिनियम, 2012	47,335

(स्रोतः एनसीआरबी)

4.12 इस तालिका में देखा जा सकता है कि वर्ष 2019 के दौरान देश में बच्चों के प्रति अपराध के कुल 1,48,185 मामले दर्ज किए गए थे। प्रतिशत के संदर्भ में, वर्ष 2019 के दौरान 'बच्चों के विरुद्ध अपराध' के संबंध में प्रमुखता वाले शीर्षों में 'अपहरण और व्यपहरण' (46.6%) तथा 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) के अंतर्गत मामले' (31.9%), जिनमें बाल बलात्कार के मामले भी निहित हैं, शामिल हैं। वर्ष 2019 के दौरान बच्चों की प्रत्येक एक लाख की आबादी पर बच्चों के प्रति अपराध की दर 33.2 देखी गई। वर्ष 2019 में संशोधनों के माध्यम से नये अपराधों को शामिल करके और निवारक दंड की व्यवस्था करके पॉक्सो अधिनियम के इस प्रकार किए गये सशक्तिकरण से पुलिस के लिए अपराधों की रिपोर्ट करने हेतु जागरूकता और समझ में अधिक वृद्धि हुई है।

ग) कानून के विरुद्ध चलने वाले किशोर

अपराध की घटना		
2017	2018	2019
33,606	31,591	32,235

(स्रोतः एनसीआरबी)

निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अपराध की अधिकतर घटनाएं सूचित की गईं:

अपराध के शीर्ष	कुल दर्ज मामले
चोरी	8,697
चोटें	6,055
सेंधमारी	2,128
बलात्कार	1,249

(स्रोतः एनसीआरबी)

4.13 वर्ष 2019 के दौरान 32,235 मामलों में कुल 38,675 किशोर पकड़े गए थे, जिनमें से 35,214 किशोरों को आईपीसी के मामलों के तहत और 3,417 किशोरों को एसएलएल के मामलों के तहत गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2019 के दौरान कानून के विरुद्ध चलने वाले अधिकांश किशोर, जिन्हें आईपीसी और एसएलएल अपराधों के तहत गिरफ्तार किया गया है, 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु सीमा के बीच (75.2%) (38,685 में से 29,084) थे।

घ) अनुसूचित जाति (एससी) के प्रति अपराध/अत्याचार

अपराध की घटना			अपराध दर		
2017	2018	2019	2017	2018	2019
43,203	42,793	45,935	21.5	21.3	22.8

(स्रोतः एनसीआरबी)

4.14 अनुसूचित जाति (एससी) के प्रति अपराध की दर प्रति एक लाख एससी आबादी पर 22.8 देखी गई।

ङ) अनुसूचित जनजाति (एसटी) के प्रति अपराध/अत्याचार

अपराध की घटना			अपराध दर		
2017	2018	2019	2017	2018	2019
7,125	6,528	8,257	6.8	6.3	7.9

(स्रोतः एनसीआरबी)

4.15 उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2019 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रति अपराध/अत्याचार के कुल 8,257 मामले/अत्याचार दर्ज हुए थे। अनुसूचित जनजाति (एसटी) के प्रति अपराध की दर प्रति एक लाख एसटी जनसंख्या पर 7.9 देखी गई थी।

4.16 अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के संबंध में रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या में वृद्धि के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं, जिनमें नये अपराधों को शामिल करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में संशोधन करना, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच की अनिवार्यता समाप्त करना, दोषी की गिरफ्तारी से पहले किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन लेने की व्यवस्था को समाप्त करना, अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विरुद्ध अपराधों से निपटने की ड्यूटी में लापरवाही के लिए सरकारी अधिकारियों हेतु कड़े दांडिक प्रावधान करना, मीडिया के माध्यम से अपने अधिकारों के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना और संबंधित अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना शामिल हैं।

च) वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध

अपराध की घटना			अपराध दर		
2017	2018	2019	2017	2018	2019
22,727	24,349	27,696	21.9	23.4	26.7

(स्रोतः एनसीआरबी)

अपराध की अधिकतर घटनायें निम्नलिखित शीर्षों के अधीन दर्ज की गईं:

अपराध के शीर्ष	कुल दर्ज मामले
मामूली चोटें	6,042
चोरी और छीना–झपटी	4,971
जालसाजी, ठगी और धोखाधड़ी	2,758

(स्रोतः एनसीआरबी)

4.17 वर्ष 2019 के दौरान देश में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराधों के कुल 27,696 मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2019 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के विरूद्ध किए गए प्रमुख अपराधों में मामूली चोट, चोरी एवं जालसाजी, ठगी एवं धोखाधड़ी शामिल थे।

ग. आर्थिक अपराध

अपराध की घटना		
2017	**2018**	**2019**
1,48,972	1,56,268	1,65,782

(स्रोतः एनसीआरबी)

4.18 वर्ष 2019 के दौरान आर्थिक अपराधों की तीन निर्दिष्ट श्रेणी यथा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, नकल एवं जालसाजी, ठगी एवं धोखाधड़ी में से अधिकतम 1,43,909 मामले जालसाजी, ठगी एवं धोखाधड़ी से संबंधित हैं, जिसके बाद विश्वास का आपराधिक उल्लंघन (20,833 मामले) और नकल (1,040 मामले) के मामले हुए हैं।

घ. साइबर अपराध

अपराध की घटना		
2017	**2018**	**2019**
21,796	27,248	44,546

(स्रोतः एनसीआरबी)

4.19 वर्ष 2019 के दौरान, कंप्यूटर से संबंधित अपराधों के अंतर्गत साइबर अपराध के 53.0% मामले (44,546 मामलों में से 23,612) दर्ज किए गए, उसके बाद 14.0% मामले (6,233 मामले) धोखाधड़ी और 9.4% मामले (4,187 मामले) इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील/कामुकता दर्शाने वाले कृत्य का प्रकाशन/प्रसारण से संबंधित थे।

ङ. संपत्ति के लिए अपराध

4.20 वर्ष 2019 के दौरान, संपत्ति के लिए किये गए अपराधों के तहत कुल 8,54,618 मामले (कुल आईपीसी अपराधों का 26.5%) दर्ज हुए, जिसमें चोरी (6,75,916 मामले) के मामले तथा सेंधमारी (100,897 मामले) के मामले क्रमशः 79.1% और 11.8% रहे।

वर्ष	2017	2018	2019
चोरी की गई संपत्ति का मूल्य (करोड़ रु. में)	5,002.5	5,227	4,719.2
बरामद की गई संपत्ति का मूल्य (करोड़ रु. में)	1,296.1	1,849	1,451.6
चोरी की गई संपत्ति की प्रतिशत वसूली	25.9%	35.4%	30.8%

(स्रोतः एनसीआरबी)

4.21 वर्ष 2019 के दौरान, 4,719 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की चोरी हुई और 1,451 करोड़ रूपये मूल्य की संपत्तियां वसूली गईं, जो कि चोरी की गई संपत्तियों की 30.8% रिकवरी है। वर्ष 2019 के दौरान, कुल चोरी (6,75,916 मामले) में से, 2,37,884 मामले (35.2%) ऑटो वाहन चोरी के मामलों से संबंधित थे। वर्ष 2019 के दौरान, आवासीय परिसरों में संपत्ति संबंधी अपराधों के 2,92,176 मामले हुए। तथापि, 17,305 मामलों के साथ लूटपाट के अधिकतर मामले सड़क मार्गों पर हुए।

च. लापता हुए व्यक्ति

4.22 वर्ष 2019 में कुल 6,93,003 व्यक्ति (2,70,443 पुरुष, 4,22,439 महिलाएँ और 121 ट्रांसजेंडर) लापता हुए थे (पिछले वर्षों से लापता सहित)। वर्ष 2019 के दौरान, कुल लापता व्यक्तियों में से वर्ष के अंत तक कुल 3,48,608 व्यक्तियों (1,25,558 पुरुष, 2,22,949 महिलाएं और 101 ट्रांसजेंडर) का पता लगा लिया गया था।

4.23 वर्ष 2019 में कुल 1,19,617 बच्चे (36,972 बालक, 82,619 बालिकाएं और 26 ट्रांसजेंडर) लापता हुए थे (पिछले वर्षों से लापता सहित)। वर्ष 2019 के दौरान, वर्ष के अंत तक कुल 71,253 बच्चों (21,797 बालक,

49,436 बालिकाएं और 20 ट्रांसजेंडर) का पता लगाया गया था।

छ. आयुध अधिनियम के तहत जब्ती

4.24 आयुध अधिनियम, 1959 के तहत कुल 73,122 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 79,547 हथियारों को जब्त किया गया। इसमें से 77,567 हथियार बिना लाइसेंस वाले और 1,980 हथियार लाइसेंस युक्त थे। वर्ष 2019 के दौरान कुल 1,12,413 गोलाबारूद जब्त किए गए थे।

ज. मादक पदार्थों की जब्ती

4.25 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अनुसार, वर्ष 2019 के दौरान मादक पदार्थों की जब्ती के कुल 57,867 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 74,620 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

* * * *

अध्याय–5

मानव अधिकार और राष्ट्रीय एकता

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी)

5.1 भारत सरकार ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानव अधिकार आयोगों (एसएचआरसी) के गठन का प्रावधान करके मानवाधिकारों के उल्लंघनों से निपटने हेतु एक मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) की अध्यक्षता, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाती है और इसमें 05 अन्य सदस्य होते हैं। एनएचआरसी का एक मुख्य कार्य शिकायतें प्राप्त करना और लोक सेवकों द्वारा जानबूझकर/भूल–चूक अथवा लापरवाही से किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच–पड़ताल शुरू करना है, और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना है।

5.2 मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के मानद सदस्य निम्नानुसार हैं:–

(क) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।

(ख) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।

(ग) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।

(घ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग।

(ङ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग।

(च) अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।

(छ) मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन।

5.3 वर्ष 2020–21 के लिए एनएचआरसी का बजटीय अनुमान 50.80 करोड़ रु. है। दिनांक 31.12.2020 तक, गृह मंत्रालय द्वारा 38.10 करोड़ रु. की राशि की मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें से वर्ष 2019–20 के अव्ययित शेष के रूप में 3.44 करोड़ रु. को समायोजित करने के पश्चात 34.66 करोड़ रु. जारी किए गए थे।

शिकायतों का निपटान

5.4 दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान, 53307 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से एनएचआरसी ने 45431 मामलों का निपटान किया और इसमें पूर्व वर्ष से अग्रेषित किये गये मामले भी सम्मिलित हैं। एनएचआरसी ने 9315 मामले निपटान हेतु राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) को भी हस्तांतरित किए हैं। उपर्युक्त अवधि के दौरान, एनएचआरसी ने 193 मामलों में 5,06,50,000/– रुपये की आर्थिक राहत का भुगतान करने की सिफारिश की है।

मामलों की जांच–पड़ताल

5.5 दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान, एनएचआरसी के जांच प्रभाग ने न्यायिक हिरासत में मौतों के 1155 मामलों और पुलिस हिरासत में मौतों के 143 मामलों सहित कुल मिलाकर 2257 मामलों तथा तथ्य का पता लगाने वाले 687 मामलों का निपटान किया। एनएचआरसी ने पुलिस मुठभेड़ में हुई मौतों के 248 मामलों का भी निपटान किया और मानव–अधिकारों के कथित उल्लंघन के 24 मामलों की मौके पर जांच की।

महिलाओं और बच्चों के अधिकार

5.6 एनएचआरसी महिलाओं और बच्चों की संवेदनशीलता के कारण उनके मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए इसने सभी विषयक क्षेत्रों में अपने नए कार्यों के दौरान इसे उचित महत्व प्रदान किया है। महिलाओं के मानव अधिकारों के संबंध में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता "महिलाओं के प्रति

सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करने संबंधी समझौता (सीईडीएडब्ल्यू) 1979" जिसको संयुक्त राष्ट्र के 185 सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थित किया गया है, को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में अनुसमर्थित किया गया था। इसी प्रकार, बच्चों के अधिकारों के संबंध में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता, "बाल अधिकार संबंधी समझौता (सीआरसी) 1989" को वर्ष 1992 में अनुसमर्थित किया गया था। सीआरसी और सीईडीएडब्ल्यू अनुसमर्थित होने के पश्चात, इसके प्रावधान भारत सरकार द्वारा बच्चों और महिलाओं के लिए लागू की जाने वाली अनेक नीतियों, कानूनों, स्कीमों और कार्यक्रमों में शामिल किए जाते हैं।

5.7 महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के संबंध में एनएचआरसी द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नानुसार हैः—

(क) महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करने संबंधी समझौता (सीईडीएडब्ल्यू) पर उप—समितिः श्रीमती ज्योतिका कालरा, सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में दिनांक 01.05.2020 को सीईडीएडब्ल्यू पर एक उप—समिति गठित की गई थी, जिसका उद्देश्य यह जांच करना है कि क्या स्वदेशी कानून, नीतिगत ढांचा और स्कीमें सीईडीएडब्ल्यू के अनुच्छेदों की अपेक्षाओं को पूरा करती हैं और तत्पश्चात कमियों, यदि कोई हो, को दूर करने की सिफारिशें करना है। इसके गठन के बाद से, वर्ष 2020 में पांच बैठकें आयोजित की गई हैं।

(ख) वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) के संबंध में बैठकः वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा आयोग द्वारा श्रीमती ज्योतिका कालरा, सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में दिनांक 29.12.2020 को एक वर्चुअल बैठक के माध्यम से सभी संबंधित स्टेक होल्डरों के साथ की गई।

(ग) महिलाओं पर प्रमुख समूह की बैठकः श्रमिकों के रूप में महिलाओं की सहभागिता को कम करने से संबंधित मुद्दों और महिलाओं द्वारा सामना की जा रही कार्य—जीवन के संतुलन की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए श्रीमती ज्योतिका कालरा, सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में दिनांक 17.11.2020 को महिलाओं पर प्रमुख समूह की एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई।

(घ) बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम)ः राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिनांक 21.07.2020 को सुबह 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक 'ऑनलाइन – बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम)' पर गूगल मीट के माध्यम से एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता श्रीमती ज्योतिका कालरा, सदस्य, एनएचआरसी द्वारा की गई और इसमें श्री जयदीप गोविंद, महासचिव, एनएचआरसी द्वारा उद्घाटन—भाषण दिया गया। एनएचआरसी के विभिन्न अधिकारियों के अलावा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और शिक्षा मंत्रालय जैसे सरकारी मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों, सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ), मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों, अभिभावक संगठनों, राज्य पुलिस विभाग, राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों और अकादमियों इत्यादि के प्रतिनिधियों तथा स्वतंत्र (फ्रीलांस) साइबर विशेषज्ञों समेत 100 प्रतिभागियों ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया।

(ङ) यूएनसीआरसी पर बुकलेट जारी करनाः श्रीमती ज्योतिका कालरा, सदस्य, एनएचआरसी द्वारा 'ऑनलाइन – बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम)' पर एक सम्मेलन के दौरान दिनांक 21.07.2020 को "यूएनसीआरसी और भारतीय विधान, निर्णय और स्कीम – एनएचआरसी द्वारा एक तुलनात्मक अध्ययन" विषय पर एनएचआरसी द्वारा तैयार और प्रकाशित की गई बुकलेट का विमोचन किया गया।

(च) कोविड—19 के संदर्भ में बच्चों के अधिकारों पर एडवाइजरीः राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने

'मानवाधिकारों पर कोविड–19 वैश्विक महामारी का प्रभाव और भविष्य की कार्रवाई' के संबंध में स्वयं द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति की सहायता से दिनांक 29.09.2020 को 'कोविड–19 के संदर्भ में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण पर एडवाइजरी' भी तैयार करके इसे जारी किया है। उपर्युक्त एडवाइजरी में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए इसे संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया था। आयोग ने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपर्युक्त एडवाइजरी पर "की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट" प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.8 वर्ष 2020–2021 (दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक) क, कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण, किसी भी संस्थान द्वारा मानव अधिकारों और संबंधित मुद्दों पर एनएचआरसी द्वारा प्रायोजित कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। जुलाई, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक पांच इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 513 विद्यार्थी इंटर्न ने एनएचआरसी के साथ सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरी की। उपर्युक्त के अतिरिक्त, इन–हाउस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोग में जून, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक तीन बार ऑनलाइन जेंडर संवेदी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 183 प्रतिभागी शामिल हुए।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

5.9 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, "राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (जीएएनएचआरआई)" का एक सदस्य है और "राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया पैसिफिक फोरम (एपीएफ)" का एक संस्थापक सदस्य है। एनएचआरसी ने दिनांक 09.09.2020 को वेब के माध्यम से आयोजित एपीएफ की 25वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया और इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड राइट टू प्राइवेसी, दायित्वपूर्ण व्यवसाय एवं मानव अधिकार पर यूएन वर्चुअल फोरम, व्यवसाय एवं मानव अधिकारों पर एशिया पैसिफिक फोरम जीएएनएचआरआई कार्यकारी समूह तथा समरकांड मानव अधिकार फोरम आदि के एक विशेषज्ञ सेमिनार में भी भाग लिया। दिनांक 03.12.2020 और 04.12.2020 को दो लाइव प्रसारित कार्यक्रमों के साथ–साथ दिनांक 30.11.2020 से 04.12.2020 तक ऑनलाइन जीएएनएचआरआई 2020 वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इन सत्रों के ब्यौरे ये हैं (i) दिनांक 03.12.2020 को आयोजित बेहतर पद्धतियों के ज्ञान का आदान–प्रदानः कोविड–19 के संदर्भ में एनएचआरआई के अधिदेश एवं क्रियाकलापों का कार्यान्वयन और (ii) दिनांक 04.12.2020 को आयोजित वार्षिक सम्मेलनः जलवायु परिवर्तनः राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका।

क्षेत्रीय सम्मेलन/बैठकें/एडवाइजरीः

5.10 आयोजित की गई विभिन्न बैठकें और जारी की गई एडवाइजरी निम्नानुसार हैंः

(क) मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्य योजनाः आयोग ने श्री जयदीप गोविंद, महासचिव, एनएचआरसी की अध्यक्षता में दिनांक 07.09.2020 को "मानव अधिकारों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी–एचआर)" पर कार्यबल की एक बैठक आयोजित की। उक्त बैठक का एजेंडा संबंधित मंत्रालयों/विभाग द्वारा मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्य योजना के निर्माण के संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा करना था। उक्त बैठक में चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों में अधिकार आधारित दृष्टिकोण को शामिल करते हुए "मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्ययोजना" तैयार की जा सकती है और कार्ययोजना को महिलाओं, बच्चों, निःशक्तजनों, वृद्ध व्यक्तियों आदि जैसे समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के साथ–साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ जोड़ा जा सकता है।

(ख) भारतीय समुद्री यात्रियों के मानव अधिकारः "भारतीय समुद्री यात्रियों के मानव अधिकार" पर

चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिनांक 06.10.2020 को आयोग के सदस्य डॉ. डी.एम. मुले की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक आयोजित की। इस बैठक में 'संगठित राष्ट्रीय सुरक्षा मंच (एफआईएनएस)' और शैक्षणिक संस्थान के प्रतिनिधियों तथा एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ–साथ पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(ग) विभिन्न मानव अधिकार संबंधी मुद्दों पर एडवाइजरी: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने पूरे देश में अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए और कोविड–19 वैश्विक महामारी तथा उसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन से प्रभावित हुए समाज के संवेदनशील और कमजोर वर्गों के अधिकारों के बारे में गहरी चिंता करते हुए, 'मानव अधिकारों पर कोविड–19 वैश्विक महामारी का प्रभाव और भविष्य की कार्रवाई के संबंध में विशेषज्ञों की एक समिति' गठित की। विशेषज्ञों की समिति द्वारा किए गए प्रभाव के आंकलन और सिफारिशों पर विधिवत विचार करने के पश्चात, आयोग ने मानव अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित विषयगत क्षेत्रों पर एडवाइजरी जारी की है:

1. कैदियों और पुलिस कर्मियों के मानव अधिकारों पर एडवाइजरी और भावी कार्रवाई;
2. कोविड–19 के दौरान अनियमित मजदूरों के मानव अधिकारों पर एडवाइजरी;
3. कोविड–19 वैश्विक महामारी के प्रभाव पर एडवाइजरी: बिजनेस एवं मानव अधिकार तथा भावी कार्रवाई;
4. कोविड–19 के संदर्भ में स्वास्थ्य पर एडवाइजरी;
5. कोविड–19 के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य पर एडवाइजरी;
6. कोविड–19 के संदर्भ में महिलाओं के अधिकारों पर एडवाइजरी;
7. कोविड–19 के संदर्भ में बच्चों के अधिकारों पर एडवाइजरी;
8. खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के अधिकार पर एडवाइजरी; और
9. नि:शक्तजनों के अधिकारों पर एडवाइजरी।

मानव अधिकार विषयक मुद्दों पर बुकलेट

5.11 आयोग ने "मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप (एमएआरजी)" के सहयोग से विधिक नियम, कानूनी उपचार की प्राप्ति, मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, दांडिक न्याय प्रणाली, बाल श्रम एवं बाल विवाह तथा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार समझौतों एवं कन्वेशन जैसे विभिन्न मानव अधिकार विषयक मुद्दों पर बुकलेट तैयार किया है और इनका विमोचन अध्यक्ष, एनएचआरसी द्वारा किया गया। स्टेकहोल्डरों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आयोग द्वारा विभिन्न मानव अधिकार संबंधी मुद्दों पर पुलिस कर्मियों के लिए दिशानिर्देशों का नया प्रकाशन भी निकाला गया था।

एनएचआरसी स्थापना दिवस

5.12 आयोग प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण वर्ष 2020 के लिए स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। तथापि, इस अवसर पर अध्यक्ष, एनएचआरसी ने एक संदेश जारी किया है।

मानव अधिकार दिवस कार्यक्रम

5.13 पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आयोग भी प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को मानव अधिकार दिवस मनाता है। इस वर्ष, मानव अधिकार दिवस के कार्यक्रम वेब माध्यम से संचालित किए गए। श्री नित्यानंद राय, माननीय राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय दिनांक 10.12.2020 को आयोजित मानव अधिकार दिवस के कार्यक्रम पर मुख्य अतिथि थे।

साम्प्रदायिक सदभाव

5.14 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के प्रशासनों को उनके अपने संबंधित कार्यक्षेत्र में

साम्प्रदायिक सदभाव बनाए रखने में सहायता करने के लिए, केंद्र सरकार साम्प्रदायिक सदभाव को प्रभावित करने वाले मामलों के बारे में आसूचना साझा करने, चेतावनी संदेश भेजने, एडवाइजरी जारी करने जैसे विभिन्न उपाय समय–समय पर करती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के अनुरोध पर, केंद्र सरकार विशेष तौर पर ऐसे हालातों से निपटने के लिए गठित की गई "कंपोजिट रेपिड एक्शन फोर्स" सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) तैनात करती है।

5.15 दिनांक 31.10.2019 को सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्म वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में जोश और उत्साह के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। दिनांक 31.10.2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए सभी मंत्रालयों/राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों को निर्देश जारी किए गए थे।

5.16 देशभर से पुलिस बलों की भागीदारी के साथ दिनांक 31.10.2020 को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, केवाडिया, गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड आयोजित की गई थी।

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सदभाव फाउंडेशन

5.17 राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सदभाव फाउंडेशन (एनएफसीएच) गृह मंत्रालय के तहत एक स्वायत्तशासी संगठन है। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से साम्प्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के अतिरिक्त साम्प्रदायिकता, जातिवाद, एथनिक या आतंकी हिंसा के कारण अनाथ/निराश्रित हुए बच्चों/युवाओं को उनके पुनर्वास हेतु सहायता प्रदान करना है।

5.18 वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड–19 वैश्विक महामारी की वजह से उत्पन्न हुई अप्रत्याशित स्थिति के कारण, शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों को बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित किया गया था। तथापि, फाउंडेशन की दिनांक 01.04.2020 से 31.01.2021 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित रहीः

(क) परियोजना 'असिस्ट': यह फाउंडेशन की फ्लेगशिप स्कीम है, जिसके तहत अखिल भारतीय स्तर पर साम्प्रदायिक, जातिवादी, इथनिक या आतंकवादी हिंसा से पीड़ित हुए बच्चों और युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2020–21 के दौरान, दिनांक 31.01.2021 की स्थिति के अनुसार 1.22 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना के तहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु 37 नए मामलों सहित 687 मामलों को अनुमोदन प्रदान किया गया था।

(ख) साम्प्रदायिक सदभाव अभियान सप्ताह एवं झंडा दिवस – 2020: फाउंडेशन ने पूरे देश में विभिन्न स्टेकहोल्डरों और भागीदारों के सहयोग से 19 से 25 नवम्बर, 2020 तक साम्प्रदायिक सदभाव अभियान सप्ताह दिनांक 25.11.2020 को झंडा दिवस के साथ मनाया।

(ग) अतिरिक्त गतिविधियांः वैश्विक महामारी कोविड–19 से पूरे देश में उत्पन्न हुई मौजूदा स्थिति के कारण, फाउंडेशन ने केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से गतिविधियां आयोजित की, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(i) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सदभाव फाउंडेशन (एनएफसीएच) और अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस (एआईडब्ल्यूसी), नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19.08.2020 को "टूगेदर वी विनः हारमोनी एमिड कोविड–19" विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था।

(ii) एनएफसीएच के सहयोग से एआईडब्ल्यूसी के साउथ जोन द्वारा दिनांक 31.08.2020 को "भारतः कोरोना प्रकोप के दौरान सद्भाव का प्रतीक" विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था।

(iii) एनएफसीएच के सहयोग से एआईडब्ल्यूसी पश्चिम जोन 'ए' एवं 'बी' द्वारा दिनांक 05.09.2020 को "एकता और शांति के लिए सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण" विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था।

(iv) पब्लिक अफेयर्स ऑफ द बहाई ऑफिस ऑफ इंडिया ने दिनांक 25.09.2020 को

"कोरोनावायरस वैश्विक महामारी के विरुद्ध लड़ाई में धर्म की भूमिका" विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया।

(v) एनएफसीएच के सहयोग से एआईडब्ल्यूसी, उत्तरी जोन द्वारा दिनांक 29.09.2020 को "सद्भाव बढ़ाने में महिलाओं की भूमिका" विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया।

(vi) "संजू महिला कल्याण एसोसिएशन (डब्ल्यूआईए) एआईडब्ल्यूसी, चेन्नै" द्वारा दिनांक 19.11.2020 को एनएफसीएच के "साम्प्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह एवं झंडा दिवस 2020" के तत्वाधान में 'राष्ट्रीय एकता दिवस उत्सव' विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया।

(vii) एनएफसीएच के सहयोग से एआईडब्ल्यूसी, पूर्वी जोन – ए द्वारा दिनांक 25.11.2020 को "वैश्विक महामारी कोविड–19 से ली जाने वाली सीख" विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया।

(viii) एनएफसीएच के सहयोग से एआईडब्ल्यूसी, केंद्रीय जोन – ए द्वारा दिनांक 02.12.2020 को "समाज के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारी" विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया।

(ix) एनएफसीएच के सहयोग से एआईडब्ल्यूसी, दक्षिण जोन – बी द्वारा दिनांक 16.12.2020 को "कोविड के दौरान और उसके बाद शारीरिक तथा मनौवैज्ञानिक स्वास्थ्य बनाए रखना" विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया।

(x) एनएफसीएच के सहयोग से एआईडब्ल्यूसी, पूर्वी जोन – बी द्वारा दिनांक 22.12.2020 को "आपदा की स्थितियों में शांति और सद्भाव का महत्व" विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया।

(xi) एनएफसीएच के सहयोग से एआईडब्ल्यूसी, पश्चिम जोन – बी द्वारा दिनांक 08.01.2021 को "कोविड–19 के बाद समाज के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारियां" विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया।

(xii) एनएफसीएच के सहयोग से एआईडब्ल्यूसी, पूर्वोत्तर जोन (मणिपुर और त्रिपुरा) द्वारा दिनांक 20.01.2021 को "आपदा प्रबंधन में शांति और सदभाव का महत्व" विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया।

* * * *

अध्याय–6

संघ राज्य क्षेत्र

प्रस्तावना

6.1 संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) आठ हैं, जिनके नाम अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पुदुच्चेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) हैं। इन आठ संघ राज्य क्षेत्रों में से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुदुच्चेरी तथा जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) की विधायिका और मंत्रिपरिषद हैं, जबकि शेष संघ राज्य क्षेत्र बिना विधायिका वाले हैं।

6.2 छः संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) यथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव, लक्षद्वीप, पुदुच्चेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 10,960 वर्ग किमी. और वर्ष 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार इनकी जनसंख्या 2,00,83,714 है। नए गठित दो संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) अर्थात जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख की जनसंख्या क्रमशः 1,22,67,013 और 2,74,289 है। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर संघ राज्य क्षेत्र–वार जनसंख्या और क्षेत्रफल अनुलग्नक–VIII में दिया गया है। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर संघ राज्य क्षेत्रों का बजट प्रावधान अनुलग्नक–IX में दिया गया है। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से संबंधित विवरण अध्याय–XIV में अलग से दिया गया है।

संवैधानिक स्थिति

6.3 संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग–।। में विनिर्दिष्ट हैं। इन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 से 241 के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाता है। भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अधीन, गृह मंत्रालय विधायन, वित्त एवं बजट, उप–राज्यपालों (एलजी) और प्रशासकों की सेवाओं तथा नियुक्ति से संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है।

6.4 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया गया, जिसके द्वारा नियत दिन अर्थात् दिनांक 31.10.2019 से पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को दो उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) नामतः विधायिका के साथ जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) तथा बिना विधायिका के लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के रूप में पुनर्गठित किया गया।

6.5 इसके अतिरिक्त, दिनांक 09.12.2019 को दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्रों का विलय) अधिनियम, 2019 अधिसूचित किया गया, जिसके फलस्वरूप नव गठित संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) नामतः "दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव" दिनांक 26.01.2020 को अस्तित्व में आया।

6.6 प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) का प्रशासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा चलाया जाता है। दिल्ली, पुदुच्चेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में प्रशासकों को उप–राज्यपालों (लेफ्टिनेंट गवर्नर) के रूप में पदनामित किया जाता है।

प्रशासनिक अंतर–संपर्क (इंटरफेस)

6.7 बिना विधायिका वाले पांचों संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी)– अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप में गृह मंत्री की सलाहकार समिति (एचएमएसी)/ प्रशासक की सलाहकार समिति (एएसी)

एक मंच के रूप में है। एचएमएसी की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री करते हैं तथा एएसी की अध्यक्षता संबंधित संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के प्रशासक द्वारा की जाती है। अन्य व्यक्तियों के साथ–साथ संसद सदस्य और संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के स्थानीय निकायों (जिला पंचायतों और नगर पालिका परिषद) के निर्वाचित सदस्य इन समितियों के सदस्य होते हैं। यह समिति संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित आम मुद्दों पर चर्चा करती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

प्रस्तावना

6.8 अनुच्छेद 239कक को शामिल करके 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के पारित होने से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली अस्तित्व में आया। इसकी 70 सदस्यों वाली एक विधान सभा है।

6.9 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कुल 11 राजस्व जिले हैं।

अर्थव्यवस्था

6.10 वर्ष 2019–20 में मौजूदा कीमतों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018–19 में 3,58,430/– रुपये की तुलना में 3,89,143/– रुपये अनुमानित है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2019–20 में मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 8,56,112/– करोड़ रुपये है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10.48% की वृद्धि का द्योतक है। स्थिर मूल्यों पर वास्तविक रूप में, दिल्ली के जीएसडीपी में वृद्धि राष्ट्रीय स्तर के 4.2% के मुकाबले 7.42% अनुमानित है। वर्ष 2019–20 के दौरान राष्ट्रीय स्तर के सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान 4.21% था।

6.11 शिक्षा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अवसंरचना में सुधार, नीति संबंधी निर्णयों आदि के माध्यम से शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई पहल कर रही है:

- शिक्षा विभाग (डीओई) ने प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 45,000 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तथा लाभवंचित समूह (डीजी) श्रेणी के छात्रों के प्रवेश के लिए केंद्रीयकृत ऑनलाइन ड्रा निकाला। कोविड–19 की स्थिति के बावजूद, स्कूलों ने कोविड–19 प्रोटोकॉल का पालन करके पाठ्य पुस्तकें (कक्षा I से VIII) और बालिकाओं को नैपकिन वितरित किए।
- कक्षा VI से VIII तक के 37,312 छात्रों को प्रोजेक्ट 'स्माइल' के तहत कवर किया गया, जिसका उद्देश्य ऐसे कारकों का पता लगाना है, जिनके कारण कम उपलब्धि वाले छात्रों को सीखने में कठिनाई होती है।
- सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 578 छात्रों को भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली 'योग्यता–सह–साधन (मेरिट–कम–मीन्स)' छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए चुना गया।
- दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है और इसका संचालन दिनांक 15.08.2020 से शुरू किया गया ताकि प्रशिक्षित और रोजगार योग्य मानव संसाधन तैयार करने की चुनौती का सामना किया जा सके।
- कक्षाओं (क्लास रूम), प्रयोगशालाओं आदि के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराने और शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) – चरण–II का निर्माण शुरू किया गया है। 660 छात्राओं को छात्रावास उपलब्ध कराने के लिए डीटीयू में 02 भवनों का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। डीटीयू के पूर्वी दिल्ली परिसर में पारिवारिक व्यवसाय (फेमिली बिजनेस) में एमबीए का नया पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। 08 विश्व स्तरीय कौशल केंद्र निर्माण के अंतिम चरण में हैं और इन्हें वर्ष 2020–21 में कार्यशील बना दिया जाएगा।

6.12 खेल–कूद

संपूर्ण दिल्ली में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सर्वोदय बाल विद्यालय अशोक नगर (सिंथेटिक हॉकी

टर्फ), बी–4 पश्चिम विहार (स्विमिंग पूल) और नजफगढ़ स्टेडियम (200 मीटर सिंथेटिक ट्रैक, मिनी फुटबॉल फील्ड और बास्केटबॉल कोर्ट, कबड्डी प्लेफील्ड) में नई खेल सुविधाओं का निर्माण किया गया।

6.13 स्वास्थ्य

- 38 मल्टीस्पेशिएलिटी अस्पताल, 183 एलोपैथिक डिस्पेंसरियां, 496 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक और 24 पॉलीक्लीनिक दिल्ली के नागरिकों को निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, दिल्ली में हर जगह मल्टी स्पेशिएलिटी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए, 94 डिस्पेंसरियों को पॉलीक्लिनिकों में स्तरोन्नत करने का प्रावधान किया गया है, जिसका 35% काम पूरा हो चुका है।

- दिल्ली सरकार ने सक्रिय रणनीतियों और पहलों के माध्यम से कोविड–19 को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। दिल्ली में कोविड देखभाल केन्द्र, कोविड स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र और समर्पित कोविड अस्पताल चल रहे हैं। जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क प्लाज्मा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए "इंस्टिट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेस" में पहले प्लाज्मा बैंक और लोक नायक अस्पताल में दूसरे प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। कोविड–19 परीक्षण, ट्रेसिंग, आइसोलेशन, क्वारंटीन, क्लस्टरिंग, कंटेनमेंट, मृत्यु, डेटा प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स आपूर्ति आदि का प्रबंधन करने के लिए समर्पित राज्य और जिला स्तरीय टीमों का गठन किया गया। दिल्ली में प्रतिक्रिया समय को कम करने और जरूरतमंद व्यक्तियों को एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सेन्ट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रामा सर्विसेज के पास उपलब्ध 600 एंबुलेंसों/वाहनों के अलावा 210 अतिरिक्त एंबुलेंसों को किराये पर लिया गया।

- बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए, दिल्ली सरकार ने नए अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा अस्पतालों की री–मॉडलिंग हेतु कई उपाय किए हैं। बुराड़ी में 600 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण पूरा हो चुका है और 450 बिस्तरों का उपयोग कोविड के मरीजों के लिए किया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में भी अस्पताल खोल दिया गया है और वहां पर भी कोविड मरीजों के लिए 200 बिस्तर उपलब्ध हैं। दिल्ली सरकार ने 19 मौजूदा अस्पतालों के री–मॉडलिंग के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

6.14 कल्याण

- विपत्ति में पड़ी महिलाओं को दिल्ली पेंशन स्कीम के माध्यम से 2,500/– रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसी प्रकार, गरीब विधवाओं को अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए तथा अनाथ बालिकाओं के विवाह के लिए भी 30,000/– रुपये के एक बारगी अनुदान का भुगतान किया जा रहा है। ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिनके पास जीवनयापन का कोई जरिया नहीं है। 60–69 वर्ष की आयु वर्ग के बीच वाले व्यक्तियों को 2,000/– रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है तथा अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी)/अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को 500/– रुपये प्रतिमाह और प्रदान किए जाते हैं। 70 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 2,500/– रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। दिव्यांगता पेंशन स्कीम के माध्यम से, दिव्यांग व्यक्तियों को 2,500/– रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम के तहत 20,000/– रुपये की एक बारगी वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

- दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) ने द्वारका, सुल्तानपुरी, जहांगीरपुरी और सावदा घेवरा में पात्र जेजे निवासियों के पुनर्वास हेतु मलिन बस्तियों के निवासियों के लिए बहु–मंजिला आवासीय इकाइयों का निर्माण शुरू किया है। 10,684 ईडब्ल्यूएस मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और 7,400 ईडब्ल्यूएस मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में, डीयूएसआईबी अस्थायी जगहों पर 10 रात्रि विश्राम केंद्रों के अलावा 193 रैन बसेरों का

संचालन और प्रबंधन कर रहा है।

6.15 शहरी विकास

- बारापुला नाले पर सराय काले खां से मयूर विहार (फेज–III) तक एलिवेटेड रोड के निर्माण का 81% काम पूरा हो चुका है। मयूर विहार में फ्लाईओवर दिनांक 25.01.2019 को खोल दिया गया।
- आईआईटी से राष्ट्रीय राजमार्ग–8 तक आउटर रिंग रोड और इसके आस–पास के क्षेत्रों के कॉरीडोर में सुधार के लिए, मुनीरका फ्लाईओवर को दिनांक 16.07.2019 को यातायात के लिए खोल दिया गया था। इसके अलावा, अंडरपास का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसका 85% काम पूरा हो चुका है।
- दिल्ली के व्यस्त शहर में चांदनी चौक के पुनर्विकास तथा शाहजहांनाबाद के ऐतिहासिक शहर की पर्यावरणीय स्थिरता और स्थानीय आर्थिक विकास का कार्य दिनांक 31.03.2021 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

6.16 श्रमिक

- श्रमिकों के कल्याण के लिए, दिल्ली में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें एक वर्ष में दो बार अर्थात् अप्रैल और अक्तूबर के महीने के दौरान संशोधित और अधिसूचित की जाती हैं। न्यूनतम मजदूरी की वर्तमान संशोधित दरें अकुशल कामगारों के लिए 14,842/– रुपये प्रति माह, अर्धकुशल कामगारों के लिए 16,341/– रुपये प्रति माह और कुशल कामगारों के लिए 17,991/– रुपये प्रति माह हैं।

6.17 स्वच्छता और जल आपूर्ति

- शहर की पानी की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। जल उत्पादन 935 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) के स्तर पर बरकरार रखा गया है। वर्तमान में, सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता 607 एमजीडी है और सीवर लाइनों की वहन क्षमता में और सुधार के लिए, लगभग 167 किलोमीटर की पेरिफरल सीवर लाइन की पहचान की गई है, जिसके तहत पुरानी सीवर लाइनों के जीवन काल को 50 वर्षों से भी ज्यादा बढ़ाने के लिए ट्रेंचलेस तकनीक के साथ उनकी मरम्मत की जाएगी।
- यमुना की सफाई के लिए, इंटरसेप्टर सीवर की नवोन्मेषी परियोजना 98.8% तक पूरी हो चुकी है और लगभग 158 एमजीडी अपशिष्ट जल को नालियों से निकाला गया है और अब सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों में इसे ट्रीट किया जा रहा है। यमुना कार्रवाई योजना–III के तहत, दिल्ली जल बोर्ड ने रिठाला, कोंडली और ओखला में 209 एमजीडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की मरम्मत/पुनर्निर्माण का काम शुरू किया है। इसके अलावा, कोरोनेशन पिलर में 70 एमजीडी अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के निर्माण का 76% काम पूरा हो गया है।

6.18 ऊर्जा

- दिल्ली ने दिनांक 29.06.2020 को दर्ज की गई विद्युत की 6,314 मेगावाट की अधिकतम मांग को पूरा किया, जिसमें अधिकतम मांग के समय लोड शेडिंग शून्य थी। दिल्ली में सौर ऊर्जा अधिष्ठापन 179 मेगावाट हो गया है। दिल्ली डिस्कॉम ने कुल 489 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स को जोड़ा और उन्नत किया, जिससे कुल अतिरिक्त वितरण क्षमता 190.77 एमवीए बढ़ गई।

6.19 परिवहन

- दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) 437 शहरी मार्गों और 8 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) मार्गों पर 3,762 बसों का संचालन करता है। दिसम्बर, 2020 तक दैनिक यात्रियों की संख्या 15.53 लाख है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में 14 क्लस्टरों में 2,897 क्लस्टर बसें चल रहीं हैं तथा दिसम्बर, 2020 तक इनके दैनिक यात्रियों की औसत संख्या 10.32 लाख है। परिवहन अवसंरचना को मजबूत करने के लिए, 160 क्लस्टर बसों को शामिल किया गया है और 575 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है।
- शहर में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक चार्जिंग

अवसंरचना स्थापित करने के उद्देश्य से दिनांक 07.08.2020 को दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति अधिसूचित की गई।

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) तक विस्तार सहित दिल्ली मेट्रो का मौजूदा नेटवर्क 348 किमी. है। लॉकडाउन के कारण दिनांक 22.03.2020 से 06.09.2020 तक मेट्रो ट्रेन संचालन बंद था। सितंबर, 2020 तक दैनिक यात्रियों की औसत संख्या 6.14 लाख थी। मेट्रो के चरण–III के तहत, 157.94 किमी. लंबी लाइन को शुरू कर दिया गया है। मयूर विहार पॉकेट–I से त्रिलोकपुरी तक की शेष लाइन को मार्च, 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य है तथा ढांसा बस स्टैंड तक विस्तार का कार्य सितंबर, 2021 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

6.20 अवसंरचना

- विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए, विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एमएलएएलएडीएस) के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 280 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। पूर्ण कर लिए गए कार्यों के लिए 17.1 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। प्रगति मैदान में और उसके आसपास एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर विकास योजना के तहत, 75% काम पूरा हो गया है। शास्त्री पार्क और सीलमपुर में फ्लाईओवर दिनांक 19.10.2020 तक पूरे हो गए थे और इन्हें दिनांक 25.10.2020 को जनता के लिए खोल दिया गया था।

6.21 नई पहल और उपलब्धियां

- दिल्ली में उद्योगों की प्रगति के लिए दिल्ली सरकार ने कई पहल की हैं। उद्योग विभाग द्वारा नांगली–सकरावती औद्योगिक क्लस्टर को पुनर्विकास के लिए अधिसूचित किया गया था। उद्योग विभाग/दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) द्वारा लीज़ होल्ड आधार पर आवंटित औद्योगिक संपत्तियों से संबंधित किसी भी मामले में विलंबित भुगतान पर ब्याज दर 18% से घटाकर 10% कर दी गई थी। मास्टर प्लान में संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा घरेलू श्रेणी के उद्योगों के तहत उद्योगों/श्रम विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की आवश्यकता को हटा दिया गया था और मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में कई सेवाओं से संबंधित गतिविधियों को करने की अनुमति दी गई थी।

- "व्यापार करने में आसानी (ईओडीबी)" के तहत संपत्ति के पंजीकरण और संबंधित जानकारी के लिए एक एकीकृत वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इस पोर्टल का उद्देश्य दिल्ली में पंजीकृत संपत्ति के संबंध में सभी संबंधित जानकारी अर्थात संपत्ति की आईडी, पता, मालिक का विवरण, बिजली के बिल, पानी के बिल, संपत्ति कर आदि तथा संपत्ति पर किन्हीं अन्य देयताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। बिज़नेस रिफार्म एक्शन प्लान (बी.आर.ए.पी.) में, दिल्ली ने अपनी रैंकिंग को पिछले वर्ष 23 की तुलना में सुधार कर इस वर्ष 12 किया है।

6.22 पर्यावरण

- शहर के पर्यावरण में सुधार करने और प्रदूषण को रोकने के लिए, कई कार्रवाई की गई हैं, जिनमें वायु प्रदूषण की सतत निगरानी, व्यापक कार्रवाई योजना (सीएपी) का कार्यान्वयन, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी), एंटी–स्मॉग गन लगाना, खुले में सामान जलाने से रोकना, मानदंडों से अधिक उत्सर्जन करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करना, धूल के उड़ने में कमी लाने के लिए स्थानीय शहरी निकायों द्वारा मैकेनिकल रोड स्वीपर और वॉटर स्प्रिंकलर्स लगाया जाना, धूल उड़ने से रोकने के लिए सड़क के किनारों को हरा–भरा बनाना और फुटपाथ बनाना, वाहन उत्सर्जन को नियंत्रित करना तथा यातायात की भीड़ को कम करना आदि शामिल हैं।

दिल्ली पुलिस

6.23 दिल्ली पुलिस की कुल स्वीकृत नफरी 94,349 कार्मिकों की है और इसके प्रमुख पुलिस आयुक्त होते हैं, जिनकी सहायता 10 विशेष पुलिस आयुक्त, 20 संयुक्त

पुलिस आयुक्त, 20 अपर पुलिस आयुक्त और 108 पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त करते हैं। दिल्ली पुलिस को 06 रेंज, 15 जिलों और 209 पुलिस स्टेशनों (पीएस) में विभाजित किया गया है। इसके अलावा, यातायात प्रबंधन, आसूचना जुटाने और आतंकवाद से निपटने, वीआईपी सुरक्षा, सशस्त्र रिजर्व और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जैसी अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए विशेष इकाइयां भी मौजूद हैं।

6.24 दिल्ली पुलिस शहर में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के अपने अधिदेश के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसके प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ–साथ अति संवेदनशील समूहों जैसे महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और पूर्वोत्तर (एन ई) क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके स्मार्ट पुलिस व्यवस्था, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, जन हितैषी, जवाबदेह और पारदर्शी पुलिस व्यवस्था, आतंकवाद–रोधी उपाय, यातायात विनियमन और सड़क सुरक्षा शामिल हैं।

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति/अपराध के लिए जिम्मेदार कारक

6.25 दिल्ली में अपराध पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण कारकों में अन्य बातों के साथ–साथ, इसकी जनसंख्या का आकार और विषम प्रकृति, आय में असमानता/बेरोजगारी/कम रोजगार, उपभोक्तावाद/भौतिकवाद, सामाजिक–आर्थिक असंतुलन, अनियोजित शहरीकरण, जनसंचार माध्यमों का प्रभाव, सीमा पार से तथा विस्तारित एनसीआर क्षेत्र के भीतरी इलाकों से आपराधिक तत्वों की आसानी से पहुंच/भागने के साधन शामिल हैं। वर्ष 2020 में (दिनांक 31.12.2020 तक), पिछले वर्ष की समान अवधि में 3,01,085 की तुलना में 2,50,324 आईपीसी मामले दर्ज किए गए हैं। पूर्वोत्तर दिल्ली के दंगों में, दिल्ली पुलिस द्वारा दंगों के लगभग 755 मामले दर्ज किए गए हैं, अपराध शाखा में विशेष जांच दल (एसआईटी) की तीन टीमों का गठन किया गया है और गंभीर प्रकृति के 62 मामलों को एसआईटी को हस्तांतरित किया गया है।

अपराध को नियंत्रित करने की रणनीति

6.26 अपराध को नियंत्रित करने के लिए अपनाई गई रणनीतियों में, अन्य बातों के साथ–साथ, घटना की अधिक संभावना वाले स्थानों का अपराध मानचित्रण और चिह्नित किया जाना, चिह्नित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए डायनेमिक तैनाती, सक्रिय अपराधियों को चिह्नित किया जाना, कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करना, सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी में वृद्धि, जिला पुलिस उपायुक्तों/अपर पुलिस उपायुक्तों द्वारा सामूहिक गश्त, स्थानीय पुलिस, पीसीआर स्टाफ और ट्रैफिक पुलिस द्वारा एकीकृत गश्त; दो पहिया वाहनों की नियमित जाँच; मौके पर त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया के लिए 'रफ़्तार' मोटरसाइकिलों की तैनाती; सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के खिलाफ कार्रवाई; संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई; जन संपर्क और अन्य समुदाय आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिक–केंद्रित पुलिस व्यवस्था और दिल्ली में आग्नेय अस्त्रों के आपूर्ति मार्गों को खत्म करना शामिल है। 112 नंबर पर प्राप्त पीसीआर कॉल, जो अपराध की घटनाओं का वास्तविक संकेतक है, में काफी गिरावट देखी गई है और कोविड–19 से पहले की अवधि के दौरान लगभग 3,500 प्रति माह की तुलना में जून और जुलाई 2020 में यह 2,000 से कम हो गई। अपराध को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय और वैज्ञानिक रणनीति के परिणामस्वरूप जघन्य अपराधों में भारी गिरावट आई है। कुल आईपीसी अपराधों के प्रतिशत के रूप में कुल जघन्य अपराधों में कमी आई है तथा यह वर्ष 2015 में 5.85% से घटकर 2016 में 3.93%, 2017 में 2.79%, 2018 में 2.27%, 2019 में 1.72% और 2020 (31 दिसम्बर तक) में 2.16% हो गया। वर्ष 2020 (दिनांक 31.12.2020 तक) के दौरान कुल जघन्य अपराधों में मुख्य शीर्षों जैसे डकैती में 40%, हत्या में 9.40%, फिरौती के लिए अपहरण में 26.67% और बलात्कार में 21.63% की कमी आई। सेंधमारी की घटनाओं में भी कमी आई है।

महिलाएं

6.27 महिलाओं हेतु भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए, दिल्ली पुलिस ने सभी पुलिस स्टेशनों (पीएस) में केवल इनकमिंग कॉल सुविधा वाली समर्पित फोन लाइनों के साथ 24x7 महिला हेल्प–डेस्क स्थापित किए हैं; क्यूआर कोड स्कैनिंग के साथ, द्विभाषी और उपयोगकर्ताओं के

अनुकूल ऐप 'हिम्मत प्लस ऐप' लॉन्च किया है और एंटी–स्टॉकिंग हेल्पलाइन 1091 शुरू की है। वर्ष 2020 में, महिलाओं के प्रति अपराध के आंकड़े बलात्कार से संबंधित मामलों में 21.63%, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामलों में 25.16% और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के मामलों में 12.32% की कमी दर्शाते हैं। बलात्कार के लगभग 98.23% मामलों में, अभियुक्त पीड़ित के जानकार थे। अजनबी व्यक्ति केवल 1.77% मामलों में शामिल थे। प्रत्येक जिले द्वारा व्यवस्थित तरीके और मेहनत से कार्य किए जाने तथा यौन उत्पीड़न के मामलों में कथित आरोपी की गिरफ्तारी पर बल दिए जाने के कारण वर्ष 2020 (31 दिसम्बर तक) में बलात्कार के 96.41% मामले, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के 90.03% मामले और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के 84.79% मामले सुलझाए गए। जिला पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, जो अक्सर महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में शुरुआती कारक का काम करता है, के खिलाफ भी ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करती है और वर्ष 2020 (31 दिसम्बर तक) में 44,905 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

बच्चे

6.28 अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस द्वारा बच्चों के लापता होने के पीछे के कारणों का विश्लेषण कराए जाने से यह पता चला कि अधिकतर मामलों में, घर में माता–पिता द्वारा डांटे जाने, शैक्षणिक दबाव के कारण, अपना रास्ता भटक जाने, किसी के साथ भाग जाने आदि जैसे कारणों से बच्चे लापता हो जाते हैं। अपराध शाखा और जिला पुलिस ने आश्रय गृहों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैण्डों आदि से लापता बच्चों का पता लगाने के अपने प्रयासों को जारी रखा है। दिल्ली पुलिस द्वारा एक प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अब तक कुल 6,038 बच्चों का पता लगाया गया है और उन्हें उनके परिवार से मिलाया गया है। बाहरी उत्तरी जिले की एक महिला हेड कांस्टेबल, सीमा ढाका को एक साल के भीतर 14 साल से कम उम्र के 100 से अधिक बच्चों का पता लगाने के उनके प्रयासों के लिए बिना बारी के पदोन्नति प्रदान की गई है। अपराध शाखा ने इस बात का पता लगाने के लिए निरंतर प्रयास किए कि क्या कोई संगठित गिरोह बच्चों के अपहरण में शामिल है, तथापि, शहर में ऐसा कोई गिरोह सक्रिय नहीं पाया गया।

वरिष्ठ नागरिक

6.29 वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, बीट अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों से नियमित रूप से संपर्क करते हैं/उनसे जाकर मिलते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के घरों की सुरक्षा जांच भी की जा रही है। दिनांक 31.12.2020 तक, 37,289 सुरक्षा जांच की गई, 4,53,534 वरिष्ठ नागरिकों के घरों के दौरे किए गए और 6,07,471 वरिष्ठ नागरिकों से दूरभाष द्वारा संपर्क स्थापित किया गया। वर्ष 2020 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 2,917 वरिष्ठ नागरिकों का नया नामांकन किया गया। वर्ष 2020 (दिनांक 31.12.2020 तक) में दर्ज कुल आईपीसी मामलों की संख्या 63 है, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2019 में यह संख्या 71 थी।

पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा

6.30 दिल्ली में रहने वाले पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा एक और प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है। विशेष रूप से नामोद्दिष्ट अधिकारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त/महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष पुलिस यूनिट (एसपीयूडब्ल्यूएसी) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष पुलिस यूनिट (एसपीयूएनईआर) ने पूर्वोत्तर के लोगों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित कीं ताकि उनके मन में उनकी सलामती तथा सुरक्षा की भावना उत्पन्न की जा सके। हेल्पलाइन नंबर 1093 पर प्राप्त कॉल और संयुक्त पुलिस आयुक्त/महिलाओं तथा बच्चों हेतु विशेष पुलिस यूनिट (एसपीयूडब्ल्यूएसी) और पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष पुलिस यूनिट (एसपीयूएनईआर) द्वारा रख–रखाव किए जाने वाले "दिल्ली पुलिस फॉर नार्थ ईस्ट फॉल्क" नामक फेसबुक पेज ने एक मजबूत प्रतिक्रिया (फीडबैक) तंत्र उपलब्ध कराया है।

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था संबंधी पहल

6.31 दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई सामुदायिक पुलिस व्यवस्था संबंधी पहल में अड़ोस–पड़ोस में निगरानी स्कीम, व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों तथा

अपराध के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को शामिल करते हुए 'आंख और कान स्कीम', अपराध की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में सिविल सोसाइटी को शामिल करते हुए 'पुलिस मित्र', जन भागीदारी के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करते हुए 'निगेहबान', वरिष्ठ नागरिकों द्वारा क्षेत्र के बीट अधिकारी के साथ संपर्क के लिए 'वरिष्ठ नागरिक ऐप', लड़कियों/महिलाओं के लिए आत्मरक्षा के प्रशिक्षण हेतु 'सशक्ति', बच्चों के निजी और सार्वजनिक स्थलों को संरक्षित और सुरक्षित बनाने के लिए मासूम बच्चों को आवाज उठाने और अपराध की घटनाओं की जानकारी देने के संबंध में शिक्षित करके उनके मन में विश्वास पैदा करने हेतु एक नई पहल 'नाजुक', स्कूल/कॉलेज जाने वाले आयु वर्ग के पीड़ितों द्वारा अपराधों को रिपोर्ट किया जाना सुनिश्चित करने के लिए 'निर्भीक', लापता बच्चों का पता लगाने के लिए प्रयोग किए जा सकने हेतु असुरक्षित क्षेत्रों में बच्चों के फोटोग्राफों के डाटाबेस के रख–रखाव के लिए 'पहचान', नागरिकों को कतिपय निर्धारित यातायात उल्लंघनों की सूचना देने का अधिकार प्रदान करने हेतु 'ट्रैफिक सेंटिनल स्कीम', युवाओं तथा सुविधाओं से वंचित बच्चों की ऊर्जा को दिशा प्रदान करने के लिए खेलकूद गतिविधियां, पेंटिंग कार्यशालाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि आयोजित करने के लिए 'युवा स्कीम', स्कूली बच्चों तक पहुँच बनाने तथा पुलिस का मैत्रीपूर्ण चेहरा दिखाने के लिए सामुदायिक पहुंच कार्यक्रम के तहत एक अनूठी पहल 'पुलिस अंकल', अपराध की रोकथाम के लिए गार्डों और चौकीदारों को शामिल करते हुए 'प्रहरी स्कीम', शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए व्यस्त क्षेत्रों में सादे पोशाक में महिला अधिकारियों की तैनाती हेतु 'शिष्टाचार' तथा स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा शिक्षा और ऑनलाइन होने के दौरान साइबर अपराध से सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में जागरूक करने के लिए 'स्कूल चलो पहल' शामिल हैं।

मामलों की जांच और उनका पता लगाने से संबंधित उपलब्धियां

6.32 मामलों का पता लगाना मुख्य रूप से वैज्ञानिक जांच, व्यवस्थित पूछताछ और आपराधिक आसूचना के सतत विश्लेषण का कार्य है। सीसीटीवी के इस्तेमाल से दिल्ली पुलिस को कई मामलों को सुलझाने में मदद मिली है। जिलों और विशेष यूनिटों के सतत प्रयासों और पेशेवर जांच के चलते वर्ष 2019 में 93.11% की तुलना में वर्ष 2020 में दिनांक 31.12.2020 तक 88.45% जघन्य मामलों को सुलझाया गया। वर्ष 2020 (दिनांक 31.12.2020 तक) के दौरान हत्या के 89.62% मामले, लूटपाट के 92.91% मामले और झपटमारी के 60.21% मामले सुलझाए गए।

6.33 मोटर वाहनों (एमवी) की संख्या में बेतहाशा वृद्धि, अपर्याप्त पार्किंग की जगह और वाहन मालिकों द्वारा सुरक्षा डिवाइसों को लगाने की अनिच्छा दिल्ली में मोटर वाहनों की चोरी के मुख्य कारण हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा विज्ञापनों के माध्यम से वाहन मालिकों को वाहन–चोरी–रोधी डिवाइसें लगाने के लिए जागरूक बनाया गया है। वर्ष 2019 में 46,215 मामलों की तुलना में वर्ष 2020 (दिनांक 31.12.2020 तक) के दौरान 35,019 मोटर वाहन चोरी के मामले सूचित किए गए। चोरी किए गए वाहनों में 25,153 (71.83%) दुपहिया वाहन, 7,157 (20.4%) कारें और 2,709 (7.74%) अन्य वाहन थे। 4,183 (11.94%) चोरी किए गए वाहनों को बरामद किया गया और 5,211 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया।

अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई

6.34 बिहार में मुंगेर, मध्य प्रदेश (एमपी) में धार और खरगौन तथा उत्तर प्रदेश (यूपी) के विभिन्न जिलों से अवैध हथियारों की आपूर्ति के मुद्दे को अंतर–राज्यीय समन्वय बैठकों में संबंधित राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ उठाया गया, ताकि संबंधित स्थानीय पुलिस को अवैध आग्नेयास्त्रों के निर्माण और दिल्ली में उनकी आपूर्ति में संलिप्त लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निदेश दिया जाए। दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 2020 (दिनांक 31.12.2020 तक) के दौरान 2,735 अवैध आग्नेयास्त्र बरामद किए गए हैं। अवैध आग्नेयास्त्रों की आपूर्ति को रोकने के लिए, लाइसेंसशुदा आग्नेयास्त्र डीलरों के रिकार्ड की भी जांच की जा रही है। अवैध आग्नेयास्त्रों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई के

परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के दौरान सूचित किए गए मामलों की तुलना में ऐसे मामलों में कमी आई है, जिनमें आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल अपराध के लिए किया गया है।

जाली करेंसी

6.35 दिल्ली पुलिस ने जाली भारतीय करेंसी के विरूद्ध एक अभियान शुरू किया है तथा इस अभियान में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), सीमा शुल्क विभाग और आसूचना ब्यूरो जैसी संबंधित एजेंसियों को शामिल किया है। वर्ष 2020 (दिनांक 31.12.2020 तक) के दौरान, 1,39,56,610 रुपये मूल्य की जाली भारतीय करेंसी बरामद की गई तथा 32 मामले दर्ज किए गए।

अंतर–राज्यीय समन्वय

6.36 दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2019 में पांच तथा वर्ष 2020 में दो अंतर–राज्यीय समन्वय बैठकें आयोजित कीं, जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर तथा बिहार और झारखंड के भी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगठित अपराध, हथियारों की अवैध तस्करी, जाली भारतीय करेंसी नोट (एफआईसीएन), यातायात, आसूचना साझा करने, आतंक और ऑनलाइन धोखाधड़ी आदि से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया और अनुवर्ती कार्रवाई की गई। इसके अलावा, जिला पुलिस उपायुक्तों ने भी पड़ोसी राज्यों के अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ नियमित समन्वय बैठकें कीं।

प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल पहल

6.37 वर्ष 2020 के दौरान अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अथक प्रयास करने के साथ–साथ सुरक्षा बल के आधुनिकीकरण पर अत्यधिक बल दिया गया। दिल्ली पुलिस ने अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणाली (सीसीटीएनएस) के माध्यम से न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को मामलों से संबंधित फाइलें डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने की शुरुआत की है। एफआईआर डिजिटल रूप में रिकार्ड की जा रही हैं तथा कई पुलिस रिकार्ड सीसीटीएनएस पर रखे जा रहे हैं। हाल ही में, मैनुअल तरीके से दैनिक डायरी के रख–रखाव को बंद कर दिया गया है तथा इसे सीसीटीएनएस पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इन प्रौद्योगिकीय पहल को देखते हुए पुलिस स्टेशनों में और कंप्यूटर टर्मिनल लगाए जा रहे हैं।

6.38 "ई–बीट बुक" भी शुरू की गई है, जो जमीनी स्तर पर सूचना को साझा करने के लिए दिल्ली पुलिस के फील्ड पदाधिकारियों के लिए एकल संपर्क बिन्दु (सिंगल कॉन्टैक्ट प्वाइंट) साबित होगी। 'बीट' पुलिस कार्यकरण की एक बेसिक यूनिट है तथा यह जनता और पुलिस के बीच का एक इंटरफेस है। अपराध, अपराधियों, महत्वपूर्ण संस्थापनाओं, महत्वपूर्ण स्थानों, धार्मिक स्थलों आदि से संबंधित सभी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा पंजाब पुलिस नियम (पीपीआर) के अनुसार इसे एक बीट बुक में संकलित किया जाता है। डेटा संग्रह, विश्लेषण और उसे पुनः प्राप्त (रिट्रीव) करने की प्रक्रियाओं को गति प्रदान करने के लिए "ई–बीट बुक" एक डिजिटल समाधान है। यह सीसीटीएनएस के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों के सत्यापन की प्रक्रिया की भी सुविधा प्रदान करती है। ई–बीट बुक (ई–साथी) की अभिकल्पना बीट अधिकारी के कार्यकरण और सेवा प्रदायगी चैनल में सुधार करने हेतु की गई है तथा इसमें अपने पुलिस स्टेशन को जानें, अपनी समस्या साझा करें, किराएदार तथा नौकर के सत्यापन, वरिष्ठ नागरिक कॉर्नर, सुरक्षा टिप्स, हमसे संपर्क करें तथा बीट स्टॉफ की गतिविधियों से संबंधित सुविधाएं शामिल हैं।

6.39 एक कारगर लोक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने के लिए, शिकायतों पर शीघ्रता से कार्रवाई करने तथा शिकायतकर्ता को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु एक व्यापक एकीकृत शिकायत मॉनीटरिंग प्रणाली (आईसीएमएस) शुरू की गई है।

6.40 दिल्ली पुलिस द्वारा पहले से ही शुरू की गई डिजिटल पहल, नामतः ई–एमवी थेफ्ट, प्रॉपर्टी थेफ्ट ऐप, लॉस्ट रिपोर्ट ऐप, हिम्मत प्लस ऐप, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट ऐप, ऑनलाइन चरित्र सत्यापन रिपोर्ट (सीवीआर), सीनियर सिटिजन ऐप, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मोबाइल ऐप, ऑनलाइन साइबर सुरक्षा वेबसाइट, तत्पर – वन टच ऐप को जारी रखा गया तथा निवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इनमें और सुधार किया गया। साइबर सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में नागरिकों के

साथ एहतियाती सम्प्रेषण करने तथा पीड़ितों के लिए एक जवाबदेह साइबर अपराध रिपोर्टिंग तंत्र की व्यवस्था करने के लिए ऑनलाइन साइबर सुरक्षा वेबसाइट शुरू की गई है। 'ऑनलाइन ई–हथियार लाइसेंसिंग प्रणाली', 'आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएसएस–112)', जो आपातकालीन सेवाओं अर्थात पुलिस, अग्निशमन और एम्बुलेंस के लिए एकल आपातकालीन नम्बर है और 'प्रखर', जो शहर में अधिक अपराध वाले स्थानों पर गश्त हेतु स्ट्रीट क्राइम पैट्रोल वैन है, दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई नई स्कीमें हैं।

सोशल मीडिया तथा अवधारणा प्रबंधन

6.41 सम्पूर्ण लॉकडाउन अवधि के दौरान, दिल्ली पुलिस के मानवीय प्रयासों की मीडिया द्वारा सराहना की गई। लोगों तक पहुंचने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों, विशेष रूप से ट्विटर पर पुलिस बल की उपलब्धता को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान अपने कार्मिकों द्वारा किए गए मानवीय प्रयासों को उजागर करने के लिए "दिल की पुलिस" नामक एक सद्भावना अभियान शुरू किया। दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया रणनीति में तीन अलग–अलग उद्देश्यों हेतु विशेषज्ञों (विभागीय और संविदात्मक) की सेवाएं लेना शामिल हैं, जिसमें साइबर प्रिवेंशन अवेयरनेस एंड डिटेक्शन (सीवाईपीएडी) साइबर–अपराध, फर्जी समाचारों तथा गैर–कानूनी गतिविधियों से संबंधित सामग्रियों का विश्लेषण करता है और उनका पता लगाकर उनका समाधान करने से संबंधित कार्य करता है; दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा का 'साइबर पीएमयू' गलत अवधारणा पैदा करने वाली सामग्री का विश्लेषण करता है और स्टेकहोल्डरों द्वारा इसके लिए उत्तरवर्ती सुधारात्मक और प्रत्याशित उपायों का सुझाव देता है तथा 'साइबर 112' शिकायतों के मामले में नागरिकों की प्रतिक्रिया और जनता द्वारा साझा की गई जानकारी को प्राप्त करता है।

6.42 पुलिस के प्रति लोक अवधारणा में सुधार करने के लिए, दिल्ली पुलिस ने पुलिस स्टेशनों में जन सुविधा अधिकारियों (पीएफओ) को तैनात किया है। ये जन सुविधा अधिकारी विशेष रूप से डिजाइन की गई सिविलियन पोशाक में होते हैं, ताकि वर्दी का खौफ जन सुविधा में कोई बाधा न बने। पार्कों, तंग गलियों तथा सहायक गलियों, को–ऑपरेटिव सोसाइटियों आदि में गश्त के लिए 'ग्रीन' पहल के रूप में, दिल्ली पुलिस ने अपनी मौजूदा मोटर साइकिल तथा पीसीआर गश्तों में कमी को पूरा करने के लिए साइकिल गश्त शुरू की है। दिल्ली पुलिस तथा एनडीएमसी के संयुक्त प्रयास "फेसिलिटेशन कियॉस्क (सुविधा सेवा)" को कार्यशील बनाया गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा मालखाना के आधुनिकीकरण तथा डिजिटलीकरण की एक पॉयलट परियोजना शुरू की गई थी, जिसमें दक्षिण–पूर्वी जिले ने सभी पुलिस स्टेशनों (पीएस) में मामला संपत्तियों के डिजिटलीकरण का कार्य पूरा कर लिया है और यह "देश का पहला डिटिजल मालखाना जिला" बन गया है। इस परियोजना को अन्य जिलों द्वारा भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

दिल्ली यातायात पुलिस

6.43 सड़क पर यातायात के सुचारू प्रवाह हेतु तथा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान शुरू की गई पहल में, अन्य बातों के साथ–साथ, 100 गैंट्री/कंटीलीवर माउंटेड ऑटोमैटिक ओवर स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन (ओएसवीडी) कैमरों तथा 24 चौराहों पर रेड लाइट वॉयलेशन डिटेक्शन (आरएलवीडी) कैमरों, 110 ट्राइपोड माउंटेड पोर्टेबल स्पीड रडार गनों की खरीद और संस्थापना तथा ई–चालान प्रणाली शामिल हैं। इसके अलावा, यातायात के उल्लंघन के संबंध में मोटर वाहनों के पंजीकृत मालिकों को एसएमएस के माध्यम से नोटिस जारी किए जाते हैं और नोटिसों के लिए वर्चुअल न्यायालयों की स्थापना की गई है। 'डिजीलॉकर' और 'परिवहन ऐप' से डिजिटल दस्तावेजों की स्वीकार्यता को कार्यान्वित किया गया है तथा नए यातायात सिग्नलों एवं ब्लिंकरों की संस्थापना की गई है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) नामक परियोजना को टर्नकी आधार पर शुरू करने के लिए सी–डेक के नियोजन हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

पुलिस प्रशिक्षण

6.44 दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षण विंग में एक प्रशिक्षण कॉलेज, 03 प्रशिक्षण स्कूल, एक विशेष प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) और एक स्मार्ट पुलिस व्यवस्था अकादमी (एएसपी) शामिल हैं। अभनपुरा, अलवर, राजस्थान में एक लांग रेंज वेपन फायरिंग रेंज विकसित की गई है। प्रशिक्षण विंग विभिन्न राज्यों और अन्य एजेंसियों के कार्मिकों को नियमित रूप से बेसिक/पदोन्नति/ विशेष पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल (पीटीएस) द्वारका में केवल महिला प्रशिक्षार्थियों हेतु 250 की क्षमता को शामिल करते हुए इसके सभी छह केंद्रों की मौजूदा प्रशिक्षण क्षमता लगभग 6,000 है। इस अवधि के दौरान, 158 सेवाकालीन/विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 4,341 पुलिस कार्मिकों ने भाग लिया। उपर्युक्त के अलावा, 1,423 प्रशिक्षार्थियों के लिए बेसिक/इंडक्शन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए तथा 1,104 पुलिस कार्मिकों के लिए पदोन्नति पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। पीटीएस–द्वारका में साइबर प्रशिक्षण प्रभाग ने साइबर फॉरेंसिक तथा अन्वेषण पर 05 पाठ्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 133 अधिकारियों ने भाग लिया तथा बैंक धोखाधड़ी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) विश्लेषण और अन्वेषण पर 05 पाठ्यक्रमों में 131 अधिकारियों ने भाग लिया। 'स्मार्ट पुलिस व्यवस्था अकादमी' चाणक्यपुरी में स्थित है, जो दिल्ली पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों हेतु अल्पकालिक पाठ्यक्रम/ कार्यशालाएं आयोजित करती है तथा इसने 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 311 अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा, एसटीसी में थाना प्रभारियों (एसएचओ) तथा निरीक्षकों के लिए एक विशेष सॉफ्ट स्किल कार्यक्रम आयोजित किया गया। योग को सभी बेसिक तथा पदोन्नति पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षार्थियों के लिए आउटडोर प्रशिक्षण का एक अनिवार्य भाग बनाया गया है।

6.45 डिजिटल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल प्रदान करने के लिए पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, द्वारका में ''निपुण ईईएलएम (ई–लर्निंग प्रबंधन प्रणाली)'' शुरू की गई है, जिससे दिल्ली पुलिस के कार्मिकों द्वारा अपने ही स्थान पर कभी भी/कहीं भी पुलिस से संबंधित जानकारी और ज्ञान के दोतरफा आदान–प्रदान में सहयोग प्रदान करके ज्ञान और जानकारी प्राप्त करना करना संभव हुआ है। दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के ऑनलाइन अध्ययन हेतु इस वेब पोर्टल पर वीडियो/ऑडियो व्याख्यानों सहित कुल 39 पाठ्यक्रम अपलोड किए गए हैं और अब तक दिल्ली पुलिस के कुल 35,633 कार्मिकों को निपुण वेब पोर्टल में नामांकित/पंजीकृत किया गया है।

कल्याण

6.46 दिल्ली पुलिस कल्याण सोसाइटी दिनांक 01.04.1990 से कार्य कर रही है और यह एक प्रबंध समिति द्वारा प्रशासित है। मल्टी–टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) सहित सभी रैंकों के पुलिस कार्मिकों के वेतन से अंशदान के रूप में 200 रूपये प्रति माह (100 रूपये नॉन–रिफंडेबल सहित) की राशि काटी जाती है। दिल्ली पुलिस कल्याण सोसाइटी द्वारा दिल्ली पुलिस के कार्मिकों तथा उनके परिवारों के लिए विभिन्न कल्याण स्कीमें कार्यान्वित की जाती हैं। दिल्ली पुलिस की अन्य कल्याण स्कीमों में ''दिल्ली पुलिस सुविधा कोष'' तथा "विपत्ति सहायता कोष" शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस कल्याण स्कीम तथा दिल्ली पुलिस शहीद निधि में मिला दिया गया है।

भूमि और भवन

6.47 वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक) के दौरान, मंडोली में 360 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। पुलिस कॉलोनी, लोधी कॉलोनी के पुनर्विकास के लिए 3.3434 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए भूमि और विकास अधिकारी से दिनांक 01.09.2020 का आवंटन पत्र प्राप्त हुआ है और वसंत कुंज (दक्षिण), अमन विहार तथा राज पार्क में पुलिस स्टेशनों (पीएस) के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से 03 भूखंडों का कब्जा ले लिया गया है। 04 परियोजनाओं अर्थात पुलिस चौकी संजय गांधी नगर, रोहिणी सेक्टर 21 और 23 में पुलिस चौकी, सावदा घेवरा में पुलिस चौकी और रामपुर गोल्डन

पार्क में पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

कोविड–19 और पुलिस व्यवस्था

6.48 दिल्ली पुलिस ने लोक स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं, विशेष रूप से बुजुर्गों और कमजोर व्यक्तियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें सामाजिक दूरी संबंधी मानदंड, मास्क पहनना आदि शामिल हैं। पुलिस कार्मिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, कोविड–19 के प्रकोप के कारण दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के दैनिक स्वास्थ्य की निगरानी हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की गई और आयुष किटें, मास्क, दस्ताने तथा सैनिटाइजर वितरित किए गए।

6.49 प्रभावशीलता से समझौता किए बिना कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन हेतु, दिल्ली पुलिस द्वारा उपयुक्त प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, पारंपरिक संचार को डिजिटल संचार से प्रतिस्थापित करना शामिल है, जिसके तहत गवाहों और शिकायतकर्ताओं से पूछताछ अक्सर वर्चुअल माध्यमों से की जा रही है, यहां तक कि कुछ पुलिस अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ में शामिल होते हैं। इसके परिणामस्वरूप पुलिस अधिकारियों के पास और पुलिस स्टेशनों (पीएस) में बहुत ही कम शिकायतकर्ता जाते हैं और बाकी लोग ऑनलाइन सुविधा का प्रयोग करते हैं। ज्यादा से ज्यादा काम डिजिटल माध्यम से किए जाने की वजह से, साइबर–अपराध एक चुनौती बन सकता है, तथापि इस चुनौती से भी निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बजट

6.50 पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान वित्तीय आवंटन और व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

लेखा–शीर्ष	अंतिम आवंटन 2019–20	वास्तविक व्यय 2019–20	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान 2020–21	दिनांक 31.12.2020 तक व्यय
निर्देशन और प्रशासन	8413.72	8403.98	8215.04	7893.06	5876.07
दिल्ली पुलिस की स्कीमें	413.50	413.09	393.54	263.50	77.59
महिलाओं की सुरक्षा हेतु स्कीमें (निर्भया निधि से वित्तपोषित)	11.91	11.78	11.23	8.53	3.14

6.51 **वर्ष 2020–21 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां**

- साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों के आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के सहयोग से एक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई और इसे राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर लाइव किया गया।
- साइबर प्रेवेन्शन अवेयरनेस डिटेक्शन (सीवाईपीएडी) – नेशलन साइबर फॉरेंसिक लैबोरेट्री (एनसीएफएल) के भाग के रूप में, नई साइबर फॉरेंसिक अवसंरचना की स्थापना की गई।
- दिल्ली पुलिस के 181 पुलिस स्टेशनों (पीएस) और 53 पुलिस चौकियों में से प्रत्येक में 10 सीसीटीवी कैमरों की आपूर्ति, संस्थापना और उन्हें चालू करना।

- दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से खरीदे गए नरेला स्थित 501 एमआईजी फ्लैटों में से, 92 एमआईजी फ्लैटों का कब्जा डीडीए द्वारा दे दिया गया है और उम्मीद है कि डीडीए द्वारा शेष फ्लैटों का कब्जा चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक दे दिया जाएगा।
- जांच अधिकारियों (आईओ) के जांच कौशल में सुधार करने के लिए एसटीसी राजेंद्र नगर द्वारा पॉक्सो, मिसिंग और किडनैपिंग, जघन्य अपराध के मामलों की जांच तथा जेंडर सेंसिटाइजेशन आदि से संबंधित अल्प अवधि के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
- पीटीसी झड़ौदा कलां में शार्ट फायरिंग रेंज का उन्नयन किया गया।
- वर्ष 2020 में, 05 पुलिस कार्मिकों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक, 33 पुलिस कार्मिकों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, 28 पुलिस कार्मिकों को वीरता के लिए पुलिस पदक, 02 पुलिस कार्मिकों को जीवन रक्षा पदक और 06 पुलिस कार्मिकों को पुलिस जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक प्रदान किए गए।
- वर्ष 2020 में, मृतक पुलिस कार्मिकों के 223 बच्चों/पत्नियों को अनुकंपा के आधार पर दिल्ली पुलिस में नियुक्त किया गया है।
- दिनांक 02.10.2020 को गांधी जयंती के अवसर पर विशेष साफ–सफाई अभियान शुरू किया गया और इसमें दिल्ली पुलिस के सभी रैंक के कार्मिकों ने भाग लिया। कार्यालयों, पुलिस स्टेशनों (पीएस) और आसपास के क्षेत्रों की सफाई की गई।

दादरा और नागर हवेली तथा दमण एवं दीव

6.52 दादरा और नागर हवेली तथा दमण एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्रों का विलय) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्या 44) दिनांक 09.12.2020 की अधिसूचना संख्या 68 के माध्यम से, भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित किया गया। इसके अलावा, दिनांक 19.12.2019 की अधिसूचना संख्या यू–11011/2/2019– यूटीएल (का.आ. 4542 (अ) और का.आ. 4543 (अ)) के माध्यम से दिनांक 26.01.2020 को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव में आने की तारीख/उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निर्धारित दिन के रूप में नियत किया गया था। दिनांक 24.01.2020 की अधिसूचना के माध्यम से दमण को विलयित दादरा और नागर हवेली तथा दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के मुख्यालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। दादरा और नागर हवेली जिले का कुल क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर, दमण का 72 वर्ग किलोमीटर और दीव का 40 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दादरा और नागर हवेली की कुल जनसंख्या 3,43,709, दमण की जनसंख्या 1,91,173 और दीव की जनसंख्या 52,074 है। यह संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और गुजरात के वलसाड जिले और महाराष्ट्र के पालघर जिले से घिरा हुआ है।

6.53 दादरा और नागर हवेली तथा दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) एक केन्द्र शासित क्षेत्र है और इसे केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार से 100% अनुदान प्राप्त होता है। राजस्व के मामले में, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) का कर संग्रहण 1,640.12 करोड़ रूपये और दिनांक 31.12.2020 तक 628.75 करोड़ रूपये था। वर्ष 2020–21 के लिए संशोधित निधि आवंटन 2,758.63 करोड़ रूपये है, जिसकी तुलना में दिनांक 31.12.2020 तक 1,650.47 करोड़ रुपये (59.83%) का व्यय किया गया है।

अवसंरचना के विकास संबंधी प्रमुख पहल

6.54 संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन द्वारा विकास संबंधी निम्नलिखित प्रमुख पहल की गई हैं:

सड़कों का निर्माण

- 87.8 करोड़ रुपये की लागत से शाहिद चौक से अथल नरोली इन्ट्रैंस गेट के बीच और 47.18 करोड़ रुपये की लागत से पिपरिया से शाहिद चौक, समरवानी के बीच स्टॉर्म वॉटर ड्रेनों के उन्नयन, जनोपयोगी सुविधाओं के प्रबंधन और लैंडस्केपिंग कार्य सहित सड़कों के सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा होने के चरण में हैं।
- नानी दमण में पीडब्ल्यूडी सड़कों को चौड़ा करके दो

लेन से चार लेन का करने, धोलर जंक्शन से बामनपुजा से जम्पोर बीच तक और पतलारा जंक्शन से गुजरात सीमा तक सड़क के दोनों तरफ कर्ब स्टोन वाले रास्ते (वॉकवे) का निर्माण कार्य क्रमशः 30.52 करोड़ रुपये और 8.00 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर है।

- 7.51 करोड़ रुपये की लागत से मोती दमण में अन्य जिला सड़कों के सुधार और उन्हें चौड़ा करने का कार्य प्रगति पर है।

पुलों का निर्माण

- 77.22 करोड़ रुपये की लागत से सिलवासा में राष्ट्रीय राजमार्ग 848ए पर रिंग रोड के तीन प्रमुख आर्म जंक्शनों पर फ्लाई ओवर–ब्रिज तथा 54.72 करोड़ रुपये की लागत से कौंचा में हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 12.22 करोड़ रुपये की लागत से दमण जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 848बी पर पटलिया कॉजवे पर कोलाक नदी पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

भवनों का निर्माण

- संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में छात्रों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 20 नए स्कूल भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें अतिरिक्त क्लासरूम होंगे और वे विज्ञान/कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, मध्याह्न भोजन तथा पीने के पानी हेतु जगह, शौचालयों, स्पोर्ट्स हॉल, आर्ट एवं क्राफ्ट कार्यकलाप कक्ष, प्राथमिक उपचार कक्ष आदि जैसी सुविधाओं से सुसज्जित होंगे।

नए स्कूल भवनों का निर्माण

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

- 47.03 करोड़ रुपये की लागत से वरकुंड, नानी दमण में इंजीनियरिंग कॉलेज भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के चरण में है।

- 9.35 करोड़ रुपये की लागत से कराड, सिलवासा में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का विकास।

- 139.23 करोड़ रुपये की लागत से दादरा और नगर हवेली में मेडिकल कॉलेज तथा संबद्ध भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा इसके दिनांक 20.02.2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। 8.45 करोड़ रुपये की लागत से पैरामेडिकल कॉलेज का निर्माण

कार्य दिनांक 30.03.2021 तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। 10.17 करोड़ रुपये की लागत से दादरा और नगर हवेली में 15 स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

6.55 बिजली / नवीकरणीय ऊर्जा

- 19.274 एमडब्ल्यूपी सोलर रूफ टॉप बिजली को चालू किया गया है। आदर्श ग्राम स्कीम के तहत, दीव जिले में 176 एलईडी आधारित सोलर विंड हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट सिस्टम की संस्थापना का काम पूरा किया गया। उजाला स्कीम के तहत दिसम्बर, 2020 तक 4,36,338 एलईडी बल्ब, 3,32,115 एलईडी ट्यूबलाइटें और 4,920 एनर्जी पंखे वितरित किए गए हैं।
- दीव में 1 मेगावाट की ऊर्जा भंडारण प्रणाली का प्रावधान करने वाली स्कीमें और मौजूदा 3 एमडब्ल्यूपी ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पॉवर में 200 केडब्ल्यूपी की अतिरिक्त क्षमता का प्रावधान करने वाली परियोजना प्रगति पर है और इसके मार्च, 2021 तक पूरा हो जाने की आशा है।

6.56 शहरी विकास

- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत, अब तक 1,876 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाई–यू) के तहत 4,351 घरों का निर्माण किया गया है।

6.57 ग्रामीण विकास

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत, अब तक 21,773 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (पीएमएवाई–जी) के तहत 587 घरों का निर्माण किया गया है।

6.58 शिक्षा

- संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन बेहतर शिक्षा के लिए विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, प्रशासन ने स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों हेतु छात्राओं को फीस की प्रतिपूर्ति और कक्षा I से XII तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण जैसी योग्यता–सह–साधन (मेरिट–कम–मीन्स) से जुड़ी वित्तीय सहायता स्कीमों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की है। कोविड–19 वैश्विक महामारी और शैक्षिक प्रतिष्ठानों के बंद हो जाने के कारण, कक्षा III से XII तक के छात्रों को ई–ज्ञानमित्र मोबाइल ऐप के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की गई। मध्याह्न भोजन योजना के तहत सभी छात्रों को कच्चे राशन की किटें वितरित की गईं। संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यतः सब्सिडी आधारित एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (ईएमआरएस) शुरू किया गया है। दादरा और नगर हवेली जिले के शेल्टी गांव की पहचान 7.3 हेक्टेयर भूमि में ईएमआरएस की स्थापना के लिए की गई है, जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2020–21 के लिए कक्षा VI और VII के 60 छात्रों को दाखिल किया जाएगा।

6.59 स्वास्थ्य

- "प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीआई)" नामक स्कीम के तहत, 1,901 लाभार्थियों को 5,000 रूपये का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया गया। संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) डिकरी विकास स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को बचाना और लैंगिक–अनुपात में सुधार करना है। इस स्कीम के तहत, 414 बालिकाओं के लिए एलआईसी पालिसी का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए लाभार्थी को 41,267 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है।
- संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में कोविड–19 को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े उपाय किए हैं, यथा, लॉकडाउन को कार्यान्वित करना, अस्पतालों को परामर्शी उपाय और यात्रा एडवाइजरी जारी करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा आवश्यक

वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना। समय–समय पर जारी किए गए सभी आदेशों को लागू किया गया। कोरोना के लिए परीक्षण प्रयोगशाला और कोविड–19 रोगियों के चिकित्सा प्रबंधन के लिए तीन स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे कि कोविड देखभाल केन्द्रों, समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्रों और कोविड अस्पतालों की स्थापना की गई, जिनकी कुल बिस्तर क्षमता 845 है।

6.60 पर्यटन

- फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन, डेनमार्क द्वारा दिनांक 11.10.2020 को दीव के घोघला बीच को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त "ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन" के रूप में प्रमाणित किया गया है। यह बीचों पर पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित ईको–लेबल है।

घोघला बीच, दीव

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

6.61 खाद्य और नागरिक आपूर्ति

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) राशन कार्ड धारक की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में सार्वजनिक वितरण स्कीम के एकीकृत प्रबंधन के तहत "एक देश एक राशन कार्ड योजना (ओएनओआरसी)" लागू की गई है, जो राशन कार्ड धारकों को फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) में संस्थापित ई–पीओएस डिवाइस पर आधार का प्रमाणीकरण कराने के बाद अपने गृह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में जारी अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में अपनी पसंद की किसी भी फेयर प्राइस शॉप से अपनी पात्रता का खाद्य अनाज लेने में सक्षम बनाती है। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के कुल 633 राशन कार्ड धारकों ने संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में "एक देश एक राशन कार्ड योजना (ओएनओआरसी)" के माध्यम से एनएफएसए का लाभ उठाया है।

6.62 महिला एवं बाल विकास

- एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के तहत, 28,264 बच्चे और 8,107 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं लाभान्वित हुईं। कोविड–19 के संकट का सामना करने के लिए, सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को "टेक होम राशन" प्रदान किया गया।

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत 26,756 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

6.63 कृषि

- किसानों की सहायता करने के लिए, प्रशासन कृषि संबंधी मशीनरी और उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान कर रहा है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए "परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)" कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत 1,324 किसान पंजीकृत हैं और कुल 642.4 हेक्टेयर भूमि को कवर किया गया है तथा दमण और दीव जिले में 26 जैविक खेती क्लस्टर गठित किए गए हैं। फसलों की अच्छी पैदावार सुनिश्चित करने के लिए आदान सामग्रियों की खरीद हेतु 14,204 किसानों को "प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि" के तहत 6,000/– रूपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता दी गई। "प्रधान मंत्री किसान मान धन" योजना के तहत 281 किसान तथा "किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)" स्कीम के तहत 954 किसान कवर किए गए हैं। बीजों, उर्वरकों और कृषि मशीनरी के वितरण जैसी एकीकृत कृषि विकास स्कीमों के तहत 6785 किसानों को कवर किया गया है।

उपलब्धियां/कार्यक्रम

6.64 माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद के साथ दिनांक 17.02.2020 से 18.02.2020 तक संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव का दौरा किया, जिसके दौरान अलग–अलग सेक्टरों में विभिन्न अवसंरचना विकास परियोजनाओं का उद्घाटन/शुभारंभ किया गया:

- मारवाड़ सरकारी अस्पताल में 300 बिस्तरों वाले अस्पताल का विस्तार, जम्पोर में जेट्टी गार्डन, बर्डहाउस, पंचायत की भीतरी सड़कों का नवीकरण, कोलाक नदी पर नया पुल, "आयुष्मान भारत योजना" के तहत छः स्वास्थ्य वेलनेस केन्द्र, दाभेल खेल ग्राउंड और दमण जिले में जेट्टी से "जम्पोर बीच" तक रास्ता।
- "सूर्योदय आवास योजना" के तहत, 40 लाभार्थियों को आवंटित मकानों की चाबी दी गई।
- दादरा और नगर हवेली जिले में भीलधारी पुल और

दादरा और नगर हवेली जिले में भीलधारी पुल

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

बिजली तथा जल आपूर्ति स्कीम संबंधी विकास कार्यों का उद्घाटन किया।

- दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, "प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)" के तहत कुल 2.06 लाख खाते, "प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेजेवाई)" के तहत 80,616 खाते और "प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)" के तहत 1,35,826 खाते खोले गए हैं।

पुदुचेरी

6.65 पुदुचेरी विधानमंडल वाला संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) है। इसमें चार क्षेत्र नामतः पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यानम शामिल हैं, जो भौगोलिक रूप से एक–दूसरे से पृथक हैं।

अर्थव्यवस्था

6.66 नए आधार वर्ष 2011–12 के आधार पर वर्ष 2020–21 में पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अग्रिम अनुमान 39,541.55 करोड़ रुपये है। यह विगत वर्ष (2019–20) के 38,253.45 करोड़ रुपये (त्वरित अनुमान) के जीएसडीपी अनुमान की तुलना में 3.37% की वृद्धि दर्शाता है।

6.67 वर्ष 2020–21 के लिए पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की प्रति व्यक्ति आय का अग्रिम अनुमान वर्तमान कीमतों पर 2,39,845 रुपये है। यह विगत वर्ष (2019–20) की 2,23,945 रुपये (त्वरित अनुमान) की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 7.10% की वृद्धि दर्शाता है। पुदुचेरी में विभिन्न क्षेत्रों में शुरू की गई प्रमुख विकास परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है:

6.68 कृषि

- पुदुचेरी सरकार ने कराईकल में मिलेट की खेती की सफलता का बड़े पैमाने पर विस्तार करने और मूल्य संवर्धन तथा किसान उत्पादक संगठनों द्वारा विपणन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से "मिलेट मिशन" नामक एक मिशन मोड परियोजना शुरू की है।

- रिमोट एक्सेस के साथ इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों का इस्तेमाल शुरू किया गया है, जिसकी वजह से वजन में विसंगतियों को दूर कर दिया गया है।

- एक वाईफाई–मंडी का निर्माण किया गया, ताकि कम से कम समय में वस्तुओं की ई–बोली लगाई जा सके और नीलामी की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके तथा उसमें पारदर्शिता लाई जा सके।

- दिसम्बर 2020 की स्थिति के अनुसार, 32,000 से अधिक लॉटों का ऑनलाइन कारोबार किया गया, जिससे 33,400 से अधिक किसान लाभान्वित हुए और लगभग 59.28 करोड़ रूपये मूल्य की 67.60 लाख क्विंटल कृषि उपज का कारोबार किया गया है।

बिजली

6.69 पुदुचेरी क्षेत्र में कुल 2.85 मेगा वाट (एमडब्ल्यू) की क्षमता वाले रूफटॉप सोलर फोटो वैद्युत पावर प्लांट संस्थापित किए गए और इन्हें ग्रिड से जोड़ा गया। विद्युत विभाग द्वारा 140.64 मेगावाट विंड पॉवर की खरीद के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई लिमिटेड) के साथ विद्युत बिक्री करार पर हस्ताक्षर किए गए। विभिन्न क्षमताओं वाले 18 नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर चालू किए गए और इनकी क्षमता भी बढ़ाई गई। 32 किमी. एचटी और एलटी लाइनों को चालू किया गया और 7 किमी. एचटी और एलटी लाइनों को सुदृढ़ किया गया।

6.70 "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" नामक स्कीम के तहत, पुदुचेरी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में 06 डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर चालू किए गए।

मत्स्य पालन

6.71 61 दिन के बैन की अवधि के दौरान पुदुचेरी, कराईकल तथा यानम क्षेत्र में 16,396 परिवारों को 901.78 लाख रुपये की बैन राहत सहायता प्रदान की गई। 7,939 वृद्ध मछुआरों को 703.67 लाख रुपये की वृद्धावस्था पेंशन मंजूर की गई।

6.72 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 61 पंजीकृत यांत्रिक बोट ऑपरेटरों द्वारा अपनी बोटों का बीमा कराने हेतु भुगतान किए गए वार्षिक प्रीमियम के लिए 4.01 लाख रुपये की 75% सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की गई।

6.73 भारत सरकार ने सितम्बर, 2020 के दौरान

"मछुआरों के लिए सेविंग–कम–रिलीफ" स्कीम के अंतर्गत 174.12 लाख रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी की है, जिसके तहत वर्ष 2018–2019 के बैकलॉग दावों के निपटान हेतु 5,804 लाभार्थियों को कवर किया गया है।

स्वास्थ्य

6.74 पुदुचेरी की संपूर्ण आबादी को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) के रूप में अपग्रेड किया गया।

6.75 भारत सरकार की एक नई पहल, "राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)" को पुदुचेरी में कार्यान्वित किया गया। कार्यक्रम के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं:

- उपचार सफलता दर वर्ष 2012 में 88% से बढ़कर वर्ष 2018 में 91% हो गई है।
- टीबी डिफाल्टर दर वर्ष 2004 में 18% से घटकर वर्ष 2018 में 3% हो गई।
- वर्ष 2019 में पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के 1,413 टीबी मरीजों को 40 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का भुगतान किया गया।

6.76 "आयुष्मान भारत" के तहत, 121 सुविधाओं में से, 117 सुविधाओं को पूर्णरूपेण स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

6.77 सरकारी सामान्य अस्पताल, कराईकल में 120 बिस्तरों के साथ पृथक कोविड–19 ब्लॉक संचालन में हैं, जो 21 वेंटीलेटरों, मल्टी–पैरामीटर मॉनीटर, एडवांस्ड आईसीयू कॉट्स, आर्टेरिअल ब्लड गैस (एबीजी), इंसीनेरेटर, थर्मल स्कैनरों तथा प्रसूति कक्ष जैसी सुविधाओं से सुसज्जित हैं। विशेष रूप से गर्भवती कोविड–19 मरीजों के लिए इंटेंसिव केयर यूनिटें (आईसीयू) संचालन में हैं।

लोक निर्माण कार्य

6.78 28.98 करोड़ रुपये की लागत से अरूमपार्थपुरम लेवल क्रासिंग 39क पर विलुप्पुरम–पुदुचेरी राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर 1.16 किमी. लंबे रोड ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है और केंद्रीय परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री द्वारा दिनांक 07.10.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे जनता के लिए खोल दिया गया।

6.79 विश्व बैंक की सहायता से तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के तहत, 10.05 करोड़ रुपये की लागत से कराईकल में नेहरू बाजार का पुनर्निर्माण किया गया।

6.80 8.96 करोड़ रुपये की लागत से चेट्टीपेट गांव में शंकरापारनी नदी पर चेक डैम का निर्माण किया गया,

पुनर्निर्माण के पश्चात कराईकल में नेहरू बाजार का दृश्य

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

जिसके फलस्वरूप चेट्टीपेट गांव और इसके आसपास की 1,900 हेक्टेयर भूमि को लाभ मिल रहा है। 29.21 करोड़ रुपये की लागत से थिरुकांची, पुदुचेरी में शंकरापारनी नदी पर दक्षिण की तरफ थिरूकांची गाँव तथा उत्तर की तरफ ओडियमपेट तथा विलियानुर, मानवेली को जोड़ने वाले हाई–लेवल पुल का निर्माण कार्य पूरा किया गया।

6.81 केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के तहत, कीझावेली, कराईकल में 19.61 करोड़ रुपये की लागत से संयुक्त न्यायालय परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और दिनांक 16.10.2020 को इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है।

थिरुकांची, पुदुचेरी में शंकरापारनी नदी पर हाई–लेवल पुल

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

कराईकल में कीझावेली स्थित संयुक्त न्यायालय परिसर का दृश्य

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

6.82 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण सहायता प्राप्त करके 5.40 करोड़ रुपये की लागत से कराईकल जल आपूर्ति स्कीम के विस्तार के लिए अरसलर में 5 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की क्षमता के साथ जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा किया गया।

6.83 'अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (एएमआरयूटी)' नामक केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के तहत, 14.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कराईकल में 12 लाख लीटर की क्षमता वाले ओवर–हेड टैंक का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

श्रमिक कल्याण

6.84 "प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाइ)" नामक स्कीम के तहत, 7,426 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकित किया गया, जिसमें से 6,576 अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया गया और 3,426 अभ्यर्थियों को नियोजित किया गया। "प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म–निर्भर निधि (पीएम एसवीए निधि)" नामक स्कीम के तहत, 2,710 वेंडरों की पहचान की गई, जिसमें से 100 व्यक्तियों को ऋण मंजूर किया गया है तथा 73 व्यक्तियों को ऋण जारी किया गया और 1,216 व्यक्तियों को आईडी कार्ड जारी किए गए। कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान, पुदुचेरी असंगठित मजदूर कल्याण सोसाइटी में पंजीकृत 23,413 असंगठित मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

6.85 **ग्रामीण विकास**

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

- दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान, 1,264 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा किया गया, जिस पर 139.31 लाख रुपये का व्यय हुआ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए)

- वर्ष 2020–21 के दौरान, परिवारों को 51,169 जॉब कार्ड जारी किए गए, 10,51,000 व्यक्ति–दिवसों का सृजन किया गया, जिनमें से 9,12,000 (86.77%) व्यक्ति–दिवस महिलाओं द्वारा थे।

अनुसूचित जातियों (एससी) का कल्याण

6.86 अनुसूचित जाति (एससी) की वधुओं के माता–पिता को अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए 266 परिवारों को 75,000 रुपये की दर से वित्तीय सहायता मंजूर की गई, जिस पर 199.50 लाख रुपये का व्यय हुआ। अनुसूचित जाति (एससी) की 633 गरीब गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता मंजूर की गई, जिस पर 95.51 लाख रुपये का व्यय हुआ। विभिन्न लंबी बीमारियों से पीड़ित अनुसूचित जाति के परिवारों के 1,210 लाभार्थियों को 2,000/– रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता वितरित की गई। अंडर ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे 339 सरकार–प्रायोजित अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों को 128.56 लाख रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की गई।

पर्यटन

6.87 12 करोड़ रुपये की लागत से अन्ना थिडाल में प्ले ग्राउंड, चिल्ड्रेन्स प्ले एरिया, ओपन जिम, गैलरी और खिलाड़ियों के लिए डॉरमिट्री, दुपहिया वाहनों की पार्किंग सहित दुकानों की सुविधा वाले मिनी स्टेडियम तथा 17.16 करोड़ रुपये की लागत से चिन्नायापुरम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण की आधारशिला रखी गई।

नगर तथा ग्राम आयोजना

6.88 प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 570 घरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। इसके अलावा, 3,713 घर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। 'प्रधानमंत्री आवास योजना' प्लस स्कीम के तहत, बैंकों द्वारा 131 पीएमएवाई लाभार्थियों को 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक की ऋण राशि मंजूर की गई है, ताकि वे अपने घरों के निर्माण कार्य को पूरा करने में अपना योगदान कर सकें।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

प्रस्तावना

6.89 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ी द्वीपसमूह–मंडल प्रणाली है, जिसमें लगभग 836 द्वीप, पहाड़ियां तथा टापू हैं और उनमें से केवल 31 द्वीप बसावट वाले हैं। ये द्वीपसमूह कोलकाता से 1,255 किमी. तथा चेन्नई से 1,190 किमी. दूर स्थित हैं। उक्त द्वीप "ब्लैक वॉटर प्रिजन" अथवा "काला पानी" के नाम से कुख्यात थे। मूल रूप से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह आदिम जनजातियों का निवास स्थान रहे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में छह अनुसूचित जनजातियां हैं, यथा ग्रेट अंडमानीज, ओंगेस, जार्वास, सेंटीनेलीज, शोम्पेंस तथा निकोबारीज। निकोबारीज को छोड़कर अन्य जनजातियों को विशेष संरक्षण योग्य जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पोत परिवहन

6.90 पोत परिवहन, द्वीपवासियों की जीवन–रेखा है। निरंतर बढ़ती पोत परिवहन संबंधी मांग को पूरा करने के लिए, 25 जलयान खरीदे जाने के विभिन्न चरणों में हैं। 500 यात्री वाले दो इंटर–आइलैंड जलयान नामतः 'एमवी सिंधु' और 'एमवी नालंदा' निर्माण के अंतिम चरण में हैं और उन्हें क्रमशः दिनांक 28.02.2021 और 31.05.2021 तक सेवा में शामिल किया जाएगा। 1200 यात्री वाले जलयान अर्थात 'एमवी अशोक' और 'एमवी अटल' की आपूर्ति क्रमशः दिनांक 30.06.2021 और 31.12.2021 तक किए जाने की संभावना है। सरकार की "मेक इन इंडिया" नीति के अनुरूप इन जलयानों का निर्माण मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा किया जा रहा है।

एमवी सिंधु ट्रायल रन के दौरान

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

परिवहन

6.91 भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा दिनांक 17.01.2020 को अत्याधुनिक सुविधा वाली 21 सीटर 22 वातानुकूलित (एसी) लोक परिवहन बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ग्रीन मोबिलिटी पहल के तहत, कार्बन मुक्त वाहनों को प्रदर्शित करने और उन्हें अपनाने हेतु प्रेरित करने के लिए सरकारी सेक्टर में 72 ई–कारों का संचालन शुरू किया गया। एनटीपीसी से 40 इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसें ड्राई लीज पर ली जा रही हैं और जल्द ही इनका नियमित परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।

भारत के उपराष्ट्रपति वातानुकूलित बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

बिजली

6.92 संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन 60 मेगावाट की अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए 142.06 मेगावाट की संस्थापित क्षमता तथा 347 मिलियन यूनिट (एमयू) के वार्षिक उत्पादन के साथ आबादी वाले सभी प्रमुख द्वीपों के लगभग 1.42 लाख उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति कर रहा है। 142.06 मेगावाट की संस्थापित क्षमता में से, 107.58 मेगावाट डीजल जनरेटेड (डीजी) और 34.48 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों के माध्यम से है, जिसमें 5.25 मेगावाट की क्षमता वाले छोटे हाइड्रो संयंत्र तथा 29.23 एमडब्ल्यूपी की क्षमता वाले सोलर फोटो वोल्टिक वैद्युत संयंत्र शामिल हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 9% से बढ़कर 24% हो गया है। डीजल का प्रयोग कम करने के प्रयास जारी हैं, ताकि 3 साल में 93% के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और इसके स्थान पर हरित (ग्रीन) और स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग किया जा सके। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के साथ 20 मेगावाट वाले सौर ऊर्जा संयंत्र को जून 2020 में शामिल किया गया। सरकारी भवनों पर 3.15 एमडब्ल्यूपी ग्रिड से जुड़े सोलर पीवी संयंत्रों को पूरा किया गया। पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को बदलने के लिए ग्राम पंचायतों को 22,156 एलईडी स्ट्रीट लाइटें वितरित की गईं। निकोबार जिले में 1,100 सौर स्ट्रीट लाइटें वितरित की गईं। डोमेस्टिक एफिसिएंट लाइटिंग प्रोग्राम (डीईएलपी) के तहत सभी इनकैंडेसेंट लाइटों को एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा आपूर्ति की गई एलईडी लाइटों से बदला गया।

स्वास्थ्य

6.93 एक सु–विकसित सरकारी स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से पूरे द्वीपसमूह में निःशुल्क उपचारात्मक, निवारक, पुनर्वास और सहायक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 17.70 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से गराचरमा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के जिला अस्पताल (चरण–I) के रूप में उन्नयन और 155 बिस्तर वाले जिला अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की मौजूदा स्वास्थ्य योजनाओं को आयुष्मान भारत– प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी – पीएमजेएवाई) के साथ मिला दिया गया है। 60 उप–केंद्रों, पीएचसी और यूएचसी को परिवर्तित करने के लक्ष्य की तुलना में, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ने 80 स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) को परिवर्तित करने का लक्ष्य हासिल किया है।

शिक्षा

6.94 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में 461 स्कूल चल रहे हैं, जिनमें से 329 स्कूल संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हैं और इन स्कूलों में 05 माध्यमों यथा हिंदी, अंग्रेजी, तमिल,

तेलुगु और बंगाली में शिक्षा प्रदान की जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक–एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, विधि कॉलेज और सामुदायिक कॉलेज तथा 04 डिग्री कॉलेज और 02 डिप्लोमा पॉलीटेक्निक हैं।

कृषि

6.95 संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की लगभग 50% आबादी सीधे कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। कृषि विभाग तीन उप सेक्टरों यथा फसलों की पैदावार, मृदा संरक्षण और लघु सिंचाई के तहत विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

पशुपालन तथा पशु चिकित्सा सेवाएं

6.96 पशुपालन तथा पशु चिकित्सा सेवाएं 01 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक, 09 पशु चिकित्सा अस्पतालों, 12 पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियों, 49 पशु चिकित्सा उप–डिस्पेंसरियों तथा 15 मोबाइल पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियों के नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। द्वीपसमूह पशुओं को होने वाले प्रमुख रोगों जैसे रेबीज, एन्थ्रेक्स, एच.एस. रिंडरपेस्ट, बीक्यू आदि से मुक्त है। वर्ष के दौरान किसी भी बड़ी बीमारी या प्रकोप की सूचना नहीं मिली है।

पर्यटन

6.97 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भारत के पसंदीदा पर्यटक स्थलों में से एक है। द्वीप विकास एजेंसी (आईडीए) ने समग्र विकास के लिए 15 द्वीपों का चयन किया है। सभी अपेक्षित अनुमोदन और मंजूरियां प्राप्त कर ली गई हैं तथा चार जगहों अर्थात लालाजी बे, एव्स द्वीप, स्मिथ द्वीप और शहीद द्वीप में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल में ईको पर्यटन रिसॉर्टों के लिए आरएफपी जारी कर दी गई है। लॉन्ग द्वीप में लालाजी बे पर टेंट वाले 05 आवासों, वाच टॉवर तथा रेस्तरां का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। स्वराज द्वीप में राधा नगर बीच को "ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन" प्रदान किया गया है।

वन

6.98 संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किमी. है, जिसमें से 86.93% वन क्षेत्र के रूप में दर्ज है। ईको–रिस्टोरेशन वर्किंग सर्किल के तहत 2,492 हेक्टेयर क्षेत्र और प्लांटेशन रिक्लेमेशन वर्किंग सर्किल के तहत 745 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया गया है। इसके अलावा, दिनांक 31.12.2020 तक कुल 19 किलोमीटर में एवेन्यू प्लांटेशन और 7 हेक्टेयर में मैंग्रोव प्लांटेशन भी लगाए गए हैं।

मत्स्यन

6.99 लगभग 1,962 किमी. की तटीय लम्बाई, लगभग 35,000 वर्ग किमी. के महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्रफल और 6,00,000 वर्ग किमी. के एक्सक्लूसिव इकॉनमिक जोन (ईईजेड) को देखते हुए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में मत्स्यन की अपार संभावनाएं हैं। वर्ष के दौरान 31.12.2020 तक अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का कुल मछली उत्पादन 26,777 मीट्रिक टन है।

6.100 मछली के निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा निर्यात में भारी वृद्धि हासिल करने के लिए, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) और निर्यात जांच एजेंसी की एक इकाई स्थापित की गई। इस वर्ष के दौरान लगभग 1,070 मीट्रिक टन मछली का निर्यात किया गया। इसके अलावा, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत वर्ष 2020–21 के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 10.65 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 4.74 करोड़ रुपये है। पहली किस्त के रूप में 2.00 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी।

उद्योग

6.101 अंडमान और निकोबार प्रशासन, भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करके इन द्वीपों में निर्यात हेतु आवश्यक अवसंरचना को सुधारने का कार्य कर रहा है। प्रशासन ने पहले ही पोर्ट मीडो, अंडमान में एक शिप–टू–शिप ट्रांसशिपमेंट पोर्ट स्थापित किया है और भारत सरकार की सहायता से कैंपबेलबे, ग्रेट निकोबार में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने जा रहा है, जो "मल्लका स्ट्रेट" के अत्यंत निकट है, जहां से प्रतिवर्ष लगभग 70,000 जलयान गुजरते हैं। अंडमान और निकोबार प्रशासन, भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, पड़ोसी आसियान देशों के साथ सीधे व्यापार पर कार्य कर रहा है।

बंदरगाह

6.102 कार निकोबार में मस जेट्टी से गाद निकालने (ड्रेजिंग) तथा पहुंच मार्ग (एप्रोच) बनाने का कार्य प्रगति पर है, जिसके मार्च 2021 तक पूरा होने की संभावना है। इससे निकोबार में बड़े आकार वाले यात्री और कार्गो जलयानों को लंगर डालने (बर्थिंग) की सुविधा प्राप्त होगी। फोनिक्स बे कॉम्प्लेक्स में गाद निकालने (ड्रेजिंग) का कार्य हो पूरा हो गया है।

सड़कें और पुल

6.103 इस अवधि के दौरान 16.80 किमी. सड़कों को सुधारा गया है। केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के तहत 22.03 किमी. सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 13.13 किमी. सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा।

6.104 अंडमान ट्रंक रोड को 216 किमी. तक दो लेन की बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। 47 किमी. का कार्य प्रगति पर है, जिसे दिनांक 30.06.2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। "हम्फ्री स्ट्रेट" पर पुल के निर्माण का 88% कार्य पूरा हो गया है और यह दिनांक 31.03.2021 तक तैयार हो जाएगा। "मिडिल स्ट्रेट" पर पुल के निर्माण का 28% कार्य पूरा हो गया है।

जल आपूर्ति और स्वच्छता

6.105 5000 मीटर नई पाइपलाइन डाली गई है। 3000 मीटर अतिरिक्त पाइप लाइन का कार्य इस वर्ष के दौरान पूरा कर लिया जाएगा। एक "केंद्रीय जल रेजरवायर (सीडब्ल्यूआर)" और स्टोरेज टैंक का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। 05 अतिरिक्त सीडब्ल्यूआर का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

6.106 जल जीवन मिशन के तहत, 33,239 घरों को चालू घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए।

नागरिक आपूर्ति

6.107 "एक देश एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी)" स्कीम सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर दी गई है तथा सभी फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) में बायोमीट्रिक अनुपालना वाली इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) डिवाइसें संस्थापित की गई हैं। निकोबार जिले के अंतर्गत कच्छाल में 1.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अक्टूबर, 2020 के दौरान 250 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले भंडारण गोदाम का निर्माण कार्य पूरा किया गया, जो जनजातीय आबादी के साथ–साथ आम जनता हेतु खाद्यान्न भंडारण की जरूरतों को पूरा करेगा।

6.108 ग्रामीण विकास

- स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (एसबीएम–जी): इस अवधि के दौरान, 792 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और 83 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों को मंजूरी प्रदान की गई। कुल 06 क्लस्टरों का कार्य पूरा किया गया।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए): परिवारों को 713 जॉब कार्ड जारी किए गए, 1,96,774 व्यक्ति–दिवसों का कार्य सृजित किया गया, जिनमें से 95,060 महिलाओं के लिए और 26,897 अनुसूचित जनजातियों के लिए थे।
- प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी): 1,554 घरों में से, 426 घरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। 1,078 लाभार्थियों को पहली किस्त, 589 लाभार्थियों को दूसरी किस्त और 421 लाभार्थियों को तीसरी किस्त जारी की गई।
- दीन दयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम): इस अवधि के दौरान, 35 स्व–सहायता समूहों और 04 ग्राम संगठनों का गठन किया गया।

जनजातीय कल्याण

6.109 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में छह आदिम जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी जनसंख्या 28,530 (वर्ष 2011 की जनगणना) है। वर्ष 2020–21 की वार्षिक जनजातीय उप–योजना में जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए 260.09 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

6.110 द्वीपसमूह में कोविड–19 के किसी भी मामले की सूचना मिलने से पहले ही मार्च 2020 के मध्य से "विशेष रूप से संरक्षण योग्य जनजातीय समूहों (पीवीटीजी)" के बीच कोविड–19 को फैलने से रोकने के लिए कई एहतियाती उपाय किए गए थे।

श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण

6.111 विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों के तहत, 23,154 पंजीकृत लाभार्थियों को सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में 2.4 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई। 12,614 पंजीकृत लाभार्थियों और निर्माण कार्य से जुड़े जीवित (लाइव कंस्ट्रक्शन) लाभार्थियों को कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान एकबारगी राहत के रूप में कुल 6.39 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे उनके खाते में डाली गई।

आपदा प्रबंधन

6.112 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विभिन्न भूगर्भीय और जल–मौसम संबंधी आपदा जोखिमों की संभावना रहती है। ये द्वीपसमूह बहुत अधिक तीव्रता वाले भूकंप के प्रति संवेदनशील हैं तथा भारत के भूकंपीय जोनिंग नक्शे के अनुसार, इन द्वीपसमूहों को भूकंप जोन–V के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

6.113 कोविड–19 के मद्देनजर, अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 तक किसी आपदा के बिना कोविड–19 मेडिकल आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं, भोजन, आजीविका, आदि का पर्याप्त अतिरिक्त (बफर) स्टॉक सुव्यवस्थित तरीके से रखा गया। कोविड–19 का मुकाबला करने के लिए अधिकांश आवश्यक दवाओं और उपकरणों को मेनलैंड से चार्टर्ड उड़ानों और प्राइवेट कार्गो जलयानों से लाया गया।

पुलिस

6.114 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस के तहत 24 पुलिस स्टेशन (पीएस), 22 आउट पोस्ट, 12 जारवा संरक्षण चौकियां, 06 लुक आउट चौकियां, 24 अग्निशमन स्टेशन, 27 पुलिस रेडियो स्टेशन, 03 वेरी हाई फ्रिक्वेंसी (वीएचएफ) और 24 हाई फ्रिक्वेंसी (एचएफ) रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे हैं। इंडिया रिजर्व बटालियन सहित अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस की कुल स्वीकृत संख्या 5,078 है।

6.115 कानून और व्यवस्था की स्थिति अब तक स्थिर और शांतिपूर्ण बनी हुई है। कुल 455 आईपीसी मामले सूचित किए गए।

6.116 नौसेना, तट रक्षक, स्थानीय पुलिस, पुलिस मेरीन फोर्स (पीएमएफ) और अन्य स्टेकहोल्डरों के सहयोग से "ऑपरेशन सजग" और "सागरकवच" नामक संयुक्त अभियान संचालित किए गए।

6.117 अन्य गतिविधियाँ/उपलब्धियाँ

- भारत के प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 10.08.2020 को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को मेनलैंड/चेन्नई से जोड़ने वाले लगभग 2,300 किमी. लंबे सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) का उद्घाटन किया, जिससे द्वीपसमूह की कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना का परिव्यय 1,224 करोड़ रुपये है। रिडंडेंसी के रूप में सैटेलाइट बैंडविड्थ को बढ़ाकर 3.584 जीबीपीएस किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के साथ सटे उन सभी गांवों, जो अभी तक कवर नहीं किए गए थे और पर्यटकों की पसंद वाले स्थानों पर दूरसंचार की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए दूरसंचार आयोग द्वारा 330 करोड़ रुपये की लागत से 167 बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) संस्थापित किए जाने की परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया गया।

माननीय प्रधानमंत्री चेन्नई – पोर्ट ब्लेयर ओएफसी का उद्घाटन करते हुए

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

- विभिन्न जगहों पर 15 वाटर एटीएम और 14 स्मार्ट टॉयलेट संस्थापित किए गए। शहर में यात्रा की सुविधा देने तथा ई–मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए एनटीपीसी के माध्यम से 20 ई–बसों को किराए पर लिया जा रहा है। "ई–नगर सेवा एप्लीकेशन" को शुरू किया गया है। सीएससी के माध्यम से नगरपालिका करों के ऑनलाइन भुगतान और ऑनलाइन भवन योजना अनुमोदन प्रणाली को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म–निर्भर निधि (पीएम एसवीए निधि) नामक स्कीम को कार्यान्वित किया गया तथा 173 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया।

- सॉलिड अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में उपलब्धियां इस प्रकार हैं (i) सिंगल यूज अथवा शार्ट लाइफ पीवीसी के इस्तेमाल को बंद किया गया, (ii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित 100% कम्पोस्टेबल/बायोडिग्रेडेबल थैलों के ही प्रयोग पर बल दिया गया, (iii) 8–10% प्लास्टिक कचरे का अनिवार्य रूप से सड़क के निर्माण में प्रयोग करने पर बल दिया गया, (iv) 35.35 मीट्रिक टन श्रेडेड प्लास्टिक कचरे का उपयोग 35 किमी. सड़कों के निर्माण में किया गया, (v) विस्तारित निर्माता दायित्व नीति तैयार की गई और इसे लागू किया गया, (vi) प्लास्टिक कचरे के निपटान हेतु बेलिंग और श्रेडिंग मशीनें उपलब्ध कराई गईं तथा (vii) नगरपालिका क्षेत्रों में कचरे के 100% सोर्स सेग्रीगेशन को चरणबद्ध तरीके से गांवों में भी लागू किया जा रहा है।

- 6 लाख वर्ग किमी. के विशेष आर्थिक जोन (ईईजेड) को "नो गो जोन" के रूप में घोषित किया गया था, जिसे कम करके 2.19 लाख वर्ग किमी. किया गया, जिससे हाइड्रोकार्बन सर्वेक्षण संभव हुआ।

लक्षद्वीप

6.118 लक्षद्वीप, प्रवाल द्वीपसमूह और चट्टानों से युक्त एक द्वीप पुंज है, जो भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) है। कुल 32 वर्ग किमी. के भू–क्षेत्रफल वाले ये खूबसूरत और अप्रदूषित द्वीपसमूह लगभग 4,200 वर्ग किमी. प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र से घिरे हुए हैं। कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें से 10 बसावट वाले हैं तथा केरल के पश्चिमी तट से 220 से 440 किमी. की दूरी तक अरब सागर में फैले हुए हैं। समस्त देशी आबादी को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना, नारियल की खेती और कॉयर की रस्सियां बनाना है।

6.119 इन द्वीपों को प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और द्वीपों में भ्रमण करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन से अनुमति अपेक्षित होती है। संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) का प्रशासनिक मुख्यालय कवारत्ती है। प्रशासन की उपलब्धियों, गतिविधियों और महत्वपूर्ण नीतियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

परिवहन/उपयोगिता क्षेत्र

बंदरगाह

6.120 700 मीट्रिक टन की क्षमता वाले ऑयल टैंकर के निर्माण कार्य को पूरा किया गया और "मैसर्स विजय मेरीन शिपयार्ड", गोवा इस जलयान को आपूर्ति के लिए कोच्चि ले आया है। भारत सरकार ने 300 करोड़ रुपये की लागत से 250 यात्रियों की क्षमता वाले पर्यटक जलयान के अधिग्रहण का अनुमोदन प्रदान किया है।

6.121 नागरिक विमानन मंत्रालय ने 283 करोड़ रुपये की लागत से अगाती हवाई अड्डे के विस्तार का अनुमोदन प्रदान किया है। प्रशासन ने इस परियोजना के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को 8,200 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि सौंप दी है।

उपयोगिता क्षेत्र

बिजली

6.122 कवारत्ती और अगाती द्वीपों में स्मार्ट एनर्जी मीटर के लिए एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

लोक निर्माण कार्य

6.123 प्रशासन ने निम्नलिखित लोक निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया है:

किल्तन द्वीप: बहुउद्देश्यीय हॉल, सीनियर बेसिक स्कूल

(भूतल + 2), पंचायत भवन और जेट्टी से पब्लिक स्टेज तक बीच रोड।

कवारत्ती द्वीपः डिप्टी कलेक्टर का कार्यालय (भूतल + 2) और राजकीय माध्यमिक स्कूल को प्लैनेटेरियम से जोड़ने वाली केबल ट्रेंच सहित सीसी रोड।

बितरा द्वीपः पुलिस आउट पोस्ट और एलपीजी गोदाम का निर्माण।

अंद्रोथ द्वीपः मछली बाजार, ब्रेक वाटर से अमीन काचरी (एमपीएलएडी) तक सीसी रोड और 06 टाइप II क्वार्टरों का निर्माण।

मिनिकॉय द्वीपः आयुष डिस्पेंसरी हेतु अर्ध–स्थायी भवन का निर्माण।

कदमत द्वीपः मेन रोड से "लो टेम्परेचर थर्मल डिसेलिनेशन (एलटीटीडी)" प्लांट तक सीसी रोड।

कल्पेनीः सिविल स्टेशन (भूतल) चरण–I का निर्माण।

अगातीः सिविल स्टेशन चरण–I का निर्माण।

कृषि और संबद्ध क्षेत्र

कृषि

6.124 प्रशासन ने कवारत्ती में "बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ रोडेंट मैनेजमेंट" पर एक पॉयलट परियोजना शुरू की है, जिसे विस्तारित करके संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन के अन्य प्रमुख द्वीपों में भी लागू किया जाएगा।

6.125 प्रधानमंत्री–किसान सम्मान निधि के तहत 58.98 लाख रुपये की वित्तीय सहायता जारी किए जाने से लगभग 1,877 किसान लाभान्वित हुए। लक्षद्वीप में कुल 400 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए और 2.36 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई।

6.126 जनता को लगभग 2 लाख किलोग्राम जैविक सब्जियां, फल और नीरा उपलब्ध कराए गए। किसानों को सब्सिडाइज्ड दरों पर 50 लाख रुपये मूल्य की कृषि आदान सामग्रियां जारी की गईं। प्रशासन ने किसानों को सब्सिडाइज्ड दरों पर लगभग 40 लाख रुपये मूल्य के औजार और उपकरण भी जारी किए हैं।

मत्स्यन

6.127 "ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम" के तहत, प्रशासन ने चयनित लाभार्थियों को 60% सब्सिडी पर 55 आउट बोर्ड मोटर (ओबीएम) वितरित की हैं। प्रशासन ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) का कार्यान्वयन शुरू किया है। प्रशासन ने समुद्र में जाने वाले मछुआरों की सलामती और सुरक्षा के लिए 'सागर' नामक एक मोबाइल ऐप भी शुरू किया है। इसके अलावा, पहली बार, प्रशासन ने मछली पकड़ते समय मारे गए मछुआरों के परिवारों को मुआवजा प्रदान किया है।

पर्यावरण और वन

6.128 स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत, प्रशासन ने सॉलिड वेस्ट प्रबंधन के लिए सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, स्मार्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और मॉनीटरिंग का कार्य पूरा कर लिया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। कवारत्ती द्वीप में एक "वन्यजीव पशुचिकित्सा देखभाल कछुआ बचाव केंद्र" विकसित किया गया है और "समुद्री कछुआ नेस्टिंग हैबिटैट संरक्षण" पर तीन क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

उद्योग

6.129 कवारत्ती और मिनिकॉय द्वीपों में हस्तशिल्प एम्पोरियम स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार, कवारत्ती में एक हस्तशिल्प प्रशिक्षण–सह–निर्माण केंद्र भी स्थापित किया गया। चेटलॉट में कॉयर विनिर्माण केंद्र तथा फाइबर फैक्ट्री को दोबारा खोला गया है। इसके अलावा, प्रशासन ने फाइबर फैक्ट्री, कवारत्ती में डिफाइबरिंग प्लांट की पूर्णतः ऑटोमैटिक कन्वेयर प्रणाली को भी चालू किया है।

6.130 लक्षद्वीप द्वीपसमूह में खादी और ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिए, लक्षद्वीप खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 70 लाख रुपये की धनराशि तथा चालू वर्ष के दौरान 35 लाख रुपये की धनराशि अनुदान सहायता के रूप में प्रदान की गई थी। प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) लक्षद्वीप के 13 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उद्यमियों को 25 लाख रुपये की सब्सिडी भी जारी की है।

शिक्षा

6.131 प्रशासन बारहवीं कक्षा तक के लिए मध्याह्न भोजन (एमडीएम) कार्यक्रम लागू कर रहा है तथा लगभग 12,181 छात्र मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का लाभ उठा रहे हैं। चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए मध्याह्न भोजन के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्रावधान राज्य के हिस्से के रूप में 4.35 करोड़ रुपये तथा केंद्रीय हिस्से के रूप में 1.44 करोड़ रुपये है। प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक तक के 12,181 बच्चों के बीच राशन किटें वितरित की गई हैं तथा कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण स्कूल बंद होने की अवधि के दौरान इसे मध्याह्न भोजन (एमडीएम) कार्यक्रम (राज्य तथा केंद्र) के तहत खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में कवर किया गया है।

6.132 वर्ष 2020–21 के लिए स्कूल स्तरीय/द्वीप स्तरीय शस्त्रोलसावम को पूरा करने के लिए सभी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों को 35,96,100/– रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार, 19,488 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में 7,74,12,716/– रुपये की धनराशि संवितरित की गई है।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले

6.133 लक्षद्वीप के सभी 10 बसावट वाले द्वीपों में दिनांक 01.09.2020 से "एक देश एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी)" स्कीम को कार्यान्वित कर दिया गया है। कोविड वैश्विक महामारी के दौरान लक्षद्वीप प्रशासन ने सभी परिवारों को 15 किग्रा. निःशुल्क चावल प्रदान किया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत चरण–I (अप्रैल 2020 से जून 2020 तक) के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थियों को 5 किग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से 330 मीट्रिक टन चावल (100%) वितरित किया गया था। इसके अलावा, चरण–II (जुलाई 2020 से नवम्बर 2020 तक) के तहत 547.950 मीट्रिक टन (99.63%) चावल वितरित किया गया था। कुल मिलाकर, पीएमजीकेएवाई के चरण–I और चरण–II के तहत एनएफएसए के लाभार्थियों को 01 किग्रा. दाल/तूर दाल प्रति राशन कार्ड प्रति माह (अप्रैल 2020 से जून 2020 तक) तथा साबुत चना (जुलाई 2020 से नवम्बर 2020 तक) वितरित किया गया, जिससे 100% लक्ष्य हासिल किया गया।

6.134 "आत्म निर्भर भारत (एएनबी)" स्कीम के तहत, प्रशासन ने दो माह (मई और जून, 2020) के लिए प्रवासियों/भटके हुए प्रवासियों को 5 किग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से निःशुल्क खाद्यान्न (चावल) तथा दो माह के लिए 1 किग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से निःशुल्क साबुत चना वितरित किया है।

स्वास्थ्य

6.135 प्रशासन ने इंदिरा गांधी अस्पताल (आईजीएच), कवारत्ती में कोविड–19 रोगियों के उपचार के लिए 30 बेड वाला एक विशेष कोविड–19 अस्पताल स्थापित किया है और हेल्पलाइन नं. 104 के साथ कोविड केंद्रीय कक्ष खोला है। सामने आने वाले कोविड के मामलों के लिए पर्याप्त वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। प्रशासन ने कोविड जांच के लिए कोच्चि में 2 टीआरयूई एनएटी मशीनें और कवारत्ती तथा अगाती में एक–एक मशीन संस्थापित की है। मेडिकल कॉलेज, एर्नाकुलम में एक आरटी–पीसीआर मशीन संस्थापित की गई है और लक्षद्वीप के निवासियों की निःशुल्क पुष्टिकरण जांच की जा रही है।

6.136 कवारत्ती द्वीप के मूल निवासियों हेतु स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के कार्यान्वयन के लिए, प्रशासन ने स्मार्ट सिटी निधि से 26 लाख रूपये की धनराशि आवंटित की है।

समाज कल्याण और जनजातीय मामले

6.137 ऐसे 2,814 लाभार्थी और 312 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) लाभार्थी हैं, जिन्हें पेंशन का लाभ मिल रहा है। दिनांक 31.12.2020 तक पेंशन लाभार्थियों को 2,53,57,000/– रूपये की धनराशि जारी की गई थी। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) के संचालन और रखरखाव, डे केयर सेंटर, कृत्रिम अंगों/व्हील चेयरों/तिपहिया साइकिलों और विशिष्ट उपचार (दिव्यांग) के लिए वित्तीय सहायता हेतु 46 लाख रूपये की धनराशि आवंटित की गई है।

6.138 अन्य व्यक्तियों के साथ समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट उत्सव (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष कार्यक्रम) मनाने के लिए, वर्ष 2020–21 के दौरान 20 लाख रूपये की धनराशि आवंटित की गई है। इसके अलावा, वर्ष 2020–21 के दौरान वृद्धावस्था दिवस और दिव्यांग दिवस के आयोजन के लिए 12 लाख रूपये की धनराशि आवंटित की गई है। प्रशासन ने दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह हेतु सहायता और दिव्यांग व्यक्तियों हेतु विशेष नौकरियों के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान क्रमशः 1,50,000/– रूपये और 17 लाख रूपये की धनराशि आवंटित की है।

6.139 प्रशासन लक्षद्वीप के हाजियों हेतु कल्याण उपायों की व्यवस्था करने के लिए लक्षद्वीप हज समिति को अनुदान–सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान हज समिति को 15 लाख रूपये की धनराशि आवंटित की गई है।

महिला एवं बाल विकास

6.140 "पोषण अभियान" स्कीम के तहत, 4 प्रमुख द्वीपों के प्रत्येक वार्ड में गरीब परिवारों को पोषण किट प्रदान की गईं।

6.141 न्यूट्री–गार्डन स्थापित करने के लिए लक्षद्वीप के सभी द्वीपों में प्रत्येक आंगनवाड़ी क्षेत्र में 15 परिवारों को सब्जियों के बीज और ग्रो बैग वितरित किए गए (कुल 1,605 परिवारों को बीज और ग्रो बैग प्रदान किए गए)।

पोषण किटों का वितरण

न्यूट्री–गार्डन की स्थापना

(स्रोतः यूटीएल प्रशासन)

6.142 "प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)" के तहत, 1,105 लाभार्थियों को पीएमएमवीवाई–सीएएस सॉफ्टवेयर में दर्ज किया गया है। 2,717 लाभार्थियों को भुगतान किया गया है। हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए "वन स्टॉप आपदा केंद्र" स्थापित किया गया है तथा हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे तत्काल और आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए एक महिला हेल्प लाइन नं. 181 स्थापित किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) द्वारा इस प्रयोजन के लिए 20.91 लाख रूपये की धनराशि जारी की गई है।

ग्रामीण विकास

6.143 "प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई–जी)" के तहत, 58.95 लाख रूपये के व्यय से 45 घरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। दीन दयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) के तहत, 141 स्व–सहायता समूह (एसएचजी) कार्य कर रहे हैं। वार्षिक कार्य योजना 2020–21 में 2 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गई है।

सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था

पुलिस

6.144 गृह मंत्रालय ने वर्ष 2019–20 के लिए पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग में लक्षद्वीप जिले के कदमत पुलिस स्टेशन को लक्षद्वीप के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में घोषित किया है। प्रशासन ने ई–ऑफिस को कार्यान्वित किया है और पुलिस मुख्यालय में एक "पब्लिक सेफ्टी आंसरिंग पॉइंट (पीएसएपी)" स्थापित किया है।

मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

6.145 प्रशासन ने "प्रजनन जीव विज्ञान और मछलियों के भोजन तथा भोजन संबंधी आदतों" के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए मत्स्य जीवविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की है। इसके अलावा, लक्षद्वीप विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत समुद्री जैव विविधता के आकलन और दस्तावेजीकरण, अपशिष्ट उत्पादन के विभेदीकरण (डिफरेंसिएशन) और मूल्यांकन, रीफ रेस्टोरेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, स्वदेशी ज्ञान के दस्तावेजीकरण और संरक्षण तथा समुद्री मत्स्य संसाधनों के आकलन से संबंधित परियोजनाओं/अध्ययनों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी

6.146 प्रशासन ने "द एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क (ईआरएनईटी)" और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की मदद से अपना कैप्टिव 'सी–बैंड' वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल (वीसैट) आधारित नेटवर्क तैयार किया है। शुरूआत में इसरो से लगभग 100 एमबीपीएस की मांग की गई है और लगभग 80 एमबीपीएस पहले ही सफलतापूर्वक चालू किया जा चुका है।

सार्वजनिक खरीद

6.147 प्रशासन ने विभागों के लिए सरकारी ई मार्केटप्लेस (जीईएम) (जीईएम में उपलब्ध वस्तुओं के लिए) के माध्यम से खरीद करना अनिवार्य कर दिया है और संपूर्ण खरीद प्रक्रिया चक्र को ट्रैक करने के लिए एक इन–हाउस ऑनलाइन एप्लिकेशन विकसित किया गया है।

पर्यटन

6.148 लक्षद्वीप की पर्यटक अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के भाग के रूप में, प्रशासन ने लकड़ी की 32 पर्यावरण–अनुकूल कॉटेजों के निर्माण के लिए वर्ष 2018 में बंगाराम द्वीप में भूमि की पहचान की थी और इसका 90% काम पूरा हो चुका है।

चंडीगढ़

6.149 चंडीगढ़, "द सिटी ब्यूटीफुल" को देश के सबसे अधिक स्वच्छ, हरे–भरे, सुरक्षित तथा सर्वोत्तम योजनाबद्ध शहरों में से एक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन ने अपने नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं/सेवाओं में सुधार करने के लिए अनेक गतिविधियां/परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

सूचना प्रौद्योगिकी

6.150 चंडीगढ़ प्रशासन ने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल (जीईपीएनआईसी) के साथ एकीकरण करने का कार्य पूरा कर लिया है। नई प्रणाली के तहत, बोलीकर्ता अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी), टेंडर फीस और परफॉर्मेंस बैंक सिक्यूरिटीज को ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे।

6.151 शहर के नागरिकों को ऐसे अधिकारियों, जिनके कार्यालय सचिवालय भवन में स्थित हैं, से एप्वाइंटमेंट लेने की सुविधा प्रदान करने के लिए, चंडीगढ़ प्रशासन ने "ऑनलाइन आगंतुक पास प्रणाली" शुरू की थी, जिसे दिनांक 01.08.2020 से उन्नत संस्करण अर्थात 'स्वागतम पोर्टल' पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

6.152 चंडीगढ़ प्रशासन के कार्यालयों में पड़े हुए ई–कचरे के निपटान के लिए ई–वेस्ट रिसाइकिलर का प्रयोग करके दिसम्बर 2020 तक 13.75 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है।

6.153 चंडीगढ़ पुलिस अपनी ई–चालान प्रणाली नामक पहल तथा पुलिस कलीरेंस सर्टिफिकेट नामक सेवा के लिए "ई–संपर्क प्लेटफॉर्म" के पेमेंट गेटवे का उपयोग कर रही है।

6.154 कोविड–19 की स्थिति से निपटने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने निम्नलिखित सूचना प्रौद्योगिकी पहल की हैं:

- महत्वपूर्ण आदेशों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों, प्रेस विज्ञप्तियों के बारे में वन–स्टॉप जानकारी और अन्य उपयोगी सूचना प्रदान करने के लिए एक समर्पित पोर्टल (http://chdcovid19.in) विकसित किया गया। कोविड–19 संबंधी जानकारी और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा की शुरू की गई विभिन्न गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए एक एन्ड्रायड आधारित मोबाइल ऐप– CHDCOVID भी विकसित किया गया।
- मानव संपर्क (ह्यूमन इन्टरैक्शन) और स्टाफ की उपस्थिति को कम करने तथा बिजली और पानी की

बिल प्रणाली को स्वचालित (ऑटोमेट) करने के लिए मौजूदा ई–संपर्क मोबाइल ऐप तथा ई–संपर्क वेब पोर्टल में इंटरफेस को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके द्वारा सभी उपभोक्ता सबूत के तौर पर मीटर रीडिंग की अपलोड की गई फोटो के साथ अपने बिजली और पानी के मीटर की रीडिंग को स्वेच्छा से अपलोड कर सकते हैं।

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत, राशन वितरण का प्रबंधन करने के लिए एक मोबाइल ऐप तथा अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्रायोरिटी हाउसहोल्ड (पीएचएच) स्कीमों के तहत निःशुल्क राहत के वितरण में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को सुविधा प्रदान करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया।

हरित पहलः वन तथा वन्यजीव

6.155 चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने नागरिकों को एक स्वच्छ तथा हरा–भरा शहर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के साथ निम्नलिखित कार्यकलाप किए हैं:

वृक्षारोपण गतिविधियाँ

6.156 चंडीगढ़ शहर में कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% वन और ग्रीन कवर के तहत है। 'ग्रीनिंग चंडीगढ़ एक्शन प्लान 2020–21' के अनुसार, सभी ग्रीन एजेंसियों के लिए 2,55,000 पौधों के रोपण के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। लोगों की भागीदारी से ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ के नागरिकों, गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ), स्कूलों, कॉलेजों आदि को निःशुल्क पौधे वितरित किए जाते हैं।

पंजाब के राज्यपाल और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के प्रशासक, माननीय श्री वी.पी. सिंह बदनोर 'द ग्रीनिंग चंडीगढ़ एक्शन प्लान 2020–21' का उद्घाटन करते हुए

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

कानून और व्यवस्था

6.157 चंडीगढ़ पुलिस को 'स्मार्ट पुलिस' बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा व्यापक कदम उठाए गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों तथा संस्थानों में लड़कियों/महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीम 'स्वयं' का गठन किया है, ताकि उन्हें किसी भी अप्रिय घटना से बचाया जा सके। चालू वर्ष के दौरान, 43 आत्मरक्षा कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 3,816 लड़कियों/महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

6.158 महिलाओं द्वारा पुलिस से मदद मांगे जाने की स्थिति में, चंडीगढ़ प्रशासन ने रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच महिलाओं को उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए "पिक एंड ड्रॉप" सुविधा भी शुरू की है। यह सुविधा महिला पुलिस अधिकारी के साथ चंडीगढ़ पुलिस के पीसीआर/वाहन द्वारा मुहैया कराई जाती है। चालू वर्ष के दौरान कुल 251 महिलाओं/लड़कियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए सभी पुलिस स्टेशनों (पीएस) में महिला पुलिस कार्मिकों के साथ चौबीसों घंटे महिला डेस्क संचालित हैं। विपत्ति में पड़ी महिलाओं तथा बच्चों की सहायता के लिए महिला तथा बाल हेल्पलाइन नम्बर (1091 – टोल फ्री) चौबीसों घंटे कार्य करता है। आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करने तथा लड़कियों को आवश्यक सहायता मुहैया कराने के लिए महिला पुलिस कार्मिकों सहित महिला पीसीआर वाहन लड़कियों के कॉलेज/स्कूलों के पास मौजूद रहते हैं। चालू वर्ष के दौरान, निःशुल्क टोल फ्री नम्बर पर कुल 305 कॉल प्राप्त हुईं और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई। बलात्कार तथा यौन उत्पीड़न के पीड़ित को कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता आदि हेतु परामर्श देने के उद्देश्य से चंडीगढ़ पुलिस की महिला एवं बाल सहायता यूनिट में "रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर" स्थापित किया गया है। स्कूलों, कॉलेजों, कॉलोनियों और अन्य प्राइवेट/सरकारी संस्थानों में समय–समय पर लड़कियों/महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं।

इंजीनियरिंग

6.159 वर्ष 2020–21 के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने कई निर्माण कार्य शुरू किए हैं:

- 70 करोड़ रूपये की लागत से प्लॉट नंबर 7, सेक्टर–9–डी में नए सचिवालय भवन, 220.87 करोड़ रूपये की लागत से चंडीगढ़ आर्म्ड कॉम्प्लेक्स, धनास में 768 टाइप–II मकानों, 22 करोड़ रूपये की लागत से सीसीईटी–26 में प्रशासनिक ब्लॉक–सी (डिग्री विंग), 41 करोड़ रूपये की लागत से जीएमसीएच–32 में ब्लॉक 'ए' के सामने इमरजेंसी ब्लॉक, 36.41 करोड़ रूपये की लागत से इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेशन (पायलट परियोजना) में नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) के तहत स्मार्ट ग्रिड, 28 करोड़ रूपये की लागत से सेक्टर 35, 38, 30–बी, 20, 21, राम दरबार और गांव मौली जागरण में एक–एक की दर से 07 सामुदायिक केंद्रों, 22 करोड़ रुपये की लागत से जी.सी.जी. 42 में हॉस्टल ब्लॉक और 12 करोड़ रूपये की लागत से मौली जागरण में नए राजकीय हाई स्कूलों का निर्माण।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) और आधार नामांकन

6.160 डीबीटी के तहत कुल 64 स्कीमें (29 एसएसएस + 35 सीएसएस) हैं। दिनांक 31.12.2020 तक कुल 1.56 लाख लाभार्थियों को 100% पीएफएमएस आधार बेस्ड डीबीटी के माध्यम से 59.54 करोड़ रुपये की धनराशि अंतरित की गई। सभी लाभ–उन्मुख स्कीमों के तहत भुगतान 100% "आधार बेस्ड पेमेंट ब्रिज" के माध्यम से किया जाता है। चंडीगढ़ में आधार नामांकन 97.95% (दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार) है।

सतत विकास का लक्ष्य (एसडीजी)

6.161 भारत ने एसडीजी को अपनाया है और प्रत्येक लक्ष्य के साथ जुड़े कई संकेतक स्थापित किए हैं। भारत सरकार ने नीति आयोग द्वारा जारी 'एसडीजी इंडिया इंडेक्स' रिपोर्ट में सभी संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में चंडीगढ़ को प्रथम स्थान पर रखा है।

वित्तीय समावेशन योजनाओं के तहत प्रगति

6.162 दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 2.66 लाख लाभार्थी, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 72,339 लाभार्थी, पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2,10,381 लाभार्थी और अटल पेंशन योजना के तहत 31,193 लाभार्थी हैं।

शिक्षा

6.163 चंडीगढ़ न केवल इस क्षेत्र के छात्रों के लिए

अपितु पड़ोसी राज्यों से आने वाले छात्रों के लिए भी शिक्षा का केंद्र बन गया है। सर्विस प्लस पोर्टल (पीएफएमएस भुगतान प्रणाली का एकीकरण) के माध्यम से सभी राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है। पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से 86,000 स्कूली बच्चों के बैंक खातों में निधियों के ऑनलाइन अंतरण द्वारा स्कूल की वर्दी (ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, एक्सरसाइज नोट बुकें और जर्सी) के लिए आधार बेस्ड भुगतान किया गया।

6.164 शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के तहत पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में नियोजनीयता, उद्यमिता और नवाचार हब की स्थापना के लिए अनुमोदित की गई कुल 15 करोड़ रूपये की धनराशि में से वर्ष 2020–21 के दौरान प्रथम किस्त के रूप में 7.5 करोड़ रुपये जारी किए।

6.165 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नई दिल्ली ने जीआईटीआई, सेक्टर 28, चंडीगढ़ में प्रस्तावित मॉडल आईटीआई की परियोजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस परियोजना के तहत मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सहयोग से वेल्डिंग, ऑटोबॉडी पेंटिंग, ऑटोबॉडी डेंटिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और स्किल लैब ऑफ मोटर मैकेनिक व्हीकल की 05 नई लैबों का निर्माण किया गया है।

स्वास्थ्य तथा सफाई

6.166 चंडीगढ़ में स्वास्थ्य अवसंरचना की तीन स्तरीय प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, जिसमें 16 उप–केंद्रों और 39 सिविल डिस्पेंसरियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराई जाती है, द्वितीय देखभाल एसडीएच मनीमाजरा तथा सीएच सेक्टर 22, चंडीगढ़ द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा तृतीयक देखभाल एक जिला अस्पताल, एक मेडिकल कॉलेज तथा स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

6.167 **उपलब्धियां**

- आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार 33 स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) का संचालन शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत, दिनांक 31.12.2020 तक 53,482 गोल्डन रिकॉर्ड तैयार किए गए।

- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2020–21 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वीकृत 585 पदों में से, 508 पदों को राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के तहत भर लिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 लागू की गई। एम्बुलेंस की बुकिंग के लिए 24X7 कॉल सेंटर आधारित प्रणाली के साथ 108/112 टोल फ्री प्रणालियां संचालन में हैं।

- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में समय पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी को ट्रैक करने के लिए भारत सरकार की पहल के एक भाग के रूप में, आरसीएच पोर्टल (https://rch.nhm.gov.in) को कार्यान्वित किया गया।

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम–जेएवाई) के तहत प्राइवेट अस्पतालों का पैनल बनाने के लिए ऑनलाइन अस्पताल एम्पैनलमेंट प्रणाली, पीएम–जेएवाई के तहत ऑनलाइन लाभार्थी पहचान और ट्रांजैक्शन प्रबंधन प्रणाली तथा चंडीगढ़ की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से ऑनलाइन सिविल जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रणाली लागू की गई।

- दो स्वास्थ्य सुविधाओं अर्थात सीएच 45 और सीएच 22 चंडीगढ़ को स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस), संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) की पांच सितारा रेटिंग की श्रेणी में रखा गया है।

- स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों की स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी सेवाओं की रिपोर्टिंग के लिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पोर्टल लागू किया गया।

6.168 चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में कोविड–19 की रोकथाम और नियंत्रण

- ऐसे क्षेत्रों, जहां पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई थी, की स्पॉट मैपिंग करने के बाद चंडीगढ़ में घर–घर जाकर सर्वेक्षण शुरू किया गया तथा भीड़–भीड़/कंजेशन के कारण शहरी मलिन बस्तियों और कॉलोनियों की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए उन्हें प्राथमिकता भी दी गई।

- कोविड–19 के मरीजों की जांच के लिए जीएमएसएच–16, उप जिला अस्पताल–मनीमाजरा, यूसीएचसी–22 और यूसीएचसी–45 में फ्लू क्लिनिक स्थापित किए गए हैं।

- कोविड के प्रकोप की अवधि के दौरान 'क्या करें और क्या न करें', के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों, जहां सर्वेक्षण किया जा रहा है, में चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) की दो बसें भेजकर सचल (मोबाइल) जागरूकता सृजित की जा रही है। वहां उद्‌घोषण भी की जा रही है, जिसके द्वारा आम जनता से यह अपील की जा रही है कि वे सर्वेक्षण के लिए उनके पास आने वाले स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ सहयोग करें। कोविड की जानकारी तथा अपनी स्वयं की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मोबाइल ऐप – आरोग्य सेतु की उपलब्धता से संबंधित जानकारी को भी साझा किया जा रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा (आरई)

6.169 दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान, कुल 4.603 एमडब्ल्यूपी के सोलर फोटो वोल्टेयिक (एसपीवी) बिजली संयंत्र संस्थापित किए गए हैं, जिससे सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल संस्थापित क्षमता 38.815 एमडब्ल्यूपी हो गई है, जिसमें से चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ की सरकारी इमारतों/स्थलों पर 21.837 एमडब्ल्यूपी की समग्र क्षमता वाले रूफटॉप सोलर फोटो वोल्टेयिक (एसपीवी) बिजली संयंत्र संस्थापित किये हैं और बाकी लगभग 16.978 एमडब्ल्यूपी निजी आवासीय भवनों सहित निजी क्षेत्र की इमारतों के तहत संस्थापित किया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

- बिल्डिंग उप–कानूनों में संशोधन, जिसमें 500 वर्ग गज से ऊपर की सभी इमारतों के लिए सोलर फोटो वोल्टेयिक (एसपीवी) बिजली संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य है।

- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) को 100% नवीकरणीय ऊर्जा वाला बनाने के लिए, चंडीगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआरईएसटी) एक नवाचार स्कीम (बिल्ड – ऑपरेट– ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल के साथ आरईएससीओ) के लिए www.solarchandigarh.com के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के निवासियों से मांग की जानकारी प्राप्त कर रहा है।

- पर्यावरण भवन, सेक्टर–19बी, चंडीगढ़ में एट्रियम पर 20 केडब्ल्यूपी का एसपीवी बिजली संयंत्र स्थापित किया गया।

- चंडीगढ़ ने 25.79 एमयू सौर ऊर्जा का उत्पादन किया (दिनांक 01.04.2020 से 30.12.2020 तक), जिसके परिणामस्वरूप सीओ2 में 17,795 मीट्रिक टन की कमी आई।

परिवहन

6.170 विश्व बैंक तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन के तहत इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संबंधित परियोजना पर विचार किया गया है, जो प्रगति पर है। लम्बे तथा उप–नगरीय मार्ग पर संचालित की जा रही 213 बसों में ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम (एएफसीएस) कार्यान्वित किया गया है। 173 बसों में पैनिक बटन सहित ऑटोमैटिक व्हीकल लोकेशन सिस्टम (एवीएलएस) संस्थापित किया गया है। ईंधन की चोरी को रोकने के लिए, 06 नए पीआईएस बोर्ड (50") तथा 213 बसों में अल्ट्रासोनिक फ्यूल सेंसर (यूएफएस) डिवाइसें लगाई गई हैं। सुरक्षा के उद्देश्य से तथा आपराधिक

गतिविधियों को रोकने के लिए आईएसबीटी–17 और आईएसबीटी–43 के परिसरों में क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे लगाए गए हैं।

समाज कल्याण

6.171 अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय की उन विधवा/निराश्रित महिलाओं को उनकी बेटियों के विवाह के लिए 20,000/– रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिनकी पारिवारिक आय 24,000 रुपये/– प्रति वर्ष तक है। ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों, जो मोटर युक्त वाहनों के मालिक हैं, को पेट्रोल सब्सिडी प्रदान की जा रही है और वे पेट्रोल/डीजल खरीदने पर 40 लीटर प्रति माह तक वास्तविक खर्च पर 50% सब्सिडी के पात्र हैं।

6.172 शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को दिन प्रतिदिन के कार्य हेतु उनकी गतिशीलता में वृद्धि करने के लिए सहायक उपस्करों/उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 'अपनी बेटी, अपना धन' स्कीम का उद्देश्य चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में विषम महिला–पुरुष अनुपात में सुधार करना है। वृद्धावस्था पेंशन उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है, जिनकी वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये तक है। दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार 12,922 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है और 749.18 लाख रुपये वितरित किए जा चुके हैं। विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को पेंशन की स्कीम के तहत, 8,799 लाभार्थियों को विधवा पेंशन मिल रही है तथा दिनांक 31.12.2020 तक 706.19 लाख रुपये का व्यय हुआ है। दिव्यांग व्यक्तियों हेतु पेंशन की स्कीम के तहत, 4,277 लाभार्थी दिव्यांगता पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और दिनांक 31.12.2020 तक 516.29 लाख रुपये का व्यय हुआ है। ऐसे व्यक्ति, जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये तक है, इस स्कीम के तहत लाभ हेतु पात्र हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) नामक स्कीम के तहत, 450 आंगनवाड़ी केंद्र कार्य कर रहे हैं तथा दिनांक 31.12.2020 तक 06 माह से 06 वर्ष तक की आयु वर्ग के बीच के 46,838 बच्चों, 7,125 गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को नामांकित किया गया है। किशोरियों हेतु स्कीम (एसएजी) के तहत, 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बीच की किशोरियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वर्ष के दौरान दिनांक 31.12.2020 तक 67 किशोरियां लाभान्वित हुईं।

उद्योग

6.173 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत 10,533 सूक्ष्म, 2,358 लघु और 162 मध्यम उद्यमियों ने उद्यम पंजीकरण ज्ञापन (यूएएम) हासिल किया है। दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान, "पीएमईजीपी–ई–पोर्टल" पर 68 मामले प्राप्त हुए हैं तथा 54 मामले बैंकों को भेजे गए हैं।

खाद्य तथा आपूर्ति

6.174 चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में खाद्यान्न के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) स्कीम लागू है। इस स्कीम के तहत, पात्र परिवारों/लाभार्थियों को एनएफएसए के तहत खाद्यान्न हेतु उनकी पात्रता के आधार पर नकद धनराशि के रूप में खाद्य सब्सिडी (प्राथमिकता प्राप्त परिवारों (पीएच) के लिए 128.64 रुपये प्रति सदस्य/माह) तथा (अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों के लिए 900.48 रुपये प्रति परिवार/माह) उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे अंतरित की जाती है और लाभार्थी किसी भी स्थान से अपनी पसंद का खाद्यान्न खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। इस स्कीम के तहत 2,74,867 यूनिटों वाले कुल 63,565 प्राथमिकता प्राप्त परिवार (पीएच) तथा 624 यूनिटों वाले 157 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार पंजीकृत हैं और वे खाद्य सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं।

6.175 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)" नामक स्कीम के अंतर्गत उनके घर पर जाकर 03 महीने (अप्रैल–जून, 2020) का खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया गया। इसके अलावा, पंजीकृत लाभार्थियों को प्रति परिवार 05 महीने (जुलाई–नवंबर, 2020) के लिए निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया। भारत सरकार के आदेशों के अनुसार, चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रवासियों/फंसे हुए मजदूरों को दो महीने (मई तथा जून, 2020) के लिए खाद्यान्न के

निःशुल्क वितरण अर्थात 5 किग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से गेंहू और 1 किग्रा. प्रति परिवार प्रति माह की दर से चना वितरित करने के लिए "आत्मनिर्भर भारत (एएनबी)" स्कीम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। भारत सरकार की सिफारिश पर, विभाग ने ''मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ (पीएमसी)'' स्थापित किया है, जो चयनित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की मॉनीटरिंग हेतु उत्तरदायी है।

6.176 चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में दिनांक 01.11.2020 से 'एक देश एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी)' स्कीम को लागू किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत, एनएफएसए के अंतर्गत कवर किए गए सभी पात्र लाभार्थी अपने प्रवास की अधिकतम 06 माह तक की अवधि के लिए खाद्यान्न के स्थान पर खाद्य सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

पर्यावरण

6.177 पर्यावरण संबंधी सूचना प्रदान करने वाली एक नई वेबसाइट विकसित की गई तथा इसे आम जनता के लिए चालू (लाइव) किया गया। चंडीगढ़ में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) थर्माकोल वस्तुओं के संबंध में ई–बैनर्स और स्टैंडीज को शहर में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा, ''हब वेबसाइट'' पर भी ई–बैनर प्रदर्शित किया गया तथा विभागों/संस्थानों/समितियों से भी अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर बैनर प्रदर्शित करने का अनुरोध किया गया।

पशुपालन और मत्स्यपालन

6.178 बड़े पशुओं के लिए 04 पशु–चिकित्सा अस्पताल हैं, जो सेक्टर–38, मनीमाजरा, हल्लोमाजरा और धनास में स्थित हैं, पालतू पशुओं के लिए 01 पशु–चिकित्सा अस्पताल सेक्टर–22 में और सेक्टर–38 में 01 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र के साथ–साथ विभिन्न गांवों में 09 पशु–चिकित्सा उप–केंद्र हैं, जो पशुपालन विभाग, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं।

6.179 ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों/गांवों में मोबाइल पशु एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जहां कोई पशु–चिकित्सा संस्थान नहीं है। सुखना लेक और अन्य वाटर बॉडीज में स्टॉक करने के लिए 8 लाख फिश सीड का उत्पादन करने का लक्ष्य हासिल किया गया। भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की है, जिसके तहत विभाग ने 562 लाभार्थियों की पहचान की है तथा किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए उनके फार्मों को चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के विभिन्न बैंकों में भेजा है।

* * * *

अध्याय–7

पुलिस बल

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस)

7.1 भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत गठित तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, राज्यों और केंद्र दोनों में पुलिस बलों को वरिष्ठ स्तरीय नेतृत्व प्रदान करते हैं। सेवा का अखिल भारतीय स्वरूप, सेवा के सदस्यों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के समग्र परिप्रेक्ष्य में राज्यों की विशेष समस्याओं को हल करने में विशिष्ट सहायता प्रदान करता है। गृह मंत्रालय भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संवर्ग को नियंत्रित करने का कार्य करता है और वह संवर्ग संरचना, प्रशिक्षण, संवर्ग के आबंटन, सेवा में स्थायीकरण, पैनल में शामिल करने, प्रतिनियुक्ति, वेतन और भत्ते, अनुशासनात्मक मामलों आदि सहित इस सेवा से संबंधित सभी नीतिगत निर्णयों के लिए जिम्मेदार है।

7.2 दिनांक 01.01.2021 की स्थिति के अनुसार, यह सेवा 26 राज्य संवर्गों/संयुक्त संवर्गों में संगठित की गई है। केन्द्र सरकार के लिए कोई पृथक संवर्ग नहीं है। प्रत्येक संवर्ग में, अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए एक 'केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व' बनाया गया है। सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके प्रत्येक संवर्ग के अधिकारियों की संख्या की संयुक्त रूप से समीक्षा की जाती है।

7.3 दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों की अधिकृत संख्या 4,984 है और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों की अधिकृत संख्या का राज्य–वार विभाजन **अनुलग्नक–X** के अनुसार है।

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपी एनपीए), हैदराबाद

7.4 सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपी एनपीए), देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। इसमें विश्व स्तरीय पुलिस प्रशिक्षण सुविधाएँ हैं। इसको (i) भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में नए भर्ती किए गए अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर भारतीय पुलिस के लिए नेतृत्व करने वाले अधिकारी तैयार करने और (ii) पुलिस संबंधी विषयों पर अध्ययन के लिए अनुसंधान केन्द्र के तौर पर कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है।

बेसिक कोर्स

7.5 72 (नियमित भर्ती) (2019 बैच) आईपीएस प्रोबेशनर्स ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी/डॉ. मारी चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ तेलंगाना, हैदराबाद/रोनाल्ड कार्लटन विवियन पिडाडे (आरसीवीपी) नोरोन्हा अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, भोपाल में अपना 15 सप्ताह का आधारभूत पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 16.12.2019 को सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपी एनपीए) में रिपोर्ट किया।

7.6 इस बैच के लिए, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपी एनपीए) में बेसिक ट्रेनिंग के अंतर्गत चरण–I (30 सप्ताह), जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण (28 सप्ताह), चरण–II प्रशिक्षण (29 सप्ताह) और दो सप्ताह के लिए दिल्ली में अटैचमेंट (इनमें लोकतांत्रिक संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (पूर्ववर्ती बीपीएसटी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी), राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (आरएंडएडब्ल्यू), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास

ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के साथ अटैचमेंट शामिल हैं), सेना और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के साथ अटैचमेंट (02 सप्ताह) शामिल हैं।

7.7 बैच ने दिनांक 16.12.2019 से 10.07.2020 तक अपने बेसिक कोर्स का चरण–I पूरा कर लिया है और अब वे फील्ड प्रशिक्षण के लिए अपने संबंधित संवर्गों में चले गए हैं और यह प्रशिक्षण दिनांक 20.07.2020 को शुरू हो चुका है। राज्यों में उनका जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर, 72 आरआर (नियमित भर्ती) प्रोबेशनरों ने दिनांक 08.02.2021 से 28.08.2021 तक आयोजित किए जाने वाले 29 सप्ताह के चरण–II के प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए दिनांक 08.02.2021 को इस अकादमी में पुनः रिपोर्ट कर दिया है। इस प्रशिक्षण में कई अटैचमेंट और दौरे अर्थात सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन एंड टैक्टिक्स, बीएसएफ, इंदौर, ग्रेहाउंड्स, तेलंगाना राज्य पुलिस, भारतीय सेना, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के साथ अटैचमेंट तथा सीआरपीएफ के साथ अटैचमेंट शामिल हैं और वे 02 सप्ताह के लिए गुजरात फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, अध्ययन–सह–सांस्कृतिक दौरे अथवा भारत दर्शन तथा एक सप्ताह के विदेश स्टडी कम–एक्सपोजर विजिट पर भी जाएंगे।

7.8 73 आरआर (नियमित भर्ती) के बेसिक कोर्स की ट्रेनिंग का चरण–I अकादमी में दिनांक 28.12.2020 से चल रहा है। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के ट्रेनी अधिकारियों के अतिरिक्त, भूटान, नेपाल और मालदीव के 17 ट्रेनी अधिकारी भी अकादमी में 73 आरआर के साथ चरण–I का प्रशिक्षण ले रहे हैं।

आंतरिक प्रशिक्षण

7.9 आंतरिक प्रशिक्षण में दंड विधि, जांच, मानवाधिकार, अपराध की जांच, लोक व्यवस्था प्रबंधन एवं विधि–विज्ञान आदि के संबंध में सिमुलेशन अभ्यास शामिल थे। जेंडर, बच्चों, उपेक्षित समुदायों, समाज के कमजोर वर्गों और सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित मामलों के बारे में प्रशिक्षार्थियों को जानकारी प्रदान करने के लिए माड्यूल्स संचालित किए गए। उन्हें "आदर्श पुलिस स्टेशन" में जमीनी स्तर पर पुलिस व्यवस्था का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। परिदृश्य–आधारित एकीकृत परीक्षा प्रणाली के माध्यम से मूल्यांकन भी किया गया।

फील्ड प्रशिक्षण

7.10 उन्हें चरण–II के दौरान फील्ड क्राफ्ट एवं युक्ति, विस्फोटकों एवं इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरणों (आईईडी) से निपटने, चट्टान पर चढ़ने (भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) बल), मसूरी के साथ अटैचमेंट के दौरान), इंदौर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन एंड टैक्टिक्स (सीएसडब्ल्यूटी) और हैदराबाद में ग्रेहाउंड्स अटैचमेंट (जीएच), निःशस्त्र युद्ध (यूएसी), इक्विटेशन, स्कूबा डाइविंग, रीवर राफ्टिंग (भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) बल, ऋषिकेश के साथ अटैचमेंट के दौरान) का आउटडोर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

चरण–II प्रशिक्षण

7.11 70 और 71 (नियमित भर्ती) बैच के कुल 131 आईपीएस प्रोबेशनर्स ने दिनांक 26.05.2020 से 04.09.2020 तक अकादमी में चरण–II का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 71 (नियमित भर्ती) के दीक्षांत समारोह के दौरान माननीय प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे और उन्होंने दिनांक 04.09.2020 को प्रोबेशनर्स के साथ बातचीत की।

माननीय प्रधानमंत्री दिनांक 04.09.2020 को 71 (नियमित भर्ती) के दीक्षांत समारोह के दौरान आईपीएस प्रोबेशनर्स के साथ बातचीत करते हुए

(स्रोतः एसवीपी एनपीए, हैदराबाद)

वरिष्ठ पाठ्यक्रम

7.12 वैश्विक महामारी की स्थिति के कारण, प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले अधिकांश सेवाकालीन पाठ्यक्रम इस अवधि के दौरान आयोजित नहीं किए जा सके। केवल चार ऑनलाइन अल्पावधिक सेवाकालीन पाठ्यक्रम ही आयोजित किए जा सके। ये पाठ्यक्रम न्यायपालिका, अभियोजन, विश्वविद्यालयों और गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के अतिरिक्त राज्य पुलिस/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)/सीपीओ और सीवीओ के संकाय के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
1.	आईएफएस प्रोबेशनर्स के लिए जांच कौशल और भीड़ प्रबंधनः ऑनलाइन (भुगतान वाले पाठ्यक्रम)	17.09.2020 से 18.09.2020	73
2.	पुलिस विभाग, कारागार विभाग, विधिक न्यायालय और एफएसएल के बीच समन्वय(ऑनलाइन)	05.10.2020 से 06.10.2020	158
3.	शीघ्र विचारण और कुशल अभियोजन (ऑनलाइन)	08.10.2020 से 09.10.2020	102
4.	नए भर्ती किए गए सीवीओ के लिए 03 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम	19.10.2020 से 21.10.2020	31

सूचना प्रौद्योगिकी

7.13 अकादमी का कम्प्यूटर अनुभाग अपनी परियोजना "राष्ट्रीय डिजिटल अपराध संसाधन प्रशिक्षण केन्द्र (एनडीसीआरटीसी)" के माध्यम से डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर अपराधों की जांच, मोबाइल फॉरेंसिक तथा सोशल मीडिया के विश्लेषण में क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस केंद्र के माध्यम से, विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के लगभग 8,000 प्रतिभागियों और स्टेकहोल्डरों को साइबर अपराधों की जांच तथा फॉरेंसिक के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

अकादमी ने दोनों संस्थानों के बीच सूचना के आदान–प्रदान का तंत्र उपलब्ध कराने के लिए तेलंगाना राज्य पुलिस के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार साझा की गई सूचना का उपयोग फील्ड स्तर के अधिकारियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल्स को डिजाइन, विकसित और डिलिवर करने के लिए किया जाता है।

विशेष युक्ति पाठ्यक्रम

7.14 वर्ष 2020 के लिए विशेष युक्ति पाठ्यक्रम कैलेंडर के अंतर्गत मार्च, 2020 से नवम्बर, 2020 तक विशेष युक्ति विंग द्वारा आयोजित किए जाने के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमों को मौजूदा कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। तथापि, अकादमी ने 72 आरआर के 155 प्रोबेशनर्स को विभिन्न क्षेत्रों यथा, सैंड मॉड्यूल ब्रीफिंग, एक्सप्लोसिव मॉड्यूल, जंगल मॉड्यूल एवं 25 किमी. टैक्टिकल रूट मार्च आदि में 'विशेष युक्ति' का प्रशिक्षण प्रदान किया है।

आईपीएस अधिकारियों के लिए मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

7.15 भारतीय पुलिस (वेतन), नियम, 2007 में यह निर्धारित किया गया है कि आईपीएस अधिकारियों को चरण–III की समाप्ति के पश्चात कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्त किया जाएगा और चरण–IV के मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) की समाप्ति के पश्चात इन अधिकारियों को द्वितीय सुपर टाइम स्केल (पुलिस महानिरीक्षक रैंक) में नियुक्त किया जाएगा। 28 वर्ष की सेवा और उसके पश्चात अगली वार्षिक वेतन–वृद्धि प्राप्त करने के लिए चरण–V को पूरा करना अनिवार्य है।

7.16 अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) डा. त्रिनाथ मिश्र, आईपीएस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा सुझाए गए और गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित किया जा रहा है। मध्य सेवाकलीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) के विभिन्न चरणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्र.सं	चरण	अवधि	प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण	सेवा के वर्ष
1.	चरण–III	किसी विदेश घटक के बिना भारत में 04 सप्ताह का प्रशिक्षण	पुलिस अधीक्षक से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक	7 से 9 वर्ष की सेवा, वर्ष 2000 के बैच और उसके बाद के बैच के लिए अनिवार्य
2.	चरण–IV	04 सप्ताह (03 सप्ताह भारत में और 01 सप्ताह विदेश में)	उप पुलिस महानिरीक्षक से पुलिस महानिरीक्षक तक	14 से 16 वर्ष की सेवा, वर्ष 1991 के बैच और उसके बाद के बैच के लिए अनिवार्य
3.	चरण–V	किसी विदेश घटक के बिना भारत में 02 सप्ताह का प्रशिक्षण	28 वर्ष की सेवा पूरी करने पर वार्षिक वेतन–वृद्धि प्राप्त करने के लिए	24 से 26 वर्ष की सेवा, वर्ष 1981 के बैच और उसके बाद के बैच के लिए अनिवार्य

7.17 दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए और अनिवार्य एमसीटीपी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या निम्नानुसार है:–

- अकादमी द्वारा "चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया" के सहयोग से दिनांक 14.09.2020 से 09.10.2020 तक एमसीटीपी चरण–III/16वां कार्यक्रम संचालित किया गया। 77 आईपीएस अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया।
- अकादमी द्वारा "चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया" के सहयोग से दिनांक 23.11.2020 से 18.12.2020 तक एमसीटीपी चरण–III/17वां कार्यक्रम संचालित किया गया। 74 आईपीएस अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया।

पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नेपा), उमसाव, मेघालय

7.18 पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नेपा) की स्थापना डॉ. एम. एस. गोरे की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण समिति की सिफारिश पर पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों की पुलिस प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुलाई, 1978 में मेघालय के री–भोई जिले के उमसाव गांव में की गई थी। शुरू में इसकी स्थापना पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के तहत क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालेज के रूप में की गई थी, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग (डीओएनईआर) के बनाए जाने के पश्चात, इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग (डीओएनईआर) के अंदर लाया गया। मई 1980 में संस्थान का नाम बदलकर पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी कर दिया गया और इसे पेशेवर सूचनाओं की सुविधा के लिए दिनांक 01.04.2007 को गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया। नीतिगत निर्णय लेने के लिए, अकादमी में एक परामर्शी बोर्ड है, जिसके अध्यक्ष सचिव (सीमा प्रबंधन) हैं।

प्रशिक्षण

7.19 नेपा का उद्देश्य पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों के सीधी भर्ती वाले उप पुलिस अधीक्षकों और उप पुलिस निरीक्षकों के लिए बेसिक इंडक्शन कोर्स का संचालन करना और देश भर के कार्मिकों के लिए सेवाकालीन कोर्स तैयार एवं संचालित करना है।

बेसिक कोर्स

7.20 वर्ष 2020 के दौरान, दिनांक 06.01.2020 से

47वां बेसिक कोर्स शुरू हुआ। 47वें बेसिक कोर्स में कुल 63 प्रशिक्षार्थी अर्थात मणिपुर–2 उप निरीक्षक और 2 सहायक उप निरीक्षक, मेघालय–16 उप निरीक्षक, मिजोरम–2 उप निरीक्षक, नागालैंड–1 उप पुलिस अधीक्षक, 15 उप निरीक्षक तथा 21 सहायक उप निरीक्षक, नागालैंड होमगार्ड और सीडी–3 उप निरीक्षक और त्रिपुरा–1 उप निरीक्षक भाग ले रहे हैं। यह कोर्स दिसम्बर, 2020 के माह में पूरा हो गया और उनकी पासिंग आउट परेड दिनांक 19.12.2020 को आयोजित की गई।

7.21 48वां बेसिक कोर्स दिनांक 14.09.2020 से शुरू हुआ। 48वें बेसिक कोर्स में कुल 61 प्रशिक्षार्थी अर्थात अरुणाचल प्रदेश–16 उप पुलिस अधीक्षक, मणिपुर–05 उप निरीक्षक, मेघालय होमगार्ड और सीडी–20 उप निरीक्षक, सिक्किम–10 उप निरीक्षक और त्रिपुरा–10 उप पुलिस अधीक्षक भाग ले रहे हैं।

दिनांक 14.09.2020 से अगस्त, 2021 तक 48वां बेसिक कोर्स

(स्रोतः नेपा)

7.22 आईपीएस (प्रोबेशनर्स) का पीटीसी के साथ अटैचमेंट दिनांक 20.07.2020 से 22.08.2020 तक 01 (एक) आईपीएस प्रोबेशनर के लिए आयोजित किया गया। असम पुलिस के 573 कार्मिकों हेतु 02 महीनों के लिए रिफ्रेशर इंडक्शन कोर्स संचालित किया जाना है, जिसमें से पहले बैच अर्थात 234 कार्मिकों ने दिनांक 29.09.2020 से 27.11.2020 तक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

दिनांक 29.09.2020 से 27.11.2020 तक असम पुलिस का रिफ्रेशर इंडक्शन कोर्स (इंडोर क्लास)

(स्रोतः नेपा)

सेवाकालीन पाठ्यक्रम

7.23 विद्यमान वैश्विक महामारी के कारण, नियमित सेवाकालीन पाठ्यक्रमों में व्यवधान उत्पन्न हो गया। तथापि, इसके स्थान पर, अकादमी ने जुलाई से व्यापक पुलिस व्यवस्था संबंधी विषयों पर ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कीं और इसने दिनांक 31.12.2020 तक 22 वेबिनार पूरे कर लिए हैं, जिनसे 874 कार्मिक लाभान्वित हुए हैं।

अवसंरचना

7.24 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, गृह मंत्रालय द्वारा 09 निर्माण परियोजनाओं के लिए 86.57 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की गई थी, जिसमें से 08 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

7.25 लागत बढ़ने के कारण 120 बिस्तरों वाले महिला कैडेट मेस का निर्माण रोक दिया गया है। इस संबंध में, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने 6.70 करोड़ रुपये का संशोधित प्रारंभिक अनुमान (आरपीई) प्रस्तुत किया है। प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति के लिए मामला गृह मंत्रालय में प्राप्त हो गया है। गृह मंत्रालय से प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य पुनः शुरू किया जाएगा।

7.26 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, बजट अनुमान (बीई) में 10.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से निम्न परियोजनाओं के लिए सीपीडब्ल्यूडी को कुल 3.30 करोड़ रु. जारी किए गए हैं, अर्थात (i) 20 बिस्तर वाले वरिष्ठ अधिकारी मेस की ओर जाने के लिए संपर्क सड़क का निर्माण, जिसके लिए सीपीडब्ल्यूडी को 2.30 करोड़ रुपये का प्राधिकार पत्र (एलओए) जारी किया गया है और (ii) कैम्पस की मौजूदा सड़क की मरम्मत के लिए 1.00 करोड़ रुपये। ये दोनों कार्य प्रगति पर हैं।

7.27 कुल 86.57 करोड़ रुपये की राशि में से, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा 51.53 करोड़ रुपये और वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (डब्ल्यूएपीसीओएस) द्वारा 33.89 करोड़ रूपए की राशि खर्च की गई है। कुल राशि में से, दिनांक 31.12.2020 तक 85.42 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

विविध

7.28 नेपा के कार्मिकों तथा सेवाकालीन कोर्स एवं बेसिक कोर्स के प्रशिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी से नियमित आधार पर स्वच्छता अभियान और श्रमदान आयोजित किए जाते हैं। कोविड–19 की सभी अनिवार्य सावधानियों का पालन करते हुए राष्ट्रीय पर्वों अर्थात गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का आयोजन साधारण तरीके से किया गया। नेपा का स्थापना दिवस 21 जुलाई को मनाया गया। निबंध लेखन, सस्वर पाठ आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं ऑनलाइन आयोजित की गईं। सभी एहतियाती उपायों का पालन करते हुए अन्य कार्यक्रम जैसे कि सतर्कता सप्ताह, संस्मरण दिवस परेड, सद्भावना दिवस आदि भी मनाए गए। कोविड–19 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेघालय सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेपा परिसर के सभी निवासियों की जांच की गई। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार शपथ ली गई।

7.29 श्री जे. के. द्विवेदी, सहायक निदेशक (विधि) को वर्ष 2018–19 के लिए पुलिस प्रशिक्षण (आंतरिक) में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक प्रदान किया गया और श्री के. के. सिन्हा, अधीक्षक को एक अन्य श्रेणी में केंद्रीय गृह मंत्री पदक प्रदान किया गया। स्वतंत्रता दिवस, 2020 के दौरान नेपा के निरीक्षक, दिलीप चंद्र बिस्वास को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पीपीएम) प्रदान किया गया और श्री लिमाटेमजेन, संयुक्त निदेशक, नेपा को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (पीएम) प्रदान किया गया।

7.30 दिनांक 01.04.2020 से 28.02.2021 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित पदक प्रदान किए गए :–

(क) **"वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पीपीएमजी)"** जान और सम्पत्ति की रक्षा करने अथवा अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने और जोखिम उठाने के समय अदम्य वीरता दर्शाने हेतु उस संबंधित अधिकारी के दायित्वों और कर्तव्यों को उचित सम्मान देने के लिए प्रदान किया जाता है। गणतंत्र दिवस–2021 के अवसर पर राज्य पुलिस/सीएपीएफ कार्मिकों को कुल 02 पदक प्रदान किए गए।

(ख) **"वीरता के लिए पुलिस पदक (पीएमजी)"** अदम्य वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। राज्य पुलिस/सीएपीएफ/सीपीओ के कार्मिकों को स्वतंत्रता दिवस–2020 के अवसर पर कुल

215 पदक प्रदान किए गए और गणतंत्र दिवस–2021 के अवसर पर राज्य पुलिस/सीएपीएफ/ सीपीओ के कार्मिकों को कुल 205 पदक प्रदान किए गये।

(ग) **"विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पीपीएम)"** पुलिस सेवा में अथवा केंद्रीय पुलिस/सुरक्षा संगठनों में विशेष असाधारण रिकॉर्ड हासिल करने अथवा विशेष रूप से कठिन स्थितियों में पुलिस सेवा या केन्द्रीय पुलिस/सुरक्षा संगठन की यूनिटों को संगठित करने अथवा संगठनों के अनुरक्षण में सफलता के लिए प्रदान किया जाता है। राज्य पुलिस/सीएपीएफ/ सीपीओ के कार्मिकों को स्वतंत्रता दिवस–2020 के अवसर पर कुल 81 पदक प्रदान किए गए और गणतंत्र दिवस–2021 के अवसर पर राज्य पुलिस/सीएपीएफ/ सीपीओ के कार्मिकों को कुल 90 पदक प्रदान किए गये।

(घ) **"सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (पीएम)"** लम्बी सेवा अथवा सक्षमता और मेरिट सहित कर्तव्य निर्वहन के लिए समर्पण भावना से प्रमाणित बहुमूल्य सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राज्य पुलिस/सीएपीएफ/सीपीओ के कार्मिकों को स्वतंत्रता दिवस–2020 के अवसर पर कुल 633 पदक प्रदान किए गए और गणतंत्र दिवस–2021 के अवसर पर राज्य पुलिस/सीएपीएफ/ सीपीओ के कार्मिकों को 651 पदक प्रदान किए गये।

(ङ) **"पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक"** पुलिस संगठनों में प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षकों के महत्व को सम्मान देने और देश में पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2019–20 के लिए प्रशिक्षकों को कुल 277 पदक प्रदान किए गए।

(च) **"सर्वोत्तम पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी"**: देश में सर्वोत्तम पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कुल मिलाकर छः ट्रॉफियां होंगी, जिसमें से तीन सीएपीएफ/ सीपीओ प्रशिक्षण संस्थानों के लिए और तीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के लिए होंगी। ये ट्रॉफियां पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कार्य निष्पादन के लिए प्रति वर्ष प्रदान की जाएंगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, निम्नलिखित वर्षों के लिए ट्रॉफियों की घोषणा की गई थीः–

(i) 2016–17ः प्रत्येक सीएपीएफ/सीपीओ के लिए 03 राष्ट्रीय स्तर और 12 जोनल स्तरीय।

(ii) 2017–18ः प्रत्येक सीएपीएफ/सीपीओ के लिए 03 राष्ट्रीय स्तर और 15 जोनल स्तरीय।

(iii) 2018–19ः प्रत्येक सीएपीएफ/सीपीओ के लिए 03 राष्ट्रीय स्तर और 12 जोनल स्तरीय।

(iv) 2019–20ः प्रत्येक सीएपीएफ/सीपीओ के लिए 03 राष्ट्रीय स्तर और 13 जोनल स्तरीय।

(छ) **"जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री पुलिस पदक"** पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के क्रम में उनके द्वारा मानव जीवन की रक्षा करने के समय कर्तव्य निष्ठा प्रदर्शित करने के मामलों में प्रदान किया जाता है। वर्ष 2019 के लिए 08 पुलिस कर्मियों को पदक देने की घोषणा की गई है।

(ज) **"अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक"** अन्वेषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020 के लिए राज्य/केंद्रीय आसूचना एजेंसियों के 121 अधिकारियों को यह पदक दिनांक 12.08.2020 को प्रदान किया गया।

(झ) **"केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक"** उन अभियानों के लिए प्रदान किया जाता है, जिनकी योजना उच्च कोटि की होती है, जो देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं और जिनका समाज के एक बड़े वर्ग की सुरक्षा पर काफी अधिक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2020 के लिए विभिन्न राज्य पुलिस/सीएपीएफ/ सीपीओ के 105 अधिकारियों को यह पदक

दिनांक 31.10.2020 को प्रदान किया गया।

(ञ) **"असाधारण आसूचना कुशलता पदक"** असाधारण कार्य–निष्पादन, अदम्य और साहसिक खुफिया सेवा के लिए दिया जाता है। वर्ष 2020 के लिए विभिन्न राज्य पुलिस/सीएपीएफ/सीपीओ के कुल 144 अधिकारियों को यह पदक दिनांक 23.12.2020 को प्रदान किया गया।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)

7.31 गृह मंत्रालय के अधीन पांच केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) अर्थात् सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.), भारत – तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.), सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) और एक केन्द्रीय अर्धसैनिक बल (सीपीएमएफ) नामतः असम राइफल्स (ए.आर.) हैं। इनमें से, असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल "सीमा प्रहरी बल (बीजीएफ)'' हैं, जबकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को लोक व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा एवं विद्रोह–रोधी मामलों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के अधीन सिविल प्रशासन की सहायता हेतु तैनात किया जाता है। द्रुत कार्रवाई बल (आरएएफ) और दृढ़ता से कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियन (कोबरा) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशिष्ट विंग हैं, जो क्रमशः दंगों और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई)/विद्रोह से निपटते हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल राष्ट्रीय/रणनीतिक महत्व वाले महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) आतंकवाद का मुकाबला करने और विमान अपहरण–रोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षित एक विशेषज्ञता प्राप्त प्रहार बल है। इसे अधिक जोखिम वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) की सुरक्षा का कार्य भी सौंपा जाता है और यह घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सुरक्षा के लिए स्काई मार्शल के रूप में भी कार्य करता है।

असम राइफल्स (एआर)

7.32 "पूर्वोत्तर के लोगों के मित्र' के रूप में सम्मानित, असम राइफल्स (एआर) का गठन वर्ष 1835 में "कछार लेवी" के रूप में किया गया था और यह देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसका मुख्यालय शिलांग में है और इस बल को विद्रोह–रोधी (सीआई) भूमिका तथा 1,643 किमी. लंबी भारत–म्यांमार सीमा (आईएमबी) की रक्षा करने के लिए पूर्णरूप से पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र में तैनात किया गया है। इस बल में एक महानिदेशालय मुख्यालय, 03 महानिरीक्षक मुख्यालय, 12 सेक्टर मुख्यालय, 47 बटालियनें (एक एनडीआरएफ बटालियन सहित), 01 प्रशिक्षण केन्द्र, 01 श्वान प्रशिक्षण केंद्र और प्रशासनिक घटक शामिल हैं तथा इसके कार्मिकों की कुल प्राधिकृत संख्या 66,411 है।

7.33 दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक पूर्वोत्तर (एनई) में विद्रोह के विरुद्ध अपनी लड़ाई में, असम राइफल्स (एआर) की उपलब्धियां अनुलग्नक–XI में दी गई हैं।

7.34 अवधि के दौरान, कर्तव्य का पालन करते हुए असम राइफल्स (एआर) के 08 कार्मिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और 06 कार्मिक घायल हुए।

वीरता और अन्य पुरस्कार

7.35 स्वतंत्रता दिवस, 2020 के अवसर पर बल के सदस्यों को निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए:–

क्र.सं.	पदक/पुरस्कार	मात्रा
क)	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक	10
ख)	राज्यपाल का स्वर्ण पदक	42
ग)	राज्यपाल का रजत पदक	52
घ)	गवर्नर्स नागालैंड एप्रीसिएशन	04
ङ)	सीओएएस कमेंडेशन कार्ड	08
च)	डीजीएआर कमेंडेशन कार्ड	134
छ)	जीओसी–इन–सी ईस्टर्न कमांड कमेंडेशन कार्ड	39

7.36 **जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) में असम राइफल्स (एआर) की एक बटालियन की तैनातीः** ऑपरेशन रक्षक के भाग के रूप में जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर दिनांक 01.04.2020 से असम राइफल्स की एक बटालियन तैनात की गई है।

7.37 **राष्ट्र की सेवा में असम राइफल्स (एआर) की महिला शक्तिः** असम राइफल्स (एआर) ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर अपनी महिला सैनिकों की तैनाती की है। राइफलवुमन ने श्रीनगर आधारित चिनार कार्प्स के तत्वावधान में प्री–इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्वयं को पूर्णरूपेण कश्मीर घाटी की गतिविधियों के अनुकूल ढाल लिया है।

7.38 **गोलान हाइट्स में यूनाइटेड नेशंस डिसइंगेजमेंट आब्जर्वर फोर्स (यूएनडीओएफ) में महिला सैनिकों की तैनातीः** एक ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में, असम राइफल्स (एआर) की चार राइफलवुमन को दिनांक 21.09.2020 से भारतीय सैन्य दस्ते के "फोर्स मिलिटरी पुलिस प्लाटून (एफएमपीपी)" के भाग के रूप में यूएनडीओएफ में तैनात किया गया है।

महानिदेशक, असम राइफल्स यूएनडीओएफ के लिए चयनित राइफलवुमन से बातचीत करते हुए

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)

7.39 सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का गठन 25 बटालियनों तथा 03 कंपनियों के साथ वर्ष 1965 में किया गया था। कालान्तर में, बल के आकार में वृद्धि हुई है और इस समय 04 एनडीआरएफ बटालियनों सहित इसकी 193 बटालियनें हैं। बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी फील्ड रचना में 02 विशेष महानिदेशालय अर्थात् विशेष महानिदेशालय (पूर्वी कमान) और विशेष महानिदेशालय (पश्चिमी कमान) तथा 01 एडीजी कमान मुख्यालय (विशेष ऑपरेशन) रायपुर, 13 फ्रंटियर्स और 46 सेक्टर मुख्यालय, वाटर विंग, एयर विंग एवं अन्य सहायक इकाइयां हैं। दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, बीएसएफ की कुल स्वीकृत पद संख्या 2,65,173 है।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

7.40 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई)/आतंकवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई में, दिनांक 01.04.2020 से 31.10.2020 तक बीएसएफ की उपलब्धियां निम्नानुसार हैंः–

क्र.सं.	मारे गए/गिरफ्तार किए गए/आत्मसमर्पण करने वाले तस्कर/घुसपैठिए/भगोड़े/बरामद की गई वस्तुएं	संख्या/मात्रा किग्रा. में (राशि रुपये में)
क)	मारे गए तस्कर/घुसपैठिए/भगोड़े	32
ख)	गिरफ्तार किए गए घुसपैठिए/ भगोड़े	4977
ग)	गिरफ्तार किए गए माओवादी/उग्रवादी	04
घ)	आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी/उग्रवादी	14
ङ)	हथियार	148
च)	गोला–बारूद	10208
छ)	विस्फोटक (किग्रा. में)	21,852
ज)	जब्त की गई निषिद्ध सामग्री (रुपये में)	28,13,19,42,822

7.41 अवधि के दौरान, ऑपरेशनों में बीएसएफ के 06 कार्मिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और 151 कार्मिक घायल हुए।

7.42 वर्ष 2020–21 (दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक) के दौरान, बल के सदस्यों को निम्नलिखित पदक प्रदान किए गए:

(क)	वीरता के लिए पुलिस पदक	01
(ख)	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	05
(ग)	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक	46

विदेश में तैनाती

7.43 सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की एक गठित पुलिस इकाई दिनांक 28.11.2005 से कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन (एमओएनयूएससीओ) में तैनात है। 07 अधिकारियों, 07 अधीनस्थ अधिकारियों और 126 अन्य रैंकों के कुल 140 कार्मिकों वाली 13वीं टुकड़ी कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक शांति प्रक्रिया में सहायता प्रदान कर रही है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के अधिदेश को सुनिश्चित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां अनुकरणीय तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)

7.44 वर्ष 1969 में गठित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) 351 इकाइयों को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है, जिनमें 64 घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 104 औद्योगिक उपक्रमों को अग्नि–सुरक्षा कवर शामिल हैं। पांच दशकों की अवधि में, बल की नफरी में कई गुना वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के साथ, सीआईएसएफ अब सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) केंद्रित संगठन नहीं रह गया है। इसके बजाय, यह देश का एक प्रमुख बहु–कौशल सम्पन्न सुरक्षा एजेन्सी बन गया है, जिसे आतंकवाद और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रमुख संवेदनशील आधारभूत संस्थापनाओं को सुरक्षा प्रदान करने का अधिदेश दिया गया है। सीआईएसएफ वर्तमान में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, अन्तरिक्ष संस्थापनाओं, रक्षा उत्पादन इकाइयों, खानों, आयल फील्ड और रिफाइनरी, प्रमुख बंदरगाहों, भारी इंजीनियरिंग, स्टील संयंत्रों, उर्वरक इकाइयों, हवाई अड्डों, जल विद्युत/थर्मल विद्युत संयंत्रों, संवेदनशील सरकारी भवनों तथा हैरिटेज स्मारकों (ताजमहल, लाल किला और स्टैचू ऑफ यूनिटी (एसओयू), केवड़िया सहित) तथा निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण इकाइयों को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है। सीआईएसएफ को समूचे देश में विभिन्न श्रेणियों के सुरक्षा प्राप्त अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) को सुरक्षा प्रदान करने का अधिदेश भी दिया गया है।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

7.45 सीआईएसएफ देश में सबसे बड़े अग्नि संरक्षण सेवा प्रदाताओं में से एक है। यह 8,017 कार्मिकों की स्वीकृत नफरी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के 104 उपक्रमों (पीएसयू) को अग्नि से संरक्षण और अग्नि–सुरक्षा कवर प्रदान करता है। वर्ष 2020 में (दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक), आग लगने से संबंधित कुल 1,883 घटनाओं की कॉल (जिनमें आग की 23 बड़ी घटनाएं शामिल हैं) पर कार्रवाई की गई और कुल 206.79 करोड़ रु. की संपत्ति को बचाया गया। वर्ष 2020 (दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक) के दौरान सीआईएसएफ ने आंतरिक सुरक्षा संबंधी ड्यूटी के लिए 119 कंपनियां और चुनाव ड्यूटी के लिए 181 कंपनियां तैनात कीं।

7.46 इंडियन एयरलाइंस के विमान सं. आई सी–814 का अपहरण करके कंधार ले जाने की घटना के बाद हवाई अड्डों की सुरक्षा का विशिष्ट कार्य वर्ष 2000 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सौंपा गया था। इस बल को तभी से संपूर्ण देश में 64 हवाई अड्डों पर तैनात किया गया है, जिनमें सभी प्रमुख हवाई अड्डे यथा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु आदि शामिल हैं। नवीनतम इंडक्शन दिनांक 26.02.2020, 06.03.2020 और 05.08.2020 को क्रमशः श्रीनगर, जम्मू और लेह हवाई अड्डों का किया गया था। वर्ष 2020 (दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक) के दौरान, सीआईएसएफ ने हवाई अड्डों पर 16.24 करोड़ रू. की खोया–पाया संपत्ति बरामद की, जिसमें से 12.58 करोड़ रु. की संपत्ति यात्रियों को सौंप दी गई, जबकि 4.06 करोड़ रू. की संपत्ति हवाई अड्डा संचालकों को सौंप दी गई। सीआईएसएफ कार्मिकों ने विभिन्न हवाई अड्डों पर हथियार और गोला–बारुद के 114 मामलों, जाली ई–टिकट पर एंट्री के 12 मामलों एवं निषिद्ध सामग्रियों (मादक पदार्थों) के 08 मामलों का भी पता लगाया। हवाई अड्डों पर तैनात सीआईएसएफ कर्मचारियों ने दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 की अवधि के बीच 16.08 किग्रा. सोना और 3.07 करोड़ रु. की नकदी का भी पता लगाया।

7.47 सीआईएसएफ का वीआईपी सुरक्षा विंग, जिसे विशेष सुरक्षा ग्रुप (एसएसजी) कहा जाता है, वीवीआईपी/वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में, देश के विभिन्न राज्यों में 65 वीवीआईपी/वीआईपी को विभिन्न श्रेणियों में एसएसजी/सीआईएसएफ द्वारा सुरक्षा कवर प्रदान किया जा रहा है। सीआईएसएफ नई दिल्ली में 48 संवदेनशील और अति–संवेदनशील सरकारी भवनों की सुरक्षा भी करता है। वर्ष 1999 में, सीआईएसएफ को निजी क्षेत्र के उन प्रतिष्ठानों में भी, जहाँ सीआईएसएफ की तैनाती नहीं की जाती है, भुगतान के आधार पर तकनीकी और अग्निशमन परामर्शी सेवाओं का विस्तार करने के लिए अधिकृत किया गया था। सीआईएसएफ ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक 204 ग्राहकों को परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई हैं और कुल 13.24 करोड़ रु. का राजस्व अर्जित किया है। सीआईएसएफ अधिनियम में संशोधन किया गया था, ताकि यह बल देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण निजी/संयुक्त उद्यम वाले औद्योगिक उपक्रमों को भुगतान के आधार पर सुरक्षा प्रदान कर सके। सीआईएसएफ 351 इकाइयों को सुरक्षा कवर प्रदान करता है, जिनमें से 290 इकाइयां (दिनांक 31.12.2020 तक) अपराध मुक्त हैं।

7.48 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को दिनांक 15.04.2007 को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की सेवा में लगाया गया था और इसके कार्मिकों की वर्तमान संख्या 12,528 है। डीएमआरसी एक उच्च संवेदनशील इकाई है और इसमें सीआईएसएफ की सबसे बड़ी इकाई शामिल है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) 248 मेट्रो स्टेशनों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके दैनिक यात्रियों की संख्या लगभग 30–35 लाख है। परंतु, वर्ष 2020 में कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण यात्रियों की संख्या तेजी से घटकर 15 लाख हो गई है। वर्ष 2020 (दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक) के दौरान, सीआईएसएफ ने दिल्ली मेट्रो में 7.23 लाख रू. की खोया–पाया संपत्ति बरामद की, जिसमें से 5.62 लाख रु. की संपत्ति वास्तविक मालिक को सौंप दी गई, जबकि 1.61 लाख रु. की संपत्ति डीएमआरसी को सौंप दी गई। इस अवधि के दौरान, गुमशुदा बच्चों के 07 मामले रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 04 गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार के सदस्यों से पुनः मिलवा दिया गया और शेष मामलों को दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस (डीएमआरपी) को सौंप दिया गया। सीआईएसएफ के कार्मिकों ने 02 यात्रियों को आत्महत्या करने से भी बचाया।

विदेश में तैनाती

7.49 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की एक टुकड़ी, जो दिनांक 17.08.2008 से हैती में युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन (एमआईएनयूएसटीएएच)/ हैती में यूनाइटेड नेशंस मिशन फॉर जस्टिस सपोर्ट (एमआईएनयूजेयूएसटीएएच) हेतु तैनात थी, दिनांक 31.12.2018 को भारत लौट आयी है। वर्तमान में, सीआईएसएफ के 147 कार्मिक भारत के बाहर विभिन्न मिशनों (नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान) में तैनात किए गए हैं।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)

7.50 शुरु में दिनांक 27.07.1939 को 'क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव पुलिस' के नाम से नीमच (मध्य प्रदेश) में गठित किए गए इस बल का नाम स्वतंत्रता के बाद बदलकर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर दिया गया था। तब से, बल की नफरी और क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में, इसकी स्वीकृत क्षमता 239 बटालियनों की है तथा इसके पास 43 ग्रुप सेन्टर, 22 प्रशिक्षण संस्थान, 07 शस्त्र कार्यशालाएं, 03 केन्द्रीय शस्त्रागार, 05 सिग्नल बटालियनें, 01 पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप (पीडीजी) और 01 स्पेशल ड्यूटी ग्रुप (एसडीजी) हैं। इस बल में, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थित बल मुख्यालय अर्थात निदेशालय के अलावा, 04 जोनल मुख्यालयों (मध्य, पूर्वोत्तर, दक्षिणी और जम्मू एवं कश्मीर) में 04 स्पेशल डीजी, प्रशासनिक सेक्टरों के 21 महानिरीक्षक, ऑपरेशन सेक्टरों के 02 महानिरीक्षक, 39 प्रशासनिक रेंज मुख्यालय, 17 ऑपरेशन रेंज मुख्यालय के रुप में सीनियर कमांड/पर्यवेक्षकीय संगठन और 100 बिस्तर वाले 04 कम्पोजिट अस्पताल तथा 50 बिस्तर वाले 18 कम्पोजिट अस्पताल और 06 फील्ड अस्पताल भी हैं। यह बल इस समय देश भर में कानून एवं व्यवस्था, विद्रोह–रोधी, उग्रवाद–रोधी और नक्सल–रोधी अभियानों सहित विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। यह बल लोक व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों की सहायता करने और नक्सलियों/उग्रवादी समूहों और विद्रोहियों की विध्वंसात्मक गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीआरपीएफ की 06 महिला बटालियनें और 15 आरएएफ बटालियनों में प्रत्येक में 106 महिलाओं वाली 01 महिला टुकड़ी भी है तथा नक्सलवाद से लड़ने के लिए गठित बस्तरिया बटालियन में विभिन्न रैंकों में 242 महिला कार्मिक भी तैनात हैं। आतंकवाद, उग्रवाद, विद्रोह और नक्सलवाद से निपटने के साथ–साथ देश भर में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुल 239 बटालियनें (06 महिला, 05 वीआईपी सुरक्षा, 10 कोबरा और 15 द्रुत कार्रवाई बल (आरएएफ) सहित) तैनात हैं। दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, इस बल के कुल कार्मिकों की संख्या 3,24,723 है।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

7.51 दिनांक 31.12.2020 तक सीआरपीएफ की ऑपरेशन संबंधी प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैंः–

क्र.सं.	माओवादी/आतंकवादी/राष्ट्र–विरोधी तत्व	संख्या/मात्रा/राशि
1	मारे गए माओवादी/आतंकवादी	212
2	गिरफ्तार किए गए माओवादी/आतंकवादी	735
3	आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी/आतंकवादी	292
4	हथियार	511
5	गोला–बारूद	18,824
6	विस्फोटक (किग्रा. में)	168.83
7	ग्रेनेड (संख्या में)	448
8	रॉकेट	01
9	बम	82
10	आईईडी	349
11	डेटोनेटर	2,531
12	जिलेटिन स्टिक्स	1,981
13	नारकोटिक्स (किग्रा. में)	11,801.18
14	बरामद की गई नकदी (रुपये में)	40,09,281

7.52 वर्ष 2020–21 (दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक) के दौरान, बल के सदस्यों को निम्नलिखित पदक प्रदान किए गए :–

(क)	वीरता के लिए पुलिस पदक	55
(ख)	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	04

सीआरपीएफ में द्रुत कार्रवाई बल (आरएएफ)

7.53 वर्ष 1991 में, सीआरपीएफ की 10 बटालियनों को द्रुत कार्रवाई बल (आरएएफ) की 04–04 कंपनियों वाली 10 बटालियनों में परिवर्तित किया गया था। आरएएफ में कार्मिकों को सांप्रदायिक दंगों और समान परिस्थिति में एक प्रभावशाली हमलावर बल के रूप में प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। ये बटालियनें तुरंत कार्रवाई करने तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति के बिगड़ने से पूर्व उसे नियंत्रित करने के लिए देश भर में सांप्रदायिक रूप से अति संवेदनशील 10 स्थानों पर स्थित हैं। आरएएफ बटालियनों की बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर, भारत सरकार ने वर्ष 2018 में सीआरपीएफ की 05 और कार्यकारी बटालियनों को आरएएफ बटालियनों में परिवर्तित करने का अनुमोदन प्रदान किया था। इन सभी बटालियनों का गठन एक स्वतंत्र पद्धति से किया गया है और ये एक महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य कर रही हैं।

सीआरपीएफ में कठोर कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियनें (कोबरा)

7.54 कठोर कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियन (कोबरा) एक विशेषज्ञता प्राप्त बल है, जो वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में माओवादियों और विद्रोहियों से लड़ने के लिए अस्तित्व में आया था। यह जंगल वैरियर्स के रूप में भी जानी जाती है। वर्ष 2008–11 के दौरान 10 कोबरा बटालियनों का गठन किया गया था। इन बटालियनों का गठन आयु और अन्य शारीरिक विशेषताओं के आधार पर सीआरपीएफ के कार्मिकों में से ही आंतरिक रूप से चयन करके किया गया है। उन्हें प्रशिक्षित, सुसज्जित और एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया है। जंगलों में रहने, लड़ने और जीतने के लिए प्रशिक्षित देश की यह एक श्रेष्ठ कमांडो यूनिट है। जंगल युद्ध कौशल एवं युक्ति में विशिष्ट प्रशिक्षण देने के लिए एक कोबरा स्कूल भी चल रहा में है, जो बल कार्मिकों को अत्यधिक क्षमतावान कोबरा कमांडो बनने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है।

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपीएफ)

7.55 आईटीबीपीएफ का गठन वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के पश्चात 04 बटालियनों की मामूली संख्या के साथ किया गया था। इसका गठन मूलतः आपूर्ति, संचार और आसूचना संग्रहण के मामले में आत्मनिर्भर एक एकीकृत "गुरिल्ला–सह–आसूचना–सह–लड़ाकू बल" के रूप में किया गया था। यह बल समय के साथ परंपरागत सीमा प्रहरी बल (बीजीएफ) के रूप में विकसित हो गया। आज, आईटीबीपी 3,488 किमी. लम्बी भारत–चीन सीमा की रक्षा करती है और लद्दाख में कराकोरम दर्रा(पास) से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जाचेप–ला तक भारत–चीन सीमा के पश्चिमी, मध्यवर्ती एवं पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में 9,000 फुट से लेकर 18,750 फुट की ऊंचाई वाले हिस्सों में 180 सीमा चौकियों (बीओपी) का संचालन कर रही है। आईटीबीपी की 08 बटालियनें छत्तीसगढ़ के माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। आईटीबीपी 05 फ्रंटियर मुख्यालयों, 15 सेक्टर मुख्यालयों, 56 सर्विस बटालियनों, 04 स्पेशलाइज्ड बटालियनों, 02 एनडीआरएफ बटालियनों और 14 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कार्य करता है और इसकी कुल स्वीकृत कार्मिक संख्या 88,437 है। कैडर समीक्षा के कार्यान्वयन के पश्चात, अपर महानिदेशक (एडीजी) रैंक के अधिकारी के नेतृत्व वाले पश्चिमी कमान और पूर्वी कमान नामक दो नए कमान मुख्यालय अस्तित्व में आए थे।

नक्सल–रोधी अभियान

7.56 दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान, आईटीबीपी ने छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ विभिन्न संयुक्त अभियान संचालित किए, जिनमें 04 नक्सली मारे गए, 01 नक्सली पकड़ा गया, जबकि 07 हथियार, 137 राउंड गोला–बारूद और 13 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) भी बरामद किए गए।

7.57 विदेश में तैनाती

- आईटीबीपी काबुल स्थित भारतीय दूतावास तथा अफगानिस्तान में कंधार और मज़ार–ए–शरीफ स्थित

02 अन्य वाणिज्य दूतावासों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है।

- वर्तमान में, अफगानिस्तान में दूतावास एवं महावाणिज्य दूतावास को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 03 एक्सप्लोसिव डिटेक्टर आईईडी श्वानों के साथ कुल 266 कार्मिक (जीओ–05, एसओ–05, ओआर–256) तैनात किए गए हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी)

7.58 राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) का गठन सभी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वर्ष 1984 में किया गया था। यह हमलावर बल सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और राज्य पुलिस बलों के चुनिंदा कार्मिकों का एक विशिष्ट संगठन है। दिनांक 26.11.2008 के मुम्बई आतंकी हमले के पश्चात, कार्रवाई संबंधी मैट्रिक्स को कम करने और पूरे भारत में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए चार क्षेत्रीय हब (मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता) स्थापित किए गए थे। वर्ष 2016 में, गांधीनगर (गुजरात) में पांचवां हब अस्तित्व में आया।

7.59 फेडरल कंटिंजेंसी फोर्स के रूप में, एनएसजी को अपनी श्रेष्ठता की परिपाटी के साथ कई सफल आतंकवाद–रोधी अभियानों का श्रेय प्राप्त है। विगत कुछ वर्षों में, एनएसजी ने अपनी प्रशिक्षण एवं ऑपरेशनल कार्यक्षमता के उच्च मानदण्डों की वजह से 'सर्वोत्कृष्ट' होने की स्पृहणीय प्रतिष्ठा प्राप्त की है। अपने समर्पण, साहस और सर्जिकल ऑपरेशन संबंधी क्षमताओं की वजह से, इस विशिष्ट बल के कमांडो 'ब्लैक कैट' के रूप में जाने जाते हैं।

ऑपरेशन

7.60 **सतर्क बल–** एनएसजी के कार्य बलों (टीएफ) तथा त्वरित कार्रवाई दलों (क्यूआरटी) को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अत्यंत कम समय में प्रस्थान करने के लिए दिल्ली तथा सभी पांच क्षेत्रीय हबों पर सातों दिन चौबीसों घंटे (24x7) चौकस रखा जाता है। राष्ट्रीय संकट के दौरान एनएसजी के कार्य बलों को गृह मंत्रालय के अनुमोदन के पश्चात कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

(क) **इमीडिएट बैक अप सिक्योरिटी (आईबीयूएस) ऑपरेशन** – एनएसजी के कार्य बलों (टीएफ) को गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस समारोह समेत राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भाग के रूप में इमीडिएट बैक अप सिक्योरिटी (आईबीयूएस) ऑपरेशनों के लिए तैनात किया जाता है। दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक एनससजी द्वारा इस प्रकार के 19 आयोजनों को कवर किया गया।

(ख) **संवेदनशील स्थानों/प्रतिष्ठानों/हवाई अड्डों की टोह** – एनएसजी देश भर में संवेदनशील स्थानों/प्रतिष्ठानों/हवाई अड्डों की नियमित टोह लेता है। टोह लेने के दौरान, अपने अभियानों की योजना बनाने के लिए संवेदनशील स्थानों एवं प्रतिष्ठानों की जानकारी प्राप्त की जाती है। दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान इस प्रकार के 30 संवेदनशील स्थानों/प्रतिष्ठानों की टोह ली गई।

प्रशिक्षण

7.61 **एनएसजी इंडक्शन कोर्स**

(क) एनएसजी कमांडो की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, प्रवेश मानकों को और अधिक कठोर बनाया गया है। सीएपीएफ के सभी महानिदेशकों से एनएसजी के लिए स्वयंसेवकों की स्क्रीनिंग करने और न्यूनतम शारीरिक तथा फायरिंग मानकों को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को और अधिक परिष्कृत एवं संकेंद्रित बनाने हेतु इसमें सुधार किया गया है।

(ख) दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक एनएसजी में सेना के 575 कार्मिकों तथा सीएपीएफ के 97 कार्मिकों को शामिल किया गया।

7.62 **एनएसजी क्षमता निर्माण पाठ्यक्रम**

(क) पिछले एक वर्ष में, एनएसजी ने राज्य स्तर पर सर्वप्रथम कार्रवाई करने वालों (फर्स्ट रेस्पांडर्स) को प्रशिक्षण प्रदान करने में काफी प्रगति की है। ब्लैक कैट कैलेण्डर के अनुसार शुरू किए गए अधिदेशित प्रशिक्षण के अलावा, क्षेत्रीय हबों ने अपने संबंधित उत्तरदायित्व वाले क्षेत्र में राज्य

आतंकवाद – रोधी बलों को प्रशिक्षण प्रदान करना शुरू कर दिया है। इसमें आतंकवाद–रोधी प्रशिक्षण, बम निष्क्रियकरण प्रशिक्षण, केनाइन (के9) का प्रशिक्षण तथा स्नाइपर प्रशिक्षण शामिल हैं।

(ख) **राज्य/सीएपीएफ स्तरीय बम निष्क्रियकरण प्रशिक्षण** – उक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित राज्यों/सीएपीएफ के लिए राज्य/सीएपीएफ स्तरीय बम निष्क्रियकरण प्रशिक्षण संचालित किया गया :–

क्र.सं.	राज्य/सीएपीएफ	प्रतिभागियों की संख्या			कुल
		अधिकारी	सहायक कमांडेंट	रेंजर	
(i)	गोवा पुलिस	00	07	27	34
(ii)	उत्तर प्रदेश पुलिस	00	00	45	45
(iii)	बम निष्क्रियकरण इंडक्शन पाठ्यक्रम–2 एनएसजी कार्मिक	02	01	07	10
कुल		**02**	**08**	**79**	**89**

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)

7.63 वर्ष1962 में भारत–चीन संघर्ष के पश्चात विशेष सेवा ब्यूरो का गठन वर्ष 1963 के प्रारंभ में सीमापार से विध्वंस, घुसपैठ और तोड़–फोड़ के खतरे के प्रति सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों का मनोबल बढ़ाने और उनमें क्षमता का निर्माण करने के लिए मौजूदा 'सशस्त्र सीमा बल' के पूर्ववर्ती बल के रूप में किया गया था। गृह मंत्रालय के अधीन यह बल वर्ष 2001 में सीमा प्रहरी बल (बीजीएफ) बन गया और इसके कर्तव्यों के चार्टर में संशोधन करके इसका नाम 'सशस्त्र सीमा बल' रखा गया। इसे भारत–नेपाल तथा भारत–भूटान सीमाओं पर सीमा चौकसी की जिम्मेदारी दी गई है।

7.64 एसएसबी की तैनाती 1,751 किमी. लंबे क्षेत्र में भारत–नेपाल सीमा पर और 699 किमी. लंबी भारत–भूटान सीमा पर की गई है। वर्तमान में, बल के पास 78,834 कार्मिकों की नफरी तैनात है। इस बल में 01 बल मुख्यालय, 06 फ्रंटियर, 18 सेक्टर, 73 बटालियनें, 04 आरटीसी (रिक्रूट प्रशिक्षण केन्द्र), 02 केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, 01 आसूचना प्रशिक्षण स्कूल, 01 वायरलेस और दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, 01 एसएसबी अकादमी, 01 सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र, 01 डॉग ब्रीडिंग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, 03 कम्पोजिट अस्पताल, 02 केन्द्रीय भंडार डिपो एवं कार्यशाला (सीएसडीएंडडब्ल्यू), 01 चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र और 01 काउंटर इंसरजेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल (सीआईएंडजेडब्ल्यूएस) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बल न केवल भारत–नेपाल और भारत–भूटान सीमाओं की चौकसी करता है, बल्कि यह आतंरिक सुरक्षा और विद्रोह–रोधी अभियानों से संबंधित कर्तव्य का निर्वहन भी कर रहा है। इसने अपने कार्मिकों की तैनाती जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों तथा छत्तीसगढ़, झारखण्ड और बिहार के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में की है।

7.65 ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां (दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक) **अनुलग्नक–XII** में दी गई है।

सीएपीएफ में कांस्टेबलों की संशोधित भर्ती योजना

7.66 वर्ष 2011–12 से, भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, सक्षम, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सीएपीएफ और असम राइफल्स में कांस्टेबलों की भर्ती योजना को संशोधित किया गया है ताकि भर्ती प्रक्रिया में व्यक्तिपरकता की गुंजाइश को कम किया जा सके तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाया जा सके। सीएपीएफ और असम राइफल्स (एआर) में कांस्टेबलों की भर्ती की संशोधित भर्ती योजना निम्नानुसार हैः–

(क) सभी सीएपीएफ और असम राइफल्स के लिए भर्ती कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से एक एकल संयुक्त परीक्षा आयोजित करके केन्द्रीय स्तर पर की जा रही है। उम्मीदवारों को टेलीफोन/वेबसाइट/ मोबाइल

फोन/एसएमएस के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।

(ख) गृह मंत्रालय और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा हस्ताक्षरित कांस्टेबल (जीडी) परीक्षा, 2018 के लिए संशोधित समझौता ज्ञापन के अनुसार, देश भर के अभ्यर्थियों से केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन मंगाने तथा वर्ष 2018 की परीक्षा से आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा, केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में कराने का निर्णय लिया गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में छांटे गए अभ्यर्थियों के संबंध में नोडल बल द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीएसटी)/शारीरिक धीरज परीक्षण (पीईटी) आयोजित किया जाएगा और पीएसटी/ पीईटी में सफल हुए अभ्यर्थियों के संबंध में परिणाम घोषित होने के पश्चात, अभ्यर्थियों को विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के लिए बुलाया जाएगा। तद्नुसार, देश के सभी भागों, विशेषकर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों/जम्मू और कश्मीर/पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित व्यापक प्रचार विंडो वाले विज्ञापन दिए जाते हैं।

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) अब केवल अर्हक प्रकृति का है और इसमें कोई अंक नहीं दिया जाता है। साथ ही, साक्षात्कार को भी समाप्त कर दिया गया है।

(घ) भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सभी भर्तियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की गई हैं।

7.67 सीमावर्ती और आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, अब रिक्तियों का आबंटन निम्नलिखित ढंग से किया जाता है:–

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60% रिक्तियों का आबंटन, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

(ख) सीमा प्रहरी बलों (नामतः असम राइफल्स (एआर), बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी) में 20% रिक्तियों का आबंटन उन सीमावर्ती जिलों को किया जाता है, जो बल की जिम्मेदारी के अंतर्गत आते हैं।

(ग) सीमा प्रहरी बलों (बीजीएफ) में 20% रिक्तियां, समय–समय पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित आतंकवाद से प्रभावित जिलों/क्षेत्रों अर्थात जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को आबंटित की जाती हैं।

(घ) सीमा प्रहरी बलों से भिन्न बलों में, 40% रिक्तियां समय–समय पर यथा अधिसूचित आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को आबंटित की जाती हैं।

(ङ) ऐसे राज्य (राज्यों)/क्षेत्र (क्षेत्रों)/प्रदेश (प्रदेशों) के संबंध में, जहां कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति के बाद भी काफी अधिक संख्या में पद खाली रह जाते हैं, वहां गृह मंत्रालय संबंधित बल को भर्ती योजना के अनुसार उस विशिष्ट राज्य (राज्यों)/क्षेत्र (क्षेत्रों)/प्रदेश (प्रदेशों) में रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती रैलियां चलाने का निदेश देता है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए विमान सहायता

7.68 गृह मंत्रालय के संरक्षण में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का एयरविंग हताहतों को निकालने के लिए सीएपीएफ को विमान सहायता उपलब्ध कराने, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित सीमा चौकियों (बीओपी) के हवाई अनुरक्षण, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल–रोधी अभियानों में लगी टुकड़ियों के लिए पर्याप्त विमान सहायता का प्रावधान करने, ऑपरेशन के प्रयोजन से टुकड़ियों को लाने–ले–जाने, प्राकृतिक आपदा और राष्ट्रीय संकट के दौरान सौंपे गए किसी भी कार्य को पूरा करने और सीएपीएफ कार्मिकों की हवाई कूरियर सेवा के लिए दिनांक 01.05.1969 को अस्तित्व में आया। इसमें दो विंग अर्थात् स्थायी विंग और रोटरी विंग हैं। इन दोनों विंगों का विगत कुछ वर्षों में विस्तार किया गया है तथा अभी इनका और भी विस्तार किया जा रहा है। इस समय, इसके बेड़े में

01 इम्ब्रेयर 135 बीजे एक्ज़ीक्यूटिव जेट, 01 एवीआरओ एचएस– 748, 06 एमआई–17 1वी, 08 एमआई–17 वी 5, 06 एएलएच/ध्रुव और 01 चीता हेलीकॉप्टर शामिल हैं।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) का आधुनिकीकरण

7.69 सीएपीएफ को सामान्य प्रावधान शीर्षों (अर्थात हथियार और गोला–बारूद, वर्दी और शिविर, मशीनरी एवं उपकरण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा मोटर वाहन) के अंतर्गत अपनी ऑपरेशनल आवश्यकता वाली वस्तुओं जैसे कि हथियार और गोला–बारूद, निगरानी उपकरण, प्रशिक्षण उपकरण, संचार उपकरण, आईटी उपकरण, विशेष वाहन, रक्षात्मक गियर, दंगा–रोधी उपकरण, अत्यधिक प्रतिकूल मौसम वाली वर्दी आदि के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि प्राधिकार के अनुसार कमी पूरी की जा सके और मौजूदा इनवेन्ट्री को बनाए रखने के लिए ठीक न हो सकने वाली वस्तुओं को बदला जा सके। सामान्य प्रावधान शीर्ष के अंतर्गत दिनांक 31.12.2020 तक आबंटित और खर्च की गई निधियों का बल–वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	सीएपीएफ	वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमान	दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार व्यय	दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार बजट अनुमान के संदर्भ में % व्यय
1	एआर	393.90	117.94	29.94
2	बीएसएफ	642.33	303.04	47.18
3	सीआईएसएफ	170.22	78.56	46.15
4	सीआरपीएफ	1201.6	421.26	35.06
5	आईटीबीपी	289.37	110.90	38.32
6	एनएसजी	149.28	37.07	24.83
7	एसएसबी	237.37	123.44	52.00
	कुल	**3084.07**	**1192.21**	**38.66**

7.70 सामान्य प्रावधान के शीर्षों के अलावा, 1,053 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ दिनांक 31.03.2020 तक कार्यान्वित किए जाने हेतु सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) द्वारा दिनांक 08.06.2018 को आधुनिकीकरण योजना–III अनुमोदित की गई थी और सीएपीएफ को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस करने तथा आंतरिक सुरक्षा के प्रति बढ़ती हुई चुनौतियों से पर्याप्त रूप से निपटने के लिए इसे दिनांक 31.03.2021 तक अथवा 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रभावी होने तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाया गया था। आधुनिकीकरण योजना–III के तहत बल–वार स्वीकृत परिव्यय, आवंटित निधि और उनके उपयोग की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

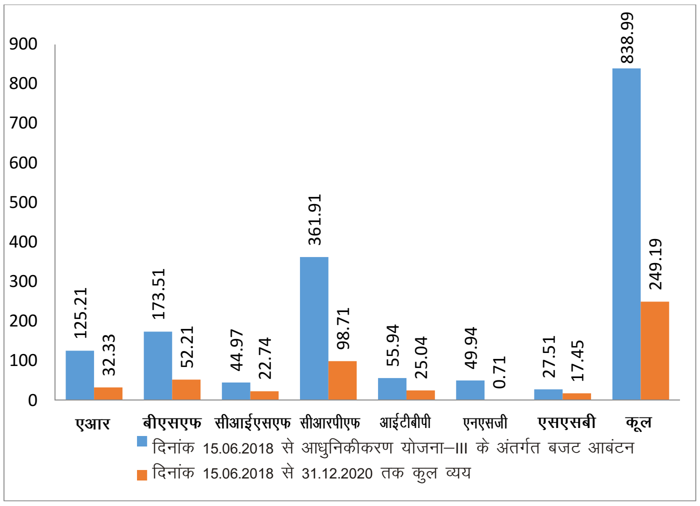

7.71 सीएपीएफ द्वारा आधुनिकीकरण योजना–III के अंतर्गत खरीदे गए प्रमुख हथियारों, उपकरणों और वाहनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(क) मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर
(ख) अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (यूबीजीएल)
(ग) असॉल्ट राइफल
(घ) 9 एमएम एसएमजी बेरेटा
(ङ) बम का पता लगाने और उसको निष्क्रिय करने वाले उपकरण
(च) नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर (एनओसी) वाहन
(छ) बारूदी सुरंग से संरक्षित वाहन
(ज) लाइट बुलेट प्रूफ वाहन
(झ) मिनी रिमोट संचालित वाहन (आरओवी)
(ञ) मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी)
(ट) विशेष रूप से हल्के वजन वाले रकसैक
(ठ) हल्के वजन वाले स्लीपिंग बैग
(ड) दो इंजन वाले एफआरपी स्पीड बोट
(ढ) आईएफएटी/आईएसएटी
(ण) एएलएस एम्बुलेंस
(त) हैंड हेल्ड सैटेलाइट ट्रैकर
(थ) हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर
(द) सैटेलाइट फोन

स्वदेशी और खादी को बढ़ावा

7.72 स्वदेशी को बढ़ावा देने की दृष्टि से, आईटीबीपी ने कुल 1.72 करोड़ रुपये के 1200 क्विंटल सरसों तेल की खरीद के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के साथ दिनांक 31.07.2020 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, खादी को बढ़ावा देने के लिए, आईटीबीपी ने सीएपीएफ के लिए कुल 8.74 करोड़ रुपये मूल्य की 1,71,520 दरियों की खरीद के लिए केवीआईसी के साथ दिनांक 06.01.2021 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

सीएपीएफ और सीपीओ के लिए सुरक्षित संचार प्रणाली

7.73 सुरक्षा बल अब आवाज, डाटा और जीपीएस ट्रैकिंग के लिए डिजिटल रेडियो का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें से अधिकांश आईपी आधारित हैं। यद्यपि वास्तविक संचार इनबिल्ट एडवांस इनक्रिप्शन सिस्टम (एईएस) द्वारा कूटबद्ध होता है, परंतु हेडर/फूटर में आईपी एड्रेस और डाटा पैकेट में कई अन्य सूचनाएं कूटबद्ध नहीं होती हैं। इसके अलावा, उपकरणों में लगे माइक्रोचिप में लोड किए गए सॉफ्टवेयर में नेटवर्क सुरक्षा को खतरे में डालने वाला मालवेयर हो सकता है। इसलिए, मालवेयर/बग्स के लिए उपकरण के महत्वपूर्ण घटकों की जांच करने हेतु एक तंत्र की आवश्यकता महसूस की गई थी। सुरक्षित रेडियो संचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सभी सीएपीएफ/सीपीओ को दिनांक 29.10.2020 को एक एसओपी परिचालित की गई है।

पुलिस सेवा के9 (पीएसके)

7.74 'देश में पुलिस सेवा के9 (पीएसके) दलों को मुख्य धारा में लाने और उनका संवर्धन करने' के उद्देश्य से दिनांक 01.11.2019 से पीएम प्रभाग के तहत एक नया 'पुलिस के9 प्रकोष्ठ' स्थापित किया गया है। समसामयिक श्वान प्रशिक्षण तकनीकों के अनुसार, वर्तमान पद्धतियों के आधुनिकीकरण का कार्य सफलतापूर्वक शुरू करने तथा विभिन्न पुलिस बलों के बीच के9 पद्धतियों एवं अंतर–संचालनीयता में एकरूपता लाने के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने में पर्याप्त प्रगति हुई है। इस संदर्भ में, निम्नलिखित पहल की गई है:–

(क) निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की गई हैं:

- दिनांक 08.03.2020 को पुलिस सेवा के9 (पीएसके) सहित सेवा के लिए अनुपयोगी पशुओं को हटाना और उनका निपटान करना
- दिनांक 08.05.2020 को पुलिस श्वानों के लिए ब्रीडिंग दिशानिर्देश
- दिनांक 08.01.2020 को पीएसके सहित सेवारत पशुओं का ट्रांसपोर्टेशन
- दिनांक 16.09.2020 को डिटेक्शन श्वानों की कार्यदक्षता का मूल्यांकन और प्रमाणन
- दिनांक 26.10.2020 को सीएपीएफ के रेबीज के प्रति उच्च–जोखिम वाले कार्मिकों के लिए प्री–एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस (पीआरईपी)।
- दिनांक 16.07.2020 को इमोशनल सपोर्ट के

लिए "थेरेपी डॉग" के रूप में सेवानिवृत्त/अनुभवी श्वानों का उपयोग।

(ख) एसएसबी तथा आईटीबीपी द्वारा श्वान की भारतीय प्रजाति 'मुढोल हाउण्ड' को प्रायोगिक आधार पर प्रशिक्षित किया गया है। परस्पर ज्ञान के पारिस्थितिक तंत्र का विकास करने और उसे सशक्त बनाने के लिए दिनांक 13.03.2020 को पहली 'पुलिस के9 कार्यशाला' आयोजित की गई। श्वान प्रशिक्षण की आधुनिक संकल्पनाओं की शुरूआत करने और उसके बारे में शिक्षित करने तथा एकसमान पद्धति अपनाने के लिए संकलित और तैयार की गई एक मानक 'पुलिस सेवा के9 शब्दावली' दिनांक 27.03.2020 को जारी की गई।

(ग) 'राष्ट्रीय पुलिस के–9 जर्नल' के प्रारंभिक अंक का विमोचन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह द्वारा दिनांक 02.01.2021 को किया गया है। यह एक द्विवार्षिक जर्नल है, जिसे प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में जारी किया जाएगा।

माननीय गृह मंत्री दिनांक 02.01.2021 को राष्ट्रीय पुलिस के–9 जर्नल का विमोचन करते हुए

प्रमुख खरीद

7.75 दिनांक 31.10.2020 तक की गई प्रमुख खरीद निम्नानुसार हैंः–

(क) मीडियम बुलेट प्रूफ वाहनों (एमबीपीवी) की खरीद के लिए सीआरपीएफ को 135.71 करोड़ रुपये के व्यय की मंजूरी जारी की गई।

(ख) मैसर्स ईसीआईएल से 05 वर्षों के लिए आरसीआईईडी जैमर की सीएएमसी हेतु सीआरपीएफ को 26.40 करोड़ रुपये के व्यय की मंजूरी जारी की गई।

(ग) बीआर जैकेटों की खरीद के लिए विभिन्न सीएपीएफ को 24.02 करोड़ रुपये की राशि के व्यय की मंजूरी जारी की गई।

(घ) कॉमन स्पेयर्स, गॉज और उपकरणों के 03 सेट के साथ एसएमजी एमपी5 ए3 की खरीद के लिए सीआईएसएफ को 7.62 लाख यूरो के व्यय की मंजूरी जारी की गई।

(ङ) आईबी मुख्यालय में केंद्रीय डाटा केंद्र की स्थापना करने और 3 वर्षों के लिए 7.06 करोड़ रुपये की सीएएमसी हेतु आईबी को 19.96 करोड़ रुपये के व्यय की मंजूरी जारी की गई।

(च) जीसैट–18 में 12 मेगाहट्र्ज स्पेस सेगमेंट का उपयोग करने के लिए आईबी को 2.26 करोड़ रुपये का वार्षिक पट्टा शुल्क जारी किया गया।

(छ) मैसर्स बीईएल से उपस्करों सहित 100एचएफ ट्रांसीवर एमएचएस–355, 100 डब्ल्यू की खरीद के लिए आईटीबीपी को 11.82 करोड़ रुपये के प्रावधान–सह–व्यय की मंजूरी जारी की गई।

(ज) जीएसएम (2जी), यूएमटीएस (3जी) और एलटीई (4जी) मोबाइल फोन स्थापित करने के लिए आईबी को 2 मोबाइल लोकेटर की आपूर्ति, अधिष्ठापना, टेस्टिंग, कमीशनिंग और प्रशिक्षण (एसआईटीसीटी) हेतु 18.22 करोड़ रुपये के व्यय की मंजूरी जारी की गई।

सीएपीएफ के आधुनिकीकरण पर व्यय

7.76 आतंरिक सुरक्षा को कायम रखने और देश की सीमाओं की रक्षा करने में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) द्वारा निष्पादित की जा रही अत्यधिक महत्वपूर्ण और उच्च जोखिम वाली भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए, बजट प्रावधानों में उसी के अनुरूप वृद्धि की जा रही है, जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दिए गए पिछले 10 वित्तीय वर्षों के वास्तविक व्यय के आंकड़ों से देखा जा सकता है:

वर्ष 2010–2011 से 2020–21 (दिनांक 31.12.2020 तक) की अवधि के दौरान सीएपीएफ पर वास्तविक व्यय (करोड़ रूपए में)

वर्ष	एआर	बीएसएफ	सीआईएसएफ	सीआरपीएफ	आईटीबीपी	एनएसजी	एसएसबी	कुल
2010-11	2814.79	7366.87	2780.44	8128.10	1862.35	491.77	1630.36	25074.68
2011-12	3207.91	8741.67	3382.72	9662.89	2208.09	578.59	2073.08	29854.95
2012-13	3359.83	9772.55	3967.95	11040.13	2917.85	541.77	2765.16	34365.24
2013-14	3651.21	10904.74	4401.49	11903.70	3346.94	536.70	2979.16	37723.94
2014-15	3802.23	12515.40	5037.52	13308.95	3686.84	573.46	3399.64	42288.04
2015-16	3804.59	12597.42	5045.52	13475.23	3669.35	581.49	3606.26	42779.86
2016-17	4917.44	15574.77	7013.85	17328.26	5086.73	835.58	4619.46	55376.09
2017-18	5318.39	16968.28	7889.67	19517.83	5663.50	1131.68	5275.17	61764.52
2018-19	5899.67	19469.77	9220.91	23126.24	1190.72	1115.72	6050.39	66073.42
2019-20	5877.79	21092.49	10272.58	25950.63	7168.50	1198.02	6960.08	78520.09
2020-21*	4492.82	16014.15	8861.50	20271.74	5102.70	685.82	5007.48	60436.24

* दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार व्यय

अवसंरचना का विकास

7.77 वर्ष 2020–21 (दिनांक 31.12.2020 तक) के दौरान, सीएपीएफ हेतु अवसंरचना के निर्माण के लिए 991.40 करोड़ रु. और भूमि के अधिग्रहण के लिए 13.78 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

सीएपीएफ की आवास परियोजना

7.78 सरकार ने दिनांक 10.11.2015 के आदेश के तहत 3,090.98 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के लिए 13,072 घरों और 113 बैरकों के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें से दिनांक 31.12.2020 तक 7,557 घरों और 88 बैरकों का निर्माण किया जा चुका है। 5,406 घर तथा 28 बैरक निर्माणाधीन हैं और 109 घरों की निविदा प्रक्रिया चल रही है।

कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी)

7.79 सीएपीएफ के कार्मिकों के कल्याण और पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 17.05.2007 को एक कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी) भी स्थापित किया गया था। डब्ल्यूएआरबी का प्रारंभिक कार्य पद पर रहने के दौरान मरने वाले कार्मिकों के आश्रितों को तत्काल मदद देना और जो अशक्त हो गए हैं, उन्हें उनकी व्यक्तिगत समस्याओं, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, भूमि/सम्पत्ति संबंधी मुद्दों, गंभीर चिकित्सा समस्याओं आदि से निपटने में सहायता प्रदान करना है। वर्तमान में, सीएपीएफ के कार्मिकों के कल्याण हेतु संपूर्ण देश में 06 केन्द्रीय कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ), 30 राज्य कल्याण अधिकारी (एसडब्ल्यूओ) और 155 जिला कल्याण अधिकारी (डीडब्ल्यूओ) कार्यरत हैं।

7.80 सीएपीएफ के कार्मिक आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने और अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने में मूल्यवान सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कभी–कभी, किसी आतंकवाद– रोधी/नक्सली संघर्ष अथवा किसी अन्य आंतरिक सुरक्षा संबंधी कार्रवाई में भाग लेने पर उनका कोई अंग–भंग हो जाता है या वे अपने जीवन का सर्वोच्च

बलिदान कर देते हैं। इन कटु वास्तविकताओं पर विचार करते हुए, सीएपीएफ ने सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त स्वयं अपनी अंशदायी कल्याणकारी योजनाएं शुरु की हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, कल्याण निधि, राहत निधि, बीमा निधि और शिक्षा निधि सृजित की गई हैं। इन सबके अलावा, दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के मृत कार्मिकों के निकटतम संबंधी (एनओके) को एकमुश्त अनुग्रह मुआवजे के भुगतान के लिए 35.90 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी)

7.81 गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना, उचित दरों पर और सुविधाजनक स्थानों पर पूर्व कार्मिकों एवं उनके परिवारों सहित सीएपीएफ और पुलिस बलों के कार्मिकों को उपभोक्ता वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा सितंबर, 2006 में एक केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी) शुरू किया गया था, जिसे पहले केंद्रीय पुलिस बल कैंटीन प्रणाली (सीपीएफसीएस) कहा जाता था। आज की तारीख तक, 119 मास्टर कैंटीनें और 1,873 सहायक कैंटीनें चल रही हैं। इसके अतिरिक्त, केपीकेबी को जीएसटी से छूट प्रदान किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा कि सेना की कैंटीनों के लिए किया गया है।

7.82 केपीकेबी के वार्षिक टर्नओवर में वृद्धि का रूझान है। वर्ष 2018–19 में 1,845 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 में इसका टर्नओवर, 2,063 करोड़ रु. था।

केपीकेबी में स्वदेशी

7.83 गृह मंत्रालय ने दिनांक 01.06.2020 से केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी) और इसके स्टोर्स के माध्यम से केवल स्वदेशी उत्पादों की बिक्री करने के बारे में निर्देश जारी किए हैं। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए, यह भी निर्णय लिया गया है कि केपीकेबी के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के उत्पादों की भी बिक्री की जाएगी। इस समय, इसके आउटलेट्स के माध्यम से बिक्री के लिए 32 केवीआईसी उत्पादों जैसे कि खादी राष्ट्रीय ध्वज, अचार, सरसों का तेल, धूपबत्ती, अगरबत्ती, दलिया, शहद और तौलिया को केपीकेबी में पंजीकृत किया गया है।

प्रधानमंत्री की छात्रवृत्ति योजना

7.84 सीएपीएफ के कार्मिक अपनी अत्यन्त कठिन ड्यूटी के दौरान वर्षों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं और वे अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं होते हैं। उनके बच्चे माता–पिता की अपेक्षित सहायता से वंचित रह जाते हैं। इस पर विचार करते हुए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के कार्मिकों के आश्रित बच्चों एवं विधवाओं को उच्चतर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री की 'मेरिट छात्रवृत्ति योजना' शुरू की गई है। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2019–20 से लड़कों के लिए छात्रवृत्ति की 2,000/– रुपये प्रतिमाह की मौजूदा दर को बढ़ाकर 2,500/– रुपये प्रतिमाह कर दिया है और लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति की 2,250/– रुपये प्रतिमाह की मौजूदा दर को बढ़ाकर 3,000/– रुपये प्रतिमाह कर दिया है। यह योजना आतंकी/नक्सली हमले में शहीद होने वाले विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस कार्मिकों के आश्रित बच्चों के लिए भी लागू कर दी गई है।

कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी) हेल्पलाइन

7.85 भूतपूर्व सीएपीएफ और असम राइफल्स (एआर) कार्मिकों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए, डब्ल्यूएआरबी कार्यालय, नई दिल्ली में एक हेल्पलाइन नम्बर 011–23063111 कार्यशील है। इस हेल्पलाइन नम्बर के माध्यम से भूतपूर्व सीएपीएफ और असम राइफल्स (एआर) कार्मिकों से संबंधित पेंशनरी लाभों, पुनर्वास, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना और अन्य मुद्दों से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है।

सीएपीएफ कार्मिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएँ

7.86 सीएपीएफ के कार्मिक अपनी ड्यूटी कठिन परिस्थितियों के अधीन असुविधाजनक वातावरण में निष्पादित करते हैं और उन्हें सीमाओं पर ऊँचाई वाले स्थानों पर अथवा नक्सलियों एवं आतंकवादियों के विरूद्ध प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, सीएपीएफ के कार्मिकों को मानसिक रूप से अत्यधिक सजग और शारीरिक रूप से चुस्त–दुरुस्त रहना होता है। सीएपीएफ के कार्मिकों का उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए और उन्हें लगातार तनाव एवं दबाव से मुक्त रखने

के लिए, जो कि इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने से उत्पन्न होता है, सीएपीएफ ने अपने कार्मिकों के लिए निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं:

(क) सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की यूनिटों में उसके एकीकृत हिस्से के रूप में इन्डोर सुविधाओं के साथ एक यूनिट अस्पताल उपलब्ध है। प्रत्येक अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ हैं और वे अपेक्षित उपकरणों से लैस हैं।

(ख) सम्पूर्ण देश में पचास बिस्तर वाले 33 कम्पोजिट अस्पतालों, सौ बिस्तर वाले 06 कम्पोजिट अस्पतालों और ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.) में दो सौ बिस्तर वाले 01 रेफरल अस्पताल की स्थापना करके सीएपीएफ के लिए चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया गया है।

(ग) इन कम्पोजिट अस्पतालों और रेफरल अस्पताल के माध्यम से, कार्मिकों को स्पेशलाइज्ड उपचार प्रदान किया जा रहा है।

(घ) 200 बिस्तरों वाला रेफरल अस्पताल सीएपीएफ का तृतीयक देखभाल स्तर का एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल है और इसने दिनांक 15.10.2015 से ग्रेटर नोएडा में कार्य करना शुरू कर दिया है। यह अस्पताल सभी सीएपीएफ के कार्मिकों और उनके परिवारों को तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराता है। तृतीयक देखभाल के तहत सीएपीएफ के कार्मिकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए इस अस्पताल में संबंधित विशेषज्ञों को तैनात करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) किसी भी बल के साथ संबद्धता पर विचार किए बिना सभी सीएपीएफ के कार्मिक संपूर्ण देश में स्थित किसी भी सीएपीएफ के कम्पोजिट अस्पताल में मुफ्त उपचार प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने दिनांक 28.09.2020 को सीआरपीएफ में छह फील्ड अस्पतालों की स्थापना का अनुमोदन प्रदान किया है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र के चिंतलनार, बासगुड़ा, भीजी, चिंतागुफा, किस्ताराम और दंतेवाड़ा में स्थित होंगे।

(च) सरकार ने मैदानगढ़ी, नई दिल्ली में 500 बिस्तर वाले सामान्य अस्पताल, 300 बिस्तर वाले एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, एक नर्सिंग कॉलेज और एक पैरामेडिक्स स्कूल सहित "केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान (सीएपीएफआईएमएस)" की स्थापना की भी स्वीकृति प्रदान की है।

सीएपीएफ और असम राइफल्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

7.87 महिला सशक्तिकरण समिति (2010–11) ने अपनी छठी रिपोर्ट (पंद्रहवीं लोक सभा) और नौवीं रिपोर्ट में 'अर्ध सैनिक बलों में महिलाएं' विषय पर सिफारिशें दी हैं। समिति की उपर्युक्त रिपोर्टों में दी गई सिफारिशों एवं टिप्पणियों की जांच की गई है और इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी समिति को प्रस्तुत कर दी गई है।

7.88 महिला पुलिस अधिकारियों को पुलिस व्यवस्था की मुख्यधारा में लाने हेतु महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बरतने, लड़ाई का प्रशिक्षण जैसे विषयों को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्विन्यास करने, सिलेबस का पुनर्विन्यास करने, अधिकाधिक महिलाओं को ऑपरेशनल ड्यूटी सौंपने जैसे अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(क) सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कर रहे हैं और उन्होंने शिकायत समितियां गठित की हैं। इन समितियों की अध्यक्ष पर्याप्त रूप से वरिष्ठ रैंक की महिला अधिकारी होती हैं। कथित रूप से गलत कार्य करने वाले अधिकारी से वरिष्ठ महिला अधिकारी के उपलब्ध न होने पर, संबंधित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल दूसरे संगठनों से अध्यक्ष की तैनाती कराने के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क करता है।

(ख) सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच–पड़ताल

करने के लिए शिकायत समितियों में गैर–सरकारी संगठनों को पहले ही शामिल कर लिया है। उन्हें यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत की जांच में शामिल किया जाता है। अर्ध सैनिक बलों में अन्य अनुशासनात्मक मामलों के साथ–साथ, यौन उत्पीड़न से संबंधित अनुशासनिक मामलों की मानीटरिंग आवधिक विवरणियों तथा साथ ही मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों के जरिए की जा रही है, ताकि जल्दी से उनका निपटान किया जा सके।

(ग) जेंडर सेंसिटाइजेशन और सरकारी सेवाओं में इसके प्रभाव के बारे में सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा अपने कार्मिकों को शिक्षित करने के कार्यक्रम पहले ही संचालित किए जा चुके हैं और इसे विभिन्न रैंकों के बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सभी सेवाकालीन पाठ्यक्रमों का भी हिस्सा बनाया गया है। महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुदेशकों का एक प्रशिक्षित पूल तैयार करने के उद्देश्य से, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी संचालित किया जाता है।

(घ) सभी बलों द्वारा अपने स्थायी स्थानों/परिसरों में आवश्यकता के आधार पर महिला कर्मचारियों के लिए पृथक शौचालय पहले ही बनाए जा चुके हैं। अन्य क्षेत्रों में, जहां उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हैं, महिला कर्मचारियों के उपयोग के लिए छोटे तंबू के भीतर कमोड लगाकर उन्हें शौचालय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। चूंकि वाहनों में परिवर्तन करना संबंधित महानिदेशकों की वित्तीय शक्तियों के भीतर शामिल है, इसलिए जरूरत के आधार पर पर्याप्त संख्या में वाहनों में तदनुसार बदलाव किया जा सकता है, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही और पिकेट की ड्यूटी के दौरान विशेष रूप से महिला कार्मिकों की जरूरत को पूरा करने के लिए मोबाइल शौचालयों का भी प्रावधान किया जा सके।

(ङ) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) द्वारा आवश्यकता के आधार पर महिला कर्मचारियों के लिए 'क्रेच' और 'डे केयर सेंटर्स' की सुविधा प्रदान की गई है और क्रेच से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को नियमित आधार पर पृथक बजटीय आबंटन का प्रावधान किया गया है।

(च) कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के मामले में महिला पुलिस की बढ़ती हुई मांग पर विचार करते हुए और साथ ही बल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के स्तर को बढ़ाने के लिए, सरकार ने सीआरपीएफ में वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान 2 पुरुष बटालियनों की बजाय 2 महिला बटालियनों के गठन का अनुमोदन प्रदान किया है।

(छ) दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में महिलाओं की वर्तमान संख्या निम्नानुसार है:

बल	कुल संख्या	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
सीआरपीएफ	3,24,723	8,258	2.54
बीएसएफ	2,65,173	5,319	2.00
सीआईएसएफ	1,63,313	8,560	5.24
आईटीबीपी	88,439	2,091	2.36
एसएसबी	97,792	2,051	2.09
एआर	65,143	903	1.38
कुल	**10,04,583**	**27,182**	**2.70**

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती

7.89 राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के अनुरोध पर लोक व्यवस्था बनाए रखने में उनकी सहायता करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को तैनात किया जाता है। इन बलों की तैनाती समग्र सुरक्षा की स्थिति और बलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ये बल देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति के समग्र प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। उन्होंने विभिन्न राज्यों में विधान सभा चुनावों और उप–चुनावों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन में भी सहायता प्रदान की है।

7.90 वर्ष के दौरान, विभिन्न राज्यों (अर्थात छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर और तेलंगाना) में उप–चुनावों के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को मोबिलाइज करके तैनात किया गया। भारी संख्या में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल/राज्य सशस्त्र पुलिस/इंडिया रिजर्व बटालियन/बार्डर विंग होम गार्ड को भी दिल्ली और बिहार में विधान सभा चुनाव–2020 के लिए मोबिलाइज करके तैनात किया गया।

7.91 वर्ष 2020–21 (दिनांक 31.12.2020 तक) के दौरान, सीएपीएफ ने आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ने में पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) को सहायता देना भी जारी रखा। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकार को कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी अतिरिक्त सीएपीएफ उपलब्ध कराए गए।

7.92 अनेक राज्यों, विशेषकर दिल्ली, तेलंगाना, असम, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा, मिजोरम, लद्दाख और महाराष्ट्र राज्यों में शांति एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कायम रखने और कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी के लिए भी सीएपीएफ को तैनात किया गया।

राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन

7.93 विभिन्न प्रकार की कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा की स्थितियों से निपटने हेतु राज्यों की क्षमता को सुदृढ़ करने और सीएपीएफ पर उनकी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1971 में राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनें (आईआर बटालियनें) गठित किए जाने की एक योजना शुरू की गई थी।

7.94 अब तक, 185 आईआर बटालियनों की मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें से अब तक 159 बटालियनों का गठन किया जा चुका है। 01 आईआर बटालियन को एसआईआरबी में परिवर्तित किया गया था।

7.95 आईआर बटालियनों के लिए वर्तमान वित्तपोषण की पद्धति निम्नानुसार है:

(क) एक आईआर बटालियन के गठन की मानक लागत 34.92 करोड़ रु. है, जिसमें से भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के रूप में राज्यों को इसके 75% राशि (26.19 करोड़ रुपये) की प्रतिपूर्ति की जाती है और राज्यों द्वारा अपने हिस्से के रूप में शेष 25% राशि का वहन स्वयं करना होता है।

(ख) इसके अतिरिक्त, भारत सरकार वास्तविक व्यय के आधार पर 25.00 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, आईआर बटालियनों की अवसंरचना लागत के 50% हिस्से की प्रतिपूर्ति करेगी। बटालियनों के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जानी है।

(ग) इस प्रकार, एक आईआर बटालियन के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 51.19 करोड़ रु. की धनराशि की प्रतिपूर्ति की जानी है।

7.96 संशोधित अनुमान 2020–21 (अनंतिम) में, आईआर बटालियनों के गठन की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान सहायता के अंतर्गत 40.00 करोड़ रू. और ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत 1.00 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है। दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, अनुदान सहायता के तहत 21.59 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है/राज्यों को प्रतिपूर्ति की गई है। दिनांक 31.12.2020 तक ऋण एवं अग्रिम शीर्ष के तहत किसी भी भुगतान का उपयोग नहीं किया गया है/राज्यों को प्रतिपूर्ति नहीं की गई है।

7.97 सरकार द्वारा वर्ष 2011 में इंजीनियरिंग के घटक के साथ "स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी)" की एक योजना इस उद्देश्य से अनुमोदित की गई थी कि ये एसआईआरबी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में ग्रामीण सड़कों, स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्रामीण जल आपूर्ति आदि जैसे छोटे विकास कार्यों को निष्पादित करेंगी। शुरू में, 10

एसआईआरबी की मंजूरी दी गई थी और 01 आईआर बटालियन को एसआईआरबी में परिवर्तित किया गया था। कुल मिलाकर, 11 एसआईआरबी थीं। प्रति एसआईआरबी प्रतिपूर्ति की जाने वाली कुल लागत 161 करोड़ रुपये है। अब तक केवल 03 एसआईआरबी का गठन किया गया है। शेष 08 एसआईआरबी और एसआईआरबी के 02 इंजीनियरिंग घटकों को इस शर्त के साथ सुरक्षा घटकों के रूप में परिवर्तित किया गया है कि एसआईआरबी के लिए प्रतिपूर्ति की लागत गृह मंत्रालय के दिनांक 27.08.2018 के पत्र के तहत प्रति आईआर बटालियन के अनुसार (अर्थात 51.19 करोड़ रुपए प्रति बटालियन) होगी। संशोधित अनुमान 2020–21 (अनंतिम) में, एसआईआरबी के गठन के लिए अनुदान–सहायता के अंतर्गत 5.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तथापि, दिनांक 31.12.2020 तक कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा पौधारोपण अभियान– 2020

7.98 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) 'मातृ भूमि और पर्यावरण' के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बारे में संवेदनशील हैं। वे अपने परिसरों के अन्दर और उसके आस–पास यदा–कदा पौधारोपण अभियान चलाते रहे हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के आह्वान पर, सीएपीएफ ने जून, 2020 के प्रथम सप्ताह से दिनांक 31.12.2020 तक बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया और अपने 1,216 परिसरों में और 28 राज्यों तथा 06 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में अपनी तैनाती वाले स्थानों पर 1.47 करोड़ पौधे लगाए। सीएपीएफ, एआर और एनएसजी की यह उपलब्धि न केवल पर्यावरण के लिए उनकी चिंता को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक कार्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) अगले चार वर्षों में प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ पौधों का पौधारोपण करने का प्रयास करेंगे।

सीआरपीएफ कैंप, कादरपुर, गुरुग्राम में सीएपीएफ के बहादुरों को समर्पित "शौर्य वन"

* * * * *

अध्याय—8

अन्य पुलिस संगठन एवं संस्थान

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी)

8.1 देश में पुलिस की जरूरतों और समस्याओं का पता लगाने के लिए दिनांक 28.08.1970 को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) की स्थापना की गई थी। इसे पुलिस के लिए अनुसंधान एवं विकास संबंधी नीतियां और पद्धति शुरू करने, सुधारात्मक प्रशासन, कार्य निष्पादन बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी की पहचान करने, प्रशिक्षण के माध्यम से कारागार और पुलिस अधिकारियों का क्षमता निर्माण करने, पुलिस व्यवस्था एवं कारागार में भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक विजन तैयार करने तथा राज्यों, केंद्रीय पुलिस और कारागार संगठनों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाकर उत्कृष्टता और सर्वोत्तम पद्धतियों को बढ़ावा देने का शासनादेश प्राप्त है।

ड्यूटियों का चार्टर

8.2 पुलिस को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के अपराध और सामान्य प्रकृति की समस्याओं का अध्ययनः

- विभिन्न प्रकार के अपराधों की प्रवृत्ति और कारण।
- अपराध रोकथाम के उपाय, उनकी प्रभावकारिता और विभिन्न प्रकार के अपराधों के साथ उनका संबंध।
- वैज्ञानिक सहायता से जांच—पड़ताल की पद्धतियों में सुधार, उसकी उपयोगिता और परिणाम।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के अनुसंधान कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना, अनुसंधान परियोजनाओं का समन्वय।
- व्यावसायिक हित वाले क्षेत्रों की अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित करना।
- अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन आयोजित करना और साथ ही अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में सक्रिय रूप से भाग लेना तथा समन्वय करना।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में समान रूप से पुलिस सुधार लागू करने के लिए श्रेष्ठ पद्धतियों और मानकों की पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना तथा उनका प्रसार करना।
- पुलिस और कारागार संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण और अध्ययन करना तथा सामान्य प्रशासन की समस्याएं।
- पुलिस और सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में सूचना एकत्र करना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में उसका प्रसार करना।
- अखिल भारतीय कारागार ड्यूटी सम्मेलन और कारागार प्रमुखों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करना।
- क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थानों (आरआईसीए) और सुधारात्मक प्रशासन के अन्य शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों द्वारा संचालित अनुसंधान अध्ययनों का समन्वय करना।

8.3 नई दिल्ली स्थित पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के छः प्रभाग हैं। ये प्रभाग प्रशासन, विशेष पुलिस प्रभाग, अनुसंधान और सुधारात्मक प्रशासन, प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय पुलिस मिशन हैं। विविध विषयों पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ब्यूरो के नियंत्रण में छः यूनिटें हैं। विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त, ये संस्थान निम्नलिखित क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त हैं:

क	केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल (सीएपीटी)	i) राज्य सरकार के सीधी भर्ती वाले उप–पुलिस अधीक्षकों के लिए बेसिक प्रशिक्षण ii) उत्कृष्टता के केंद्र – • कारागार प्रशासन • यातायात प्रौद्योगिकी और प्रबंधन • अभियोजन अधिकारियों का प्रशिक्षण iii) राष्ट्रीय मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन प्रशिक्षण केंद्र
ख	केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़	संगठित अपराध की जांच का उत्कृष्टता केंद्र
ग	केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद	पुलिस सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर अपराध की जांच का उत्कृष्टता केंद्र
घ	केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता	महिलाओं, बच्चों और अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अपराध की जांच पर ध्यान देते हुए सामुदायिक पुलिस व्यवस्था हेतु उत्कृष्टता केंद्र
ङ	केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, गाजियाबाद	आतंकवाद–रोधी, विद्रोह–रोधी और संबद्ध मामलों का उत्कृष्टता केंद्र
च	केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	नए जमाने के अपराधों की जांच का उत्कृष्टता केंद्र

8.4 **कार्यप्रणाली ब्यूरो**: बार–बार अपराध करने वालों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली का अध्ययन करने और किसी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करने को विवश करने वाले कारणों का अध्ययन करने के लिए बीपीआरएंडडी में एक कार्यप्रणाली ब्यूरो (एमओबी) स्थापित किया गया है। यह एमओबी अपराधियों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली के अनुसार अपराधकर्ता के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यकता के आधार पर मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिला और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एक एकीकृत एमओबी स्थापित और विकसित करने के लिए मार्गदर्शन देगा।

अनुसंधानात्मक अध्ययन कार्य

8.5 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने वर्ष 1970 से 212 अनुसंधानात्मक अध्ययन कार्य और वर्ष 1986 से आज तक अपराध विज्ञान एवं पुलिस विज्ञान में भारत सरकार की फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत 81 डॉक्टरेट थिसिस पूरे किए हैं। बीपीआरएंडडी द्वारा पूरे किए गए अनुसंधानात्मक अध्ययन कार्यों और डॉक्टरेट थिसिस का एक सार राष्ट्रीय पुलिस अनुसंधान कोष भाग I और II में प्रकाशित किया गया था। राष्ट्रीय पुलिस अनुसंधान कोश, स्वर्ण जयंती प्रकाशन–भाग II (2016–2020) को दिनांक 28.08.2020 को बीपीआरएंडडी के 50वें स्थापना दिवस पर प्रकाशित किया गया था।

माननीय गृह राज्य मंत्री बीपीआरएंडडी के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुलिस अनुसंधान कोश (एनपीआरआर)– स्वर्ण जयंती प्रकाशन– भाग–II जारी करते हुए

(स्रोत: बीपीआरएंडडी)

8.6 वर्तमान में, निम्नलिखित अनुसंधानात्मक अध्ययन कार्यों सहित 07 अनुसंधानात्मक अध्ययन कार्य और फेलोशिप, जो अगस्त, 2020 में शुरू हुई थी, चल रही हैं:

(क) "विधि प्रवर्तन (अपराध की रोकथाम, पता लगाने, यातायात प्रबंधन आदि) में सीसीटीवी की प्रभावकारिता का आलोचनात्मक विश्लेषण"

(ख) "सीएपीएफ में सेवानिवृति और आत्महत्या के मामलों का तुलनात्मक विश्लेषण"

(ग) "किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बाल गृह: स्थिति और सुधार के उपाय"।

8.7 बीपीआरएंडडी के कार्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में विभिन्न विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों के विद्यार्थियों को सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए बीपीआरएंडडी ने वर्ष 2017 से अपना इंटर्नशिप कार्यक्रम (गैर–पारिश्रमिक) शुरू किया था। अब तक, 69 विद्यार्थियों ने अपनी इंटर्नशिप (गैर–पारिश्रमिक) पूरी कर ली है। मार्च, 2020 से बीपीआरएंडडी का पारिश्रमिक युक्त इंटर्नशिप कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 12 इंटर्न पंजीकृत किए गए हैं।

महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) स्कीम

8.8 निर्भया कोष के अंतर्गत दो अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए अधिकार प्राप्त समिति ने अनुमोदन प्रदान किया है:

(क) महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

(ख) ऑनलाइन बाल/महिला यौन शोषण को रोकने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके भारत को एकजुट करना।

8.9 यौन हमला के साक्ष्य को एकत्र करने वाले 11,130 यौन शोषण सबूत संकलन किट (एसएईसीके) का वितरण जून, 2020 में पूरा कर दिया गया था।

अखिल भारतीय पुलिस सेवा नागरिक सर्वेक्षण (एआईसीएसपीएस)

8.10 बीपीआरएंडडी द्वारा "नेशनल काउंसिल ऑफ अप्पलाईड इकोनोमिक रिसर्च (एनसीएईआर)", नई दिल्ली के माध्यम से अब तक का पहला "अखिल भारतीय पुलिस सेवा नागरिक सर्वेक्षण (एआईसीएसपीएस)" किया गया है। अपराध की घटना के संबंध में मौजूदा आंकड़ों को प्राप्त करने, उनकी रिकॉर्डिंग करने तथा सुरक्षा अनुमानों और उत्पीड़न की मात्रा पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए इसे वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। यह एक अखिल भारतीय (पैन इंडिया) सर्वेक्षण है, जो अपराध रोकथाम संबंधी कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त नीतिगत कार्रवाई तैयार करने, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने, न्याय तक पहुंच में सुधार करने और प्रणालीगत तरीके में पुलिस के लिए उपयुक्त संसाधनों का आवंटन बढ़ाने आदि के लिए उपयोगी जानकारियां प्रदान कर सकता है।

राष्ट्रीय पुलिस मिशन के अंतर्गत गतिविधियां:

8.11 बीपीआरएंडडी ने विद्यार्थी पुलिस कैडेट वेबसाइट तैयार की है और इसका लोकार्पण माननीय गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा 28 अगस्त, 2020 को बीपीआरएंडडी के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया था।

8.12 बीपीआरएंडडी ने "मालखाना प्रबंधन प्रणाली" परियोजना तैयार की है और इसे दिनांक 14.09.2020 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में परिचालित किया है। इस परियोजना के अंतर्गत जब्त/एकत्र साक्ष्यों का उपयुक्त संरक्षण करने, इनका सुरक्षित और संरक्षित रूप में संग्रहण करने तथा विधि के अनुसार उनका समय पर निपटान करने की परिकल्पना की गई है।

8.13 राष्ट्रीय पुलिस मिशन ने "राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा योजना" नामक परियोजना तैयार की है और इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में परिचालित किया है। इस परियोजना में सड़क प्रौद्योगिकी का विस्तृत विश्लेषण शामिल है और इसमें सड़क का उपयोग करने वाले लोगों को सड़क दुर्घटना का शिकार होने से बचाने की पद्धतियों और उपायों की सिफारिश की गई है।

अन्य परियोजनाएं

8.14 बीपीआरएंडडी ने सामरिक बैलेस्टिक शील्ड की गुणात्मक अपेक्षाएं और परीक्षण संबंधी निर्देश तैयार किए थे और इन्हें गृह मंत्रालय तथा अन्य स्टेकहोल्डरों को अग्रेषित किया है। मानदंडों में छोटे हथियारों और गोलाबारूदों से बचाव के लिए बैलेस्टिक शील्ड की न्यूनतम कार्यनिष्पादन अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं।

8.15 बीपीआरएंडडी ने अक्टूबर, 2019 में शत्रु ड्रोन से निपटने के लिए गुणवत्तापूर्ण अपेक्षाएं/विनिर्देशन और "स्थिर/वाहन पर स्थापित ड्रोन–रोधी उपकरण और हैंड मैन–पोर्टेबल ड्रोन–रोधी उपकरण" के संबंध में इसकी गुणात्मक अपेक्षाओं/विनिर्देशन और परीक्षण निर्देश तैयार किए थे। गुणात्मक अपेक्षाओं/विनिर्देशन और परीक्षण संबंधी निर्देश सभी स्टेकहोल्डरों को परिचालित कर दिए गए हैं।

8.16 ब्यूरो ने अप्रैल, 2014 – मार्च, 2019 की अवधि के लिए उपकरण के सार–संग्रह का तृतीय संकलन प्रकाशित किया है। इस सार–संग्रह को श्री अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा तृतीय राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस एक्सपो–2020 में दिनांक 05.03.2020 को जारी किया गया था। यह सार–संग्रह उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) द्वारा खरीदे गए सभी प्रकार के उपकरणों की एक सूची है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की पुलिस और सीएपीएफ द्वारा प्रयोग किए जा रहे उपकरणों के बारे में सरसरी तौर पर सूचना प्रदान की गई है। सार–संग्रह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की पुलिस और सीएपीएफ को परिचालित कर दिया गया है। महानिदेशक, बीपीआरएंडडी द्वारा उपकरण के सार–संग्रह (2014–19) के भाग–II, III, IV दिनांक 28.01.2021 को जारी किए गए।

श्री अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तृतीय राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन के दौरान उपकरण का सार–संग्रह जारी करते हुए

(स्रोतः बीपीआरएंडडी)

8.17 ब्यूरो ने गृह मंत्रालय की भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई), हैदराबाद में "राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र (एनसीआरएंडआईसी)" की स्थापना की है। उक्त प्रयोगशाला का उद्देश्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) की साइबर अपराध से संबंधित उन समस्याओं की पहचान करना है, जिनमें विशेषकर डिजिटल फॉरेंसिक से संबंधित अनुसंधान आधारित समाधानों की आवश्यकता होती है। यह प्रयोगशाला साइबर अपराध की रोकथाम और जांच में प्रभावकारी सुधार करने की क्षमता को बढ़ाने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस बलों की सहायता करेगी। इस प्रयोगशाला का उद्घाटन श्री जी. किशन रेड्डी, माननीय गृह राज्य मंत्री द्वारा किया गया था।

श्री जी. किशन रेड्डी, माननीय गृह राज्य मंत्री सीडीटीआई, हैदराबाद में स्थापित एनसीआरआईएंडसीबी प्रयोगशाला का उद्घाटन करते हुए

(स्रोतः बीपीआरएंडडी)

8.18 **सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाएं**

(क) पुलिस और सीएपीएफ में महिलाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन– यह सम्मेलन बीपीआरएंडडी मुख्यालय, महिपालपुर, नई दिल्ली में दिनांक 07.03.2020 को आयोजित किया गया था। इसमें श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीय महिला और बाल विकास मंत्री मुख्य अथिति थी। इस सम्मेलन के विषय निम्नलिखित थेः–

- महिलाओं की साइबर स्टाकिंग और उनको धमकानाः सुरक्षा के कदम।
- ऑपरेशनल क्षेत्रों में सीएपीएफ महिलाओं द्वारा सामना की गई चुनौतियां।

(ख) दिनांक 29.10.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) हेल्प एप और अपराध मुक्त भारत की बैठक आयोजित हुई। बीपीआरएंडडी और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), जीआरपी हेल्प एप के एकीकरण/कार्यान्वयन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे और इसे राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने के लिए इसके तौर–तरीके निर्धारित करेंगे।

(ग) दोषसिद्ध, आत्मसमर्पण करने वाले और सुधरने वाले माओवादियों से संबंधित अध्ययन कार्य पर दिनांक 15.10.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से उप–समूह की बैठक

आयोजित की गई थी। जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अध्ययन समूह ने प्रश्नावली के अनुसार अभिज्ञात वामपंथी उग्रवादियों से फीडबैक प्राप्त किया है और इस अध्ययन की प्रगति 'थियेटर विश्लेषण' के स्तर पर पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, ओडिशा और बिहार के भागों तथा छत्तीसगढ़ से फीडबैक प्राप्त किए गए हैं।

(घ) बीपीआरएंडडी की समीक्षा बैठक के दौरान दिनांक 10.06.2020 को माननीय गृह राज्य मंत्री (जी) द्वारा "अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपयोग केंद्र (एसटीएसी)" का ई–उद्‌घाटन किया गया था। यह एडवांस्ड डाटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट (एड्रीन), अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से पुलिस संगठनों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित अनुप्रयोगों हेतु ई–स्टूडियो और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करता है। माननीय गृह राज्य मंत्री ने अंतरिक्ष अनुप्रयोग आधारित प्रशिक्षण आयोजित करने में बीपीआरएंडडी के प्रयासों की सराहना की।

(ङ) दिनांक 10.06.2020 को इसी समीक्षा के दौरान, राजस्थान पुलिस के डॉ. जालम सिंह, हेड कांस्टेबल द्वारा हिंदी में लिखित पुस्तक "आर्थिक अपराध और पुलिस" भी जारी की गई।

(च) गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में दिनांक 28.08.2020 को बीपीआरएंडडी का 50वां स्थापना दिवस (स्वर्ण जयंती) मनाया गया था। श्री जी. किशन रेड्डी, माननीय गृह राज्य मंत्री इसके मुख्य अतिथि थे। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) प्रणाली के माध्यम से आयोजित किया गया था और सम्पूर्ण कार्यक्रम यू–ट्यूब पर लाइव प्रदर्शित किया गया था। लाइव कार्यक्रम को लगभग 750 दर्शकों ने देखा था। माननीय प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक संदेश भेजा था, जिसने इस पूरे कार्यक्रम को और अधिक स्मरणीय बना दिया। उन्होंने यह स्वीकार किया था कि बीपीआरएंडडी राष्ट्र की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अटल रहा है। उन्होंने यह आशा करते हुए ब्यूरो को बधाई और शुभकामनाएं दी थी, कि यह नई ऊर्जा के साथ पुलिस बलों को ताकत प्रदान करता रहेगा। इस कार्यक्रम की अन्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं:

(i) माननीय गृह राज्य मंत्री (जी) द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई), जयपुर के नए परिसर का ई–उद्‌घाटन किया गया।

(ii) डाक विभाग द्वारा बीपीआरएंडडी की स्वर्ण जयंती "माई स्टैम्प" और "स्पेशल कवर" जारी किया गया। विद्यार्थी पुलिस कैडेट (एसपीसी) कार्यक्रम की वेबसाइट शुरू की गई।

(iii) जारी किए गए प्रकाशनः–

- स्वर्ण जयंती स्मारिका
- राष्ट्रीय पुलिस अनुसंधान कोष, भाग– II, (2016–2020) स्वर्ण जयंती प्रकाशन
- 'कोविड–19 आपदा के प्रति भारतीय पुलिस की कार्रवाई' पर विशेष सार–संग्रह।

(छ) "भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी)" के देशों के लिए 'वैश्विक महामारी के समय में पुलिस व्यवस्था' विषय शीर्षक के अंतर्गत 10–11 अगस्त, 2020 को एक दो–दिवसीय ई–कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 5 महाद्वीपों के 25 देशों के लगभग 100 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा पेशेवरों ने भाग लिया।

(ज) लॉकडाउन सीरीज के भाग के रूप में दिनांक 29.04.2020 से 09.06.2020 तक निम्नलिखित विषयों पर पांच वेबिनार आयोजित किए गए:

(i) दीर्घकालिक लॉकडाउन के लिए आसान कौशल;

(ii) लॉकडाउन के लिए सामुदायिक पुलिस की री–टूलिंग;

(iii) वैश्विक महामारी के समय में आसूचना की भूमिका;

(iv) किपिंग द फ्लैग फ्लाइंग: अग्र श्रेणी के पुलिस योद्धाओं को प्रेरित करना;

(v) वैश्विक महामारी के दौरान महिलाओं और बच्चों की सहायता करना।

(झ) पुलिस स्टेशनों (पीएस) के स्तर पर "जांच सहायता प्रणाली को सुदृढ़ करने वाले शीर्ष हस्तक्षेप के क्षेत्रों" की पहचान करने के लिए 06 जनवरी, 2020 को सीडीटीआई, गाजियाबाद में एसएचओ/जांचकर्ताओं/लोक अभियोजकों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों का सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ञ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहभागिता में बीपीआरएंडडी ने 01 अगस्त से 04 अगस्त, 2020 तक स्मार्ट इंडिया हैक्थन (एसआईएच), 2020, सॉफ्टवेयर संस्करण, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नवाचार मॉडल है, आयोजित किया। माननीय प्रधानमंत्री ने 01 अगस्त, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित किया और प्रतिभागियों के साथ संवाद किया। श्री रमेश पोखरियाल, माननीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री ने उद्घाटन भाषण दिया। उद्घाटन के दौरान महानिदेशक, बीपीआरएंडडी ने प्रतिभागियों को लाइव सम्बोधित किया।

(ट) ब्यूरो ने 08–09 दिसम्बर, 2020 को बीपीआरएंडडी मुख्यालय, नई दिल्ली में वर्चुअल मोड़ से 7वां अखिल भारतीय पुलिस आवास सम्मेलन आयोजित किया।

प्रशिक्षण

8.19 बीपीआरएंडडी के स्वर्ण जयंती समारोह के एक भाग के रूप में, प्रशिक्षण प्रभाग ने अपर पुलिस अधीक्षक से महानिरीक्षक के रैंकों के स्तर के लिए राज्यों, सीपीओ और सीएपीएफ सहित देशभर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों हेतु पांच दिवसीय 'राष्ट्रीय स्वर्ण जयंती पुलिस परिदृश्य प्रबंधन पाठ्यक्रम' आयोजित किया। वरिष्ठ पुलिस प्रबंधकों को पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा मैट्रिक्स की उभरती हुई वास्तविकताओं में कार्य करने के कौशलों से सुसज्जित करने के लिए एक आला पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसे ऑनलाइन आयोजित किया गया था। इसमें भावी पुलिस व्यवस्था, कट्टरवाद को दूर करना, डार्क नेट एवं साइबर अपराध, वीआईपी सुरक्षा, व्यावहारिक पुलिस व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और आपदा प्रबंधन के लिए आसूचना का लाभ प्राप्त करना तथा जांच और अभियोजन के बेहतर पहलुओं जैसे विभिन्न विस्तृत विषय शामिल किए गए थे।

8.20 सीडीटीआई, गाजियाबाद में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) से संबंधित पहलुओं पर लद्दाख पुलिस के अधिकारियों का एक महीने का ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसमें 20 पुलिस अधिकारियों को गहन ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विधि और कानूनी पद्धतियों में लद्दाख पुलिस के अधिकारियों का यह प्रशिक्षण, इस प्रकृति का पहला पाठ्यक्रम है, जो लद्दाख को देश के शेष हिस्से से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम था।

8.21 कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण, सीडीटीआई और सीएपीटी भोपाल में ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे। वर्ष 2020–2021 के दौरान, कुल 353 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 15,374 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया था। राज्यों में विभिन्न रैंक के कारागार अधिकारियों के लिए कुल 16 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 361 कारागार अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय

8.22 पुलिस, आपराधिक न्याय और सुधारात्मक प्रशासन के विभिन्न स्कन्धों में उच्च योग्यता वाले प्रशिक्षित कार्मिकों की बढ़ती हुई आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 को अधिनियमित करके "राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू)" नाम से एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया है। इस विश्वविद्यालय ने, जो कि राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है, दिनांक 01.10.2020 से कार्य करना शुरू कर दिया है। आरआरयू एक अध्यापन, अनुसंधान और संबद्ध विश्वविद्यालय है और यह आवश्यकता के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

(यूटी) के कॉलेजों और अन्य संस्थानों को मान्यता प्रदान कर सकता है। यह देश में पुलिस, आपराधिक न्याय और सुधारात्मक प्रशासन के विभिन्न स्कन्धों के लिए विशिष्ट ज्ञान और नए कौशल वाले प्रशिक्षित पेशेवरों के एक पूल की आवश्यकता को पूरा करेगा। यह विश्वविद्यालय उद्योगों में उपलब्ध ज्ञान और संसाधनों का लाभ उठाकर निजी क्षेत्र के साथ तालमेल विकसित करेगा तथा पुलिस और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के केंद्र स्थापित करेगा।

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय

8.23 न्यायालयिक विज्ञान के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली मानवशक्ति की बढ़ती हुई जरूरत, जो कि आपराधिक जांचों में सुधार करने के लिए आवश्यक है, को समझते हुए, बजट भाषण 2020 में यह घोषणा की गई थी कि सरकार एक "राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू)" स्थापित करेगी। तदनुसार, सरकार ने "राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय" स्थापित किया है। एनएफएसयू को राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसमें गांधीनगर, गुजरात स्थित न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय का स्तरोन्नयन करना तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि–विज्ञान संस्थान (एलएनजेएनएनआईसीएफएस), नई दिल्ली के साथ इसका विलय करना शामिल है।

8.24 एनएफएसयू एक अध्यापन, अनुसंधान और संबद्ध विश्वविद्यालय होगा और यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में कॉलेजों तथा अन्य संस्थानों को, यथा अपेक्षित, मान्यता प्रदान कर सकता है। यह अधिदेश यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य के पास न्यायालयिक विज्ञान के लिए एक शैक्षणिक ढांचा उपलब्ध हो। शिक्षा प्रदान करने के अलावा, एनएफएसयू न्यायालयिक विज्ञान के क्षेत्र मे उत्कृष्टता के केंद्र भी स्थापित करेगा और इन क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि–विज्ञान संस्थान (एलएनजेएनएनआईसीएफएस) एनएफएसयू के अंतर्गत अपराध विज्ञान का एक स्कूल, न्यायालयिक विज्ञान का एक स्कूल और आपराधिक न्याय के अधिकारियों के लिए एक आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र होगा।

8.25 एनएफएसयू सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के विद्यार्थियों के लिए खुला होगा। एनएफएसयू विशेष तौर पर आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्कन्धों में विशेष ज्ञान और अत्याधुनिक कौशल (तकनीकी एवं साधारण) प्राप्त प्रशिक्षित फॉरेंसिक पेशेवरों का एक पूल तैयार करने में सहायता प्रदान करेगा। यह उच्चतर दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिए जांचों को सरल एवं कारगर बनाने में सहायता करेगा और इससे अपराध की रोकथाम का पूर्णतः निवारण हो सकेगा।

न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय (डीएफएसएस)

8.26 गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत "न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय (डीएफएसएस)" देश में न्यायालयिक विज्ञान के संवर्धन और विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है। इसे दिनांक 31.12.2002 को स्थापित किया गया था और यह अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देने तथा राज्यों/केंद्र की फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में उन्नत प्रौद्योगिकियों को लाने, क्षमता संवर्धन हासिल करने और समन्वय स्थापित करने हेतु उच्चतम स्तर की सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और पेशेवरता के साथ अत्याधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण और जांच सेवाएं प्रदान करने तथा देश में सक्षम न्यायालयिक विज्ञान के संबंध में दिशानिर्देश और मानदंड निर्धारित करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला

8.27 गृह मंत्रालय ने न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय के तत्वावधान में 6 केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल) स्थापित की हैं। यह प्रयोगशालाएं भोपाल (मध्य प्रदेश), चंडीगढ़, कामरूप (असम), हैदराबाद (तेलंगाना), पुणे (महाराष्ट्र) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं।

8.28 मुख्य रूप से, सीएफएसएल की महत्वपूर्ण भूमिका अनुसंधान एवं विकास कार्य करना है, जिसका उद्देश्य नई फॉरेंसिक तकनीकें विकसित करना, फॉरेंसिक विश्लेषण हेतु मूलभूत विज्ञान में नवीनतम विकास को अपनाना और इस प्रकार की सूचना को अन्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं तक पहुंचाना है। इसके अतिरिक्त,

सीएफएसएल को निम्नलिखित मामलों में भी अपराध के सबूतों का फॉरेंसिक विश्लेषण करना अनिवार्य होता है:

(क) केंद्र सरकार के सभी मामले।

(ख) उन राज्यों के मामले, जहां कोई फॉरेंसिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

(ग) विधिक न्यायालयों द्वारा भेजे गए मामले।

(घ) राज्य की प्रयोगशालाओं द्वारा भेजे गए अत्यधिक जटिल मामले, जिनके लिए उस राज्य में विशेषज्ञ मौजूद नहीं हैं।

(ङ) पड़ोसी देशों द्वारा भेजे गये मामले।

8.29 **सीएफएसएल का क्षेत्राधिकारः** 26 जुलाई, 2013 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, इन छह सीएफएसएल को निम्नलिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवंटित किये गये हैं:

(क) सीएफएसएल भोपालः– मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़।

(ख) सीएफएसएल पुणेः– महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमण एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली।

(ग) सीएफएसएल असमः– असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा।

(घ) सीएफएसएल कोलकाताः– ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह।

(ङ) सीएफएसएल हैदराबादः– आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, पुदुचेरी।

(च) सीएफएसएल चंडीगढ़ः– जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी), पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र (यूटी), उत्तराखंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली और हरियाणा (लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के मामलों का निपटान सीएफएसएल, चंडीगढ़ द्वारा किया जाता है)।

8.30 तथापि, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल) किसी भी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के मामले स्वीकार कर सकती हैं।

8.31 न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस) की ड्यूटियों का संक्षिप्त चार्टर निम्नानुसार हैः–

(क) आपराधिक न्याय प्रदायगी प्रणाली को समय पर उच्च गुणवत्ता युक्त फॉरेंसिक विज्ञान सेवाएं प्रदान करना

(ख) आपराधिक न्याय प्रणाली में सहायता करने के लिए नई प्रौद्योगिकियां विकसित करना और नए वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन करना

(ग) अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना

(घ) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, तकनीकी और फॉरेंसिक विज्ञान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के साथ संबंध स्थापित करना

(ङ) फॉरेंसिक परीक्षण में गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण बढ़ाना

(च) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के क्षेत्र में ज्ञान का प्रचार–प्रसार और संवर्धन करना

(छ) फॉरेंसिक विज्ञान में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना और नीतियां तैयार करना

(ज) विभिन्न फॉरेंसिक सूचकांकों के संबंध में राष्ट्रीय डाटाबेस विकसित करना।

(झ) पुरस्कार और प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाकर फॉरेंसिक विज्ञान तथा अनुसंधान और विकास में उत्कृष्टता को बढ़ाना

(ञ) सभी फॉरेंसिक विज्ञान के मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देना

8.32 फॉरेंसिक जांच में गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, गृह मंत्रालय ने न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस) के माध्यम से निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए हैं:

(क) राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) मानकों (आईएसओ 17025) के अनुसार प्रयोगशालाओं के अधिप्रमाणन हेतु गुणवत्ता मैनुअल

(ख) न्यायालयिक विज्ञान के 9 विषयों में कार्यकारी

पद्धति मैनुअल

(ग) जीव विज्ञान और डीएनए प्रभागों के लिए कार्यकारी पद्धति मैनुअल

(घ) यौन हमले के मामलों में जांच अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, संरक्षण और परिवहन हेतु दिशानिर्देश

(ङ) न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना/स्तरोन्नयन के लिए उपकरण की मानक सूची।

8.33 डीएफएसएस के अंतर्गत सीएफएसएल को 13 प्रभागों अर्थात जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, विस्फोटक पदार्थ, विष विज्ञान, दस्तावेज, बैलिस्टिक, डिजिटल फॉरेंसिक विज्ञान (फॉरेंसिक इलैक्टॉनिक्स), फॉरेंसिक डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (डीएनए), फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक स्वापक मादक पदार्थ, फॉरेंसिक आसूचना और फॉरेंसिक मनोविज्ञान के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में, सभी 6 सीएफएसएल में 11 प्रभाग कार्यशील हैं। छह सीएफएसएल में फॉरेंसिक इंजीनियरिंग और फॉरेंसिक आसूचना प्रभाग स्थापित करने का कार्य चल रहा है।

8.34 उपर्युक्त के अतिरिक्त, डीएनए विश्लेषण, कंप्यूटर फॉरेंसिक, ऑडियो–वीडियो सत्यापन, वक्ता की पहचान, स्केनिंग इलेक्ट्रोन–माईक्रोस्कोपी एंड एनर्जी डिस्पर्सिव एक्स–रे एनालिसिस (एसईएम–ईडीएक्सए) का प्रयोग करके शूटर की पहचान, स्वचालित आग्नेयास्त्र/गोलाबारूद डाटाबेस पहचान प्रणाली, चेहरे की पहचान/सीसीटीवी फुटेज विश्लेषण, बुलेटप्रूफ सामग्री परीक्षण और कपाल अध्यारोपन के क्षेत्र में डीएफएसएस में नई प्रौद्योगिकियां हासिल की गई हैं।

8.35 **अनुसंधान कार्य:** छह केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशालाओं ने न्यायालयिक विज्ञान के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं से निपटने के लिए अनुसंधान कार्य शुरू कर लिया है। वर्तमान में, छह सीएफएसएल के विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्रों/कार्यवाहियों के माध्यम से ओडियो–वीडियो, वक्ता की पहचान, करेंसी नोट, जीव विज्ञान/डीएनए प्रोफाइलिंग, विषविज्ञान, रसायन आदि से जुड़े 54 अनुसंधान दस्तावेज प्रकाशित/प्रस्तुत किए हैं।

8.36 **मामले की जांच संबंधी कार्य:** दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक; डीएफएसएस, गृह मंत्रालय के अंतर्गत छः सीएफएसएल ने 2,01,290 अपराध सबूतों के साथ 3528 आपराधिक मामलों की जांच की है। ये प्रयोगशालाएं तुलनात्मक दृष्टि से अधिक जटिलता वाले उन मामलों की जांच करती हैं, जिनमें विशेषज्ञ की पेशेवर राय और उच्च स्तर के अध्ययन की आवश्यकता होती है।

8.37 **न्यायालयी साक्ष्य:** दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान छः सीएफएसएल के विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों ने विभिन्न विधिक न्यायालयों में 51 न्यायालयी साक्ष्य प्रस्तुत किए।

8.38 **अपराध दृश्य:** उक्त अवधि के दौरान सीएफएसएल के विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों ने 29 अपराध दृश्यों की जांच की।

8.39 **प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना और उनका आयोजन करना:** दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान, छः सीएफएसएल के वैज्ञानिकों ने अपने प्रौद्योगिकीय ज्ञान और कौशल का स्तरोन्नयन करने के लिए नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल), लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि–विज्ञान संस्थान (एलएनजेएनएनआईसीएफएस), राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), करेंसी नोट प्रेस नासिक, आईएसटीएम, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) और उपकरण प्रशिक्षण जैसी विभिन्न विधि प्रवर्तन और अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित 93 ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। उपर्युक्त के अतिरिक्त, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों ने 84 प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया/व्याख्यान दिए, जिनमें विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों और वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

8.40 राज्य और केंद्र की एफएसएल में विशेषज्ञों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए,

तीन नई सीएफएसएल को विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ–साथ राज्य और केंद्र की एफएसएल में कार्यरत वैज्ञानिकों के लिए न्यायालयिक विज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने का कार्य सौंपा गया है। सीएफएसएल द्वारा पाठ्यक्रम संबंधी कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है और वर्तमान महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये पाठ्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से शुरू किए जा रहे हैं। सीएफएसएल भोपाल ने 'न्यायालयिक भौतिक विज्ञान' के क्षेत्र में फरवरी 22–26, 2021 तक सफलतापूर्वक ऑनलाइन पाठ्यक्रम आयोजित किया। इस पाठ्यक्रम में सीएफएसएल के नए इंटर्नस ने भाग लिया। पाठ्यक्रम के दौरान फॉरेंसिक क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने उपर्युक्त विषय पर प्रस्तुतीकरण, तकनीकी व्याख्यान और प्रश्नोत्तरी सत्र प्रदान किए।

8.41 **सीएफएसएल का आधुनिकीकरण** : भोपाल, असम, कोलकाता और पुणे में स्थित चार केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल) के आधुनिकीकरण को मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। भोपाल और असम की आधुनिकीकृत सीएफएसएल ने नई सुविधाओं के साथ प्रचालन शुरू कर दिया है। सीएफएसएल पुणे में आधुनिक प्रयोगशाला भवन के परिसर का कार्य अब पूरा हो गया है। सीएफएसएल कोलकाता में आधुनिक प्रयोगशाला भवन के परिसर का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है।

सीएफएसएल, चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए प्रयोगशाला

8.42 भारत में डीएनए विश्लेषण का प्रयोग अपने उभरते हुए स्तर पर है। डीएनए विश्लेषण वह तकनीक है, जिसमें किसी भी व्यक्ति की मॉलीक्यूलर स्तर पर पहचान की जा सकती है। फॉरेंसिक डीएनए विश्लेषण एक बहुत संवेदनशील और पुनरुत्पादनीय तकनीक है और यह पीड़ित और संदिग्ध की पहचान, बड़ी आपदाओं में मानव की पहचान, पितृत्व और मातृत्व संबंधी विवादों, बलात्कार और हत्या के मामले, अस्पतालों में बच्चा बदलने, किसी मृतक की पहचान, अंग प्रत्यारोपण और आप्रवासन जैसे मामलों में आधुनिक आपराधिक जांच के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अत्यधिक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। आपराधिक मामलों में न्यायालय द्वारा डीएनए विश्लेषण की बढ़ती हुई मांग के साथ ही, देश में न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का क्षमता निर्माण करने की आवश्यकता भी बढ़ रही है। क्षमता निर्माण कार्यक्रम के भाग के रूप में, गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ की केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) में एक अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण सुविधा शुरू की है। अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण सुविधा का उद्घाटन और इसका प्रचालन दिनांक 23.12.2019 को शुरू किया गया था। बड़े प्रौद्योगिकीय स्तरोन्नयन के अंतर्गत डिजिटल ओटोक्लेव, बायो–इंक्यूबेटर्स, टीशू लाइजर्स, आटो–एक्सट्रेक्शन उपकरण, जीईएल डाक्यूमेंटेशन सिस्टम, रियल–टाइम पोलीमराइज्ड चेन रिएक्शन, थर्मल साइक्लर्स, डीएनए सीक्वेंसर्स की स्थापना करने तथा साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण और डाटा प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ सॉफ्टवेयर की स्थापना को शामिल किया गया है। इस संकाय ने 2 अनुसंधान दस्तावेज प्रकाशित किए हैं। संकाय ने देश में उत्पादन के उद्देश्य के लिए यौन हमला साक्ष्य संग्रहण (एसएईसी) किट के उपलब्ध घटकों पर एक अनुसंधान भी किया है और गुणवत्ता पर समझौता किए बिना स्वदेशी सामग्री पर आधारित संशोधित विनिर्देशनों की सिफारिश की है। इससे एसएईसी किटों की लागत में लगभग 50% तक की बचत हुई है। संशोधित विनिर्देशन गवर्नमेंट–ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) पर भी अपलोड किये गये हैं।

राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (ई), हैदराबाद की स्थापना

8.43 महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध रोकथाम स्कीम (सीसीपीडब्ल्यूसी) के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा 37.66 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय से एक स्कीम अर्थात् हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (ई) की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया गया है। आधुनिक प्रयोगशाला सुविधाओं के लिए अवसंरचना और स्तरोन्नयन संबंधी गतिविधियां लगभग पूरी होने वाली हैं।

राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण

8.44 डीएफएसएस की ड्यूटियों के चार्टर के अनुसार, यह लगातार विभिन्न नए और मौजूदा प्रभागों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण करने, प्रमाणन प्राप्त करने, मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) उपलब्ध कराने, प्रौद्योगिकी

हस्तांतरण आदि में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एसएफएसएल) को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। डीएफएसएस ने साइबर और डीएनए प्रभागों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए निर्भया कोष के अंतर्गत एसएफएसएल द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का मूल्यांकन और इनके संबंध में सिफारिशें की हैं। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने निर्भया कोष स्कीम के अंतर्गत 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए 189.45 करोड़ रु. की परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है। डीएफएसएस इन परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के साथ गहन समन्वय कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग

8.45 शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सदस्य राष्ट्रों के विशेषज्ञ कार्यकारी समूह की अक्टूबर, 2020 माह के दौरान वर्चुअल रूप में आयोजित श्रृखंलाबद्ध बैठकों में सीएफएसएल चंडीगढ़ के वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा देश का प्रतिनिधित्व किया गया था।

केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो), नई दिल्ली

8.46 केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, (सीबीआई), नई दिल्ली की स्थापना अपराध की जांच–पड़ताल करने में वैज्ञानिक सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वैज्ञानिक विभाग के रूप में वर्ष 1968 में की गई थी। यह प्रयोगशाला ब्लॉक सं. 4, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में स्थित है। इसके अलावा, सीएफएसएल की वैज्ञानिक सहायता इकाई भी है, जो चेन्नई तथा मुम्बई में सीबीआई के शाखा कार्यालयों में स्थित है।

क्षेत्राधिकार

8.47 सीएफएसएल (सीबीआई), नई दिल्ली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के प्रशासनिक नियंत्रण और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र नियंत्रण के अधीन एक वैज्ञानिक विभाग है। यह सीएफएसएल, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, न्यायपालिका और मंत्रालयों एवं उपक्रमों के सतर्कता विभागों तथा राज्य/केंद्र सरकार के विभागों द्वारा भेजे गए अपराध के सबूतों का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। सीएफएसएल के विशेषज्ञ जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए अपराध के सबूतों की जांच करते हैं और अपनी विशेषज्ञ राय प्रकट करते हैं तथा न्यायालयी सबूतों एवं साक्ष्यों के माध्यम से अपनी राय को अदालत में सिद्ध करते हैं। वास्तविक सुराग का पता लगाने के लिए सीबीआई द्वारा पूरे भारत में अपराध के घटना स्थल पर भी इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिक विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है। ये वैज्ञानिक/विशेषज्ञ सीबीआई के अधिकारियों तथा राज्य और केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशालाओं के नए प्रशिक्षुओं को भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। यह प्रयोगशाला फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में कौशल विकास से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य भी करती है।

न्यायालय में उपस्थिति और अपराध के घटना स्थलों का दौरा

8.48 इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने दिल्ली एवं भारत के अन्य हिस्सों में न्यायालयों में 123 मामलों में विशेषज्ञ साक्ष्य प्रस्तुत किए और दिल्ली एवं इसके बाहर अपराधों की वैज्ञानिक जांच के लिए अपराध के 93 घटना स्थलों की जांच की है।

मामलों से संबंधित आंकड़े

8.49 **वर्ष 2020 के मामलों से संबंधित आंकड़े**

1.	दिनांक 01.01.2020 की स्थिति के अनुसार लंबित मामले	: 1139
2.	दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 तक प्राप्त मामले	: 1217

8.50 **वर्ष 2020 में सूचित मामले**

1.	सीबीआई	– 698
2.	दिल्ली पुलिस	– 236
3.	अन्य	– 264
	कुल	– 1198
	दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार लंबित मामले	– 1158

खरीदे गए महत्वपूर्ण नवीनतम उपकरण

8.51 वर्ष 2020 के दौरान, सीएफएसएल (सीबीआई) नई दिल्ली के विभिन्न प्रभागों के लिए नवीनतम उपकरण नामतः गैस क्रोमेटोग्राफ/ट्रिपल क्वाड्रूपोल मास स्पेक्टोमीटर (जीसी–एमएस/एमएस), मैगनस स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप, 'यू–फ्रेड' प्रोटेबल फॉरेंसिक वर्क स्टेशन, फॉरेंसिक टेलन इमेजिंग डिवाइस, 'ओपनटेक्स्ट' फॉरेंसिक (डाटा रिट्रिविंग) सॉफ्टवेयर वी. 20.3 इत्यादि की खरीद करने के बाद ये स्थापित कर लिए गए हैं।

गैस क्रोमेटोग्राफ/ट्रिपल क्वाड्रूपोल मास स्पेक्टोमीटर (जीसी–एमएस/एमएस) पर कार्य करते हुए

(स्रोत – सीएफएसएल/सीबीआई, नई दिल्ली)

गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में पहल

8.52 केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल), सीबीआई, नई दिल्ली अपने सभी प्रचालनात्मक विषयों के संबंध में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएफएसएल (सीबीआई), नई दिल्ली को आईएसओ आईईसी 17025 तथा "राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल)" के अनुरूप गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन "राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल)" द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इस प्रयोगशाला ने इसके प्रत्येक प्रभाग को भेजे गए अपराध के विभिन्न सबूतों के संबंध में विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक परीक्षण किए जाने हेतु "विस्तृत गुणवत्ता मैनुअल और कार्य पद्धति मैनुअल" तैयार किया है। वर्ष के दौरान, 865 मामलों (लगभग) में अनुरूपता संबंधी जांचें की गई थीं। एनएबीएल की आवश्यकता के अनुसार गुणवत्ता मैनुअल में संशोधन

किया गया था। प्रयोगशाला में नया मानक प्रारूप अर्थात् आईएसओ आईईसी 17025 – 2005 शुरू किया गया है। अपराध के सबूतों के विश्लेषण कार्य में प्रयुक्त उपकरणों को एनएबीएल से मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से केलिब्रेट किया गया है। गुणवत्ता प्रणाली, प्रयोगशाला के प्रबंधन तथा दस्तावेज संबंधी प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा सीएफएसएल के सभी प्रभागों में नामित किए गए आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है। चालू गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के बारे में प्रयोगशाला में जागरूकता अभियान भी चलाया गया था। यह प्रयोगशाला किसी भी प्रकार के अपराध के मामलों की फॉरेंसिक जांच करने और न्याय की उपयुक्त व्यवस्था से संबंधित जटिलताओं के प्रभावशाली उपचारात्मक समाधान करने के लिए अपनी गुणवत्तापरक नीति का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि जांच एजेंसियों और न्यायपालिका के साथ–साथ सामान्य लोगों को भी प्रमाणित मानदंडों वाली भरोसेमंद गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान की जा सकें।

मौजूदा जांच सुविधाएं

8.53 सीएफएसएल (सीबीआई), नई दिल्ली में 10 पूर्ण सुसज्जित प्रभाग हैं, जो अपराध के सबूतों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने और अपराध के घटना स्थलों में पाये गए भौतिक सबूतों के संग्रह/पहचान करने में विभिन्न जांच एजेंसियों को फॉरेंसिक सहायता संबंधी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। ये बैलेस्टिक, जीव विज्ञान और डीएनए प्रोफाइलिंग यूनिट, रसायन, दस्तावेज, फिंगरप्रिंट, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, फोटो, भौतिकी, सेरॉलोजी, कंप्यूटर फॉरेंसिक और वैज्ञानिक सहायता एकक हैं।

8.54 इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों को फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में अपने फॉरेंसिक कौशल को उन्नत करने और नई प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

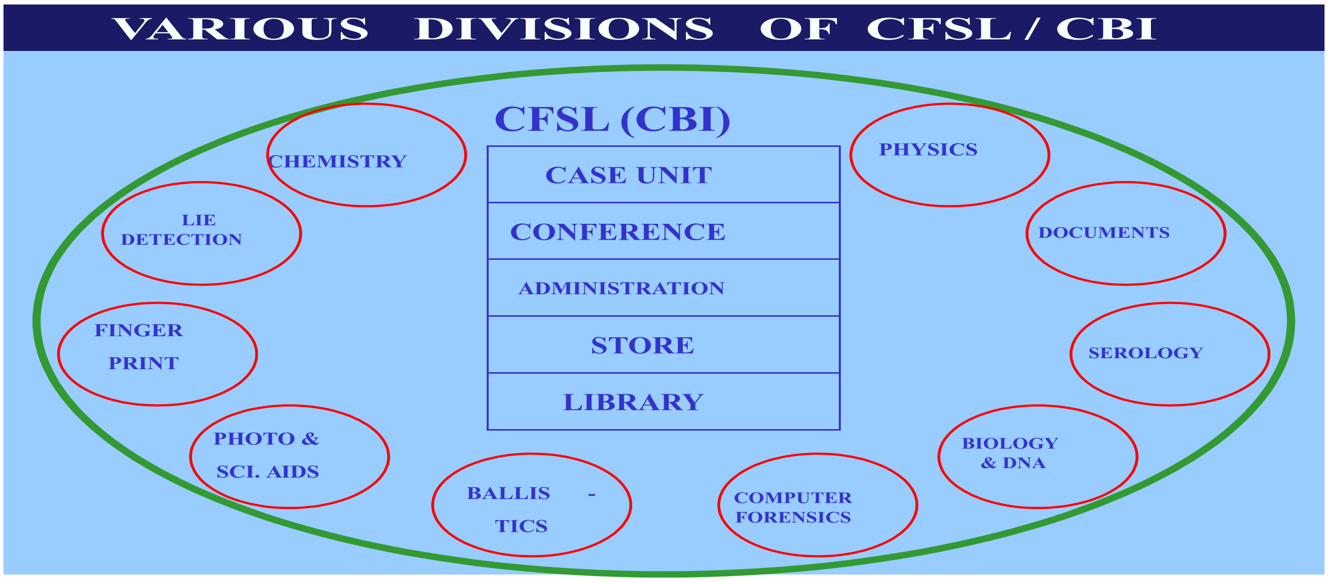

लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि–विज्ञान संस्थान (एलएनजेएन एनआईसीएफएस)

8.55 इस संस्थान की स्थापना आपराधिक न्याय प्रणाली के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 1972 में की गई थी। स्थापना से अब तक, भारत के पुलिस और सिविल प्रशासन, अभियोजन, न्यायपालिका, सुधारात्मक प्रशासन, सीमा शुल्क, रक्षा बलों, बैंकों और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के 49253 अधिकारियों और लगभग 23 विदेशी राष्ट्रों ने संस्थान के विभिन्न ओरियेंटेशन और विशिष्ट पाठ्यक्रमों में भाग लिया है।

शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान

8.56 अपनी शुरूआत से ही, एलएनजेएन एनआईसीएफएस प्रतिवर्ष अपने पाठ्यक्रम कलैंडर के अनुसार भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तर के विभिन्न पदाधिकारियों को अनेक ओरियेंटेशन/

इडंक्शन/अल्पावधिक और दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के रूप में इन–सर्विस प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

8.57 वर्ष 2020–21 के दौरान, लॉकडाउन और मौजूदा कोविड–19 की स्थिति के बावजूद, एलएनजेएन एनआईसीएफएस ने अब तक 02 ऑफलाइन और 43 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिनमें पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन, सुधारात्मक प्रशासन, रक्षा सेवाओं, एफएसएल आदि के 1,346 अधिकारियों ने भाग लिया।

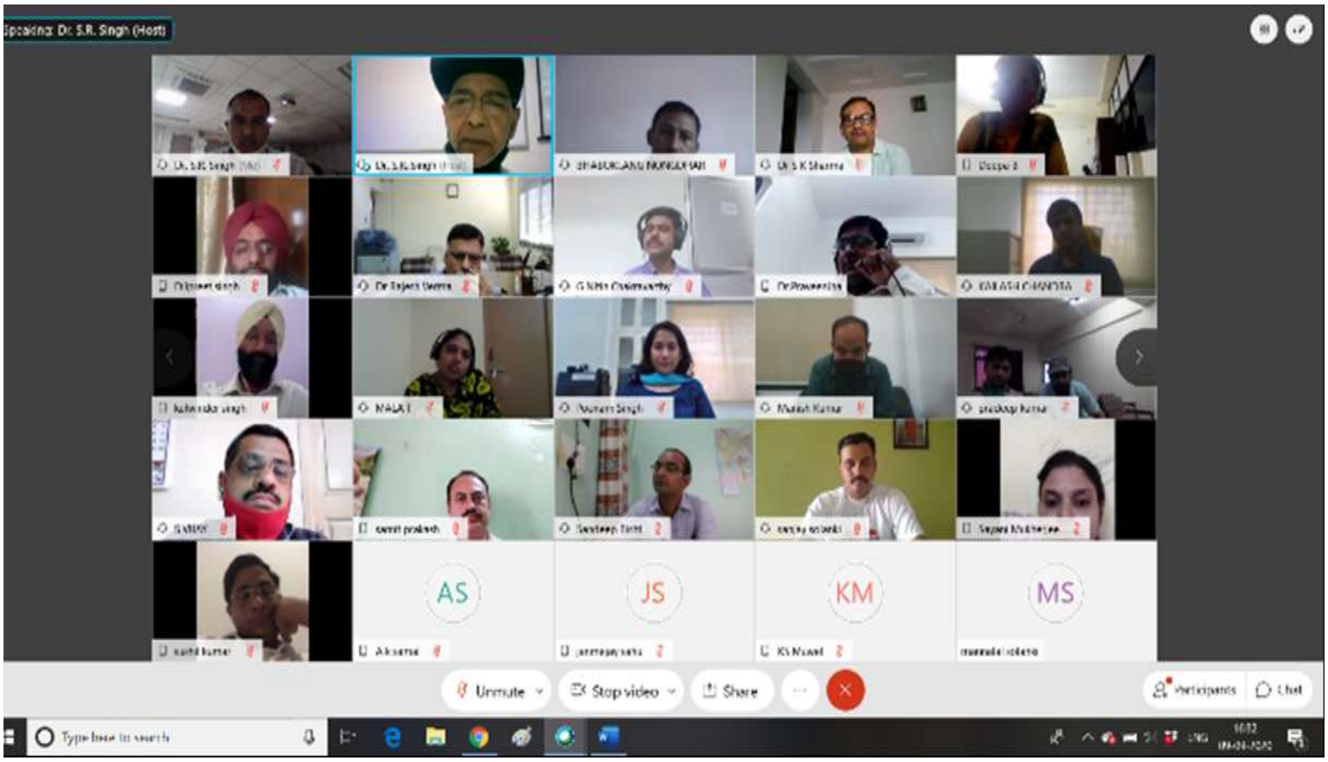

फॉरेंसिक भौतिक प्रभाग द्वारा "स्पीकर आइडेंटिफिकेशन एंड टेप ऑथेंटिकेशन" विषय पर 11वें पाठ्यक्रम का 7 से 9 सितम्बर, 2020 तक ऑनलाइन विधि से आयोजन

8.58 सूचीबद्ध कार्यक्रमों के अतिरिक्त, पाठ्यक्रम कलैंडर में शामिल पाठ्यक्रमों के अलावा जनवरी से मार्च, 2021 की अवधि में 29 अतिरिक्त पाठ्यक्रमों की भी योजना बनाई गई है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2020–21 के प्रशिक्षण कैलेंडर में आयोजित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की संख्या 93 प्रस्तावित है।

8.59 पिछले 4 वर्षों में एलएनजेएन एनआईसीएफएस द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न अल्प और दीर्घ–कालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

वर्ष	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या
2016–17	45	1326
2017–18	58	1493
2018–19	91	2518
2019–20	97	2323

8.60 एलएनजेएन एनआईसीएफएस नियमित तौर पर फॉरेंसिक बैलेस्टिक्स, फॉरेंसिक दस्तावेज जांच, फॉरेंसिक रसायन एवं विषविज्ञान, फॉरेंसिक जीव विज्ञान, सीरम–विज्ञान एवं डीएनए, साइबर अपराध एवं कानून और फॉरेंसिक भौतिकी के विषयों में 09 माह की अवधि वाले 06 स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

8.61 एलएनजेएन एनआईसीएफएस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) और अन्य विकासशील देशों के अधिकारियों को भी नियमित तौर पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। पिछले 04 वर्षों में सार्क देशों के अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

वर्ष	सार्क देशों के प्रशिक्षुओं की संख्या
2016-17	46
2017-18	101
2018-19	20
2019-20	06

8.62 डिजिटल फॉरेंसिक प्रभाग के अंतर्गत नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, वर्ष 2019 से (i) 'प्रवेशकों के लिए सूचना सुरक्षा एवं साइबर फॉरेंसिक' और (ii) मोबाइल फॉरेंसिक में नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे, जबकि फॉरेंसिक भौतिकी प्रभाग द्वारा 'फॉरेंसिक ऑडियो, फॉरेंसिक फोटोग्राफी एंड वीडियो टेक्नोलॉजी' में एक नया सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है।

8.63 बैलेस्टिक और दस्तावेज प्रभागों द्वारा क्रमशः 'फॉरेंसिक बैलेस्टिक में उभरती हुई चुनौतियां' और 'फॉरेंसिक दस्तावेज जांच में उभरती हुई चुनौतियां' के संबंध में नई कार्यशालाएं भी शुरू की गई हैं।

(क) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

एलएनजेएन राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान, अपराध विज्ञान और फॉरेंसिक विज्ञान में एम.ए. /एम.एससी. पाठ्यक्रम आयोजित करता है। एमए अपराध विज्ञान और एमएससी फॉरेंसिक विज्ञान दोनों के पाठ्यक्रम में आवधिक तौर पर संशोधन किया जाता है, जिसमें सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान के एक विशिष्ट मिश्रण पर बल दिया जाता है। इसमें अनुसंधान क्षमता का एक नया घटक भी जोड़ा गया है। एलएनजेएन एनआईसीएफएस एक 'श्रेणी क' संस्थान है और यह राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद् (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त है।

(ख) स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

शैक्षणिक वर्ष 2019–20 से (i) साइबर अपराध एवं कानून, (ii) सुरक्षा प्रबंधन और (iii) पीड़ित विज्ञान एवं पीड़ित सहायता आदि विषयों में एक वर्ष की अवधि वाले 03 नए पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(ग) यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक जांच से संबंधित विशेष पाठ्यक्रम

गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार, अब पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों/लोक अभियोजकों/फॉरेंसिक वैज्ञानिकों/चिकित्सा अधिकारियों के लिए "यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक जांच" से संबंधित विशेष पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दिनांक 31.12.2020 तक ऐसे 05 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 275 अधिकारियों ने भाग लिया। चालू प्रशिक्षण वर्ष में 09 और कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है।

(घ) एलएनजेएन एनआईसीएफएस छात्रवृत्तियां

एनआईसीएफएस ने गृह मंत्रालय के अनुमोदन से वर्ष 2016–17 से एमए अपराध विज्ञान और एमएससी फॉरेंसिक विज्ञान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने की स्कीम शुरू की थी। वर्ष 2018–19 में, एमए अपराध विज्ञान और एमएससी फॉरेंसिक विज्ञान में 8–8 विद्यार्थियों को मेरिट/मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी, जबकि एमए अपराध विज्ञान में 7 विद्यार्थियों और एमएससी फॉरेंसिक विज्ञान में 12 विद्यार्थियों को पुस्तकों के लिए अनुदान दिया गया था।

(ङ) फॉरेंसिक एप्टीट्यूड एण्ड कैलिबर टेस्ट

गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार, एलएनजेएन एनआईसीएफएस ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) के सहयोग से एक अखिल–भारतीय ऑनलाइन परीक्षा, यथा वर्ष 2018 में फॉरेंसिक एप्टीट्यूड एण्ड कैलिबर टेस्ट (फैक्ट और फैक्ट प्लस) और वर्ष 2019 में फॉरेंसिक साइकोलॉजी एप्टीट्यूड एण्ड कैलिबर टेस्ट (एफ–पैक्ट और एफ–पैक्ट प्लस 2019) क्रमशः फॉरेंसिक विज्ञान और फॉरेंसिक

साइकोलॉजी में स्नातकों और पेशेवरों की बेंचमार्किंग के उद्देश्य से आयोजित की है।

(च) अनुसंधान

एलएनजेएन एनआईसीएफएस नियमित रूप से विभिन्न अनुसंधान संबंधी अध्ययन और गतिविधियां आयोजित करता है। वर्तमान में फॉरेंसिक विज्ञान के अंतर्गत परियोजनाएं और अध्ययन कार्य चल रहे हैं जैसे किः (i) अपराध विज्ञान संकाय के अंतर्गत "पुलिस संस्कृति एवं समाजीकरण का आकलनः दिल्ली पुलिस पर आधारित एक अध्ययन" नामक अनुसंधान परियोजनाएं और "यौन अपराधियों का मनोवैज्ञानिक आकलनः नई दिल्ली शहर पर आधारित एक अध्ययन"; (iii) भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईआईटीआर), लखनऊ के साथ फॉरेंसिक रसायन प्रभाग द्वारा एक संयुक्त अनुसंधान परियोजना, (iv) फॉरेंसिक जीव विज्ञान प्रभाग द्वारा अनुसंधान परियोजना – "सहवास के बाद की अवधि के दौरान महिलाओं के जननांग के निचले हिस्से में शुक्राणु घटकों की उपस्थिति पर एक अध्ययन", और (v) डिजिटल फॉरेंसिक प्रभाग द्वारा अनुसंधान परियोजना– "पुलिस स्टेशन के स्तर पर अपराध की जांच हेतु क्षमता निर्माण के लिए ओपन सोर्स डिजिटल फॉरेंसिक टूल का वैधीकरण"।

राष्ट्रीय बम डाटा केंद्र (एनबीडीसी), राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) और एलएनजेएन एनआईसीएफएस के बीच सहयोग

8.64 राष्ट्रीय बम डाटा केंद्र (एनबीडीसी), राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) और एलएनजेएन एनआईसीएफएस के बीच पारस्परिक गहन सहयोग स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसरण में श्री अनुप कुमार सिंह, आईपीएस, महानिदेशक– एनएसजी तथा एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र और राष्ट्रीय बम डाटा केंद्र (एनबीडीसी) से उनकी टीम ने 20 अगस्त, 2020 को एलएनजेएन एनआईसीएफएस का दौरा किया। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के प्रयोग के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति मौजूदा और भावी खतरे के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) और एलएनजेएन एनआईसीएफएस के अधिकारियों के बीच एक विस्तृत विचार–विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया कि (i) आईईडी विस्फोट के स्थानों से संग्रहित किए गए बल्क और निशान लगे हुये नमूनों/सामग्री का परीक्षण करने और उनकी पहचान करने, (ii) वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रहण के माध्यम से विस्फोट के बाद की जांच और (iii) राष्ट्रीय बम डाटा केंद्र (एनबीडीसी) की मौजूदा विस्फोटक रसायन प्रयोगशाला में सुधार करने इत्यादि क्षेत्रों में दोनों संगठनों की विशेषज्ञताओं और संसाधनों के प्रयोग/आदान–प्रदान के माध्यम से पर्याप्त निवारणात्मक उपाय करने की आवश्यकता है।

एनबीडीसी(एनएसजी) और एलएनजेएन एनआईसीएफएस के बीच विशेषज्ञता के प्रयोग/आदान–प्रदान के संबंध में श्री अनुप कुमार सिंह, महानिदेशक, एनएसजी और मेजर जनरल आर रवि महा निरीक्षक (ट्रेनिंग सेंटर), एनएसजी एलएनजेएन एनआईसीएफएस में अपने दौरें के दौरान श्री नासिर कमल, निदेशक एलएनजेएन एनआईसीएफएस को एक स्मृति चित्र भेट करते हुए

पहल

8.65 गृह मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार, प्रशिक्षार्थी अधिकारियों/विद्यार्थियों के लिए 80 कमरों वाले एक नए 6–मंजिला छात्रावास ब्लॉक, एक नया 6–मंजिला पुस्तकालय ब्लॉक और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नए आवासीय मकानों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। एनबीसीसी, जो इन परियोजनाओं में निर्माण कार्य कर रही है, द्वारा शीघ्र ही नए परिसर संस्थान को सौंपे जाने की प्रत्याशा है।

राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के दिल्ली परिसर के रूप में एलएनजेएन एनआईसीएफएस

8.66 सरकार ने एक राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) स्थापित किया है जो 01 अक्टूबर, 2020 से शुरू हुआ है। नए विश्वविद्यालय को संसद द्वारा एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया है। एलएनजेएन एनआईसीएफएस नए विश्वविद्यालय में अपराध विज्ञान के स्कूल, न्यायालयिक विज्ञान के स्कूल और आपराधिक न्याय के अधिकारियों हेतु आधुनिक प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में कार्य करता रहेगा और यह विश्वविद्यालय का दिल्ली परिसर होगा।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

8.67 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की स्थापना गृह मंत्रालय के दिनांक 11.03.1986 के संकल्प के अंतर्गत की गई थी। एनसीआरबी की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई थी:

(क) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर सक्रिय अपराधियों सहित अपराध और अपराधियों के सूचना प्रदाता केंद्र के रूप में कार्य करना, ताकि अपराधों को उनके अंजाम देने वालों के साथ लिंक करने में जांचकर्ताओं और अन्य की सहायता की जा सके;

(ख) पुलिस स्टेशन के रिकॉर्डों का संदर्भ लिए बिना भारत के संबंधित राज्यों, राष्ट्रीय जांचकर्ता एजेंसियों, न्यायालयों और अभियोजन संस्थाओं के लिए अंतर–राज्यीय तथा अंतर–राष्ट्रीय अपराधियों के बारे में सूचना दोतरफा संग्रहित, समन्वित और प्रसारित करना;

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक आंकड़े संग्रहित करना और उनको प्रोसेस करना।

(घ) अपराधियों के पुनर्वास, उनकी रिमांड, पैरोल, समयपूर्व रिहाई आदि से संबंधित दांडिक और सुधारात्मक एजेंसियों के कार्यों हेतु उनसे आंकड़े प्राप्त करना और उनको आंकड़े प्रदान करना;

(ङ) राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कार्य में समन्वय, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना;

(च) अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कार्मिकों को प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं प्रदान करना; और

(छ) अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का मूल्यांकन, विकास और आधुनिकीकरण करना।

8.68 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) का मुख्यालय महिपालपुर, नई दिल्ली में है और इसे गृह मंत्रालय का एक 'संबद्ध' कार्यालय माना जाता है। एनसीआरबी का कोलकाता में एक शाखा कार्यालय (मूल सेंट्रल फिंगर प्रिंट ब्यूरो (सीएफपीबी) मुख्यालय) है। कई वर्षों से, भारतीय पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जोड़कर उसे एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने और सशक्त बनाने की एनसीआरबी की जिम्मेदारी भी इसका मुख्य एजेंडा बन गया है। एनसीआरबी ने देश में उपयुक्त आईटी प्लेटफार्म विकसित करके और उनकी तैनाती करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनके अपराध रिकॉर्डों के कंप्यूटरीकृत प्रोसेस के कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

8.69 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से प्राप्त आंकड़े संकलित करता है और अन्य बातों के साथ–साथ अपने तीन महत्वपूर्ण वार्षिक प्रकाशनों यथा 'क्राइम इन इंडिया', 'भारत में दुर्घटनावश मौतें और आत्महत्याएं' तथा 'प्रिजन स्टेटिक्स इंडिया' में इन्हें प्रकाशित करता है। उक्त रिपोर्टों में निहित आंकड़े का व्यापक प्रयोग सांसदों, शिक्षाविदों, गैर–सरकारी

संगठनों (एनजीओ) और एक विस्तृत अनुसंधानकर्ता समुदाय द्वारा प्रभावकारी नीति निर्माण तथा अनुसंधान के लिए किया जाता है। ब्यूरो ने वर्ष 2019 की सभी तीनों रिपोर्टें अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की हैं।

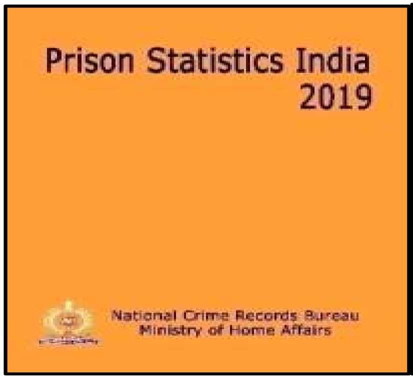

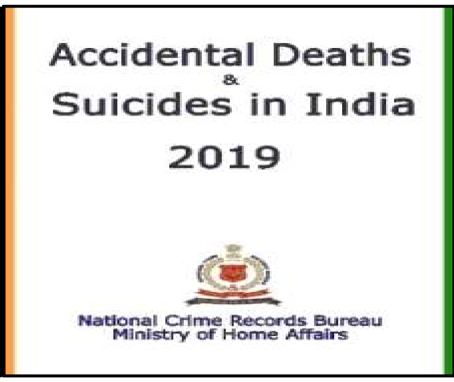

8.70 साइबर एवं सूचना सुरक्षा (सीआईएस) प्रभाग, गृह मंत्रालय के पर्यवेक्षण और प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत "महिलाओं एवं बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) स्कीम" के लिए ऑनलाइन साइबर – अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और इससे सम्बद्ध कार्य के संबंध में तकनीकी और परिचालनात्मक कार्य प्रणाली का प्रबंध करने के लिए एनसीआरबी को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया गया है। एनसीआरबी राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र (एनसीटीसी) और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के प्रशासन में शामिल है।

8.71 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) का एक अधिदेश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी)/सीपीओ के पुलिस कार्मिकों को सूचना प्रौद्योगिकी और अंगुलछाप विज्ञान में प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रत्येक वर्ष एनसीआरबी भारतीय पुलिस अधिकारियों के लिए औसतन 40 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। "साइबर अपराध एवं डिजिटल फॉरेंसिक", "अपराध आंकड़ा विश्लेषण", "अपराध और अपराधी ट्रैकिंग एवं नेटवर्क प्रणाली", "जाली भारतीय करेंसी नोट", "अंगुलछाप विज्ञान में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम", "बुनियादी अंगुलछाप विज्ञान", "रंगीन चित्र निर्माण प्रणाली", "क्राइम इन इंडिया", "भारत में दुर्घटनावश मौतें और आत्महत्याएं", "प्रिजन स्टेटिक्स इंडिया", "राष्ट्रीय स्वचालित अंगुलछाप पहचान प्रणाली पर कार्यशाला" आदि जैसे विभिन्न विषयों पर नियमित रूप से प्रशिक्षण आयोजित करता है। एनसीआरबी संसाधन से जुड़े व्यक्तियों की क्षमता निर्माण करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को आगामी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उन्हें प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) भी प्रदान करता है। एनसीआरबी द्वारा आयोजित इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केंद्रीय पुलिस संगठनों/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के साथ–साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित सभी रैंकों के अधिकारी भाग लेते हैं। पुलिस अधिकारियों और फिंगर प्रिंट विशेषज्ञों के बीच विस्तृत पहुंच बनाने के लिए एनसीआरबी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में हैदराबाद, गांधीनगर, लखनऊ और कोलकाता के चार "क्षेत्रीय पुलिस कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्रों (आरपीसीटीसी)" की सहायता भी करता है। दिसम्बर, 2020 तक, एनसीआरबी ने 2746 पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के 65406 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।

निदेशकों का 21वां अखिल भारतीय सम्मेलन, फिंगरप्रिंट ब्यूरोज, 2020

8.72 कोविड–19 वैश्विक महामारी के प्रतिबंधों के दौरान भी, एनसीआरबी ने ई–लर्निंग मॉड्यूल चलाए हैं। कुल 8 वेबिनार और 13 ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 645 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

8.73 एनसीआरबी विदेश मंत्रालय के साथ परामर्श करके विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) और स्पेशल कॉमनवेल्थ अफ्रीकन असिस्टेंस प्रोग्राम (एससीएएपी), के अंतर्गत विदेशी राष्ट्रों के पुलिस अधिकारियों के लिए भी 'विधि प्रवर्तन में सूचना प्रौद्योगिकी' और 'आधुनिक अंगुलछाप विज्ञान और कंप्यूटर' विषय पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इसने 1549 विदेशी पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।

पुलिस बेतार समन्वय निदेशालय (डीसीपीडब्ल्यू)

8.74 देश में विभिन्न पुलिस संचार सेवाओं के समन्वय हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में, पुलिस बेतार समन्वय निदेशालय (डीसीपीडब्ल्यू) पुलिस संचार से संबंधित सभी मामलों में गृह मंत्रालय और राज्य/केंद्रीय पुलिस संगठनों के तकनीकी सलाहकार के रूप में विभिन्न गतिविधियां संपादित करता है। राज्य/केंद्रीय पुलिस संगठनों और गृह मंत्रालय के कार्यालयों के बीच संदेशों के आदान–प्रदान के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त, यह निदेशालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस रेडियो संगठनों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे क्रिप्टोग्राफिक दस्तावेजों और डिवाइसों के लिए केंद्रीय वितरण प्राधिकरण (सीडीए) का उत्तरदायित्व भी निभा रहा है।

अनुरक्षण एवं संचार विंग

8.75 यह निदेशालय कानून एवं व्यवस्था और वीवीआईपी/वीआईपी के आवागमन आदि से संबंधित संदेशों के आदान–प्रदान के लिए नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय और देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में स्थित सभी 'अंतर राज्य पुलिस वायरलेस (आईएसपीडब्ल्यू)' स्टेशनों के साथ पुलिस संचार नेटवर्क का अनुरक्षण कर रहा है। साल भर में लगभग 7.87 लाख संदेशों के कुल ट्रैफिक को निपटाया जाता है। सभी अंतर राज्य पुलिस वायरलेस (आईएसपीडब्ल्यू) स्टेशनों के नेटवर्क की संचार सुविधाओं का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान आपातकालीन संदेशों को भेजने के लिए भी किया जाता है।

सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क

8.76 डीसीपीडब्ल्यू राष्ट्रीय राजधानी और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की राजधानी में स्थापित आईएसपीडब्ल्यू के बीच, राज्य पुलिस संगठनों में जिला स्तर तक और सीएपीएफ के स्थानों में एक सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क (पोलनेट) का अनुरक्षण कर रहा है।

8.77 सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क के अंतर्गत सुदूर स्थलों पर "अति लघु अपरचर टर्मिनल (वीसैट)" और नई दिल्ली स्थित पोलनेट हब शामिल हैं। यह नेटवर्क स्वदेशी जीसैट सीरीज सैटेलाइट पर कार्य करता है। यह नेटवर्क वर्ष 2004 से कार्य कर रहा है। स्पेक्ट्रम की बेहतर क्षमता और इष्टतम उपयोग के लिए "डिजिटल वीडियो ब्राडकास्टिंग–सैटेलाइट वर्जन–2 (डीवीबी–एस2) प्रौद्योगिकी" को शामिल करके सैटेलाइट आधारित इस संचार नेटवर्क को अपग्रेड किया गया है। डीसीपीडब्ल्यू, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) पुलिस संगठनों और सीएपीएफ के विभिन्न स्थानों पर इस सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क के अपग्रेडेशन हेतु निविदा अंतिम रूप देकर सौंप दी गई है तथा हब और लगभग 450 अपग्रेड वीसैट की स्थापना की गई है और इसके अतिरिक्त, लगभग 209 वीसैट की स्थापना का कार्य चल रहा है, जिसके लिए विनियामक स्वीकृति पहले ही प्राप्त कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पुलिस संगठनों में और अधिक टर्मिनल जोड़ने की प्रक्रिया भी चल रही है। नेटवर्क की कमीशनिंग का कार्य चालू वित्त वर्ष में पूरा किए जाने की आशा है। यह नया नेटवर्क लद्दाख, पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्रों और लक्षद्वीप के साथ–साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह जैसे देश के दूरस्थ भागों को देश के अन्य किसी भी भाग से हाई स्पीड डाटा, वायस और वीडियो जैसी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा।

हाई फ्रीक्वेंसी (एचएफ) संचार का सुदृढ़ीकरण

8.78 डीसीपीडब्ल्यू ने नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपने हाई फ्रीक्वेंसी (एचएफ)

संचार नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण किया है ताकि आपातकाल/आपदा के समय देश भर में राज्यों/संघ शासित राज्यों की राजधानियों में स्थित अपने आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों से संचार के एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस उद्देश्य से, निदेशालय ने 100 वाट के 40 डिजिटल एचएफ रेडियो और रग्ड लैपटॉप खरीदे हैं और इन्हें डीसीपीडब्ल्यू मुख्यालय एवं आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों में स्थापित किया है।

देश में रेडियो नेटवर्क की मॉनीटरिंग

8.79 गृह मंत्रालय ने रेडियो संचार सुरक्षा की चूक का पता लगाने और उसमें कमी लाने के लिए व्यापक पुलिस रेडियो नेटवर्कों अर्थात् हाई फ्रिक्वेंसी (एचएफ), वेरी हाई फ्रिक्वेंसी (वीएचएफ) और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी (यूएचएफ) को मॉनीटर करने की भूमिका डीसीपीडब्ल्यू को सौंपी है। इस उद्देश्य के लिए नवीनतम मॉनीटरिंग उपकरण के विनिर्देशन तैयार कर लिए गए हैं। निदेशालय में अभिरूचि प्रकटीकरण जारी करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए गृह मंत्रालय से अनुमोदन मांगा गया है।

समन्वय विंग

8.80 डीसीपीडब्ल्यू, संचार मंत्रालय की "फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति (एसएसीएफए)" का एक सदस्य है। यह निदेशालय राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आवंटन योजना के निर्माण/संशोधन में सक्रिय रूप से शामिल है। निदेशालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के रेडियो संचार नेटवर्कों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की आवश्यकताओं से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए संचार मंत्रालय के "वायरलेस नियोजन एवं समन्वय (डब्ल्यूपीसी)" विंग के साथ समन्वय कर रहा है।

8.81 डीसीपीडब्ल्यू ने पूर्ववर्ती डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) सेवाओं के विफल होने के पश्चात कल्याणकारी उपाय के रूप में दूरसंचार विभाग (डीओटी) के यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के माध्यम से उपयोगकर्ता सीएपीएफ संगठनों हेतु भारतनेट वीसैट परियोजना के अंतर्गत निःशुल्क 1047 डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल का पुनः प्रावधान करने के लिए गृह मंत्रालय और दूरसंचार विभाग (डीओटी) के साथ समन्वय किया, ताकि अत्यधिक दुर्गम स्थानों, जहां संचार के अन्य माध्यम उपलब्ध नहीं हैं, पर तैनात जवान घर में अपने परिवारों के साथ बातचीत कर सकें। 1047 दुर्गम स्थानों में से, 744 स्थानों पर डीएसपीटी स्थापित कर दिए गए हैं और शेष स्थानों पर स्थापित करने का काम तेज गति से चल रहा है और यह कार्य इस वित्त वर्ष के दौरान पूरा हो जाएगा।

8.82 पूरे देश में 5 स्पॉट बीम्स के माध्यम से मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेस (एमएसएस) प्रदान करने के लिए जीसैट–06 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। रिमोट सैटकॉम टर्मिनल एस–बैंड में संचालित होंगे, जबकि हब, सी–बैंड में सैटेलाइट के साथ संपर्क करेंगे। गृह मंत्रालय को सीएपीएफ, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस और गृह मंत्रालय के अन्य संगठनों के उपयोग के लिए जीसैट–06 सैटेलाइट के 25% संसाधन आवंटित किए गए हैं।

8.83 सभी उपयोगकर्ताओं से मांगें प्राप्त हो गई हैं और डीसीपीडब्ल्यू ने भविष्य में उपर्युक्त संगठनों के लिए प्रथम चरण में कुल 2367 जीसैट–06 सैटेलाइट टर्मिनलों के नेटवर्क के लिए जीसैट–06 हब स्थापित करने की योजना बनाई है।

साइफर विंग

8.84 डीसीपीडब्ल्यू का साइफर विंग वर्गीकृत संदेशों की निकासी करता है और अन्तर–राज्य सुरक्षित संचार को बनाए रखता है। केन्द्रीय वितरण प्राधिकरण (सीडीए) की भूमिका साइफर दस्तावेज/डिवाइसों को प्राप्त करना है और क्रिप्टो सिस्टम का प्रयोग करके सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के पुलिस रेडियो संगठनों तथा आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों को वितरित करना है। उक्त अवधि के दौरान, क्रिप्टो सिस्टम का प्रयोग करके सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस रेडियो संगठनों और आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों को कुल 17,225 क्रिप्टो दस्तावेज/उपकरण वितरित किए गए हैं। क्रिप्टोग्राफी के सभी पहलुओं पर सीएपीएफ और राज्य पुलिस रेडियो संगठनों के अधिकारियों/कार्मिकों को कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण, इस विंग द्वारा केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान (सीपीआरटीआई), वन्दे मातरम

मार्ग, नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा सका।

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

8.85 केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान (सीपीआरटीआई), नई दिल्ली को पुलिस संचार के क्षेत्र में देश के पुलिस समुदाय को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 1971 में स्थापित किया गया था, जो गृह मंत्रालय के अधीन डीसीपीडब्ल्यू का एक प्रमुख संस्थान है। सीपीआरटीआई पुलिस संचार के क्षेत्र में वरिष्ठ और मध्य स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए नियमित पाठ्यक्रम आयोजित करता है, ताकि अधिकारियों को आधुनिक पुलिस संचार प्रणालियों और तकनीकों से परिचित कराया जा सके। कर्मचारियों की कार्यक्षमता और कौशल को बढ़ाने के लिए प्रवीणता स्तर और कौशल विकास के पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की पुलिस और सीपीओ के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि वे अपने कर्मचारियों को उनके संबंधित स्थानों/संस्थानों में प्रशिक्षित कर सकें। इसके अतिरिक्त, डीसीपीडब्ल्यू के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सीपीआरटीआई भारतीय पुलिस संगठनों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के पुलिस संगठनों के लिए, जब कभी विदेश मंत्रालय/गृह मंत्रालय/बीपीआरएंडडी द्वारा अपेक्षित हो, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण, सरकार के निर्देशानुसार अध्ययन कक्ष में प्रशिक्षण गतिविधियां बंद कर दी गई थी और ऑनलाइन माध्यम से व्यवहार्य प्रशिक्षण शुरू किया गया है। शीघ्र ही परम्परागत अध्ययन कक्ष में प्रशिक्षण गतिविधियां शुरू किए जाने की आशा है।

8.86 सीपीआरटीआई, नई दिल्ली की बुनियादी और प्रशिक्षण अवसंरचना को पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) की अम्ब्रैला स्कीम के अंतर्गत अपग्रेड किया जा रहा है।

8.87 क्षेत्रीय पुलिस बेतार प्रशिक्षण संस्थान (आरपीडब्ल्यूटीआई) चंडीगढ़ में शुरू हो गया है। कोलकाता और बेंगलुरु में भी आरपीडब्ल्यूटीआई स्थापित किए जा रहे हैं। आरपीडब्ल्यूटीआई पड़ोसी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी)/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पुलिस संचार कार्मिकों को क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।

क्षेत्रीय पुलिस बेतार प्रशिक्षण संस्थान (आरपीडब्ल्यूटीआई), चंडीगढ़

(स्रोतः डीसीपीडब्ल्यू, गृह मंत्रालय)

8.88 राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान होने के नाते सीपीआरटीआई को पुलिस संचार कार्मिकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने का काम सौंपा गया है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीय विकास, संचार प्रौद्योगिकियों में प्रगति और पुलिस संचार कार्मिकों की पदोन्नति के पहलुओं पर विचार करते हुए, पाठ्यक्रम समिति की रिपोर्ट–2019 (एससीआर–2019) के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम को अपडेट किया गया है। एससीआर–2019 को दिनांक 01.07.2020 से कार्यान्वयन किए जाने हेतु इसे सभी स्टेकहोल्डरों अर्थात् राज्य पुलिस/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस/सीपीओ के बीच परिचालित कर दिया गया है।

अंतर–राज्य पुलिस वायरलेस (आईएसपीडब्ल्यू) के लिए कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण

8.89 स्थापनाओं की सुरक्षा के संबंध में डीसीपीडब्ल्यू के सम्मुख आने वाली समस्या तथा किराए के भवनों/राज्य सरकार के आवास में संचार उपकरणों के समुचित रूप से कार्य करने में एंटीना के संबंध में आने वाली बाधाओं पर विचार करते हुए, रायपुर, देहरादून और रांची में आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण सहित कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण अपेक्षित है। कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण हेतु आईएसपीडब्ल्यू स्टेशन रायपुर के लिए क्रमशः 1446.94 वर्ग मी. और 3000 वर्ग मी. भूमि अधिगृहीत की गई है। सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से आईएसपीडब्ल्यू, रायपुर में कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण का मामला चल रहा है।

8.90 आईएसपीडब्ल्यू स्टेशन, देहरादून के कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए 1.25 एकड़ भूमि की आवश्यकता का प्रस्ताव राज्य सरकार के साथ उठाया जा रहा है।

कार्यशाला और तकनीकी मूल्यांकन

8.91 देश में पुलिस बलों के उपयोग हेतु संचार उपकरण की जांच और मूल्यांकन के लिए डीसीपीडब्ल्यू एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इस निदेशालय ने डीजीएसएंडडी को संविदा दर पर वायरलेस उपकरण लाने की सुविधा प्रदान की है। पिछले काफी समय से वर्ष 2009–10 तक यह गतिविधि सुगमतापूर्वक चलती रही। इलैक्ट्रिकल और रेडियो पैरामीटर को जांचने के लिए डीजीएसएंडडी के निविदा दस्तावेज के अनुसार विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत सैंपलों की जांच और मूल्यांकन किया गया था।

8.92 अब, गृह मंत्रालय ने गवर्मेंट ई–मार्केट के माध्यम से खरीदे जाने वाले उच्च तकनीकी के संचार उपकरण के क्षेत्रीय परीक्षण/जांच के लिए डीसीपीडब्ल्यू को एक निरीक्षण एजेंसी के रूप में नामोदिष्ट किया है। डीसीपीडब्ल्यू ने दिल्ली में अपनी सेंट्रल वर्कशॉप लेबोरेट्री को सुदृढ़ किया है और डिजिटल संचार के उपकरण की जांच के लिए डिजिटल जांच बैंच बनाई है। विभिन्न जांच/माप–तौल उपकरण अर्थात रेडियो संचार परीक्षण सेट (एनालॉग/डिजिटल), सिग्नल एनालाइजर, सिग्नल जेनरेटर, डिजिटल स्टोरेज ओसिलोस्कोप, डिजिटल मल्टीमीटर, फ्रिक्वेंसी काउंटर, स्पेक्ट्रम एंड वेक्टर नेटवर्क एनालाइजर, बेटरी एनालाइजर और रियल टाइम सिग्नल/स्पेक्ट्रम एनालाइजर जांच/माप–तौल उपकरण खरीदे गए हैं। डीसीपीडब्ल्यू में "राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल)" से केंद्रीय कार्यशाला की मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया भी चल रही है।

8.93 इस वर्ष के दौरान, निदेशालय की केंद्रीय कार्यशाला में वायरलेस और अन्य उपकरण तथा कुल मिलाकर 25470 मदों की सहायक सामग्री के लगभग 433 परीक्षण/मरम्मत संबंधी कार्य किए गए थे। इस कार्यशाला ने सीएपीएफ को तकनीकी प्रस्तावों पर उपयुक्त परामर्शी सेवाएं भी प्रदान की हैं।

वायरलेस उपकरणों और सहायक उपकरणों का आरक्षित भंडार

8.94 इस निदेशालय की एक सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपदाओं, आम चुनावों आदि जैसी ऑपरेशनल आवश्यकताओं के दौरान केन्द्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के पुलिस संगठनों को उधार के आधार पर वायरलेस उपकरण और सहायक उपकरण प्रदान करना

है। निदेशालय ने लोक सभा, विधान सभा चुनावों और पंचायत चुनावों के दौरान/विशेष प्रबंधन के उद्देश्य से 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और 01 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के लिए 15170 आवश्यक रेडियो सेट और सहायक उपकरण जारी किए हैं।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)

8.95 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की स्थापना, मादक पदार्थों एवं मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग और उसके अवैध व्यापार को रोकने और उससे निपटने के लिए "स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985" के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में की गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) विभिन्न मंत्रालयों, अन्य कार्यालयों और राज्य/केन्द्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए उत्तरदायी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के संबंध में हुए विभिन्न संयुक्त राष्ट्र समझौतों, 1961, 1971, 1988 (जिनमें भारत हस्ताक्षरकर्ता है) के तहत अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वहन के लिए भी उत्तरदायी है।

8.96 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके तीन क्षेत्रीय उप महानिदेशक के कार्यालय अर्थात (दिल्ली में) उत्तरी क्षेत्र, (मुम्बई में) दक्षिण–पश्चिम क्षेत्र और (कोलकाता में) पूर्वी क्षेत्र कार्यालय हैं, इसके 13 जोनल यूनिटें दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, गुवाहाटी, इंदौर, बेंगलुरू और पटना में स्थित हैं, 12 सब–जोन कोच्चि, हैदराबाद, गोवा, मंदसौर, अमृतसर, अजमेर, रांची, मण्डी, मदुरै, इम्फाल, देहरादून और भुवनेश्वर में स्थित हैं। इसलिए, संगठन के विभिन्न कार्यों के निर्वहन के लिए एक प्रवर्तन इकाई के अतिरिक्त विशेष मामलों को निपटाने के लिए एनसीबी मुख्यालय में 5 सेल अर्थात इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सेल, प्रिकर्सर सेल, स्ट्रेटेजिक स्टडी सेल, ट्रेनिंग सेल और लीगल सेल मौजूद हैं।

8.97 उक्त अवधि (दिनांक 01.04.2020 से 31.10.2020 तक) के दौरान, एनसीबी ने संगठन की प्रवर्तन क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित अवसंरचना की खरीद/निर्माण के लिए कार्रवाई शुरू की:

8.98 गृह मंत्रालय ने (i) गुवाहाटी, असम में कार्यालय–सह–आवास (ओसीआर) के निर्माण हेतु 43.48 करोड़ रु. (ii) इंदौर, मध्य प्रदेश में कार्यालय परिसर (ओसी) के लिए 8.49 करोड़ रु. (iii) बेंगलुरू में कार्यालय परिसर (ओसी) के लिए 13.31 करोड़ रु. और (iv) भुवनेश्वर, ओडिशा में कार्यालय परिसर (ओसी) के लिए 4.09 करोड़ रु. की मंजूरी प्रदान की है। ये प्रस्ताव कार्यवाही के विभिन्न स्तरों पर हैं। कुछ मामलों में, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने पुनः संशोधित प्रारंभिक अनुमान प्रस्तुत किया है और इसे अनुमोदन हेतु गृह मंत्रालय को भेजा जा रहा है। इंदौर में कार्यालय परिसर (ओसी) का 65% निर्माण कार्य और भुवनेश्वर में कार्यालय परिसर (ओसी) का 60% निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो गया है। आवंटित भूमि के संबंध में लंबित मुकदमे के कारण बेंगलुरू में कार्यालय परिसर (ओसी) का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है।

8.99 अहमदाबाद और चंडीगढ़ में क्रमशः 18.99 करोड़ रु. और 19.34 करोड़ रु. की लागत पर वर्ष 2016 के दौरान स्वीकृत किया गया कार्यालय – सह – आवासीय (ओसीआर) परिसर का कार्य जुलाई, 2020 में पूरा हो गया है।

8.100 कार्यालय परिसरों (ओसी) के निर्माण के लिए अमृतसर, रांची और दिल्ली में भूमि अधिग्रहण कर ली गई है। अधिग्रहण के पश्चात की औपचारिकताएं भी पूरी हो गई हैं। इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक नक्शा और प्रारंभिक अनुमान प्रदान करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी से अनुरोध किया गया है। नक्शा/खाका और प्रारंभिक अनुमान प्राप्त होने पर, प्रस्तावों को गृह मंत्रालय के अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा।

8.101 कार्यालय सह–आवासीय (ओसीआर) परिसर के निर्माण के लिए विवादित भूमि के बदले में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अन्य भूमि आवंटित की गई है। अधिग्रहण के पश्चात की औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और उपर्युक्त परियोजना के निर्माण के लिए निर्माण एजेंसी को प्रस्ताव तथा कार्य सौंपने की प्रक्रिया चल रही है।

8.102 इम्फाल में कार्यालय परिसर (ओसी) के निर्माण हेतु मणिपुर सरकार द्वारा 50 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित की गई 01 एकड़ भूमि के लिए गृह मंत्रालय ने दिनांक 30.01.2020 को 1,44,700 रु. की मंजूरी प्रदान की है। मणिपुर सरकार को भुगतान कर दिया गया है और भूमि के अधिग्रहण संबंधी औपचारिकताएं की जा रही हैं।

8.103 **प्रवर्तन के प्रयास**

(क) उक्त अवधि (दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक) के दौरान देश में विभिन्न एजेंसियों और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा रिपोर्ट की गई विभिन्न मादक पदार्थों की जब्तियों का उल्लेख नीचे तालिका में किया गया है:–

(मात्रा किग्रा. में)

क्र.सं.	मादक पदार्थ का नाम	सभी मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भारत में जब्त मादक पदार्थ	एनसीबी द्वारा जब्त मादक पदार्थ
1	हेरोइन	1497	273
2	अफीम	2407	849
3	मार्फिन	5	2
4	गांजा	351302	30126
5	हशीश	4512	371
6	कोकीन	5	3.13
7	मेथाक्वालोन	5	5
8	एमफेटामाइन्स / मैथामफेटामाइन	362.5	261
9	मनःप्रभावी पदार्थ	टेबलेट = 19424143 सं. + 18134 किग्रा.	टेबलेट = 9208918 सं.
		सीबीसीएस बोतलों की सं. 530635 + 4650 लीटर	सीरप बोतल= 78627 सं.
उत्तेजक रसायन			
10	इफेड्रिन / स्यूडोइफेड्रिन	41.13 किग्रा.	32.52 किग्रा.
अवैध खेती को नष्ट करना (क्षेत्र एकड़ में)			
11	भांग	9259	
12	पोस्त की भूसी	1293	

(ख) **पोस्त की अवैध खेती को नष्ट करना:** वर्ष 2020–21 के दौरान (अर्थात दिनांक 01.04.2020 से 31.10.2020 तक), विभिन्न मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने समन्वित प्रयास किए, जिनके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में अवैध अफीम की खड़ी और फलदार खेती को नष्ट किया गया। यह 334 एकड़ से अधिक भूमि पर फैली हुई थी।

(ग) **भांग की अवैध खेती को नष्ट करना:** वर्ष 2020–21 के दौरान (अर्थात दिनांक 01.04.2020 से 31.10.2020 तक), विभिन्न मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने समन्वित प्रयास किए, जिनके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में अवैध भांग की खड़ी और फलदार खेती को नष्ट किया गया। यह 1138 एकड़ से अधिक भूमि पर फैली हुई थी।

(घ) **दोषसिद्धिः** एनसीबी द्वारा विनिर्धारित न्यायालय के समक्ष दायर की गई शिकायतों के आधार पर, दिनांक 01.04.2020 से 31.10.2020 की अवधि के दौरान, 34 मामलों में दोषसिद्धि हुई और एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत 54 व्यक्तियों को दोषसिद्ध किया गया है।

(ङ) **मादक पदार्थों का निपटानः** उपर्युक्त अवधि दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020* तक के दौरान, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा निम्नलिखित मात्रा में जब्त मादक पदार्थों का निपटान किया गया।

क्र. सं.	क्षेत्र	मामलों की सं.	निषिद्ध सामग्री	मात्रा किग्रा. में		तारीख
				जांच के पूर्व	जांच के बाद	
1	लखनऊ	4	मोर्फिन	0.300 किग्रा.	–	31.12.20
			हिरोइन	2.050 किग्रा.	–	31.12.20
			चरस	117 किग्रा.	–	31.12.20
2	कोलकाता	35	गांजा	121.796 किग्रा.	144.661 किग्रा.	30.06.2020
			हेरोइन	0.435 किग्रा.	1.145 किग्रा.	30.06.2020
			चरस	3.128 किग्रा.	3.952 किग्रा.	30.06.2020
			सीबीसी	–	20 बोतल	30.06.2020
			स्यूडो इफेड्रिन	45.655 किग्रा.	–	30.06.2020
			मैथामफेटामाइन	–	1.593 किग्रा.	30.06.2020
			मेथाक्वालोन	–	20 ग्राम	
			गैर– एनडीडीपीएस सामग्री	–	2.200 किग्रा.	30.06.2020
			एफेड्रिन	–	12 किग्रा.	30.06.2020
			अफीम पोस्त के पौधे की अवैध खेती (केवल सैंपल को नष्ट करना)		0.200 किग्रा.	30.06.2020
		1	फेंसेडिल कफ सिरफ	24982 बोतलें	–	18.12.20
3	पटना	14	गांजा	346.6 किग्रा.	–	06.11.20
			चरस	34.02 किग्रा.	–	06.11.20
			हिरोइन	0.605 किग्रा.	–	06.11.20
			पेंटाजोसाइन	643.14 ग्राम (21,438 सं.)	–	06.11.20
	रांची सब जोन	4	गांजा	1265.34 किग्रा.	–	26.11.20
4	जोधपुर	शून्य				
5	चंडीगढ़		हिरोइन	67.088 किग्रा.	–	28.12.20
			चरस	38.256 किग्रा.	–	28.12.20
			अफीम	5.919 किग्रा.	–	

*अनंतिम आंकड़े

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को सहायता

8.104 राज्य सरकारों को स्वापक पदार्थों तथा मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने में उनकी प्रवर्तन क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया कराने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.10.2004 को 10 करोड़ रुपये की अनुमानित निधि से "राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को सहायता" नामक एक योजना शुरू की गई थी। यह स्कीम 5 वर्षों की अवधि के लिए अर्थात दिनांक 31.03.2009 तक वैध थी। इस स्कीम को आगे वर्ष 2009 से बढ़ाकर वर्ष 2017 तक नियमित आधार पर कर दिया गया था। केंद्रीय सहायता स्कीम और इसके उद्देश्यों को जारी रखने की आवश्यकता पर विचार करते हुए, भारत सरकार ने "स्वापक नियंत्रण के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को सहायता" नामक इस योजना को तीन वर्षों की अवधि अर्थात वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया था, जिसका अनुमानित बजट 21.00 करोड़ रु. था। राज्यों के लिए इस स्कीम को 7.00 करोड़ रु. के

अनुमानित बजट के साथ आगे दिनांक 31.03.2021 तक 01 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में घटाकर 3.25 करोड़ रु. कर दिया गया था, ताकि उनके द्वारा उपकरण खरीदे जा सके जैसे कि क) निगरानी उपकरण; ख) प्रयोगशाला उपकरण; ग) गश्त/निगरानी के लिए वाहन; घ) कंप्यूटर और उनकी सहायक सामग्री; ङ) फैक्स मशीन और फोटोकॉपी मशीन; च) प्रशिक्षण उपकरण और अन्य सहायक सामग्री; और छ) प्रवर्तन के लिए उपयोगी अन्य उपकरण। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, राज्यों को 3.25 करोड़ रु. की निधियां जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। वर्ष 2019–20 (चरण–2) के दौरान, 5 राज्यों को 3.23 करोड़ रु. प्रदान किए जाने के एक प्रस्ताव के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा सिफारिश की गई थी और इस प्रस्ताव को आगे गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था, तथापि, राज्यों से उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित होने के कारण निधियों को मंजूरी प्रदान नहीं की गई।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

8.105 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) मादक पदार्थ संबंधी कानून को लागू करने पर पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों और मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ नियमित रूप से समन्वय करता है। दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में इस प्रकार के 219 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), राज्य पुलिस बलों, वन विभाग, केंद्रीय/राज्य उत्पाद शुल्क, सीमा–शुल्क, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), तटरक्षक और कूरियर एजेंसियों के लगभग 6184 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा, विभिन्न मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों/पुलिस आदि के लिए 04 कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण (सीबीटी) कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे, जिनमें कुल 30 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया था।

मांग में कमी

8.106 संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासभा ने दिसम्बर, 1987 में पारित एक संकल्प द्वारा प्रत्येक वर्ष में 26 जून को "मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के रूप में घोषित किया था। इस घोषणा के अनुसरण में, यह दिन मादक पदार्थों के खतरे के प्रति जनता को जागरूक बनाने के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। मादक पदार्थ की कुरीतियों के संबंध में जनता, विशेषकर छात्रों को जागरूक बनाने के लिए, एनसीबी मुख्यालय और इसकी जोनल इकाइयाँ विभिन्न राज्य मादक पदार्थ–रोधी कार्यबलों, राज्य एवं केन्द्रीय एजेंसियों, गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ मिलकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे हैं।

8.107 इस वर्ष, वर्तमान कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण, 26 जून के अवसर पर लोगों को एकत्रित करके कार्यक्रम आयोजित करना व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं था। मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध युवा लोगों और बच्चों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एनसीबी ने सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के विरुद्ध एक ऑनलाइन अभियान चलाया है। इस वर्ष, पहली बार, इस ऑनलाइन अभियान के एक भाग के रूप में, इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत Mygov.in वेबसाइट के माध्यम से निम्नलिखित ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी –

क) ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता,

ख) ऑनलाइन स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता,

ग) गाने और वीडियो बनाने की प्रतियोगिता,

घ) ऑनलाइन पेंटिंग/ड्राइंग प्रतियोगिता,

8.108 लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, एनसीबी ने देश के विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में 112 जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं और इनमें कुल 10395 प्रतिभागियों ने भाग लिया है।

8.109 **अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय बैठकें, जिनमें एनसीबी के अधिकारियों ने भाग लिया:**

(क) ब्रिक्स मादक पदार्थ–रोधी कार्यसमूह की चौथी बैठक: यह बैठक दिनांक 12.08.2020 को मास्को, रूस में आयोजित हुई थी। श्री राकेश अस्थाना, महानिदेशक और श्रीमती बी. राधिका, उप महानिदेशक (ऑप्स) ने अपनी टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

(ख) कृत्रिम मादक पदार्थों की चुनौती के प्रति कार्रवाई करने की क्षमता को बढ़ाना: यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम – रीजनल ऑफिस फोर साउथ एशिया (यूएनओडीसी –आरओएसए) के तत्वाधान में दिनांक 28–29 अक्टूबर, 2020 को एक वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। श्री मुथा अशोक जैन, श्री ज्ञानेश्वर सिंह, और श्री सचिन जैन, सभी उप महानिदेशकों ने अपनी टीम के साथ इस बैठक में भाग लिया।

(ग) शंघाई को–ऑपरेशन–ऑर्गेनाइजेशन(एससीओ) सदस्य देशों की मादक पदार्थ–रोधी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक: उप महानिदेशक (डीडीजी) श्रीमती बी. राधिका और श्री सचिन जैन ने दिनांक 02.11.2020 को मास्को, रूस में आयोजित वर्चुअल बैठक में भाग लिया।

(घ) मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के प्रभारी एससीओ सदस्य देशों की 'सक्षम एजेंसियों के अध्यक्षों के परिषद की बैठक': यह बैठक 03.11.2020 को रूस, मास्को में आयोजित हुई थी। श्रीमती बी. राधिका, उप महानिदेशक (ऑप्स) और श्री सचिन जैन, उप महानिदेशक ने वर्चुअल रूप से इस बैठक में भाग लिया।

अंतरराष्ट्रीय अनुबंध / समन्वय

8.110 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने सुरक्षा सहयोग, स्वापक मादक पदार्थों, मनःप्रभावी पदार्थों और रासायनिक उतेजकों की अवैध तस्करी की रोकथाम और इससे निपटने तथा तत्संबंधी अपराधों पर 27 देशों (मॉरिशस, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), अफगानिस्तान, म्यांमार, जाम्बिया, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), बुलगारिया, रोमानिया, मिस्र, चीन, इटली, तुर्की, क्रोएशिया, तजाकिस्तान, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पोलैंड, इजराइल, कम्बोडिया, बांग्लादेश, कुवैत, साइप्रस, रूस, कतर, श्रीलंका, फ्रांस, उज्बेकिस्तान और सउदी अरब) के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं।

8.111 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने भी सुरक्षा सहयोग, स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और रासायनिक उतेजकों की अवैध तस्करी की रोकथाम और इससे निपटने तथा तत्संबंधी अपराधों पर 16 देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं (यूएसए, ईरान, ओमान, वियतनाम, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, जर्मनी, मोजाम्बिक, थाइलैंड, नेपाल, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया)।

* * * * *

अध्याय–9

आपदा प्रबंधन

सिंहावलोकन

9.1 भारत विश्व में क्षेत्र–वार 7वां सबसे बड़ा देश, जनसंख्या–वार दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे अधिक जनसंख्या वाला लोकतंत्र है। दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण–पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण–पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरे हुए इस देश की भू–सीमा एशिया क्षेत्र के सात देशों से और समुद्री सीमा एशिया क्षेत्र में चार देशों से मिलती है। अलग–अलग कृषिगत जलवायु और जलीय मौसम विज्ञानी जैव मंडल के साथ–साथ पर्वतों, समतल भूमि और तराई की विविधता के कारण भारत बड़े पैमाने पर आपदाओं के प्रति प्राकृतिक रूप से संवेदनशील है। सामान्य रूप से अनुभव की जाने वाली प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बादल फटना, लू चलना, भू–स्खलन, मृदा–स्खलन और हिम–स्खलन, वन में आग, समुद्री तट कटाव और जल भराव, सुनामी, बिजली गिरना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, विश्व में किसी अन्य देश की तरह, भारत भी रासायनिक, जैविक, रेडियोएक्टिव और आणविक आपात स्थितियों जैसी नई और उभरती हुई आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। मानवजनित आपदाओं में आतंकवाद और भगदड़ भी नई आपदाएं हैं।

9.2 जनसांख्यिकीय परिवर्तन और सामाजिक–आर्थिक स्थितियों, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मानव बस्ती सहित तेजी से शहरीकरण, पर्यावरण क्षति, जलवायु परिवर्तन, मानव प्रवासन और पशु व्यापार के कारण उत्पन्न महामारी और वैश्विक महामारी इत्यादि के परिणामस्वरूप भारत में आपदा का जोखिम और अधिक बढ़ जाता है। आपदाएं हमेशा भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी जनसंख्या और सतत् विकास के राष्ट्रीय प्रयासों पर प्रभाव डालती हैं।

केन्द्र और राज्य सरकारों की भूमिका

9.3 आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2009 के अनुसार, आपदा के समय बचाव, राहत और पुनर्वास उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं की दशा में लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। लॉजिस्टिक सहायता में वायुयानों, नावों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), सशस्त्र बलों के विशेष दलों तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती; चिकित्सीय भंडारों सहित राहत सामग्रियों और जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था करना; संचार नेटवर्क सहित अत्यावश्यक अवसंरचनागत सुविधाओं की बहाली करना; तथा हालात से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनके द्वारा अपेक्षित अन्य सहायता प्रदान करना शामिल है।

9.4 सरकार ने आपदा प्रबंधन के प्रति अपने दृष्टिकोण में आदर्शवादी परिवर्तन लाकर राहत–केन्द्रित दृष्टिकोण के बजाय समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन के पूरे परिवेश, रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, कार्रवाई, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास को सम्मिलित किया गया है। यह दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि विकास तब तक स्थायी नहीं रह सकता है, जब तक कि आपदा न्यूनीकरण को विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

9.5 भारत सरकार ने आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन और उससे संबंधित अथवा तत्संबंधी मामलों के लिए प्रावधान करने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (डीएम अधिनियम, 2005) अधिनियमित किया था। इसमें आपदा प्रबंधन की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र बनाने एवं उसकी मानीटरिंग करने, आपदाओं के प्रभाव को रोकने और उन्हें कम करने के लिए सरकार के विभिन्न विंगों द्वारा उपाय सुनिश्चित किए जाने तथा आपदा की किसी भी परिस्थिति में तत्काल कार्रवाई किये जाने हेतु प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम के कार्यान्वयन में अवरोधों/ अड़चनों के बारे में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, गृह मंत्रालय ने विद्यमान अधिनियमों और विश्व में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का अध्ययन करने के लिए एक कार्य बल का गठन किया था, ताकि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की समीक्षा की जा सके। मंत्रालय द्वारा कार्य बल की सिफारिशों पर कुछ प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। तथापि, यह निर्णय लिया गया था कि प्राकृतिक आपदाओं के साथ–साथ कोविड–19 वैश्विक महामारी और मानव–जनित आपदाओं (जैसे कि एलजी पोलिमर्स इंडिया प्रा.लि., विशाखापट्नम, आंध्र प्रदेश में गैस रिसाव से उत्पन्न एक घटना) जैसी स्वास्थ्य संबंधी आपदाओं तथा आग संबंधी आपदाओं की रोकथाम, उपशमन, तैयारी और कार्रवाई के विभिन्न पहलुओं की जांच करके आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी। इसलिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की संपूर्ण समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। उक्त समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

गृह मंत्रालय द्वारा बचाव और राहत अभियान का समन्वय

9.6 राष्ट्रीय आपदाओं (सूखा, ओलावृष्टि और कीट हमला, जिसकी देखरेख कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की जाती है, को छोड़कर) के प्रबंधन के लिए भारत सरकार की ओर से गृह मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है। गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंधन प्रभाग (डीएम प्रभाग) यह कार्य करता है।

9.7 प्रत्येक आपदा की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने में प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, गृह मंत्रालय का आपदा प्रबंधन प्रभाग भारत सरकार की ओर से लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करके आपदा और आपदा जैसी स्थिति की गहन निगरानी करता है। इस उद्देश्य के लिए, एक ओर प्रभावित राज्यों के साथ और दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जैसे संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के साथ गहन संपर्क स्थापित किया जाता है।

9.8 भारत ने अपने सतत प्रयासों से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की अपनी तैयारी में अत्यधिक सुधार किया है। हमारे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में विकास आयोजना के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) की योजनाओं को शामिल करने की आवश्यकता का प्रावधान है। 'आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय योजना' में एक सुरक्षित और आपदा–रोधी भारत का निर्माण करने की कोशिश की गई है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों से आपदा प्रबंधन की पद्धतियों, तैयारी, निवारण और कार्रवाई तंत्र में काफी सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप देश में चक्रवातों सहित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान होने वाली मौतों में भारी कमी हुई है।

9.9 आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए किसी आपात स्थिति की दशा में समयपूर्वक कार्रवाई के महत्व को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय ने एक वाट्सअप ग्रुप बनाया है। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी), पूर्व–चेतावनी एजेंसियों, कार्रवाई बलों आदि के अधिकारी इस ग्रुप के सदस्य हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूर्व चेतावनी/सावधानियों को समय पर जारी करने और बचाव एवं राहत प्रयासों का समन्वय करने में यह ग्रुप अधिक सहायक सिद्ध हुआ है।

9.10 दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान, गृह मंत्रालय ने अनेक बचाव एवं राहत अभियानों का समन्वय किया है। दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक देश के विभिन्न भागों में आई बड़ी आपदाओं/वैश्विक महामारी और गृह मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क. कोविड–19 वैश्विक महामारी

कोविड–19 वैश्विक महामारी के बारे में संक्षिप्त विवरण

9.11 कोरोना वायरस विषाणुओं का एक बड़ा परिवार है, जो पशुओं अथवा मनुष्यों में बीमारी पैदा कर सकते हैं। विभिन्न कोरोना वायरसों को मनुष्यों में सामान्य सर्दी–जुकाम से लेकर मिडल ईस्ट रेस्पाइरेट्री सिंड्रोम (एमईआरएस) और ''सिवियर एक्यूट रेस्पाइरेट्री सिंड्रोम (एसएआरएस)'' जैसी और अधिक गंभीर बीमारियों वाले श्वसन संबंधी संक्रमण का कारण माना गया है।

9.12 नोवल कोरोना वायरस बीमारी का प्रकोप पहली बार मध्य दिसम्बर, 2019 में चीन के हुबई प्रांत के वुहान शहर के सीफूड मार्केट में देखा गया था। तब से कोविड–19 एक वैश्विक महामारी बन गई, जिसने वैश्विक स्तर पर लगभग सभी देशों/प्रदेशों/क्षेत्रों को प्रभावित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दिनांक 30.01.2020 को (अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के तहत) इस प्रकोप को एक "अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति (पीएचईआईसी)" घोषित किया है। तदनंतर, डब्ल्यूएचओ ने दिनांक 11.03.2020 को कोविड–19 को एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया।

9.13 कोविड–19 से प्रभावित रोगियों में बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई और अन्य श्वसन समस्या के लक्षण हल्के से गंभीर अंतर के साथ मिलते हैं (सिवियर एक्यूट रेसपाइरेट्री इलनैस अथवा एसएआरआई सहित)।

देश में कोविड–19 को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए एहतियाती कदम

9.14 कोविड–19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक "वैश्विक महामारी" के रूप में घोषित किया गया है। तदनंतर, भारत ने इस अप्रत्याशित वैश्विक आपदा से निपटने के लिए एक एहतियाती, पूर्वगामी और क्रमबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की। भारत में कोविड–19 को फैलने से रोकने के लिए, सरकार आप्रवासन जांच के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आने वाली भीड़ को विनियमित करने, नियंत्रित करने और यहां तक कि रोकने में सक्रिय रही है।

9.15 भारत सरकार ने वीजा जारी करने की प्रक्रिया और कोविड–19 के लिए जांच किए गए यात्रियों की प्रभावशाली स्क्रीनिंग को भी प्रबंधित और नियंत्रित किया है।

9.16 भारत सरकार ने भारत में प्रथम मामले की पुष्टि होने से पहले ही, हमारे देश में संभावित संकट का पूर्वानुमान लगाते हुए शीघ्र और समयपूर्वक उपाय कर लिए थे और डब्ल्यूएचओ के द्वारा कोविड–19 को एक "अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति" होने की घोषणा करने से काफी पहले ही अपने सभी मंत्रालयों को मुस्तैद कर दिया था।

9.17 दिनांक 17.01.2020 को, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में पर्याप्त तैयारी की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने के बारे में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के प्राधिकारियों को सलाह प्रदान की थी।

9.18 यात्रा संबंधी प्रथम एडवाइजरी दिनांक 17.01.2020 को जारी की गई और समय–समय पर अंतरराष्ट्रीय यात्रा से संबंधित अतिरिक्त एडवाइजरी जारी की गई।

9.19 मामलों और मौतों की अधिक संख्या वाले देशों से बीमारी की गंभीरता और फैलाव को ध्यान में रखते हुए

समय–समय पर यात्रा संबंधी प्रतिबंध लागू किए गए और मौजूदा वीजा निलंबित किये गये। धीरे–धीरे भारत में उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया गया।

9.20 दिनांक 18.01.2020 को, तीन अंतरराष्ट्रीय विमान–पत्तनों में चीन और हाँगकांग से आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की गई थी। दिनांक 04.03.2020 से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की गई और कोविड–19 के मानक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई।

9.21 थर्मल स्क्रीनिंग को उत्तरोत्तर रूप से बढ़ाकर बंदरगाहों और भू–सीमाओं में शुरू किया गया। दिनांक 22.03.2020 को, भारत आने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया।

9.22 समाज में कोविड–19 को फैलने से रोकने की दृष्टि से, दिनांक 22.03.2020 को बड़ी यातायात सेवाएं अर्थात् मेट्रो और रेल यातायात दिनांक 31.03.2020 तक के लिए बंद कर दी गईं। दिनांक 24.03.2020 को घरेलू हवाई यातायात भी बंद कर दिया गया।

9.23 हमारे देश के लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र सरकार ने वे सभी अपेक्षित कदम उठाए, जिन्हें अग्रिम में कई अन्य देशों द्वारा बाद में उठाया गया।

लॉकडाउन लगाने से पहले गृह मंत्रालय द्वारा उठाये गये अतिरिक्त कदमः

9.24 कोविड–19 को रोकने के प्रभावकारी उपाय करने में सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सक्षम बनाने के लिए, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) का अध्यक्ष होने के नाते केंद्रीय गृह सचिव ने दिनांक 11.03.2020 को कोविड–19 की तैयारी और रोकथाम को बढ़ाने और उससे जुड़े अन्य आनुषंगिक मुद्दों के लिए सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2) ((i) एवं (1)) के तहत शक्ति प्रदान की। इस शक्ति से एमओएचएफडब्ल्यू कोविड–19 प्रबंधन पर एडवाइजरी जारी कर सकता है।

9.25 राज्य सरकारों के पास निधियों की उपलब्धता को बढ़ाने की दृष्टि से, संबंधित राज्य सरकारों को उनके पास पहले से मौजूद राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 14.03.2020 को कोविड–19 को एक अधिसूचित आपदा घोषित किया गया है। इससे एसडीआरएफ को क्वारंटीन सुविधाएं शुरू करने; नमूने संग्रहण और स्क्रीनिंग; सरकारी व्यवस्था के भीतर अतिरिक्त जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने; भोजन सामग्री की लागत; स्वास्थ्य, नगरपालिका, पुलिस और अग्निशमन प्राधिकारियों के लिए निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) खरीदने, सरकारी अस्पतालों के लिए थर्मल स्कैनर, वेंटिलेटर, एयर प्यूरीफायर और भोजन सामग्री खरीदने तथा उपर्युक्त उद्देश्यों हेतु राज्य के संसाधनों की पूर्ति करने इत्यादि के लिए उपयोग किया जा सकता था।

9.26 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम अपने संदेश में दिनांक 19.03.2020 को की गई अपील पर, दिनांक 22.03.2020 को पूरे देश में जोश के साथ एक "जनता कर्फ्यू" मनाया गया। कोविड–19 को नियंत्रित करने के एक उपाय के रूप में स्वैच्छिक आधार पर सामाजिक दूरी को बढ़ावा देने के लिए, गृह मंत्रालय ने दिनांक 22.03.2020 को पूरे देश में जनता कर्फ्यू मनाये जाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को सलाह दी थी। देश के सभी नागरिकों ने स्वेच्छा से जनता कर्फ्यू मनाया और इस वैश्विक आपदा से निपटने के लिए एक परिपक्वता के साथ और दृढ़तापूर्वक इस अवसर पर अपने दृढ़ संकल्प का संदेश दिया।

गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम का सुदृढ़ीकरण

9.27 दिनांक 21.03.2020 से प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ–साथ संयुक्त सचिवों/अपर सचिवों के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम के कार्यकरण को 24X7 करके इसके

परिचालन को बढ़ाया गया।

9.28 हेल्पलाइनों की संख्या 7 से बढ़ाकर 66 कर दी गई, जिसमें से 15 हेल्पलाइन पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए थी।

9.29 कंट्रोल रूम से लॉकडाउन संबंधी उपायों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) तथा अन्य मंत्रालयों के प्रश्नों का उत्तर दिया गया तथा अन्तर–मंत्रालयी और अंतर–राज्यीय समन्वय के मुद्दों आदि का निराकरण किया गया।

9.30 दिनांक 25.03.2020 से 31.12.2020 के बीच, गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में कुल 13,034 कॉलों (श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की आवाजाही वाली कॉलों को छोड़कर) का निपटान किया, जिसमें से 854 कॉल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित थी, 11377 कॉल भोजन और आश्रय से संबंधित थी, 129 कॉल पूर्वोत्तर क्षेत्रों से संबंधित थी और 742 कॉल अन्य मुद्दों के लिए थी।

9.31 इसके अतिरिक्त, दिनांक 02.05.2020 से 31.12.2020 तक 2,95,327 फंसे हुए व्यक्तियों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की आवाजाही के बारे में फंसे हुए व्यक्तियों से कुल 32,986 कॉल प्राप्त हुई, जिसमें से 2,71,219 मजदूरों के लिए, 5388 विद्यार्थियों के लिए, 1539 पर्यटकों के लिए और 17052 अन्य व्यक्तियों के लिए थीं।

9.32 इसके अतिरिक्त, 296 कॉल उन लोगों से प्राप्त हुई, जो विदेशों से भारत में आना चाहते थे और 265 कॉल उन लोगों से प्राप्त हुई, जो भारत से विदेश में यात्रा करना चाहते थे।

आवश्यक वस्तुओं की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित करना

9.33 पूरे देश में सभी आवश्यक वस्तुओं के सुचारू परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा अपर/संयुक्त सचिव स्तर के क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त किए गए थे। उन्होंने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की सरकार के आवंटित अधिकारियों के साथ संपर्क किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके, कि विशेषकर राशन, दवाओं, किराना, दूध, सब्जियों और दैनिक उपयोग की सामग्री जैसी उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन, उत्पादन और वितरण में कोई व्यवधान न हो, जिनके परिचालन की अनुमति दी गई थी।

9.34 देश के सभी भागों में आवश्यक वस्तुओं की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, दिनांक 26.03.2020 को गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की सरकारों को एक विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई थी। निर्माण कार्य, स्थानीय स्टोरों एवं ई–कामर्स कम्पनियों आदि के माध्यम से सामान की थोक बिक्री अथवा रिटेल बिक्री के दौरान इन आवश्यक वस्तुओं और सभी सुविधाओं का उनकी सप्लाई चैन में निर्बाध परिवहन सुनिश्चित करने की विस्तृत पद्धति इस एसओपी में निर्धारित की गई थी।

9.35 ऐसी वस्तुओं की उपलब्धता की क्षेत्रीय अधिकारियों और गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम के माध्यम से नियमित निगरानी की गई थी।

देश में कोविड–19 की स्थिति, इसका प्रबंधन और आर्थिक गतिविधियों की क्रम–वार शुरूआत के बारे में कार्रवाई

i दिनांक 25.03.2020 से 21 दिनों की अवधि के लिए लॉकडाउन लगाना

9.36 देश में कोविड–19 के फैलने की चुनौतीपूर्ण स्थिति का आकलन करने के बाद और प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6(2)(i) के अंतर्गत अपनी शक्तियों के अनुपालन में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने अपने दिनांक 24.03.2020 के आदेश के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) को सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उपाय करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया।

9.37 एनडीएमए के आदेश के अनुपालन में, एनईसी के अध्यक्ष की हैसियत से गृह सचिव ने आपदा प्रबंधन

अधिनियम, 2005 (आगे डीएम अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 10(2)(1) के तहत दिनांक 24.03.2020 को एक आदेश देश में कोविड–19 वैश्विक महामारी को रोकने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की सरकारों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में दिशानिर्देशों के साथ जारी किया था। इस आदेश के तहत, देश में दिनांक 25.03.2020 से 21 दिनों की एक अवधि के लिए लॉकडाउन के उपाय लागू किए गए।

9.38 वैश्विक अनुभव और जांच, क्वारंटीन, आइसोलेशन और अस्पताल के बैड, आईसीयू बैड आदि के रूप में क्षमताएं बढ़ाने सहित पूरे देशभर में विभिन्न उपायों के प्रति दृष्टिकोण और उनके कार्यान्वयन के बीच सामंजस्य की आवश्यकता पर विचार करते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई।

9.39 दिनांक 25.03.2020 से राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने की घोषणा से पहले ही, अधिकतर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने स्थिति के अपने–अपने आकलन के आधार पर अपने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में पहले ही लॉकडाउन (पूर्ण और आंशिक) घोषित कर दिया था।

9.40 देश के सभी भागों में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, दिनांक 26.03.2020 को गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को एक विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई थी। इस एसओपी में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के बाद आवश्यक सामानों का निर्बाध आवागमन और स्थानीय स्टोरों, ई–कॉमर्स कंपनियों आदि के माध्यम से इन सामानों के विनिर्माण, थोक बिक्री अथवा खुदरा बिक्री में शामिल सप्लाई चेन में सभी सुविधाओं का कार्य संचालन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।

9.41 केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों के आधार पर और समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, लॉकडाउन की अवधि के दौरान निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त छूट शामिल करने के आदेश जारी किए गए थे:

(क) किसानों और खेतिहर मजदूरों द्वारा खेती करना। अधिकतम 50% मजदूरों के साथ पौधारोपण सहित चाय उद्योग।

(ख) कृषि उत्पाद मार्केट कमेटी द्वारा संचालित अथवा राज्य सरकारों द्वारा यथा अधिसूचित मंडियां।

(ग) उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों की दुकानें और उत्पादन इकाई। कृषि की मशीनरी और स्पेयर पार्ट के लिए दुकानें।

(घ) फसल कटाई और बीजाई से संबंधित मशीनों का राज्य के भीतर और बाहर परिवहन।

(ङ) मत्स्यन (समुद्री)/जल कृषि उद्योग का संचालन और संबंद्ध गतिविधियों के लिए श्रमिक।

(च) बैंकिंग कार्यों; बैंकिंग पत्राचार और एटीएम संचालन एवं कैश मैनेजमेंट एजेंसियों के लिए आईटी वेंडर्स का प्रचालन कार्य।

(छ) वस्तु, फार्मास्यूटिकल, चिकित्सीय उपकरणों, उनके रॉ मैटेरियल और अंतरवर्ती सामग्री सहित आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन इकाइयां।

(ज) देश के भीतर और बाहर निर्यात के लिए वस्तुओं/कार्गों का अंतरराज्यीय परिवहन।

(झ) राज्य मार्गों पर ट्रक की रिपेयर की दुकानें।

9.42 इसके अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से प्राप्त प्रश्नों पर इस मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण भी जारी किए गए थे।

9.43 उन प्रवासी खेतीहर मजदूरों, उद्योगों के श्रमिकों और अन्य गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों आदि के मुद्दों पर गृह मंत्रालय ने दिनांक 27.03.2020 को एक एडवाइजरी जारी की थी, जो अपने मूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में लौटने का प्रयास कर रहे थे। कोविड–19 को फैलने से रोकने और परिवहन सुविधाओं की कमी सहित सम्पूर्ण परिदृश्य पर विचार करते हुए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निम्न परामर्श दिए गए थे:

(क) यह सुनिश्चित करना कि स्थिति पर शीघ्र और संवेदनशील ढंग से नियंत्रण करते हुए कड़े उपाय करके इस प्रकार की घटनाओं से बचा जाए, ताकि उपर्युक्त व्यक्तियों के मौजूदा स्थानों से उनके प्रस्थान को रोका जा सके और कानून एवं व्यवस्था में किसी व्यवधान से भी बचा जा सके।

(ख) पीने के पानी, सेनिटाइजेशन, सार्वजनिक रसोई, भंडार आदि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा अवसंरचना आदि के माध्यम से उन्हें आश्रय स्थल प्रदान करने के लिए विकल्पों का तत्काल पता लगाना।

(ग) कारागार में रसोइयों की अतिरिक्त क्षमता, एनजीओ (मिड–डे मील स्कीम के वेंडरों जैसे बड़े स्तर के भोजन प्रदाताओं सहित), आईआरसीटीसी के सुविधा केंद्रों, धार्मिक संगठनों, सीएसआर प्रयासों आदि की उपयुक्तता की जांच करने के बाद विभिन्न साधनों के माध्यम से महत्वपूर्ण कमजोर समूहों के लिए भोजन के पैकेट की व्यवस्था का पता लगाया जा सकता है।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त अनाज और अन्य आवश्यक सामग्री का प्रावधान करने के उपाय करना और इसे उनके ध्यान में लाना चाहिए तथा इसके वितरण को आसान बनाया जाना चाहिए।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि विद्यार्थियों, छात्रावास में रहने वाली कामकाजी महिलाओं आदि जैसी अन्य श्रेणियों को सभी सावधानियों के साथ अपने मौजूदा सुविधाओं में ठहरने की अनुमति भी दी जा सके। यह आवश्यक है कि छात्रावास, किराए के आवास आदि लगातार खुले रहें और कार्य करते रहें तथा आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को आसान बनाया जाए।

9.44 प्रवासियों के लिए पर्याप्त प्रबंध करने के विषय पर गृह मंत्रालय ने दिनांक 27.03.2020 को जारी एडवाइजरी की पुनरावृत्ति करते हुए एक एडवाइजरी दिनांक 28.03.2020 को जारी की। यह बताया गया था कि इस संबंध में सूचना को उन महत्वपूर्ण कमजोर समूहों के पास प्रभावकारी ढंग से पहुंचाया जाए, ताकि वे सुरक्षित महसूस कर सकें। यह भी परामर्श दिया गया था कि:

(क) राहत शिविरों के स्थान और उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में उनकी भाषा में सटीक सूचना का प्रचार–प्रसार करने के लिए सार्वजनिक सूचना प्रणालियों तथा साथ ही स्वयंसेवकों, एनजीओ और प्रौद्योगिकी सहित संचार के सभी साधनों का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाना चाहिए।

(ख) उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत राहत पैकेज और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में भी अवगत कराया जाए। इससे उनका पलायन रूकेगा और यह लोगों को पलायन से रोकने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

(ग) चूंकि, कुछ लोग राजमार्गों पर चल रहे थे, अतः राजमार्गों पर टेंट के आवास स्थलों की स्थापना पर भी विचार किया जा सकता है ताकि, उनको आसानी से उन आश्रयों स्थलों में ले जाया जा सके।

(घ) अस्थाई आश्रय स्थल स्थापित करते समय यह सुनिश्चित करने की सावधानी रखी जाए कि वे व्यक्ति लॉकडाउन के आदेश लागू रहने तक राहत शिविरों में रूकें।

(ङ) सामाजिक दूरी सहित विभिन्न सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आश्रय स्थल स्थापित किए जाएं।

(च) क्वारंटीन और अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता वाले मामलों को अलग करने के लिए इन शिविरों में चिकित्सा जांच के अभियान भी चलाए जाने चाहिए।

9.45 केन्द्र सरकार लॉकडाउन उपायों के कारण फंसे हुए प्रवासी मजदूरों सहित बेघर लोगों को भोजन और आश्रय मुहैया कराने के प्रति संवेदनशील थी। तदनुसार,

दिनांक 28.03.2020 को केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को इस प्रयोजन के लिए राज्य आपदा मोचन निधि का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की।

9.46 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड–19 वैश्विक महामारी से निपटने में राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारिणों (एसडीएमए/डीडीएमए) की भूमिका निर्धारित करते हुए दिनांक 28.03.2020 को एक एडवाइजरी जारी की। इसमें प्रवासी श्रमिकों और फंसे हुए पर्यटकों से संबंधित मुद्दों पर सूचना के आदान–प्रदान हेतु राज्य और जिला आपात कार्रवाई केन्द्रों के कार्य संचालन; अंतर एजेंसी समन्वय; सामुदायिक जागरूकता; प्रो एक्टिव प्लानिंग; गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय; उद्योग क्षेत्र के समन्वय; पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय जैसे अनेक उपायों का सुझाव दिया गया तथा जनता, विशेष रूप से लॉकडाउन के कारण बेसहारा हुए लोगों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए पुलिस और प्रशासन के लिए सिफारिशें की गईं तथा नागरिकों की सुरक्षा के प्रति संवेदना और कर्तव्य भावना के साथ लॉकडाउन के प्रतिबंधों की व्याख्या की गई।

9.47 श्रमिकों/तीर्थयात्रियों के आवागमन को देखते हुए एनडीएमए द्वारा दिनांक 29.03.2020 को एक दूसरी एड्वायजरी जारी की गई, जिसमें राज्य और क्षेत्र सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सूचना दी गई कि राष्ट्रीय सोशल डिस्टेंसिंग का मूल उद्देश्य विफल न हो। उनको देश के विभिन्न भागों से अपने राज्यों में पहुंचे हुए प्रवासी श्रमिकों/तीर्थयात्रियों के संबंध में अनेक उपाय करने की सलाह दी गई, ताकि इस वायरस के ट्रांसमिशन के खतरे को कम किया जा सके।

9.48 स्थिति से निपटने और लाकडाउन उपायों के प्रभावकारी कार्यान्वयन करने तथा प्रवासी मजदूरों की आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिए, अध्यक्ष, एनईसी की हैसियत से केन्द्रीय गृह सचिव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2)(झ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दिनांक 29.03.2020 को एक आदेश जारी किया, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की सरकारों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों को आवश्यक उपाय करने और अपने–अपने जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस आयुक्त को आवश्यक आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए, ताकि लाकडाउन के उपायों के कारण वे अपने संबंधित क्षेत्रों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों सहित गरीब और जरूरतमंद लोगो के लिए अस्थाई आश्रय स्थलों की पर्याप्त व्यवस्था और भोजन आदि का प्रावधान सुनिश्चित कर सकें।

9.49 देश में कोविड–19 प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से सबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर सैद्धांतिक निर्णय लेने के लिए दिनांक 29.03.2020 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 11 अधिकार प्राप्त समूह गठित किए गए थे:

(क) चिकित्सा आपातकाल प्रबंधन योजना।

(ख) अस्पतालों, एकांतवास और क्वारंटीन सुविधा, बीमारी की निगरानी एवं जांच तथा गहन चिकित्सा प्रशिक्षण की उपलब्धता।

(ग) पीपीई, मास्क, दस्तानों एवं वेंटिलेटरों जैसे आवश्यक चिकित्सा उपकरण की उपलब्धता, उत्पादन, खरीद, आयात और वितरण सुनिश्चित करना।

(घ) मानव संसाधन की वृद्धि और क्षमता निर्माण।

(ङ) भोजन एवं दवाइयों जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के लिए आपूर्ति चेन को सुगम बनाना और लॉजिस्टिक प्रबंधन करना।

(च) कार्रवाई से जुडी गतिविधियों के लिए निजी क्षेत्र, एनजीओ और अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय।

(छ) आर्थिक और कल्याणकारी उपाय।

(ज) सूचना, संचार और सार्वजनिक जागरूकता।

(झ) प्रौद्योगिकी और डाटा प्रबंधन।

(ञ) लोक शिकायत और सुझाव।

(ट) लाकडाउन से जुड़े रणनीतिक मुद्दे।

9.50 तत्पश्चात, स्थिति की समीक्षा करने के बाद, कोविड–19 वैश्विक महामारी का प्रबंधन करने की

आवश्यकता के मद्देनजर इन 11 अधिकार प्राप्त समूहों को छः समूहों में पुनर्गठित किया गया था।

9.51 कोविड–19 के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने की दृष्टि से, दिनांक 03.04.2020 को सभी राज्यों को अग्रिम तौर पर वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य आपदा जोखिम उपशमन निधि (एसडीआरएमएफ) के केन्द्रीय अंश के रूप में एक विशेष व्यवस्था के तौर पर 11,092 करोड़ रु. की प्रथम किस्त जारी की गई थी।

9.52 व्यापक लोकहित में देश में कोविड–19 को फैलने से रोकने के लिए, एनडीएमए के निदेशानुसार समय–समय पर चरणबद्ध ढंग से लॉकडाउन और अनलॉक संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए थे और आर्थिक गतिविधियों को धीरे–धीरे खोला गया।

ii. दिनांक 15.04.2020 से 03.05.2020 तक

9.53 अतिरिक्त छूटें: केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों के आधार पर तथा समाज के विभिन्न वर्गों को पेश आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान निम्नलिखित अतिरिक्त छूट को शामिल करने के लिए आदेश जारी किए:

9.53.1 गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित छूटों के संबंध में 16 अप्रैल, 2020 को आदेश जारी किया:–

(क) अनुसूचित जनजातियों तथा वन क्षेत्रों में रहने वाले अन्य वनवासियों द्वारा छोटे–छोटे वन उत्पादों (एमएफपी)/गैर–टिम्बर वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण, हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग

(ख) बांस, नारियल, एरेकानट, कोको, मसाले पौधारोपण और उनकी हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बिक्री और विपणन।

(ग) बहुत कम स्टाफ के साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एनबीएफसी–एमएफआई) सहित गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी)।

(घ) कॉओपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज।

(ङ) जलापूर्ति और साफ–सफाई, विद्युत ट्रांसमिशन लाइन बिछाना/स्थापित करना तथा संबंधित कार्यों के साथ टेलीकॉम ऑप्टीकल फाइबर और केबल डालना।

9.53.2 गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में फंसे हुए मजदूरों को उद्योगों, विनिर्माण यूनिटों, निर्माण कार्यों, कृषि और मनरेगा आदि में उनकी रोजगार सहायता करने के लिए उनके आवागमन के बारे में 19 अप्रैल, 2020 को एसओपी जारी की।

9.53.3 पेश आ रही कठिनाइयों के बारे में विभिन्न वर्गों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, गृह मंत्रालय ने 21.04.2020 को निम्नलिखित छूटों की अनुमति प्रदान की:

- निर्यात/आयात के लिए भंडार घरों जैसी सुविधा, बीजों और बागवानी उत्पाद के लिए निरीक्षण तथा उपचार की सुविधा
- कृषि और बागवानी संबंधी गतिविधियों को देखने वाले अनुसंधान प्रतिष्ठान।
- पौधारोपण सामग्री और मधुमखियों की कॉलोनियो, शहद तथा अन्य मधुमक्खी उत्पादों की राज्य के बाहर और भीतर परिवहन।
- भारतीय बंदरगाहों पर भारत के समुद्री यात्रियों का साइन–ऑन और साइन–ऑफ तथा एसओपी के अनुसार उपर्युक्त उद्देश्य के लिए उनका परिवहन।
- सिल्वीकल्चर ऑपरेशनों सहित वन रोपण की गतिविधियां।
- विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पुस्तकों की दुकानें।
- बिजली के पंखों की दुकानें।

9.53.4 लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय ने दिनांक 29.04.2020 के आदेश के तहत, सुरक्षित सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों, मानक स्वास्थ्य प्रोटोकोल, स्क्रीनिंग, क्वारंटीन, आवधिक जांच आदि का पालन करने

के बाद उनके आवागमन की अनुमति प्रदान की। इस प्रयोजन के लिए अंतर–राज्य बसों के आवागमन की अनुमति भी प्रदान की गई थी।

9.53.5 केन्द्र सरकार ने दिनांक 01.05.2020 को रेल मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों द्वारा ऐसे लोगों के आवागमन की अनुमति प्रदान की है।

iii. दिनांक 04.05.2020 – 17.05.2020

9.54 दिशानिर्देशों में ग्रीन और ओरेंज जोन में आने वाले जिलों में काफी छूट प्रदान की गई।

9.55 विशिष्ट उद्देश्यों और गृह मंत्रालय द्वारा यथाअनुमेय उद्देश्यों के लिए हवाई, रेल और सड़क मार्ग से व्यक्तियों की आवाजाही को अनुमति प्रदान की गई।

9.56 नए दिशानिर्देशों में व्यक्तियों की भलाई और सुरक्षा के लिए कतिपय उपाय भी निर्धारित किए गए हैं। अतः, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच, गैर–आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही को सख्ती के साथ प्रतिबंधित किया गया। रेड जोन में कतिपय अन्य गतिविधियों की प्रतिबंधों के साथ अनुमति प्रदान की गई। केवल अनुमेय गतिविधियों के लिए व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी गई।

9.57 ओरेंज जोन में, बसों के जिले के बाहर और जिले के भीतर आने–जाने के अतिरिक्त पूरे देश में सीमित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई। टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल 1 चालक और 2 यात्रियों की अनुमति प्रदान की जाएगी। व्यक्तियों और वाहनों को केवल अनुमेय गतिविधियों के लिए जिले से बाहर आने–जाने की अनुमति दी जाएगी।

9.58 ग्रीन जोनों में, पूरे देश में कुछ निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई। तथापि, बस केवल 50 प्रतिशत सिटिंग क्षमता के साथ और बस डिपो भी 50 प्रतिशत तक क्षमता के साथ संचालित हो सकते हैं।

9.59 उन सभी गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई थी, जिन्हें इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत विभिन्न जोनों में विशेष रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया था अथवा जिन्हें प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई थी। लॉकडाउन उपायों के दिशानिर्देशों के अंतर्गत दिनांक 03.05.2020 तक संचालित होने वाली पहले से अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए प्राधिकारियों से कोई अलग/नई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी लगातार परिचालित होती रही जैसे कि भारत में विदेशी नागरिक (नागरिकों) के लिए पारगमन प्रबंधन; क्वारंटीन व्यक्तियों को मुक्त करने; फंसे हुए मजदूरों का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के भीतर आवागमन; भारतीय समुद्री यात्रियों का काम पर जाना और काम से वापस आना, फंसे हुए मजदूरों, तीर्थयात्रियों; पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों का सड़क और रेल मार्ग से आवागमन।

iv. दिनांक 18.05.2020 – 30.05.2020

9.60 दिशानिर्देशों के अंतर्गत, कंटेनमेंट जोन के बाहर केवल सीमित गतिविधियां ही प्रतिबंधित की गई थीं। प्रतिबंधित गतिविधि में हवाई, रेल, मेट्रो से यात्रा; स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान खोलना; छात्रावासों और रेस्टोरेंटों सहित आतिथ्य (मेजबानी) सेवाएं; सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल–कूद परिसरों आदि जैसे अधिक भीड़–भाड़ वाले स्थान; सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार का जनसमूह; और धार्मिक स्थान/सार्वजनिक पूजा स्थल शामिल थे। राष्ट्रीय दिशानिर्देशों तथा साथ ही गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी का अनुपालन करते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर अन्य गतिविधियों की अनुमति दी गई थी।

9.61 तत्पश्चात, गृह मंत्रालय ने दिनांक 20.05.2020 के आदेश के तहत यात्रियों को घरेलू हवाई यात्रा की अनुमति प्रदान की। इस प्रयोजन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं।

9.62 गृह मंत्रालय ने बड़ी संख्या में छात्रों के शैक्षणिक हित को देखते हुए कक्षा 10 और 12 की बोर्ड की परीक्षा आयोजित करने की भी छूट प्रदान की।

अनलॉक की अवधि

9.63 चरणबद्ध री–ओपनिंग (अनलॉक–1), (अनलॉक–2), (अनलॉक–3), (अनलॉक–4) और अधिक गतिविधियां खोलने के लिए गृह मंत्रालय के क्रमशः दिनांक 30.05.2020, 29.06.2020, 29.07.2020, 29.08.2020, 30.09.2020 और 27.10.2020 के आदेशों के तहत दिशानिर्देश जारी किए गए।

9.64 इन चरणों के अंतर्गत जिन गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई, वे निम्नानुसार हैं:–

9.64.1 **दिनांक 08.06.2020 से** (अनलॉक–1), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी करके निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई:

- होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य (मेजबानी) सेवाएं।
- शॉपिंग मॉल।
- धार्मिक स्थल/सार्वजनिक पूजा के स्थल।

9.64.2 **दिनांक 15.07.2020 से** (अनलॉक–2), निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई:

- केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान। इस संबंध में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एसओपी जारी की गई।
- अपने क्षेत्र के आधार पर दुकानों में एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति रह सकते हैं।

9.64.3 **दिनांक 05.08.2020 से** (अनलॉक–3), निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई:

- योग संस्थान और जिम। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की गई।

9.64.4 **दिनांक 29.08.2020 से** (अनलॉक–4), निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई:

- **दिनांक 07.09.2020 से मेट्रो रेल**। आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की गई।
- राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेशन अथवा राज्य कौशल विकास मिशनों अथवा भारत सरकार के अन्य मंत्रालय अथवा राज्य सरकारों के साथ पंजीकृत अल्पकालीन प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल अथवा उद्यमिता प्रशिक्षण। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) और उनके प्रशिक्षण प्रदाता। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की गई।
- कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों का अपने माता–पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के साथ अपने विषय अध्यापकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर अपने स्कूल जाना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की गई।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) एक समय पर 50% शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण/टेलीफोन पर परामर्श देने और संबंधित कार्य के लिए दिनांक 21.09.2020 से स्कूलों में बुलाने की अनुमति दे सकते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की गई है।
- प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता वाले पीएचडी अनुसंधानकर्ता तथा तकनीकी एवं व्यवसायिक कार्यक्रमों के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा संबंधी निर्देश।

9.64.5 **दिनांक 15.10.2020 से** आगे (री–ओपनिंग के दिशानिर्देश), निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई:

- बिजनेस–टू–बिजनेस। वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की गई।
- मनोरंजन पार्क और समान स्थान। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की गई।
- खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु स्वीमिंग पूल। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की गई।
- 50% क्षमता के साथ सिनेमा/थियेटर/मल्टीप्लेक्स। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की गई।

- प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता वाले रिसर्च स्कॉलर (पीएचडी) और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संकाय के स्नात्तकोत्तर विद्यार्थियों के लिए राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय खोलना।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की सरकारें चरणबद्ध ढंग से स्कूल और कोचिंग संस्थान पुनः खोलने के संबंध में निर्णय ले सकती हैं। शिक्षा मंत्रालय और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा एसओपी जारी की गई।
- सामाजिक/ शैक्षणिक/ खेलकूद/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनैतिक समारोह और अन्य जन समूह कार्यक्रम 100 से अधिक व्यक्तियों की सीमा के साथ। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा एसओपी जारी की गई।

9.65 लॉकडाउनः लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित किया गया।

9.66 दिनांक 30.09.2020 को जारी किये गये दिशानिर्देश दिनांक 27.10.2020 को दिनांक 30.11.2020 तक के लिए बढ़ा दिए गए।

v निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी के लिए दिशानिर्देश

9.67 कोविड–19 के फैलने के विरुद्ध प्राप्त किये गये सभी लाभों को समेकित करने की दृष्टि से और वैश्विक महामारी पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए, गृह मंत्रालय ने दिनांक 25.11.2020 के आदेश के तहत निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत, दिनांक 01.12.2020 से निम्नलिखित उपाय किए जाएंगेः

(क) कोविड–19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार करने को बढ़ावा देने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सभी आवश्यक उपाय करेंगे। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी), सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर फेस मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर उचित जुर्माना लगाने सहित सभी प्रशासनिक कार्यवाही करने पर विचार कर सकते हैं।

(ख) बाजारों और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एक एसओपी जारी करेगा, जिसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा।

(ग) कोविड–19 के फैलने को रोकने की दृष्टि से, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) इस स्थिति पर अपने आकलन के आधार पर नाइट कर्फ्यू जैसे स्थानीय प्रतिबंध लागू कर सकते हैं। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी), केंद्र सरकार से पूर्व परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन (राज्य/ जिला/सब–डिविजन/ नगर स्तरीय) लागू नहीं करेंगे।

(घ) जिला प्राधिकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक कटेंनमेंट जोन सीमांकित करेंगे। कंटेनमेंट जोन की सूची संबंधित जिला क्लेक्टरों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा वेबसाइटों पर अधिसूचित की जाएगी। सीमांकित कंटेनमेंट जोन के भीतर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कर्तव्यनिष्ठा से पालन किया जाएगा, जो कि निम्नानुसार हैंः

(i) केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति देना।

(ii) सख्त परिधीय नियंत्रण।

(iii) हाउस–टू–हाउस निगरानी।

(iv) पॉजिटिव पाए गए सभी व्यक्तियों के सम्पर्क नम्बरों की सूची बनाना और साथ ही उनका पता लगाना, पहचान करना, क्वारंटीन करना तथा 14 दिनों तक सम्पर्क नम्बरों पर फॉलोअप करना।

(ङ) व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्य के बाहर और राज्य के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं तथा इस प्रकार के आवागमन के लिए कोई अलग से अनुमति/अनुमोदन/ई–परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

vi लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए निकासी / परिवहन संबंधी योजनाएं

9.68 लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूर और अन्य व्यक्ति देश के विभिन्न भागों में फंस गए थे। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उन्हें आश्रय, भोजन, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने और उन्हें समुचित परामर्श देने के लिए भी पर्याप्त प्रावधान करने के निर्देश दिये गये थे। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को इस उद्देश्य के लिए राज्य आपदा मोचन निधि का भी उपयोग करने की अनुमति दी गई थी और दिनांक 03.04.2020 को सभी राज्यों हेतु अग्रिम तौर पर 11,092 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी, ताकि उनके पास उपलब्ध निधियों में वृद्धि की जा सके।

9.69 गृह मंत्रालय ने दिनांक 15.04.2020 के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनेक आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति प्रदान की। गृह मंत्रालय ने राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में फंसे मजदूरों के आवागमन की अनुमति प्रदान करने के लिए 19 अप्रैल, 2020 को एक आदेश जारी किया, ताकि इन श्रमिकों को औद्योगिक विनिर्माण, निर्माण–कार्य, कृषि और मनरेगा कार्यों में लगाया जा सके।

ट्रेन / बस के माध्यम से व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति प्रदान करनाः–

9.70 देश के कतिपय स्थानों पर प्रवासी मजदूरों के अचानक प्रस्थान करने और उनके बड़ी संख्या में सड़क पर निकलने के कारण, गृह मंत्रालय के कंट्रोल कक्ष और क्षेत्रीय अधिकारियों ने प्रभावकारी ढंग से स्थिति को नियंत्रित किया तथा इन व्यक्तियों को नजदीकी राहत शिविरों में रखने के लिए संबंधित राज्य / जिला प्रशासन के साथ समन्वय किया।

9.71 रिपोर्टों के आधार पर, राज्य सरकारों को उन नजदीकी स्थानों पर आश्रय शिविर स्थापित करने का भी अनुरोध किया गया था, जहां ये लोग या तो इकट्ठे हुए हैं अथवा बड़ी संख्या में चल रहे हैं। देश में लगभग 41,000 राहत शिविर और आश्रय स्थल स्थापित किए गए थे। वहां पर 14 लाख से अधिक लोगों को रखा गया था।

9.72 इसके अतिरिक्त, 30,000 खाने के शिविर भी स्थापित किये गये थे। इसके अलावा, लगभग 17 लाख मजदूर अपने मालिकों के साथ औद्योगिक परिसरों में रूके हुए थे, जहां उन्हें आश्रय और भोजन प्रदान किया जा रहा था।

9.73 इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने दिनांक 29.04.2020 को एक आदेश जारी किया, ताकि फंसे हुए प्रवासी मजदूरों और अन्य व्यक्तियों को बसों द्वारा उनके मूल स्थानों पर भेजा जा सके।

9.74 गृह मंत्रालय ने स्वास्थ्य संबंधी रक्षोपायों का पालन करके ट्रेन से, इन फंसे हुए लोगों के आवागमन की अनुमति देने के लिए भी दिनांक 01.05.2020 को आदेश जारी किया। विशेष श्रमिक ट्रेनें चलाकर उनके आवागमन के लिए रेल मंत्रालय द्वारा एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की गई।

9.75 रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, 1 मई, 2020 से "श्रमिक" स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं।

9.76 ये श्रमिक स्पेशल ट्रेनें "ट्रेन ऑन डिमांड" आधार पर और भेजने वाले राज्यों के अनुरोधों के अनुसार चलाई गई थीं तथा लगभग 63.07 लाख प्रवासियों को विभिन्न स्थानों पर पहुंचने की सुविधा प्रदान की गई। राज्य सरकार और रेलवे ने मुफ्त भोजन और पानी प्रदान किया।

भारत से बाहर फंसे भारतीयों का इवेक्यूएशन / परिवहनः

9.77 लॉकडाउन से पहले रोजगार, अध्ययन/ इंटर्नशिप, पर्यटन, व्यवसाय आदि जैसे विभिन्न प्रयोजनों से विभिन्न देशों में गए भारतीय नागरिक लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंस गए। विदेशों में अपने लंबे प्रवास के कारण वे संकट का सामना कर रहे थे और वे तुरंत भारत लौटने के इच्छुक थे। उपर्युक्त मामलों के अतिरिक्त, कुछ अन्य भारतीय भी हैं, जिनका मेडिकल इमरजेंसी अथवा परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर भारत आना जरूरी है। इसके अतिरिक्त, अनेक व्यक्ति भारत में फंसे हुए थे, जो विभिन्न प्रयोजनों से तत्काल विदेश जाना चाहते थे।

9.78 ऐसे व्यक्तियों के आवागमन में सहायता करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने देश के बाहर फंसे भारतीयों के आवागमन और विशिष्ट व्यक्तियों के विदेश जाने के बारे में दिनांक 05.05.2020 के आदेश के तहत मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी कीं और इन्हें दिनांक 24.05.2020 को संशोधित किया गया और पुनः दिनांक 01.06.2020 एवं 22.08.2020 को संशोधित किया गया। उनकी यात्रा के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ान संचालित की तथा भारतीय नेवी ने नेवल डिपों का संचालन किया। मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) से विदेशों में फंसे भारतीयों के प्रस्थान और आगमन पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद और स्वास्थ्य प्रोटोकोल के अनुसार, आवागमन को सुविधाजनक बनाया गया है तथा केवल बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को ही यात्रा की अनुमति दी गई।

'वंदे भारत मिशन'

9.79 विदेश मंत्रालय ने "वंदे भारत मिशन (वीबीएम)" के अंतर्गत अभियान चलाए। इस मिशन के अंतर्गत, छटनी करके निकाले गए प्रवासी श्रमिकों, वीजा अथवा वर्क परमिट समाप्त होने के कारण निर्वासन का सामना करने वाले लोगों, मेडिकल इमरजेंसी वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, वृद्ध लोगों, फैमिली इमरजेंसीज, फंसे हुए पर्यटकों और छात्रों को प्राथमिकता दी गई थी। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत, फंसे हुए 5 लाख से अधिक भारतीय सुरक्षित वापस लौट आए हैं। वंदे भारत मिशन (वीबीएम) अभियान 7 मई, 2020 को शुरू किया गया था तथा दो माह से कम समय के भीतर सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित, 137 देशों में फंसे हुए 5,03,990 भारतीय अपने घर लौट आए।

'समुद्र सेतु मिशन'

9.80 भारतीय नौ सेना ने दूसरे देशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास के एक भाग के रूप में "समुद्र सेतु" अभियान शुरू किया था। प्रथम चरण के भाग के रूप में भारतीय नौसेना के जहाज "जलज" और "मगर" ने 8 मई, 2020 से इवेक्यूशन अभियान शुरू किया। मालदीव गणराज्य में भारतीय मिशन ने नौसेना के जहाजों द्वारा इवेक्यूएट किए जाने वाले भारतीयों की सूची तैयार की और उनकी अपेक्षित चिकित्सा जांच के उपरांत समुद्री यात्रा के दौरान उनके लिए मूलभूत सुविधाओं और चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान करने के बाद उन्हें जहाज में चढ़ाने में मदद की।

9.81 3992 भारतीय नागरिकों की समुद्र के रास्ते सफलतापूर्वक घर वापसी के बाद "ऑपरेशन समुद्र सेतु" बंद हो गया है।

सामानों और व्यक्तियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन :

9.82 सामानों का अंतर–राज्य परिवहनः

9.82.1 गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के उपायों के संबंध में दिनांक 24.03.2020 को जारी किए गए अपने दिशानिर्देशों में निम्नलिखित के परिवहन की अनुमति प्रदान की हैः –

(क) अपने देश में तथा निर्यात के लिए सामानों/कार्गो का अंतर–राज्य परिवहन

(ख) अग्निशमन, कानून एवं व्यवस्था तथा आपात सेवाएं

(ग) कार्गो के परिवहन, राहत और इवेक्यूशन तथा इनसे संबंधित ऑपरेशन संगठनों के लिए रेलवे, हवाई अड्डों और समुद्री पत्तनों का संचालन

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों एवं एलपीजी, खाद्य सामानों, चिकित्सा आपूर्तियों सहित आवश्यक सामानों का भू–सीमा से परिवहन

(ङ) कम्बाइंड हार्वेस्टर तथा अन्य कृषि/बागवानी उपकरणों जैसी हार्वेस्टिंग और बुवाई संबंधी मशीनों का राज्य के भीतर तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन।

9.82.2 इस बारे में, गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की सरकारों को दिनांक 26.03.2020 को एक एसओपी जारी की गई थी। इस एसओपी में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के बाद आवश्यक सामानों का निर्बाध आवागमन और स्थानीय स्टोरों, ई–कॉमर्स कंपनियों आदि के माध्यम से इन सामानों के विनिर्माण, थोक बिक्री अथवा खुदरा बिक्री में शामिल सप्लाई चेन में सभी सुविधाओं का कार्य संचालन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।

9.82.3 गृह मंत्रालय ने दिनांक 15 अप्रैल, 2020 को जारी किए गए अपने दिशानिर्देशों में खाली ट्रकों सहित सामान/कार्गो के अंतर–राज्य परिवहन की अनुमति प्रदान की है। गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन के उपायों के बारे में दिनांक 01.05.2020 और 17.05.2020 को जारी किए गए उत्तरवर्ती दिशानिर्देशों और गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने के बारे में, दिनांक 30.05.2020, 29.06.2020, 29.07.2020, 29.08.2020, 30.09.2020, 27.10.2020 और 25.11.2020 को जारी किए गए दिशानिर्देशों में सामानों के अंतर–राज्यीय और राज्य के भीतर परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं था।

9.82.4 सामानों के अंतर–राज्यीय परिवहन में आने वाली किसी समस्या का समाधान करने के लिए गृह मंत्रालय में नियंत्रण कक्ष चौबीस घंटे कार्य कर रहा है।

व्यक्तियों का आवागमन

9.83 दिनांक 24.03.2020 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अंतर्गत, उन व्यक्तियों, जिनको इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई थी, को छोड़कर व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया था। तथापि, स्वास्थ्यकर्मियों तथा आवश्यक सामानों और सेवाओं की आपूर्ति में लगे लोगों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।

9.84 उत्तरवर्ती दिशानिर्देशों में, स्थिति के आकलन के आधार पर, व्यक्तियों की आवाजाही को धीरे–धीरे खोला गया।

9.85 दिनांक 17.05.2020 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अंतर्गत, कंटेनमेंट जोनों को छोड़कर निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति प्रतिबंधों के साथ प्रदान की गई।

9.86 शामिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की परस्पर सहमति से यात्री वाहनों और बसों का अंतर–राज्यीय परिवहन।

9.87 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, यात्री वाहनों और बसों का राज्य के भीतर परिवहन।

9.88 गृह मंत्रालय द्वारा व्यक्तियों के आवागमन के बारे में अतिरिक्त दिशानिर्देश/एसओपी जारी की गईः– 19 अप्रैल, 2020 को फंसे हुए मजदूरों के राज्य के भीतर आवागमन के बारे में; 29 अप्रैल, 2020 को विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों के आवागमन के बारे में; 01 मई, 2020 को विशेष ट्रेन के द्वारा प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों आदि के आवागमन के बारे में, जिसे 19 मई, 2020 को संशोधित किया गया; 05 मई, 2020 को देश के बाहर फंसे भारतीय नागरिकों के आवागमन तथा विशिष्ट व्यक्तियों की विदेश यात्रा के आवागमन के बारे में; 11 मई, 2020 को ट्रेनों के परिचालन के बारे में; 20 मई, 2020 को घरेलू हवाई यात्रा की अनुमति देने के बारे में जारी की गईं।

9.89 गृह मंत्रालय ने दिनांक 30.05.2020 के आदेश के तहत, गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने (अनलॉक–1) के बारे में दिशानिर्देश जारी किए, जिसके तहत अंतर–राज्यीय और राज्य के भीतर व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति प्रदान की गई। तथापि, जन स्वास्थ्य कारणों और स्थिति के आकलन के आधार पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस प्रकार के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने और अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का पहले से व्यापक प्रचार करके व्यक्तियों के आवागमन को नियंत्रित कर सकते हैं।

9.90 गृह मंत्रालय ने दिनांक 29.06.2020 और बाद में दिनांक 29.07.2020; 29.08.2020; 30.09.2020; 27.10.2020 और 25.11.2020 को जारी दिशानिर्देशों में व्यक्तियों के राज्य के भीतर और बाहर आवागमन की अनुमति प्रदान की थी और इस प्रकार के आवागमन के लिए कोई अलग से अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं बनाया गया।

कोविड–19 में उपयुक्त व्यवहार

9.91 केंद्रीय गृह सचिव ने पुलिस महानिदेशकों एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकार के गृह और आपदा प्रबंधन (डीएम) विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा सीएपीएफ/सीपीओ के महानिदेशकों के साथ दिनांक 06.10.2020 को बैठकें की और देश में कोविड–19 की आवश्यकतानुसार उपर्युक्त व्यवहार (फेस मास्क पहनना, हैंड हाइजीन और सामाजिक दूरी) पर व्यापक और केंद्रित अभियान के तरीकों पर चर्चा की तथा कोविड–19 में

सुरक्षित व्यवहार के लिए लोगों की सहभागिता के लिए एक अभियान शुरू किया, जिसका लक्ष्य इसे एक जन आंदोलन बनाना था।

9.92 इस अभियान में कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार का पालन करने के लिए लोगों को संदेश भेजने के साथ ट्वीट करना, विशिष्ट स्थानों पर होर्डिंग/पोस्टर लगाना, सामुदायिक शपथ दिलाना, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग करना, एसएमएस भेजना, सार्वजनिक घोषणाएं करना, प्रभावकारी कारकों का उपयोग आदि शामिल किए गए।

vii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) में कोविड–19 का प्रबंधन

9.93 दिल्ली में कोविड–19 को फैलने से रोकने और राष्ट्रीय राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 14.06.2020 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की तथा निम्नलिखित बातों पर बल दिया:

- दिल्ली सरकार को 500 परिवर्तित रेल कोच प्रदान किये गये, ताकि 8000 बैड की आवश्यकता पूरी की जा सके।
- कॉन्टेक्ट मैपिंग में सुधार करने के लिए दिल्ली के कंटेनमेंट जोनों में हाउस–टू–हाउस स्वास्थ्य सर्वेक्षण करना।
- 2 दिन के भीतर जांच करने की क्षमता को दोगुना और आगामी छह दिन के भीतर तीन गुना करना।
- प्राइवेट अस्पतालों में कम दरों पर 60% कोरोना बैड की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कोरोना जांच एवं इसके उपचार की दर निर्धारित करने के लिए सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित करना।
- एम्स में वरिष्ठ डॉक्टरों की एक समिति गठित करना, ताकि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई की बेहतर पद्धतियों को निम्नतम स्तर तक पहुंचाया जा सके।
- टेलीफोन पर मार्गदर्शन हेतु हेल्पलाइन नम्बर शुरू करना।

9.94 केंद्रीय गृह सचिव द्वारा 08 जुलाई, 2020 से 13 नवम्बर, 2020 तक कई समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थीं। जिन मुद्दों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए नियमित तौर पर बल दिया गया था, वे अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित हैं:

(क) ऑक्सीजन/वेंटिलेटर सहायक बेड की संख्या बढ़ाना।

(ख) कंटेनमेंट जोन का सख्त परिधीय नियंत्रण।

(ग) एकांतवास वाले रोगियों अथवा घर पर क्वारंटीन व्यक्तियों को टेलीफोन पर परामर्श देना।

(घ) कोविड रोगियों का प्रोटोकॉल आधारित उपचार।

(ङ) विशेषकर आरटी–पीसीआर पद्धति के माध्यम से ज्यादा–से–ज्यादा जांच करना, ताकि कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों की पहले ही पहचान हो सके और चिकित्सीय उपचार प्रदान किया जा सके।

(च) सामाजिक दूरी, मास्क पहनने, सैनिटाइजेशन आदि के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश सख्ती से लागू करना।

(छ) लोगों में किसी प्रकार के अकारण भय को रोकने के लिए कोविड की स्थिति के उचित प्रबंधन का मीडिया में उचित प्रचार–प्रसार करना। उपलब्ध बेडों, उपलब्ध एम्बुलेंसों आदि की संख्या नियमित तौर पर प्रकाशित की जानी चाहिए।

(ज) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एम्बुलेंस और अन्य अवसंरचना की आवश्यकता की निगरानी करनी चाहिए, ताकि कोई भी रोगी उपचार और देखभाल से वंचित न रहे।

(झ) आने वाले त्यौहार की अवधि, शादी के समय और सर्दियों के मौसम के दौरान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एहतियाती और सम्पूर्ण रूप से कार्रवाई करेगी।

9.95 इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल सचिव ने भी दिनांक 11.11.2020 को विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सहित 08 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोविड–19 की स्थिति की समीक्षा की थी।

9.96 मामलों की बढ़ती हुई संख्या और राजधानी के अस्पतालों में चिकित्सीय अवसंरचना की क्षमता पर बढ़ते दबाव की पृष्ठभूमि में, केंद्रीय गृह मंत्री ने दिनांक

15.11.2020 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड–19 की स्थिति के प्रबंधन की समीक्षा की और निम्नलिखित बातों पर बल दिया:

- सचल जांच प्रयोगशालाओं के माध्यम से दिल्ली में आरटी–पीसीआर जांचों की परीक्षण क्षमता को दोगुना करना।
- अस्पताल की क्षमता और अन्य चिकित्सा अवसंरचना की उपलब्धता को बढ़ाना।
- धौला कुआं में डीआरडीओ की मौजूदा चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत आईसीयू वाले बेडों की संख्या बढ़ाना।
- दिल्ली में चिकित्सा कर्मचारी बढ़ाने के लिए सीएपीएफ से अतिरिक्त डॉक्टर और पैरामैडिकल कर्मचारी प्रदान करना।
- रोगियों की भर्ती की स्थिति की तुलना में कोविड–19 संबंधी चिकित्सा अवसंरचना की उपलब्धता की भौतिक रूप से जांच करने के लिए दिल्ली के सभी निजी अस्पतालों का दौरा करने हेतु बहु–विभागीय टीमें गठित करना।
- कंटेनमेंट जोन की नियमित तौर पर समीक्षा करने के लिए विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के संपर्क का पता लगाना और उन्हें क्वारंटीन करना तथा स्क्रीनिंग करना।
- उन कोविड–19 रोगियों का पता लगाते रहना, जो होम आइसोलेशन में हैं और यह सुनिश्चित करना कि यदि उनके मामले में चिकित्सा संबंधी सावधानी को आवश्यक समझा जाए, तो उन्हें नियमित अस्पतालों में शिफ्ट करना।
- सम्पूर्ण दिल्ली में हाउस–टू–हाउस सर्वेक्षण।

9.97 केंद्रीय गृह सचिव ने भी दिनांक 16.11.2020 को बैठक आयोजित की और डीआरडीओ के कोविड–19 अस्पताल की कार्यप्रणाली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में आईसीयू बेड की सुविधाएं बढ़ाने और आरटी–पीसीआर एवं आरएटी दोनों की जांच क्षमता को दोगुनी करने की कार्ययोजना की समीक्षा की।

9.98 दिल्ली के विभिन्न निजी अस्पतालों का दौरा करने और वहां कोविड–19 रोगियों का उपचार करने के लिए इन अस्पतालों की तैयारी की जांच करने हेतु गृह मंत्रालय ने दिनांक 16.11.2020 को 10 बहु–विषयक टीमें भी गठित की थी।

9.99 गृह सचिव ने दिनांक 15.11.2020 को आयोजित समीक्षा बैठक में माननीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी) में कोविड–19 के उचित प्रबंधन की स्थिति की भी दिनांक 27.11.2020 को समीक्षा की। यह देखा गया कि उपर्युक्त निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु संबंधित अधिकारी पूरी कर्मठता और तत्परता के साथ चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं।

9.100 केंद्र सरकार लगातार देश में कोविड और हेल्थकेयर संबंधी अवसंरचना की स्थिति की निरन्तर निगरानी कर रही है और हेल्थकेयर संबंधी डिलिवरी में कमियों को दूर करने के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, सहायता पहुंचाने के सभी प्रयास कर रही है।

viii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड–19 का प्रबंधन

9.101 जून, 2020 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में कोविड–19 के मामलों में अचानक हुई वृद्धि के कारण अस्पतालों में बेडों की अनुपलब्धता के मद्देनजर और कोविड–19 वैश्विक महामारी से निपटने हेतु दिल्ली–एनसीआर क्षेत्र में एक समान रणनीति अपनाने के लिए, माननीय गृह मंत्री ने दिनांक 18.06.2020 और 02.07.2020 को बैठकें आयोजित कीं और उन्होंने एक मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा अनुमोदित की गई नई रैपिड एंटीजन प्रणाली के माध्यम से कोविड–19 की जांच करने पर भी बल दिया। उन्होंने यह सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा "एम्स–टेलीमेडिसिन कोविड परामर्श" में शामिल हो सकते हैं, जिसके माध्यम से रोगी विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर सकेंगे।

9.102 इसके अतिरिक्त, दिल्ली–एनसीआर में कोविड–19 की स्थिति के प्रबंधन की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव ने भी दिनांक 23.09.2020 और 13.11.2020 को बैठकें आयोजित कीं।

ix. दिल्ली कैंट में 1000 बेड वाले अस्थाई सरदार वल्लभभाई पटेल कोविड अस्पताल (एसवीबीपी अस्पताल) की स्थापना

9.103 जून, 2020 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में कोविड–19 के मामलों में अचानक हुई वृद्धि के कारण अस्पतालों में बेडों की अनुपलब्धता के मद्देनजर, गृह मंत्रालय ने 15 दिन के भीतर डीआरडीओ द्वारा दिल्ली कैंट में 250 आईसीयू/वेंटिलेटर बेड के साथ 1000 बेड वाले अस्पताल की स्थापना के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय किया।

9.104 अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करने और रक्षा मंत्रालय से हेल्थकेयर पेशेवर प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा समन्वय का कार्य किया गया।

9.105 दिनांक 06.12.2020 की स्थिति के अनुसार, अस्पताल में कुल 3416 रोगी भर्ती किए गए हैं, जिनमें से 3008 को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। दिनांक 06.12.2020 को कुल 245 रोगियों का इलाज किया जा रहा था, जिनमें से 63 रोगी गंभीर थे और 154 ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे तथा 28 सामान्य थे।

9.106 दिनांक 23.11.2020 की स्थिति के अनुसार, आईसीयू बेड की संख्या को बढ़ाकर 500 बेड तक कर दिया गया है और शेष 500 नॉन–आईसीयू बेड ऑक्सीजन से लैस हैं।

x. पीएम–केयर्स से बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर में दो 500 बेड वाले अस्पतालों की स्थापना तथा 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 16 आरटी–पीसीआर प्रयोगशालाओं की स्थापनाः

9.107 बिहार राज्य में कोविड–19 मामलों में अचानक हुई वृद्धि और चिकित्सा सुविधाओं की अपर्याप्तता के मद्देनजर, गृह मंत्रालय ने पीएम–केयर्स से पटना और मुजफ्फरपुर में 125 आईसीयू/वेंटिलेटर बेड के साथ 500 बिस्तर वाले दो अस्पतालों की स्थापना के लिए समन्वय किया।

9.108 ये अस्पताल डीआरडीओ द्वारा स्थापित किए गए थे और रक्षा मंत्रालय द्वारा डॉक्टर प्रदान किए गए थे तथा बिहार राज्य सरकार द्वारा परा–चिकित्सा कर्मचारी प्रदान किए गए थे।

9.109 इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने पीएम–केयर्स से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिसर (आईसीएमआर) द्वारा 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 16 आरटी–पीसीआर प्रयोगशालाओं की स्थापना किये जाने के लिए भी समन्वय किया था।

xi. मैडिकल ऑक्सीजन की सुगम आपूर्ति

9.110 सितम्बर, 2020 माह के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति की अचानक कमी होने के मद्देनजर, गृह मंत्रालय ने देश में मैडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन के साथ भी समन्वय किया था।

ख. दक्षिण–पश्चिम मानसून के लिए तैयारीः

9.111 कोविड–19 वैश्विक महामारी की स्थिति के बावजूद, दक्षिण–पश्चिम मानसून के लिए हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं थी। मानसून आने से पहले, दक्षिण–पश्चिमी मानसून, 2020 की तैयारी की स्थिति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 20.05.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के आपदा प्रबंधन प्रभाग के राहत आयुक्तों/सचिवों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा पूर्व–तैनाती की योजना जैसे किए गए तैयारी के उपायों और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशनल तैयारी तथा साथ ही देश में आपदा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा की जा सके।

9.112 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त, आपातकालीन सहायता संबंधी कार्य करने वाले विभिन्न मंत्रालयों/संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। सम्मेलन के दौरान, प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिकाओं और भविष्यवाणी करने वाली एजेंसियों अर्थात् भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), एनडीआरएफ, सशस्त्र बलों और राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियों के साथ गहन समन्वय किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

9.113 पुनरुद्धार और राहत कार्य के माध्यम से राज्य सरकारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को भी सक्रिय बनाया गया।

ग. वर्ष 2020 के दौरान बाढ़ की स्थिति

9.114 दक्षिण–पश्चिमी मानसून के दौरान देश के विभिन्न भागों में भारी वर्षा होने के कारण, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश भारी वर्षा/भू–स्खलन और बाढ़ों से प्रभावित हुए थे। राज्य प्राधिकारियों के साथ हुये विचार–विमर्श के आधार पर और जब कभी गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया, तो बाढ़ की स्थिति के अपने चरम पर होने की दशा में एनडीआरएफ की 158 टीमें तैनात की गई।

9.115 बाढ़ की स्थिति की गृह मंत्रालय में उच्च स्तर पर 24x7 घंटे निगरानी की गई थी। गृह मंत्रालय ने बचाव और राहत प्रयासों का तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की सरकारों द्वारा अनुरोध करने की स्थिति में वहां बचाव और राहत ऑपरेशन चलाने के लिए एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक के संसाधनों की तैनाती/मोबिलाइजेशन का समन्वय किया।

घ. चक्रवात

(i) चक्रवात अम्फन

9.116 सुपर चक्रवाती तूफान दिनांक 20.05.2020 को भारतीय तट से टकराया, जिसमें पश्चिम बंगाल और ओडिशा प्रभावित हुए। इसने 155–165 किमी./प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को पार किया और 185 किमी/प्रतिघंटा की रफ्तार से सुंदरबन को पार किया। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के बुलेटिन के आधार पर, संबंधित राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को गृह मंत्रालय द्वारा नियमित तौर पर एडवाइजरी जारी की गई। कम दबाव वाले क्षेत्र की स्थिति बनने के बाद इस स्थिति की उच्चतम स्तर पर 24x7 आधार पर निगरानी की गई थी। गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ और रक्षा बलों की तैनाती सहित सभी प्रकार की आवश्यक वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता भी प्रदान की। राज्य सरकार, रक्षा मंत्रालय, एनडीआरएफ और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ गहन समन्वय करके गृह मंत्रालय के संगठित प्रयासों से मानव जीवन की क्षति को काफी हद तक कम कर दिया गया था।

9.117 माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 22.05.2020 को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के चक्रवात प्रभावित जिलों का एक हवाई सर्वेक्षण भी किया और तत्काल राहत कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ रुपए और ओडिशा को 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की, जिसे तत्काल दिनांक 23.05.2020 को जारी कर दिया गया था। उन्होंने राज्यों में चक्रवात में मरने वालों के निकट संबंधियों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल होने वाले को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि भी प्रदान करने की घोषणा की।

9.118 क्षति की आकलन रिपोर्ट के आधार पर, राहत ऑपरेशन के संबंध में किए गए व्यय की पूर्ति करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य को राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एनडीआरएफ) में से पहले से जारी की गई 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के अतिरिक्त 1250.28 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

(ii) चक्रवात निसर्ग

9.119 दिनांक 03.06.2020 को, भयंकर चक्रवाती तूफान ''निसर्ग'' ने अलीबाग के दक्षिण के निकट महाराष्ट्र तट को पार किया, जिसकी गति 120 किमी. प्रति घंटा की हवाओं के साथ 100–110 किमी. प्रति घंटा थी। आईएमडी के बुलेटिन के आधार पर, गृह मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकार और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को समय पर एडवाइजरी जारी की। कम दबाव वाले क्षेत्र की स्थिति बनने के बाद इस स्थिति की उच्चतम स्तर पर 24x7 आधार पर निगरानी की गई थी। गृह मंत्रालय ने चक्रवात से प्रभावित हुये राज्यों में सभी प्रकार की लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की और एनडीआरएफ एवं सशस्त्र बलों की जनशक्ति तथा संसाधनों को भी तैनात किया।

9.120 ''निसर्ग'' चक्रवात के आने के बारे में आईएमडी द्वारा अग्रिम चेतावनी देने तथा गृह मंत्रालय द्वारा अन्य

सभी स्टेकहोल्डरों के साथ गहन समन्वय करने के संगठित प्रयासों से, मानव जीवन की क्षति को काफी हद तक कम कर दिया गया था। क्षति के आकलन की रिपोर्ट के आधार पर, राहत ऑपरेशन के संबंध में किए गए व्यय की पूर्ति करने के लिए महाराष्ट्र राज्य को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से 268.59 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

(iii) चक्रवात निवार

9.121 चक्रवात निवार ने एक बहुत भयंकर चक्रवाती तूफान के रूप में 25 और 26 नवम्बर, 2020 की मध्य रात्रि के दौरान पुदुचेरी के निकट कराईकल और मामल्लापुरम के बीच तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटों को पार किया, जिसकी गति 145 किमी. प्रति घंटा की हवाओं के साथ 120–130 किमी. प्रति घंटा थी। इस स्थिति की उच्चतम स्तर पर 24x7 आधार पर निगरानी की गई थी। गृह मंत्रालय ने चक्रवात से प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में सभी प्रकार की लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की और एनडीआरएफ एवं सशस्त्र बलों की जनशक्ति तथा संसाधनों को भी तैनात किया।

9.122 संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को गृह मंत्रालय द्वारा समय पर अग्रिम एडवाइजरी जारी की गई थी। गृह मंत्रालय द्वारा अन्य सभी स्टेकहोल्डरों के साथ गहन समन्वय करने के संगठित प्रयासों से मानव जीवन की क्षति को काफी हद तक कम कर दिया गया था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में इस चक्रवात के प्रभाव से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार ने अंतर–मंत्रालयी केंद्रीय टीमें (आईएमसीटी) गठित की हैं।

इस वर्ष के दौरान आपदाओं से हुई क्षति

9.123 वर्ष 2020–21 (दिनांक 02.12.2020 तक) के दौरान, 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने चक्रवाती तूफानों/तेज बाढ़/बाढ़ों/भू–स्खलनों/बादल फटने आदि से विभिन्न मात्रा में हुई क्षति की सूचना दी है। ये राज्य हैं– आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर, पुदुचेरी और दादरा एवं नागर हवेली। वर्ष 2020–21 (दिनांक 27.01.2021 तक) के दौरान, देश में क्षति की मात्रा निम्नानुसार है:

मानव जीवन की क्षति की सं.	1782
प्रभावित हुए मवेशियों की सं.	45844
क्षतिग्रस्त घर	11,50,677
प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हेक्टे. में)	50.893 लाख हेक्टे.

वित्तीय तंत्र

9.124 राहत संबंधी व्यय के वित्तपोषण की स्कीम परवर्ती वित्त आयोगों की सिफारिशों पर आधारित होती है। 14वें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से सहायता प्रदान करने के लिए हिमस्खलन, चक्रवात, बादल फटने, सूखे, भूकंप, सुनामी, आगजनी, बाढ़, ओलावृष्टि, भू–स्खलन, कीट हमलों और शीतलहर/ पाला पड़ने को प्राकृतिक आपदा माना जाए। भारत सरकार ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के गठन तथा प्रशासन के बारे में दिनांक 30.07.2015 को दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश और मानदंड गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.mha.nic.in पर उपलब्ध हैं।

9.125 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1) में राज्य सरकारों द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के गठन का प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने एसडीआरएफ के संचालन हेतु राज्यों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य राहत निधियों के लिए आवंटन, परवर्ती वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर किए गए हैं। विभिन्न राज्यों के लिए पांच वर्षों की अवधि हेतु निधियों का आवंटन करते समय जिन कारकों पर विचार किया जाता है, उनमें प्राकृतिक आपदाओं के प्रति राज्य की कमजोर क्षमता, राज्य की आर्थिक स्थिति और लगभग पिछले 10 वर्षों के दौरान राहत अभियानों पर राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय इत्यादि शामिल हैं।

वर्तमान में, 15वें वित्त आयोग की अंतरिम सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार ने वर्ष 2019–20 के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 13,465.00 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2020–21 के लिए सभी राज्यों की राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ)/ एसडीआरएफ में 28,983 करोड़ रु. (केंद्रीय अंश के रूप में 22,184 करोड़ रु. और राज्य अंश के रूप में 6799 करोड़ रु.) के आवंटन को अनुमोदन प्रदान किया है। एसडीआरएमएफ/ एसडीआरएफ की स्कीम के अंतर्गत एसडीआरएफ में केंद्रीय अंश को जून और दिसम्बर माह में दो बराबर किस्तों में जारी करने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ)

9.126 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46(1) में किसी चुनौतीपूर्ण आपदा प्रबंधन की स्थिति अथवा आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के गठन का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने दिनांक 28.09.2010 को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के गठन के लिए अधिसूचना जारी की थी। प्रत्येक राज्य के लिए एसडीआरएफ के कुल वार्षिक आवंटन में केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 75:25 तथा पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 है।

9.127 15वें वित्त आयोग ने रिपोर्ट के अध्याय–6 "आपदा जोखिम प्रबंधन" में अन्य बातों के साथ–साथ राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) और राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) के रूप में राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर शमन निधि स्थापित करने की सिफारिश की थी। 15वें वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि इस निधि के गठन और उपयोग के लिए गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के साथ परामर्श करके विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएं। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020–21 के दौरान एनडीएमएफ के लिए 2478 करोड़ रु. और एसडीएमएफ के लिए 5797 करोड़ रु. आवंटित किए हैं। भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग की उपर्युक्त सिफारिशें मंजूर कर ली हैं।

9.128 व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय/महालेखा नियंत्रक के साथ परामर्श करके एनडीएमएफ और एसडीएमएफ के परिचालन हेतु दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है, जिनके शीघ्र जारी किए जाने की संभावना है।

9.129 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत "तैयारी एवं क्षमता निर्माण वित्तपोषण विंडो" के गठन और प्रशासन संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 19.11.2020 को जारी किए गए थे। ये दिशानिर्देश www.ndmindia.mha.gov.in बेवसाइट पर उपलब्ध हैं।

अतिरिक्त वित्तीय सहायता

9.130 राज्य आपदा मोचन निधि के प्रावधानों के अतिरिक्त, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से निधियां प्रदान की जाती हैं। प्रभावित राज्य से ज्ञापन प्राप्त होने पर, एक अंतर–मंत्रालयी केंद्रीय टीम गठित की जाती है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस टीम की रिपोर्ट की जांच राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की उप–समिति द्वारा की जाती है। उप–समिति की सिफारिशों को उच्च स्तरीय समिति के समक्ष उनके विचार हेतु और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से निधियों के अनुमोदन हेतु रखा जाता है।

9.131 वर्ष 2020–21 के लिए, एसडीआरएमएफ/ एसडीआरएफ में आवंटन 28,983.00 करोड़ रु. है, जिसमें से 22184.00 करोड़ रु. भारत सरकार का केंद्रीय अंश है और 6799.00 करोड़ रु. राज्य सरकारों का अंश है। वर्ष 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान, 28 राज्यों को राज्य आपदा मोचन निधि के केंद्रीय अंश के रूप में प्रथम किस्त की 11,170.425 करोड़ रु. की राशि जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020–21 के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के केंद्रीय अंश की 7866.00 करोड़ रु. की दूसरी किस्त 17 राज्यों को जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, 10 राज्यों को एनडीआरएफ से 4409.71

करोड़ रु. की वित्तीय सहायता जारी की गई है। वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला एक राज्य–वार विवरण अनुलग्नक–XIII में दिया गया है।

संस्थागत तंत्र

(I) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)

9.132 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उद्देश्य हेतु स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री हैं। इसमें नौ सदस्यों तक का प्रावधान है, जिनमें से एक को उपाध्यक्ष के रूप में पदनामित किया जा सकता है। वर्तमान में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में पांच सदस्य शामिल हैं – (1) श्री जी. वी.वी. शर्मा, सदस्य सचिव, (2) ले. जनरल सईद अता हसनैन, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम और बार (सेवानिवृत्त), सदस्य (3) श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य, (4) श्री कमल किशोर, सदस्य और (5) श्री कृष्ण स्वरूप वत्स, सदस्य, एनडीएमए।

9.133 एनडीएमए, राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन पर नीतियां निर्धारित करने और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनकी अपनी योजनाओं तथा परियोजनाओं में आपदा प्रबंधन को समेकित करने के लिए उन्हें दिशानिर्देश अनुपालनार्थ जारी करने सहित अनेक कार्य/पहलें करता है। यह उन दिशानिर्देशों को भी निर्धारित करता है, जिनका अनुपालन राज्यों द्वारा अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने, योजना तैयारियों, आपदा न्यूनीकरण उपाय करने और क्षमता निर्माण हेतु पहल करने के लिए किया जाना है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) 2009

9.134 केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22 अक्टूबर, 2009 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति को अनुमोदन प्रदान किया गया और 18 जनवरी, 2010 को इसे जारी किया गया। इस नीति में पूर्ववर्ती 'कार्रवाई – केन्द्रित' दृष्टिकोण में बदलाव करते हुये आपदाओं के समग्र प्रबंधन की ओर ध्यान दिया गया है तथा रोकथाम, तैयारी और उपशमन पर बल दिया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी)

9.135 एनडीएमए ने वर्ष 2016 में पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार की थी। इसे नवंबर, 2019 में विस्तृत परामर्शों के पश्चात संशोधित किया गया है। संशोधित योजना में नए जोखिम (आंधी–तूफान, बिजली गिरना, झंझावात, धूल भरी आंधी और प्रचण्ड हवा/बादल फटना और ओलावृष्टि/ग्लेशियर झील भरने से बाढ़ (जीएलओएफ)/ग्रीष्म लहर/जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल (बीपीएचई)/जंगल की आग) और नए अध्याय (वर्ष–2015 के वैश्विक फ्रेमवर्क के बाद डीआरआर हेतु सामंजस्य एवं परस्पर सुदृढ़ीकरण/सामाजिक समावेशन/डीआरआर को मुख्य धारा में लाना) शामिल हैं तथा जलवायु जोखिम की सूचना वाली डीआरआर के लिए नए विषयगत क्षेत्र के रूप में ''जलवायु परिवर्तन हेतु जोखिम प्रबंधन'' भी शामिल हैं। इसमें एनडीएमपी में सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों और अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए समयबद्ध कार्रवाई की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, ताकि अमुख कार्रवाई डीआरआर के सेंडई फ्रेमवर्क की समयसीमा के साथ मेल खा सके। यह योजना केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ साझा की गई है, ताकि वे सेंडई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एनडीएमपी 2019 की समयसीमा के अनुरूप अपनी योजनाएं और रणनीतियां तैयार कर सकें।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश

9.136 अपनी स्थापना के बाद, एनडीएमए ने आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर 31 दिशानिर्देश जारी किए हैं। जारी दिशानिर्देशों की सूची अनुलग्नक–XIV में दी गई है। ये दिशानिर्देश एनडीएमए की वेबसाइट (www.ndma.gov.in) पर "Governance=>NDMA Guidelines" लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान जारी दिशानिर्देश/रिपोर्टें

जंगल में लगी आग के प्रबंधन में विश्व स्तरीय सर्वोत्तम पद्धतियों को प्रदर्शित करने वाली रिपोर्ट

9.137 जंगल में लगी आग के प्रबंधन के लिए विश्व

स्तरीय सर्वोत्तम पद्धतियों पर एक वैज्ञानिक समीक्षा की गई। उक्त दस्तावेज में पूरे विश्व की वे अत्याधुनिक पद्धतियां शामिल हैं, जिनका भारत के लिए व्यावहारिक प्रभाव है। इसके अतिरिक्त, डेस्कटॉप समीक्षा में भी विश्वभर में अपनाई जा रही कुछ समुदाय – आधारित और परम्परा आधारित सर्वोत्तम पद्धतियां शामिल की गई हैं। उक्त दस्तावेज से जंगल में लगी आग के प्रबंधन में पहले से चल रहे मौजूदा प्रयासों में वृद्धि होगी।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना

9.138 36 में से 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पास अपनी अनुमोदित राज्य आपदा प्रबंधन योजना है। पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य, जिसने एसडीएमपी को अनुमोदन प्रदान किया था, को दो संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है– (i) जम्मू और कश्मीर (ii) लद्दाख। इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती संघ राज्य क्षेत्र नामतः (i) दादरा एवं नागर हवेली और (ii) दमण और दीव, जिन दोनों ने एसडीएमपी को अनुमोदन प्रदान किया था, को भी मिलाकर एक संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् दादरा एवं नागर हवेली और दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) बनाया गया है। इन तीन (3) नव निर्मित संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में अलग–अलग एसडीएमपी तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजना

9.139 भारत सरकार के पैंतालीस (45) मंत्रालयों/विभागों ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर ली है। इनमें से नौ मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं को एनडीएमए द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इन मंत्रालयों/विभागों में मत्स्यन विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग और विद्युत मंत्रालय शामिल हैं।

कोविड–19 के लिए किया गया कार्य

9.140 कोविड–19 प्रबंधन की राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय योजना के लिए टेम्पलेट्स तैयार किये गये।

9.141 जागरूकता सामग्री के अंतर्गत कोविड–19 की रोकथाम और तैयारी के संबंध में विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लिए ऑडियो विजुअल, क्या करें और क्या न करें तथा ''अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न'' तथा कोरोना वायरस के लिए उठाए जाने वाले कदम आदि शामिल किए गए हैं।

9.142 विश्व स्वास्थ्य संगठन, एसपीएचईआरई और अन्य संगठनों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न दस्तावेजों, एसओपी और एडवाइजरी की समीक्षा की गई और टिप्पणियां प्रदान की गईं।

कोविड–19 के पॉजिटिव पाए गए लोगों की मनो–सामाजिक देखभाल मे सहायता

9.143 कोविड–19 के पॉजिटिव पाए गये लोगों के लिए एनडीएमए ने अप्रैल, 2020 में एक हेल्पलाइन शुरू की है, जिसके द्वारा दूरवर्ती स्थान से लोगों को परामर्श के रूप में मनो–सामाजिक सहायता प्रदान की जा रही है।

श्रमिक कल्याण

9.144 एनडीएमए ने कोविड–19 से संबंधित प्रवासी लोगों, राहत शिविरों आदि के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से नियमित आधार पर लगातार फीडबैक प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, "कोविड–19 के फैलने से रोकने के लिए फंसे हुये प्रवासी लोगों और अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रदान की गई सहायता के ब्यौरों" से संबंधित आंकड़े एकत्र कर संकलित किये गये तथा उन्हें दिनांक 02.04.2020 से 10.08.2020 तक एनडीएमए कंट्रोल रूम द्वारा आगे गृह मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भेजा गया।

9.145 कोविड–19 को रोकने के लिए गैर–चिकित्सा और गैर–फार्मास्यूटिकल उपायों के संबंध में एनडीएमए ने दिनांक 08.05.2020, 11.05.2020, 09.10.2020,

15.10.2020 और 17.11.2020 को निम्नलिखित मुद्दों पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की:–

- कोविड–19 रोकथाम संबंधी उपायों की समीक्षा।
- समवर्ती आपदाओं की तैयारी।
- सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे।
- एसडीआरएफ से आवंटन और व्यय।

(II) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)

9.146 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 31.10.2006 को स्थापित ''राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)'' को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण एवं शिक्षा सहित क्षमता निर्माण, अनुसंधान, प्रलेखन और नीतिगत आयोजना की नोडल जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिनांक 16.10.2003 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के ''राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केन्द्र'' से अपग्रेड होकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) बनने के बाद यह संस्थान सभी स्तरों पर रोकथाम और तैयारी की संस्कृति को विकसित और प्रोत्साहित करके भारत को आपदारोधी तथा एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उभारने के अपने मिशन को पूरा करने की ओर तेजी से अग्रसर है। केंद्रीय गृह मंत्री इस संस्थान के अध्यक्ष हैं तथा इसके शासी निकाय की अध्यक्षता राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के उपाध्यक्ष करते हैं।

9.147(क) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, रोहिणी परिसर की स्थापना 52.81 करोड़ रु. की लागत से की जा रही है। उक्त परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। उक्त परिसर को एनडीसीसी भवन से रोहिणी परिसर में ले जाने के लिए एनआईडीएम में प्रक्रिया चल रही है।

9.147(ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दक्षिणी परिसर को 43.01 करोड़ रु. की लागत से कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। नवंबर, 2020 तक उक्त परिसर का 84% निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसे जनवरी, 2021 तक पूरा किये जाने का कार्यक्रम है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

9.148(क) दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान, एनआईडीएम, नई दिल्ली और एनआईडीएम, दक्षिणी परिसर ने ''सिसको वेबेक्स मोड (CISCO Web Ex Mode)'' के माध्यम से 332 वेबिनार आयोजित किए, जिनमें 106018 प्रतिभागियों ने भाग लिया। एनआईडीएम ने सिसको वेबेक्स मोड के माध्यम से 134 तीन – दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, जिनमें 60452 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, 31 (6 सप्ताह और 4 सप्ताह) ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे, जिनमें 2768 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था।

9.148(ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) जून, 2008 से राष्ट्रीय स्तर का पोर्टल चला रहा है, जिसका नाम "भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन)" है और जिसका आपदाओं के समय विभिन्न उपकरण, कुशल मानवीय संसाधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति संसाधन स्थापित करते हुए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा मोचन संबंधी योजना तैयार करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। हाल ही में, अत्याधुनिक वेब प्रौद्योगिकियों को शामिल करके तथा साथ ही मंच की स्वतंत्रता, समझने में सरल, इंटरैक्टिव एवं उपयोगकर्ता के अनुकूल, बेहतर सुरक्षा और धीमे इंटरनेट कनेक्शन पर भी कार्यनिष्पादन जैसी विशेषताओं को शामिल करके आईडीआरएन वेबपोर्टल का नवीनीकरण किया गया है। चुनौतियों का सामना करने के लिए, एनआईडीएम ने नए आईडीआरएन पोर्टल में सूचना को अपडेट करने के बारे में प्रत्येक जिला अधिकारी को शिक्षित करना शुरू किया है। इस संबंध में, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के जिलों को नए आईडीआरएन पोर्टल को समय पर और प्रभावशाली ढंग में अपडेट करने में सक्षम बनाने के लिए एनआईडीएम ने (29 जुलाई से 15 दिसम्बर, 2020 के दौरान) भारत के 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु आईडीआरएन के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। सूची संसाधन नेटवर्क की तैयारी को गति प्रदान करने के उद्देश्य से एनआईडीएम ने नए आईडीआरएन पोर्टल पर बहु–जिला ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत के 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लगभग 2880 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(III) राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ)

9.149(क) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में, गृह मंत्रालय ने आपदाओं अथवा आपदा जैसी स्थितियों में विशेष कार्रवाई करने के उद्देश्य से ''राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ)'' का गठन किया है। एनडीआरएफ को वर्ष 2006 में 08 बटालियनों के साथ गठित किया गया था। इन बटालियनों को संवेदनशीलता के प्रोफाइल के आधार पर देश के भिन्न–भिन्न भागों में तैनात किया गया था। वर्ष 2010 में 02 और बटालियनें बनाई गईं थी और बाद में, वर्ष 2015 में भी 02 अतिरिक्त बटालियनें बनाई गई हैं। अब तक, एनडीआरएफ में 12 बटालियनें हैं, जिनमें प्रत्येक में 1149 कार्मिक हैं। यह बल सभी प्रकार की प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं जैसे कि रासायनिक, जैविक, रेडियो–धर्मी, आणविक (सीबीआरएन) आपदाओं से निपटने के लिए अपने आप में सक्षम, ओजस्वी, बहु–कौशलयुक्त, उच्च तकनीक से परिपूर्ण एकमात्र बल के रूप में उभरा है। ये 12 बटालियनें भटिंडा (पंजाब), गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), पटना (बिहार), गुवाहाटी (असम), वडोदरा (गुजरात), पुणे (महाराष्ट्र), अराक्कोनम (तमिलनाडु), विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), मुंडाली (ओडिशा), हरिनघाटा (पश्चिम बंगाल), वाराणसी (उत्तर प्रदेश) और दोइमुख (अरुणाचल प्रदेश) में तैनात हैं। इसके अतिरिक्त, एनडीआरएफ की टीमों को आपदाओं के मामले में कार्रवाई में लगने वाले समय को कम करने के लिए 28 भिन्न–भिन्न रणनीतिक स्थानों में तैनात किया गया है। सरकार ने अगस्त, 2018 में एनडीआरएफ की चार (04) अतिरिक्त बटालियनों के गठन का अनुमोदन प्रदान किया है।

9.149(ख) अगस्त, 2018 में, आपदा मोचन को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 04 अतिरिक्त बटालियनों के गठन को अनुमोदन प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 15.10.2018 को, सरकार ने 637 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से एनडीआरएफ की इन अतिरिक्त 04 बटालियनों का गठन किये जाने को अनुमोदन प्रदान किया था। इन 04 बटालियनों को जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) दिल्ली में तैनात किया जाएगा।

9.150 इन चार बटालियनों में से, असम राइफल से प्रथम बटालियन को 13वीं बटालियन एनडीआरएफ के रूप में गठित किया गया है और इसे लाधोवाल, लुधियाना (पंजाब) में अस्थाई तौर तैनात किया गया है। इस बटालियन हेतु भूमि आवंटित करने के लिए, एनडीआरएफ ने जम्मू एवं कश्मीर के उप–राज्यपाल एवं प्रधान सचिव से अनुरोध किया था। तथापि, अभी तक भूमि निर्धारित नहीं की गई है।

9.151 आईटीबीपी से दूसरी बटालियन ने एनडीआरएफ की 14वीं बटालियन के रूप में दिनांक 01.10.2020 को आरआरसी, नूरपुर, जिला कांगडा (हि.प्र.) में कार्य करना भी शुरू कर दिया है। हिमाचल सरकार द्वारा इस बटालियन के लिए तहसील–बाल्ह (बेहना), जिला मण्डी में प्रस्तावित भूमि को उपयुक्त पाया गया है, परन्तु इसका आवंटन अभी प्रतीक्षित है।

9.152 आईटीबीपी से तीसरी बटालियन ने एनडीआरएफ की 15वीं बटालियन के रूप में गाजियाबाद (उ.प्र.) स्थित 8वीं बटालियन, एनडीआरएफ के तैनाती वाले स्थान में एकत्र होना शुरू कर दिया है। इस बटालियन के लिए, दो (02) भूखंड, एक हल्द्वानी (संरक्षित वन्य भूमि) में और दूसरा सिडकुल, काशीपुर में अभिज्ञात किए गए हैं। महानिदेशक, एनडीआरएफ ने उपर्युक्त दो भूखंडों में से किसी एक भूखंड का आवंटन करने के लिए मुख्य सचिव, उत्तराखंड से अनुरोध किया था। अस्थाई आवास के लिए भी अनुरोध किया गया है। तथापि, राज्य से उत्तर की प्रतीक्षा है।

9.153 बीएसएफ से चौथी बटालियन को एनडीआरएफ की 16वीं बटालियन यूनिट के रूप में बीएसएफ द्वारा मार्च 2020–21 तक दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में गठित किया जाना है। इस बटालियन के लिए, एनडीआरएफ द्वारा गांव घुमनहेडा, नजफगढ़ में 242–14 बीघा, ग्राम सभा की भूमि अभिज्ञात की गई है और इसकी उपयुक्तता रिपोर्ट भी

प्रस्तुत कर दी गई है। इसके अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

एनडीआरएफ द्वारा खोज और बचाव अभियान

9.154 दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान, एनडीआरएफ की टीमों ने विभिन्न आपदाओं/आपातकालीन स्थिति के दौरान बचाव अभियान चलाए हैं और 32,456 बहुमूल्य जानों (2502 लोगों को बचाया गया और 29,954 लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया) और 8204 पशुओं को बचाया गया तथा 420 शव बरामद किए। इसके अतिरिक्त 'एम्फन एवं निसर्ग', निवार और बरेवी चक्रवातों के दौरान एनडीआरएफ की टीमों ने संभावित रूप से प्रभावित लोगों को बड़ी संख्या में सुरक्षित स्थान पर ले जाने में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पुदुचेरी और ओडिशा राज्यों के स्थानीय प्रशासन की सहायता की।

कोविड–19 से संबंधित कार्य

9.155 कोविड–19 वैश्विक महामारी को पूरे देश में फैलने से रोकने के लिए, एनडीआरएफ ने कोविड–19 के लक्षणों, सावधानी, ''क्या करें और क्या न करें'' के बारे में विमानपत्तनों, समुद्री बंदरगाहों, स्थलीय बंदरगाहों और विभिन्न अन्य विभागों में 1997 से अधिक कोविड–19 से जुडे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों के दौरान, 2,29,462 कार्मिकों को जागरूक बनाया गया है। कोविड–19 पर इन जागरूकता कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	स्थान	कार्यक्रमों की सं.	लाभार्थी
1.	विमानपत्तन	98	9753
2.	समुद्री–बंदरगाह	15	1490
3.	भू–बंदरगाह	08	875
4.	विमानपत्तनों को छोड़कर सीआईएसएफ कार्मिकों के लिए	23	2593
5.	उच्चतम न्यायालय	04	535
6.	संसद भवन	03	345
7.	अन्य विभाग/स्थान	1846	213871
कुल		**1997**	**229462**

9.156 दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 की अवधि के लिए एनडीआरएफ की ऑपरेशनल उपलब्धि का घटना–वार सार अनुलग्नक–XV में दिया गया है।

(IV) नागरिक सुरक्षा

9.157 नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत भारत या इसके किसी भू–भाग के किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, स्थान अथवा वस्तु पर किसी हवाई, भूमि, समुद्री अथवा अन्य स्थानों से होने वाले किसी शत्रु के हमले से सुरक्षा प्रदान करने अथवा ऐसे किसी हमले को रोकने/उसके प्रभाव को कम करने के लिए किए जाने वाले वे उपाय शामिल हैं, जो वास्तव में युद्ध नहीं हैं, भले ही ये उपाय ऐसे हमले के पूर्व, उसके दौरान अथवा उसके बाद किए जाएं। इसमें आपदा प्रबंधन हेतु किए गए उपाय भी शामिल हैं।

9.158 कुछ वेतन भोगी स्टाफ और संस्थापना, जिसमें आपातस्थिति में वृद्धि की जाती है, को छोड़कर, नागरिक सुरक्षा का गठन बुनियादी तौर पर स्वैच्छिक आधार पर किया जाता है। इस समय नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनाने का लक्ष्य 14.11 लाख रखा गया है, जिसमें से 5.38 लाख नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनाए जा चुके हैं।

9.159 देश में नागरिक सुरक्षा नीति तैयार करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए, असम को छोड़कर, पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अपनी नागरिक सुरक्षा सेवाओं में बढ़ोतरी, प्रशिक्षण तथा उपस्कर के लिए अधिकृत वस्तुओं पर उनकी राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय के 50% की प्रतिपूर्ति और असम सहित अन्य राज्यों द्वारा किये गए व्यय के 25% की प्रतिपूर्ति निर्धारित दरों के अनुसार

अनुदान सहायता के रूप में करती है। यह प्रतिपूर्ति अधिकृत वस्तुओं पर सहायता अनुदान के रूप में की जाती है। दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान, केन्द्र सरकार ने नागरिक सुरक्षा के गठन, उपस्कर और प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय के संबंध में 8.00 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की है।

9.160 नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीसीडी) की स्थापना राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर के कार्यों सहित नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड और अग्निशमन सेवाओं से संबंधित सभी नीतिगत और योजनागत मामलों को देखने के लिए गृह मंत्रालय में वर्ष 1962 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक नागरिक सुरक्षा का पदनाम बदलकर अब महानिदेशक (अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड) कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कॉलेज, नागपुर का राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, अकादमी में विलय हो गया, जो इस समय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के नियंत्रण में कार्य कर रहा है।

9.161 वर्तमान में, भारत सरकार द्वारा 263 जिले अधिसूचित किए गए हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्यों द्वारा 199 जिलों में स्थापित नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को सक्रिय किया गया है। ''द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग'' ने 'संकट प्रबंधन' नामक अपनी तृतीय रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि नागरिक सुरक्षा को उन सभी जिलों में गठित किया जाना चाहिए, जो न केवल शत्रु के हमलों बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी संवेदनशील हैं। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को अपने राज्यो में नागरिक सुरक्षा घटक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राजस्थान, मेघालय, दिल्ली, दमण एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली और केरल आदि जैसे कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने अग्रणी दर्जा प्राप्त किया है और अपने सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को 'नागरिक सुरक्षा जिले' के रूप में अधिसूचित किया है।

कोविड–19 वैश्विक महामारी में योगदान

9.162 कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की सरकारों ने सक्रिय रूप से नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों की सेवाओं का लाभ उठाया है और 1 लाख से अधिक नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक विभिन्न भूमिकाओं और क्षमताओं के साथ जमीनी स्तर पर तैनात किए गए हैं। ये समुदाय आधारित स्वंयसेवक राज्य का कोविड–19 वार रूम चलाने, स्वेब क्लेक्शन करने, क्वारंटीन सेंटरों में तैनात होने, भोजन, राशन एवं दवाओं इत्यादि की होम डिलिवरी करने आदि से लेकर पूरे देशभर में जमीनी स्तर के कार्य तक सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। वे कोविड–19 के विरुद्ध लड़ाई में स्थानीय/राज्य प्रशासन के लिए सच्चे **'कोरोना योद्धा'** के रूप में उभरकर सामने आए हैं और उन्होंने सच्चे **'बल बर्धक'** के रूप में कार्य किया है।

(V) होमगार्ड

9.163 'होमगार्ड' एक स्वैच्छिक बल है, जिसकी स्थापना भारत में दिसम्बर, 1946 में नागरिक अशांति एवं साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता करने के लिए की गई थी। बाद में, कई राज्यों द्वारा स्वैच्छिक नागरिक बल की अवधारणा को अपना लिया गया था। वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण के परिणामस्वरूप, केन्द्र ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को अपने मौजूदा स्वैच्छिक संगठनों को होमगार्ड के रूप में विदित एक वर्दीधारी स्वैच्छिक बल में विलय करने का सुझाव दिया था। होमगार्डों की भूमिका में कानून एवं व्यवस्था और आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति जैसे कि हवाई हमला, आग लगना, चक्रवात, भूकंप, महामारी आदि में समुदाय की सहायता करने, जरूरी सेवाएं बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने तथा कमजोर वर्गों की सुरक्षा करने में प्रशासन की सहायता करने, सामाजिक–आर्थिक एवं कल्याणकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने तथा नागरिक सुरक्षा कार्यों के निर्वहन में राज्य पुलिस के सहयोगी बल के रूप में कार्य करना शामिल है।

9.164 सीमावर्ती राज्यों में, ग्रामीण और शहरी होमगार्ड घटकों के अतिरिक्त, सीमा विंग होमगार्ड (बीडब्ल्यूएचजी) की बटालियनें भी गठित की गई हैं, जो सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सहायक के तौर पर कार्य करती हैं। देश में होमगार्डों की कुल अनुमानित संख्या 5.74 लाख है, जबकि

इसकी गठित नफरी 4.43 लाख है। यह संगठन केरल को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में फैला हुआ है।

(VI) अग्निशमन सेवा

9.165 आग की रोकथाम और उससे निपटने से संबंधित सेवाओं का संचालन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय, आग से बचाव, आग पर नियंत्रण, अग्निशमन कानून एवं प्रशिक्षण के बारे में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और केन्द्रीय मंत्रालयों को तकनीकी परामर्श देता है।

9.166 देश की जान और माल की सुरक्षा करने में अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले बहादुर अग्निशमन सेवा कार्मिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 14 अप्रैल, 2020 को पूरे देश में शहीद दिवस मनाया गया था। 21 जनवरी, 2021 को अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग द्वारा पूरे देश के प्रत्येक जिले के एक स्कूल में ''इवैक्यूएशन ड्रिल'' आयोजित की जाएगी, जिसमें 12,00,000 से अधिक विद्यार्थी, स्टाफ और राज्य अग्निशमन कर्मचारी भाग लेंगे। देशभर में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल, 2020 तक ''अग्निशमन सेवा सप्ताह'' मनाया गया। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग ने कॉलेज और स्कूलों में अग्नि सुरक्षा अभ्यासों, जागरूकता शिविरों, भाषणों और प्रदर्शनों का आयोजन किया है।

9.167 मार्च, 2017 माह के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने ''भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) 2016'' प्रकाशित की है। भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, भाग–IV "आग एवं जीवन सुरक्षा" सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को परिचालित की गई है, जिसमें उनसे अपने अग्नि सेवा अधिनियम में इसे शामिल करने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर

9.168 अग्निशमन सेवा के अधिकारियों को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय (एनएफएससी), नागपुर में प्रशिक्षित किया जाता है। यह महाविद्यालय पाम रोड, सिविल लाइन, नागपुर में स्थित ओल्ड सैटलमेंट कमिशनरेट बिल्डिंग में है, जिसमें अग्निशमन अभ्यासों और प्रदर्शनों का आयोजन करने के लिए पर्याप्त जगह है। इस महाविद्यालय के अग्निशमन इंजीनियरों को आग की रोकथाम और आग से सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और विदेशों में जॉब मिलता है। यह महाविद्यालय आपदा प्रबंधन के लिए अग्निशमन ग्राउंड अभियानों, वास्तविक जीवन में पराचिकित्सीय स्थितियों इत्यादि पर भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। महाविद्यालय में आग की रोकथाम और आग से बचाव के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक प्रशिक्षण देने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों, राज्य सरकारों, नगर निगमों, फायर ब्रिगेडों, पोर्ट ट्रस्टों, विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारियों का अतिथि संकाय पैनल मौजूद है।

माननीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर के नए परिसर का उद्घाटन किया

9.169 राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय के स्तरोन्नयन का कार्य पूरे जोर पर है और सिविल निर्माण के अधिकतर भागों का कार्य पूरा हो गया है।

9.170 माननीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने दिनांक 02.01.2020 को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर के नए परिसर का उद्घाटन किया है।

प्रशिक्षण गतिविधियां

9.171 इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल अवधि के दौरान प्रशिक्षण कैलेंडर में उल्लिखित निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए गएः–

(क) इस कॉलेज में संभागीय अधिकारियों का पाठ्यक्रम

(ख) इस कॉलेज में स्टेशन अधिकारियों एवं प्रशिक्षकों का पाठ्यक्रम

(ग) उप–अधिकारियों का बाह्य पाठ्यक्रम – आरटीसी–गुवाहाटी, नई दिल्ली, गोवा, भुवनेश्वर और कोलकाता

(घ) इस कॉलेज में वर्ष 2015 से बीई (फायर) पाठ्यक्रम चल रहा है।

अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और सिविल डिफेंस हेतु पदक

9.172 अग्निशमन सेवाओं, सिविल डिफेंस और होम गार्ड कार्मिकों के उत्कृष्ट योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार वर्ष में दो बार अर्थात् गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर वीरता और सेवा पदक प्रदान करती है। स्वतंत्रता दिवस, 2020 के अवसर पर, अग्निशमन सेवा, होम गार्डों और सिविल डिफेंस कार्मिकों को 113 पदक प्रदान किए गए थे।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी

9.173(क) भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) अकादमी, नागपुर के साथ राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज (एनसीडीसी) का विलय कर दिया है। श्री अमित शाह, माननीय गृह मंत्री ने सूरादेवी, नागपुर में एनडीआरएफ अकादमी का निर्माण करने के लिए दिनांक 02.01.2020 को इसकी आधारशिला रखी और तत्पश्चात, नये परिसर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

9.173(ख) एनडीआरएफ अकादमी का लक्ष्य निम्नलिखित को प्रशिक्षण प्रदान करना हैः

- एनडीआरएफ की विभिन्न बटालियनों के कार्मिक
- एसडीआरएफ कार्मिक
- नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक/कर्मचारी
- होमगार्ड कार्मिक
- राज्य पुलिस कार्मिक
- पीएसयू कार्मिक
- रेलवे कर्मचारी
- अग्निशमन सेवा कार्मिक
- एनसीसी कैडेट
- राष्ट्रों के सशस्त्र बल
- स्कूल/शैक्षणिक संस्थान
- पशु आपदा प्रबंधन के लिए पशु चिकित्सक
- नेपाल सशस्त्र पुलिस
- राज्य प्रशासन और कर्मचारी
- आपदाओं के समय कार्रवाई करने वाले अन्य स्टेकहोल्डर

9.173(ग) वर्ष 2020 के दौरान, उपर्युक्त अकादमी में 920 कार्मिक (एनडीआरएफ–446, एसडीआरएफ–188, सीएपीएफ–32 और नागरिक सुरक्षा–254) प्रशिक्षित किए गये हैं।

9.173(घ) आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए अकादमी देश के कमजोर वर्गों के क्षमता निर्माण का कार्य भी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई के दौरान बेहतर समन्वय के लिए, अकादमी अन्य देशों की "आपातकाल प्रबंधन एजेंसियों" के साथ विभिन्न अभ्यास/प्रदर्शन भी आयोजित कर रही है।

आपदा प्रबंधन परियोजनाएं/क्रियाकलाप

(क) राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (एनसीआरएमपी)

9.174 भारत सरकार ने चक्रवात के खतरे की संभावना वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चक्रवातों के प्रभावों को

कम करने और वहां कोस्टल ईको–सिस्टम के संरक्षण के अनुरूप लोगों और अवसंरचना को आपदा–रोधी बनाने के समग्र उद्देश्य से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (एनसीआरएमपी) का अनुमोदन किया था। इस परियोजना के चार घटक हैं अर्थात् (i) घटक 'क': अंतिम मील कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करते हुए पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली; (ii) घटक 'ख': चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण अवसंरचना जैसे कि बहु प्रयोजनीय चक्रवात आश्रय स्थल (निकासी/पहुंच मार्ग/पुलों, सैलाइन एम्बार्कमेंट तथा अंडरग्राउंड केबलिंग); (iii) घटक 'ग': बहु आयामी आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण और (iv) घटक 'घ': परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता। घटक क, ग और घ का केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त–पोषण किया जाता है और घटक ख का वित्त–पोषण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में किया जाता है। केंद्र सरकार के घटक का वित्त–पोषण विश्व बैंक सहायता (ऋण) के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। इस परियोजना का अनुमोदन निम्नलिखित दो चरणों में केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के रूप में किया गया था।

9.175 एनसीआरएमपी के प्रथम चरण का अनुमोदन जनवरी, 2011 में 1496.71 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों के लिए किया गया था, जिसे 5 वर्षों में पूरा किया जाना था। वर्ष 2013 में चक्रवात फैलिन से प्राप्त अनुभव के परिणामस्वरूप, अतिरिक्त अवसंरचना को शामिल करके एनसीआरएमपी चरण–I के लागत अनुमान को संशोधित करके जुलाई, 2015 में 2331.71 करोड़ रुपए कर दिया गया और इसे पूरा करने की तारीख को संशोधित करके 31.03.2018 कर दिया गया। परियोजना राज्यों से प्राप्त अतिरिक्त अनुरोधों पर विचार करने के बाद, परियोजना लागत में मई, 2017 में पुनःसंशोधन करके उसे 2541.60 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसके पूरा होने की तारीख 31.12.2018 थी। एनसीआरएमपी का प्रथम चरण पूरा हो गया है।

9.176 एनसीआरएमपी के चरण–II का अनुमोदन जुलाई, 2015 में 2361.35 करोड़ रुपए की लागत से गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए प्रदान किया गया था और परियोजना को पूरा करने की तारीख 15.03.2021 रखी गई थी। तथापि, परियोजना की लागत को आगे संशोधित करके जनवरी, 2020 में 2691 करोड़ रु. कर दिया गया है, जिसकी पूरा होने की तारीख 15 मार्च, 2021 है। परिव्यय को आगे और संशोधन करके 2059.83 करोड़ रु. कर दिया है, जिसकी पूरा होने की तारीख 30.09.2022 है।

9.177 एनसीआरएमपी के चरण–II के अधीन, दिनांक 31.12.2020 तक केंद्र के अंशदान के रूप में राज्यों को 1148.08 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी और वर्ष 2020–21 के दौरान, राज्यों को 49.94 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

9.178 दोनों चरणों में, दिनांक 31.12.2020 तक बहु–प्रयोजनीय चक्रवात–रोधी 719 आश्रय स्थल, 1291.52 किमी. लंबी सड़कें, 89.12 किमी. लवण तटबंध, 578.74 किमी. अंडरग्राउंड केबलिंग और 34 पुल के निमार्ण कार्य पूरे किये गए थे। वर्ष 2020–21 के दौरान, दिनांक 31.12.2020 तक बहु–प्रयोजनीय चक्रवात–रोधी 06 आश्रय स्थल, 1.00 किमी. लंबी सड़क और 164.916 किमी. अंडरग्राउंड केबलिंग का निर्माण किया गया था।

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	31.12.2020 तक वास्तविक	1 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 तक अनुमानित वर्ष	2020–2021 के दौरान कुल
1	एमपीसीएस (सं.)	719	3	9
2	सड़क (किमी.)	1291.52	–	1
3	यूजीसी (किमी.)	578.74	50	215.74
4	पुल (सं.)	34	01	01
5	एसई (किमी.)	89.12	0	0

ख. अन्य आपदा प्रबंधन कार्यक्रम (ओडीएमपी)

(i) आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडई फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन

9.179 2010.6 लाख रु. की लागत वाली इस स्कीम में 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के एसडीएमए हेतु अन्य बातों के साथ–साथ एक लाख रु. प्रतिमाह की दर पर एक आपदा प्रबंधन (डीएम) पेशेवर रखने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। यह डीएम पेशेवर "आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी सेंडाई फ्रेमवर्क" के कार्यान्वयन हेतु उपाय करने के लिए राज्य प्रशासन को सुविधा/सहायता प्रदान करेगा। इस स्कीम को वर्ष 2018–19 में इसके शुरू होने की तारीख से तीन वर्षों के लिए इसके कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत 715.74 लाख रु. की राशि जारी की गई है।

(ii) अभिज्ञात 115 पिछड़े जिलों में से जोखिम संभावित जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) का सुदृढ़ीकरण

9.180 28.98 करोड़ रु. की लागत वाली इस स्कीम में 27 राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के जोखिम संभावित प्रत्येक जिले में स्कीम की अवधि के दौरान 70,000/– रु. प्रतिमाह की दर पर एक आपदा प्रबंधन (डीएम) पेशेवर रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह डीएम पेशेवर आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी सेंडई फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन हेतु उपाय करने के लिए जिला प्रशासन को सुविधा/सहायता प्रदान करेगा। इस स्कीम को वर्ष 2018–19 में इसके शुरू होने की तारीख से तीन वर्षों के लिए कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत 898.10 लाख रु. की राशि जारी की गई है।

(iii) भारत में 25 राज्यों के सर्वाधिक बाढ़ संभावित 30 चयनित जिलों में आपदा कार्रवाई के संबंध में सामुदायिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण की स्कीम – आपदा मित्र

9.181 एनडीएमए ने सामुदायिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के लिए मई, 2016 में एक स्कीम का कार्यान्वयन किया था, जो भारत के 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के सर्वाधिक बाढ़ संभावित 30 चयनित जिलों में बाढ़ को ध्यान में रखते हुए आपदा कार्रवाई के संबंध में 6000 सामुदायिक स्वयंसेवकों (200 स्वयंसेवक प्रति जिला) के प्रशिक्षण पर केंद्रित है। यह स्कीम दिनांक 31.12.2020 को समाप्त हो गई थी।

9.182 इस स्कीम के अंतर्गत असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) शामिल हैं।

9.183 इस स्कीम का लक्ष्य सामुदायिक स्वयंसेवकों को किसी आपदा के पश्चात अपने समुदाय की तत्कालीन आवश्यकताओं के प्रति कार्रवाई करने के लिए अपेक्षित कौशल प्रदान करना है, जिससे वे बाढ़, तेज बाढ़ और शहरी बाढ़ जैसी आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान बुनियादी राहत और बचाव कार्य करने में सक्षम बनेंगे।

9.184 अब तक, 5386 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को जिला प्रशासन/राज्य सरकार के मार्गदर्शन में वर्ष 2018, 2019 और 2020 में तलाश और बचाव संबंधी कार्यों में लगाया गया था।

9.185 प्रशिक्षित स्वयंसेवकों द्वारा निभाई गई/निभाई जा रही भूमिकाएं उल्लेखनीय हैं, जिनकी संबंधित राज्यों/जिलों द्वारा कथित तौर पर प्रशंसा की गई है।

(iv) भारत के 350 जिलों में आपदा मित्र स्कीम के पैमाने को बढ़ाना

9.186 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के सकारात्मक फीडबैक और ठोस सिफारिशों के आधार पर तथा पूरे देश में स्थानीय क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से, एनडीएमए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में आपदा मित्र स्कीम के पैमाने को बढ़ाने की योजना बना रहा है, ताकि आपदा

कार्रवाई, समन्वय, सहायता आदि के संबंध में जीवनरक्षक कौशल प्रदान करने के लिए पूरे देश में बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन और भूकंप के सर्वाधिक संभावित 350 चयनित जिलों में 1,00,000 स्वयं सेवकों का एक पूल बनाकर उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके। सरकार के अनुमोदन के पश्चात इस स्कीम के शीघ्र शुरू किए जाने की संभावना है।

(v) कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) पायलट प्रोजेक्ट

9.187 इस परियोजना से किसी भौगोलिक क्षेत्र के लोगों को एसएमएस के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा में चेतावनी देना सुगम बन जाएगा। तमिलनाडु राज्य में सभी टीएसपी पर एसएमएस के माध्यम से चेतावनियों का प्रसारण और सेल ब्रॉडकास्ट के लिए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट का कार्यान्वयन किया गया है। इस परियोजना की लागत 15 करोड़ रु. है। दिनांक 16.01.2020 को एनडीएमए और सीडीओटी के बीच एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। एसएमएस की जांच और सेल ब्रॉडकास्ट का विश्लेषण तथा परियोजना संबंधी गतिविधियों की समाप्ति आदि का कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना की दिनांक 20.03.2021 तक पूरा होने की संभावना है।

कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) पैन इंडिया प्रोजेक्ट

9.188 कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकोल (सीएपी) एक आईटीयू–मानदंड वाला प्लेटफार्म है, जो भौगोलिक दृष्टि से निर्धारित श्रोताओं को कई जोखिमों के बारे में क्षेत्रीय भाषा में चेतावनियां भेजता है। इसमें एसडीएमए के माध्यम से चेतावनी देने वाली एजेंसियां अर्थात् आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, एसएएसई, आईएनसीओआईएस आदि द्वारा विभिन्न संचार माध्यमों अर्थात् टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, संकेतकों, सायरनों आदि का उपयोग किया जाता है। एसडीएमए चेतावनी देने वाली एजेंसियों से प्राप्त चेतावनी को मोडरेट करता है और फिर इसे सीएपी प्लेटफार्म के माध्यम से लक्षित श्रोताओं को भेज देता है। श्रोता को उसके पास उपलब्ध किसी भी माध्यम से चेतावनी के बारे में पता चलता है और वह समय पर सुरक्षात्मक उपाय कर सकता है। इससे समाज को बड़ी मात्रा में लाभ पहुंचता है और यह दुर्घटना दर को कम करके नागरिकों के जीवन को आसान बनाता है। एनडीएमए, दूरसंचार विभाग (डीओटी) और सेंटर फोर डेवेलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी–डॉट) की सहायता से अखिल भारतीय आधार पर इस प्रणाली की अवधारणा को तैयार करने और इसके कार्यान्वयन से संबंधित कार्य कर रहा है। परियोजना प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए सभी स्टेकहोल्डर संगठनों अर्थात् एनडीएमए, रेलवे, डीओटी, सी–डॉट, आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, एनआईसी, आईएनसीओआईएस, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दूरदर्शन, आकाशवाणी, एसएएसई और एनएचएआई के सदस्यों को शामिल करके एक संचालन समिति और एक तकनीकी उप–समिति गठित की गई थी। उपर्युक्त परियोजना का वित्तपोषण राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) की तैयारी एवं क्षमता संवर्धन विंडो से किया जाएगा।

(vi) सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार

9.189 उक्त पुरस्कार "सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार" एनडीएमए द्वारा वर्ष 2018–19 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र जैसे कि रोकथाम, शमन, तैयारी, बचाव, कार्रवाई, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान/खोज अथवा पूर्व चेतावनी आदि में भारत के व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष संबंधित 'व्यक्ति/संस्थान' को दिया जाता है। चालू वर्ष 2020–21 के लिए नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया दिनांक 30.09.2020 को पूरी हो गई है। आवश्यक जांच के बाद, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के भावी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नामों का चयन करने के लिए दिनांक 26.12.2020 को निर्णायक समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस पुरस्कार की घोषणा दिनांक 23.01.2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर की गई है। वर्ष 2021 के लिए, (i) सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसायटी (संस्थागत श्रेणी में) और (ii) डॉ. राजेन्द्र कुमार भंडारी (व्यक्तिगत श्रेणी में) को आपदा प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इस पुरस्कार हेतु चुना गया है।

(vii) एलबीएसएनएए, मसूरी में आईएएस और केंद्रीय सेवा के अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन के संबंध में क्षमता निर्माण परियोजना

9.190 एनडीएमए वित्त वर्ष 2017–18 से इस परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका लक्ष्य प्रतिवर्ष 950 आईएएस/केंद्रीय सेवा के अधिकारियों को आपदा प्रबंधन केंद्र (सीडीएम), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी में आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के बारे प्रशिक्षण प्रदान करना है और आपदा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों का मामलागत अध्ययन करना है। इस परियोजना के अंतर्गत सम्पादित की जा रही गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

(क) तीन वर्षों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 2850 अधिकारियों के कुल लक्ष्य की तुलना में 3268 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया (वित्त वर्ष 2017–18 में 1099; वित्त वर्ष 2018–19 में 1077; और वर्ष 2019–20 में 1092)

(ख) किये गये मामलागत अध्ययन, प्रथमतः केरल बाढ़ – 2018: कारणों की जांच और जोखिम न्यूनीकरण की रणनीति के संबंध में और द्वितीय – आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हीट वेवः हीट वेव दिशानिर्देशों और कार्ययोजना की प्रभावकारिता के संबंध में ।

(ग) विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम विशिष्ट अध्ययन सामग्रियां और प्रशिक्षण सामग्रियां तैयार की गई हैं।

(घ) भारत में आपदा प्रशासन के संबंध में मामलागत अध्ययन की पुस्तकें – संस्करण 4, 5 और 6; तथा आपदा कार्रवाई प्रबंधन के संबंध में खण्ड – 5, 6 और 7 प्रकाशित किये गये हैं।

(viii) 60 शहरों के लिए भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक (ईडीआरआई–II)

9.191 भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक तैयार करने के लिए एनडीएमए द्वारा पूर्व में कराये गये अध्ययन कार्य के अनुसरण में, परियोजना के अगले चरण की आयोजना पूर्ववर्ती एक शहर के अलावा 60 नए शहरों के लिए आपदा जोखिम सूचकांक के मूल्यांकन हेतु की गई है। इस कार्य के चरण–II का कार्य 116.2 लाख रुपये की लागत से मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी), जयपुर को सौंपा गया है, जिसके पूरा होने की अवधि 24 माह है। ये 60 शहर जोन IV एवं V से चुने जाने हैं और इन शहरों का चुनाव अधिक जनसंख्या घनत्व और आवास की दृष्टि से खतरे के क्षेत्र आदि पर आधारित होगा। अध्ययन से प्राप्त होने वाले जोखिम सूचकांक में मुख्य रूप से उस शहर के लिए खतरा, संवेदनशीलता और एक्सपोजर का समावेश होगा। यह प्रत्येक शहर को उसके समक्ष आने वाले जोखिम के बारे में सूचना प्रदान करेगा और शहरों के बीच जोखिम की अंतर–तुलना प्रस्तुत करेगा तथा उनको आने वाले जोखिम से बचने के लिए आपदा तैयारी करने और उपायों के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

(ix) प्राइमर ऑन रेपिड विजुअल स्क्रीनिंग (आरवीएस)

9.192 आरवीएस प्राइमर के लिए 2,36,470 रु. की लागत का अनुमोदन प्रदान किया गया था। प्राइमर ऑन रेपिड विजुअल स्क्रीनिंग को एनडीएमए द्वारा आईआईटी हैदराबाद के माध्यम से तैयार किया गया था, जिसमें 7 बिल्डिंग टाइपोलॉजी के लिए भूकंप पूर्व और भूकंप पश्चात का स्तर–1 आकलन शामिल है। भूकंप पूर्व स्तर–1 आकलन के लिए इन सात आरवीएस प्रारूपों को भूकंप पश्चात के प्रारूपों की तर्ज पर विकसित किया जाता है। इन प्रपत्रों को भवनों की विभिन्न विशेषताओं को बताने के लिए रेड, येलो और ग्रीन रूप में तैयार किया जाता है। किसी भवन का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करने तथा भवनों की उच्च विशेषताओं जैसे कि भवन का प्रकार, भूकंपीय जोन, मृदा की स्थिति, होरिजेंटल एवं वर्टिकल अनियमितताएं, भवनों की साफ नजर आने वाली गुणवत्ता और भवनों की भूकंपीय क्षमता को प्रभावित करने वाले छोटे स्तम्भों को पहचानने के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा इन्हें आधारभूत दस्तावेज के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह भवनों में निवास करने वाले और साथ ही खतरे उत्पन्न करने वाले ढ़ांचे, जिससे

भूकम्प के दौरान विनाश हो सकता है, की उपस्थिति के बारे में सूचना प्रदान करता है। उक्त दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर 13 अक्टूबर को जारी किया गया था।

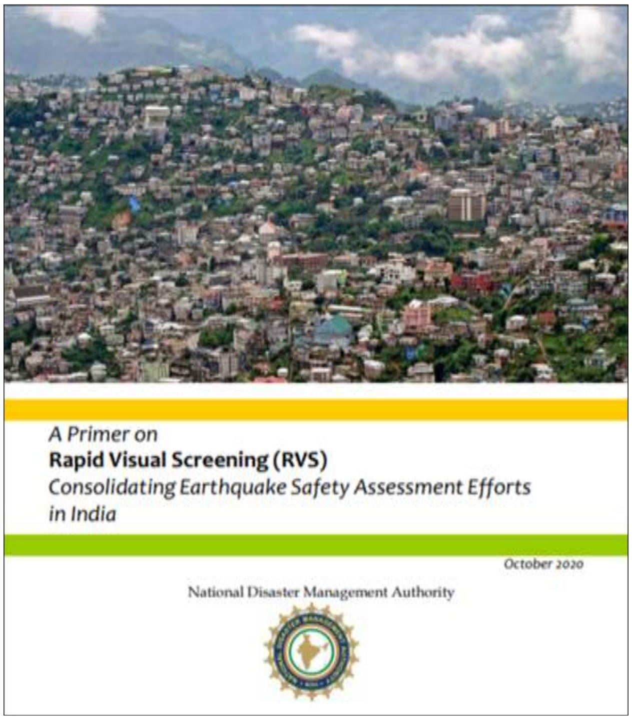

(स्रोतः एनडीएमए)

(x) हरिद्वार–बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तराखंड के तपोवन – व्यासी कोरिडोर के लिए मेसो लेवल 1:10,000 स्केल यूजर फ्रेंडली एलएचजेड मैप और भूस्खलन संबंधी वस्तुसूची तैयार करना

9.193 एनडीएमए ने रिमोट सैंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (आरएसएसी) – उत्तर प्रदेश के सहयोग से दिनांक 21.05.2018 को "हरिद्वार–बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तराखंड के तपोवन – व्यासी कोरिडोर के लिए मेसो लेवल 1:10,000 स्केल यूजर फ्रेंडली एलएचजेड मैप और भूस्खलन संबंधी वस्तुसूची तैयार करने" संबंधी पायलट परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), आईआईटी – रुड़की और उत्तराखंड सरकार अपनी जानकारियां प्रदान कर रही है। हाई रिजोल्यूशन सेटेलाइट डाटा के माध्यम से 1:10,000 स्केल के भूस्खलन जोखिम क्षेत्रीयकरण (एलएचजेड) मैप और भूस्खलन संबंधी वस्तुसूची तैयार करने का कार्य चल रहा है।

9.194 इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 35.13 लाख रुपये है; जिसमें से आरएसएसी– यूपी और आईआईटी–रुड़की को 25.52 लाख रु. जारी कर दिए गए थे। परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैः

9.195 भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) ने तपोवन से व्यासी मार्ग कोरिडोर पर 0.5 किमी. बफर सड़क समेत 27.3 किमी. सड़क खण्ड के संबंध में 1:10,000 स्केल और 5 मीटर वाले कंटूर अंतराल का बेस डाटा प्रदान किया।

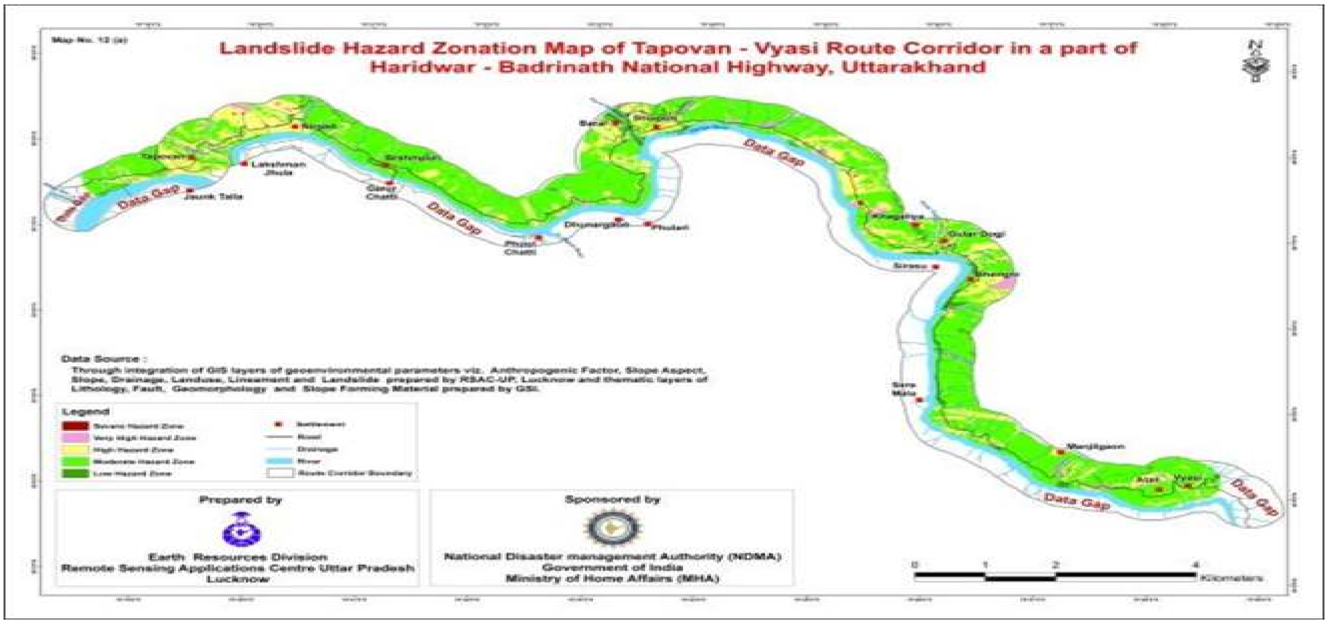

(स्रोतः आरएसएसी–यूपी)

9.196 हाई रेजोल्यूशन सेटेलाइट डाटा से सड़क, बस्तियों, नालियों, एक्टिव स्लाइड्स आदि की थीमैटिक लेयर का कार्य पूरा हो गया है।

9.197 आरएसएसी – यूपी और जीएसआई (उत्तराखंड राज्य इकाई) की टीम ने दिसम्बर, 2018 और अक्टूबर, 2019 माह में उक्त स्थान का दौरा किया। आईआईटी–रुड़की के अनुसंधानकर्ताओं के साथ जीएसआई ने फरवरी, 2020 और जून, 2020 में उक्त स्थान का स्थलीय दौरा किया है।

9.198 आरएसएसी – यूपी द्वारा जीआईएस थीमैटिक लेयर्स का एकीकरण और आईआईटी–रुड़की द्वारा नमूनों की जांच का कार्य चल रहा है।

(xi) कम लागत वाली "भूस्खलन मॉनीटरिंग सॉल्यूशन" का विकास और मूल्यांक

9.199 माइक्रो इलैक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम (एमईएमएस) आधारित सेंसर्स प्रौद्यौगिकी के माध्यम से भूस्खलन मॉनीटरिंग के लिए कम लागत वाले संसरों और अन्य उपकरणों के विकास हेतु आईआईटी मण्डी के साथ सहयोग करके "कम लागत वाली भूस्खलन मॉनीटरिंग सॉल्यूशन का विकास और मूल्यांकन" से संबंधित एक पायलट परियोजना को एनडीएमए द्वारा दिनांक 04.12.2017 को अनुमोदन प्रदान किया गया था और यह परियोजना दिसम्बर, 2020 में पूरी हो गई थी।

(स्रोतः आईआईटी – मण्डी)

9.200 इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 27.85 लाख रुपये है; जिसमें से आईआईटी– मण्डी को 25.99 लाख रु. जारी कर दिए गए थे।

(xii) भू–स्खलन जोखिम शमन स्कीम (एलआरएमएस)

9.201 स्थान विशिष्ट भू–स्खलन न्यूनीकरण हेतु भू–स्खलन संभावित राज्य को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एनडीएमए ने जुलाई, 2019 में एसडीएमए/डीडीएमए के आपदा जोखिम शासन प्रणाली में सुधार के अंतर्गत "भू–स्खलन जोखिम शमन स्कीम (एलआरएमएस)" को अनुमोदन प्रदान किया है। एलआरएमएस एक पायलट स्कीम है, जो भू–स्खलन मॉनीटरिंग, जागरूकता फैलाने, क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण आदि के साथ–साथ भू–स्खलन न्यूनीकरण के उपायों से होने वाले लाभ को प्रदर्शित करेगी।

9.202 उक्त स्कीम के कार्यान्वयन हेतु सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

9.203 उक्त स्कीम की कुल लागत 43.92 करोड़ रु. है; जिसमें से मौके पर भू–स्खलन उपशमन संबंधी कार्य के निष्पादन हेतु आज तक सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और उत्तराखंड को 19.74 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं।

(xiii) विमानपत्तनों और बंदरगाहों के लिए सीबीआरएन प्रशिक्षण

9.204 विमानपत्तन और बंदरगाह के आपातकालीन प्रबंधकर्ताओं के लिए एनडीएमए द्वारा सीबीआरएन (रासायनिक, जैविक, विकिरण और नाभिकीय) आपात प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अब तक, ऐसे कुल 25 प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य 40 विमानपत्तनों/बंदरगाह के प्रवेश स्तरीय कर्मचारियों के लिए सीबीआरएन आपात प्रबंधन पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा एसएफसी को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। सीबीआरएन आपात प्रबंधन के बेसिक प्रशिक्षण पर एक दिवसीय संकाय बैठक, जो जनवरी–2020 में आयोजित की गई थी, के दौरान इस बैठक से और साथ ही अन्य स्टेकहोल्डरों से प्राप्त फीडबैक से यह तथ्य सामने आया था कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पद्धति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तदनुसार निम्नलिखित पद्धति में प्रशिक्षण प्रस्तावित किए गए थे:–

- वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के लिए सीबीआरएन आपात प्रबंधन पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम–6 बैच
- 5 दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण – 9 बैच
- बेसिक प्रशिक्षण – 25 बैच

9.205 सीबीआरएन (रासायनिक, जैविक, विकिरण और नाभिकीय) आपात प्रबंधन पर प्रथम बेसिक प्रशिक्षण 4–6 नवम्बर, 2020 के दौरान बैंगलोर विमानपत्तन, कर्नाटक में आयोजित किया गया। बीआईएएल के विभिन्न विभागों के कुल 34 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। आपातकाल प्रबंधन के लिए एनडीआरएफ की टीम ने उपकरणों पर प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शन भी किया और बाद में, मॉक अभ्यास आयोजित किए।

क्र.सं.	मद/परियोजना/स्कीम का नाम	कुल परियोजना लागत (लाख रुपये में)	दिनांक 11.11.2020 तक व्यय (लाख रुपये में)	दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक अनुमानित (लाख रुपये में)
1	विमानपत्तनों और बंदरगाहों के लिए सीबीआरएन प्रशिक्षण	250	19.41	100

(xiv) क्षमता निर्माण – आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी)

9.206 इस परियोजना के अंतर्गत उपकरण की खरीद करने और ईओसी से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक बारगी वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के आपातकालीन संचालन केंद्रों (ईओसी) को बेहतर बनाना प्रस्तावित किया गया है। परियोजना की लागत 5 करोड़ रु. है। 22 राज्यों को परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उनकी आवश्यकता के आधार पर दिनांक 28.11.2019 को निधियां हस्तांतरित की गई हैं। उक्त परियोजना चल रही है और इसकी दिनांक 31.03.2021 तक पूरा होने की संभावना है।

(xv) आपातकालीन कार्रवाई वाले सचल वाहन (ईआरएमवी)

9.207 उक्त परियोजना में संचार उपकरण से सुसज्जित कार्रवाई करने वाले वाहनों के डिजाइन और विकास की परिकल्पना की गई है। आपदा स्थलों से स्टेकहोल्डरों/फर्स्ट रिस्पोंडर के लिए बैकवर्ड कम्यूनिकेशन को सुगम बनाने हेतु इन वाहनों को शीघ्र ही आपदा स्थलों पर तैनात किया जा सकता है। परियोजना की लागत 5 करोड़ रु. है। यह परियोजना एनडीआरएफ द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। एनडीएमए और एनडीआरएफ के बीच दिसम्बर, 2019 माह में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त परियोजना के दिनांक 31.03.2021 तक पूरा होने की संभावना है।

(xvi) आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली (112 ईआरएसएस) का विस्तार

9.208 नागरिकों की विभिन्न आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए भारत सरकार एक सिंगल आपातकालीन नम्बर 112 और वेबपोर्टल के साथ एक एकीकृत आपात कार्रवाई प्रणाली शुरू करने का उद्देश्य रखती है। नागरिकों से वॉयस कॉल, एसएमएस, ईमेल, पैनिक एसओएस सिग्नल, ईआरएसएस वेबपोर्टल आदि के माध्यम से प्राप्त होने वाले सभी आपातकालीन सिग्नलों

का निवारण करने के लिए वर्तमान आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) को तैयार किया गया है। वर्तमान में, ईआरएसएस महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण, पुलिस, आग और चिकित्सा से संबंधित आपातकालीन स्थितियों में जरूरतों को पूरा करती है। एनडीएमए ने "आपदा संबंधी आपातकालों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईआरएसएस (112 ईआरएसएस) का विस्तार" नामक एक नई परियोजना शुरू की है। आपदा से संबंधित आपातकालों का निवारण राज्य आपात संचालन केंद्रों (एसईओसी) द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना में, आपदा संबंधी आपातकालीन इनकमिंग कॉलों को ईआरएसएस की मौजूदा अवसंरचना का प्रयोग करके संबंधित मेटाडाटा के साथ आगे कार्रवाई के लिए एसईओसी को भेजा जाएगा। इस परियोजना का वित्तपोषण राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) की "तैयारी और क्षमता संवर्धन विंडो" से पूरा करने के लिए इसके प्रस्ताव को अनुमोदन समिति की जांच के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

ग. मॉक अभ्यास (एमई)/ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण एवं टेबल टॉप अभ्यास

9.209 कोविड–19 वैश्विक महामारी के फैलने के कारण, एनडीएमए ने उन विशेष खतरों को, जो संवेदनशील हैं, ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास (टीटीईएक्स) मॉड्यूल तैयार किया है, क्योंकि भौतिक मॉक अभ्यास (एमई) आयोजित करना न तो व्यवहार्य है और न ही उचित है। इसलिए, उन विशेष खतरों को, जो संवेदनशील हैं, ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास (टीटीईएक्स) आयोजित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से एक अनुकूल तारीख बताने का अनुरोध किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से समय–समय पर प्राप्त हुए अनुरोधों के अनुसार, वर्ष 2020–2021 के लिए एक कैलेंडर तैयार किया गया है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में 24 ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास (टीटीईएक्स) आयोजित किए गए हैं।

एनडीआरएफ द्वारा जिला–स्तरीय मॉक अभ्यास

9.210 एनडीआरएफ द्वारा देश के प्रत्येक जिले में मॉक अभ्यास (एमई) का आयोजन करने के लिए विषयवस्तु और तौर–तरीकों पर चर्चा करने और उन्हें अंतिम रूप प्रदान करने हेतु 10 सितम्बर, 2020 को सदस्य सचिव, एनडीएमए की अध्यक्षता में एनडीआरएफ के महानिदेशक और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। आगामी 3 वर्षों में देश के सभी जिलों में मॉक अभ्यास चरणबद्ध ढंग से आयोजित करने के तौर तरीकों और कैलेंडर से संबंधित प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए एनडीआरएफ को सुकर बनाया गया है। तदनुसार, मॉक अभ्यास का आयोजन करने और 154 जिलों को शामिल करते हुए वर्ष 2020–21 (चरण– I) के लिए वार्षिक एमई कैलेंडर के प्रस्ताव को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है तथा इसे जिला प्राधिकरणों और सभी संबंधित स्टेकहोल्डरों की सक्रिय भागीदारी के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को अग्रेषित कर दिया गया है।

घ. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा स्वदेशी क्षमताओं का विकास

9.211 प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की आपदा प्रबंधन में उनकी स्वयं की क्षमताओं का विकास करने के लिए ले. जनरल (सेवानिवृत्त) सईद अता हसनैन, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम एवं बार (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए की अध्यक्षता में दिनांक 18.08.2020 को सभी सीएपीएफ और एनडीआरएफ के महानिदेशकों, गृह मंत्रालय के पी– II प्रभाग और डीएम प्रभाग के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। तदनुसार, आपदा प्रबंधन में सीएपीएफ की प्रत्याशित भूमिका को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित 03 पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं:

- बेसिक आपदा प्रबंधन एवं कार्रवाई पाठ्यक्रम (8 सप्ताह)
- मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (02 सप्ताह)
- मास्टर ट्रेनर पाठ्यक्रम (1 सप्ताह)

9.212 3 पाठ्यक्रमों पर उपर्युक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल हेतु ब्लॉक और विस्तृत पाठ्यक्रम की जांच की गई है और कुछ संशोधनों/संयोजनों के सुझाव के साथ इसकी सिफारिश की गई है तथा साथ ही सीएपीएफ से मांग

प्राप्त करने और पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनडीआरएफ को निर्देश दिए गए हैं।

ङ. अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन के लिए कार्रवाई बलों हेतु यूनिफार्म ड्रैस कोड/जैकेटः–

9.213 सभी स्टेकहोल्डरों के साथ यथोचित परामर्श करने के पश्चात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशन के लिए यूनिफार्म जैकेट के डिजाइन को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। उक्त डिजाइन को सभी स्टेकहोल्डरों के साथ साझा किया गया है। सशस्त्र बलों द्वारा कार्यान्वयन किए जाने हेतु 08 सितम्बर, 2020 को ले. जनरल सईद अता हसनैन, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम एवं बार (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए के अर्ध–शासकीय पत्र के तहत प्रोटोटाईप नमूने डीएमए के साथ साझा किए गए हैं। उस पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से पुष्टिकरण प्राप्त हो गया है। महानिदेशक एनडीआरएफ ने भी दिनांक 05.08.2020 के पत्र के तहत सभी एनडीआरएफ की क्षेत्रीय इकाइयों को अनुपालन हेतु अपेक्षित दिशानिर्देशों को भेजने की पुष्टि की है।

च. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) का गठन/स्तरोन्नयन

9.214 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा राज्य आपदा मोचन बल का गठन और परिचालन किए जाने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए थे और उन्हें ले. जनरल सईद अता हसनैन, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम एवं बार (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए के अर्ध–शासकीय पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को अग्रेषित किया गया था, जिसमें उनसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में एसडीआरएफ के गठन/स्तरोन्नयन के माध्यम से अपने आपदा मोचन तंत्र को पुनर्जीवित करने और सुदृढ़ बनाने का अनुरोध किया गया था।

छ. कार्ययोजना की तैयारी – वज्रपात एवं बिजली गिरने पर बचाव और प्रबंधन

9.215 एनडीएमए ने दिनांक 15.06.2020 के पत्र के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से वज्रपात एवं बिजली गिरने के बारे में अपनी कार्ययोजना तैयार करने और उक्त कार्य योजना को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का अनुरोध किया था।

9.216 एनडीएमए ने वज्रपात एवं बिजली गिरने से सर्वाधिक प्रभावित हुए राज्यों के साथ दिनांक 29.06.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से एक बैठक आयोजित की थी और उनकी तैयारी संबंधी उपायों की समीक्षा की थी। संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया।

9.217 वज्रपात और बिजली गिरने की तैयारी से संबंधित उपायों पर विचार–विमर्श करने के लिए वज्रपात और बिजली गिरने से सर्वाधिक प्रभावित हुए राज्यों के साथ दिनांक 03.07.2020 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई थी। वज्रपात और बिजली गिरने के बारे में पूर्व चेतावनी देने और बेहतर पूर्वानुमान के लिए मार्ग प्रशस्त करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने हेतु आईएमडी के साथ दिनांक 07.07.2020 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

9.218 वज्रपात और बिजली गिरने के संबंध में एनडीएमए के दिशानिर्देशों के तहत परिकल्पित की गई कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु एनडीएमए ने एक विशेषज्ञ समूह गठित किया है। वज्रपात और बिजली गिरने के संबंध में एनडीएमए के दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित की गई कार्य योजना के कार्यान्वयन पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 20.07.2020 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेषज्ञ समूह की प्रथम बैठक आयोजित हुई।

ज. एनडीएमए–आईआरसीएस (इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी) परियोजना "विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए प्राथमिक चिकित्सा (एफएएसटी)"

9.219 अध्यापकों और स्कूली बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एनडीएमए ने आईआरसीएस के साथ सहयोग करके प्राथमिक चिकित्सा मैनुअल और मोबाइल एप तैयार किया है। "विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए प्राथमिक चिकित्सा (एफएएसटी)" परियोजना के अंतर्गत कक्षा 8वीं से 10वीं, कक्षा 11वीं से 12वीं और अध्यापकों के लिए तीन

मॉड्यूलों का एक सेट तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए भी मोबाइल एप बनाया गया। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल परिसरों में जब तक पेशेवर चिकित्सा सहायता नहीं पहुंचती है, तब तक वहां आपातकालीन परिस्थितियों से शीघ्रता से निपटा जाए। कक्षा 8वीं से 10वीं, कक्षा 11वीं से 12वीं और अध्यापकों के लिए तैयार किया गया तीन मॉड्यूल का एक सेट स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) को आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया गया है।

9.220 सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) को दिनांक 06.08.2020 को एक अर्ध–शासकीय पत्र भेजा गया है, जिसमें अध्यापकों और स्कूली बच्चों को आईआरसीएस की सहायता से प्रशिक्षित करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर स्कूलों में उक्त परियोजना का कार्यान्वयन करने का अनुरोध किया गया है।

9.221 स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने दिनांक 14.09.2020 के अर्ध–शासकीय पत्र के तहत अन्य बातों के साथ–साथ यह सूचित किया है कि एफएएसटी मॉड्यूल एनसीईआरटी को अग्रेषित किए गए है, ताकि "निष्ठा" जो कि समग्र शिक्षा के तहत एक वृहत एकीकृत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों के लिए इन्हें एक अनिवार्य मॉड्यूल के रूप में शामिल किया जा सके।

9.222 एनडीएमए ने "गूगल प्ले स्टोर" में एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन और एप्पल स्टोर में आईओएस मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है।

* * * * *

अध्याय—10

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

10.1 प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार ने पारदेशीय एवं वैश्विक रूप ले लिया है जिसका देश की शांति, सुरक्षा एवं स्थायित्व पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इन उभरते हुए खतरों की मात्रा और जटिलता पारस्परिक भागीदारी को और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। इस संबंध में, गृह मंत्रालय द्वारा अनेक साधनों के माध्यम से सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में विविध बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहल आरंभ करने और इन पर आगे कार्रवाई करने के लिए सतत रूप से अनेक देशों को शामिल करने हेतु अनेक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय, आपदा प्रबंधन के संबंध में एक नोडल मंत्रालय होने के कारण, प्राकृतिक आपदाओं का प्रशमन एवं प्रबंधन करने के संबंध में एक बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल करने में भी सक्रिय रूप से शामिल है।

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)

10.2 दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को राष्ट्रों के एक संघ के रूप में, "दक्षिण एशिया के लोगों में खुशहाली लाने और उनके रहन–सहन के स्तर में सुधार करने; आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास को गति प्रदान करने; इस क्षेत्र के देशों के बीच सम्पर्क बढ़ाने" के लिए वर्ष 1985 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में, सार्क के आठ सदस्य देश हैं; नामतः अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क का सचिवालय काठमांडू (नेपाल) में स्थित है।

10.3 सार्क आंतरिक/गृह मंत्रियों की आठवीं बैठक दिनांक 11.07.2017 को आयोजित की गई थी। सार्क आव्रजन और वीजा विशेषज्ञों के कोर ग्रुप की दूसरी बैठक दिनांक 10.10.2017 को सार्क सचिवालय, काठमांडू में आयोजित की गई थी। इस बैठक में भाग लेने के लिए गृह मंत्रालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों को नामित किया गया था। सार्क आव्रजन और वीजा विशेषज्ञों के कोर ग्रुप की तीसरी बैठक दिनांक 18.04.2019 को काठमांडू में आयोजित की गई थी। गृह मंत्रालय और आव्रजन ब्यूरो (बीओआई) के अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया था।

द्विपक्षीय सहयोग

10.4 पारदेशीय अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के कानूनी/द्विपक्षीय ढांचे के अंतर्गत आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संधियां (एमएलएटी), सुरक्षा संबंधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन/करार, स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और रासायनिक उत्प्रेरकों के अवैध व्यापार और मानव तस्करी से संबंधित अपराधों को रोकने और इनका मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग संबंधी लिखत तथा सजा प्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण संबंधी करार शामिल हैं, जिनपर भारत और अन्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। ऐसी संधियों/करारों पर हस्ताक्षर इस बात को ध्यान में रख कर किए जाते हैं कि आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, मानव तस्करी, धनशोधन, भारतीय मुद्रा नोटों की जालसाजी, आदि का सामना करने में भारत को समर्थ बनाने हेतु सहयोग और सहायता प्राप्त की जा सके।

आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधियां/करार

10.5 "आपराधिक मामलों पर परस्पर विधिक सहायता संधि/करार", आतंकवाद से संबंधित अपराध सहित अन्य अपराध की जांच और अभियोजन में संविदाकर्ता देशों की प्रभावकारिता में सुधार लाने और इसे सुकर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके अंतर्गत आपराधिक मामलों में विधिक सहायता प्रदान/प्राप्त करने के लिए आवश्यक विधिक फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है।

10.6 दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, "आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संबंधी संधि/करार" 40 देशों नामतः ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बुल्गारिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, चीन जनवादी गणराज्य का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, इजराइल, कजाकिस्तान, किरगिज गणराज्य, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, मलेशिया, मेक्सिको, म्यांमार, मंगोलिया, ओमान, रूस, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्विटजरलैण्ड, ताज़िकिस्तान, थाईलैण्ड, तुर्की, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यूनाइटेड किंग्डम (यूके), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), उज्बेकिस्तान और वियतनाम के साथ प्रभावी है। कंबोडिया, मोरक्को और ब्राजील के साथ "परस्पर विधिक सहायता संधियों (एमएलएटी)" पर हस्ताक्षर किए गए हैं परंतु इन देशों द्वारा इनकी पुष्टि नहीं की गई है। परस्पर विधिक सहायता संधियों के तहत प्रदान की गई सहायता के अंतर्गत विधि प्रवर्तन एजेंसियां अनेक संविदाकार राष्ट्रों के अनुरोधों पर कार्रवाई करती रही हैं। इसी प्रकार, एमएलएटी उपबंधों के तहत ऐसी सहायता के लिए संविदा करने वाले पक्षकारों के अनुरोधों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

10.7 भारत ने वर्ष 2008 में अन्य सार्क देशों के साथ 'आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता' के तहत एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। भारत ने अब समझौते की पुष्टि कर दी है। समझौता सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा पुष्टिकरण किए जाने के बाद प्रभाव में आयेगा।

स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और रासायनिक उत्प्रेरकों के अवैध व्यापार और इनसे संबंधित अपराधों को रोकने और इनका मुकाबला करने तथा सुरक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय करार/समझौता ज्ञापन

10.8 भारत ने सुरक्षा सहयोग, स्वापक औषधियों तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बहरीन, भूटान, बुल्गारिया, कंबोडिया, चीन, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी संघ गणराज्य, ईरान, इजराइल, इटली, कोरिया गणराज्य, कुवैत, लाओस जनतांत्रिक गणराज्य, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान, पोलैंड, कतर, रोमानिया, रूस, सिंगापुर, सऊदी अरब, श्रीलंका, ताज़िकिस्तान, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), युनाईटेड किंगडम (यूके), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), उज्बेकिस्तान और जांबिया के साथ 42 द्विपक्षीय करारों/समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

10.9 ये करार/समझौता ज्ञापन, पारदेशीय संगठित अपराध से निपटने, स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के विनियमन और मादक पदार्थों के दुर्व्यापार का मुकाबला करने में विभिन्न देशों के बीच परस्पर सहयोग को बढ़ाने में संचालन की दृष्टि से काफी उपयोगी हैं। इन द्विपक्षीय समझौतों से दोनों देशों में अपराधों की रोक, जांच, अभियोजन तथा अपराधों का शमन करने में प्रभावकारिता बढ़ती है और प्रतिभागी देशों की आसूचना एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग बना रहता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे करार/समझौता ज्ञापन उन नोडल अधिकारियों के संपर्क ब्यौरों के बारे में भागीदार देशों को अवगत कराने में भी उपयोगी हैं जिनसे अपराध, मादक पदार्थों के दुर्व्यापार संबंधी रियल टाइम आसूचना को साझा करने के लिए संपर्क किया जा सकता है और ये प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण में सहयोग तथा दोनों देशों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के प्रमुखों के बीच एजेंसी स्तर की बातचीत को भी सुकर बनाते हैं।

सजाप्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यवस्था

10.10 भारत में दोषसिद्ध विदेशी कैदियों और विदेशों में दोषसिद्ध भारतीय कैदियों को अपनी सजा का बाकी हिस्सा अपने ही देश में काटने के लिए उन्हें उनके देश की जेल में हस्तांतरित किए जाने हेतु "कैदी प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003" अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम दिनांक 01.01.2004 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम को इस मानवीय पहलू का ध्यान रखने के लिए अधिनियमित किया गया है कि दोषसिद्ध व्यक्ति अपने मूल देशों में अपने परिवारों के निकट रह सकें तथा उसे सामाजिक पुनर्वास का बेहतर अवसर मिल सके। सजाप्राप्त व्यक्तियों के स्थानान्तरण के लिए इच्छुक देशों के साथ द्विपक्षीय करार हस्ताक्षरित किए जाते हैं। भारत सरकार ने अभी तक 31 देशों, नामतः ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बोस्निया और हर्जेगोविना, ब्राजील, बुल्गारिया, कंबोडिया, मिस्र, इस्टोनिया, फ्रांस, हांगकांग, ईरान, इजराइल, इटली, कजाकिस्तान, कोरिया, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, कतर, रूस, सऊदी अरब, सोमालिया, स्पेन, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, यूएई, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

10.11 भारत ने सजाप्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण के लिए दो बहुपक्षीय समझौतों नामतः "विदेशों में आपराधिक सजा काटने के संबंध में अंतर–अमेरिका समझौते" तथा "सजाप्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण पर यूरोप समझौता परिषद" को भी सहमति दी है, जिसके आधार पर इन समझौतों पर सहमति देने वाले सदस्य राष्ट्रों तथा अन्य देशों का कोई सजाप्राप्त व्यक्ति अपनी बाकी सजा काटने के लिए अपने देश में हस्तांतरण का अनुरोध कर सकता है।

मानव तस्करी पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यवस्था

10.12 भारत ने बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कम्बोडिया और म्यांमार के साथ मानव तस्करी पर द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि मानव तस्करी का मुकाबला करने में इन देशों के साथ सहयोग बढ़ाया जा सके।

10.13 भारत, वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने और इसका मुकाबला करने के लिए सार्क सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है। भारत ने "पारदेशीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीओसी)" और इसके प्रोटोकॉल नामतः (i) व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने, समाप्त करने और दण्ड व्यवस्था करने के प्रोटोकॉल तथा (ii) जमीन, हवा और समुद्र द्वारा प्रवासियों के दुर्व्यापार के विरूद्ध प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

10.14 भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वर्चुअल मोड के माध्यम से 8–9 सितंबर, 2020 के दौरान वियना में आयोजित "प्रवासियों की तस्करी पर कार्य समूह" के सातवें सत्र में और दिनांक 10.09.2020 से 11.09.2020 के दौरान वियना में आयोजित "व्यक्तियों की तस्करी पर कार्य समूह" के दसवें सत्र में भाग लिया।

10.15 "पारदेशीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र समझौते (यूएनटीओसी सीओपी)" के पक्षकारों के सम्मेलन के 10वें सत्र का आयोजन दिनांक 12–16 अक्टूबर, 2020 के दौरान वियना, ऑस्ट्रिया में किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में "भारत के स्थायी मिशन (पीएमआई)", वियना और गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने क्रमशः आयोजन स्थल पर और वर्चुअल मोड के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

भारत–बांग्लादेश संबंध

10.16 सुरक्षा और सीमा प्रबंधन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1994 में एक त्रि–स्तरीय द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई थी। वार्ता का पहला स्तर महानिदेशक (डीजी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और महानिदेशक (डीजी), बार्डर गार्ड्स बांग्लादेश (बीजीबी) के स्तर पर है, दूसरा दोनों देशों के संयुक्त सचिवों के स्तर पर संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) है और तीसरा गृह सचिव स्तर है। दोनों

देशों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए त्रि–स्तरीय तंत्र के अलावा, भारत और बांग्लादेश के बीच गृह मंत्री स्तर की वार्ता भी आयोजित की जाती है।

भारत–म्यांमार संबंध

10.17 भारत सरकार और म्यांमार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन–चैन बनाए रखने के लिए जनवरी, 1994 में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, भारत और म्यांमार में प्रत्येक वर्ष बारी–बारी से दोनों देशों के बीच संयुक्त सचिव और गृह सचिव स्तर की वार्ताएं आयोजित की जाती हैं।

नई दिल्ली में दिनांक 15.01.2020 से 16.01.2020 के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक का आयोजन

10.18 वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 15.01.2020 से 16.01.2020 के दौरान आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री अनूप वधावन, वाणिज्य सचिव, भारत सरकार ने किया। बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉ. मोहम्मद जफर उद्दीन, सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश सरकार ने किया। पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल सुविधाओं और बेनापोल/पेट्रापोल लैंड पोर्ट की स्थिति से जुड़े मुद्दों के बारे में चर्चा की गई।

उच्च स्तरीय द्विपक्षीय दौरे और बैठकें

10.19 गृह सचिव और ऑस्ट्रेलियाई गृह सचिव के बीच एक वर्चुअल बैठक का आयोजन दिनांक 19.11.2020 को नई दिल्ली में किया गया।

10.20 क्षमता निर्माण

(क) गृह मंत्रालय न केवल अपने पुलिस बलों के लिए, बल्कि विदेशी पुलिस कार्मिकों के लिए भी क्षमता निर्माण के कार्यक्रम संचालित करता है। दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान, द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में मित्र देशों यथा भूटान, नेपाल, मॉरीशस, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार और अन्य देशों के 117 विदेशी पुलिस कार्मिकों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

(ख) क्षमता निर्माण के तहत आयोजित प्रशिक्षण– पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा दिनांक 10.08.2020 से 11.08.2020 के दौरान वर्चुअल प्लेटफार्म पर "वैश्विक महामारी काल के दौरान पुलिस व्यवस्था" पर एक दो दिवसीय इंडियन टेक्निकल एंड इकोनोमिक कोऑपरेशन (ई–आईटीईसी) प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे विश्व के 25 देशों से 97 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(ग) महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, यामेथिन, म्यांमार का उन्नयन करने में सहयोग।

(घ) दिनांक 09.12.2020 को एसवीपीएनपीए, हैदराबाद और उज्बेकिस्तान गणराज्य के आंतरिक कार्य मंत्रालय की अकादमी के बीच द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(ङ) 18 से 22 जनवरी, 2021 के दौरान एसवीपीएनपीए, हैदराबाद (भारत) और बांग्लादेश पुलिस अकादमी, सरदाह (बांग्लादेश) के बीच वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है।

वैश्विक शांति परिरक्षण

10.21 गृह मंत्रालय वैश्विक शांति बनाये रखने में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में भी अपना योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा, जब कभी भी मांग की जाती है, तब विभिन्न स्तर के अधिकारियों को सेकंडमेंट पर भेजा जाता है और अनुरोध किए जाने पर "संगठित पुलिस टुकड़ियों (एफपीयू)" की भी नियमित तैनाती की जाती है। दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान, कुल 32 एएमएस योग्यता प्राप्त अधिकारियों ने दक्षिण सूडान और साइप्रस में "संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक मिशनों" में अपनी सेवाएं दीं।

10.22 इसके अलावा, यूएन शांति ऑपरेशनों में सहयोग करने के लिए एजीएमयूटी कॉडर से एक महिला पुलिस अधिकारी और राजस्थान पुलिस से एक पुरूष भा.पु.से. अधिकारी पुलिस डिवीजन, यूएन मुख्यालय (एचक्यू), न्यूयार्क में पी–V लेवल और पी–IV लेवल पर सेकंडमेंट पद पर हैं।

10.23 संयुक्त राष्ट्र (यूएन) शांति रक्षक मिशनों में निम्नलिखित संगठित पुलिस टुकड़ियों (एफपीयू) को भी तैनात किया गया हैः–

(क) डीआर कांगो में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से एक संगठित पुलिस टुकड़ी।

(ख) डीआर कांगो (एमओयूएनएससीओ) में एसएसबी से एक फीमेल एंगेजमेंट टीम (एफईटी)।

आपदा प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

क. सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर चौथा दक्षिण एशिया फोरम

10.24 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) पर चौथे दक्षिण एशियाई फोरम की पृष्ठभूमि में, यूएनईएससीएपी (यूनाइटेड नेशंस इकनोमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक) दक्षिण एशिया और प्रशांत ने 4 दिसंबर, 2020 को दक्षिण एशिया में आपदा और जलवायु के प्रति सहनशीलता (रिसाईलेंस) पर विशेष बातचीत का आयोजन वर्चुअल रूप से किया। श्री नित्यानंद राय, माननीय गृह राज्य मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया और इसे संबोधित किया। पैनल में अन्य के रूप में श्री कासिम हैदरी, उप मंत्री, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान; मो. इनामुर रहमान, राज्य मंत्री, बांग्लादेश; सुश्री खादिजा नसीम, उप मंत्री, मालदीव; श्री मलिक अमीन असलम खान, जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री, पाकिस्तान सरकार के सलाहकार शामिल थे। उद्घाटन भाषण सुश्री आर्मिडा साल्सिआ अलीसजहबाना, संयुक्त राष्ट्र अवर महासचिव और इकोनोमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पेसिफिक (ईएससीएपी) की कार्यकारी सचिव द्वारा दिया गया।

10.25 उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम प्रबंधन के लिए प्रणालीगत दृष्टिकोण को लागू करने में आने वाली चुनौतियों को दूर करने के अवसरों और आवश्यकताओं की पहचान करना था। इसके अलावा, अन्य उद्देश्य भविष्य की खतरनाक आपदाओं के लिए मल्टी–हैजर्ड और मल्टी–सेक्टोरल तैयारी की प्रणालियों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एसडीजी पर दक्षिण एशियाई फोरम सहित मौजूदा क्षेत्रीय और उप–क्षेत्रीय सहयोग तंत्र का उपयोग करने के लिए रणनीति तैयार करना था।

10.26 माननीय गृह राज्य मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया कि दक्षिण एशियाई राष्ट्र बाढ़, चक्रवात, ग्रीष्म लहरों, शीत लहरों, भूस्खलन और सूखे जैसी भीषण मौसम संबंधी घटनाओं के साथ–साथ कोविड–19 वैश्विक महामारी और उससे उबरने की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे दक्षिण एशिया के सभी देशों के लिए एक अतिरिक्त चुनौती पेश कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों में सहयोग के लिए एक मजबूत सहयोगी ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी संदेश दिया कि एकल–उपयोग वाले प्लास्टिक को खत्म करने; वन क्षेत्र में वृद्धि करने और वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर ऊबड़–खाबड़ भूमि के सुधार और पुनरूद्धार के लिए हमारे प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता ने सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर दिया है और भारत एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर रहा है।

10.27 माननीय गृह राज्य मंत्री ने दक्षिण एशिया को खतरों के प्रति एक लचकदार क्षेत्र और रहने के लिए शांतिपूर्ण स्थान बनाने में क्षेत्रीय सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

ख. ब्रिक्स

10.28 निम्नलिखित मुद्दों पर आपदा प्रबंधन पर ब्रिक्स संयुक्त टास्क फोर्स ईटीएफ की बैठक का आयोजन रूसी संघ के आतिथ्य में दिनांक 31.07.2020 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया:

(क) आपात स्थितियों को रोकने और इनके पूर्वानुमान

के लिए एक मुख्य साधन के रूप में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने का मुद्दा;

(ख) आग और बचाव इकाइयों के बीच आपस में विचार–विमर्श के लिए सम्प्रेषण व्यवस्था का मुद्दा।

10.29 वर्ष 2021 में अध्यक्षता काल के दौरान, भारत ने वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में "आपदा प्रबंधन पर ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक" और "आपदा प्रबंधन पर ब्रिक्स विशेषज्ञों के स्तर की कार्यशाला" के आयोजन का प्रस्ताव किया है।

ग. आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) पर भारतीय सागर रिम संघ (आईओआरए) विशेषज्ञ समूह की पहली बैठक

10.30 डीआरएम पर भारतीय सागर रिम संघ (आईओआरए) के विशेषज्ञ समूह की पहली बैठक का आयोजन दिनांक 19.01.2021 को किया गया था, जिसका उद्देश्य कार्य समूह हेतु विचारार्थ विषयों (टीओआर) तथा डीआरएम पर आगामी कार्य योजना पर चर्चा करना था। बैठक का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा किया गया था।

10.31 आईओआरए एक अंतर–सरकारी संगठन है, जिसमें 23 सदस्य देश और 9 संवाद साझेदार शामिल हैं। डीआरएम इसके छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है तथा आईओआरए कार्रवाई योजना (2017–2021) में इस क्षेत्र के भीतर आपदारोधी क्षमता में सुधार करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस बैठक के दौरान, डीआरएम पर कार्य समूह के विचारार्थ विषयों (टीओआर) और आईओआरए में डीआरएम कार्ययोजना के मसौदे पर चर्चा की गई थी तथा यह निर्णय लिया गया कि इसे सभी सदस्य देशों के साथ उनके विचारार्थ साझा किया जाएगा।

10.32 बैठक के दौरान, "आपदा राहत के समय मानवीय सहायता (एचएडीआर)" पर मसौदा दिशानिर्देशों पर भी विचार–विमर्श किया गया था। 18 आईओआरए सदस्य देशों और आईओआरए सचिवालय से प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। एनडीएमए, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।

* * * * *

अध्याय–11

प्रमुख पहलें और स्कीमें

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) की अंब्रेला स्कीम

11.1 केंद्र प्रायोजित स्कीमों को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गठित मुख्यमंत्रियों के उप समूह ने वर्ष 2015 में अनुशंसा की थी कि "कानून और व्यवस्था" तथा "न्याय प्रदायगी प्रणाली" की स्कीमों को कोर राष्ट्रीय विकास एजेंडा के भाग के रूप में माना जाना चाहिए। इस अनुशंसा के अनुसरण में, भारत सरकार (नीति आयोग) ने अपने दिनांक 17.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से, 66 मौजूदा केंद्र प्रायोजित स्कीमों को युक्तिसंगत बनाकर 6 'कोर ऑफ द कोर' स्कीमों, 20 'कोर' स्कीमों तथा 2 'वैकल्पिक' स्कीमों को अंतिम रूप देते हुए "पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ)" की अंब्रेला स्कीम को एक 'कोर' स्कीम के रूप में शामिल किया है।

11.2 इन स्कीमों के अंतर–संबंध तथा पूरकताओं का दोहन करके कार्यक्रम संबंधी परिणामों को हासिल करने के लिए, गृह मंत्रालय ने स्कीमों और परियोजनाओं को एक अंब्रेला स्कीम के अंतर्गत समेकित किया है। इसका उद्देश्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में सहयोग तथा उनके कार्यकरण में सुधार करने वाली सभी संगत स्कीमों को केंद्रीय बजट में एक जगह लाना है।

11.3 कुल 25,061 करोड़ रुपये के परिव्यय से, वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा दिनांक 27.09.2017 को "पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ)" की अंब्रेला स्कीम को मंजूरी दी गई थी। इस कुल परिव्यय में से, अनुमोदित केंद्रीय परिव्यय 18,636 करोड़ रुपये है तथा राज्यों का हिस्सा 6,425 करोड़ रुपये है। इस 'कोर' स्कीम के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा 8 पूर्वोत्तर राज्य यथा अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा 90% केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं और शेष 10% निधि राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई जानी होती है। शेष राज्यों के मामले में, केंद्रीय हिस्सा 60% है तथा राज्यों को 40% हिस्से का योगदान करना होता है। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की अंब्रेला स्कीम के तहत कुछ उप–स्कीमों को छोड़कर बाकी उप–स्कीमों को दिनांक 31.03.2021 तक अथवा 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, आगे बढ़ा दिया गया है।

11.4 मोटे तौर पर, इस अंब्रेला स्कीम में दो स्कीमें शामिल हैं, नामतः राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम तथा जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) की स्कीम। इन दो मुख्य शीर्षों (वर्टिकलों) के तहत बनी 16 उप–स्कीमें निम्नानुसार हैं:

- **मुख्य शीर्ष (वर्टिकल) I : राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ)**

○ **केंद्रीय क्षेत्र की तीन उप–स्कीमें**

(क) अपराध तथा अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस)।

(ख) अंतर–राज्यीय पुलिस वायरलेस के अंतर्गत परियोजनाएं।

(ग) ई–कारागारों का कार्यान्वयन।

○ **राज्य क्षेत्र की एक उप–स्कीम**

पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता।

- **मुख्य शीर्ष (वर्टिकल) II: जम्मू और कश्मीर/पूर्वोत्तर/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई)**

○ **केंद्रीय क्षेत्र की सात उप–स्कीमें**

(क) वामपंथी उग्रवाद के प्रबंधन हेतु केंद्रीय एजेंसियों तथा अन्य को सहायता

(ख) सिविक कार्रवाई योजना (सीएपी) (एलडब्ल्यूई)

(ग) मीडिया योजना (विज्ञापन तथा प्रचार) (एलडब्ल्यूई)

(घ) वामपंथी उग्रवाद से 35 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता

(ङ) एसआरई (एलडब्ल्यूई) (केंद्रीय क्षेत्र)

(च) एसआरई (जम्मू और कश्मीर)– राहत तथा पुनर्वास

(छ) एसआरई (जम्मू और कश्मीर)– सुरक्षा वातावरण

○ **राज्य क्षेत्र की पांच उप–स्कीमें**

(क) एसआरई (जम्मू और कश्मीर)– पुलिस

(ख) एसआरई (पूर्वोत्तर)

(ग) एसआरई (एलडब्ल्यूई)

(घ) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में 250 किलेबंद पुलिस स्टेशनों के निर्माण सहित विशेष अवसंरचना स्कीम

(ङ) केंद्रीय अधिनियमों के प्रशासन के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति

"पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता" की स्कीम (पूर्ववर्ती राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम)

उद्देश्य

11.5 यद्यपि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, तथापि, चूंकि वित्तीय कठिनाइयों के कारण राज्य अपने पुलिस बलों को वांछित स्तर तक आधुनिकीकृत तथा सुसज्जित नहीं कर पाए हैं, इसलिए गृह मंत्रालय वर्ष 1969–70 से राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम को कार्यान्वित करके राज्यों के प्रयासों तथा संसाधनों में सहयोग प्रदान करता रहा है। इस स्कीम को 'पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता' के नए नाम से जारी रखा गया है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करके राज्य सरकारों की सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) पर निर्भरता को कम करना है।

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम को वर्ष 2016–17 के बाद भी जारी रखना

11.6 वर्ष 2012–13 और 2016–17 की अवधि हेतु अनुमोदित स्कीम के अनुसार, निर्माण कार्यकलापों तथा हथियारों, विभिन्न उपकरणों की खरीद आदि के लिए निधियां आवंटित और जारी की जानी थीं। निर्माण कार्यकलापों के लिए निधियां वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 के दौरान जारी की गई थीं। इसके पश्चात, चूंकि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में से राज्यों को निधियों का अंतरण 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया था और राज्यों द्वारा निर्माण कार्यकलापों के लिए और अधिक निधियां आवंटित करना अपेक्षित था, इसलिए निर्माण कार्यकलापों के लिए वित्तपोषण को बंद कर दिया गया था। इस स्कीम को नए नाम "पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता" के साथ वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक तीन और वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया है। यह "पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ)" की अंब्रेला स्कीम के अंतर्गत एक उप–स्कीम है। उप–स्कीम के तहत राज्य पुलिस द्वारा अपेक्षित मदों जैसे कि हथियारों, उपस्करों आदि के लिए निधि प्रदान की जाती है। इसी तरह, लक्षित पहल की सुविधा के लिए, केवल विशेष क्षेत्रों यथा जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 'मोबिलिटी'

तथा 'आवास सहित पुलिस अवसंरचना के निर्माण' के लिए निधियों के उपयोग की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, 'मोबिलिटी' शीर्ष के अंतर्गत मदों का उपयोग केवल फील्ड स्तर के पुलिस कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए किया जाएगा, राज्य स्तर के पुलिस कार्यालयों के लिए नहीं। वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक की अवधि के दौरान तीन वर्ष के लिए इस स्कीम के अंतर्गत समग्र रूप से 7,380 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। तथापि, इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों को निधियों का वार्षिक आवंटन वित्त मंत्रालय द्वारा किसी निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराए गए वास्तविक बजटीय संसाधनों पर निर्भर होगा।

स्कीम के अंतर्गत जारी निधियां

11.7 वित्तपोषण के उद्देश्य से राज्यों को दो श्रेणियों नामतः श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' में वर्गीकृत किया गया है। 'क' श्रेणी के राज्य नामतः जम्मू और कश्मीर (दिनांक 30.10.2019 तक), हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा 8 पूर्वोत्तर राज्य यथा अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा 90% केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं तथा शेष 10% निधि राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई जानी होती है। वर्ष 2015–16 से राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत 'क' श्रेणी के राज्यों को जारी की गई निधियों का राज्य–वार विवरण अनुलग्नक–XVI में दिया गया है। शेष राज्य 'ख' श्रेणी में हैं और इन राज्यों को 60% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है तथा 40% निधियां राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई जानी होती हैं। वर्ष 2015–16 से 'ख' श्रेणी के राज्यों को जारी की गई निधियों का राज्य–वार विवरण अनुलग्नक–XVII में दिया गया है।

अनुमोदन प्रणाली

11.8 इस स्कीम हेतु केन्द्रीय बजट में किए गए आवंटन को पूर्व–निर्धारित अंतर–राज्यीय वितरण अनुपात के आधार पर, केंद्रीय हिस्से के रूप में, आगे सभी राज्यों के बीच वितरित/आवंटित किया जाता है। प्रत्येक राज्य सरकार को आनुपातिक राज्य अंश (40% अथवा 10%) देना होता है और राज्यों को अपनी कार्यनीति संबंधी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर अपनी राज्य कार्रवाई योजनाएं (एसएपी) तैयार करनी होती हैं। इन एसएपी का अनुमोदन राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) द्वारा तथा केन्द्र सरकार के स्तर पर स्कीम को देख रही संयुक्त सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा किया जाता है। राज्य कार्रवाई योजनाओं के अनुमोदन चक्र को पूर्व तिथि के लिये निर्धारित (प्रीपोन) किया गया है तथा संशोधित अनुमोदन चक्र के अनुसार एसएपी को फरवरी तक, अर्थात वित्तीय वर्ष के शुरू होने से एक माह पहले अनुमोदित किया जाना होता है और राज्य 01 अप्रैल से जारी की जाने वाली निधियों का लाभ उठा सकते हैं। राज्यों को समय से निधियां जारी करने की सुविधा के लिए ऐसा किया गया है।

दिनांक 10.01.2020 को हैदराबाद में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक

(स्रोतः डीजीपी, तेलंगाना का कार्यालय/ पीएम प्रभाग, गृह मंत्रालय)

दिनांक 24.01.2020 को रायपुर में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक

(स्रोतः डीजीपी, छत्तीसगढ़ का कार्यालय /पीएम प्रभाग, गृह मंत्रालय)

स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा

11.9 स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा केंद्रीय गृह सचिव तथा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नियमित रूप से की जाती है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में राज्यों के विभिन्न मुद्दों और सुझावों पर विधिवत विचार किया जाता है तथा अलग–अलग राज्यों को जारी की गई निधियों के उपयोग की प्रगति की मॉनीटरिंग की जाती है।

11.10 इस स्कीम के तहत, उन राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं, जहां राज्य सरकारों द्वारा पिछले वर्ष से पहले के वर्ष तक जारी की गई निधियों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। वर्तमान में पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस स्कीम के तहत आवंटन लगभग 700 करोड़ रूपये से 800 करोड़ रूपये तक रहा है। यह राशि अपर्याप्त प्रतीत हो सकती है। लेकिन, राज्यों द्वारा निधियों के उपयोग की गति असमान रही है। अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा और सिक्किम की राज्य सरकारें वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान निधियों के लिए दावा नहीं कर सकीं, क्योंकि वे पहले जारी की गई केन्द्रीय निधियों को खर्च नहीं कर पाईं। यहां तक कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों ने पिछले 3–4 वर्षों में उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में चूक की है और इसके परिणामस्वरूप उन्होंने काफी निधियों का नुकसान उठाया है।

11.11 दूसरी ओर, ऐसे राज्य भी हैं, जो अपनी निधियों का उपयोग समय से करते हैं। ऐसे राज्यों के मामले में, अधिक आवंटन की आवश्यकता उचित प्रतीत होती है। इस स्कीम के तहत वित्तीय संसाधनों की कमी के बावजूद, इस जरूरत को पूरा करने के लिए, ऐसे राज्यों को उनके प्रदर्शन और कार्यकुशलता के आधार पर अधिक निधियां प्रदान करने का एक विशिष्ट तंत्र विकसित किया गया है। ऐसे राज्यों को निम्नानुसार पुरस्कृत किया जाता हैः

(क) बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहनः निर्धारित वर्ष तक जारी की गई संपूर्ण निधियों का उपयोग करने वाले राज्यों को, अन्य राज्यों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत न किए जाने के कारण उन्हें जारी न की गई निधियों से जमा हुई राशि में से 'बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन' राशि जारी की जाती है।

(ख) पुलिस सुधारों के लिए प्रोत्साहनः विभिन्न समितियों द्वारा यथा अनुशंसित पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए, स्कीम के तहत आवंटन का 20% अलग रखा जाता है।

निर्धारित वर्ष तक जारी की गई संपूर्ण निधियों का उपयोग करने वाले राज्यों को, चयनित सुधार क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु भी पात्र माना जाता है।

11.12 इस तंत्र के परिणामस्वरूप, राज्य अपने प्रदर्शन के आधार पर अपने आवंटन से कई गुना निधियों का दावा कर सकते हैं। इसलिए, वित्तीय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के महत्व को देखते हुए, राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु वर्तमान आवंटन पर्याप्त है। निधियां प्रदान करने की प्रदर्शन आधारित पद्धति के माध्यम से राज्यों की मांगों का ध्यान रखा जा रहा है और साथ ही साथ पुलिस सुधारों हेतु राज्यों के प्रयासों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है।

11.13 पिछले दो वर्षों के दौरान निम्नलिखित राज्य, स्कीम की इन सुविधाओं के प्रमुख लाभार्थी थे:

वित्तीय वर्ष 2018–19

क्र.सं.	राज्य	आवंटन (करोड़ रुपए में)	जारी की गई राशि	
			(करोड़ रुपए में)	आवंटन का %
1.	उत्तराखंड	3.64	13.60	374
2.	तेलंगाना	18.93	64.17	339
3.	ओडिशा	16.89	35.10	208
4.	पंजाब	17.77	36.52	205
5.	आंध्र प्रदेश	26.48	50.81	192
6.	गुजरात	27.69	52.62	190
7.	राजस्थान	33.83	62.59	185
8.	तमिलनाडु	37.70	68.87	183
9.	उत्तर प्रदेश	68.39	118.67	173
10.	मिजोरम	5.16	8.38	162
11.	नागालैंड	11.63	18.88	162
12.	मध्य प्रदेश	29.34	37.97	129

वित्तीय वर्ष 2019–20

क्र.सं.	राज्य	आवंटन (करोड़ रुपए में)	जारी की गई राशि	
			(करोड़ रुपए में)	आवंटन का %
1.	हिमाचल प्रदेश	3.50	27.49	785
2.	मिजोरम	4.77	34.63	726
3.	केरल	16.11	54.01	335
4.	तेलंगाना	17.48	57.58	329
5.	आंध्र प्रदेश	24.46	75.36	308
6.	ओडिशा	15.60	42.45	272
7.	तमिलनाडु	34.84	56.62	163
8.	गुजरात	25.58	41.19	161
9.	हरियाणा	11.48	18.48	161
10.	नागालैंड	10.74	17.29	161
11.	पश्चिम बंगाल	28.90	46.53	161
12.	उत्तराखंड	3.37	5.43	161

महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) संबंधी स्कीम

11.14 गृह मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध से निपटने के लिए 223.19 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) सबंधी स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं:

(क) ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल

(ख) साक्ष्य के प्रयोजन के लिए साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला

(ग) क्षमता निर्माण

(घ) अनुसंधान तथा विकास

सीसीपीडब्ल्यूसी स्कीम के तहत कार्यकलाप

साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का आरंभ

11.15 महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) संबंधी स्कीम के भाग के रूप में, "साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (*www.cybercrime.gov.in*)" शुरू किया गया था। यह पोर्टल नागरिकों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी (सीपी), बाल यौन उत्पीड़न सामग्री (सीएसएएम) से संबंधित सामग्री अथवा बलात्कार/सामूहिक बलात्कार (सीपी/आरजीआर) जैसी कामुकता दर्शाने वाली सामग्री की ऑनलाइन सूचना देने के लिए एक केंद्रीयकृत मंच उपलब्ध कराता है। रिपोर्ट की गई शिकायतों पर कार्रवाई शिकायतकर्ताओं द्वारा दी गई सूचना के आधार पर और संबंधित साक्ष्य एकत्र करने के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के संबंधित पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की जाती है। नागरिकों को महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए सभी प्रकार के साइबर अपराधों की सूचना देने की सुविधा प्रदान करने हेतु स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके एक पूर्णरूपेण संशोधित पोर्टल शुरू किया गया था।

क्षमता निर्माण

11.16 गृह मंत्रालय ने पिछले वर्ष विधि प्रवर्तन एजेंसियों, लोक अभियोजकों तथा न्यायाधीशों के लिए विकसित 3 दिवसीय और 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके, विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के लिए एडवांस्ड साइबर अपराध जांच के संबंध में 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए हैं। यह पाठ्यक्रम साइबर अपराध की जांच तथा फॉरेंसिक के मामले में बेसिक से लेकर एडवांस्ड अवधारणाओं को कवर करता है, जिससे प्रतिभागियों को साइबर अपराधों तथा कंप्यूटर फॉरेंसिक की प्रकृति को समझने के लिए आवश्यक ज्ञान तथा कौशल हासिल करने में मदद मिलेगी। अब तक, 12,600 से अधिक पुलिस कार्मिकों, न्यायिक अधिकारियों और लोक अभियोजकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना

11.17 गृह मंत्रालय ने साइबर फॉरेंसिक–सह–प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, कनिष्ठ साइबर परामर्शदाताओं के प्रशिक्षण और उन्हें हायर करने के लिए सीसीपीडब्ल्यूसी स्कीम के तहत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को 95.77 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया है ताकि विधि प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायपालिका को व्यावहारिक (हैंड्स–ऑन) प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। 16 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में फारेंसिक प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं।

जागरूकता

11.18 सीसीपीडब्ल्यूसी स्कीम के तहत जागरूकता सृजित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(क) 'किशोरों/छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा पर पुस्तिका' जारी की गई है। इस पुस्तिका की साफ्ट कापी www.cybercrime.gov.in और http://mha.gov.in/documents/downloads पर उपलब्ध कराई गई है।

(ख) यह पुस्तिका सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को भी परिचालित की गई है।

(ग) साइबर अपराधों की रोकथाम के बारे में जन समूह के बीच संदेश के प्रसार के लिए गृह मंत्रालय द्वारा रेडियो के माध्यम से जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया गया है।

अनुसंधान और विकास

11.19 साइबर स्पेस में अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री का पता लगाने के लिए कारगर उपकरण विकसित करने और इन उपकरणों में लगातार सुधार करने के उद्देश्य से, देश में अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी में अनुसंधान एवं विकास कार्य करने की आवश्यकता है। अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्ति

11.20 साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के संचालन और रख–रखाव का कार्य राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को सौंपा गया है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी (सीपी) तथा बलात्कार और सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) से संबंधित चिह्नित सामग्री को हटाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 79(3)(ख) के अंतर्गत मध्यस्थों को नोटिस जारी करने के लिए इसे भारत सरकार की एक एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लाइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)

11.21 नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लाइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी) से ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी तथा बाल यौन उत्पीड़न सामग्री पर टिपलाइन रिपोर्ट प्राप्त करने के संबंध में, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के पश्चात, दिनांक 26.04.2019 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), भारत तथा नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लाइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी), संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनसीएमईसी से प्राप्त साइबर टिपलाइन रिपोर्टें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के साथ साझा की जाती हैं।

भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र (आई4सी) स्कीम

11.22 इस स्कीम के तहत, साइबर अपराधों से समन्वित तथा समग्र तरीके से निपटने के लिए नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केन्द्र (आई4सी) की स्थापना की गई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केन्द्र का उद्देश्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) की क्षमता को सुदृढ़ बनाना और विभिन्न एजेंसियों तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करना है। इस स्कीम का विजन साइबर अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जांच तथा अभियोजन के लिए एक कारगर ढांचा और ईकोसिस्टम तैयार करना है। भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केन्द्र (आई4सी) के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

(क) राष्ट्रीय साइबर अपराध जोखिम विश्लेषण यूनिट

(ख) राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल

(ग) साइबर अपराध ईकोसिस्टम प्रबंधन

(घ) राष्ट्रीय साइबर अपराध फॉरेंसिक प्रयोगशाला ईकोसिस्टम

(ङ) राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र

(च) राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान तथा नवाचार केंद्र

(छ) संयुक्त साइबर अपराध जांच टीम हेतु प्लेटफार्म

भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केन्द्र (आई 4सी) स्कीम के तहत गतिविधियां

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल

11.23 भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (आई4सी) के अंतर्गत नए सिरे से तैयार किए गए राष्ट्रीय साइबर

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का होम पेज

अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) की शुरूआत दिनांक 30.08.2019 को की गई। सीसीपीडब्ल्यूसी स्कीम के अंतर्गत साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के पुराने संस्करण में केवल चाइल्ड पोर्नोग्राफी (सीपी)/बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) से संबंधित साइबर अपराध शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध थी। पूर्णरूपेण संशोधित पोर्टल पर सभी प्रकार के साइबर अपराधों की सूचना देने की सुविधा उपलब्ध है और इसमें महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल दिया गया है।

जागरूकता

11.24 साइबर अपराध के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केन्द्र (आई4सी) स्कीम के तहत की गई पहल निम्नानुसार हैं:

(क) गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए *'#CyberDost'* ट्विटर हैंडल शुरू किया है। 679 से अधिक टिप्स को ट्वीट किया गया है और इसके 2.5 लाख से अधिक फॉलोअर हैं।

(ख) साइबर अपराध के प्रति जागरूकता के बारे में 100 करोड़ से अधिक एसएमएस आम जनता तक पहुँचाए गए।

साइबर अपराध के प्रबंधन हेतु ईकोसिस्टम विकसित करना

11.25 साइबर अपराधों से निपटने के लिए सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने और समग्र दृष्टिकोण विकसित करने हेतु मंत्रालयों, उद्योगों, अकादमियों और अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच नियमित विचार–विमर्श आयोजित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जांच) ईकोसिस्टम

11.26 दिल्ली पुलिस द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जांच अधिकारियों की सहायता के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (एनसीएफएल) को कार्यशील किया गया। एनसीएफएल को एक 'अत्याधुनिक (स्टेट ऑफ द आर्ट)' सुविधा के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां फॉरेंसिक के बारे में व्यावहारिक (हैंड्स ऑन) प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। एनसीएफएल की सुविधाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से क्षमता निर्माण

11.27 एनसीआरबी ने भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केन्द्र (आई4सी) के तहत 'CyTrain' पोर्टल

'CyTrain' पोर्टल का होमपेज

नामक एक ''वृहत ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी)'' प्लेटफॉर्म विकसित किया है। 'CyTrain' पोर्टल प्रमाणन सहित साइबर अपराध की जांच, फॉरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण में मदद करता है। पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 2,600 से अधिक पुलिस अधिकारी पंजीकृत किए गए हैं और 600 से अधिक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

11.28 ऑनलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए 'ई-साइबरलैब (e-CyberLab)' को 'CyTrain' पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। 'ई-साइबरलैब टूल्स' को मोटे तौर पर डिस्क फॉरेंसिक, नेटवर्क फॉरेंसिक, मोबाइल फॉरेंसिक, लाइव फॉरेंसिक, सीडीआर एनालिसिस फॉरेंसिक, वर्कस्टेशन, फॉरेंसिक फील्ड किट और वीडियो फोरेंसिक आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है।

राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान एवं नवाचार केन्द्र

11.29 साइबर अपराधों के संबंध में विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) द्वारा बताई गई समस्याओं की जांच करने तथा उपयुक्त सोल्यूशन विकसित करने के लिए बीपीआरएंडडी मुख्यालय, नई दिल्ली में राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान एवं नवाचार केन्द्र की स्थापना की गई और केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद में साइबर अनुसंधान नवाचार और क्षमता निर्माण केन्द्र की स्थापना की गई।

11.30 राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान एवं नवाचार केन्द्र ने चार मॉड्यूलों अर्थात बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड और स्पेशल एडवांस्ड में साइबर जांच और डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए व्याख्यान योजना के साथ विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया है।

11.31 सूचना सुरक्षा संबंधी पहलें

(क) राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति एवं दिशानिर्देशों (एनआईएसपीजी) को अनुमोदित किया गया है और सुरक्षा संबंधी कमियों का पता लगाने, यदि कोई हों, तथा आईसीटी नेटवर्क में किसी भी प्रकार की संवेदनशीलता के दुरुपयोग को रोकने के लिए सूचना सुरक्षा नियंत्रण को सशक्त बनाने हेतु तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मई, 2019 में सभी सरकारी विभागों में सूचना सुरक्षा ढांचे की जांच करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) समय–समय पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आईटी अवसंरचना की संवेदनशीलता का मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) सूचना सुरक्षा संबंधी श्रेष्ठतम पद्धतियों के बारे में एक पुस्तिका तैयार की गई है और गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

(घ) गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ङ) बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जनसामान्य को जानकारी प्रदान करने के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता संबंधी कार्यकलाप शुरू किए गए हैं।

(च) इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी–इन) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार गृह मंत्रालय की आईटी अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एक साइबर संकट प्रबंधन योजना तैयार की गई है।

(छ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से कहा गया था कि वे महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग के सुरक्षित उपयोग, फिशिंग/विशिंग प्रयासों से निपटने, सोशल इंजीनियारिंग हमलों को नाकाम करने आदि हेतु सोशल मीडिया/मोबाइल द्वारा संदेश फैलाने, ऑडियो विजुअल प्रस्तुतियों, लघु फिल्मों, व्याख्यानों, आदि जैसी जागरूकता फैलाने वाली विभिन्न गतिविधियां शुरू करके अक्टूबर, 2020 माह के दौरान राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह मनाएं।

सुधारात्मक प्रशासन संस्थान

11.32 कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 1989 में केन्द्र से पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ चंडीगढ़ में सुधारात्मक प्रशासन संस्थान (आईसीए) की स्थापना की थी। सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ सम्पूर्ण भारत के कारागार कार्मिकों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र आदि जैसे पड़ोसी राज्यों के कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। संस्थान कारागारों तथा कारागार के कैदियों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर विभिन्न राज्यों के लिए आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित करता है। संस्थान ने पड़ोसी राज्यों के कारागार कार्मिकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा राज्य सरकारों के अनुरोध के अनुसार अन्य विषयों और मॉड्यूलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए हैं। संस्थान ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के सहयोग से राज्य सरकारों द्वारा संचालित कार्यक्रमों में भी भाग लिया है, जिसमें महिला कैदियों और कारागार कैदियों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संस्थान पूर्णतः गृह मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है और कर्मचारियों के वेतन के भुगतान, कार्यालय उपकरणों के वार्षिक रखरखाव, संकाय सदस्यों को मानदेय आदि से संबंधित संपूर्ण खर्च का वहन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए, आईसीए, चंडीगढ़ को अपने कार्यकरण के लिए 1.00 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया है।

एशियाई और प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन

11.33 एशियाई और प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन (एपीसीसीए) 26 देशों यथा, आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई दारूस्सलाम, कम्बोडिया, कनाडा, चीन, फिजी, हांगकांग(चीन), भारत, इंडोनेशिया, जापान, किरिबाती, कोरिया, मकाऊ, मलेशिया, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनीआ, फिलीपीन्स, सिंगापुर, सोलोमन द्वीपसमूह, श्रीलंका, थाईलैंड, टोंगा, वानुआतु और वियतनाम का संगठन है। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है। वर्ष 2008 से, भारत इस संगठन के शासी बोर्ड का चयनित सदस्य है।

11.34 प्रत्येक वर्ष सदस्य देशों द्वारा बारी–बारी से वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें सदस्य देशों के सुधारात्मक प्रशासक, एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में कारागार सुधारों से संबंधित नवीनतम और श्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में विचारों का आदान–प्रदान करते हैं। यह सम्मेलन सुधारात्मक अधिकारियों को अपनी जानकारी को साझा करने और विभिन्न देशों में अपनाई जा रही श्रेष्ठ

पद्धतियों का आदान–प्रदान करने का अवसर देता है। वर्ष 2013 में, इस सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी। सिंगापुर में आयोजित किया जाने वाला 40वां एशियाई और प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन (एपीसीसीए) कोविड–19 वैश्विक महामारी की स्थिति के मद्देनजर रद्द कर दिया गया था।

सुधारात्मक सेवा पदक

11.35 कारागार प्रशासन में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर निम्नलिखित सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाते हैं:

(क) विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक

(ख) सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक

(ग) शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक

(घ) शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक

11.36 ये पदक सुधारात्मक सेवा, विशेष कठिनाई में प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने और दक्षता से अनुकरणीय सेवा प्रदान करने आदि के संबंध में विशिष्ट रिकॉर्ड के लिए प्रदान किए जाते हैं। शौर्य के लिए पदक कैदियों को पकड़ने अथवा उन्हें भागने से रोकने आदि के लिए प्रदर्शित असाधारण शौर्य के लिए प्रदान किया जाता है।

11.37 सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करने संबंधी राष्ट्रपति की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 05.04.1999 को जारी की गई थी। पहली बार इन पुरस्कारों की घोषणा वर्ष 2000 के गणतंत्र दिवस पर की गई थी। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को एक मेडल और स्क्रोल प्रदान किया जाता है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इस पुरस्कार का अलंकरण राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

11.38 किसी वर्ष में दिए जा सकने वाले विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदकों और सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदकों की संख्या क्रमशः 25 और 75 है। शौर्य के लिए प्रदान किए जाने वाले पदकों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

11.39 कारागार कार्मिकों के लिए सुधारात्मक सेवा पदक स्वतंत्रता दिवस, 2020 और गणतंत्र दिवस, 2021 पर अनुमोदित किए गए थे।

साक्षी सुरक्षा योजना, 2018

11.40 गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके "साक्षी सुरक्षा योजना, 2018" तैयार की थी। इस योजना में खतरे के आकलन के आधार पर गवाहों की सुरक्षा का प्रावधान है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 की रिट याचिका (आपराधिक) सं 156 में दिनांक 05.12.2018 के अपने निर्णय में इस योजना का समर्थन किया है। इस योजना को कार्यान्वयन एवं अनुपालन के लिए दिनांक 14.01.2019 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 141/142 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय में समर्थित साक्षी सुरक्षा योजना, 2018 भारतीय भूभाग के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है और सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवर्तनीय है।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

11.41 आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके तेलंगाना राज्य के गठन के लिए वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (एपीआर) अधिनियम, 2014 अधिनियमित किया गया था। उत्तरवर्ती राज्यों के बीच आंध्र प्रदेश के संयुक्त राज्य की कम्पनियों/निगमों आदि की सम्पत्तियों और देनदारियों के विभाजन का कार्य किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधिकांश प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा चुका है। एपीआर अधिनियम, 2014 के शेष प्रावधान कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। कुछ अवसंरचना परियोजनाओं और शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण की अवधि लम्बी है, जिनके लिए अधिनियम में दस वर्षों की समयावधि निर्धारित की गई है।

राज्यपालों की नियुक्ति

11.42 भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार राज्यपालों की नियुक्ति, त्यागपत्र और निष्कासन से संबंधित मामले गृह मंत्रालय को आवंटित किए गए हैं। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्तलिखित एवं मुहरबद्ध वारंट के तहत की जाती है।

गावों, कस्बों, रेलवे स्टेशनों आदि के नाम में परिवर्तन

11.43 गृह मंत्रालय गावों, शहरों, रेलवे स्टेशनों आदि के नाम में परिवर्तन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 'अनापत्ति' प्रदान करता है। वर्ष 2020–2021 के दौरान, 16 प्रस्तावों को 'अनापत्ति' प्रदान की गई है।

पुलिस सुधारों हेतु प्रोत्साहन

11.44 जब सितम्बर, 2017 में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की अंब्रैला स्कीम अनुमोदित की गई थी, तब 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता' की स्कीम के कार्यान्वयन की संरचना में 'पुलिस सुधारों हेतु प्रोत्साहन' के एक घटक को शामिल किया गया था। पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु प्रत्येक वर्ष एक निश्चित राशि रखने का निर्णय लिया गया था। विभिन्न समितियों द्वारा यथाअनुशंसित पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, मूल रूप से स्कीम के लिए कुल वार्षिक आवंटन के 10% तक की राशि रखने का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2019–20 से इस प्रोत्साहन निधि को बढ़ाकर '20% तक' कर दिया गया है। राज्य सरकारों को प्रोत्साहन निधियों का उपयोग करते समय, अपने आनुपातिक राज्य हिस्से अर्थात 40% अथवा 10%, जैसा भी मामला हो, का योगदान करना होता है।

11.45 इस घटक के कार्यान्वयन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

<u>वित्तीय वर्ष 2018–19</u>

वर्ष 2018–19 के लिए, स्कीम के तहत इस प्रयोजन हेतु आवंटन का 10% अर्थात् 76.90 करोड़ रुपए रखे गए थे। वर्ष 2018–19 के लिए सुधार–एजेंडा निम्नानुसार था:

(क) पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया

(ख) पेशेवर कौशल को अपग्रेड करने तथा पुलिस कर्मियों के मन में जनता के प्रति उचित दृष्टिकोण की भावना उत्पन्न करने के लिए सभी स्तरों पर पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण

(ग) फॉरेंसिक विज्ञान की अवसंरचना में सुधार

(घ) अर्दली प्रणाली को साथ में एक कांस्टेबल/हेल्पर अटैच करने की प्रणाली से बदलना

(ङ) कांस्टेबलों के लिए पदोन्नति के अवसर

(च) पुलिस स्टेशनों का कंप्यूटरीकरण

11.46 इन सुधारों को कार्यान्वित करने में राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन उद्देश्यपरक मानदंड के आधार पर किया गया था। वर्ष 2018–19 के लिए, दस राज्यों नामत: (1) आंध्र प्रदेश, (2) गुजरात, (3) मध्य प्रदेश, (4) ओडिशा, (5) पंजाब, (6) राजस्थान, (7) तमिलनाडु, (8) तेलंगाना, (9) उत्तर प्रदेश और (10) उत्तराखंड को प्रोत्साहन प्रदान किए जाने और कुल 76.90 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन में से प्रत्येक राज्य को 7.69 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किए जाने हेतु पात्र पाया गया था।

<u>वित्तीय वर्ष 2019–20</u>

वर्ष 2019–20 के लिए, राज्य सरकारों को पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 158.26 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई थी। वर्ष 2019–20 के लिए सुधार–एजेंडा निम्नानुसार था:

(क) ग्रामीण पुलिस प्रणाली की समीक्षा/सुधार

(ख) अपराध का नि:शुल्क पंजीकरण

(ग) गिरफ्तारियों की संख्या में कमी

(घ) पदोन्नति को प्रशिक्षण के साथ जोड़ना

(ङ) डीजी/पुलिस आयुक्तों को पर्याप्त वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

(च) बाह्य एवं गैर–पुलिस व्यवस्था संबंधी कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग

(छ) स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय

11.47 निम्नलिखित राज्यों ने पुलिस सुधारों के लिए प्रोत्साहन प्राप्त किया, जिसकी राशि उनके नाम के सामने दशाई गई है:

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपए में)
1.	आंध्र प्रदेश	35.99
2.	हिमाचल प्रदेश	21.86
3.	केरल	28.07
4.	मिजोरम	25.81
5.	ओडिशा	17.33
6.	तेलंगाना	29.20
	कुल	**158.26**

स्मार्ट पुलिस व्यवस्था

11.48 दिनांक 30.11.2014 को 49वें डीजी/आईजी वार्षिक सम्मेलन के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने स्मार्ट (एस.एम.ए.आर.टी.) पुलिस की संकल्पना से परिचित कराया था। इसका अर्थ है: एस–संवेदनशील और सख्त; एम–आधुनिक और सचल; ए–सतर्क और जवाबदेह; आर–विश्वसनीय और प्रतिक्रियात्मक तथा टी–प्रशिक्षित और प्रौद्योगिकी–सक्षम। इस संबंध में अप्रैल–मई, 2015 में बेंगलुरू, भोपाल, गुवाहाटी और चंडीगढ़ में स्मार्ट पुलिस व्यवस्था के बारे में चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई थीं। इन कार्यशालाओं के दौरान, विभिन्न राज्य सरकारों/पुलिस द्वारा अपनाए गए कई नवीन विचार और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां प्रस्तुत की गईं और उनका विश्लेषण किया गया। 'स्मार्ट' पुलिस व्यवस्था के दस गुणों के हिसाब से सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का चयन कर लिया गया है। बीपीआरएंडडी द्वारा भुज, गुजरात में दिनांक 19.12.2015 से 20.12.2015 तक की अवधि के दौरान आयोजित महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और स्मार्ट पुलिस व्यवस्था संबंधी पहल का एक संकलन जारी किया गया था।

11.49 इस संबंध में, गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से पुलिस स्टेशन स्तर अथवा जिला स्तर या इससे निचले स्तर पर किसी अन्य पुलिस कार्यालय के सकारात्मक वृत्तांतों/उनके द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्य की पहचान करने और इसे जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त के कार्यालय की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से प्राप्त सूचना और वेबसाइटों से एकत्र की गई सूचना के अनुसार, पूरे देश में जिलों और पुलिस जिलों की अपनी अलग वेबसाइटें हैं। कुछ राज्यों ने जिला–वार सकारात्मक वृत्तांत अपलोड किए हैं और कुछ ने इसे अपनी राज्य पुलिस की वेबसाइटों पर अपलोड किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, अब तक वेबसाइटों पर 37,023 सकारात्मक वृत्तांत अपलोड किए गए हैं।

छात्र पुलिस कैडेट (एसपीसी) कार्यक्रम

11.50 राष्ट्रीय स्तर पर छात्र पुलिस कैडेट (एसपीसी) कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 21.07.2018 को गुरुग्राम में किया गया था। समारोह में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लगभग 6000 कैडेटों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में कक्षाओं के माध्यम से तथा स्कूलों के बाहर स्कूल के छात्रों के मन में मूल्यों और नैतिकता की भावना पैदा करके उनके माध्यम से पुलिस और वृहत समुदाय के बीच संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यह कार्यक्रम कक्षा 8 और 9 के छात्रों पर केंद्रित है और यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा गया है कि इससे छात्रों के कार्य का बोझ न बढ़े। इस कार्यक्रम में मोटे तौर पर दो प्रकार के विषयों को कवर किया जाना है: (i) अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण तथा (ii) मूल्य और नैतिकता। पहले भाग के अंतर्गत ये विषय शामिल हैं – सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और आपदा प्रबंधन। दूसरे भाग के अंतर्गत ये विषय शामिल हैं – मूल्य और नैतिकता, बड़ों के प्रति सम्मान, परानुभूति और सहानुभूति, सहनशीलता, धैर्य, प्रवृत्ति, टीम भावना और अनुशासन। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 31.12.2020 तक कुल 73,047 एसपीसी कक्षाएं आयोजित की गई थीं।

राज्य विधायन

11.51 भारत के राष्ट्रपति की सहमति/पूर्व अनुदेशों/पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त विधायन (संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची

के अंतर्गत) से संबंधित प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है। संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ तथा सहमति हेतु विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 304 (ख) के परंतुक के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी हेतु विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–1 के परंतुक के अंतर्गत राष्ट्रपति के अनुदेशों हेतु अध्यादेश और संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 4(3) के साथ पठित अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विनियम इस श्रेणी में आते हैं।

11.52 भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके शीघ्र अनुमोदन के लिए विधायन संबंधी प्रस्तावों की जांच की जाती है। परस्पर विचार–विमर्श के द्वारा मुद्दों का समाधान करके विधेयकों के शीघ्र अनुमोदन/सहमति को सुकर बनाने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य सरकारों के साथ बैठकें करके समय–समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है।

11.53 राज्यों के पहले से लंबित पड़े विधायी प्रस्तावों के अलावा, गृह मंत्रालय को दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के दौरान राज्यों से 107 नए विधायी प्रस्ताव अर्थात् भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए 52 विधेयक, पूर्व अनुदेशों हेतु 51 अध्यादेश और पूर्व स्वीकृति के लिए 04 विधेयक प्राप्त हुए। इस अवधि के दौरान अंतिम रूप प्रदान किए गए प्रस्तावों की संख्या निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	विवरण	संख्या
I.	संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ और उनकी सहमति वाले विधेयक	
	(i) राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान किए गए विधेयक	18
	(ii) राष्ट्रपति के संदेश के साथ राज्य सरकार को वापस किए गए विधेयक	00
	(iii) विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति रोक लेना	00
	(iv) संबंधित राज्य सरकार द्वारा वापस लिए गए विधेयक	16
	(v) संबंधित राज्य सरकार को वापस किए गए विधेयक	00
II.	संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेशों हेतु अध्यादेश	
	(i) अध्यादेश के प्रख्यापन हेतु राष्ट्रपति के अनुदेश की सूचना देना	32
	(ii) बंद किए गए अध्यादेश	03
III.	संविधान के अनुच्छेद 304(ख) के तहत राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति हेतु विधेयक	03
IV.	संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 4(3) के साथ पठित अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विनियम	00
	कुल	**72**

11.54 गृह मंत्रालय का संबंध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के विधायी पहलुओं से है। इन्हें देश के बदलते हुए सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप बनाने के लिए इन संहिताओं में समय–समय पर संशोधन किया जाता है। ये संशोधन भारतीय विधि आयोग की सिफारिशों, इस संबंध में गठित आयोगों/समितियों की सिफारिशों और न्यायालयों के आदेशों के आधार पर भी किए जाते हैं। गृह मंत्रालय ने दंड विधि में संशोधन करने के लिए व्यापक कार्रवाई शुरू की है।

दया याचिकाएं

11.55 गृह मंत्रालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई माफी संबंधी दया याचिकाओं आदि को भी देखता है। दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक के अवधि के दौरान एक दया याचिका का निपटान किया गया है।

प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल

11.56 पिछले कुछ वर्षों के दौरान आर्थिक गतिविधियों में तेजी से हुई वृद्धि और विस्तार के कारण, प्राइवेट सुरक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है और इसके कारण देश में कार्य कर रही प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है। एक अनुमान के अनुसार, लगभग 90 लाख व्यक्ति प्राइवेट सुरक्षा उद्योग क्षेत्र में कार्यरत हैं। भारत में प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों का विनियमन प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (पीएसएआर अधिनियम) के तहत किया जाता है, जो प्राइवेट सुरक्षा सेवाओं के व्यवसाय के लिए लाइसेंस का अधिदेश देता है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नियुक्त नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इस सेक्टर की उन्नति के लिए, गृह मंत्रालय ने दिनांक 24.9.2019 को पीएसएआर अधिनियम के तहत प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से नए लाइसेंस जारी करने/लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए 'प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण लाइसेंसिंग पोर्टल' लॉन्च किया था। यह पोर्टल अपराधियों के पूर्ववृत्त की अखिल भारत आधार पर ऑनलाइन खोज की सुविधा वाले अंतर प्रचालनीय दंड न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) डेटाबेस के माध्यम से आवेदकों/गार्डों/पर्यवेक्षकों आदि के चरित्र और पूर्ववृत्त के त्वरित सत्यापन की सुविधा प्रदान करता है। ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रणाली नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस संबंधी आवेदनों के शीघ्र निपटान और कारगर निगरानी की जरूरतों को पूरा करती है। इसके साथ ही, यह आवेदकों को आसानी से ट्रैकिंग करने की सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ उद्योग को लागत में बचत करने की सुविधा भी प्रदान करता है। वर्तमान में, यह पोर्टल उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील है, जहां प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों की संख्या काफी अधिक है।

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण केंद्रीय मॉडल नियम, 2020 की अधिसूचना

11.57 इस सेक्टर में व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, गृह मंत्रालय ने मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण केन्द्रीय मॉडल नियम, 2006 की समीक्षा की है। नए मॉडल नियम अर्थात् 'प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण केन्द्रीय मॉडल नियम, 2020' को दिनांक 15.12.2020 को अधिसूचित कर दिया गया है और ये नियम पूर्व में बने वर्ष 2006 के नियमों का अधिक्रमण करेंगे। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन अपने पृथक नियमों को अधिसूचित करके नए नियमों को अपनाएंगे। प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण केन्द्रीय मॉडल नियम, 2020 में तकनीकी परिदृश्य में प्रगति, पूर्ववृत्त का डिजिटल सत्यापन, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ अनुरूपता (अलाइनमेंट) और लाइसेंस शुल्क का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान शामिल है। मॉडल नियमों को प्रमुख अधिनियम का अधिक कारगर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है और ये प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण लाइसेंसिंग पोर्टल के पूरक हैं।

राष्ट्रीय मानदंड तैयार करना

11.58 'पुलिस' राज्य का विषय होने के नाते, राज्य पुलिस बल अपनी संबंधित राज्य सरकारों के अधीन कार्य करते हैं। तथापि, गृह मंत्रालय इन बलों को सहायता

प्रदान करने के अलावा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों/उपकरणों के संबंध में उनका मार्गदर्शन करता है और इन बलों की आधुनिकीकरण संबंधी विभिन्न साझा आवश्यकताओं के संबंध में राज्य पुलिस बलों को सहायता भी प्रदान करता है। राज्य पुलिस बलों द्वारा सीएपीएफ की गुणात्मक आवश्यकताओं और परीक्षण निर्देशों को अपनाना अथवा पुलिस के क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में एसओपी परिचालित करना ऐसे ज्ञान के आदान–प्रदान के कुछ उदाहरण हैं। इससे पुलिस बलों, विशेषकर छोटे राज्यों के पुलिस बलों के लिए मार्गदर्शन के अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध होते हैं। यह प्रयासों के दोहराव को भी दूर करता है और इस तथ्य से उत्पन्न होने वाली बाधाओं को भी आंशिक रूप से दूर करता है कि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। इस दिशा में, गृह मंत्रालय ने रेडियो संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण/न्यूनतम निर्धारित राज्य स्तरीय अवसंरचना तथा फॉरेंसिक के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानक परिचालित किए हैं।

पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग

11.59 वर्ष 2015 में, माननीय प्रधानमंत्री ने कच्छ, गुजरात में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान पुलिस स्टेशनों के प्रदर्शन तथा साथ ही साथ नागरिकों के फीडबैक के आधार पर उनकी ग्रेडिंग के लिए पैरामीटर निर्धारित करने का निदेश दिया था। तद्नुसार, देश में दस सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशनों और किसी विशिष्ट राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशन की पहचान करने तथा उन्हें सम्मानित करने के लिए सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशन स्कीम का वार्षिक मूल्यांकन शुरू किया गया था। पूरे देश में लगभग 16,500 पुलिस स्टेशनों में से, चयन (शॉर्ट लिस्ट) करने का कार्य सीसीटीएनएस पर अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित तरीके से किया गया था:

क) 750+ पुलिस स्टेशनों वाले राज्यों से 3

ख) अन्य सभी राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 2

ग) प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र से 1

11.60 पुलिस स्टेशनों का मूल्यांकन महिलाओं और अनुसूचित जातियों (एससी)/अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रति अपराधों, संपत्ति संबंधी अपराधों, लापता व्यक्तियों और पाए गए किन्तु पहचाने न जा सके व्यक्तियों/शवों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2020 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए पुलिस स्टेशनों के सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। देश में सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशन को चुनने का मानदंड मुख्यतः अपराध को रोकने, जांच तथा मामलों के निपटान, अपराध का पता लगाने, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था तथा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में उनके प्रदर्शन पर आधारित था। इस प्रयोजन के लिए पुलिस स्टेशनों की अवसंरचना और नागरिकों से प्राप्त फीडबैक को भी ध्यान में रखा जाता है।

11.61 वर्ष 2020 के लिए देश के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशन निम्नानुसार हैं: –

राज्य	जिला	पुलिस स्टेशन	रैंक
मणिपुर	थाउबल	नोंगपोकसेकमई	1
तमिलनाडु	सेलम शहर	एडब्ल्यूपीएस– सुरमंगलम	2
अरुणाचल प्रदेश	चांगलांग	खरसांग	3
छत्तीसगढ़	सूरजपुर	झिलमिल (भैया थाना)	4
गोवा	दक्षिण गोवा	संगुएम	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	नॉर्थ एवं मिडिल अंडमान	कालीघाट	6

राज्य	जिला	पुलिस स्टेशन	रैंक
सिक्किम	पूर्वी जिला	पाक्योंग	7
उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	कांठ	8
दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली	खानवेल	9
तेलंगाना	करीमनगर	जम्मीकुंटा टाउन पीएस	10

11.62 वर्ष 2020 के दौरान संसद में निम्नलिखित विधेयक पारित किए गएः—

(क) मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2020

(ख) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2020

(ग) राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020

(घ) जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020

(ङ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020

* * * *

अध्याय–12

विदेशी राष्ट्रिक, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और पुनर्वास

विदेशी राष्ट्रिक और नागरिकता

12.1 गृह मंत्रालय (एमएचए) आप्रवासन, वीजा, विदेशी अभिदाय तथा नागरिकता संबंधी मामलों के लिए उत्तरदायी है। भारत में विदेशी राष्ट्रिकों के प्रवेश करने, यहां ठहरने, उनकी आवाजाही और देश से प्रस्थान करने आदि का विनियमन कार्य आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश और आवाजाही

12.2 भारत में विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश, यहां ठहरना और यहां से प्रस्थान विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 द्वारा शासित होता है। जहां सभी विदेशी राष्ट्रिकों को सभी प्रकार का भारतीय वीजा, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा भौतिक अथवा स्टिकर स्वरूप में दिया जा सकता है, वहीं बीओआई 171 देशों के विदेशी राष्ट्रिकों को पांच श्रेणियों के इलेक्ट्रॉनिक वीजा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, 03 देशों के राष्ट्रिकों को 6 नामित विमानपत्तनों पर आप्रवासन प्राधिकारियों द्वारा आगमन पर वीजा प्रदान किया जाता है। भारत में विदेशी राष्ट्रिकों के ठहरने तथा उनकी आवाजाही और यहां से उनके प्रस्थान का विनियमन आप्रवासन ब्यूरो तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

विदेशी राष्ट्रिक और वीजा

12.3 दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान 32,79,315 विदेशी राष्ट्रिकों (4,751 पाकिस्तानी नागरिकों सहित) ने भारत की यात्रा की। इस अवधि के दौरान भारत की यात्रा करने वाले सबसे अधिक विदेशी राष्ट्रिक संयुक्त राज्य अमेरिका (61,190) से थे, जिसके बाद बांग्लादेश (37,774), यूनाइटेड किंगडम (33,323), कनाडा (13,707), पुर्तगाल (11,668), अफगानिस्तान (11,212), जर्मनी (8,438), फ्रांस (8,353), इराक (7,163) और कोरिया गणराज्य (6,129) का स्थान था। दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान विदेशी राष्ट्रिकों के कुल आगमन में से 71.23% हिस्सा इन 10 देशों का था, जबकि विदेशी राष्ट्रिकों के कुल आगमन में से शेष देशों का हिस्सा 28.77% था।

12.4 कोविड–19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर इसके फैलाव को नियंत्रित करने के लिए, गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों (विदेशी और भारतीय दोनों) के आगमन/प्रस्थान को कम करने के लिए फरवरी, 2020 से सुनियोजित तरीके से कई कदम उठाए थे। तथापि, भारत में चरणबद्ध रूप से अनलॉकिंग होने के साथ केंद्र सरकार मई, 2020 से चरणबद्ध तरीके से वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में ढील प्रदान करती रही। इस दिशा में, गृह मंत्रालय ने ''वंदे भारत मिशन'' अथवा 'एयर बबल' (द्विपक्षीय हवाई यात्रा व्यवस्था) स्कीम के अंतर्गत अथवा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई अनुमति के अनुसार किसी गैर–अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ान द्वारा आने वाले यात्रियों सहित जलमार्ग अथवा फ्लाइट द्वारा भारत में प्रवेश करने के लिए निम्नलिखित श्रेणी के विदेशी राष्ट्रिकों को अनुमति प्रदान करने हेतु दिनांक 21.10.2020 को आदेश जारी किए हैं:

(क) सभी प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक तथा किसी भी देश का पासपोर्ट रखने वाले पीआईओ (भारतीय मूल के व्यक्ति) कार्डधारक।

(ख) पर्यटन वीजा पर आने वालों को छोड़कर, किसी भी उद्देश्य से भारत आने के इच्छुक सभी विदेशी राष्ट्रिक (उपयुक्त श्रेणी के आश्रित वीजा पर उनके आश्रितों सहित)।

गृह मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक वीजा (ई–वीजा), पर्यटक

वीजा और चिकित्सा वीजा, जिसे रोक दिया गया था, को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा को भी बहाल कर दिया है। विदेश स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों को आपात स्थिति में चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिकों को समुचित अवधि के लिए चिकित्सा वीजा (मेडिकल अटेंडेंट हेतु वीजा सहित) जारी करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है। उन सभी श्रेणी के विदेशी नागरिकों, जिन्हें भारत में प्रवेश करने की अनुमति है अथवा जिन्हें भविष्य में भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, के संबंध में अधिकृत एयरपोर्ट/सी–पोर्ट आप्रवासन जांच चौकियों के माध्यम से भारत में आने वाले पैसेंजर ट्रैफिक पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया है। तथापि, पर्यटक वीजाधारी विदेशी नागरिकों के संबंध में, भारत में आने वाले पैसेंजर ट्रैफिक पर प्रतिबंध जारी रहेगा। किसी भी देश का किसी भी प्रकार का वैध वीजा रखने वाले किसी भारतीय नागरिक अथवा नेपाल या भूटान के नागरिक को भी भारत से उस संबंधित देश में यात्रा करने की अनुमति है, बशर्ते कि उस देश में भारतीय/नेपाली/भूटानी नागरिकों के प्रवेश करने पर कोई यात्रा प्रतिबंध न हो। संबंधित एयरलाइंस को भारतीय/नेपाली/भूटानी यात्री को टिकट/बोर्डिंग पास जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि विशिष्ट श्रेणी के वीजा के साथ संबंधित देश में प्रवेश करने के लिए भारतीय/नेपाली/भूटानी नागरिकों पर यात्रा का कोई प्रतिबंध नहीं है।

विदेशी राष्ट्रिकों का निर्वासन

12.5 दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक, विदेशी राष्ट्रिक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (एफआरआरओ) द्वारा 258 विदेशी राष्ट्रिकों को निर्वासित किया गया। निर्वासित किए गए विदेशी राष्ट्रिकों में से सर्वाधिक संख्या बांग्लादेश (113) से थी, जिसके बाद अफगानिस्तान (33) और किर्गिस्तान (22) का स्थान था।

ई–वीजा

12.6 पांच उप–श्रेणियों अर्थात ई–टूरिस्ट वीजा, ई–बिजनेस वीजा, ई–कॉन्फ्रेंस वीजा, ई–मेडिकल वीजा और ई–मेडिकल अटेंडेंट वीजा के साथ ई–वीजा की सुविधा 171 देशों के राष्ट्रिकों को भारत में 28 नामित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और 05 प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से प्रवेश करने के लिए प्रदान की गई है। तथापि, कोविड–19 की स्थिति की वजह से, ई–वीजा की सुविधा मार्च, 2020 से अस्थायी रूप से रोक दी गई है। जब कभी यह सुविधा बहाल की जाएगी, तब इन 171 देशों के राष्ट्रिक भारत आने की प्रत्याशित तारीख से 120 दिन पहले विश्व में कहीं से भी ई–वीजा की 03 उप–श्रेणियों यथा–ई–कॉन्फ्रेंस वीजा, ई–मेडिकल वीजा तथा ई–मेडिकल अटेंडेंट वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं और भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं। ई–टूरिस्ट और ई–बिजनेस वीजा के मामले में, आवेदक ऐसे किसी प्रतिबंध के बिना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इन मामलों में इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकार (ईटीए) वीजा की वैधता की अवधि के साथ समाप्त होगा। ई–वीजा निम्नानुसार प्रदान किया जाता हैः

(क) ई–टूरिस्ट वीजा तीन विकल्पों के तहत दिया जाता है अर्थात कई बार प्रवेश के साथ 5 वर्ष के लिए, कई बार प्रवेश के साथ एक वर्ष के लिए और दो बार प्रवेश के साथ एक महीने के लिए।

(ख) ई–बिजनेस वीजा कई बार प्रवेश के साथ एक वर्ष के लिए दिया जाता है।

(ग) ई–मेडिकल वीजा और ई–मेडिकल अटेंडेंट वीजा तीन बार प्रवेश के साथ 60 दिन तक की अवधि के लिए दिया जाता है।

(घ) ई–कॉन्फ्रेंस वीजा एक बार प्रवेश के साथ 30 दिन की अवधि के लिए दिया जाता है।

12.7 इसके अलावा, एफआरआरओ तथा गृह मंत्रालय द्वारा भारत में ई–मेडिकल वीजा, ई–मेडिकल अटेंडेंट वीजा और ई–कॉन्फ्रेंस वीजा की अवधि बढ़ायी जा सकती है।

आगमन पर वीजा की योजना

12.8 ई–वीजा सुविधा के अलावा, भारत सरकार ने जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा की योजना भी क्रमशः दिनांक 01.03.2016, 01.10.2018 और 07.11.2019 से लागू की है, जिसके तहत व्यापार, पर्यटन, सम्मेलन और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए भारत में 06 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों अर्थात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद के जरिये अधिकतम 60 दिनों की अवधि के लिए दो बार प्रवेश किया जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नागरिकों के मामले में, यह सुविधा उन यूएई राष्ट्रिकों को उपलब्ध

होगी, जिन्होंने पहले भारत के लिए ई–वीजा अथवा सामान्य पेपर वीजा प्राप्त किया हो, चाहे उस व्यक्ति ने भारत की यात्रा की हो अथवा न की हो।

12.9 इसके अलावा, अटारी आप्रवासन जांच चौकी को पैदल पार करने वाले 65 वर्ष से अधिक उम्र के पाकिस्तानी नागरिकों को भी कुछ शर्तों के अधीन एक बार प्रवेश के साथ 45 दिनों तक ठहरने के लिए आगमन पर वीजा प्रदान किया जाता है।

आप्रवासन, वीजा और विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण एवं ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी) के संबंध में मिशन मोड परियोजना (एमएमपी)

12.10 गृह मंत्रालय ''आप्रवासन, वीजा और विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण एवं ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी)'' नामक एक योजनागत स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित और एकीकृत ऑनलाइन प्रदायगी ढांचा विकसित और कार्यान्वित करना है, ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ–साथ वीजा जारी करने और आप्रवासन की प्रक्रियाओं के दौरान विदेशी राष्ट्रिकों सहित वैध यात्रियों को सुविधाएं प्रदान की जा सकें। प्रभावी संचार, प्रशिक्षण और संस्थागत क्षमता की सहायता वाले स्थानों की अवसंरचना/कनेक्टिविटी की तैयारी के अनुरूप स्कीम का कार्यान्वयन योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

12.11 मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) में वैश्विक पहुँच निहित है क्योंकि परियोजना के दायरे में विदेश में स्थित 190 भारतीय मिशन, 107 आईसीपी (आप्रवासन जांच चौकियां), 13 एफआरआरओ (विदेशी राष्ट्रिक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय) और देश भर में जिला मुख्यालयों में 712 एफआरओ (विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण कार्यालय) शामिल हैं। दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, विदेशों में स्थित 178 भारतीय मिशनों, 13 एफआरआरओ, 680 एफआरओ और 98 आप्रवासन जांच चौकियों (आईसीपी) में एकीकृत ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली लागू की गई है। वीजा आवेदकों के बायोमीट्रिक विवरणों को कैप्चर करने के लिए विदेशों में स्थित 180 भारतीय मिशनों में बायोमीट्रिक नामांकन सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को ई–वीजा और दीर्घावधि वीजा (एलटीवी) के साथ जोड़ा गया है तथा वीजा आवेदन फॉर्म को भी मानकीकृत किया गया है।

12.12 रोजमर्रा के प्रश्नों के समाधान हेतु विदेशी राष्ट्रिकों, विदेश स्थित भारतीय मिशनों और संपूर्ण देश में एफआरआरओ/एफआरओ की सहायता के लिए नई दिल्ली में केन्द्रीय आईवीएफआरटी कार्यालय शुरू किया गया है। बेंगलुरु में डाटा रिकवरी सेंटर (डीआरसी) भी स्थापित किया गया है।

12.13 आप्रवासन संबंधी कार्य को सुगम बनाने के लिए, सीमा पार करने के कुल 107 ऐसे प्वाइंट्स हैं, जिन्हें प्राधिकृत आप्रवासन जांच चौकियों (आईसीपी) के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2020 के दौरान, आप्रवासन ब्यूरो द्वारा तीन भूमि आईसीपी नामतः मोरेह, अगरतला और घोजाडंगा में संबंधित राज्य सरकार से आप्रवासन संबंधी कार्यों को अपने अधिकार में लेने के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गई थीं। आप्रवासन ब्यूरो ने भारत–म्यांमार सीमा पर स्थित मोरेह आईसीपी पर मणिपुर राज्य सरकार से आप्रवासन संबंधी कार्यों को अपने अधिकार में ले लिया है। दो अन्य आईसीपी नामतः त्रिपुरा सरकार से अगरतला और पश्चिम बंगाल सरकार से घोजाडंगा को अपने अधिकार में लेने का कार्य प्रगति पर है।

12.14 कोविड–19 वैश्विक महामारी के बीच, आप्रवासन प्राधिकारियों (आप्रवासन ब्यूरो) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोविड–19 से प्रभावित देशों से आने वाले/वहां की यात्रा करने वाले यात्रियों की निगरानी करने और उनके विनियमन के लिए विभिन्न कदम उठाए गए। आगमन के समय आप्रवासन निकासी के दौरान कोविड–19 प्रभावित देशों से आने वाले/वहां की यात्रा करने वाले यात्रियों का स्व–घोषणा प्रपत्र (एसडीएफ) में विस्तृत विवरण कैप्चर करने के लिए एक कोविड मॉड्यूल विकसित किया गया और इसे आप्रवासन नियंत्रण प्रणाली (आईसीएस) के साथ जोड़ा गया। यात्रा के इतिहास (ट्रैवल हिस्ट्री) के आधार पर उक्त मॉड्यूल में कैप्चर किए गए आंकड़ों को संबंधित केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया गया। इस प्रणाली ने संदिग्ध कोविड–19 व्यक्तियों की पहचान करने और उनका पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप कोविड–19 के प्रसार को रोका गया और साथ ही संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाना भी सुगम हुआ। वीजा एवं आप्रवासन प्रतिबंधों के बारे में अथवा एफआरआरओ से कोई कांसुलर सुविधा प्राप्त करने

के बारे में विदेशी राष्ट्रिकों अथवा भारतीयों को सूचित करने के लिए एक समर्पित सहायता हेल्पलाइन ई–मेल आईडी तथा 24x7 हेल्पलाइन टेलीफोन नम्बर स्थापित किया गया।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को दीर्घावधि वीजा (एलटीवी)

12.15 दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक, गृह मंत्रालय द्वारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए क्रमशः कुल 3,014 और 217 दीर्घ अवधि वाले वीजा मामलों का निपटान किया गया। इसी अवधि के दौरान, गृह मंत्रालय द्वारा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के दीर्घावधि वीजा के 01 मामले का निपटान भी किया गया।

पाकिस्तानी कैदियों का प्रत्यावर्तन

12.16 दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक, अपनी सजा पूरी कर चुके 04 पाकिस्तानी सिविल कैदी और 20 पाकिस्तानी मछुआरों को पाकिस्तान वापस भेजा गया।

पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए भारतीय कैदियों और भारतीय मछुआरों को वापस लाना

12.17 दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक, 09 भारतीय सिविल कैदियों को पाकिस्तान द्वारा भारत वापस भेजा गया।

प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक योजना

12.18 प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक योजना दिनांक 02.12.2005 से शुरू की गई थी। इस कार्ड से, अन्य बातों के साथ–साथ, कृषि/बागान संबंधी संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर, जीवन–पर्यन्त वीजा, एफआरआरओ के पास पंजीकरण कराने से छूट तथा अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को आर्थिक, वित्तीय एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में उपलब्ध सभी सुविधाओं के समान सुविधा प्राप्त होती है। राजनीतिक तथा लोक रोजगार के अधिकार के मामले में उन्हें किसी समानता की अनुमति नहीं है।

12.19 दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान कुल 1,05,524 विदेशी राष्ट्रिकों को ओसीआई कार्डधारकों के रूप में पंजीकृत किया गया है और पीआईओ कार्ड के बदले 3,114 ओसीआई कार्ड जारी किए गए हैं।

12.20 पहले जारी किए गए पीआईओ कार्डों को दिनांक 31.12.2021 तक भारतीय आईसीपी के माध्यम से प्रवेश/निकास के लिए वैध माना जाएगा। तथापि, यदि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (आईसीएओ) द्वारा कोई समय–सीमा अधिसूचित की जाती है, जिसके द्वारा हस्तलिखित यात्रा दस्तावेज अवैध हो जाते हैं, तो पीआईओ कार्डधारकों को भारत आने के लिए भारतीय मिशनों से उपयुक्त वीजा प्राप्त करना होगा। कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर वर्तमान प्रतिबंध को देखते हुए और साथ ही ओसीआई कार्डधारकों को असुविधा से बचाने की दृष्टि से, जहां कहीं अपेक्षित हो, वहां सरकार द्वारा किसी भी समय अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध को हटा लिए जाने पर, उन्हें अपने मौजूदा ओसीआई कार्डों पर यात्रा करने की अनुमति के साथ अपने ओसीआई कार्ड को पुनः जारी कराने के लिए दिनांक 30.06.2021 तक का समय प्रदान किया गया है।

12.21 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निवास कर रहे विदेशी राष्ट्रिकों को ओसीआई संबंधी सेवाएं प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों को एफआरआरओ, लखनऊ के क्षेत्राधिकार से एफआरआरओ, दिल्ली के अंतर्गत हस्तांतरित करने के अनुदेश जारी किए हैं।

12.22 केंद्र सरकार ने मूल भारतीय आप्रवासियों की छठी पीढ़ी तक के उन वंशजों, जो भारतीय भू–भाग से प्रवासी और अनुबंधित मजदूरों के रूप में रीयूनियन आईलैंड में पहुंचे थे, को प्रत्येक मामले के गुण–दोषों के आधार पर ओसीआई कार्डधारकों के रूप में पंजीकृत होने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर विचार करने हेतु रीयूनियन आईलैंड, फ्रांसीसी राज्यक्षेत्र में भारतीय वाणिज्य दूतावास के प्रमुख को भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7क(3) के तहत निहित शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं।

नागरिकता

12.23 नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) दिनांक 12.12.2019 को अधिसूचित किया गया था और दिनांक 10.01.2020 से प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान के हिंदू,

सिख, बौद्ध, जैन, पारसी अथवा ईसाई समुदाय के ऐसे प्रवासियों, जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 को अथवा उससे पूर्व भारत में आए थे और जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उप–धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा या उसके तहत अथवा विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 के प्रावधानों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश को लागू किए जाने से छूट प्रदान की गई थी, को नागरिकता प्रदान करने के कार्य को सुगम बनाना है।

12.24 सीएए एक सीमित तथा अविस्तृत रूप में तैयार किया गया कानून है, जो एक स्पष्ट निर्दिष्ट तारीख के साथ विनिर्दिष्ट देशों के पूर्वोक्त समुदायों को छूट प्रदान करता है। यह अनुकम्पा आधारित एक सुधारात्मक कानून है।

12.25 सीएए भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है। इसलिए, यह किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों को किसी भी तरह से न तो छीनता है और न ही कम करता है। इसके अलावा, नागरिकता अधिनियम, 1955 में किए गए प्रावधान के अनुसार किसी भी श्रेणी के किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की वर्तमान कानूनी प्रक्रिया वस्तुतः प्रचालनात्मक (ऑपरेशनल) है और सीएए किसी भी तरह से इस कानूनी स्थिति में संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं करता है। अतः, किसी भी देश के किसी भी धर्म के वैध प्रवासी पंजीकरण अथवा देशीकरण के जरिए कानून में पहले से उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा करने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे।

12.26 भारत के संविधान में पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासी और स्थानीय लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छठीं अनुसूची के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए गए हैं। सीएए के दायरे में संविधान की छठीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के अंतर्गत इनर लाइन परमिट सिस्टम द्वारा कवर किए गए क्षेत्र शामिल नहीं हैं। इसलिए, सीएए पूर्वोत्तर राज्यों की स्थानीय जनसंख्या को संविधान द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता है।

12.27 नागरिकता संबंधी सभी आवेदनों पर की जाने वाली कार्रवाई को दिनांक 15.10.2019 से पेपरलेस कर दिया गया है। शुरू से आखिर तक कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा रही है। दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक, नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों (गृह मंत्रालय तथा 7 राज्यों और 16 जिलों में केंद्र सरकार की प्रत्यायोजित शक्तियों वाले प्राधिकारियों) द्वारा कुल 412 नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। इसमें से, 398 लोगों को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के तहत पंजीकरण द्वारा और 14 लोगों को धारा 6 के तहत देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की गई।

एफसीआरए विंग

12.28 एफसीआरए, 2010 राष्ट्रीय हित और इससे जुड़े मामलों के संबध में हानिकारक गतिविधियों के लिए ऐसे अंशदान के किसी भी उपयोग को रोकने के उद्देश्य से भारत में व्यक्तियों / संगठनों / गैर–सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसके उपयोग को विनियमित करता है।

12.29 एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत, किसी निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम चलाने वाले किसी भी व्यक्ति को केंद्र सरकार से पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से मना किया गया है। किसी निश्चित सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक अथवा धार्मिक कार्यक्रम के लिए विदेशी अभिदाय की मांग करने वाले संगठन अपने क्रियाकलापों एवं लेखापरीक्षित लेखाओं के विवरण प्रस्तुत करके निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देने के पश्चात ही विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय से या तो पंजीकरण अथवा पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। केवल उन संगठनों का पंजीकरण किया जाता है, जिनका विगत तीन वर्षों के दौरान कार्य के चयनित क्षेत्र में कार्य करने का प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड है और पंजीकरण के पश्चात ही ऐसे संगठन अपने वर्णित उद्देश्यों के लिए किसी विदेशी स्रोत से विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। संगठन तथा उसके पदाधिकारियों के क्रियाकलापों एवं पूर्ववृत्त की संपूर्ण सुरक्षा संबंधी जांच के पश्चात ही पंजीकरण किया जाता है अथवा पूर्व अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

12.30 एक ऑनलाइन एफसीआरए पोर्टल शुरू किया गया है। दिनांक 14.12.2015 से सभी एफसीआरए सेवाओं जैसे कि पंजीकरण, पूर्व अनुमोदन, पंजीकरण का नवीनीकरण, गैर–सरकारी संगठनों के ब्यौरे का परिवर्तन, विदेशी आतिथ्य की मंजूरी (विधान–मंडल के सदस्यों और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को छोड़कर) को ऑनलाइन

बनाया गया था। पोर्टल का नवीनीकरण किया गया है, ताकि इसे उपयोगकर्ता के लिए और ज्यादा अनुकूल तथा जानकारीपूर्ण बनाया जा सके।

12.31 दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक पंजीकरण, नवीनीकरण और पूर्व अनुमोदन तथा आतिथ्य से संबंधित एफसीआरए आवेदनों के निपटान का ब्यौरा निम्नानुसार है:

दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक एफसीआरए सेवाओं से संबंधित आवेदनों का निपटान

क्र.सं.	सेवाएं	प्रदान किए गए	मना किए गए	बंद
1	पंजीकरण	127	608	1
2	नवीनीकरण	119	35	2
3	पूर्व अनुमति	23	41	0
4	आतिथ्य	88	5	161
	कुल	**357**	**689**	**164**

12.32 विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 को संसद द्वारा सितम्बर, 2020 में पारित किया गया था और इसे दिनांक 28.09.2020 को अधिसूचित किया गया है। अधिनियम में किए गए संशोधनों से विभिन्न संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसके उपयोग की प्रभावी रूप से निगरानी करने में सहायता मिलेगी।

12.33 घोषित और विधिसम्मत उद्देश्यों के पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ बेहतर अनुपालन हेतु, इन संशोधनों के तहत कुछ महत्वपूर्ण अनुपालना बिन्दुओं जैसे कि सभी प्रमुख पदाधिकारियों के आधार नम्बर उपलब्ध कराने तथा विदेशी अभिदाय (एफसी) केवल भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की मुख्य शाखा, नई दिल्ली में खोले गए एफसीआरए खाते के माध्यम से प्राप्त करने आदि पर बल दिया गया है। इससे पदाधिकारियों की पहचान सुनिश्चित हो सकेगी तथा इस प्रकार बेनामी/फर्जी प्रविष्टि की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा, प्रशासनिक कार्यकलापों के लिए विदेशी अभिदाय के उपयोग को पचास प्रतिशत से कम करके बीस प्रतिशत तक सीमित करने से मुख्य/वास्तविक कार्यकलापों के लिए विदेशी अभिदाय के बड़े हिस्से की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस प्रकार की कैपिंग से गैर–उत्पादक मदों जैसेकि स्टाफ का अधिक वेतन, आलीशान भवनों एवं कार्यालयों, सजीले वाहनों आदि पर होने वाले खर्च में निश्चित रूप से कमी आएगी।

12.34 भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली मुख्य शाखा, 11, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 को केंद्र सरकार द्वारा विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 17 की उप–धारा (1) के प्रयोजन वाली शाखा के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। इसे दिनांक 07.10.2020 को अधिसूचित किया गया है।

12.35 केंद्र सरकार ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 में पुनः संशोधन किया है। विदेशी अभिदाय (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2020 को दिनांक 10.11.2020 को अधिसूचित किया गया है।

12.36 दिनांक 13.10.2020 के पब्लिक नोटिस के माध्यम से, केंद्र सरकार ने एफसीआरए खाता खोलने की समय–सीमा को दिनांक 31.03.2021 तक आगे बढ़ा दिया है और तब तक विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की है।

12.37 दिनांक 23.11.2020 के एक अन्य पब्लिक नोटिस के माध्यम से, केंद्र सरकार ने वर्ष 2019–20 की वार्षिक विवरणियां अपलोड करने/ऑनलाइन प्रस्तुत करने की समय–सीमा को दिनांक 30.06.2021 तक आगे बढ़ा दिया है।

12.38 केंद्र सरकार ने उन सभी गैर–सरकारी संगठनों के पंजीकरण प्रमाण–पत्रों की वैधता अवधि/लागू रहने की अवधि को भी 31 मई, 2021 तक आगे बढ़ा दिया है, जिनके प्रमाण–पत्र 29 सितम्बर, 2020 से 31 मई, 2021

के बीच समाप्त हो रहे थे।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

12.39 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मानव इतिहास में एक अनोखी मिसाल है। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए कार्य किया। यह संघर्ष 1947 तक जारी रहा और इसमें लोगों की अनेक पीढ़ियों का संघर्ष और बलिदान शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप ही देश को आजादी प्राप्त हुई। इस स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लोगों ने भाग लिया।

पेंशन योजना

12.40 स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 1969 में 'पूर्व–अंडमान राजनीतिक कैदी पेंशन योजना' नामक एक योजना शुरू की थी। वर्ष 1972 में, भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर, स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए "स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम" नामक एक नियमित योजना शुरू की गई थी। दिनांक 01.08.1980 से इस योजना को उदार बनाकर इसका नाम बदलकर 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना' कर दिया गया। वर्ष 2017 में, इस योजना के नाम को बदलकर "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना" (एसएसएसवाई) कर दिया गया था। एसएसएसवाई के अंतर्गत पेंशन की मंजूरी की पात्रता संबंधी शर्तों का ब्यौरा गृह मंत्रालय की वेबसाइट में स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

12.41 पेंशन की मंजूरी की पात्रता के मानदंड में कम से कम छह माह की अवधि तक जेल में रहने की यातना, जो स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भोगी है, निर्धारित की गई है। तथापि, महिला स्वतंत्रता सेनानियों और अनुसूचित जाति (एससी) तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों के लिए विशेष रियायत के रूप में न्यूनतम अवधि तीन माह रखी गई है।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अन्य सुविधाएं

12.42 पेंशन के अलावा, स्वतंत्रता सेनानियों को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं:

(क) स्वतंत्रता सेनानी/उनकी विधवा/विधुर के लिए एक सहयोगी के साथ उसी श्रेणी में आजीवन निःशुल्क रेलवे पास (दूरन्तो में 2/3 ए.सी., राजधानी/शताब्दी/ जनशताब्दी सहित किसी भी गाड़ी में प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी ए.सी.);

(ख) स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत चिकित्सा सुविधाएं और लोक उद्यम विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा भी प्रदान की गई है;

(ग) यदि व्यवहार्य हो तो, स्थापना प्रभार के बिना और केवल आधे किराए के भुगतान पर टेलीफोन का कनेक्शन;

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों आदि के आवंटन के लिए अपनाई गई सामान्य चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों (पीएच), बेहतरीन खिलाड़ियों (ओएसपी) और स्वतंत्रता सेनानियों (एफएफ) के लिए 'संयुक्त श्रेणी' के अंतर्गत 4% आरक्षण का प्रावधान।

(ङ) स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली में सामान्य पूल का रिहाइशी आवास (समग्र 5% विवेकाधीन कोटे के भीतर)। स्वतंत्रता सेनानी के जीवनसाथी को स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के पश्चात उस आवास को छह माह की अवधि तक अपने पास रखने की अनुमति दी गई है।

(च) स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों के लिए नई दिल्ली में ट्रांजिट आवास (निवास एवं भोजन) उपलब्ध कराने के लिए एक पूर्णरूपेण सुसज्जित और वृद्धावस्था के अनुकूल स्वतंत्रता सेनानी गृह है; और

(छ) उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त, पूर्व–अंडमान स्वतंत्रता सेनानियों/उनके जीवनसाथी को एक सहयोगी के साथ वर्ष में एक बार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा प्राप्त करने की भी अनुमति दी गई है।

पेंशन की राशि

12.43 वर्ष 1972 में पेंशन की आरंभिक राशि 200/– रु. प्रति माह निर्धारित की गई थी। तदनंतर, मूल पेंशन और महंगाई राहत को समय–समय पर संशोधित किया गया है। दिनांक 15.08.2016 से, पेंशन को संशोधित किया गया और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वर्ष में दो बार लागू महंगाई राहत प्रणाली की व्यवस्था की गई है। दिनांक 01.07.2019 से मासिक पेंशन की दर निम्नानुसार है:

क्रम सं.	स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी	दिनांक 15.08.2016 से मूल पेंशन (रु. प्रति माह)	दिनांक 01.07.2019 से 15% की दर से महंगाई राहत	पेंशन की कुल राशि (रु. प्रति माह)
1.	पूर्व–अंडमान राजनीतिक कैदी/उनके जीवनसाथी	30,000/–	4500/– रु.	34,500/–
2.	स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने ब्रिटिश भारत के बाहर यातना भोगी/उनके जीवनसाथी	28,000/–	4200/– रु.	32,200/–
3.	आई एन ए सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानी/उनके जीवनसाथी	26,000/–	3900/– रु.	29,900/–
4.	आश्रित माता–पिता/पात्र पुत्रियां (किसी भी समय अधिकतम 3 पुत्रियां)	स्वतंत्रता सेनानी को देय राशि के 50% की सीमा तक अर्थात् 13,000/– रु. से 15,000/– रु. तक	1950/– रु. से 2250/– रु. तक	स्वतंत्रता सेनानी को देय राशि के 50% की सीमा तक अर्थात 14,950/– रु. से 17,250/– रु. तक

12.44 मौजूदा नियमों में स्पष्टता लाने और योजना के दुरुपयोग की संभावना को दूर करने के लिए, दिनांक 06.08.2014 के पत्र संख्या 45.03.2014–एफएफ (पी) के माध्यम से केंद्रीय सम्मान पेंशन के वितरण के लिए संशोधित नीतिगत दिशानिर्देश, 2014 जारी किए गए थे।

12.45 सभी एसएसएसवाई पेंशन बैंक खातों को ''आधार'' से जोड़ने के कार्य में भी प्रगति हुई है, जो बढ़कर 90.70% हो गया है। सभी बैंकों को एसएसएसवाई पेंशन खातों को ''आधार'' से यथाशीघ्र जोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण पर व्यय

12.46 वित्त वर्ष 2020–21 हेतु गृह मंत्रालय के स्वीकृत बजट में पेंशन के भुगतान के लिए 760 करोड़ रुपये, केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानियों को जारी निःशुल्क कार्ड पास के लिए रेल मंत्रालय को भुगतान हेतु 15 करोड़ रुपये तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा स्वतंत्रता सेनानी गृह के रख–रखाव की प्रतिपूर्ति के लिए 31 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

केन्द्रीय सम्मान पेंशनरों की संख्या

12.47 योजना के अंतर्गत, दिनांक 31.12.2020 तक 1,71,648 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को सम्मान पेंशन स्वीकृत की गई है। उन स्वतंत्रता सेनानियों/उनके आश्रितों, जिन्हें सम्मान पेंशन स्वीकृत की गई है, का राज्य–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उन स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों की संख्या, जिन्हें पेंशन स्वीकृत की गई है (दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार)
1	आन्ध्र प्रदेश	15,285
2	तेलंगाना	
3	असम	4,442
4	बिहार	24,905
5	झारखंड	
6	गोवा	1,508
7	गुजरात	3,599
8	हरियाणा	1,690
9	हिमाचल प्रदेश	633
10	जम्मू और कश्मीर	1,807
11	लद्दाख	
12	कर्नाटक	10,100
13	केरल	3,424
14	मध्य प्रदेश	3,488
15	छत्तीसगढ़	
16	महाराष्ट्र	17,965
17	मणिपुर	63
18	मेघालय	86
19	मिजोरम	4
20	नागालैंड	3
21	ओडिशा	4,196
22	पंजाब	7,041
23	राजस्थान	814
24	तमिलनाडु	4,134
25	त्रिपुरा	888
26	उत्तर प्रदेश	18,000
27	उत्तराखंड	
28	पश्चिम बंगाल	22,523
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3
30	चंडीगढ़	91
31	दादरा और नगर हवेली	83
32	दमण और दीव	33
33	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,048
34	पुदुचेरी	320
35	आजाद हिन्द फौज (आईएनए)	22,472
	कुल	**1,71,648**

स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान

12.48 परम्परा के अनुसार, इस वर्ष, कोविड–19 वैश्विक महामारी के प्रसार के कारण भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिनांक 09.08.2020 को स्वतंत्रता संग्राम पेंशनरों के सम्मान में "ऐट होम" समारोह आयोजित नहीं किया जा सका। भारत के माननीय राष्ट्रपति की ओर से, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के डीएम/एसडीएम स्तर के अधिकारियों ने अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के स्वतंत्रता संग्राम पेंशनरों के घर पर अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा चिह्नित किए गए स्थान पर जाकर उन्हें अंगवस्त्रम और शॉल से सम्मानित किया।

अलप्पुजा, केरल

जम्मू, जम्मू और कश्मीर

दिनांक 09.08.2020 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की ओर से राज्य सरकारों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान

(स्रोत: राज्य सरकारें)

12.49 स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत, ऐसे 40 स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हैं, जिन्हें केंद्रीय सम्मान पेंशन देने के उद्देश्य से मान्यता दी गई है। उपर्युक्त 40 आंदोलनों में से, दो नवीनतम आंदोलनों यथा हैदराबाद मुक्ति आंदोलन और गोवा मुक्ति आंदोलन का ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

हैदराबाद मुक्ति आंदोलन

12.50 वर्ष 1947–48 के दौरान पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य के भारत संघ के साथ विलय हेतु हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को वर्ष 1985 में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत पेंशन की मंजूरी के लिए पात्र बनाया गया था। तदनुसार, हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के दौरान भूमिगत यातनाओं के दावों पर विचार करने के उद्देश्य से 98 सीमावर्ती कैम्पों को मान्यता दी गई थी। इसके पश्चात, गृह मंत्रालय ने दावों पर विचार करने के लिए, जुलाई, 2004 में 18 अतिरिक्त सीमावर्ती कैम्पों को मान्यता प्रदान की थी। गृह मंत्रालय ने वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों हेतु पेंशन की मंजूरी की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए दिनांक 10.9.2009 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।

गोवा मुक्ति आंदोलन

12.51 गोवा की मुक्ति के आंदोलन के दौरान, जो कई वर्षों तक चला, बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों को पुर्तगाली प्राधिकारियों के हाथों कड़ी सजा मिली थी। गोवा मुक्ति आंदोलन निम्नानुसार तीन चरणों में फैला था:

- चरण–I 1946 से 1953 तक
- चरण–II 1954 से 1955 तक
- चरण–III 1955 से 1961 तक

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

12.52 दिनांक 04.07.2018 को, भारत सरकार ने 3182.91 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ "प्रवासियों और प्रत्यावर्तितों के राहत और पुनर्वास" की अम्ब्रेला स्कीम के तहत आठ योजनाओं को एक साथ मिलाकर उसे मार्च, 2020 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की। इन 08 योजनाओं में से, एफएफआर प्रभाग निम्नलिखित तीन योजनाओं को कार्यान्वित करता है:

(क) तमिलनाडु और ओडिशा के शिविरों में रह रहे श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत सहायता।

(ख) तिब्बती बस्तियों के प्रशासनिक और सामाजिक कल्याण संबंधी खर्च के लिए केंद्रीय तिब्बती राहत समिति (सीटीआरसी) को अनुदान सहायता।

(ग) भारत और बांग्लादेश के बीच एन्क्लेवों के आदान–प्रदान के बाद वापस आने वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास पैकेज तथा बांग्लादेशी एन्क्लेवों और कूच बिहार जिले की अवसंरचना का उन्नयन।

"प्रवासियों और प्रत्यावर्तितों के राहत और पुनर्वास" की अम्ब्रेला स्कीम को वित्त मंत्रालय के दिनांक 10.01.2020 के का. ज्ञा. सं. 42(2)/पीएफ–II/2014 द्वारा दिनांक 31.3.2021 तक आगे बढ़ा दिया गया है।

श्रीलंकाई शरणार्थी

12.53 जुलाई, 1983 और अगस्त, 2012 के बीच विभिन्न चरणों में 3,04,269 श्रीलंकाई शरणार्थी भारत आए। भारत सरकार का दृष्टिकोण उन्हें श्रीलंका प्रत्यावर्तित करने के अंतिम लक्ष्य के साथ मानवीय आधार पर राहत प्रदान करना है। उनका इस प्रकार प्रत्यावर्तन होने तक उन्हें राहत प्रदान की जाती है।

12.54 यद्यपि मार्च, 1995 तक 99,469 शरणार्थी श्रीलंका को प्रत्यावर्तित किए जा चुके हैं, तथापि, मार्च, 1995 के पश्चात कोई संगठित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है तथा कुछ शरणार्थी श्रीलंका लौट गए हैं अथवा खुद ही दूसरे देशों को चले गए हैं। दिनांक 01.01.2021 की स्थिति के अनुसार, 58,843 श्रीलंकाई शरणार्थी तमिलनाडु के 108 शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं और 54 शरणार्थी ओडिशा में रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु में राज्य प्राधिकरणों के पास पंजीकृत लगभग 34,135 शरणार्थी शिविरों के बाहर रह रहे हैं।

12.55 प्रत्यावर्तन होने तक, इन्हें मानवता के आधार पर कुछ आवश्यक राहत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं में शिविरों में शरण, नकद सहायता, सस्ता राशन, वस्त्र, बर्तन, चिकित्सा–देखभाल और शिक्षा संबंधी सहायता शामिल हैं। सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और बाद में भारत सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। जुलाई, 1983 से दिनांक 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान इन शरणार्थियों को राहत और आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा 1,154 करोड़ रूपये (लगभग) की धनराशि व्यय की गई है।

तिब्बती शरणार्थी

12.56 वर्ष 1959 में धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा तिब्बत छोड़ने के बाद से तिब्बती शरणार्थियों का भारत में आना शुरु हो गया। भारत सरकार ने उन्हें शरण देने के साथ–साथ अस्थायी तौर पर बसाने के लिए सहायता देने का निर्णय लिया। उनकी पृथक जातीय और सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने का ध्यान रखा गया है।

12.57 केंद्रीय तिब्बती राहत समिति (सीटीआरसी) द्वारा करायी गई नवीनतम जनगणना 2019 के अनुसार, दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार भारत में तिब्बती शरणार्थियों की जनंसख्या 72,312 थी। इनमें से अधिकांश शरणार्थी स्व–रोजगार के माध्यम से या कृषि और हथकरघा योजनाओं के तहत सरकार की सहायता से देश के विभिन्न राज्यों में बस गए हैं। तिब्बती शरणार्थियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक (21,353), हिमाचल प्रदेश (14,973), अरुणाचल प्रदेश (4,759), उत्तराखंड (4,828), पश्चिम बंगाल (3,079) तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (6,987) में है। तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास लगभग पूरा हो गया है और केवल एक शेष आवास योजना उत्तराखंड राज्य में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

12.58 देश के विभिन्न भागों में बसे तिब्बती शरणार्थियों के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न

सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में एकरुपता लाने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने तिब्बती पुनर्वास नीति, 2014 जारी की है।

12.59 भारत सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में स्थित 36 तिब्बती आवासन कार्यालयों के प्रशासनिक एवं सामाजिक कल्याण की गतिविधियों के खर्च को पूरा करने के लिए वर्ष 2015–16 से शुरू करके वर्ष 2019–20 तक पांच वर्ष की अवधि हेतु धर्मगुरू दलाई लामा की केन्द्रीय तिब्बती राहत समिति (सीटीआरसी) को 40 करोड़ रू. की अनुदान सहायता प्रदान करने की एक योजना मंजूर की है। 40 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है।

पूर्व भारतीय एन्क्लेवों से वापस आने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास और भारत में पूर्व बांग्लादेशी एन्क्लेवों एवं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में अवसंरचना का सृजन तथा उन्नयन

12.60 भारत–बांग्लादेश भूमि सीमा करार, 1974 के कार्यान्वयन हेतु संविधान (संशोधन) विधेयक पर विचार करते समय सोलहवीं लोक सभा की विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति (2014–15) ने, अन्य बातों के साथ–साथ, यह सिफारिश की थी कि सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ परामर्श करके पुनर्वास एवं मुआवजे के मुद्दे का निराकरण करते हुए भारत में बांग्लादेशी एन्क्लेवों के विकास एवं एकीकरण के लिए एक खाका तैयार करना चाहिए। भारत सरकार ने 1,005.99 करोड़ रू. की लागत से बांग्लादेश में पूर्व भारतीय एन्क्लेवों से वापस आने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और भारत में पूर्व बांग्लादेशी एन्क्लेवों तथा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन की योजना अनुमोदित की थी। इसमें से, दिनांक 31.12.2020 तक पश्चिम बंगाल सरकार को 817.98 करोड़ रू. की राशि जारी कर दी गई है।

प्रत्यावासी सहकारी वित्त एवं विकास बैंक लिमिटेड (आरईपीसीओ), चेन्नई

12.61 श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम और अन्य देशों के प्रत्यावासियों के पुनर्वास में सहायता प्रदान करने और इसे बढ़ावा देने के लिए मद्रास सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (1961 की सं. 53) [अब बहु–राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 39)] के तहत वर्ष 1969 में आरईपीसीओ(रेपको) बैंक की स्थापना एक समिति के रूप में की गई थी। बैंक का प्रबंधन, निदेशक मंडल करता है। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व दो निदेशक करते हैं। दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल प्राधिकृत शेयर पूंजी 500.25 करोड़ रुपए है और अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी 155.56 करोड़ रुपये है, जिसमें से 49% का अंशदान भारत सरकार करती है और लगभग 6.25% का अंशदान पांच दक्षिणी राज्यों नामतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल द्वारा किया जाता है। शेष प्रदत्त पूंजी का अंशदान स्वदेश लौटने वाले तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया है। इसके उप–नियमों के अनुसार, इस समय रेपको, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। बैंक ने वर्ष 2018–19 हेतु 20% की दर से लाभांश का भुगतान किया है।

पुनर्वास बागान लिमिटेड (आरपीएल), पुनालूर, केरल

12.62 पुनर्वास बागान लिमिटेड (आरपीएल) भारत सरकार और केरल सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाला उपक्रम है, जिसका निगमन वर्ष 1976 में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत केरल में रबड़ के बागान लगाकर प्रत्यावर्तित लोगों को श्रमिकों और कर्मचारियों के रूप में पुनः बसाने के लिए किया गया था। कम्पनी का प्रबंधन, निदेशक मंडल करता है, जिसमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व दो निदेशक करते हैं। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी (31.12.2020 की स्थिति के अनुसार) 339.27 लाख रु. थी। कंपनी में केरल सरकार की इक्विटी 205.85 लाख रु. और भारत सरकार की इक्विटी 133.42 लाख रु. है। चूंकि बड़ी शेयरधारक राज्य सरकार है, इसलिए आरपीएल राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

शत्रु संपत्ति

12.63 वर्ष 1962 और 1965 में क्रमशः चीन और पाकिस्तान के आक्रमण के मद्देनजर, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, 1962 के अंतर्गत दिनांक 20.08.1968 को शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 अधिनियमित किया गया था, ताकि चल एवं अचल दोनों तरह की संपत्तियों को आगे भी "भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (सीईपीआई)" के अधिकार में रखने का प्रावधान किया जा सके। भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के अंतर्गत एक

सांविधिक पद है। सीईपीआई का मूल कार्य, अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/दिशानिर्देशों/आदेशों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा संपत्ति का निपटान किए जाने तक संपत्ति की पहचान करना, उसे अपने अधिकार में रखना, उसका परिरक्षण, प्रबंधन तथा उस पर नियंत्रण रखना है। भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक का कार्यालय, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ में स्थित 03 शाखा कार्यालयों के साथ काम कर रहा है।

12.64 अधिनियम में वर्ष 1977 और 2017 में संशोधन किए गए थे। वर्ष 2017 के संशोधन के माध्यम से शत्रु संपत्ति के निपटान संबंधी प्रावधान किए गए हैं। वर्ष 2017 में मूल अधिनियम में किए गए संशोधन के पश्चात, दिनांक 21.03.2018 की अधिसूचना के माध्यम से शत्रु संपत्ति नियमावली, 2015 में संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त, सम्पत्ति को अपने अधिकार में रखने संबंधी सीईपीआई के आदेश से प्रभावित हुए मामलों पर विचार करने के लिए अचल और चल शत्रु संपत्ति के निपटान हेतु दिशानिर्देश और आदेश जारी किए गए हैं। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के माध्यम से सूचीबद्ध और गैर–सूचीबद्ध दोनों प्रकार के शत्रु शेयरों के निपटान के लिए, दिनांक 18.02.2019 को एक अधिसूचना जारी की गई है। इसके अलावा, सोने और चांदी के आभूषणों के निपटान के लिए, दिनांक 16.12.2019 के आदेश के द्वारा भारत सरकार टकसाल, मुम्बई के माध्यम से सीईपीआई को उसका निपटान करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

12.65 पिछले कुछ वर्षों के दौरान, भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (सीईपीआई) ने शत्रु नागरिकों/फर्मों से संबंधित 12,610 संपत्तियों को अपने अधिकार में रखा है। इन संपत्तियों को चल शत्रु संपत्ति यथा शेयरों, सोने/चांदी के आभूषणों तथा अचल शत्रु संपत्ति यथा जमीन और इमारतों (वाणिज्यिक, आवासीय, आवासीय–सह–वाणिज्यिक), जलाशयों, दुकानों आदि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

12.66 सीईपीआई ने चल शत्रु संपत्तियों का निपटान करके कुल 3,172.12 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं, जिसमें वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21 में 143 कंपनियों के 7,49,24,623 शेयर (2704.73 करोड़ रुपये) और 467.39 करोड़ रुपये की राशि के बांडों/प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त राशि शामिल है।

12.67 सीईपीआई ने 1699.79 ग्राम सोना और 28.896 किलोग्राम चांदी के आभूषणों को अपने अधिकार में रखा है। शत्रु संपत्ति निपटान समिति की सिफारिश पर, सक्षम प्राधिकारी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार टकसाल के माध्यम से इन वस्तुओं के निपटान का अनुमोदन प्रदान किया है।

12.68 शत्रु संपत्ति के प्रभावी परिरक्षण, प्रबंधन और शीघ्र निपटान के लिए, शत्रु संपत्ति सूचना प्रणाली का विकास किया गया है। यह इस विषय से संबंधित कार्य कर रहे सभी धारकों के लिए उपलब्ध है। इस प्रणाली से शत्रु संपत्ति की पहचान करने और उसे अपने अधिकार में रखने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

12.69 अचल शत्रु संपत्तियों की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए, सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नवीनतम सर्वेक्षण और मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी गई है। प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने हेतु, उपर्युक्त मामले में समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। गृह मंत्रालय इस मुद्दे को नोडल अधिकारियों और संबंधित डीएम/डीसी के माध्यम से राज्यों के साथ उठा रहा है।

12.70 अधिकार में रखी गई शत्रु संपत्तियों की कड़ी निगरानी को बढ़ावा देने के लिए, आईसीटी का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (सीईपीआई) की वेबसाइट सक्रिय है और जनता के लिए खुली है। वेबसाइट https://enemyproperty.mha.gov.in/ पर देखी जा सकती है।

* * * *

अध्याय–13

महिला सुरक्षा

13.1 गृह मंत्रालय ने दिनांक 28.05.2018 को एक महिला सुरक्षा प्रभाग स्थापित किया है, ताकि देश में महिलाओं की सुरक्षा के उपायों को सुदृढ़ बनाया जा सके और साथ ही पूर्ण रूप से न्याय का शीघ्र और प्रभावशाली क्रियान्वयन करके एवं महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करके उनमें अपनी सुरक्षा के प्रति विश्वास पैदा किया जा सके। यह प्रभाग उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की सहायता आदि के लिए नीति निर्माण करने, आयोजना करने, समन्वय करने, परियोजनाओं/स्कीमों को तैयार करने और उनका क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी है, जिनमें क्षमता संवर्धन और फॉरेंसिक विज्ञान के आधुनिकीकरण; महिलाओं और बच्चों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, वृद्ध व्यक्तियों और ट्रांसजेंडरों के प्रति अपराधों की रोकथाम से संबंधित मामलों; व्यक्तियों का दुर्व्यापार और प्रवासियों की तस्करी; कारागार सुधारों, सुधार प्रशासन, कारागार/कैदियों संबंधी विधान; विष अधिनियम, 1919; और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से संबंधित मामले आदि शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें

- "112 सिंगल आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली" 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में चल रही है।
- गृह मंत्रालय द्वारा 8 शहरों में परियोजना के कार्यान्वयन हेतु इस वर्ष सुरक्षित शहर परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता को बढ़ाकर 1311.69 करोड़ रु. कर दिया गया है। राज्य उपर्युक्त परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए "सुरक्षित शहर कार्यान्वयन मॉनीटरिंग पोर्टल (एससीआईएम)" का उपयोग कर रहे हैं। इन परियोजनाओं की गृह मंत्रालय द्वारा नियमित तौर पर समीक्षा भी की जाती है।
- समय पर और प्रभावी जांच के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने हेतु, राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण, साइबर– फॉरेंसिक और संबद्ध फॉरेंसिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की परियोजना 7 और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (गोवा, ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और पुदुचेरी) में शुरू की गई है, जिससे इन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की कुल संख्या 20 हो गई है। यह परियोजना निर्भया कोष स्कीम के भाग के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। गृह मंत्रालय का कुल वित्तपोषण अब 189.45 करोड़ रु. हो गया है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने देश के सभी जिलों में मानव तस्करी–रोधी इकाइयां (एएचटीयू) गठित करने/सुदृढ़ बनाने और पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) स्थापित करने की परियोजना का कार्यान्वन शुरू कर दिया है। गृह मंत्रालय ने निर्भया कोष के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को 200 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने के साथ–साथ प्रगति की निगरानी करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयोजनार्थ गृह मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान की गई है।
- फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, रख–रखाव और परिवहन के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए थे, ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य की हेंडलिंग कर रहे जांच अधिकारियों और अभियोजन अधिकारी तथा चिकित्सा अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाया जा सके और उनमें कौशल विकास किया जा सके। यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, रख–रखाव और परिवहन विषय पर "पुलिस सुधार एवं विकास ब्यूरो" और "लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि–विज्ञान संस्थान" द्वारा कुल 13602 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

- "पुलिस सुधार एवं विकास ब्यूरो" ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को यौन हमला साक्ष्य संग्रहण (एसएईसी) की 14950 किट संवितरित किए हैं। ये एसएईसी किट यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के प्रभावी संग्रहण, रख–रखाव और भंडारण को सुविधाजनक बनाएंगे।
- सीसीटीएनएस का प्रयोग करते हुए, एनसीआरबी ने एक 'घोषित अपराधी' मॉड्यूल शुरू किया है, जो नागरिकों को घोषित अपराधियों के बारे में ऑनलाइन सूचना प्रदान करता है।
- फॉरेंसिक जांच में गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, गृह मंत्रालय ने फॉरेंसिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय (डीएफएसएस) के माध्यम से एनएबीएल मानदंडों (आईएसओ 17025) के अनुसार प्रयोगशालाओं के अधिप्रमाणन के लिए गुणवत्ता मैनुअल और फॉरेंसिक विज्ञान के नौ विषयों में कार्यकारी पद्धति मैनुअल; जीव विज्ञान और डीएनए प्रभागों के लिए गुणवत्ता मैनुअल और कार्यकारी पद्धति मैनुअल; तथा फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना/स्तरोन्नयन के लिए उपकरण की मानक सूची जारी की है।

देश में महिला सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं:

अंतर–परिचालनीय दांडिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) तथा "अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस)"

13.2 अपराधों और अपराधियों से संबंधित सूचना की उपलब्धता अपराधिक जांच में न केवल समयबद्धता और कार्य कुशलता के लिए एक योगदान देने वाला कारक है अपितु, यह अपराध की रोकथाम के संबंध में अपराध विश्लेषण, अनुसंधान और नीति–निर्माण के उद्देश्य से इस डाटाबेस के उपयोग को भी सुविधाजनक बनाता है। राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों और अपराधियों के संबंध में सूचना एकत्र करने और इसके आदान–प्रदान हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में पुलिस को एक साझा प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय ने वर्ष 2004 में शुरू की गई कॉमन इंटिग्रेटेड पुलिस एप्लिकेशन (सीआईपीए) परियोजना के एक विस्तार के रूप में वर्ष 2009 में सीसीटीएनएस परियोजना का कार्यान्वयन शुरू किया है। जहां सीआईपीए पुलिस स्टेशनों (पीएस) में एकल आधार पर डाटा के कंप्यूटरराइजेशन के उद्देश्य से शुरू की गई थी, वहीं, सीसीटीएनएस एक कदम और आगे बढ़ गई और इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल प्लेटफार्म पर अपराध एवं अपराधियों से संबंधित सूचना के संग्रहण और आदान–प्रदान के लिए सभी पुलिस स्टेशनों (पीएस) और उच्च पुलिस कार्यालयों को आपस में जोड़ने की परिकल्पना है। इस परियोजना को 2000 करोड़ रुपये की कुल लागत से अनुमोदन प्रदान किया गया था। परियोजना की योजना के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को हार्डवेयर, सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, क्नेक्टिविटी और प्रशिक्षण के संबंध में केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

13.3 सीसीटीएनएस परियोजना के विस्तृत उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(क) अपराध और अपराधिक डाटा का एकल संग्रह तैयार करना।

(ख) विधि प्रवर्तन एजेंसियों हेतु राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक एवं पैरामीटरीकृत अनुसंधान के विकल्प प्रदान करना ताकि जांचकर्ता को सशक्त बनाया जा सके तथा साथ ही मामले का पता लगाकर उसका समाधान किया जा सके ।

(ग) नागरिकों को पूर्ववृत्त के सत्यापन संबंधी अनुरोध करने, दर्ज की गई शिकायतों की प्रगति के बारे में जानने आदि के लिए पुलिस सेवाओं की सुगम डिजिटल पहुंच प्रदान करना।

(घ) नीति के बारे में सूचित करना तथा समय पर अपराध की प्रवृत्तियों और अपराधिक रिपोर्टों के माध्यम से बेहतर निगरानी करना।

13.4 सीसीटीएनएस के अंतर्गत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में राज्य डाटा केंद्र (एसडीसी) स्थापित किए गए हैं। उल्लिखित उद्देश्यों के एक बड़े भाग की प्राप्ति के पश्चात, वर्तमान में यह परियोजना परिचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) चरण में है, जो दिनांक 31.03.2022 तक वैध है। सीसीटीएनएस परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा किया जा रहा है।

13.5 इसके साथ ही, वर्ष 2015 से न्याय प्रदायगी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से सीसीटीएनएस परियोजना के दायरे को अपराध और आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने से आगे बढ़ाकर इसे दांडिक न्याय प्रणाली के अन्य स्तंभों अर्थात् कारागारों, न्यायालयों, अभियोजन और न्यायालयिक

विज्ञान के साथ जोड़कर एक अंतर– परिचालनात्मक दांडिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) की स्थापना करने तक विस्तारित किया गया है। आईसीजेएस प्रणाली के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) का डेसबोर्ड तैयार किया गया है, जिसमें विषय–वस्तु की स्वतंत्र छानबीन करने की सुविधा तथा पुलिस, कारागार और न्यायालय डाटाबेस में किसी आरोपी की खोज करने की क्षमता मौजूद है। आईसीजेएस के अन्तर्गत तलाशी एवं पूछताछ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में उपलब्ध है। यह आपराधिक जांच एवं न्याय प्रदायगी प्रणाली को और अधिक कुशल, पारदर्शी बनाने तथा स्मार्ट पुलिस व्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए दांडिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों के एकीकरण को सुविधाजनक बनाती है। केंद्रीय विधि प्रवर्तन एजेंसियों के अन्य डाटाबेसों के साथ एकीकरण करने और डोमेन को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।

13.6 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने नागरिक केंद्रित पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने राज्य नागरिक पोर्टल भी शुरू किए हैं जो सीसीटीएनएस और आईसीजेएस से जुड़े हुए हैं। सीसीटीएनएस परियोजना के भाग के रूप में राज्य नागरिक पोर्टल में नौ शासनादेशित महत्वपूर्ण पुलिस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, और इसमें शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, शिकायतों की स्थिति के बारे में जानना, एफआईआर, गिरफ्तार व्यक्तियों/वांछित अपराधियों का ब्योरा प्राप्त करना, पंजीकृत शिकायतों की प्रगति का पता लगाना, सम्पत्ति की चोरी की सूचना देना, लापता व्यक्तियों से संबंधित आंकड़ों को जानना एवं उनकी सूचना देना और विभिन्न अनापत्ति प्रमाणपत्रों के जारी/ नवीनीकरण संबंधी अनुरोध प्रस्तुत करना इत्यादि शामिल हैं। नागरिक रोजगार पूर्व सत्यापन हेतु अनुरोध करने के लिए भी राज्य नागरिक पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषकर महिलाओं के प्रति अपराधों के मामले में, शीघ्र पहचान और कठोर सजा की निश्चितता को एक व्यवहार्य निवारण के रूप में कार्य करते हुए देखा गया है। सीसीटीएनएस परियोजना के महत्वपूर्ण परिणामों से न केवल पीड़ित व्यक्तियों को अपने घरों से ऑनलाइन शिकायतें (न कि एफआईआर) पंजीकृत करने में सहायता मिलती है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप जांच अधिकारी सूचना तथा मानक पुलिस प्रक्रियाओं के द्वारा मामलों में शीघ्र पहचान और समय पर अभियोजन कर पाते हैं जिस कारण, यह महिलाओं की सुरक्षा और बचाव को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है।

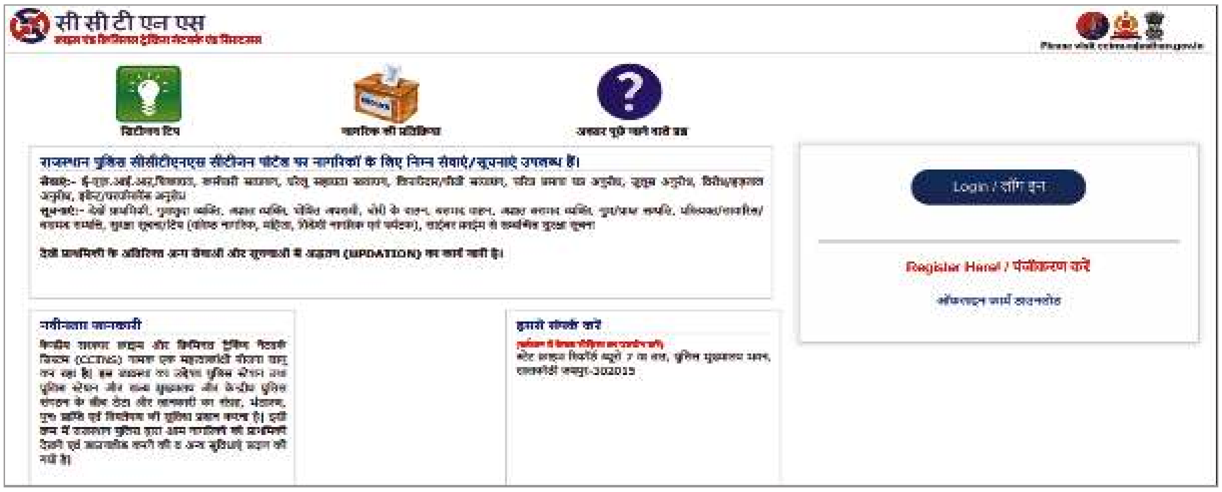

पोर्टल स्नैपशॉट – राजस्थान पुलिस द्वारा नागरिक सेवा पोर्टल

13.7 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने सीसीटीएनएस प्लेटफार्म पर पुलिस से जुड़ी हुई विशिष्ट राष्ट्रीय स्तरीय नागरिक केंद्रित सेवाएं शुरू की हैं, जिनको www.digitalpolicecitizenservices.gov.in. पर ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। इन सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैंः–

(क) **लापता व्यक्ति की तलाशः** इस सेवा के अंतर्गत नागरिक बरामद हुए अज्ञात व्यक्ति/अज्ञात शवों के राष्ट्रीय डाटाबेस से अपने लापता परिजनों की ऑनलाइन तलाश कर सकते हैं।

(ख) **वाहनों का अनापत्ति प्रमाण–पत्र बनानाः** इस सेवा के अंतर्गत नागरिक किसी वाहन की सेकंड हैंड खरीद करने से पूर्व उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं, जैसे कि डाटाबेस में पुलिस

रिकॉर्ड के अनुसार यह संदिग्ध है अथवा साफ है। उक्त तलाश वाहन के ब्यौरे के आधार पर राष्ट्रीय डाटाबेस से की जा सकती है; कोई भी व्यक्ति स्वामित्व के हस्तांतरण से पूर्व आरटीओ द्वारा अपेक्षित संगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र बना सकता है और डाउनलोड कर सकता है।

(ग) **घोषित अपराधी:** इस नई सेवा की सहायता से नागरिक न्यायालय द्वारा घोषित किए गए अपराधियों के आंकड़े देखने और प्रिंट करने के लिए "घोषित अपराधी तलाश सेवा" का उपयोग कर सकते हैं। इस मापदंड में तलाश करने के लिए नागरिकों को विशिष्ट ब्यौरे जैसे कि नाम, राज्य, जिला और तारीख रेंज, एफआईआर संख्या डालने की आवश्यकता होती है।

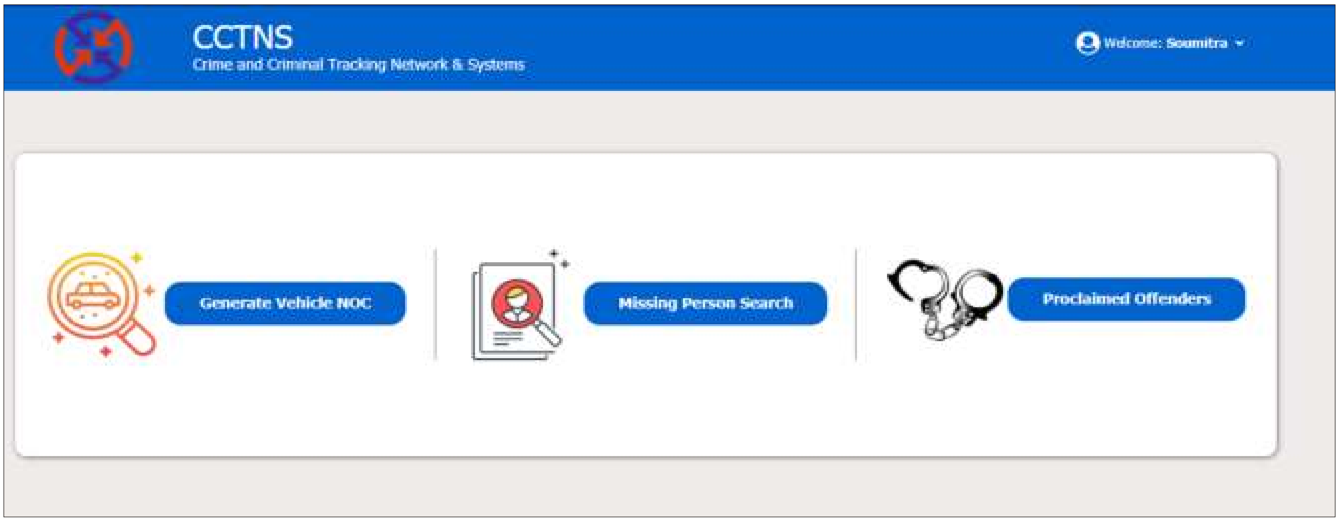

नागरिक सेवा पोर्टल

वित्त वर्ष 2020–21 में उपलब्धियां

13.8 सीसीटीएनएस ने देश के सभी पुलिस स्टेशनों (पीएस) में पहुंच, कनेक्टिविटी और प्रयोग में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। राज्यों को भी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राज्य नागरिक पोर्टल (एससीपी) तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया गया था। परियोजना के प्रयोग में प्रगति की स्थिति को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्र.सं.	गतिविधि/प्रचालन का क्षेत्र	स्थिति (दिनांक 31.12.2019 के अनुसार)	उपलब्धियां (दिनांक 31.01.2021 के अनुसार)
1.	कुल पुलिस स्टेशन	15985	16177
2.	सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीएनएस शुरू करना #	15152	15840
3.	सभी पुलिस स्टेशनों में कनेक्टिविटी	15224	15644
4.	उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की संख्या जहां एनडीसी के साथ एसडीसी जुड़ी हई है	36	36
5.	सीएएस स्टेट एप्लीकेशन में एफआईआर (100%) दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या	14992	15681
6.	सीसीटीएनएस में पंजीकृत एफआईआर की संख्या	2.86 करोड़	6.90 करोड़
7.	उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की संख्या जहां सभी 9 नागरिक सेवाएं शुरू कर दी गई हैं	34	35
8.	उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की संख्या जिन्होंने राज्य नागरिक पोर्टल शुरू किया है	36	36
9.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नागरिक पोर्टल से प्राप्त अनुरोधों की संख्या	4.66 करोड़	6.46 करोड़

आरंभ में 14306 पुलिस स्टेशनों (पीएस) को सीसीटीएनएस में शामिल किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा प्रति वर्ष नए पुलिस स्टेशन जोड़े जाते हैं।

लापता व्यक्तियों की निगरानी करने के लिए आंध्र प्रदेश में पुलिस द्वारा प्रयुक्त एमआईएस का एक स्क्रीन शॉट

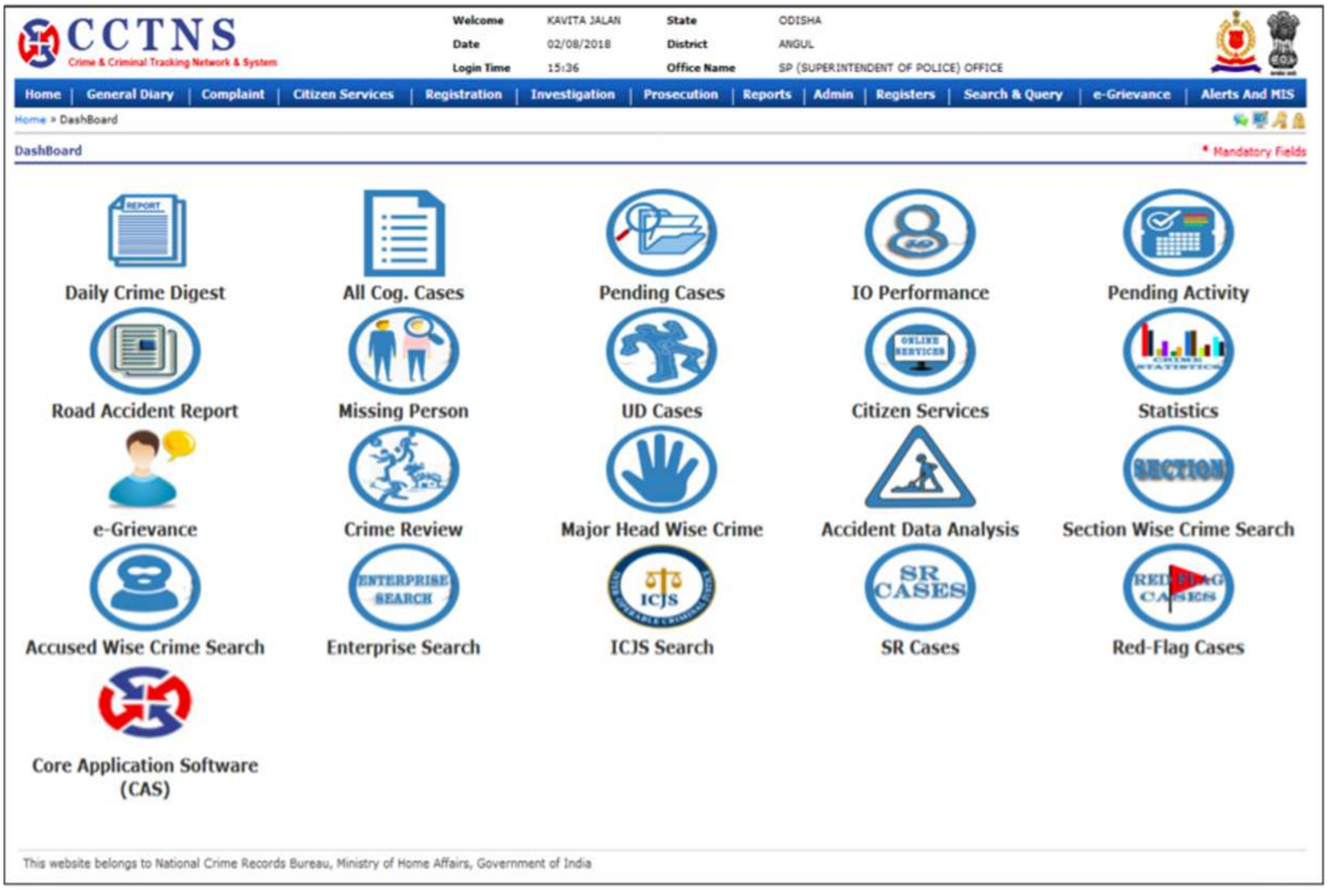

ओडिशा पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक स्तर पर प्रयुक्त सीसीटीएनएस एमआईएस डेशबोर्ड

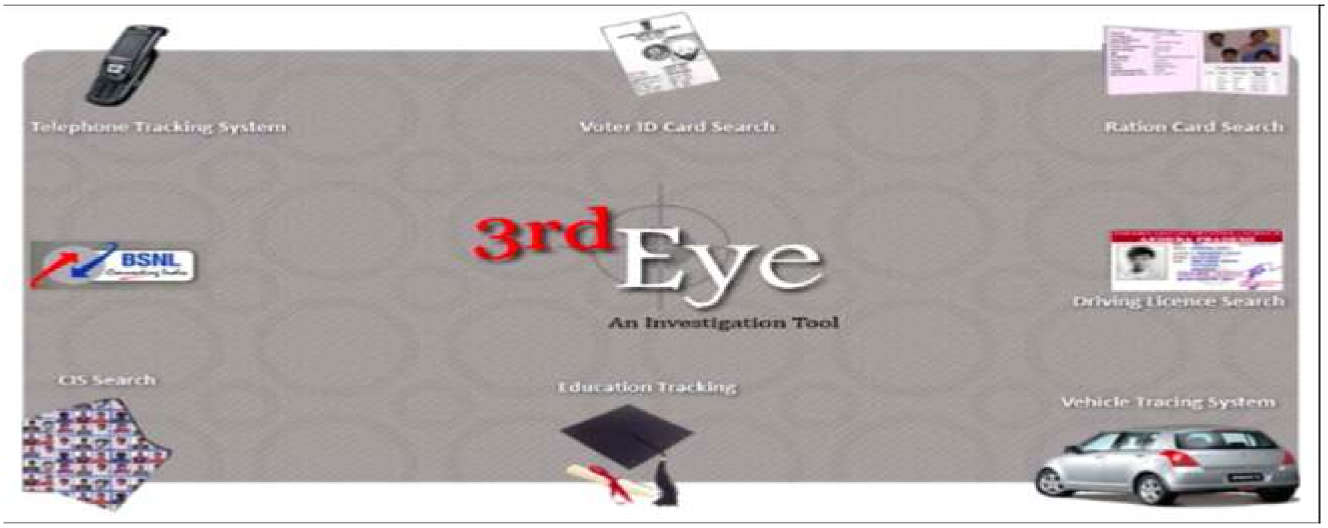

सीसीटीएनएस परियोजना के भाग के रूप में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस द्वारा विकसित विशेष जांच उपकरण

13.9 आईसीजेएस के अंतर्गत, आपराधिक मामलों के निपटान में समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को सुविधा प्रदान करने के एक कदम के रूप में एक स्थगन चेतावनी मॉड्यूल तैयार किया गया है। नई विशेषता के अनुसार, जब कभी किसी आपराधिक मामले में कोई सरकारी अभियोजक दो से अधिक बार स्थगन की मांग करता है, तो इसके लिए उक्त प्रणाली में वरिष्ठ अधिकारियों को एक चेतावनी भेजने का प्रावधान किया गया है।

13.10 जघन्य अपराध और अंतर–राज्य अपराध के मामलों में समन्वय से संबंधित अन्य मुद्दों की सूचना साझा करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में पुलिस स्टेशनों और उच्चाधिकारियों के लिए क्राई–मैक (क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर) की सुविधा शुरू की गई है। इसका प्रयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से अपराध तथा अंतर–राज्यीय अपराधियों के बारे में चेतावनियां/सूचना भेजने के लिए किया जा सकता है।

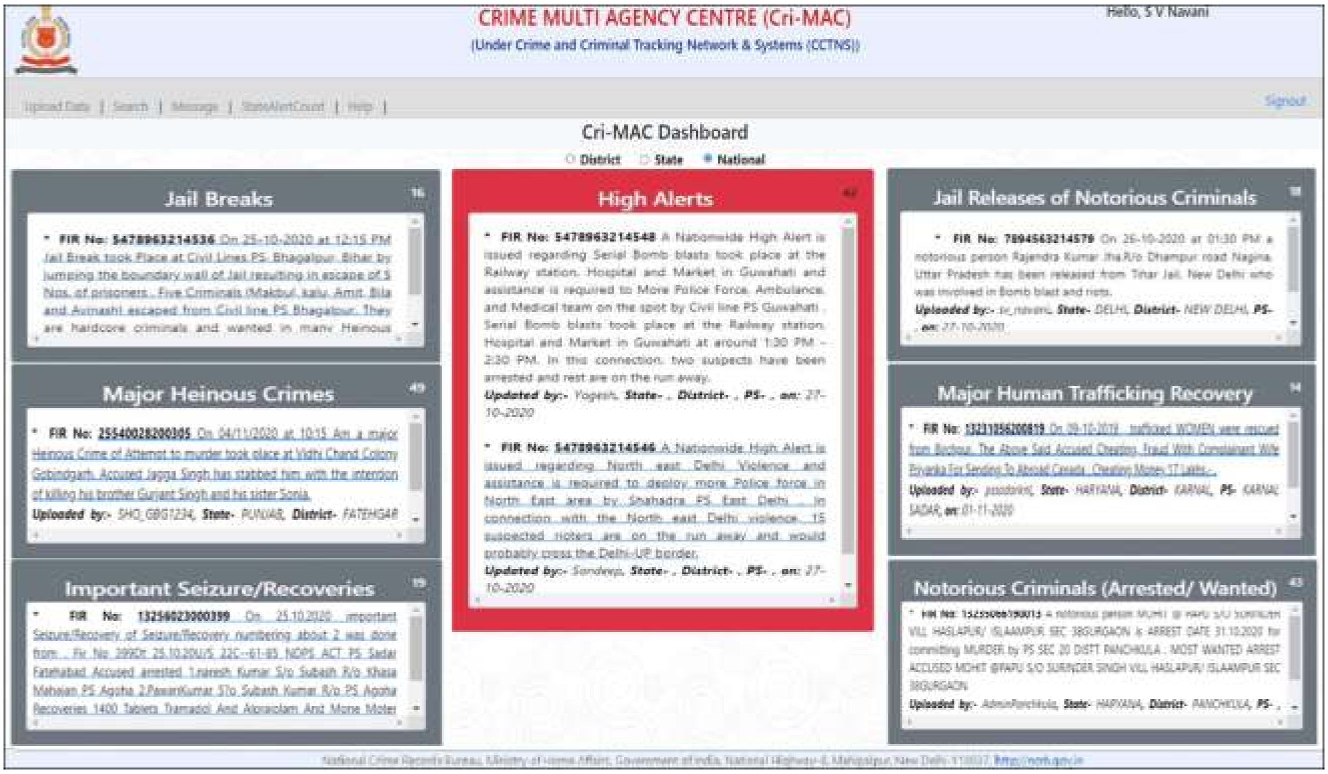

क्राई–मैक डेशबोर्ड

13.11 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने पुलिस और कारागार आंकड़ें का प्रयोग करके एक कार्यप्रणाली (एमओ) शुरू की है। जांच अधिकारियों द्वारा इसका पूरे देश में ऑनलाइन उपयोग किया जा सकता है। यह विशेषता पुलिस अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण जांच सहायता है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने अनुसंधान करने के लिए एक कार्यप्रणाली ब्यूरो (एमओबी) स्थापित किया है। एनसीआरबी द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए एम.ओ. मॉड्यूल पर प्रशिक्षण भी प्रदान किए गए हैं।

यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस

13.12 आईसीजेएस प्लेटफार्म को अधिक सक्षम बनाने के लिए सितम्बर, 2018 को यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीएसओ) की शुरूआत की गई थी, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से ज्ञात और अभ्यस्त यौन अपराधियों की पहचान के माध्यम से महिलाओं के प्रति अपराध और हिंसा को रोकना है और उनमें कमी लाना है। एनडीएसओ सभी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए चौबीस घंटे उपलब्ध है तथा यह यौन अपराधों के मामले में व्यक्तियों के पूर्ववृत सत्यापन और शीघ्र पहचान को सक्षम बनाता है। एनडीआरएफ के पास पूरे देश के 10.69 लाख से अधिक यौन अपराधियों का आंकड़ा है, जिससे जांच अधिकारी यौन अपराधियों के विरूद्ध निवारणात्मक उपाय करने के अतिरिक्त अभ्यस्त यौन अपराधियों का पता लगा सकते हैं।

यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ)

13.13 यौन हमलों के मामलों में, जहां दंड विधि (संशोधन) 2018, अधिनियम में प्राथमिक रिपोर्ट की तारीख से 2 माह के भीतर जांच पूरी किए जाने को अनिवार्य बनाया गया है, गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए यौन अपराधों की पहचान और उनके समाधान में प्रगति का पता लगाने हेतु सीसीटीएनएस डाटा पर आधारित एक "यौन अपराध संबंधी जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ)" पोर्टल बनाया है। यह एक क्लाउड आधारित विश्लेषणात्मक पोर्टल है जो विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर एफआईआर स्तर तक ड्रिल–डाउन सुविधा के साथ उपलब्ध है। इसका प्रयोग पुराने मामलों के संबंध में रिपोर्टें और डेसबोर्ड तैयार करने के लिए किया जा सकता है तथा इसमें मामलों के शीघ्र समाधान के लिए जिला और पुलिस स्टेशन स्तर पर विलम्ब को समाप्त करने की क्षमता विद्यमान है।

13.14 गृह मंत्रालय ने रैंकिंग की प्रक्रिया में निष्पक्षता और विश्लेषण का एक स्तर शुरू करके देश में सर्वोत्तम पुलिस स्टेशनों की पहचान करने के लिए एक अध्ययन किया है। सीसीटीएनएस का डाटा इनपुट इस चयन प्रक्रिया का मूल भाग बन गया है, जिससे जमीनी सर्वेक्षण और नागरिक आकलन किया जा सकता था। चयन के निर्धारित मानदंड में महिलाओं और बच्चों के प्रति यौन अपराधों की रिकॉर्डिंग और पंजीकरण के 60 दिन के भीतर उनका समाधान तथा अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रति अपराधों एवं सम्पत्ति संबंधी अपराध की रिकॉर्डिंग एवं उनका समाधान शामिल थे। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इस अभ्यास में भाग लिया। वर्ष 2020–21 के लिए देश में शीर्ष 3 पुलिस स्टेशनों के रूप में नोंगपोकसेकमाई, मणिपुर और इसके बाद एडब्ल्यूपीएस – सूरामंगलम, तमिलनाडु और खारसांग, अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं।

आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) परियोजना

13.15 विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपात कार्रवाई सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में प्रौद्योगिकी के सक्रिय उपयोग करने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय निर्भया कोष के अंतर्गत 385.69 करोड़ रु. के बजटीय परिव्यय से "आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)" नामक एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। भारत सरकार (दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय) ने सभी प्रकार की आपात स्थितियों से निपटने के लिए देश में 112 को आपातकालीन नं. के रूप में अधिसूचित किया है। पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस आदि जैसी विभिन्न आपातकालीन सेवाओं के लिए ईआरएसएस एक अखिल भारतीय, एकल और अंतराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 112 आधारित आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली है, जिसमें क्षेत्रीय संसाधनों को कम्प्यूटर की सहायता से पहुंचाया जाता है, जो कॉल, एसएमएस, ई–मेल, पैनिक बटन और 112 इंडिया मोबाइल एप के माध्यम से सुगम है। ईआरएसएस का अधिदेश ऐसा परिचालानात्मक प्लेटफार्म प्रदान करना है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में उपलब्ध विभिन्न आपातकालीन सेवा प्रदाताओं को आपातकालीन नम्बर 112 से जोड़ने में सहायता करेगा। इस परियोजना के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

(क) डायल 100, 108 आदि जैसे सभी मौजूदा नम्बरों को एकीकृत करके एक सुगम और मानक **'एकल आपात कार्रवाई नम्बर–112'** प्रदान करना।

(ख) फोन पर वॉयस कॉल, एसएमएस, ईमेल, फोन में पैनिक बटन, लोक परिवहन एवं अन्य क्षेत्रों आदि सहित **विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए चौबीसों घंटे की क्षमता** प्रदान करना।

(ग) घटना के स्थान पर निम्नलिखित ढंग से **क्षेत्रीय संसाधनों (पुलिस, एम्बुलेंस आदि) को पहुंचाने के लिए चौबीस घंटे** वाली प्रणाली प्रदान करना:

(i) संकटग्रस्त व्यक्ति के स्थान की पहचान।

(ii) संकट की तीव्रता को कम करने अथवा इसे रोकने के लिए निकटवर्ती क्षेत्रीय संसाधनों (एक अथवा अधिक जीपीएस युक्त आपात कार्रवाई वाहन) को कम्प्यूटर की सहायता से समय पर पहुंचाना।

(घ) पैन–इंडिया फुटप्रिंट के साथ **मोबाइल एप आदि** जैसी मानकीकृत और आसान प्रौद्योगिकी वाले उत्पाद उपलब्ध कराना।

(ङ) **अन्य आपात प्रणालियों के साथ** एकीकरण।

13.16 ईआरएसएस परियोजना के तहत, गृह मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को 112 परिचालित करने अथवा मौजूदा प्रणालियों को 112 के साथ एकीकृत करने, आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर खरीदने तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में 112 पर आधारित आपातकालीन कार्रवाई को शुरू करने के लिए जीपीएस युक्त मोबाइल डिवाइस टर्मिनल (एमडीटी) से सुसज्जित आपात कार्रवाई (ईआर) वाले वाहनों को खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

112 के माध्यम से पंजीकृत कार्रवाई योग्य घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए आपातकालीन कार्रवाई केंद्र में एक वीडियो बोर्ड

(स्रोतः सीडीएसी)

13.17 कार्यान्वयन को सरल और कारगर बनाने के लिए, गृह मंत्रालय ने एक कॉन्टेक्ट सेंटर सॉल्यूशन स्टेक विकसित और लागू करने के लिए सी–डैक को एक समग्र सेवा प्रदाता (टीएसपी) के रूप में नियुक्त किया है। इस स्टेक में कम्प्यूटर टेलीफोनी इंटीग्रेशन (सीटीआई), ऑटोमैटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूशन (एसीडी), कम्प्यूटर एडिड डिस्पेच (सीएडी) और केस रिकॉर्ड मैनेजमेंट (सीआरएम) सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, सी–डैक ने एक '112 एसओएस मोबाइल ऐप' तैयार किया है, जिसमें स्थान संबंधी सूचना के साथ–साथ संकट के संकेत लगातार भेजने (गतिशील डिवाइस का पता लगाने के लिए) जैसी सुविधा प्रदान की गई है।

वित्त वर्ष 2020–21 में उपलब्धियां

13.18 यह सेवा देश के 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में कार्यशील हो गई है। वे राज्य और जिले जिनमें ईआरएसएस शुरू की गई है, निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	वे जिले, जिनमें ईआरएसएस शुरू की गई
1.	हिमाचल प्रदेश	सभी जिले
2.	लद्दाख	सभी जिले
3.	केरल	सभी जिले
4.	पंजाब	सभी जिले
5.	राजस्थान	सभी जिले
6.	तमिलनाडु	सभी जिले
7.	तेलंगाना	सभी जिले
8.	उत्तराखंड	सभी जिले
9.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	सभी जिले
10.	मध्य प्रदेश	सभी जिले
11.	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	सभी जिले
12.	उत्तर प्रदेश	सभी जिले
13.	लक्षद्वीप	सभी जिले
14.	चंडीगढ़	सभी जिले
15.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	सभी जिले
16.	गोवा	सभी जिले
17.	कर्नाटक	सभी जिले
18.	त्रिपुरा	सभी जिले
19.	झारखंड	सभी जिले
20.	ओडिशा	सभी जिले
21.	नागालैंड	कोहिमा, दीमापुर, मोकोकचुंग
22.	महाराष्ट्र	मुम्बई
23.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा, पश्चिम गोदावरी, गुंटूर शहरी, गुंटूर ग्रामीण, कुरनूल
24.	छत्तीसगढ	रायपुर, दुर्ग, राजनंदन गांव, कबीरधाम, बस्तर (जगदलपुर सिटी), सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़ और महासमुंद

25.	गुजरात	अरावली, बनासकांठा, गांधीनगर, मेहसाणा, महिसागर, पाटन, साबरकांठा
26.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर, जम्मू, अवंतीपोरा, अनंतनाग, बारामूला, सोपोर, गांदेरबल, बांदीपोरा, कुलगाम, शोपिंया, कुपवाड़ा, डोडा, किश्तवाड, पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी, साम्बा, उधमपुर
27.	पुदुचेरी	पुदुचेरी
28.	पश्चिम बंगाल	बारुईपुर, डायमंड हारबर, सुंदरबन, बारासत, बसीरहाट, बोंगांव, हावड़ा, बिधाननगर, बैरकपुर, मुर्शिदाबाद, कृष्णानगर, रानाघाट, हुगली, बीरभूम, पूर्वा बर्दवान, चंदननगर, हावड़ा ग्रामीण, पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, आसनसोल, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, रायगंज, इस्लाम्पोर, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार
29.	मिजोरम	आईजोल, कोलासिब, लुंगलेई, चम्पई
30.	अरुणाचल प्रदेश	पेपुम्परे शहर, पेपुम्परे ग्रामीण – यूपिया, ईस्टसियांग पसीघाट
31.	हरियाणा	पंचकुला
32.	असम	कामरूप
33.	मणिपुर	इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, उखरूल, कामजोंग, सेनापति, कांगपोकपी, बिष्णुपुर, थोउबल, काकचिंग
34.	मेघालय	शिलॉंग

13.19 आज, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में 112 सेवाएं प्रदान की जाती हैं और परिणामस्वरूप इसमें इसकी शुरूआत से ही प्रतिमिनट 30 से अधिक प्रेषण किया जाता है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में हासिल कुछ नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाएं अधोलिखित हैं:

1.) तेलंगाना

- कॉफ्रेंस कालिंग सुविधा के माध्यम से 112 ईआरसी से बहु–एजेंसियों को जोड़ दिया गया है। वर्तमान में इसमें 101 (अग्निशमन सेवाएं), 108 (चिकित्सा सेवाएं) और 181 (महिला हेल्पलाइन) शामिल हैं।
- ओला, टोरा, मुव इंन सिंक और प्रायडो जैसी निजी कैब सेवाओं में लगे हुए पैनिक बटनों के साथ इंटीग्रेशन। तेलंगाना पर्यटन विभाग द्वारा संचालित बसों में लगे हुए पैनिक बटन भी दबाए जाने पर 112 पर कॉल करते हैं।
- 112 फर्स्ट रिसपॉन्डर स्मार्ट फोन एप का सर्वप्रथम प्रयोग व्यस्त समय में सेवाओं की मांग में वृद्धि से निपटने के लिए कार्रवाई करने वाले बेड़े में 1,000 से अधिक मोटर बाइक युक्त पुलिस कार्मिकों की वृद्धि करने के लिए किया गया।

उत्तर प्रदेश
• लखनऊ से बाहर संचालित "यूपी डायल 112 ईआरसी" क्षेत्रीय भाषाओं में भाषाई प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, ताकि पूरे राज्य में मुसीबत के समय नागरिकों के लिए स्पष्ट संदेश, समयपूर्वक प्रेषण और सहायता सुनिश्चित की जा सके।
चंडीगढ़
• चंडीगढ़ 112, ई–बीट एप का प्रयोग करने वाले संबंधित बीट अधिकारियों को घटनाओं के बारे में तत्काल सूचना प्रदान कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप दोतरफा लाभ हुए हैं– सिस्टम में उपलब्ध पूर्व जानकारी को साझा किया जा सकता है और साथ ही कार्य पर नजर रखी जा सकती है, जिससे सहायता की समय पर सुपुर्दगी और फोलोअप कार्रवाई सुनिश्चित होती है।
दिल्ली
• एफआईआर का समय पर दर्ज किया जाना और जांच शुरू किया जाना सुनिश्चित करने के लिए अपराधों की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों को निरंतर रूप से "अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस)" पर उपलब्ध कराया जाता है।
छत्तीसगढ़
• पुलिस स्टेशनों के जरिये 112 और इसकी आकस्मिक सेवाओं को बढ़ावा देना, 112 की सभी कॉलों की रूटिंग सुनिश्चित करने के लिए इसके अधिकारियों के नेटवर्क का पता लगाना और आवश्यकता के समय फील्ड में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करते हुए कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के बीच जिम्मेदारी का भाव लाना।
112 द्वारा प्राप्त की गई कुछ सफलताओं को निम्नलिखित वास्तविक कहानियों में दर्शाया गया है:
• **जम्मू और कश्मीर:** हसीना बेगम से दिनांक 15.04.2020 को बाग–ए–बाहू से एक कॉल प्राप्त हुई, जिसने यह सूचना देते हुए सहायता के लिए कहा कि लॉकडाउन के कारण वह अपने परिवार के लिए भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री का प्रबंध नहीं कर सकती है। उससे सभी प्रकार की आवश्यक सूचना प्राप्त करने के पश्चात, कॉल प्राप्त करने वाले ने उस सूचना को प्रेषक (डिस्पैचर) और साथ ही संबंधित पुलिस स्टेशन (पीएस) के पास भेज दिया। शीघ्र ही, उक्त महिला को उसके निवास स्थान पर खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुएं पहुंचा दी गई। • **उत्तराखंड:** 09 अक्तूबर, 2020 को 2120 बजे 112 ऐप पर सुश्री सरस्वती नाम की एक महिला से एक एसओएस सिगनल प्राप्त हुआ, वह 29 वर्ष की थी और मधोपुर रोड, रूड़की की निवासी थी। उपर्युक्त महिला ने 112 पर सहायता की मांग की, क्योंकि उसके निवास स्थान पर फायर इमरजेंसी थी। उसने सूचित किया कि उसके निवास स्थान पर गैस सिलेंडर में आग लग गई और वह कुछ अनहोनी होने के बारे में चिंतित थी। • उक्त सूचना शीघ्र ही डीसीसी हरिद्वार, नियंत्रण कक्ष, रूड़की के साथ साझा की गई और नजदीकी पुलिस स्टेशन (पीएस) तथा फायर स्टेशन को तुरंत सतर्क कर दिया गया। उस स्थान पर डीसीसी हरिद्वार द्वारा चेतक 44, चेतक 49, चेतक 47 और थाना गंगनहर फोर्स को भेजा गया। पुलिस कर्मियों के संगठित प्रयासों के कारण, सिलेंडर की आग को बुझाया गया। उक्त महिला ने पुलिस और अग्निशमन विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया तथा तुरंत बचाव और कार्रवाई की प्रशंसा की। • एक अन्य घटना में एक कॉलर ने अपनी पत्नी, जो कि एक हृदय रोगी थी, के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता की मांग की। वे उपचार के लिए दिल्ली जाते समय एक भूस्खलन के कारण मटेला बैंड, पिथौरागढ़ रोड के नजदीक फंस गये थे और कॉलर ने 112 पर कॉल किया। देहरादून में सीआरएम एजेंट ने इस घटना के बारे में डीसीसी

पिथौरागढ़ को सूचना भेजी, जबकि उसी समय एसडीआरएफ टीम को कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। पिथौरागढ़ पुलिस ने उक्त स्थान पर पहुंचने में समय नहीं गंवाया और उक्त दम्पती को अपने वाहन में बचाया। कॉलर ने डायल 112 और पिथौरागढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई की खूब प्रशंसा की।

- **पश्चिम बंगाल:** दिनांक 23.08.2020 को सायं 03:27:00 बजे ईआरएसएस/112 कॉल सेंटर में एक कॉल प्राप्त हुई, जिसमें ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन के नजदीक आग लग जाने के बारे में सूचित किया गया था। श्री अमिताव धाली नाम के एक कॉलर ने सूचित किया कि ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन के नजदीक आग लग गई है। कॉलर से जानकारी प्राप्त करने के बाद, कॉल प्राप्त करने वाले ने उक्त मामला प्रेषक को भेज दिया। प्रेषक ने तुरंत इस मामले के बारे में बनगांव फायर स्टेशन और गईघाटा पुलिस स्टेशन को सूचित किया। गईघाटा पुलिस स्टेशन के अधिकारी तुरंत फायर बिग्रेड के साथ उस स्थान पर पहुंचे और स्थिति पर नियंत्रण कर लिया, जिससे जान और माल की सुरक्षा हो गई।

- **त्रिपुरा:** उक्त अवधि के दौरान, त्रिपुरा के 112 आपात कार्रवाई केंद्र (ईआरसी) को बीमार और बुजुर्ग नागरिकों से अपनी पेंशन निकालने से लेकर स्वयं के लिए जीवनरक्षक दवाइयां लाने और अस्पताल/घर पहुंचाने में सहायता करने के लिए अनेक कॉल प्राप्त हुई। कॉलर की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ईआरएसएस के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लाने के अलावा, कुछ मामलों में जिला पुलिस और सशस्त्र पुलिस बटालियन की सेवाएं ली गई हैं। उनमें से महत्वपूर्ण सेवा दिनांक 23.04.2020 की है, जब वरिष्ठ नागरिक, श्रीमती हिरनबाला रूद्रपॉल (85), जो दलक समतल पारा, गोमती जिले के अंतर्गत एक दूरवर्ती क्षेत्र की निवासी है, के लिए जीवनरक्षक दवाई का प्रबंध करने का एक अनुरोध प्राप्त हुआ। कॉलर की लोकेशन जिला मुख्यालय से लगभग 45 किमी. दूर थी। दवाई की जरूरत और नजदीक में जन सहायता सुविधा की अनुपलब्धता को समझते हुए, उक्त क्षेत्र में तैनात सशस्त्र पुलिस बटालियन की सहायता ली गई। 5वीं बटालियन (त्रिपुरा स्टेट राइफल्स) के एक त्रिपुरा पुलिस अधिकारी ने उक्त दवाई का प्रबंध किया और अगले दिन वहां पहुंचा दिया। दिनांक 29.04.2020 की स्थिति के अनुसार, त्रिपुरा की ईआरसी ने 98 वरिष्ठ नागरिकों की सहायता की।

- दिनांक 13.04.2020 को, अगरतला शहर के बाहरी क्षेत्र में होम क्वारंटीन किया गया एक परिवार जीवनरक्षक दवाइयां खरीदने के लिए बाहर नहीं जा पाया और इन्फेक्शन होने के डर से उनके मित्रों और पड़ोसियों ने सहायता करने से मना कर दिया। उक्त परिवार ने सहायता मांगी और तदनुसार दवाई, ताजा फल और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदने तथा वहां पहुंचाने के लिए आपात कार्रवाई यूनिट को कार्य सौंपा गया। उक्त परिवार ने आपदा के समय में महत्वपूर्ण सहायता पहुंचाने के लिए आभार व्यक्त किया है।

त्रिपुरा में कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवनरक्षक दवाइयों का प्रबंध

(स्रोतः त्रिपुरा पुलिस)

- **आंध्र प्रदेश:** श्री बेताला रवि कुमार से डायल 112 ईआरएसएस पर एक कॉल प्राप्त हुई, जिसने यह सूचना देने के लिए कॉल की थी कि एक महिला प्रकासम बैराज से कृष्णा नदी में कूद गई है। कॉल प्राप्तकर्ता ने तुरंत कार्रवाई की और विजयवाड़ा नगर पुलिस स्टेशन एसएचओ को सूचित किया। एसएचओ अपनी टीम के साथ बताए गए स्थान की ओर चल दिए और तैराक, एपीएसपी बटालियन और कांस्टेबल श्री सुरेश बाबू के साथ समन्वय करके उन्होंने मुतयालमपाडु की निवासी, एक 24 वर्षीय लड़की विजयेन्द्रा लक्ष्मी तिरूमाला की जान बचाई। उसे आवश्यक उपचार हेतु तत्काल विजयवाड़ा सरकारी अस्पताल में ले जाया गया और बाद में उसे सुरक्षित रूप से उसके माता–पिता को सौंप दिया गया। उसके माता–पिता ने अपनी पुत्री की जान बचाने के लिए पुलिस विभाग और कर्मचारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।

सुरक्षित शहर परियोजना

13.20 सरकार ने महिला केंद्रित विकास पर बल दिया है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि विशेष रूप से बड़े शहरों, जो जीविकोपार्जन का अवसर प्रदान करते हैं, में सार्वजनिक स्थानों और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी के लिए उनमें सुरक्षा एवं संरक्षा की भावना पैदा हो। गृह मंत्रालय ने इस दृष्टि से 8 बड़े शहरों यथा अहमदाबाद, बेंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता और मुम्बई में सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की हैं। महिलाओं के विरूद्ध अपराध के संवेदनशील स्थानों की पहचान किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों द्वारा इन परियोजनाओं को तैयार किया गया है, ताकि इस दृष्टि से शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना, प्रौद्योगिकी अंगीकरण तथा जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय में क्षमता निर्माण इत्यादि सहित महत्वपूर्ण संपदा विकसित की जा सके। इन परियोजनाओं को केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में वित्तपोषित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के लिए निर्भया फंड और गृह मंत्रालय के बजट से कुल 3,080.16 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

13.21 सुरक्षित शहर परियोजनाएं तैयार करते समय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), संबंधित शहरों की संबंधित नगरपालिका और पुलिस आयुक्त तथा इस उद्देश्य से जुड़े हुए सिविल सोसायटी संगठनों से परामर्श किया है। इसमें शहर और वहां निवास करने वाले समुदायों के लिए मिश्रित समाधान शामिल हैं। सुरक्षित शहर परियोजनाओं की पहल के अंतर्गत विकसित/समर्थित की जा रही कुछ संपदाओं में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- **शहर के बुनियादी ढांचे के अंतर्गत चल और अचल परिसम्पत्तियों समेत एकीकृत दृष्टिकोण** जैसे कि अपराध वाले संवेदनशील स्थानों की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईसी) से जुड़ी मैपिंग करना, स्थानों में अंधेरा हटाने के लिए स्मार्ट एलईडी से सड़क प्रकाश व्यवस्था करना, ऑटोमेटिड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) वाले कैमरों की क्षमता से लैस आधुनिक सीसीटीवी कैमरों की स्थापना कर उन्हें कमांड/कंट्रोल सेंटर से जोड़ना, शौचालय बनाने सहित अपराध के अभिज्ञात स्थलों में सुरक्षित जोन कलस्टर का निर्माण, सार्वजनिक स्थानों और यातायात के साधनों में पैनिक बटन लगाना, अन्य के साथ–साथ महिलाओं और बच्चों के लिए ट्रांजिट शयनागार बनाना इत्यादि। विद्यमान पारिस्थितिकी तंत्र में कमियों को दूर करने और योजनाओं को स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के साथ समेकित करने के लिए भी कुछ संपदाओं को शामिल किया गया है।

- **महत्वपूर्ण मानव संसाधन संपदा**, जैसे कि एसएचई टीमों के समान "सर्व महिला गश्ती दल" तैयार कर उनकी तैनाती करना, अहमदाबाद में अभयम वेन के समान फर्स्ट रिस्पांडर व्हीकल के लिए टीम, "सर्व महिला पुलिस स्टेशनों" का विकास और उन्हें संसाधन युक्त बनाना, सुलभता एवं सहानुभूति के लिए पुलिस स्टेशनों में महिला काउंसलर की तैनाती करना इत्यादि। हैदराबाद के सफल "भरोसा मॉडल" के आधार पर, अन्य शहरों में इस प्रकार के "वन स्टॉप

क्राइसिस सेंटर" की स्थापना को समर्थन दिया जा रहा है। कुछ शहरों में जांच के बेहतर संसाधनों यथा फॉरेंसिक एवं साइबर क्राइम सेल को भी शामिल किया गया है।

- **क्रिटिकल सॉफ्ट संपदाएं** जैसे कि यौन संवेदीकरण जागरूकता अभियान, विधिक साक्षरता अभियान और क्षमता निर्माण तथा कुछ शहरों में समुदाय और नागरिक सामाजिक संगठनों के सहयोग से अन्य सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है।

महिलाओं हेतु पुलिस अधिकारियों तक पहुंच बढ़ाने के लिए लखनऊ सुरक्षित शहर पिंक पुलिस सीमा चौकियां

(स्रोतः लखनऊ पुलिस)

राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में डीएनए की सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

13.22 डीएनए विश्लेषण अपराध की जांच में प्रयुक्त होने वाली टाइम टेस्टेड वैज्ञानिक फॉरेंसिक प्रौद्योगिकियों में से एक है तथा यह यौन अपराधों और अन्य जघन्य अपराधों के मामलों में अत्यधिक प्रासंगिक है। जांच कार्यों में अधिकाधिक कार्यकुशलता को सुविधाजनक बनाने और यौन अपराधों के मामलों में अधिकाधिक दोष सिद्धि हासिल करने की कार्यनीति के भाग के रूप में सरकार ने न केवल अपनी केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण शुरू किया है, बल्कि सरकार एक मिशन मोड़ के रूप में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण की सुविधाओं के क्षमता निर्माण में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को भी सहायता प्रदान कर रही है।

13.23 गृह मंत्रालय ने निर्भया निधि स्कीम के भाग के रूप में 189.45 करोड़ रुपए की कुल लागत से 20 राज्यों में डीएनए विश्लेषण की सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है। इस सहायता से राज्य नवीनतम विकसित वैज्ञानिक उपकरणों को प्राप्त कर सकेंगे और उनका इस्तेमाल कर सकेंगे तथा अपनी स्वयं की फॉरेंसिक सुविधाओं का विकास कर सकेंगे। अनुमोदित परियोजनाओं के तहत जिन मदों को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में जोड़ा जाना है, वे राज्यों द्वारा स्वयं कमी–विश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अभिज्ञात की गई हैं और इन मदों में, एकत्र नमूनों से डीएनए को अलग करने के लिए ऑटोक्लेव एवं ऑटोमेटिड डीएनए एक्सट्रैकर सिस्टम, डीएनए सीक्वेंसर, सेंट्रफ्यूज, रियल टाइम पीसीआर, जांच के दौरान नमूनों की पहचान को सुविधाजनक बनाने और एकत्रित साक्ष्य के साथ इसका मिलान करने के लिए जेनेटिक विश्लेषक उपकरण इत्यादि शामिल हैं। यौन हमलों के मामलों में जांच अधिकारियों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए अपराध के सबूतों के विश्लेषण हेतु इस परियोजना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा विशेषज्ञ वैज्ञानिकों को नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है।

* * * *

अध्याय–14

जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामले

14.1 जम्मू, कश्मीर और लद्दाख विभाग, जम्मू एवं कश्मीर के अंदर आतंकवाद–रोधी गतिविधियों सहित जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) से संबंधित सभी मामलों को देखता है तथा भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को विशेष रूप से आबंटित किए गए विषयों/मामलों को छोड़कर, इन राज्यों से संबंधित अन्य विषयों/मामलों के बारे में उनके साथ समन्वय करता है। यह विभाग, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में भारत सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण स्कीमों और व्यक्तिगत लाभार्थी केन्द्रित स्कीमों तथा प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) सहित आर्थिक महत्व की प्रमुख परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करता है।

केंद्रीय कानूनों और राज्य कानूनों को दोनों नए संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में लागू करना

14.2 पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के रूप में पुनर्गठन किए जाने के बाद, दिनांक 31.10.2019 की स्थिति के अनुसार, शेष सभी केंद्रीय कानून, जो पहले लागू नहीं थे, भी जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार आवश्यक अधिसूचना जारी करने के पश्चात जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में भी लागू किए गए हैं।

14.3 केंद्रीय कानूनों और राज्य कानूनों के आवश्यक अनुकूलन से संबंधित कार्य भी जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुरूप पूरा किया गया।

14.4 जम्मू एवं कश्मीर राजभाषा अधिनियम, 2020, दिनांक 29.09.2020 से लागू हुआ। यद्यपि कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाएं जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की राजभाषाएं बन गई हैं, फिर भी इस अधिनियम में एक प्रावधान किया गया है कि प्रशासक संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की क्षेत्रीय भाषाओं यथा पंजाबी, पहाड़ी और गोजरी के प्रचार–प्रसार एवं विकास के लिए मौजूदा संस्थागत तंत्रों जैसे कि "कला, संस्कृति और भाषा अकादमी" को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

14.5 भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के मौजूदा जम्मू एवं कश्मीर संवर्ग का "अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र (एजीएमयूटी) संवर्ग" के साथ विलय करने तथा जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 13 में अधिक से अधिक स्पष्टता लाने के लिए "जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2021" दिनांक 07.01.2021 को लागू किया गया। बाद में, इस अध्यादेश के स्थान पर जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2021, जिसे दिनांक 26.02.2021 को अधिसूचित किया गया था, लाया गया।

जम्मू एवं कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करना

14.6 पंचों, सरपंचों, खंड विकास परिषदों और जिला विकास परिषदों के चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के बाद, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में भारत के संविधान के अनुरूप अब त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित हो गई है।

जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति

14.7 जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) लगभग तीन दशकों से आतंकवादी तथा अलगाववादी हिंसा से प्रभावित रहा है, जो सीमा पार से प्रायोजित और समर्थित है। जम्मू एवं कश्मीर में 90 के दशक में आतंकवाद के शुरू होने के बाद से, 14091 सिविलियनों और 5356 सुरक्षा बल (एसएफ) कार्मिकों ने अपनी जानें गंवाईं हैं (वर्ष 2020 तक)। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की प्रवृत्ति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

वर्ष	घटनाएं	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सिविलियन	मारे गए आतंकवादी
2014	222	47	28	110
2015	208	39	17	108
2016	322	82	15	150
2017	342	80	40	213
2018	614	91	39	257
2019	594	80	39	157
2020	244	62	37	221

14.8 जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) में आतंकवाद व्यापक रूप से सीमा पार से होने वाली आतंकवादियों की घुसपैठ से जुड़ा हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर में वर्ष 2014 से घुसपैठ की कोशिषों और कुल घुसपैठ के आंकड़ों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
घुसपैठ की कोशिशें	222	121	371	419	328	216	99
कुल अनुमानित घुसपैठ	65	33	119	136	143	138	51

14.9 जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) में सुरक्षा की स्थिति की निगरानी और नियमित रूप से समीक्षा जम्मू एवं कश्मीर सरकार, सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की जाती है। गृह मंत्रालय भी उपर्युक्त सभी एजेंसियों और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर सुरक्षा की स्थिति की गहन और सतत निगरानी करता है। सीमा–पार से घुसपैठ को रोकने के लिए अपनाए गए बहु–आयामी दृष्टिकोण में अंतरराष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा पर बहु–स्तरीय तैनाती, सीमा पर बाड़ का निर्माण, आसूचना और ऑपरेशनल समन्वय में सुधार, सुरक्षा बलों को विकसित हथियारों से लैस करना और घुसपैठियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई करना भी शामिल है।

14.10 गृह मंत्रालय ने 5 आईआर बटालियनों, 2 बॉर्डर बटालियनों और 2 महिला बटालियनों के गठन की भी स्वीकृति दी है। 5 आईआर बटालियनों के लिए भर्ती की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है।

14.11 सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) सरकार को सुरक्षा संबंधी व्यय (पुलिस) योजना के आरंभ से इस योजना के अंतर्गत 9,120.69 करोड़ रुपये (दिनांक 31.12.2020 तक 448.04 करोड़ रुपये सहित) प्रदान किए हैं।

कौशल संवर्धन तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना

14.12 31 दिसम्बर, 2018 तक "उड़ान" योजना के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद, जिसके तहत 48,598

अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए चुना गया, 44,387 अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया, 38,942 अभ्यर्थियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया और 24,193 अभ्यर्थियों को नौकरियों की पेशकश की गई तथा 18,698 अभ्यर्थियों को कार्पोरेट क्षेत्र में नौकरियां दी गईं। अब स्कूल ड्रॉप आउट युवाओं सहित ग्रामीण और शहरी युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों जैसेकि आईटीई, बिक्री एवं ग्राहक सेवा तथा आतिथ्य–सत्कार आदि में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्रों के लिए चलायी जा रही 'हिमायत' योजना के तहत रोजगार–उन्मुख (जॉब–ओरिएन्टेड) प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 'हिमायत' योजना के तहत प्रयासों में तेजी लाने के लिए, इस योजना के चरण–।। को प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) 2015 के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। इसकी 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि को वर्ष 2022 तक आगे बढ़ा दिया गया है और कुल परिव्यय को बढ़ाकर 1,781.66 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्ष 2019–22 की अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में 1,43,299 युवाओं को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2020 तक 15,377 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, 6,397 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और 6,609 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है।

भारत दर्शन/वतन को जानो कार्यक्रम

14.13 भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के बारे में युवकों को जानकारी देने और उन्हें देश के अन्य भागों में हो रहे सांस्कृतिक तथा सामाजिक–आर्थिक विकास के बारे में अवगत कराने के लिए, "भारत दर्शन/वतन को जानो कार्यक्रम" को कोविड–19 से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया था।

14.14 कोविड–19 वैश्विक महामारी फैलने के कारण उत्पन्न हुई वर्तमान स्थिति के मद्देनजर, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में कोविड किट के वितरण के लिए चिकित्सा शिविर तथा पशु चिकित्सा शिविर आयोजित करने हेतु सीएपीएफ, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस और जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) सरकार को निधियां प्रदान की गई हैं।

महिला सशक्तीकरण

14.15 स्वरोजगार महिला संघ (एसईडब्ल्यूए) की मदद से कुपवाड़ा जिले में एक केन्द्र की स्थापना के बाद, जिसमें विभिन्न आजीविका शिल्पों में 1,570 मास्टर प्रशिक्षकों समेत 5,194 महिलाएं प्रशिक्षित की गई थीं, 4,500 महिलाओं तथा 590 मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कारगिल में एक उप–केंद्र के साथ गांदरबल और लेह में दो अतिरिक्त केन्द्र अनुमोदित किए गए हैं। अब तक, इस परियोजना के अंतर्गत 2,541 प्रशिक्षुओं तथा 345 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

प्रवासियों, विस्थापित व्यक्तियों तथा शरणार्थियों के लिए सहायता

14.16 1990 के दशक के आरंभ में आतंकवाद की शुरूआत होने के कारण, कुछ सिख तथा मुस्लिम परिवारों सहित 64,827 कश्मीरी पंडितों के परिवार कश्मीर घाटी से जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य भागों में चले गए। इसी प्रकार, जम्मू के पहाड़ी क्षेत्रों से लगभग 1,054 परिवार जम्मू के मैदानी क्षेत्रों में चले गए। राहत और प्रवासी आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार के पास उपलब्ध पंजीकरण के रिकॉर्डो के अनुसार, इस समय, 43,618 पंजीकृत कश्मीरी प्रवासी परिवार जम्मू में बसे हुए हैं, 19,338 परिवार दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और 1,995 परिवार देश के कुछ अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में बस गए हैं।

14.17 घाटी में कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण पैकेज (पीएमआरपी) –2008 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर सरकार में 3,000 रोजगार और पीएमडीपी–2015 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर सरकार में 3,000 अतिरिक्त रोजगार की स्वीकृति दी है। घाटी में इन 6,000 कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने 920 करोड़ रुपये के परिव्यय से 6,000 ट्रांजिट आवासों के निर्माण का अनुमोदन प्रदान किया है। इस स्कीम के अंतर्गत, 1025 आवासीय इकाइयों का

निर्माण काफी हद तक पूरा कर लिया गया है तथा 1488 फ्लैट निर्माणाधीन हैं।

14.18 पीएमडीपी–2015 के अंतर्गत, जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) में बसे पाक अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर, छम्ब तथा नियाबत के 36,384 विस्थापित परिवारों को प्रति परिवार 5.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी वितरित की जा रही है। भारत सरकार ने पाक अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर – 1947 के 5,300 विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों में से उन विस्थापित व्यक्तियों (डीपी) के परिवारों को भी इस प्रकार की वित्तीय सहायता हेतु शामिल करने के लिए अनुमोदन दिया है, जिन्होंने शुरू में पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य के बाहर जाने का विकल्प दिया था, किंतु बाद में वे जम्मू एवं कश्मीर में वापस आ गए और वहीं बस गए। 31 दिसम्बर, 2020 तक, 31,670 लाभार्थियों को कुल 1371.13 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

14.19 पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों (डब्ल्यूपीआर) के 5,764 ऐसे परिवारों, जो 1947 के बंटवारे के पश्चात पश्चिमी पाकिस्तान के कई क्षेत्रों से आकर जम्मू क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में बस गए थे, के लिए भारत सरकार द्वारा 317.02 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रति परिवार 5.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी अनुमोदित की गई है।

प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी–2015)

14.20 माननीय प्रधानमंत्री ने तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए सड़क, विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संसाधन, खेल, शहरी विकास, रक्षा, वस्त्र आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 63 प्रमुख परियोजनाओं के लिए 80,068 करोड़ रुपये के विकास पैकेज की घोषणा की थी। जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में 63 परियोजनाओं में से, 54 परियोजनाएं 58,627 करोड़ रुपये के परिव्यय से कार्यान्वित की जा रही हैं। 20 परियोजनाएं पूर्ण/काफी हद तक पूर्ण हो चुकी हैं और अन्य परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 30 नवम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न परियोजनाओं के लिए 32,136 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसमें से 30,553 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

रियायती हेलीकाप्टर सेवाएँ

14.21 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी), लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और हिमाचल प्रदेश में रियायती हेलीकॉप्टर सेवाओं की वर्तमान योजना दूरदराज के उन क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करती है, जहां सड़क मार्ग से जाना मुश्किल है अथवा सड़क मार्ग से जुड़े होने पर भी, वे भारी बारिश/बर्फबारी के कारण सर्दियों के दौरान कटे रहते हैं। इस योजना को मार्च, 2021 तक आगे बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अनुसार, भारत सरकार सब्सिडी का 75% वहन करती है और सब्सिडी का शेष 25% हिस्सा संबंधित सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र

14.22 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में तथा लद्दाख के पश्चिम में स्थित है। यह जम्मू क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ 221 किमी. अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जम्मू एवं कश्मीर का कुल क्षेत्रफल 120355 वर्ग किमी. (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) सहित) है, जिसके अनुसार यह देश के 3.66% भौगोलिक क्षेत्र के साथ भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र है।

जनसंख्या

14.23 भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) का जनसंख्या की दृष्टि से देश में 19वां स्थान है तथा कश्मीर और जम्मू दो विशिष्ट क्षेत्रों की ही जनसंख्या 1,22,67,013 है।

अर्थव्यवस्था

14.24 वर्ष 2019–20 के लिए स्थिर (2011–12) मूल्यों और मौजूदा मूल्यों पर अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) क्रमशः 1,19,814.06 करोड़ रुपये और 1,73,679.26 करोड़ रुपये है। वर्ष 2019–20 के लिए स्थिर (2011–12) मूल्यों तथा मौजूदा मूल्यों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) लगभग क्रमशः 97,125.71 करोड़ रुपये और 1,44,622.50 करोड़ रुपये है।

सड़क संपर्क

14.25 जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सड़कों की ऊपरी सतह में सुधार करने हेतु लगभग 5,000 किमी. लम्बी सड़क को पक्का किया जाना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत, कुल 1,600 किमी. लम्बी सड़कों के लिए 140 योजनाएं पूर्ण हो गई हैं। इससे लगभग 30 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

जल शक्ति

14.26 जल शक्ति मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में 10,226.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) देने की परिकल्पना की गई है, जिसके तहत पाइप द्वारा जलापूर्ति (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से लगभग 10.35 लाख बिना कनेक्शन वाले ग्रामीण घरों को सतत आधार पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से बीआईएस 10500 मानकों के अनुरूप गुणवत्तायुक्त पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

14.27 दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार, 18.17 लाख घरों में से, 7.82 लाख घरों में पंजीकृत पीडब्ल्यूएस कनेक्शन हैं और यह कुल घरों का लगभग 43% है, जो 20.81% के राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। सितम्बर 2022 तक सभी 18.17 लाख ग्रामीण घरों को पाइप द्वारा जलापूर्ति से 100% कवर किए जाने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, अभी तक कवर न किए गए सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को मार्च 2021 तक पाइप द्वारा जलापूर्ति के तहत कवर किया जाएगा।

14.28 रावी नदी पर काफी अधिक समय से लंबित शाहपुर कांडी परियोजना को दशकों के बाद पुनः शुरू किया गया है और कार्य आरंभ हो गया है। इससे वर्ष 2023 तक 53,927 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। यह परियोजना, जो एक बहुउद्देशीय परियोजना है, स्वीकृति के अंतिम चरण में है। इससे 76,929 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और 196 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होगा।

ऊर्जा

14.29 वर्तमान में, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) ने 20,000 मेगावाट की अनुमानित क्षमता के मुकाबले 3,504.90 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता का दोहन किया है। पांच और परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं, जिससे 4,870 मेगावाट की और वृद्धि होने की संभावना है। 624 मेगावाट की किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की आधारशिला रखी गई है और सभी संबंधित कार्यों का कार्यान्वयन शुरू हो गया है। 540 मेगावाट की क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के संबंध में सभी मंजूरियां और छूटें प्राप्त हो गई हैं तथा सिविल कार्यों के लिए निविदा जारी कर दी गई है। 850 मेगावाट की रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का कार्य आरंभ हो गया है। कुपवाड़ा में 12 मेगावाट की करनाह हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण कार्य सितम्बर, 2020 से शुरू हो गया है। इस परियोजना का निर्माण पीएमडीपी अनुदान के तहत 123 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा और इसे कार्य सौंपे जाने की तारीख से 42 माह की अवधि में पूरा किया जाएगा।

14.30 हाल ही में घोषित "आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020" के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए 11,500 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। नियंत्रण रेखा (एलओसी) के दायीं ओर स्थित केरन और मुंडियान गांवों को डीजल जनरेटर से केवल 3 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही थी। उक्त गांवों को अब 36 किमी. लम्बी 33 केवी की लाइन बिछाकर ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

14.31 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) द्वारा किया गया एक प्रमुख सुधार विद्युत विभाग को 05 नये कॉर्पोरेशनों नामतः जम्मू पावर डिस्ट्रिब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेपीडीसीएल), कश्मीर पावर डिस्ट्रिब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीडीसीएल), जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेपीटीसीएल), जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेपीसीएल) और जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेपीडीसीएल) में विभाजित करना है।

अटकी हुई परियोजनाएं

14.32 जुलाई, 2018 में 6,000 से अधिक अटकी हुई परियोजनाओं की पहचान किए जाने के बाद, जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) सरकार इन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने हेतु 8,000 करोड़ रुपये तक का ऋण जुटाने के उद्देश्य से जम्मू एवं कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (जेकेआईडीएफसी) की स्थापना करने की एक रचनात्मक योजना के साथ आगे बढ़ी है। अब तक, कुल 6,413.27 करोड़ रुपये की 2231 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं, जिनमें से कुल 938.41 करोड़ रुपये की 708 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

शहरी अवसंरचना

14.33 **मेट्रो रेल :** मैसर्स राइट्स (आरआईटीईएस) द्वारा जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) में दो लाइट मेट्रो ट्रांजिट परियोजनाओं के लिए 10,600 करोड़ रुपये की राशि की डीपीआर तैयार की गई है और ये प्रस्ताव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

14.34 **आवास नीति :** आधुनिक महानगरीय परिवेश में 1,00,000 से अधिक नई आवास इकाइयों के साथ बड़ी क्षेत्रीय विकास पहल की योजना बनाई गई है। इस कार्यक्रम के तहत 77,553 लाभार्थियों की पहचान की गई है और अब तक, 55,220 आवास इकाइयों का निर्माण किए जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। अब तक, 8,239 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

पर्यटन और संस्कृति

14.35 स्वदेश दर्शन योजना के तहत, अब तक ग्यारह (11) परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 20 अन्य परियोजनाएं दिनांक 31.03.2021 तक पूरी हो जाएंगी। स्वदेश दर्शन स्कीम (पीएमडीपी) के अंतर्गत हेरिटेज सर्किट, ईको टूरिज्म एवं एडवेंचर सर्किट के तहत 300 करोड़ रुपये की लागत वाली संकल्पना योजनाएं पर्यटन मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दी गई हैं। ईको सर्किट के लिए डीपीआर प्रस्तुत की जा चुकी है और दो अन्य सर्किटों, हेरिटेज तथा एडवेंचर की डीपीआर तैयार की जा रही है।

14.36 198.36 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मानसर (झील) के जीर्णोद्धार/विकास के लिए एक व्यापक योजना पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत की गई है। पर्यटन मंत्रालय ने अम्बखोरी, सुंदरबनी, राजौरी स्थित शिव शक्ति धाम तथा ठंडा पानी ब्रिज सुंदरबनी, राजौरी के निकट गंगा घाट रीवर, छोटी गंगा के विकास की परियोजनाएं मंजूर की हैं।

14.37 "नेशनल मिशन ऑफ पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ड्राइव"(पीआरएएसएडी) के तहत दरगाह हजरतबल में पर्यटक सहायता केंद्र (टूरिस्ट इंटरप्रिटेशन सेंटर) और व्यापार सुविधा केंद्र (टीएफसी) का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। उत्तर बनी एवं पुरमंडल के लिए पर्यटन अवसंरचना विकास की दो परियोजनाएं पर्यटन मंत्रालय को विचारार्थ प्रस्तुत की गई हैं। इसके अतिरिक्त, सूफी सर्किट के लिए परियोजना तैयार कर ली गई है और पीआरएएसएडी/स्वदेश दर्शन के तहत निधि के आबंटन के लिए पर्यटन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है।

स्वास्थ्य

14.38 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत– प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी–पीएमजेएवाई) के तहत जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए जम्मू एवं कश्मीर स्वास्थ्य योजना का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

14.39 कोविड–19 की मौजूदा स्थिति में मेडिकल ऑक्सीजन सुविधा की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से, जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स) बजट 2020–21 के तहत 223.80 करोड़ रुपये की लागत से 37 कोविड समर्पित स्वास्थ्य संस्थानों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट/बहुविध गैस पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना करने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने कोविड–19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों के लिए 908 अतिरिक्त वेंटिलेटर उपलब्ध

कराए हैं।

14.40 जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति सेवाओं में सुधार, स्वास्थ्य अवसंरचना के उन्नयन, आपूर्ति श्रृंखला तंत्र के विकास और चिकित्सा एवं नर्सिंग शिक्षा में सुधार के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए एक बहुस्तरीय रणनीति अपनाई थी। इसके परिणामस्वरूप, विगत कुछ वर्षों में जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के प्रमुख स्वास्थ्य सूचकों में समग्र सुधार हुआ है। संघ राज्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचकों के नवीनतम मानक निम्नानुसार हैं :

- जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) में नवजात मृत्यु दर (एनएनएमआर) प्रति 1000 जीवित जन्म पर 9.8 के सिंगल डिजिट तक पहुंच गई है, जिसमें 13.3 अंकों की कमी दर्ज की गई है।
- शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में 16 अंकों की गिरावट के साथ यह घटकर 16.3 हो गई है।
- पांच वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर (यू5एमआर) में 19 अंकों की गिरावट के साथ यह घटकर 18.5 हो गई है।
- नवजात बालकों के मुकाबले में बालिकाओं के अनुपात में भी सुधार दर्ज किया गया है, जो 923 से बढ़कर 976 हो गया है।
- गर्भवती माताओं की पहली तिमाही में एंटीनेटल जांच (एएनसी) 76.7% से बढ़कर 86.6% हो गई है।
- इंस्टीट्यूशनल बर्थ 85.5% से बढ़कर 92.4% हो गया है।
- टीका से बचाव योग्य बीमारियों के खिलाफ पूरी तरह से प्रतिरक्षित बच्चों (12–23 महीने के बच्चों) का प्रतिशत बढ़कर 96.5% हो गया है, जो देश में दूसरे स्थान पर है।
- जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 74 साल तक पहुंच गई है, जो केरल और दिल्ली के बाद देश में सबसे अधिक है, जबकि राष्ट्रीय औसत 69.4 वर्ष है।

स्कूली शिक्षा

14.41 जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) में दिनांक 26.06.2020 को जेके–दीक्षा (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना) और विद्यादान ऐप्स/पोर्टल शुरू किए गए। लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए विभिन्न ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम और वेबिनार आयोजित किए गए।

14.42 विभिन्न तरीकों के माध्यम से ई–पाठशाला और दीक्षा जैसे राष्ट्रीय शैक्षणिक पोर्टलों के उपयोग को बढ़ावा देते हुए "लाइफ बियांड मार्क्स" विषय पर दिनांक 03.07.2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिससे 7,900 दर्शक लाभान्वित हुए। जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएसएस) 2020–21 विषय पर दिनांक 28.07.2020 को वेबिनार आयोजित किया गया।

- **विद्यार्थी स्वास्थ्य कार्डः** कक्षा 1 से कक्षा 12 में पढ़ने वाले लगभग 12 लाख विद्यार्थियों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से मध्याह्न भोजन निदेशालय द्वारा विद्यार्थी स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया गया। नामांकित किए गए विद्यार्थियों को कुल 12.08 लाख स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए।
- **मिड–डे–मिलः** कोविड–19 के कारण बच्चों को पका हुआ भोजन नहीं दिया गया। तथापि, बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ते (एफएसए) के संबंध में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसरण में, स्कूलों के बंद रहने के दौरान बच्चों के लिए घर पर सूखा राशन (चावल) वितरित किया गया।

उच्चतर शिक्षा

14.43 उपलब्धता और समानता का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) के कवर न किए गए क्षेत्रों हेतु स्वीकृत 50 नए सरकारी डिग्री कॉलेज चालू किए गए। लगभग सभी स्थानों पर भूमि की पहचान कर ली गई है और अस्थायी

व्यवस्था करके कॉलेजों की स्थापना कर दी गई है।

14.44 आईटी सक्षम कक्षाओं, पुस्तकालयों के स्वचालन तथा ई–लर्निंग का प्रावधान करके कॉलेजों में नई पहलें शुरू की गई हैं और इस संबंध में 54 कॉलेजों में डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड लगाए गए हैं और पुस्तकों की डिजिटल इंडेक्सिंग की गई है।

कौशल विकास

14.45 पॉलीटेक्निकों में प्रवेश की प्रक्रिया में पूर्णरूपेण सुधार करते हुए तकनीकी शिक्षा में सुधार शुरू किए गए हैं। श्रीनगर, जम्मू तथा गांदरबल में सरकारी पॉलीटेक्निकों और आईटीआई, श्रीनगर में आयोजित किए गए प्लेसमेंट अभियान के दौरान लगभग 275 अभ्यर्थियों का प्लेसमेंट सुनिश्चित किया गया।

14.46 जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) सरकार तथा टाटा टेक्नोलॉजीज के बीच एक संयुक्त उपक्रम के रूप में, "इन्वेंशन, इनोवेशन, इन्क्यूबेशन और ट्रेनिंग सेंटर (सीआईआईआईटी)" की स्थापना के लिए बारामूला और जम्मू स्थित सरकारी पॉलीटेक्निकों हेतु 361.00 करोड़ रुपए की परियोजना पूरी हो गई है।

युवाओं का नियोजन

14.47 "मिशन यूथ जेएंडके – माई जेएंडके", जम्मू एवं कश्मीर सरकार की अपनी तरह की पहली पहल है, जो युवाओं को अपनी व्यापक क्षमता का एहसास कराने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करती है। यह एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सभी आवश्यक एवं व्यवस्थित पहलों समेत एक बहु–आयामी कार्यनीति के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) के सामाजिक–आर्थिक विकास में युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना है। "माई जेएंडके" के तहत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में आजीविका सृजन, शिक्षा/कौशल विकास, परामर्श (मनो–सामाजिक एवं कैरियर), व्यवस्थित वित्तीय सहायता, खेलकूद एवं मनोरंजन आदि शामिल हैं।

14.48 जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) के माननीय उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं के लिए "मुमकिन" नामक एक विशेष रूप से तैयार की गई "आजीविका सृजन स्कीम" शुरू की गई है। "मुमकिन" के अंतर्गत "जीरो मार्जिन मनी" के साथ परिवहन क्षेत्र में सतत आजीविका स्थापित करने के लिए सरकार युवाओं हेतु एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर रही है।

कृषि

14.49 चालू वित्तीय वर्ष के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र में ऋण संवितरण का लक्ष्य पिछले वर्ष 8,307 करोड़ रुपए के संवितरण के मुकाबले 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम–किसान) के अंतर्गत प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले जम्मू एवं कश्मीर के किसानों की संख्या 01 मिलियन से अधिक हो गई है।

14.50 ग्रामीण उद्यमी (उद्यमी के रूप में ग्रामीण युवा और किसान), कृषक सहकारी समितियां, पंजीकृत कृषक समितियां, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) और पंचायतें अब कस्टम हायरिंग केन्द्रों तथा हाई–टेक हबों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता हेतु पात्र हैं।

14.51 स्थानीय फल एवं सब्जी उत्पादक किसानों को नेशनल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने के लिए फल एवं सब्जी मंडी पारिंपोरा, श्रीनगर तथा नरवाल, जम्मू में "नेशनल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म (ई–नाम)" शुरू किया गया है।

14.52 सेब के बाजार को स्थिर बनाने और मजबूरन बिक्री को नियंत्रित करने हेतु सेब के लिए मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस) शुरू की गई है।

14.53 "ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल" के अंतर्गत, चिन्हित जिलों से चयनित बागवानी/कृषि उपज के परिवहन के लिए 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कृषि/बागवानी उपज को नियंत्रित वातावरण वाले स्टोरों में रखने के लिए 3 महीने की अवधि हेतु 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

पशु/भेड़ पालन

14.54 कुक्कुट पालन (पोल्ट्री) नीति 2020, एकीकृत डेयरी विकास एवं एकीकृत भेड़ विकास स्कीम तैयार की गई है। एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत डेयरी यूनिटों

की स्थापना के लिए पशुपालन विभाग द्वारा 284 मामले स्वीकृत किए गए थे।

14.55 पशु/भेड़ पालन विभाग द्वारा एकीकृत पोल्ट्री विकास कार्यक्रम नामक स्कीम शुरू की गई थी। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) के अंतर्गत 7.00 लाख टीकाकरण किए गए। डेयरी/भेड़ प्रजनक किसानों को 37,000 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए गए। पशु/भेड़ पालन विभाग द्वारा 160.29 लाख किग्रा. मटन का उत्पादन किया गया और 1050.79 लाख किग्रा. पोल्ट्री मांस का उत्पादन सितम्बर, 2020 तक किया गया है।

वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

14.56 वन विभाग ने ''ग्रीन जम्मू एवं कश्मीर अभियान'' नामक एक एकीकृत पौधारोपण पहल शुरू की है, जिसमें सिविल सोसायटी, शैक्षणिक संस्थानों तथा अर्धसैनिक बलों को शामिल किया गया और दिसम्बर, 2020 तक कुल 31.99 लाख पौधों का पौधारोपण किया गया।

14.57 जम्मू एवं कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान (जेकेएफआरआई) ने वर्ष 2020–21 के दौरान सितम्बर, 2020 तक वन विभाग के विभिन्न विंगों एवं अन्य एजेंसियों को विभिन्न प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त 15.84 लाख पौधों की आपूर्ति की है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत दिसम्बर, 2020 तक 3.78 लाख मानव–दिवसों का सृजन किया गया।

जम्मू एवं कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना, 2021

14.58 सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) के औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई स्कीम अनुमोदित की है। पहली बार किसी औद्योगिक प्रोत्साहन स्कीम से ब्लॉक स्तर पर औद्योगिक विकास हो रहा है और इससे जम्मू एवं कश्मीर के दूर–दराज क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। यह स्कीम वर्ष 2037 तक लागू रहेगी और इसका कुल परिव्यय 28,400 करोड़ रुपए है। यह स्कीम नए निवेश तथा पर्याप्त विस्तार को प्रोत्साहित करेगी और साथ ही जम्मू एवं कश्मीर के मौजूदा उद्योगों को भी पोषित करेगी। इसका उद्देश्य 4.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करना तथा क्षेत्र का उचित, संतुलित और सतत सामाजिक–आर्थिक विकास करना है।

स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण

14.59 **शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियां :** माननीय उप–राज्यपाल (एलजी) की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधिदेश के अनुरूप शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में कार्यों, पदाधिकारियों और निधियों के हस्तांतरण को अनुमोदन प्रदान किया। प्रस्ताव में, अन्य बातों के साथ–साथ, हस्तांतरण के लिए प्रस्तावित समय–सीमा के साथ–साथ हस्तांतरित किए जाने वाले पदों, संस्थाओं, निधियों और कार्यों का ब्यौरा शामिल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों/समितियों को क्रमशः 5.00 करोड़ रुपए, 1.00 करोड़ रुपए और 0.50 करोड़ रुपए की दर से विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकृत किया गया, जिसकी कुल राशि 57.50 करोड़ रुपए है।

14.60 **बैक टू विलेज 3:** ''बैक टू विलेज (बी2वी3)'' के तीसरे चरण का उद्देश्य कोविड–19 के कारण पैदा हुए लम्बे अन्तराल के बाद जमीनी स्तर पर सरकारी कामकाज में ऊर्जा का संचार करना और अग्रणी स्तर पर सरकारी कामकाज में अधिक तेजी, जवाबदेही और सुगमता लाना है। इस पहल के अंतर्गत, लगभग 6,000 नए कार्य शुरू किए गए और युवाओं को 4,440 स्पोर्ट्स किट वितरित की गईं। इसके अतिरिक्त, 2,430 गृह प्रवेश समारोह आयोजित किए गए और पंचायतों में 3,959 डस्टबिन बांटे गए।

14.61 पहल के दौरान रोजगार के लगभग 15,200 मामले स्वीकृत किए गए हैं। युवा उद्यमियों को उनके कार्यकलापों के साथ आवश्यकतानुसार तैयार की गई विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत समायोजित किया गया। युवा उद्यमियों के लिए 242 करोड़ रुपए की धनराशि पहले ही मंजूर की जा चुकी है।

14.62 **जन अभियानः** "बैक टू विलेज (बी2वी3)" से पहले एक 21 दिवसीय जन अभियान चलाया गया था,

जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक बी2वी3 कार्यक्रम तैयार किया गया। माननीय उपराज्यपाल द्वारा औपचारिक उद्घाटन के साथ जन अभियान दिनांक 10.09.2020 को शुरू हुआ और दिनांक 01.10.2020 तक जारी रहा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इसके तीन अनिवार्य घटकों अर्थात् "अधिकार अभियान/मुहिम बराय–ए–हकूक, उन्नत ग्राम अभियान/देही तरकियाती मुहिम और जन सुनवाई अभियान/अवामी सुनवाई मुहिम" का कार्यान्वयन करना है। इसके पश्चात् प्रत्येक बुधवार को ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया, जो पूरे संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में आयोजित किया जा रहा है। संपूर्ण जन अभियान तथा ब्लॉक दिवस के दौरान, 5 लाख से अधिक प्रमाणपत्र (स्थायी निवास, श्रेणी, मृत्यु/जन्म, दिव्यांगता) जारी किए गए। 70,000 से अधिक राशन कार्डों को आधार से जोड़ा गया है। लगभग 50,000 परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत कवर किया गया है।

14.63 **माई टाउन माई प्राइड:** शहरी विकास विभाग ने जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शुरू किए गए बी2वी (बैक टू विलेज) की तर्ज पर इस कार्यक्रम की शुरूआत की है। संघ राज्य क्षेत्र के सभी शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 6 लाख लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। पीएमएवाई(यू) के अंतर्गत उन 250 से अधिक लाभार्थियों, जिन्होंने अपनी रिहायशी यूनिटें पूरी कर ली थीं, को गृह प्रवेश के अवसर पर चाबियां सौंप दी गई हैं। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के दौरान 250 स्व–सहायता समूहों का गठन किया गया।

सुधार

14.64 **औद्योगिक पैकेज:** अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने 1,350 करोड़ रुपए के एक व्यापक पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के भाग के रूप में अनेक प्रशासनिक और वित्तीय उपायों की घोषणा भी की गई।

14.65 **व्यापार सुधार कार्यक्रम:** 'व्यवसाय करने में आसानी' के तहत, ऑनलाइन मॉड्यूल्स के विकास और एक ही स्थान पर मंजूरी (सिंगल लाइन विंडो क्लीयरेंस) की प्रणाली शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, भूगर्भ और खनन क्षेत्र में खनन ब्लॉकों की ई–नीलामी की पहलें शुरू की गई हैं।

14.66 **खनिजों की ई–नीलामी :** खनन विभाग ने अब तक 350 से अधिक ब्लॉकों की ई–नीलामी का कार्य सफलतापूर्वक संचालित किया है। सरकार ने अब तक छोटे खनिज ब्लॉकों की ई–नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से 150 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त किया है, जिसके अगले कुछ महीनों में दोगुना हो जाने की उम्मीद है।

14.67 **भूमि कानून :** राजस्व विभाग ने "नेशनल जेनेरिक डाक्युमेंट्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस)" को अपनाकर एक प्रमुख प्रशासनिक सुधार किया है, जिसके तहत दस्तावेजों के पंजीकरण की पारंपरिक मैनुअल प्रणाली के स्थान पर कंप्यूटरीकृत पंजीकरण प्रणाली अपनाई गई है, जो नागरिकों के लिए अनुकूल, पारदर्शी और समय की बचत करने वाली प्रणाली है। यह उपाय ई–स्टाम्पिंग के साथ "डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)" के भाग के रूप में किया गया है।

14.68 जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) के माननीय उपराज्यपाल ने "नेशनल जेनेरिक डाक्युमेंट्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस)" और ई–स्टाम्पिंग की शुरूआत दिनांक 18.09.2020 को पांच जिलों अर्थात जम्मू, साम्बा, उधमपुर, कठुआ और श्रीनगर में की और इसका विस्तार सम्पूर्ण जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में किया जाएगा।

शिकायत निवारण तंत्र

14.69 उपराज्यपाल के शिकायत प्रकोष्ठ के तत्वावधान में सरकार की एक ई–शासन की पहल ने जाति, वर्ग, धर्म, जेंडर अथवा भौगोलिक स्थानों पर ध्यान दिए बिना जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) के लोगों को अपनी शिकायतों की सूचना देने के लिए सरकार से सीधे बातचीत करने का एक अवसर प्रदान किया है। जिला स्तर पर, सभी उपायुक्तों ने लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए हैं। जन

सामान्य ने चालू कैलेण्डर वर्ष के दौरान अब तक (दिनांक 31.12.2020 तक) 48,160 शिकायतें दर्ज करके शिकायत निवारण तंत्र में अपना सतत विश्वास व्यक्त किया है, जिसमें से 43,447 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है। जम्मू एवं कश्मीर – एकीकृत शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (जेके–आईजीआरएएमएस) को भी सीपीजीआरएएमएस/जीओआई से 7,759 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 6,941 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है। जम्मू एवं कश्मीर की ग्रीष्म और शीतकालीन राजधानियों में दो टोल फ्री शिकायत कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं।

14.70 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से एलजी से "मुलाकात" की शुरूआत की गई है। इस "मुलाकात" में सभी प्रशासनिक सचिवों, उपायुक्तों और संबंधित विभागाध्यक्षों की मौजूदगी में माननीय उपराज्यपाल द्वारा उन शिकायतकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं की सुनवाई स्वयं की जा रही है, जिनकी शिकायतें जेके–आईजीआरएएमएस पर सूचीबद्ध तथा पंजीकृत हैं। इस पहल का उद्देश्य शिकायत के निपटान की गुणवत्ता में सुधार करना और समग्र शिकायत समाधान प्रक्रिया में तेजी लाना है।

लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र

प्रस्तावना

14.71 लद्दाख दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को एक संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल के बिना) बन गया। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) भारत के सबसे उत्तरी छोर पर है और 2300 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित यह क्षेत्र देश का सबसे ठंडा, सबसे ऊंचा और सबसे विरल आबादी वाला क्षेत्र है। शीतकाल में यहां हमेशा कड़ाके की ठंड होती है, जिसके कारण सर्दियों में यह क्षेत्र दुर्गम हो जाता है, क्योंकि ज़ोजिला और रोहतांग दर्रे के बंद हो जाने के कारण श्रीनगर और हिमाचल प्रदेश से सड़क संपर्क टूट जाता है। वर्षा अत्यंत कम और नगण्य है, जो इस क्षेत्र को ठंडा रेगिस्तान बना देती है। इस क्षेत्र में 18000 फीट से लेकर 26000 फीट तक की ऊँचाई वाली चोटियाँ काराकोरम और ज़ांस्कर पर्वतमालाओं की बनावट के समानांतर दिखती हैं। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में लेह और कारगिल नामक दो जिले शामिल हैं। लद्दाख 02 राजमार्गों अर्थात एनएच 03–लेह–मनाली राजमार्ग तथा एनएच 1डी–लेह–श्रीनगर राजमार्ग द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, लद्दाख की कुल जनसंख्या 2,74,289 है। लद्दाख के लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएँ लद्दाखी/बोटी, बाल्टी, पुरगी और दर्दी/शीना हैं। लद्दाख की अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जनजाति अर्थात बाल्टी, बेडा, बोट, ब्रोक्पा, चांग्पा, गर्रा, मोन और पुरिग्पा हैं।

उद्योग और वाणिज्य

14.72 विभाग का उद्देश्य अवसंरचना विकास और कौशल विकास जैसी अनिवार्य शर्तों में सुधार करके तथा भावी उद्यमियों को प्रोत्साहन के रूप में इन्क्यूबेशन सहायता और वित्तीय मदद प्रदान करके उद्यमियों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना करने में सुविधा प्रदान करते हुए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर सृजित करना है। मौजूदा औद्योगिक सम्पदाओं के अलावा, विभाग ने औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिलों में और अधिक औद्योगिक सम्पदाओं तथा कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों को विकसित करने की परिकल्पना की है। लद्दाख के उद्यमियों ने केंद्र की औद्योगिक विकास स्कीम (आईडीएस), उद्योग और आतंरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग की स्कीम (डीपीआईआईटी) और पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य की अन्य स्कीमों के तहत औद्योगिक विकास सहायता प्राप्त की है। ट्रांजिसन की इस अवधि के दौरान लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) इस सुविधा का लाभ उठा रहा है। उद्यमियों के लाभ के लिए लद्दाख में उद्यमशीलता विकास संस्थान की स्थापना करने का कार्य भी शुरू किया गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

14.73 इस स्कीम का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने के लिए पहली पीढ़ी के उद्यमियों को सशक्त बनाना

है। सेवा उद्यमों की स्थापना करने के लिए 10.00 लाख रुपये तक तथा विनिर्माण उद्यमों की स्थापना करने के लिए 25.00 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। महत्वपूर्ण नीतिगत पहलें शुरू की गई हैं, जिनमें सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए लद्दाख खरीद नीति, लेह में सबसे पहला इन्क्यूबेशन सेन्टर और 'खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए साझेदारी करना' विषय पर 'लद्दाख खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन' शामिल हैं।

हस्तशिल्प और हथकरघा

14.74 हथकरघा विकास विभाग, लेह ने आर्टिसन क्रेडिट कार्ड (एसीसी) स्कीम के अंतर्गत 45 कारीगरों को 10% ब्याज सब्सिडी पर ऋण उपलब्ध कराया है। कारीगर, बैंकों से प्रति कारीगर 1.00 लाख रुपये की दर से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान, 70 कारीगरों का अनुमान लगाया गया था और प्रति कारीगर 2.00 लाख रुपये की दर से बैंक ऋण में बढ़ोतरी के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। विभाग हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास हेतु विशिष्ट संस्थानों जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी), अहमदाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (एनआईएफटी) और भारतीय पैकेजिंग संस्थान के साथ तालमेल स्थापित कर रहा है। 72 कारीगरों और बुनकरों को पिछले वर्ष दिल्ली हाट में प्रदर्शनी एवं बिक्री के अवसर प्रदान किए गए थे तथा एनआईडी और एनआईएफटी से डिजाइन और जानकारी संबंधी सहायता प्राप्त करके विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) के अंतर्गत दिल्ली हाट की तर्ज पर एक शिल्प बाजार का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, लेह और कारगिल में शिल्प ग्रामों का विकास भी किया जा रहा है। इसके लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीआरआईएफईडी) से भी सक्रिय सहयोग प्राप्त किया गया है।

ग्रामीण विकास

14.75 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एमजीएनआरईजीए), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), आरयूआरबीएएन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (पीएमएवाई (जी)), स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (एसबीएम (जी)) आदि जैसी नियमित स्कीमों के अलावा, "लद्दाख ग्राम सड़क योजना" नामक स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए काफी अधिक निवेश किया जा रहा है। कार्यालयों, पुस्तकालयों, सामुदायिक पार्कों तथा सामान्य सुविधा केंद्रों आदि का निर्माण करके ब्लॉक विकास परिषदों और ग्राम पंचायतों की कार्यालय अवसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ग्राम पंचायत में इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

एमजी–एनआरईजीए

14.76 वर्ष 2020–21 के दौरान, ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के अंतर्गत 21,303 महिला कामगारों सहित 36,439 जॉब कार्ड धारकों को मजदूरी का रोजगार उपलब्ध कराया है। दिसम्बर, 2020 तक 2,741.34 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग किया गया है और 17.32 लाख श्रम दिवसों का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंत तक 25 लाख श्रम दिवसों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

14.77 पीएमएवाई (ग्रामीण) के अंतर्गत, वर्ष 2020–21 के दौरान 236 घरों का अतिरिक्त लक्ष्य है तथा बीपीएल परिवारों को पक्का आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए कुल लक्ष्य को बढ़ाकर 1,514 घर कर दिया गया है, जिसमें से 1,222 घरों का निर्माण किया जा चुका है। दिसम्बर, 2020 तक 240.30 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग किया जा चुका है।

स्वच्छ भारत मिशन

14.78 'आरयूआरबीएएन मिशन (प्रोजेक्ट तांगदा)' के अंतर्गत, लेह जिले में चोगलमसर में ठोस तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रबंधन तथा मिन्जी, कारगिल में पृथक्करण/रीसाइकिलिंग यूनिट शुरू की गई हैं। लेह और कारगिल

में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आठ ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। प्रशासन, लद्दाख के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन परियोजना की उपलब्धता के लिए प्रयास कर रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी

14.79 यद्यपि आईटी विभाग विभिन्न जी2सी, बी2सी और जी2जी सेवाओं को ऑनलाइन करने तथा उन्हें लद्दाख के लोगों तक पहुंचाने के प्रयास कर रहा है, तथापि, यह दूरसंचार विभाग के सहयोग से लद्दाख में बिना कनेक्शन वाले गांवों/छोटे गांवों तक इंटरनेट और टेली–कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भी सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। विभाग लद्दाख में एक ठोस ई–शासन ढांचे की सुविधा के लिए अपेक्षित जमीनी स्तर की आईटी अवसंरचना स्थापित करने का कार्य भी कर रहा है।

14.80 कुल 18 डीएक्टिवेटेड डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) स्थलों पर टेली–कनेक्टिविटी के साथ वी–सैट स्थापित कर दिए गए हैं और 19 ग्राम पंचायत स्थलों पर वी–सैट स्थापित किए गए हैं। बिना कनेक्शन वाले गांवों की स्थिति में सुधार करने के लिए, प्रशासन ने लद्दाख के ऐसे सुदूरवर्ती और दूर–दराज के क्षेत्रों में संचार हेतु 57 सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराए हैं। विभाग ने लद्दाख "स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान)" की स्थापना के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की है, जिस पर मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

14.81 आईटी विभाग संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) तथा अन्य पंजीकरण एजेंसियों के सहयोग से आधार नामांकन और उसके अपडेशन के कवरेज को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। आईटी विभाग ने बाहर रहने वाले लद्दाख के निवासियों के साथ समन्वय के लिए एक वेब आधारित मोबाइल–फ्रेंडली एप्लीकेशन 'लद्दाख कनेक्ट' का विकास किया है। जहां तक अन्य ई–शासन पहलों का संबंध है, इनमें 'कोविड लद्दाख' वेब पोर्टल, 'लद्दाख हेलि सर्विस', जो वेब आधारित टिकट आरक्षण प्रणाली है, जैसी कुछ उल्लेखनीय पहलें शामिल हैं, जो लद्दाख के लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इसके अतिरिक्त, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में ई–ऑफिस, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में ई–पीडीएस, ई–स्टाम्प और ई–गजट, परिवहन विभाग के लिए वाहन और सारथी आदि का कार्यान्वयन किया गया है।

मोटर वाहन (परिवहन)

14.82 परिवहन विभाग की स्थापना व्यापक सार्वजनिक सेवाओं जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, वाहनों के पंजीकरण, परमिट जारी करने, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के संचालन जैसे कार्यों को करने तथा परिवहन अवसंरचना का विकास करने के लिए की गई है, ताकि सेवाओं की आपूर्ति में तेजी लाई जा सके और उसे पारदर्शी बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस तथा वाहन दस्तावेजों के सत्यापन के लिए 'सारथी' और 'वाहन' सॉफ्टवेयर शुरू किए गए हैं।

शिक्षा

14.83 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में 1,020 स्कूल हैं, जिनमें से 113 प्राइवेट स्कूल हैं और 907 सरकारी स्कूल हैं तथा इन स्कूलों में प्री–प्राइमरी से लेकर हायर सेकंडरी स्तर तक 57,033 छात्र नामांकित हैं। इन स्कूलों में विशेष जरूरतों वाले 750 बच्चे नामांकित किए गए हैं और 11 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की शुरूआत की गई है। 59 हाई स्कूलों और 23 हायर सेकंडरी स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट क्लास रूम की सुविधा प्रदान की गई है। 37 सेकंडरी स्कूलों तथा 12 प्राथमिक स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में छह डिग्री कॉलेज, दो पॉलीटेक्निक कॉलेज और दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। लद्दाख विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है, जिसके अधीन इसके कॉलेजों के रूप में मौजूदा छह (06) डिग्री कॉलेज तथा संबद्ध कॉलेजों के रूप में लेह और कारगिल जिले में प्रत्येक में तीन (03) कॉलेज हैं।

तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास

14.84 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, लेह और कारगिल के दूसरे, चौथे तथा छठे सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया गया। कोविड–19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, लेह और कारगिल के पहले, तीसरे तथा पांचवें सेमेस्टर के छात्रों के लिए नवम्बर–दिसम्बर 2019 सत्र की लंबित परीक्षाएं ऑनलाइन कराई गईं। इनके अलावा, बाजार की मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय कार्यबल को प्रशिक्षित करने हेतु नए रोजगारोन्मुख इंजीनियरिंग/तकनीकी पाठ्यक्रम और कौशल उन्मुख पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।

युवा सेवाएं और खेल–कूद

14.85 'खेलो इंडिया स्कीम' के अंतर्गत 'फिट इंडिया फ्रीडम रन' का आयोजन किया गया और लेह में 'फिट इंडिया साइक्लोथॉन' का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 70 साइकिलिस्टों ने भाग लिया।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले

14.86 कड़ाके की ठंड के महीनों के दौरान जीवित रहने के लिए बफर स्टॉक बनाए रखने के उद्देश्य से, दोनों जिलों में चावल, गेहूं (आटा), केरोसीन तेल आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और विशेषकर दूर–दराज, अगम्य तथा बर्फीले क्षेत्रों में वस्तुओं की समय पर आपूर्ति करने के उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा, दूर–दराज के क्षेत्रों में केरोसीन तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, घर के दरवाजे तक केरोसीन तेल की डिलीवरी करने के लिए 5केएल के 20 के–ऑयल टैंक स्थापित किए गए हैं। विभाग ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम शुरू की है, जिससे संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में आने वाले लगभग 20,000 प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलेगा। संघ राज्य क्षेत्र में भारत सरकार की नियमित एनएफएसए स्कीम के अलावा, चीनी सब्सिडी स्कीम तथा लद्दाख खाद्य सुरक्षा स्कीम भी शुरू की गई है।

पीने का पानी

14.87 लेह में 9 एमएलडी और कारगिल में 5.50 एमएलडी की क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र से लेह के लगभग 55,000 लोग तथा कारगिल जिले के 34,232 लोग पाइप के जरिए और टैंकर सेवाओं के माध्यम से पीने का पानी प्राप्त कर रहे हैं। 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत, प्रशासन प्रत्येक परिवार को पूरे वर्ष चौबीसों घंटे–सातों दिन (24x7) और सर्दियों के मौसम में भी जल आपूर्ति उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। 'गैंगल्स गांव' में 'पॉयलट परियोजना' के रूप में एक स्कीम शुरू की गई थी, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को अत्यधिक ठंड के मौसम में भी चौबीसों घंटे–सातों दिन (24x7) जल आपूर्ति प्रदान की जा रही है।

रोजगार

14.88 रोजगार की तलाश कर रहे कुल 1,435 लोग रोजगार विभाग के 'लाइव रजिस्टर' में पंजीकृत हैं। विभाग में पंजीकृत अभ्यर्थियों को विभिन्न सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की भर्तियों और रोजगार मेलों के संबंध में एनआईसी के 'एसएमएस गेटवे' के माध्यम से सूचना प्रदान की जाती है। भावी उद्यमियों को सब्सिडीयुक्त ऋण के रूप में संस्थागत वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण प्रशिक्षणों के माध्यम से भी प्रोत्साहित किया जाता है।

कृषि

14.89 आर्गेनिक विकास मिशन के अंतर्गत, कृषि विभाग ने किसानों के खेत पर वर्मी–कम्पोस्ट पिटों की 200 यूनिटों के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है और किसानों के बीच वितरण हेतु 3500 क्विंटल वर्मी–कम्पोस्ट की खरीद भी की है। किसानों की आमदनी बढ़ाने और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षित खेती के अंतर्गत सब्जियों की आपूर्ति के लिए "लद्दाख ग्रीन हाउस परियोजना" शुरू की गई है। "कृषि वानिकी पर सब–मिशन' (एसएमएएफ)" परियोजना के अंतर्गत, 1.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से 8 नर्सरियां स्थापित की जा रही हैं।

सहकारिता (को–ऑपरेटिव्स)

14.90 एक कोल्ड स्टोरेज परियोजना पूरी हो गई है और विभाग ने 1 क्विंटल चिकन तथा 2000 किग्रा. प्याज का भंडारण किया है। वर्ष के दौरान लगभग 1000 एमटीएस रासायनिक उर्वरक और 90 एमटी वर्मी–कम्पोस्ट का

संग्रह किया गया है। वर्ष 2020 के लिए संग्रह की गई आवश्यक वस्तुएं पिछले वर्ष किए गए संग्रह की तुलना में तीन गुना अधिक हैं।

पशु और भेड़ पालन

14.91 ऊन का वार्षिक उत्पादन 1,834 क्विंटल है, जबकि विश्व के सबसे बढ़िया पश्मीना का उत्पादन 491 क्विंटल है और दूध का उत्पादन प्रति वर्ष लगभग 28,730 लीटर है। पशुधन की स्थानीय नस्लों नामतः चांगथांगी बकरी, दो कूबड़ (डबल हम्प) वाले ऊंट, याक, जांस्करी घोड़े, और लद्दाखी मवेशियों के संबंध में इन देशी नस्लों के जर्मप्लाज्म के संरक्षण का कार्य और कराकुल एवं रूसी मेरिनो भेड़ तथा जर्सी मवेशियों के साथ संकरण (क्रास–ब्रीडिंग) के माध्यम से आनुवंशिक उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। एफएमडी और ब्रूसिलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) के चरण–। के अंतर्गत मुंहपका–खुरपका रोग (एफएमडी) से बचाव के लिए 79,098 मवेशियों को टैग लगाया गया और उनका टीकाकरण किया गया। प्रोटीन की आवश्यकता और पर्यटन क्षेत्र के कारण मांस की बढ़ती हुई मांग के मामले में आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने के लिए, विभाग ने परीक्षण के आधार पर पहली बार पोल्ट्री की टर्की, गिनी फाउल और प्रख्यात कड़कनाथ नस्लें पेश की हैं।

वन्यजीव

14.92 अभयारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों में मानव–पशु संघर्ष को कम करने के लिए वन्यजीव विभाग स्थानीय समुदायों के लिए "जीवभक्षी से बचने का आवरण" उपलब्ध कराता है। विभाग, सुरक्षित क्षेत्र के भीतर रहने वाले समुदायों के स्थानीय लोगों को वैकल्पिक आजीविका के लिए "होम स्टे" चलाने की अनुमति भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ एवं विशिष्ट पशुओं के संरक्षण के लिए गश्त और बचाव अभियान भी चलाया जा रहा है।

नागरिक विमानन

14.93 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के पास 3.54 करोड़ रुपये की धनराशि जमा कराई है, ताकि ईए320/बी737 प्रकार के विमानों के संचालन की व्यवहार्यता की जांच करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (आईसीएओ) द्वारा कारगिल हवाई अड्डे के संदर्भ में किए जाने वाले अध्ययन के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (आईसीएओ) को आगे हस्तांतरित किया जा सके। गृह मंत्रालय तथा नागरिक विमानन मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता से कारगिल हवाई अड्डे पर एक छोटे फिक्स्ड विंग वाले विमान के संचालन के लिए नागरिक विमानन विभाग विभिन्न अन्य विकल्पों का पता लगा रहा है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में एक सब्सिडाइज्ड हेलीकॉप्टर सेवा संचालित की जा रही है। संघ राज्य क्षेत्र के दूर–दराज के क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए, विभाग ने दोनों जिलों में 36 हेलीपैडों के निर्माण/उन्नयन के लिए लेह और कारगिल के उपायुक्त के नाम 356.69 लाख रुपये की धनराशि जारी की है।

स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं

14.94 लद्दाख की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां पर 02 जिला अस्पताल, 07 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), 32 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), 22 नए प्रकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एनटीएचसी) और 267 चिकित्सा उप–केंद्र (एमएससी) हैं।

14.95 वैश्विक महामारी के दौरान, 'टेली–मेडिसिन' ने स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति प्रणाली में रोगियों और डॉक्टरों के बीच एक सेतु का काम किया है। एसएनएम अस्पताल, लेह और जिला अस्पताल, कारगिल में टेलीमेडिसिन उपकरण स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, पात्र लाभार्थियों को 44,171 गोल्डन हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं।

विद्युत विकास

14.96 220 केवी वाली श्रीनगर–लेह ट्रांसमिशन लाइन को चालू करने और उसे सशक्त बनाने के बाद, विशेषकर कड़ाके की सर्दी के दौरान विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है और बिजली की खपत में 28% की

वृद्धि हुई है। वर्ष 2020–21 के दौरान, ग्रिड/हाइड्रो क्लीन पावर से कुल 17 डीजल जनरेटर (डीजी) सेटों को हटाया गया है और यह कार्बन–मुक्त लद्दाख की दिशा में एक प्रमुख कदम है।

बागवानी का विकास

14.97 एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए 5.33 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से "सोलर ड्रायर–सह–स्पेस हीटिंग प्रणाली संबंधी परियोजना" अनुमोदित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, 670 लक्षित लाभार्थियों में से, 300 लाभार्थियों को पहले ही कवर कर लिया गया है और 235 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष के अंत तक कवर किया जाएगा।

14.98 लेह (निमू) में 7.893 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से "एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)" के अंतर्गत सी–बकथॉर्न तथा खुबानी इत्यादि जैसे शीतोष्ण फलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र चलाया जा रहा है। फलों के पेड़ 3109.38 हेक्टेयर के अनुमानित क्षेत्र में उगाए जाते हैं और फल का वार्षिक अनुमानित उत्पादन 20007.6 मीट्रिक टन ताजे फल और 247.06 मीट्रिक टन मेवे का है।

पर्यटन

14.99 विभाग ने "शांति स्थापना और ज्ञान प्रसार" की थीम के साथ विभिन्न पर्यटन स्थलों पर विश्व पर्यटन दिवस मनाया है। जागरूकता कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान और फोटोग्राफी पर विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की गईं। 'एडवेंचर टूरिज्म' को बढ़ावा देने के लिए, चांगथांग क्षेत्र में क्लीन–अप ड्राइव के साथ एक 10 दिवसीय माउंटेन बाइकिंग अध्ययन–सह–सर्वेक्षण आयोजित किया गया। ऑल लद्दाख ट्रैवल ऑपरेटर्स एसोशिएशन (एएलटीओए) और माउंटेन बाइकिंग (एमटीबी) के सहयोग से लद्दाख माउंटेन बाइकिंग फेस्टिवल का दूसरा भाग भी आयोजित किया गया। विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विंटर कॉन्क्लेव, चादर फेस्टिवल, आइस क्लाइम्बिंग और आइस हॉकी जैसे कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है।

समाज कल्याण

14.100 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत, 2,244 नए लाभार्थियों समेत 7,294 लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रतिमाह की मासिक पेंशन प्रदान की गई है। एकीकृत सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत, 1000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी गई है और कुल 9,652 लाभार्थियों को कवर किया गया है। राज्य विवाह सहायता के अंतर्गत, कुल 760 लाभार्थियों को लाभ मिला है और वर्ष 2020–21 के दौरान लगभग 140 लाभार्थियों को कवर किए जाने की संभावना है।

एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस)

14.101 एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत, 0–06 वर्ष के आयु समूह में 18,500 लाभार्थी और 3,610 गर्भवती महिलाएं तथा स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल हैं और 1,139 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यशील हैं।

* * * *

अध्याय–15

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

15.1 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय (ओआरजी एण्ड सीसीआई) गृह मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में इसके क्षेत्रीय निदेशालय और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ओआरजीआई मुख्यालय के लिए जनगणना भवन नाम से 2ए, मान सिंह रोड, नई दिल्ली पर नया कार्यालय भवन निर्माणाधीन है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने ओआरजीआई के कार्यालय भवन की आधारशिला 23.09.2019 को रखी थी। वर्तमान में कार्यालय एनडीसीसी–II भवन से कार्य कर रहा है।

15.2 भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है :

(क) **मकानों तथा जनसंख्या की गणना:** भारत के जनगणना आयुक्त एक ऐसे सांविधिक प्राधिकारी हैं जिन्हें जनगणना अधिनियम, 1948 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत भारत में मकानों एवं जनसंख्या की गणना करवाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है । इस कार्यालय पर फील्ड संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाने, समन्वय, पर्यवेक्षण; आंकड़ा संसाधन; जनगणना परिणामों के सारणीकरण, संकलन और प्रसार का उत्तरदायित्व है ।

(ख) **सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस):** जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, जिसमें जन्म और मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था है, के अंतर्गत भारत के जनगणना आयुक्त को भारत के महारजिस्ट्रार के रूप में भी नामोद्दिष्ट किया गया है । इस भूमिका में, वह देश के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में सिविल रजिस्ट्रीकरण और जीवनांक प्रणाली के कार्य का समन्वय करता है ।

(ग) **सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस):** अर्द्धवार्षिक आधार पर जन्म एवं मृत्यु संबंधी घटनाओं का वृहद सैम्पल सर्वे अर्थात सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व भी ओआरजी एण्ड सीसीआई का है। एसआरएस देश में राज्य स्तर पर जन्म–दर, मृत्यु–दर, शिशु मृत्यु–दर तथा मातृ मृत्यु–दर जैसी जन्म एवं मृत्यु दरों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है ।

(घ) **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर):** नागरिकता अधिनियम,1955 के तहत निरूपित नागरिकता नियमावली 2003, में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, देश में सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों से संबंधित सूचना एकत्रित करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया जाता है।

(ड.) **मातृभाषा सर्वेक्षण:** परियोजना मातृभाषा का सर्वेक्षण करती है, जोकि दो और अधिक जनगणना दशकों में लगातार पायी जाती है। अनुसंधान कार्यक्रम चयनित मातृ भाषाओं की भाषाई विशेषताओं का दस्तावेज़ बनाता है ।

जनसंख्या की जनगणना

15.3 भारत में वर्ष 1872 से नियमित दशकीय जनगणनाओं की एक लंबी परम्परा रही है । पिछली जनगणना 2011 में करवाई गई थी । आगामी जनगणना 1872 से सतत क्रम में 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 8वीं जनगणना है । वर्ष 2021 के दौरान जनगणना करने की मंशा भारत के राजपत्र में पहले ही मार्च, 2019 में अधिसूचित की जा चुकी है।

15.4 जनसंख्या की गणना देश में सबसे बड़ी

प्रशासनिक एवं सांख्यिकी कार्रवाई है। पिछली जनगणनाओं की तरह, जनगणना 2021 दो चरणों में की जानी थी, अर्थात (क) अप्रैल–सितम्बर, 2020 के दौरान मकानसूचीकरण और मकानों की गणना तथा (ख) 9 से 28 फरवरी, 2021 के दौरान जनसंख्या की गणना के साथ 1 मार्च से 5 मार्च, 2021 तक संशोधित दौर। मकानसूचीकरण और मकानों की गणना एवं मकानसूचीकरण प्रश्नावली के संचालन की अवधि से संबंधित अधिसूचनाएं भी अधिसूचित की गईं। हालांकि, कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण, मकानसूचीकरण और मकानों की गणना का फील्ड कार्य और जनगणना 2021 की अन्य प्रासंगिक फील्ड गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर/टाल दिया गया है।

15.5 मकानसूचीकरण और मकानों की गणना, जनसंख्या गणना (द्वितीय चरण) के लिए स्पष्ट ढांचा/फ्रेम उपलब्ध कराने के अलावा, परिवारों के पास उपलब्ध सुविधाओं, मकानों की स्थिति और उनके पास मौजूद परिसंपत्तियों पर बहुत उपयोगी डाटा प्रदान करेगी। दूसरे चरण में, व्यक्तियों के प्रवासन और प्रजनन विशेषताओं के साथ विभिन्न जनसांख्यिकीय, सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक मापदण्डों पर आंकड़े एकत्र किये जाने हैं।

15.6 विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमों संबंधी योजना बनाने में उपयोग करने हेतु देश के संबंध में परिणाम तैयार करने वाली प्रत्येक जनगणना के दौरान एकत्र किए गए वृहत आंकड़ों का समय पर संसाधन करना हमेशा से ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है । विगत में प्रत्येक जनगणना के दौरान जनगणना के आंकड़ों का शीघ्रता से संसाधन और संकलन करने के लिए उपलब्ध नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों/प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना आवश्यक हो गया। हालांकि जनगणनाओं के दौरान फील्ड से आंकड़ों का एकत्रण शत–प्रतिशत था लेकिन 1991 तक कुछ मानकों के संबंध में इसके कम्प्यूटरीकरण का स्तर 5% से 45% तक परिवर्तनशील रहा। ऑप्टिकल मार्क रीडर (ओएमआर)/ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर)/इन्टेलिजेन्ट कैरेक्टर रिकॉग्निशन (आईसीआर) इत्यादि जैसे अत्याधुनिक आईटी साधनों के आविष्कार के पश्चात, अंतिम दो जनगणनाओं 2001 और 2011 में इन आईटी साधनों के माध्यम से लगभग 100% आंकड़े एकत्र किए गए। आगामी जनगणना हेतु, जनगणना आंकड़ो के त्वरित प्रसंस्करण और उन्हें शीघ्र जारी करने के लिए कुछ नई पहल की गई हैं।

15.7 भारत में दशकीय जनगणना करना एक विशाल कार्य है । इसलिए, आगामी जनगणना के लिए विभिन्न प्रारंभिक कार्य पहले से ही किए जा रहे हैं। किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं :

(क) जनगणना 2011 के बाद हुए क्षेत्राधिकार परिवर्तन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित विभागों के परामर्श के साथ संकलित किए जा चुके हैं और जनगणना 2021 के लिए घोषित स्थिर तिथि अर्थात 31.12.2019 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों से संबंधित प्रशासनिक इकाईयों की सूची को अंतिम रूप दिया गया। हालांकि, कोविड–19 महामारी के प्रकोप और जनगणना गतिविधियों के स्थगन के कारण, सीमाओं को स्थिर करने की तारीख अब 13.12.2020 तक बढ़ा दी गई है ;

(ख) पिछली जनगणनाओं की प्रश्नावली की समीक्षा और उसी को अगली जनगणना हेतु अंतिम रूप देने के लिए संबंधित मंत्रालयों और भारत सरकार के विभागों के साथ चर्चा की गई है ।

(ग) स्मार्ट फोन के माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए विकसित किए गए आंतरिक मोबाइल ऐप का कड़ाई से परीक्षण/जांच किया जा रहा है;

(घ) जनगणना संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों की निगरानी एवं प्रबंधन हेतु विकसित जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) पोर्टल को आगे अतिरिक्त कार्यात्मकता/कार्यों के साथ उन्नत किया गया है;

(ड.) जनगणना प्रश्नों (i) मुखिया से संबंध (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, (iii) मातृ भाषा और अन्य ज्ञात भाषाएँ, (iv) व्यवसाय, (v) उद्योग, व्यापार या सेवा की प्रकृति और (vi) जन्म स्थान/अंतिम निवास स्थान, पर वर्णनात्मक

उत्तरों को रोकने के लिए लिए, एक 'कोड निर्देशिका" बनाई गई है जिससे कि प्रगणक फील्ड में आंकड़ो को कोडीकृत कर सके, परिणामस्वरूप आंकड़े शीघ्र प्रसंस्कृत और जारी होंगे ;

(च) आगामी जनगणना से संबंधित विभिन्न मदों/मुद्दों पर सलाह देने के लिए भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार समिति(टीएसी) का गठन हुआ था जिसमें विषय के विशेषज्ञ, जनसांख्यिकी, संबंधित सरकारी विभागों के प्रतिनिधि आदि शामिल थे। "जनगणना प्रश्नावली का विकास" और " 'अगली जनगणना में प्रौद्योगिकी का उपयोग' पर गठित टीएसी और इसकी उप–समितियां, प्रश्नावली और प्रौद्योगिकी को अंतिम रूप देने के लिए कई बार बैठक कर चुकी हैं;

(छ) आगामी जनगणना के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति, सारणीकरण और प्रस्तावित प्रश्न से संबंधित गहन विचार–विमर्श संबंधी मुख्य कार्यसूची के साथ अप्रैल, 2019 में एक आंकड़ा प्रयोक्ता सम्मेलन(डाटा यूजर सम्मेलन) आयोजित किया गया था;

(ज) आंतरिक विकसित मोबाइल ऐप, जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली(सीएमएमएस) पोर्टल, कार्यपद्धति और जनगणना 2021 के लिए प्रस्तावित जनगणना प्रश्नावली की जांच के लिए अगस्त–सितंबर,2019 में पूर्व–परीक्षण किया गया था;

(झ) पेपर अनुसूची और मोबाइल अनुप्रयोगों के माध्यम से डेटा संग्रह की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यकता अनुसार जनगणना में प्रयुक्त विभिन्न जनगणना दस्तावेजों का सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया।

15.8 अगली जनगणना हेतु जनगणना आंकड़ो को शीघ्र जारी करने को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्न नए कदम अपनाए जा रहे हैं:

(क) डिजिटल आंकड़े एकत्रीकरण: प्रगणक अपने स्मार्ट फोन का प्रयोग करते हुए, मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे आंकड़ो को एकत्रित और जमा कर सकते हैं, या वे आंकड़े एकत्रित करने के लिए कागज अनुसूची का प्रयोग कर सकते हैं और उसे मोबाइल ऐप से जमा कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, कनेक्टिविटी की समस्या होने पर प्रगणक आंकड़ों को एकत्रित करने और जमा करने के लिए केवल कागज अनुसूची का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, परिवार, जो मकानसूचीकरण और मकानों की गणना के प्रथम चरण के दौरान अपने मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे, उनके लिए दूसरे चरण के दौरान (जनसंख्या गणना) स्वयं–गणना का ऑनलाइन विकल्प प्रदान करने की योजना है;

(ख) आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए प्रगणकों को अपने स्वयं के स्मार्ट फोन का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना;

(ग) सीएमएमएस पोर्टल को जनगणना संबंधी विभिन्न गतिविधियों जैसेकि जनगणना कार्यकर्ताओं सहित प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और कार्य का आबंटन, जनगणना अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन, वास्तविक समय आधार पर प्रत्येक प्रगणक द्वारा फील्ड में कार्य की प्रगति, कुछ जनगणना रिकॉर्ड/सार का ऑटो–जेनेरेशन, जनगणना कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भत्ता/मानदेय के भुगतान हेतु प्रसंस्करण आदि के प्रबंधन एवं निगरानी के लिए प्रयोग करने की योजना है;

(घ) फील्ड में वर्णनात्मक उत्तरों को कोडीकृत करने के लिए प्रगणकों द्वारा एक कोड निर्देशिका का प्रयोग किया जाएगा जोकि जनगणना आंकड़ों को जारी करने के लिए समय–सीमा को कम करेगा;

(ड.) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से संबंधित जनगणना अधिकारियों के बैंक खातों में सभी प्रकार के भुगतान का ऑनलाइन हस्तांतरण होगा;

(च) जनगणना –एक –सेवा के रूप में – (सीएएएस)

आम जनता को जानकारी–आधारित आंकड़ा पुनःप्राप्ति हेतु एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफ़ेस (एपीआई) और आसानी से वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य फ़ारमैट में आंकड़े उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालयों की मांग– पर साफ़–सुथरा, मशीन पठनीय और कार्रवाई योग्य प्रारूप में आंकड़े उपलब्ध करेगी।

15.9 केंद्र सरकार द्वारा भारत की जनगणना 2021 के कार्य हेतु पहले ही 8754.23 करोड़ रुपए के व्यय की अनुमति दे दी गई है।

भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अगली जनगणना के लिए मानचित्रण समाधानः

15.10 उन्नत भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर जनगणना कार्यों को सुगम बनाने की दिशा में कई नई पहल की गई हैं। जनगणना से पहले शुरू किए जाने वाले मानचित्रण से संबंधित कार्यों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिलों, उप–जिलों, गाँवों, नगरों और वार्डों की प्रशासनिक इकाइयों को दर्शाने वाले मानचित्रों को तैयार करने और अद्यतन करने का कार्य शामिल है ताकि देश के समग्र भौगोलिक क्षेत्र को उपयुक्त रूप से समाहित करना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, वेब आधारित इंटरेक्टिव मानचित्रों के माध्यम से जनगणना परिणामों के प्रसार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में प्रारंभिक कार्य शुरू किया जा चुका है। इन पहलों में से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:

(क) मौजूदा जीआईएस सॉफ्टवेयर को नवीनतम संस्करणों में अपग्रेड किया गया है और त्वरित और कुशल तरीके से जनगणना मानचित्रण गतिविधियों को पूरा करने के लिए नए मॉड्यूल खरीदे गए हैं और इस नवीनतम सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सभी मानचित्रण संबंधी जनशक्ति को प्रशिक्षित किया गया है।

(ख) जनगणना 2011 के पश्चात 31.12.2019 तक हुए क्षेत्राधिकार संबंधित परिवर्तनों को भू–संदर्भित डाटाबेस में अद्यतन किया जा चुका है और आगे अद्यतन/अपडेशन जारी है चूंकि स्थिरता तारीख को 31.12.2020 तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) जनगणना कार्यकताओं/अधिकारियों के लिए 6 लाख से अधिक मानचित्र (जिला/उप–जिला/ग्राम स्तर) तैयार और सीएमएमएस पोर्टल में अपलोड किए जा रहे हैं और इन्हें 31.12.2020 तक हुए क्षेत्राधिकार के परिवर्तनों के अनुसार आगे अद्यतन और अंतिम रूप दिया जाएगा।

(घ) पहली बार, देश में आने वाली जनगणना के सभी गणना ब्लाकों के भू–संदर्भीकरण (जिओ रिफरेंसिंग) के लिए हाउस लिस्टिंग/मकानसूचीकरण ब्लॉक (एचएलबी) मोबाइल मैपिंग/मानचित्रण ऐप शुरू किया गया है और राष्ट्रीय एवं मास्टर प्रशिक्षकों (ट्रेनरों) को इस ऐप पर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(ड.) मैपिंग/मानचित्रण ऐप के उपयोग पर अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में निर्देश पुस्तिका तैयार की गई।

(च) जनगणना के कवरेज की जाँच करने के लिए, देश भर में फैले बिल्ट–अप एरिया (बीयूए) को डिजिटल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बीयूए परत का उपयोग मोबाइल मैपिंग ऐप डेटा (फ़ील्ड से प्राप्त करने के लिए) के साथ तुलना के लिए किया जाएगा, जिससे उत्तम कवरेज सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण (एमटीएसआई)

15.11 भारत की मातृभाषा सर्वेक्षण(एमटीएसआई) परियोजना 576 मातृभाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी से सफलतापूर्वक पूरी हो गयी है ।

15.12 प्रत्येक स्वदेशी मातृभाषा के मूल स्वरूप को संरक्षित रखने और विश्लेषण करने के लिए, यह योजना है कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र (नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर) पर एक वेब–अभिलेखागार स्थापित किया जाए। इस प्रयोजन हेतु, आंतरिक भाषाविदों द्वारा भाषाई आंकड़ो के ठीक प्रकार से सम्पादन का कार्य प्रगति पर है।

भारत का भाषाई सर्वेक्षण (एलएसआई)

15.13 छठी पंचवर्षीय योजना से ओआरजी एवं सीसीआई में भारत का भाषाई सर्वेक्षण एक नियमित अनुसंधान गतिविधि है। इस परियोजना के तहत पिछले प्रकाशन की निरंतरता में, एलएसआई–बिहार के खंड को

अंतिम रूप दे दिया गया है एवं एलएसआई–झारखंड प्रकाशित होने के पूर्व मान्यकरण/सत्यापन प्रक्रिया के तहत है तथा एलएसआई–हिमाचल प्रदेश पूरा होने के करीब है ।

एमटीएसआई आंकड़ों का प्रलेखन और संरक्षण

15.14 यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम (एनएफडीसी) सर्वेक्षित मातृ भाषायी आंकड़ों के दस्तावेजीकरण और उन्हें दृश्य–श्रृव्य माध्यम में संरक्षित करने में सराहनीय योगदान प्रदान कर रही हैं। वर्तमान में, संग्रहीत करने की दृष्टि से राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के मुख्य सर्वर पर मातृभाषाओं के वीडियोग्राफ्ड स्पीच आंकड़े अपलोड किए जा रहे हैं।

आंकड़ा प्रसार

15.15 गणना कार्य और आंकड़ा संसाधन के पूरा हो जाने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कार्य/कदम सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थानों, अध्येताओं, विद्यार्थियों और अन्य डाटा उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए इन परिणामों का प्रसार करना है। इसी प्रयोजन से, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय जनगणना से जनसंख्या, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, साक्षरों, कर्मियों और गैर–कर्मियों, मलिन बस्ती संबंधी डाटा, आयु संबंधी डाटा और मकानों, परिवार संबंधी सुविधाओं और परिसम्पतियों संबंधी डाटा की उपयोगिता और जारी किए जाने के बारे में आंकड़ा उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए एक विस्तृत आंकड़ा प्रसार योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

15.16 निःशुल्क डाउनलोड करने के लिए ये डाटासेट आधिकारिक/सरकारी वेबसाइट http://www.censusindia.gov.in पर जारी किए जाते हैं। ये काम्पैक्ट डिस्क (सीडी) में भी उपलब्ध करवाए जाते हैं ।

15.17 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा शुरू किया गया एक और प्रमुख नवाचारी कदम जनगणना से सैम्पल माइक्रो–आंकड़े लेकर उन पर अनुसंधान करने हेतु वर्कस्टेशनों की स्थापना करना है। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय की मंशा विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के अनुसंधानकर्ताओं को अनुसंधान के प्रयोजन से पिछली दो जनगणनाओं के सैम्पल माइक्रो–आंकड़ों तक पहुंच उपलब्ध करवाने की अनुमति देने की है। इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए, पूरे देश में 18 भिन्न–भिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में वर्कस्टेशन स्थापित किए गए हैं।

15.18 ये वर्कस्टेशन जनगणना से प्राप्त सैम्पल माइक्रो आंकड़ों संबंधी अनुसंधान विषयक सभी सुविधाओं से लैस हैं। ये पूर्णतया वातानुकूलित हैं तथा आंकड़ों तक पहुंच के लिए इनमें कम्प्यूटर टर्मिनलों का नेटवर्क है। इन वर्कस्टेशन में 1991 से 2011 जनगणना तक प्रकाशित सभी सारणी सॉफ्ट कॉपी फ़ारमैट में, जनगणना 2011 हेतु जनसंख्या गणना(सीमित पैमाने) पर और जनगणना 2001 और 2011 से संबन्धित मकानसूचीकरण के सूक्ष्म नमूना आंकड़ा (राष्ट्रीय स्तर पर 1% और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला स्तर पर 5%) उपलब्ध कराए गए हैं। विश्वविद्यालय/संस्थान का एक पदाधिकारी संबंधित वर्कस्टेशन पर तैनात किया जाता है जोकि अनुसंधानकर्ताओं को उनके अनुसंधान के लिए संचालन समूह से उसके अनुसंधान के लिए अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात उन्हें वर्कस्टेशन में उपलब्ध आंकड़ों तक पहुंच उपलब्ध करवाता है । अनुसंधानकर्ता को सारणीकरण के लिए उपलब्ध समाज विज्ञान संबंधी सांख्यिकी पैकेज (एसपीएसएस) और सांख्यिकीय आंकड़ा विश्लेषण (एसटीएटीए) साफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है।

15.19 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने भावी पीढ़ियों के प्रयोग के लिए 1872 से प्रकाशित सभी पुरानी जनगणना रिपोर्टों को डिजिटाइज करने और अभिलेखबद्ध करने संबंधी एक अन्य प्रमुख पहल की है । इन पुरानी जनगणना रिपोर्टों के 26 लाख से अधिक पृष्ठों को डिजिटाइज किया गया है और निःशुल्क रूप से डाउनलोड करने के लिए इन्हें जनगणना की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है तथा इनको संपूर्ण भारत में जनगणना निदेशालयों और विश्वविद्यालयों/संस्थानों में वर्कस्टेशनों पर भी उपलब्ध करवाया गया है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

15.20 भारत में दशकीय जनगणना कार्य वर्ष1872 से नियमित रूप से किए जाते हैं। इतने विशाल और

वैविध्ययुक्त देश में सफलतापूर्वक जनगणना करवाने में प्राप्त विशेषज्ञता से हमें अपने अनुभवों को अन्य देशों तथा अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठनों नामतः सिंफोनिका, संयुक्त राष्ट्र एशिया एवं प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) और संयुक्त राष्ट्र बाल निधि(यूनिसेफ़) तथा अन्य संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों इत्यादि के साथ साझा करने में सहायता मिली है। वर्ष 2020–21 के दौरान, इस अनुभव साझाकरण ने एक नया आयाम ले लिया है। कोविड–19 के प्रकोप के कारण अब ऐसी बैठकें/सम्मेलन/कार्यशालाएँ वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म पर आयोजित की जाती हैं जिसमें भौतिक इंटरफ़ेस/शारीरिक संपर्क के लिए बहुत कम गुंजाइश होती है। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय तथा अन्य देशों/संयुक्त राष्ट्र संगठनों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग को चित्रित करने वाला महत्वपूर्ण आयोजन/कार्यक्रम निम्न हैं:

"दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सीआरवीएस प्रणाली में सुधार के संबंध में उनकी कार्य योजना पर चर्चा करने के लिए सीआरवीएस पर 31.08.2020 को वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म पर एक डब्ल्यूएचओ एसईएआरओ क्लस्टर वर्कशॉप/समूह कार्यशाला आयोजित हुई थी। सुश्री संध्या सिंह, उप महारजिस्ट्रार ने इस कार्यालय से इस आभासी/वर्चुअल कार्यशाला में भाग लिया था। "

आंतरिक प्रशिक्षण

15.21 अप्रैल, 2018 में भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा कार्यालय की प्रशिक्षण नीति (ओटीपी) प्रकाशित की गई । तदनुसार, प्रशिक्षण प्रभाग भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय का और विभिन्न जनगणना कार्य निदेशालयों में तैनात कर्मियों को इनडक्शन/प्रोन्नति/सेवाकालीन/विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहा है ।

15.22 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय की मंशा अधिकारियों की आंतरिक क्षमता को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर सुदृढ़ करना है। इस मंशा के साथ, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक गहन प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (टीएनए) करवाया गया था। टीएनए के माध्यम से सौंपे गए कार्य और कार्यक्षेत्र के अनुसार प्रशासन एवं स्थापना और सांख्यिकीय/जनसांख्यिकीय उपकरण एवं तकनीक पर सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान की गई थी ।

15.23 अप्रैल–दिसंबर, 2020 के दौरान कुल 911 अधिकारियों/कर्मचारियों को अनिवार्य प्रोमोशनल प्रशिक्षण दिया गया है और 32 अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुगम प्रशिक्षण दिया गया।

जनगणना से संबंधित प्रशिक्षण

15.24 आगामी जनगणना करने के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को संचालित किया गया है, जहां जनगणना पद्धति और टीडीएस पाठ्यक्रम पर ओआरजीआई के अधिकारियों/कर्मचारियों और भा.प्र.से. परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इन बैच का विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रतिभागियों का स्तर	अवधि		प्रतिभागियों की संख्या
			से	तक	
1	जनगणना पद्धतियों पर ओआरजीआई के अधिकारियों और कर्मचारियों का 2/3 दिनों का प्रशिक्षण	सभी समूह	19.05.2020	20.05.2020	33
			21.05.2020	22.05.2020	41
			22.06.2020	24.06.2020	111
			29.07.2020	31.07.2020	42
2	जनगणना पद्धतियों पर 2018 और 2019 बैच के भा.प्र.से. परिवीक्षाधीन अधिकारियों का एक दिन का प्रशिक्षण	समूह क अधिकारी	06.05.2020	06.05.2020	180
			03.08.2020	03.08.2020	180

जनसंख्या प्रक्षेपण रिपोर्ट

15.25 जनसंख्या प्रक्षेपण एक विशिष्ट समय पर उपलब्ध डेटा/आंकड़े का उपयोग कर कुछ मान्यताओं के तहत भविष्य की आबादी परिदृश्य में झाँकने का एक वैज्ञानिक प्रयास है। उनके सच होने की संभावना के साथ, किए गए अनुमान, इस गणितीय प्रयास में एक महत्वपूर्ण जानकारी बनाते हैं। मानव प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर के भविष्य के पाठ्यक्रम की भविष्यवाणी करना आसान कार्य नहीं है, विशेष रूप से समय के आगे देखते हुए, चूंकि यह चिकित्सा और स्वास्थ्य हस्तक्षेप रणनीतियों, खाद्य उत्पाद और इसके समान वितरण, जलवायु परिस्थिति, सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवस्था, राजनैतिक–आर्थिक परिस्थितियाँ और जनसंख्या की गतिशीलता को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों से प्रभावित होने के लिए बाध्य है। जनसंख्या प्रक्षेपण उपलब्ध कराने के लिए, जोकि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग (एनसीपी), नीति आयोग और अन्य स्टेक होल्डर्स द्वारा उपयोग किया जा सके, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की अध्यक्षता में एक जनसंख्या प्रक्षेपण तकनीकी समूह (टीजीपीपी) का गठन किया गया है। टीजीपीपी ने जनगणना 2011 पर आधारित एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें भारत और राज्यों के लिए 2011 से 2036 तक की अवधि के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण दिया गया है। यह रिपोर्ट एनसीपी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफ़डबल्यू) द्वारा जुलाई 2020 में प्रकाशित की गई है और यह https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/Population%20Projection%20Report%202011-2036%20-%20upload_compressed_0.pdf पर उपलब्ध है।

15.26 उपर्युक्त रिपोर्ट को बनाते समय, ओआरजीआई ने घटक प्रणाली को अपनाया था। यह जनसंख्या प्रक्षेपण बनाने के लिए वैश्विक रूप से स्वीकार्य पद्धति है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि को प्रजनन शक्ति, मृत्यु–दर और प्रवास दर से पता लगाया जा सकता है। 22 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर(यूटी), झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए घटक प्रणाली को लागू किया गया है। काऊहोट घटक प्रणाली का प्रयोग करते हुए समग्र रूप में सात उत्तर–पूर्वी राज्यों (असम को छोड़कर) का प्रक्षेपण भी किया जा चुका है। जम्मू एवं कश्मीर (राज्य) और जम्मू एवं कश्मीर (संघ क्षेत्र) के प्रक्षेपित जनसंख्या के शेष के आधार पर, लद्दाख संघ क्षेत्र का प्रक्षेपण किया गया है। शेष राज्य अर्थात गोवा और सभी संघ क्षेत्र के लिए, गणितीय पद्धति का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किए गए आंकड़े भारत की जनगणना 2011 और नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) से हैं। एसआरएस प्रजनन शक्ति और मृत्यु–दर के समय श्रृंखला आंकड़े उपलब्ध कराता है, जिसे उनके भविष्य के स्तर को अनुमानित करने के लिए प्रयोग किया गया है।

जीवनांक

सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस)

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 का कार्यान्वयन

15.27 देश में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण राज्य सरकारों द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के अंतर्गत नियुक्त किए गए कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। भारत के महारजिस्ट्रार पूरे देश में पंजीकरण संबंधी कार्यकलापों को समन्वित और एकीकृत करते हैं जबकि मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु इस अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों को कार्यानवित करने के लिए संबंधित राज्यों में मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी हैं। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आरबीडी अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसरण में भारत का महारजिस्ट्रार राज्यों को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के संबंध में सामान्य निदेश/दिशानिर्देश भी जारी करता है।

15.28 पिछले कुछ वर्षों से पंजीकृत जन्म और मृत्यु के अनुपात में नियमित वृद्धि देखी गई है। देश में जन्म का पंजीकरण स्तर 2009 के 81.3% से बढ़कर 2018 में 89.3% हो गया है। दूसरी ओर मृत्यु के पंजीकरण का स्तर 2009

के 66.9% से बढ़कर 2018 में 86.0% हो गया है।

15.29 आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्रों अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को छोड़कर अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल मृत्यु पंजीकरण स्तर जन्म के पंजीकरण की तुलना में कम है। मृत्यु के पंजीकरण के कम स्तर का कारण आंशिक रूप से निवास–स्थान पर हुई मृत्यु और महिला एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु की रिपोर्ट न करना हो सकता है।

निर्धारित समय–सीमा के भीतर जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण

15.30 पंजीकरण करने की अवधि के अनुसार पंजीकृत जन्म एवं मृत्यु को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रयोजनार्थ ली गई चार समयावधि निम्नानुसार हैं: i) निर्धारित समय–सीमा के भीतर (21 दिन तक), ii) 21 दिन के बाद लेकिन 30 दिन के भीतर, iii) 30 दिन के बाद लेकिन 1 वर्ष के भीतर और iv) 1 वर्ष बाद। वर्ष 2018 के दौरान जन्म एवं मृत्यु के 21 दिन की निर्धारित समय–सीमा के भीतर किए गए पंजीकरण संबंधी आंकड़े 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए हैं। बिहार और झारखण्ड ने जन्म एवं मृत्यु के समयान्तर पर आंकड़े उपलब्ध नहीं कराएं हैं। जबकि हरियाणा ने मृत्यु के आंकड़े का समय अंतराल उपलब्ध नहीं कराया है और निर्धारित समय सीमा में पूरे किए गए जन्म पंजीकरण को अलग से उपलब्ध नहीं कराया है। इसी प्रकार, उत्तराखंड राज्य ने निर्धारित समय सीमा में पूरे किए गए जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को अलग से उपलब्ध नहीं कराया है। इन राज्यों द्वारा डेटा की आपूर्ति नहीं करने के लिए दिए गए कारणों में कम्प्यूटरीकरण और शासन के मुद्दों की कमी है। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और सिक्किम ने केवल आंशिक आंकड़े दिए हैं। अतः आंकड़ों को समेकित करते समय उन्हें शामिल नहीं किया गया है।

15.31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2018 में निर्धारित समय–सीमा के भीतर कुल पंजीकरण में से प्राप्त पंजीकरण का प्रतिशत निम्नानुसार है:–

विवरण: निर्धारित समय–सीमा (21 दिन) के भीतर किया गया पंजीकरण

स्तर (प्रतिशत में)	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	
	जन्म	मृत्यु
90 प्रतिशत से अधिक	लक्षद्वीप, चण्डीगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, मिजोरम, दादरा और नगर हवेली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, पुदुच्चेरी,दमन एवं दीव, ओडिशा, गोवा (13)	पंजाब, मिजोरम, चण्डीगढ़, दिल्ली, पुदुच्चेरी, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु (11)
80 प्रतिशत से अधिक पर 90 प्रतिशत से कम या बराबर	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल (4)	ओड़िशा, गोवा, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, (5)
50 प्रतिशत से अधिक पर 80 प्रतिशत से कम या बराबर	त्रिपुरा, राजस्थान, मेघालय, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, कर्नाटक, मणिपुर, जम्मू एवं कश्मीर (10)	छतीसगढ़, मेघालय, त्रिपुरा, जम्मू एवं कश्मीर, असम, तेलंगाना पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, (10)
50 प्रतिशत से कम या बराबर	अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड (2)	नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश(3)

15.32 उपर्युक्त विवरण से पता चलता है कि 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 21 दिन की निर्धारित समय–सीमा के भीतर पंजीकृत कुल जन्म का 90 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण किया है । इसके अतिरिक्त, 21 दिन की समय–सीमा में जन्म पंजीकरण पूरा करने के संबंध में 4 राज्य 80 प्रतिशत से अधिक पर 90 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी में हैं, 10 राज्य 50 प्रतिशत से अधिक पर 80 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी में हैं और शेष 2 राज्य 50 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी में हैं ।

15.33 मृत्यु के पंजीकरण के मामले में, उपर्युक्त विवरण दर्शाता है कि 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने 21 दिन की निर्धारित समय–सीमा के भीतर पंजीकृत कुल मृत्यु का 90% से अधिक पंजीकरण किया है। 21 दिन की निर्धारित समय–सीमा में मृत्यु पंजीकरण करने के संबंध में 5 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 80 प्रतिशत से अधिक पर 90 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी में हैं, 10 राज्य 50 प्रतिशत से अधिक पर 80 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी में हैं और शेष 3 राज्य 50 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी के अंतर्गत हैं ।

भारत में सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस) का सुधार

15.34 सी.आर.एस. को समयबद्धता, दक्षता और एकरूपता के संबंध में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप देश में जन्म और मृत्यु की विलम्बित और कम कवरेज हो रही है। आम जनता को त्वरित सेवा उपलब्ध करवाने में प्रणाली के सामने आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए भारत सरकार ने वास्तविक समय में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण हेतु न्यूनतम मानवीय भागीदारी सहित एक आईटी सक्षम तंत्र के माध्यम से देश की सिविल पंजीकरण प्रणाली में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। ये परिवर्तन प्रक्रिया को स्वचालित करने के रूप में होंगे ताकि समयबद्ध, एक समान और भेदभाव रहित सेवा उपलब्ध हो सके। ये परिवर्तन स्थाई, मापन योग्य तथा स्थान की सीमाओं से परे होंगे। यह परियोजना स्वरूपतः मॉड्युलर होगी जिसमें परिवर्तन के रोडमैप की संकल्पना, कार्यान्वयन सहित आईटी अनुप्रयोग का विकास, क्षमता निर्माण और रखरखाव शामिल होगा ।

मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणन (एमसीसीडी)

15.35 जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के अंतर्गत मृत्यु के कारण के चिकित्सीय प्रमाणन संबंधी योजना (एमसीसीडी) मृत्यु के कारणों संबंधी आंकड़े उपलब्ध करवाती है जोकि जनसंख्या की स्वास्थ्य से संबंधित प्रवृततियों के अनुवीक्षण के लिए एक अनिवार्य शर्त है। निर्धारित फार्मों में प्राप्त आंकड़े रोगों के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण के दसवें संशोधन (आईसीडी–10) पर आधारित मृत्यु के कारणों की राष्ट्रीय सूची के अनुसार सारणीकृत किए जाते हैं । एमसीसीडी 2018 रिपोर्ट आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित हो चुकी है और एमसीसीडी 2019 रिपोर्ट के लिए आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं ।

15.36 वर्ष 2018 के लिए "मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणन" संबंधी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंजीकृत कुल 69,11,197 मृत्यु में से कुल 14,56,023 मृत्यु (9,00,075 पुरुष और 5,55,948 महिला) के चिकित्सीय रूप से प्रमाणित होने की सूचना दी गई है।

15.37 इस समय एमसीसीडी का दायरा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के चुनिन्दा अस्पतालों/सरकारी अस्पतालों तक ही सीमित है । राज्यों द्वारा एमसीसीडी का विस्तार सभी चिकित्सीय संस्थानों तक किए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस)

15.38 राष्ट्रीय और उप–राष्ट्रीय स्तरों पर जन्म दर, मृत्यु दर तथा अन्य प्रजनन और मृत्यु दर संकेतकों का विश्वसनीय आकलन प्रदान करने के संबंध में सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस) एक बड़े पैमाने का जनांकिकी/जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है। एसआरएस एक दोहरे रिकार्ड वाली प्रणाली है जिसमें अंशकालिक निवासी प्रगणकों द्वारा जन्म और मृत्यु की सतत गणना और पर्यवेक्षकों द्वारा एक स्वतंत्र अर्धवार्षिक सर्वेक्षण किया जाना शामिल है। इन स्रोतों से मेल न खाते आंकड़ों को फील्ड में पुनः सत्यापित किया जाता है। यह सर्वेक्षण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा 1964–65 में कुछ चुनिंदा राज्यों में प्रायोगिक आधार पर आरंभ किया गया था, जो लगभग

3700 सैम्पल इकाइयों को कवर करते हुए वर्ष 1969–70 में पूरी तरह से क्रियाशील हो गया। जीवनांक दरों में परिवर्तनों की निगरानी करने के उद्देश्य से, एसआरएस सैम्पलिंग फ्रेम को इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करने और इस प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने संबंधी प्रयासों के अतिरिक्त हर दस वर्ष में संशोधित किया जाता है। तात्कालिक एसआरएस सैंपल में 8850 सैम्पल इकाइयां (4961 ग्रामीण और 3,889 शहरी) थीं। यह 2011 जनगणना पर आधारित है और 01.01.2014 से प्रभावी हैं । सर्वेक्षण में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर वार्षिक रूप से एसआरएस बुलेटिन, एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट और एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका निकाली जाती है।

15.39 वर्ष 2018 के संबंध में जन्म दर, मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर के आकलनों वाले एसआरएस बुलेटिन 2018 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए पृथक रूप से जारी कर दिए गए हैं। अनुमान अनुलग्नक–XVIII पर दिए गए हैं । वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पायी गई मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:–

- अखिल भारतीय स्तर पर प्रति 1000 जनसंख्या के लिए अशोधित जन्म दर (सीबीआर) 20.0 है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 21.6 और शहरी क्षेत्रों के लिए 16.7 है। बड़े राज्यों में, सीबीआर सबसे कम (13.9) केरल में और सबसे अधिक (26.2) बिहार में है।

- अखिल भारतीय स्तर पर प्रति 1000 जनसंख्या के लिए अशोधित मृत्यु दर (सीडीआर) 6.2 है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 6.7 और शहरी क्षेत्रों के लिए 5.1 है। बड़े राज्यों में दिल्ली में सबसे कम (3.3) दर्ज की गई और छतीसगढ़ में सबसे अधिक (8.0) दर्ज हुई ।

- नवजात (< एक वर्ष) मृत्यु दर (आईएमआर) अखिल भारत के लिए प्रति 1000 जीवित जन्म के लिए 32, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 36 और शहरी क्षेत्रों के लिए 23 है। बड़े राज्यों में केरल में सबसे कम (7) दर्ज हुई और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक (48) आईएमआर संख्या है।

16.40 निम्नलिखित ग्राफ भारत की 1971 से 2018 तक की अनुमानित जन्म दर, मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर दिखाता है:

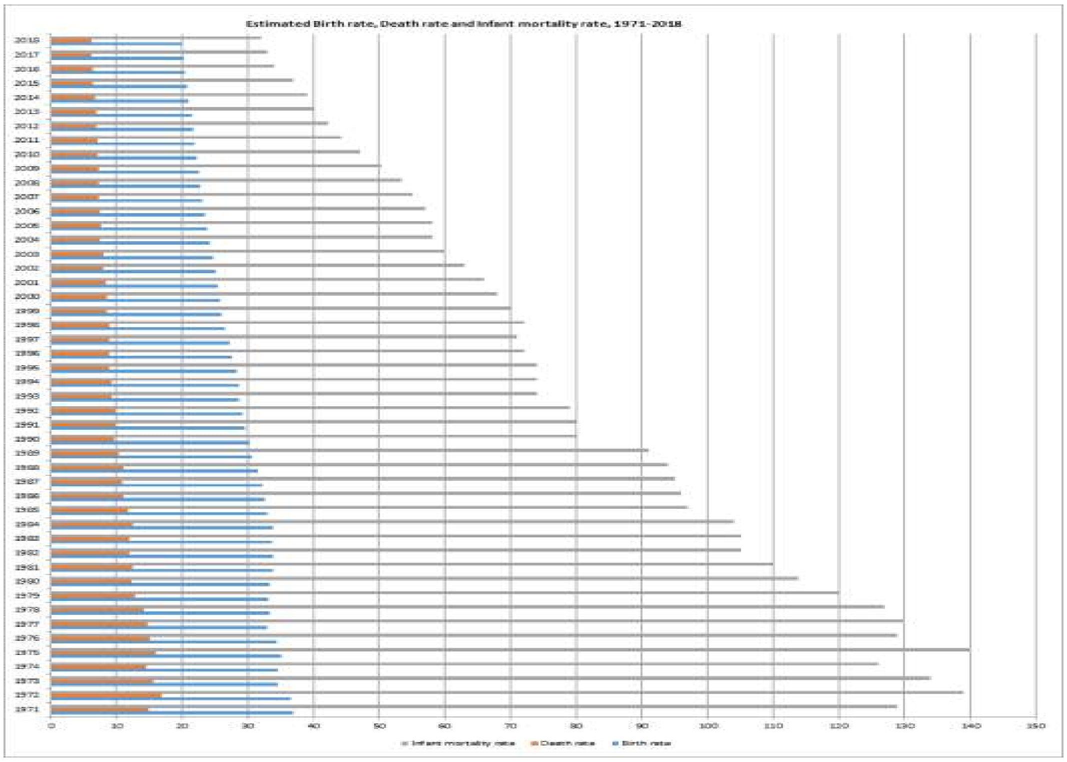

15.41 उपर्युक्त के अलावा, एसआरएस सांख्यिकीय रिपोर्ट – 2018 जारी कर दी गई है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ पांच वर्ष की आयु से कम मृत्यु दर(यू5एमआर), जन्म के समय लिंगानुपात, कुल प्रजननता दर(टीएफ़आर) दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर पायी गई मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:–

क. देश में यू5एमआर के संबंध में 2017 की तुलना में 1 अंक (2017 में 37 की तुलना में 2018 में 36) की कमी आयी है ।

ख. देश में जन्म के समय लिंगानुपात 2015–17 में 896 की तुलना में 2016–2018 में 899 अनुमानित किया गया ।

ग. देश में कुल प्रजननता दर (टीएफआर) 2018 और 2017 में 2.2 पर स्थिर है। 2018 में बिहार में सबसे अधिक टीएफआर (3.2) दर्ज किया गया जबकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सबसे कम टीएफआर (1.5) दर्ज किया । यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिस्थापन स्तर टीएफआर, अर्थात 2.1 इन 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्राप्त किया है अर्थात दिल्ली (1.5), पश्चिम बंगाल(1.5), तमिलनाडु (1.6), आन्ध्र प्रदेश (1.6), जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख (1. 6), पंजाब (1.6), हिमाचल प्रदेश (1.6), तेलंगाना (1. 6), महाराष्ट्र (1.7), केरल (1.7), कर्नाटक (1.7), उत्तराखण्ड (1.8), ओडिशा (1.9) और गुजरात (2. 1)। औसतन, राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्रामीण महिला (जिसका टीएफआर 2.4 है) शहरी महिला (जिसका टीएफआर 1.7 है) की तुलना में एक अधिक बच्चे को जन्म देती है ।

15.42 सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस) के तहत भारत की 2016–18 हेतु मातृ मृत्यु–दर से संबन्धित विशेष बुलेटिन जारी किया जा चुका है। भारत का मातृ मृत्यु दर अनुपात 2015–17 में 122 से घटकर 2016–2018 में 113 हो गया है।

15.43 2014–18 के लिए एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन सारणियां भी जारी कर दी गई हैं। इस अवधि के लिए भारत और बड़े राज्यों के संबंध में लिंग और निवास के आधार पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा अनुलग्नक–XIX पर दी गई है। पिछले चार दशकों के दौरान 19.7 वर्ष की वृद्धि के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.4 वर्ष है। जन्म के समय पुरूषों के लिए प्रत्याशा 68.2 वर्ष है जबकि महिलाओं के लिए 70.7 वर्ष है। बड़े राज्यों में जीवन प्रत्याशा केरल और दिल्ली में सबसे अधिक (75.3 वर्ष) और छतीसगढ़ में सबसे कम (65.2 वर्ष) है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 68.0 है, पुरूषों के लिए 66.7 वर्ष और महिलाओं के लिए 69.3 वर्ष । शहरी क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा 72.6 वर्ष है, पुरूषों के लिए 71.5 वर्ष और महिलाओं के लिए 73.8 वर्ष।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)

15.44 सरकार ने देश में 2010 में सभी "सामान्य निवासियों" की विशिष्ट जानकारी एकत्रित करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(एनपीआर) तैयार किया। एनपीआर नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत निरूपित नागरिकता नियमावली, 2003 के विभिन्न प्रावधानों के तहत तैयार किया जाता है। 2015 में, कुछ मदों जैसे कि नाम, लिंग, जन्म तिथि एवं स्थान, निवास स्थान और पिता और माता के नाम को अद्यतित किया गया था और आधार, मोबाइल और राशन कार्ड संख्या एकत्रित किए गए थे। जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण बदलावों को शामिल करने के लिए, इसे फिर से अद्यतित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने असम राज्य को छोड़कर पूरे देश में जनगणना 2021 की मकान सूचीकरण चरण के साथ अप्रैल से सितंबर, 2020 के दौरान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों की सुविधानुसार, एनपीआर डाटाबेस को अद्यतन करने का निर्णय लिया। हालांकि, कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण, एनपीआर अद्यतनीकरण का कार्य और अन्य संबंधित फील्ड कार्यों/गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। एनपीआर डाटाबेस के अद्यतनीकरण के लिए तीन माध्यमों को अपनाया जाएगा। जिसमें शामिल होगा (i) स्वयं से अद्यतनीकरण, जिसमें निवासियों को अपने स्वयं के डाटा फील्ड को कुछ प्रामाणिक प्रोटोकॉल का पालन कर वेब पोर्टल में अद्यतन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है, (ii) एनपीआर आंकड़ों का कागज फ़ारमैट में अद्यतनीकरण और (iii) मोबाइल मोड से। जनगणना के पूर्व–परीक्षण के साथ असम को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चयनित क्षेत्रों में

एनपीआर अद्यतनीकरण पर पूर्व–परीक्षण किया गया था। प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के जनसांख्यिकीय और अन्य विवरणों को एनपीआर के अपडेशन कार्य के दौरान एकत्र/अद्यतित किया जाना है। अद्यतनीकरण के दौरान कोई दस्तावेज़ या बायोमेट्रिक एकत्रित नहीं किए जाएंगे।

15.45 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(एनपीआर) के अद्यतनीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 3941.35 करोड़ रुपए के व्यय को पहले ही अनुमोदित कर दिया है।

असम में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) का अद्यतनीकरण

15.46 नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003, के नियम 4ए(4) के अंतर्गत बनाई गई अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार असम में एनआरसी का अद्यतनीकरण किया जा रहा है।

15.47 इस योजना का उद्देश्य असम राज्य में एनआरसी 1951 का अद्यतन करना है, जिसमें ऐसे व्यक्तियों, जिनके नाम 24.03.1971 मध्यरात्रि तक की किसी भी मतदाता सूची अथवा नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, 1951 में हो और उनके वंशजों के नाम शामिल हों।

15.48 एनआरसी परियोजना को वित्तपोषित कर रही भारत सरकार ने असम राज्य में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी), 1951 अद्यतन करने संबंधी योजना को अनुमोदित कर दिया है। असम में एनआरसी अद्यतनीकरण की अनुमोदित लागत 1602.66 करोड़ रुपए है और इस प्रयोजनार्थ अभी तक 1538.13 करोड़ रुपए की राशि जारी हो चुकी है।

15.49 3,11,21,004 व्यक्तियों को शामिल करते हुए शामिल किए गए व्यक्तियों और शामिल नहीं किए गए व्यक्तियों की अनुपूरक सूची 31.08.2019 को प्रकाशित की जा चुकी है। कुल 19,06,657 व्यक्ति अंतिम एनआरसी में शामिल होने के योग्य नहीं पाए गए। कोई व्यक्ति अगर दावों और आपत्तियों के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो विदेशी नागरिकता (अधिकरण) आदेश, 1964 के तहत गठित विदेशी नागरिकता अधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है। असम राज्य में भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में, जैसा भी मामला हो, अधिकरणों द्वारा अपील के निपटान के पश्चात नामों को शामिल या हटाया जाएगा।

* * * *

अध्याय–16

केंद्र–राज्य संबंध और विविध विषय

भाग–1 : केन्द्र–राज्य संबंध

अंतर–राज्य परिषद (आईएससी)

16.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में इसकी संवैधानिक इकाइयों के बीच नीतियों और उनके कार्यान्वयन में समन्वय के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) का गठन वर्ष 1990 में दिनांक 28.05.1990 के राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से किया गया था।

16.2 अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) को ऐसे विषयों की जांच और उन पर विचार–विमर्श करने का कार्य सौंपा गया है, जिनमें कुछ अथवा सभी राज्यों अथवा केंद्र और एक या अधिक राज्यों के साझा हित शामिल हैं तथा उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के बीच बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है। यह राज्यों के सामान्य हित के ऐसे अन्य मामलों पर भी विचार–विमर्श करती है, जो परिषद के अध्यक्ष द्वारा उनके समक्ष लाये जाते है।

16.3 माननीय प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं। सभी राज्यों और विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के मुख्यमंत्री, विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रशासक, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल और परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित केन्द्रीय मंत्रिपरिषद से कैबिनेट रैंक के छह मंत्री इस परिषद के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष द्वारा एजेंडे के आधार पर केंद्र सरकार के अन्य मंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) का पिछला पुनर्गठन दिनांक 09.08.2019 को किया गया था।

16.4 परिषद सचिवालय, अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट स्थायी समिति/आईएससी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता है।

अंतर–राज्य परिषद की बैठकें

16.5 अब तक, अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) की 11 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) की 8 बैठकों में विशेष रूप से सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर विचार–विमर्श किया गया था। अंतर–राज्य परिषद की 11वीं बैठक दिनांक 16 जुलाई, 2016 को आयोजित की गई थी। परिषद की बैठकें बंद कमरे में आयोजित की जाती हैं और परिषद के समक्ष विचारार्थ आने वाले सभी मामलों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है तथा सर्वसम्मति के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। परिषद को संविधान के अनुच्छेद 263 के खंड (क) में परिकल्पित दायित्व नामतः "राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हों, उनकी जांच करना और उन पर सलाह देना" नहीं सौंपा गया है।

केंद्र–राज्य संबंधों पर आयोग

16.6 भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में केंद्र–राज्य संबंधों पर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.03.2010 को सरकार को प्रस्तुत की थी।

16.7 दिनांक 16.07.2016 को आयोजित अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) की 11वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार स्थायी समिति द्वारा दिनांक 09.04.2017, 25.11.2017 और 25.05.2018 को आयोजित अपनी बैठकों

में सभी संस्करणों में निहित सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है। स्थायी समिति की सिफारिशों को टिप्पणियों, यदि कोई हो, के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को भेजा गया था। अधिकतर राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं।

अंतर–राज्य परिषद की स्थायी समिति

16.8 परिषद के विचारार्थ आने वाले मामलों पर सतत परामर्श और कार्रवाई के लिए वर्ष 1996 में अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) की स्थायी समिति का गठन किया गया था। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, जिसमें चार केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और सात मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं। अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) की स्थायी समिति के गठन के समय से लेकर अब तक इसकी 13 बैठकें हो चुकी हैं। स्थायी समिति का पिछला पुनर्गठन दिनांक 09.08.2019 को किया गया था।

क्षेत्रीय परिषद

16.9 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पांच क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय के रूप में गठित हैं, जिनका गठन अंतर–राज्य एवं क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान करने, संतुलित सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने और सद्भावनापूर्ण केन्द्र–राज्य संबंध बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को एक साझा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री और दो मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) से दो सदस्य होते हैं।

16.10 प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य राज्यों के मुख्य सचिवों को शामिल करके एक स्थायी समिति का गठन किया है। मुद्दों को निपटाने अथवा क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों के लिए आवश्यक आरंभिक कार्य करने हेतु स्थायी समितियों की बैठकें समय–समय पर आयोजित की जाती हैं।

16.11 नीति आयोग, केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी आवश्यकता के आधार पर इन बैठकों में शामिल किए जाते हैं।

क्षेत्रीय परिषदों और स्थायी समितियों की बैठकें

16.12 क्षेत्रीय परिषद की इसके गठन के समय से लेकर अब तक 127 बैठकें हो चुकी हैं। स्थायी समितियों की 64 बैठकें हो चुकी हैं।

क्षेत्रीय परिषद की बैठकें

16.13 राज्यों में कोविड–19 वैश्विक महामारी और विपरीत परिस्थितियों के कारण क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की कोई भी बैठक वर्ष 2020–21 के दौरान नहीं हो सकी है।

भाग–II: विविध विषय

पुरस्कार एवं अलंकरण

भारत रत्न पुरस्कार

16.14 वर्ष 1954 में शुरू किया गया भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा/उच्चकोटि के कार्यनिष्पादन के लिए सम्मान स्वरूप दिया जाता है। अब तक, यह पुरस्कार 48 व्यक्तियों को दिया गया है।

पद्म पुरस्कार

16.15 पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों, नामतः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों/गतिविधियों वाले क्षेत्रों यथा कला, सामाजिक कार्य, लोक मामलें, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा और अन्य कार्यों के लिए दिए जाते हैं। पद्म विभूषण अलंकरण किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है; पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है।

16.16 वर्ष 2016 से पहले, पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन ऑफलाइन माध्यम अर्थात हार्ड कॉपी द्वारा प्राप्त किए जाते थे। आम नागरिक के लिए नामांकन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से, वर्ष 2016 से पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया के कारण प्राप्त नामांकनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2015 में प्राप्त 2311 नामांकनों के मुकाबले वर्ष 2020 में 38,961 नामांकन प्राप्त हुए हैं। अब, पद्म पुरस्कार पाने वालों की अत्यधिक संख्या देश के प्रत्येक कोने से चयनित गुमनाम नायकों की है।

16.17 सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, उत्कृष्टता संस्थानों और भारत रत्न/पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों से भी प्रतिवर्ष पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, गैर–सरकारी व्यक्तियों, संगठनों आदि से स्वयं उनकी ओर से भी अनेक सिफारिशें प्राप्त होती हैं।

16.18 इन सभी सिफारिशों को विचारार्थ पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती हैं और ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं।

16.19 गणतंत्र दिवस, 2020 के अवसर पर, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 07 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री (4 जोड़ी मामलों सहित, जिसमें पुरस्कार को एक के रूप में गिना जाता है) पुरस्कार दिए जाने का अनुमोदन किया है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर उपलब्ध हैं।

वीरता पुरस्कार

16.20 रक्षा मंत्रालय की देखरेख में अशोक चक्र श्रृंखला के वीरता पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दो बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं। इस संबंध में सिविलियन नागरिकों से संबंधित सिफारिशों पर गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है।

16.21 भारत के माननीय राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर, कुल मिलाकर 6 नागरिक सम्मान दिए जाने का अनुमोदन किया है, जिसमें एक (1) कीर्ति चक्र और पांच (5) शौर्य चक्र शामिल हैं।

जीवन रक्षा पदक पुरस्कार

16.22 जीवन रक्षा पदक श्रेणी के पुरस्कार वर्ष 1961 में शुरू किए गए थे। जैसा कि पुरस्कार के नाम से ही प्रतीत होता है, यह पुरस्कार किसी व्यक्ति की जान बचाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है।

16.23 ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं, नामतः सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, जो जान बचाने वाले व्यक्ति को उसके जीवन को अत्यधिक गंभीर खतरा होने की परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए; उत्तम जीवन रक्षा पदक, जो जान बचाने वाले व्यक्ति को उसके जीवन को गंभीर खतरा होने की परिस्थितियों में साहस एवं तत्परता के लिए; और जीवन रक्षा पदक, जो जान बचाने वाले व्यक्ति को उसके गम्भीर रूप से घायल होने की परिस्थितियों में साहस और तत्परता के लिए किसी व्यक्ति को डूबने, आग, दुर्घटना, बिजली का झटका लगने, भूस्खलन, पशु आक्रमण इत्यादि से जान बचाने के कार्य या कार्यों में दिया जाता है।

16.24 इन पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रत्येक वर्ष समस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की सरकारों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से आमंत्रित किए जाते हैं। इन पर एक पुरस्कार समिति द्वारा विचार किया जाता है। पुरस्कार समिति की सिफारिशों को प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

16.25 इन पुरस्कारों के लिए समारोह का आयोजन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं से संबंधित राज्य की राजधानियों में किया जाता है, जहाँ पुरस्कार विजेताओं को पदक और गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र दिया जाता है।

पुरस्कार विजेताओं को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 2,00,000/–रूपए, उत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 1,50,000/– रूपए और जीवन रक्षा पदक के लिए 1,00,000/– रूपए की दर से एकमुश्त धनराशि भी दी जाती है।

16.26 गणतंत्र दिवस, 2020 के अवसर पर, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने वर्ष 2019 के लिए 07 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 08 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 39 जीवन रक्षा पदक प्रदान करने का अनुमोदन प्रदान किया है। पदक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम इस मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार

16.27 भारत सरकार ने वर्ष 2019 में इसकी शुरूआत की है, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए योगदान देने के क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने तथा एक मजबूत एवं एकजुट भारत के मूल्य को सशक्त करने के लिए भारत के नागरिकों/संस्थानों/संगठनों द्वारा किए गए उल्लेखनीय एवं प्रेरणादायक योगदान को सम्मान देना है।

सतर्कता तंत्र

16.28 गृह मंत्रालय (मुख्य) के सतर्कता तंत्र के प्रमुख संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी हैं, जो मंत्रालय के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में कार्य करते हैं। एक निदेशक/उप सचिव, एक अवर सचिव और दो अनुभाग अधिकारियों एवं सहायक कर्मचारियों वाले एक सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा मंत्रालय (मुख्य) में मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यों में उनकी सहायता की जाती है।

16.29 गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रत्येक संगठन में अलग से सतर्कता प्रभाग है। इन सतर्कता प्रभागों के प्रमुख अपेक्षाकृत वरिष्ठ स्तर के अधिकारी होते हैं, जो संगठनों के संबंधित प्रमुखों को सहायता प्रदान करते हैं। मंत्रालय का मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) केंद्रीय सतर्कता आयोग का अतिरिक्त हाथ होने के नाते केंद्रीय सतर्कता आयोग और मंत्रालय एवं इसके अधीन संगठनों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है।

16.30 गृह मंत्रालय में अनुशासनात्मक/सर्तकता गतिविधियों के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ मुख्य रूप से जिम्मेदार है जिसमें मंत्रालय में पदस्थापित अधिकारियों की वार्षिक प्रोपर्टी रिटर्न, वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट इत्यादि के रखरखाव से संबंधित मामले शामिल हैं। यह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ संगठनों के साथ सत्यनिष्ठा समेत सतर्कता गतिविधियों का समन्वय भी करता है, ताकि मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों में अनुशासन, कार्यकुशलता और सत्यनिष्ठा बनाए रखी जा सके। सतर्कता तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, गृह मंत्रालय ने व्यापक रूप से निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

क) प्रभाग प्रमुखों के साथ निरंतर तालमेल बनाए रखा जाता है, ताकि इन प्रभागों में कार्यरत अधिकारियों की गतिविधियों पर गहन निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

ख) 'संवेदनशील' पदों पर पदस्थापित अधिकारियों को नियमित आधार पर रोटेट किया जाता है। मंत्रालय के अधीन संगठनों द्वारा ऐसे ही प्रयास किए जाते हैं।

ग) संवेदनशील काम करने वाले अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों के संबंध में, आसूचना एजेंसियों के माध्यम से 'पोजिटिव वेटिंग' कराई जा रही है।

घ) 'संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों' की सूचियां और 'सहमति सूची' रखी जाती है। संबंधित संगठनों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ विचार–विमर्श कर उनकी आवधिक समीक्षा की जाती है।

ङ) मंत्रालय के अधीन संबद्ध और अधीनस्थ

कार्यालयों/संगठनों के सतर्कता अधिकारियों के साथ नियमित बैठकों के माध्यम से सत्यनिष्ठा से संबंधित विषयों पर निगरानी रखी जाती है। इस संबंध में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को एक मासिक रिपोर्ट भी भेजी जाती है।

च) मंत्रालय में शिकायतों, रिपोर्टों, आंतरिक जांच इत्यादि के तहत सृजित होने वाले सर्तकता/अनुशासनात्मक मामलों को उपयुक्त प्राथमिकता प्रदान की जाती है और जहां भी आवश्यक होता है, दोषी अधिकारियों के खिलाफ मामले उनके संवर्ग प्राधिकारियों को संबंधित सेवा नियमों के तहत कार्रवाई किए जाने हेतु भेजे जाते हैं। इसी प्रकार, जिन मामलों में मंत्रालय कार्रवाई करने के लिए स्वयं सक्षम है, उनमें सरकार द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त ध्यान दिया जाता है।

16.31 दिनांक 27.10.2020 से 02.11.2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, गृह मंत्रालय के कर्मचारियों को कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण उनके अनुभाग परिसरों में दिनांक 27.10.2020 को "सत्यनिष्ठा की शपथ" दिलाई गई। भ्रष्टाचार–रोधी नारों को दर्शाते हुए, विभिन्न स्थानों पर बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे। मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी सतर्कता जागरूक सप्ताह मनाया गया।

16.32 वर्ष 2020–21 के दौरान (दिनांक 31.12.2020 तक की स्थिति के अनुसार) गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों में निपटाए गए सर्तकता और अनुशासनात्मक संबंधी मामले तालिकाबद्ध रूप में संलग्न हैं (अनुलग्नक–XX)।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

16.33 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत, सूचना का अधिकार (आरटीआई) से संबंधित कार्य का समन्वय करने के लिए गृह मंत्रालय में एक नोडल आरटीआई (सूचना का अधिकार) अनुभाग स्थापित किया गया था। यह अनुभाग आवेदनों का संग्रहण, वितरण करता है तथा आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने से संबंधित आवेदन को विषय से संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकारियों को भेजता है तथा केन्द्रीय सूचना आयोग को आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति और निपटान संबंधी तिमाही विवरणियां प्रस्तुत करता है।

क) मंत्रालय के पदाधिकारियों और उनके कार्यों आदि के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.gov.in) के आरटीआई पोर्टल पर डाले गए हैं, जैसा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1) के तहत अपेक्षित है।

ख) अधिनियम की धारा 5(1) के तहत उप सचिव/निदेशक स्तर के सभी अधिकारियों को उनके द्वारा निपटाए जा रहे विषयों के संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में पदनामित किया गया है।

ग) अधिनियम की धारा 19 (1) के अनुसार संयुक्त सचिवों और इससे उपर स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है।

घ) आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनों की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए, मंत्रालय के सभी चार भवनों नामतः नॉर्थ ब्लॉक, एनडीसीसी–।। भवन, एमडीसी नेशनल स्टेडियम और जैसलमेर हाउस के स्वागत कक्ष में आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। आरटीआई अनुभाग द्वारा इस प्रकार प्राप्त आवेदनों को आगे संबंधित सीपीआईओ/लोक प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

ङ) वर्ष 2020 के दौरान अर्थात् दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक, गृह मंत्रालय में 2488 आवेदन और 159 प्रथम अपीलें व्यक्तिगत रूप से तथा 10104 आवेदन और 901 प्रथम अपीलें ऑनलाइन प्राप्त हुईं। इन्हें आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए तत्काल संबंधित लोक

प्राधिकारियों/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों को हस्तांतरित/अग्रेषित कर दिया गया था।

च) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.04.2013 के का.ज्ञा. सं. 1/5/2011–आईआर के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पैरा 1.4.1 के अनुसार, यह मंत्रालय आरटीआई के सभी आवेदनों, अपीलों तथा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारियों के उत्तरों को नियमित रूप से अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है।

सचिवालय सुरक्षा संगठन

16.34 गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अन्तर्गत आने वाले सरकारी भवनों की सुरक्षा करने के लिए सचिवालय सुरक्षा संगठन (एसएसओ) नोडल एजेंसी है। इस समय गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर में आने वाले ऐसे 56 भवन हैं, जिनमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कार्यालय कार्य कर रहे हैं। ये भवन दिल्ली में लगभग 16 किमी. की परिधि में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।

16.35 गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अंतर्गत सरकारी भवनों में प्रवेश–नियंत्रण का कार्य सचिवालय सुरक्षा संगठन (एस.एस.ओ.) द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय में एक स्वागत संगठन भी है, जो गृह मंत्रालय सुरक्षा कवर के अंतर्गत उपरोक्त सभी सरकारी भवनों का संचालन करता है। इन भवनों में आगन्तुकों के प्रवेश को उपयुक्त सत्यापन/पुष्टिकरण के बाद उन्हें आगन्तुक पास जारी करके तथा उनका रिकॉर्ड रख कर नियंत्रित किया जाता है।

16.36 सचिवालय सुरक्षा संगठन का दायित्व गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर वाले भवनों की सुरक्षा और उनमें प्रवेश नियंत्रण से संबंधित नीतियां बनाना एवं उनका कार्यान्वयन करना है। सरकारी भवनों के वर्गीकरण के आधार पर सीआईएसएफ अथवा एसएसएफ के सुरक्षा कार्मिकों को इन भवनों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अंतर्गत रेल भवन की सुरक्षा रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा की जाती है।

16.37 विशेष रूप से, गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अंतर्गत सरकारी भवनों की सशस्त्र सुरक्षा हेतु सीआईएसएफ में "सरकारी भवन सुरक्षा" (जीबीएस) यूनिट नामक एक समर्पित यूनिट बनाई गई है। सीआईएसएफ की जीबीएस यूनिट 'ए' (अति संवेदनशील) और 'बी' (संवेदनशील) श्रेणी के सरकारी भवनों की सुरक्षा की देखभाल करती है और उसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैं:–

(क) **प्रवेश नियंत्रण** – यह सुनिश्चित करना कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति, वाहन या सामग्री को सरकारी भवनों और उनके परिसरों में प्रवेश की अनुमति न दी जाए, केवल गृह मंत्रालय द्वारा जारी वैध पहचान–पत्र धारक प्रामाणिक व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, वैध अस्थायी/दैनिक आगन्तुक पास धारक आगन्तुकों को प्रवेश की अनुमति उनके बैगों/ब्रीफकेसों आदि की जांच सहित निर्धारित सुरक्षा अभ्यासों का पालन करने के बाद ही दी जाती है।

(ख) **आतंकवाद–रोधी उपाय** – गृह मंत्रालय सुरक्षा कवर के अंतर्गत सरकारी भवनों में आतंकवाद–रोधी गतिविधियों के लिए उपाय प्राथमिक उत्तरदायित्व के रूप में करना।

(ग) **बलपूर्वक प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण** – इन भवनों में किसी भी बलपूर्वक प्रवेश/ सशस्त्र आक्रमण के प्रयास को रोकना/उनका सामना करना और ऐसे बलपूर्वक प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण के खिलाफ प्रथम कार्रवाई के रूप में प्रभावी कार्रवाई करना।

(घ) **बिना आज्ञा प्रवेश** – गृह मंत्रालय सुरक्षा कवर के अंतर्गत सरकारी भवन में किसी भी प्रकार के बिना आज्ञा प्रवेश को रोकना, उसका पता लगाना और उसे निष्प्रभावी करना।

(ङ) **निकास नियंत्रण**– गृह मंत्रालय सुरक्षा कवर के अंतर्गत सरकारी भवन से सरकारी सम्पत्ति की चोरी रोकना।

16.38 सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) गृह मंत्रालय का 1251 कार्मिकों की स्वीकृत संख्या वाला असैनिक निःशस्त्र बल है, जिसका गठन विशेष रूप से सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए किया गया है। एसएसएफ इस समय गृह मंत्रालय की सुरक्षा कवर वाले 'सी' (कम संवेदनशील) श्रेणी के सरकारी भवनों की सुरक्षा की देख–रेख कर रहा है।

राजभाषा

16.39 राजभाषा प्रभाग, गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम 1963 (वर्ष 1967 में यथा संशोधित), राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (वर्ष 1987 में यथा संशोधित) के प्रावधानों और समय–समय पर इस विषय पर जारी किए गए अन्य प्रशासनिक अनुदेशों को कार्यान्वित करने में तथा सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करता है तथा गृह मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों और अनुभागों से प्राप्त सामग्री/दस्तावेजों का अनुवाद उपलब्ध कराता है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

16.40 संयुक्त सचिव (सीआईसी) की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है और सभी निदेशक/उप सचिव इस समिति के सदस्य हैं। सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की इन बैठकों में समीक्षा की जाती है और कमियों, यदि कोई हो, की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपचारी उपाय सुझाए जाते हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) की अनुपालना

16.41 राजभाषा अधिनियम, 1963 (वर्ष 1967 में यथा संशोधित) की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाता है और इस धारा के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाते हैं। हिन्दी में प्राप्त अथवा हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिये जाते हैं। 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के कार्यालयों तथा आम जनता के साथ हिन्दी में पत्राचार को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं।

राजभाषा निरीक्षण

16.42 वर्ष के दौरान हिंदी के प्रयोग की स्थिति का आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग के निदेशक और सहायक निदेशकों के निरीक्षण दलों ने गृह मंत्रालय के अधीन 901 कार्यालयों में से दिल्ली और एनसीआर में स्थित 21 कार्यालयों का निरीक्षण किया। वर्ष के दौरान, राजभाषा विभाग ने कुल कार्यालयों के 25% के निरीक्षण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन दिल्ली के बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण कोविड–19 के कारण नहीं किया जा सका।

हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा–2020

16.43 मंत्रालय में दिनांक 01.09.2020 से 15.09.2020 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान, 06 हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें मंत्रालय के हिन्दी भाषी और गैर–हिन्दी भाषी अनेक अधिकारियों/कार्मिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में, कुल 48 प्रतिभागियों ने नकद पुरस्कार जीते और उन्हें प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए हैं।

हिन्दी दिवस, 2020 के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम और एक कार्यशाला

16.44 दिनांक 14.09.2020 को, हिन्दी दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यशाला और एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में माननीय गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी और श्री नित्यानंद राय, गृह सचिव, सचिव (राजभाषा), संयुक्त सचिव (राजभाषा) तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था, जिसमें "कंठस्थ" टूल के बारे में उसके प्रयोगों और उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए प्रस्तुति दी गई थी।

माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी और श्री जी. किशन रेड्डी जी, गृह सचिव, सचिव (राजभाषा) और गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में गृह मंत्रालय में दिनांक 14.09.2020 को विशेष हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण

16.45 गृह मंत्रालय में, सहायक अनुभाग अधिकारियों, वरिष्ठ सचिवालय सहायकों और कनिष्ठ सचिवालय सहायकों के कुल 494 स्वीकृत पदों में से 383 भरे हुए हैं और वर्तमान में उनमें से 27 हिंदी टंकण में प्रशिक्षित हैं। इसी प्रकार, आशुलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों के कुल 197 स्वीकृत पदों में से 141 भरे हुए हैं और 31 को हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण प्राप्त हैं।

हिंदी कार्यशाला

16.46 मंत्रालय के अधिकारियों को अपना सरकारी काम हिन्दी में करने के लिए प्रेरित करने तथा मूल रूप से हिन्दी में टिप्पणी लिखने और प्रारूप तैयार करने का प्रयास करने के लिए उन्हें प्रभावी रूप से प्रशिक्षित करने हेतु दिनांक 13.09.2020 को एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में समग्र रूप से 23 अधिकारियों ने भाग लिया।

लोक शिकायतों का निवारण

16.47 इस मंत्रालय में कार्यरत आतंरिक शिकायत निवारण तंत्र सभी लोक शिकायतों पर कार्रवाई करता है। संयुक्त सचिव (सीआईसी) को मंत्रालय में लोक शिकायतों के संबंध में नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। नोडल अधिकारी के संपर्क ब्यौरे स्वागत काउंटर और मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.gov.in) पर प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रभाग में एक लोक शिकायत अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो अपने प्रभाग से संबंधित लोक शिकायतों के निवारण की प्रगति की निगरानी करता है। दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान 37,993 लोक शिकायतें केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त हुई और उक्त अवधि के दौरान 43,665 लोक शिकायतों (वर्ष 2019 के आगे बढ़ाए गए सहित) का निपटान किया गया। दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान, 9,475 लोक शिकायतें हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त हुई, जिन पर भी तुरंत कार्रवाई की गई।

विभागीय लेखा संगठन (डीएओ)

16.48 गृह मंत्रालय के डीएओ का मुखिया प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्रिंसिपल सीसीए) होता है और मुख्य लेखा नियंत्रक, लेखा नियंत्रक, उप–लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक/सहायक निदेशक (ए/सी) वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्रिंसिपल सीसीए) मंत्रालय के मुख्य लेखा प्राधिकारी (सचिव) के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय के आंतरिक वित्त स्कंध के एक अभिन्न अंग के रूप में, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, मंत्रालय में वित्तीय प्रबंधन की कुशल व्यवस्था बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। डीएओ के अंतर्गत प्रधान लेखा कार्यालय तथा देश के विभिन्न भागों में स्थित 46 वेतन एवं लेखा कार्यालय और 26 आंतरिक ऑडिट पार्टी निहित हैं।

16.49 डीएओ गृह मंत्रालय के अधीन सीएपीएफ और अन्य संगठनों के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के आकस्मिक बिलों, वेतन एवं व्यक्तिगत दावों के भुगतान, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के निपटान, लगभग 4.5 लाख कर्मचारियों के जीपी निधि खातों के रख–रखाव तथा लगभग 6,50,000 खाताधारकों के लिए एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, डीएओ मंत्रालय के मासिक और वार्षिक खातों जैसे कि विनियोजन और वित्त खातों के समेकन और महालेखा नियंत्रक को इसकी प्रस्तुति के लिए भी उत्तरदायी होता है। पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान, लेखांकन और निपटान के लिए, डीएओ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) नामक एक वेब आधारित प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए एक कंप्यूटरीकृत परिवेश में कार्य करता है।

16.50 डीएओ इस मंत्रालय के बजट प्रभाग के पर्यवेक्षण के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, डीएओ मंत्रालय की विभिन्न व्यय इकाइयों/डीडीओ (लगभग 1800) और स्कीमों/कार्यक्रमों की आंतरिक लेखा–परीक्षा करता है। डीएओ के आंतरिक लेखा–परीक्षा स्कंध (आईएडब्ल्यू) को इस मंत्रालय और इसके सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों का आंतरिक ऑडिट करने और गृह मंत्रालय को महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। आंतरिक लेखा–परीक्षा स्कंध के कार्यों में गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित होने वाली विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों जैसे कि, पुलिस बल का आधुनिकीकरण (एमओपीएफ), सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई), सीमा क्षेत्र विकास योजना (बीएडीपी), राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एमसीआरएमपी) इत्यादि की योजनागत लेखा–परीक्षा करना तथा गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों की अनुपालन लेखा–परीक्षा करना शामिल है। जहां तक अनुपालना लेखा–परीक्षा का संबंध है, आंतरिक लेखा–परीक्षा स्कंध सीएपीएफ, सीपीओ और गृह मंत्रालय के संगठनों की 1800 से अधिक यूनिटों की लेखा–परीक्षा के लिए उत्तरदायी है।

16.51 दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान, आंतरिक लेखा–परीक्षा स्कंध द्वारा निम्नलिखित लेखा–परीक्षाएं की गईः

(क) 04 सीएपीएफ (जैसेकि एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ) के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में सिविक एक्शन प्रोग्राम (सीएपी) स्कीम से संबंधित लेखा–परीक्षा।

(ख) 04 सीएपीएफ (जैसे कि एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ) के पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्रों में सिविक एक्शन प्रोग्राम (सीएपी) स्कीम से संबंधित लेखा–परीक्षा।

(ग) सिविल एक्शन प्रोग्राम के लिए 01 यूनिट के संबंध में लेखा–परीक्षा – सीआरपीएफ के लिए विशेष परियोजना।

(घ) सुरक्षा संबंधी खर्च (एसआरई)– सुरक्षा संबंधी खर्च की लेखा–परीक्षा अर्द्धवार्षिक आधार पर की जाती है, और एसआरई के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों की 17 लेखा–परीक्षा दिनांक 31.12.2020 तक कर ली गई है।

(ङ) पुलिस बल का आधुनिकीकरण (एमओपीएफ)– पुलिस बल के आधुनिकीकरण की स्कीम के

अंतर्गत 24 राज्यों की लेखा–परीक्षा दिनांक 31.12.2020 तक वार्षिक/अर्द्धवार्षिक आधार पर कर ली गई है।

(च) सिविलियन पीड़ितों को सहायता – 4 राज्यों, नामतः झारखंड, छत्तीसगढ़, असम और बिहार की लेखा–परीक्षा उक्त अवधि के दौरान कर ली गई है।

(छ) आंध्र प्रदेश राज्य के लिए "विशेष अवसंरचना स्कीम" की लेखा–परीक्षा उक्त अवधि के दौरान कर ली गई है।

(ज) इस अवधि के दौरान 110 ऑडिट कार्यालयों/एककों की अनुपालना लेखा–परीक्षा की गई है।

16.52 प्रारंभिक स्तर पर व्यय की लेखा–परीक्षा करने के पश्चात, लेखा–परीक्षा की टिप्पणियों को दर्शाते हुए निरीक्षण नोट संबंधित इकाइयों/संगठनों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जो समय पर इन टिप्पणियों का निपटान करने का प्रयास करते हैं। नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक (सीएंडएजी), संसद को प्रस्तुत की जाने वाली अपनी रिपोर्ट के माध्यम से लेखा–परीक्षा पैराग्राफ तैयार करते हैं, जिन पर मंत्रालय को "की गई कार्रवाई नोट" तैयार करना होता है। लेखा–परीक्षा पैराग्राफों का समय पर निपटान करने हेतु, लेखा–परीक्षा समिति द्वारा लम्बित पैराग्राफों की स्थिति की निगरानी की जाती है। लेखा–परीक्षा पैराग्राफों की प्राप्ति और उनका निपटान एक सतत प्रक्रिया है। दिनांक 01.01.2020 की स्थिति के अनुसार, इस मंत्रालय में ऐसे 03 लेखा–परीक्षा पैराग्राफ लंबित थे। दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान, 13 नए पैराग्राफ प्राप्त होने से इनकी संख्या बढ़कर कुल 16 हो गई थी। इस अवधि के दौरान इन 16 पैराग्राफों में से 03 का निपटान कर दिया गया है और दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार ऐसे 13 पैराग्राफ लंबित रह गए हैं।

16.53 दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के संबंध में बकाया निरीक्षण पैरों की संख्या 7204 थी। दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान, प्राप्त तथा निपटान किए गए निरीक्षण पैरा की कुल संख्या क्रमशः 712 और 853 थी। इस प्रकार, दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, बकाया निरीक्षण पैरा की संख्या 7063 थी। प्रत्येक संगठन की स्थिति अनुलग्नक–XXI में दी गई है।

16.54 गृह मंत्रालय की पूर्व वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की गई महत्वपूर्ण लेखा–परीक्षा टिप्पणियों के संबंध में ''की गई कार्रवाई नोट'' (एटीएन) की स्थिति को अनुलग्नक–XXII में दर्शाया गया है। गृह मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण लेखा–परीक्षा टिप्पणियों का सारांश जैसा कि वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है और इन लेखा परीक्षा टिप्पणियों के संबंध में एटीएन की स्थिति अनुलग्नक–XXIII में दर्शाई गई है।

बजट

16.55 बजट प्रभाग गृह मंत्रालय की 02 अनुदान मागों, संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की 08 अनुदान मागों और मंत्रिमंडल की 01 अनुदान मांग के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है। इन अनुदान मांगों में विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ), भारत के महारजिस्ट्रार, राजभाषा विभाग, संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले और उसके बिना), मंत्रिमंडल इत्यादि की बजटीय आवश्यकताएं शामिल हैं। बजट प्रभाग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :

(क) वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) का निरूपण, अनुपूरक मांगों की तैयारी, पुनर्विनियोजन आदेश जारी करना।

(ख) आउटपुट आउटकम लक्ष्यों की निगरानी के लिए नीति आयोग के सहयोग से इस मंत्रालय की योजनाओं के संबंध में ''आउटपुट आउटकम मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क'' तैयार करना।

(ग) पीएसी पैरा और सीएंडएजी ऑडिट पैरा की निगरानी।

16.56 **आईटी पहल**

(क) दिल्ली पुलिस में कार्मिक सूचना प्रणाली (ईआईएस) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है।

(ख) बिल और व्यक्तिगत दावों के भुगतान, पेंशन मामलों और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का समाधान तथा लेखों के समेकन के लिए पीएफएमएस का कार्यान्वयन।

(ग) इस मंत्रालय के गैर–सीएपीएफ कार्मिकों के वेतन के भुगतान के लिए "पीएफएमएस का कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूल" का कार्यान्वयन।

(घ) कार्यालय के प्रमुखों से पेंशन मामलों की ऑनलाइन प्राप्ति के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के भविष्य पोर्टल का कार्यान्वयन।

(ङ) जीपीएफ ब्रॉडशीट का डिजिटल मोड में अनुरक्षण के लिए सीजीए कार्यालय के कॉम्पैक्ट सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

(च) मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के व्यय की निगरानी के लिए महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के "ऑनलाइन ई–लेखा प्लेटफॉर्म" का प्रयोग।

(छ) मंत्रालय की नॉन टैक्स रिसिप्ट की ऑनलाइन प्राप्ति के लिए नॉन–टैक्स रिसिप्ट पोर्टल (एनटीआरपी) का कार्यान्वयन।

महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण

16.57 गृह मंत्रालय की पीड़ित महिला कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली शिकायतों का निवारण करने के लिए शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। इस समिति में अध्यक्ष सहित एक पुरुष और पांच महिला सदस्य हैं, जिसमें समिति के अध्यक्ष और स्वतंत्र सदस्य के रूप में यंग वूमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन (वाईडब्ल्यूसीए) की एक सदस्य और गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रतिनिधि शामिल हैं। वर्ष के दौरान शिकायत निवारण समिति के पास अब तक कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

16.58 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी), दिव्यांग व्यक्तियों और पूर्व सैनिकों से संबंधित सेवा संबंधी मामलों के लिए, उप सचिव स्तर के एक अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

16.59 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशों के अनुपालन हेतु मंत्रालय में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के लिए कार्यस्थल पर एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति बनाई गई है।

दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ

16.60 केन्द्र सरकार ने बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती में 4% आरक्षण निर्धारित किया है। गृह मंत्रालय (मुख्य) में 08 नेत्रहीन, 06 बधिर और 12 शारीरिक रूप से दिव्यांग और 01 प्रमस्तिष्कीय घात युक्त व्यक्ति कार्यरत हैं।

जेंडर बजटिंग

16.61 गृह मंत्रालय में महिलाओं के लाभ के लिए की गई पहल का ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में स्पष्ट किया गया है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)

16.62 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने महिलाओं के लाभ के लिए रिज़र्व बटालियनों और प्रशिक्षण संस्थानों जैसी अपनी सभी संस्थापनाओं में परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण करने की पहल की है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न केंद्रों में विशेष रूप से महिला कार्मिकों के उपयोग के लिए अलग मेस/बैरक का निर्माण किया जा रहा है।

16.63 आरटीसी अराक्कोनम में 9.47 करोड़ रुपये की लागत से एक अलग महिला एसओ हॉस्टल का निर्माण किया गया है। 10वीं रिजर्व बटालियन, बैंगलुरू में 2.46 करोड़ रुपये की लागत से एक नया परिवार कल्याण केंद्र निर्माणाधीन है।

16.64 विभिन्न समूहों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:–

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
50	1263	7244	**8557**

16.65 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के संबंध में वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान विशेष रूप से महिलाओं के लाभ वाली स्कीमों और उनके लिए किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं:–

(करोड़ रु. में)

स्कीमों का ब्यौरा	बजट अनुमान 2020–21	संशोधित अनुमान 2020–21	बजट अनुमान 2021–22
क्रेच–सुविधाएं	0.31	0.28	0.36

आज की तिथि में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में 16 क्रेच काम कर रहे हैं।

16.66 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में, कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण की शिकायतों को दूर करने के लिए दो स्तरों पर शिकायत समिति अर्थात निदेशालय स्तर पर केंद्रीय समिति और सेक्टर स्तर पर सेक्टर स्तरीय समिति बनाई गई है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)

16.67 भारत सरकार ने वर्ष 1985 के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की पहली महिला बटालियन को अनुमोदित किया था। आज की तिथि के अनुसार, ऐसी छह बटालियनों (88वीं बटालियन, 135वीं बटालियन, 213वीं बटालियन, 232वीं बटालियन, 233वीं बटालियन और 240वीं बटालियन) को अनुमोदन प्रदान किया गया है और इस समय 240वीं बटालियन बेंगलुरू में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। आपरेशनल महिला बटालियनें दिल्ली, गांधीनगर (गुजरात), नागपुर (महाराष्ट्र), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में तैनात हैं। इसके अतिरिक्त, महिला कर्मचारियों को ग्रुप सेंटरों, त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) और 241वीं बटालियन (बस्त्रिया बटालियन) में तैनात किया जाता है और वे अन्य लिपिकीय तथा प्रशासनिक कार्यों के साथ–साथ पुलिस व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं। ये महिला बटालियनें देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के सीआरपीएफ के प्रयास में प्रभावी रूप से योगदान कर रही हैं।

16.68 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
427	884	6937	**8248**

16.69 महिला कार्यबल द्वारा सहज रूप से अपनी ड्यूटी के निर्वहन के लिए, सीआरपीएफ ने विश्राम कक्ष, मनोरंजन कक्ष, सचल प्रसाधन आदि जैसी अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। फील्ड में तैनाती के दौरान भी, महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए यूनिट वाहनों में पृथक प्रसाधन बनाए जा रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पैंट, शर्ट और बेल्ट आदि पहनने से छूट प्रदान की गई है।

16.70 सभी स्तरों पर महिला कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्य भी नियमित अंतराल पर किया जा रहा है। नियमित विचार–विमर्श और सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। फील्ड अधिकारी अपनी कमान के तहत, महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके स्वास्थ्य की गहन निगरानी कर रहे हैं।

16.71 महिला कर्मचारियों के अलावा, सीआरपीएफ बल कर्मियों के परिवारों के कल्याण के लिए भी प्रयास कर रहा है। बल ने विशेष रूप से परिवार की महिला सदस्यों के लिए सिलाई, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों के उत्पादन

आदि जैसी गतिविधियों के माध्यम से नए कौशल सीखने और अपनी पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण किया है और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों की निगरानी के लिए सेक्टर लेवल पर एक समिति का गठन किया गया, जिसका कार्यान्वयन समस्त बल स्तर पर किया जाता है। महिला कर्मचारियों और बल कार्मिकों के परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए निम्नलिखित विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं:–

i) महिला छात्रावास।

ii) विशेष रूप से महिलाओं हेतु शारीरिक गतिविधियां।

iii) महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम और टीवी आदि का प्रावधान।

iv) व्यायामशाला एवं अन्य सुविधाएं आदि।

v) सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आया की सुविधा सहित डे केयर सेंटर/क्रेच।

vi) अतिरिक्त कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए विशेष रूप से महिलाओं को कढ़ाई मशीनें मुहैया कराना।

16.72 सीआरपीएफ के संबंध में वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान विशेष रूप से महिलाओं के लाभ वाली स्कीमें और उनके लिए किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रु. में)

स्कीमों का ब्यौरा	बजट अनुमान 2020–21	संशोधित अनुमान 2020–21	बजट अनुमान 2021–22
क्रेच–सुविधाएं	0.60	0.50	0.62

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)

16.73 सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में, कार्मिकों की प्राधिकृत स्वीकृत नफरी 97,792 है, जिसमें से 2050 महिला कार्मिकों की नफरी हैं। एसएसबी ने दिनांक 07.08.2014 के मंजूरी आदेश के तहत 21 महिला कंपनियां अर्थात् 2,772 कार्मिकों के लिए महिला बटालियन गठित करने की मंजूरी प्रदान की थी।

16.74 सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में विशेष रूप से महिलाओं के लाभार्थ निम्नलिखित स्कीमें/परियोजनाएं चल रही हैं:–

(i) सीमा चौकियों में तैनात महिलाओं के लिए प्रसाधन, बाथरुम, रसोई घर एवं डाइनिंग हाल की सुविधा सहित अलग आवास।

(ii) सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच सुविधाएं।

(iii) कार्यालयों में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए अलग प्रसाधन।

(iv) सेवारत महिलाओं के लिए अलग मनोरंजन सुविधाएं अर्थात म्यूजिक सिस्टम, टेलीविजन एवं डीवीडी आदि और मनोरंजन कक्ष/पुस्तकालय में महिलाओं से संबंधित पत्रिकाएं, पुस्तकें और जर्नल।

(v) कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों, यदि कोई हों, का शीघ्रता से निपटान करने हेतु एसएसबी में बल मुख्यालय/फ्रंटियर मुख्यालय स्तर एक पर एक समिति है।

16.75 महिलाओं के लिए उदार स्थानांतरण नीतिः– जहां तक संभव हो, सभी महिला कार्मिकों को उनके मूल स्थान के नजदीक स्थित यूनिटों/फ्रंटियर में तैनात किया जायेगा तथा यदि पति और पत्नी दोनों एसएसबी कर्मचारी हैं, तो उन्हें एक स्थान पर तैनात किया जाएगा।

16.76 विभिन्न समूहों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:–

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
43	98	1909	**2050**

16.77 सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के संबंध में वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान विशेष रूप से महिलाओं के लाभ वाली स्कीमें और उनके लिए किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रु. में)

स्कीमों का ब्यौरा	बजट अनुमान 2020–21	संशोधित अनुमान 2020–21	बजट अनुमान 2021–22
क्रेच–सुविधाएं	0.25	0.25	0.35

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)

16.78 भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित स्कीमें चलाई जा रही हैं:–

(क) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की सभी सेवारत महिलाओं को 05 फ्रंटियर मुख्यालयों, 01 प्रशिक्षण जोन, 15 सेक्टर मुख्यालयों, 56 यूनिटों (बटालियन मुख्यालयों), 14 प्रशिक्षण केन्द्रों और सेक्टर हेड क्वार्टर (एलएंडसी, एसएचक्यू) की लॉजिस्टिक एंड कम्यूनिकेशन वाली 04 विशिष्ट बटालियनों में प्रसाधन, रसोई घर एवं डाइनिंग हाल युक्त पृथक महिला बैरक में रखा जाता है।

(ख) पुस्तकालय और कॉमन स्टाफ रूम में महिला केन्द्रित पत्रिकाएं और जर्नल अधिक संख्या में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(ग) महिलाओं को शारीरिक व्यायाम आदि के लिए जिम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(घ) महिला बैरकों और डाइनिंग हालों में महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम, टी वी और डीवीडी आदि का प्रावधान।

(ङ) विशेष रूप से महिलाओं को कढ़ाई एवं सिलाई मशीनें प्रदान करना, ताकि वे अतिरिक्त आय सृजन कर सकें।

(च) सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल करने के लिए आया की सुविधा सहित डे केयर सेंटर/क्रेच। सेवारत महिला कर्मचारियों की सहायता के लिए निम्नलिखित स्थानों पर कुल 12 क्रेच/डे केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं:

क्रम सं.	स्थान
1.	सेक्टर मुख्यालय, जिला – देहरादून (उत्तराखंड)
2.	आईटीबीपी अकादमी, मसूरी, जिला– देहरादून (उत्तराखंड)
3.	एम एंड एसआई ओली, डाकघर–जोशीमठ, जिला चमोली (उत्तराखंड)
4.	टीपीटी बटालियन, डाकघर–विमानपत्तन, चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)
5.	11वीं बटालियन, पेगोंग (सिक्किम), 56 एपीओ
6.	12वीं बटालियन, डाकघर–मातली, जिला–उत्तरकाशी (उत्तराखंड)
7.	50वीं बटालियन, रामगढ़, जिला–पंचकुला (हरियाणा)
8.	सेक्टर मुख्यालय (बरेली), डाकघर–बुखारा कैम्प, जिला–बरेली (उ.प्र.)
9.	35वीं बटालियन, डाकघर–महीनडांडा, जिला–उत्तरकाशी (उत्तराखंड)
10.	55वीं बटालियन, रंगमति, तेजपुर (असम)
11.	28वीं बटालियन, रेवाड़ी, हरियाणा
12.	36वीं बटालियन, लोहाघाट, उत्तराखंड

16.79 महिलाओं को पृथक विश्राम कक्ष और सचल प्रसाधन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तैनाती के दौरान, महिलाओं को यूनिट वाहनों में भी पृथक प्रसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भावस्था के दौरान पैंट, शर्ट और वेब बेल्ट पहनने से छूट प्रदान की गई है। महिला कार्मिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त स्तर पर समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्य भी किया जा रहा है और महिलाओं को उनके महिला अधिकारों के बारे में अवगत कराया जाता है। साक्षात्कार, रोल कॉल और सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से नियमित विचार–विमर्श करने के अतिरिक्त फील्ड अधिकारी अपने कमान के अधीन महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नजदीकी नजर रखते हैं। महिला अधिकारियों और जवानों के यौन–उत्पीड़न के मामलों के निपटान के लिए एक समिति गठित की गई है।

16.80 प्रत्येक समूह में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:–

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
117	216	1757	2090

16.81 इस समय, आईटीबीपी से 02 महिला कार्मिक अफगानिस्तान में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

16.82 वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान आईटीबीपी के संबंध में विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों के नाम और उनमें से प्रत्येक के लिए किया गया बजट प्रावधान निम्नानुसार हैं:–.

(करोड़ रु. में)

स्कीमों का ब्यौरा	बजट अनुमान 2020–21	संशोधित अनुमान 2020–21	बजट अनुमान 2021–22
क्रेच–सुविधाएं	00.06	00.06	0.09

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)

16.83 दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली निम्नलिखित स्कीमें/परियोजनाएं सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा पूरी/स्वीकृत की गई हैं :

25वीं बटालियन बीएसएफ, छावला कैंप, नई दिल्ली

महिला बैरक	20 महिलाओं के लिए संख्या 01
महिला बैरक	200 महिलाओं के लिए संख्या 01
महिला बैरक में परिवर्तित पुराना बैरक	40 महिलाओं के लिए संख्या 01
महिला शौचालय ब्लॉक	200 महिलाओं के लिए संख्या 01

16.84 इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित एफटीआर के अंतर्गत सीमा चौकियों (बीओपी) में 08 बेड वाले महिला बैरकों को स्वीकृति प्रदान की गई है :

एफटीआर मुख्यालय जम्मू	06 संख्या
एफटीआर मुख्यालय पंजाब	02 संख्या
एफटीआर मुख्यालय गुजरात	24 संख्या
एफटीआर मुख्यालय राजस्थान	14 संख्या
एफटीआर मुख्यालय दक्षिण बंगाल	11 संख्या
एफटीआर मुख्यालय उत्तरी बंगाल	12 संख्या
एफटीआर मुख्यालय गुवाहाटी	11 संख्या
एफटीआर मुख्यालय शिलांग	08 संख्या
एफटीआर मुख्यालय एमएंडसी	11 संख्या
एफटीआर मुख्यालय त्रिपुरा	10 संख्या

16.85 विभिन्न समूहों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
140	473	4706	**5319**

16.86 वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के संबंध में विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीम और उनके लिए किये गये प्रावधान निम्नानुसार है:–

(करोड़ रु. में)

स्कीमों का ब्यौरा	बजट अनुमान 2020–21	संशोधित अनुमान 2020–21	बजट अनुमान 2021–22
क्रेच–सुविधाएं	0.60	0.50	0.60

16.87 सभी स्तरों पर महिला कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्य भी नियमित अंतराल पर किया जा रहा है। नियमित विचार–विमर्श और सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है। फील्ड अधिकारी अपनी कमान के तहत महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके स्वास्थ्य की गहन निगरानी कर रहे हैं। महिला कर्मचारियों के अलावा, यह बल अपने कर्मियों के परिवारों के कल्याण के लिए भी प्रयास कर रहा है। बल ने विशेष रूप से परिवार की महिला सदस्यों के लिए सिलाई, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों के उत्पादन आदि जैसी गतिविधियों के माध्यम से नए कौशल सीखने और अपनी पारिवारिक आय में कमी को पूरा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण किया है। बीएसएफ ने भी महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करने के लिए सेक्टर लेवल और बल मुख्यालय स्तर पर एक समिति गठित की है।

* * * *

अनुलग्नक

अनुलग्नक–I
(संदर्भ पैरा 1.2)

गृह मंत्रालय

वर्ष 2020–21 (दिनांक 31 .12.2020 की स्थिति के अनुसार) के दौरान गृह मंत्रालय में पदों पर रहे/पदस्थ मंत्री, सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव	
श्री अमित शाह	गृह मंत्री
श्री नित्यानंद राय श्री जी. किशन रेड्डी	गृह राज्य मंत्री
श्री अजय कुमार भल्ला	गृह सचिव
श्री संजीव कुमार (दिनांक 14.05.2020 से) श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा (दिनांक 27.04.2020 तक)	सचिव (सीमा प्रबंधन)
श्री वरूण सिंधु कुल कौमुदी (दिनांक 19.08.2020 से)	विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा)
श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव (दिनांक 27.04.2020 से)	विशेष सचिव (पुलिस)
श्री राजित पुनहानी	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
श्री ज्ञानेश कुमार श्री गोविन्द मोहन श्री अनिल मलिक श्री विवेक भारद्वाज सुश्री पुण्य सलिला श्रीवास्तव (दिनांक 03.11.2020 से)	अपर सचिव
श्री प्रवीण वशिष्ठ श्रीमती सहेली घोष रॉय श्री श्री प्रकाश श्री संजीव कुमार जिंदल श्री एस.के. शाही श्री पीयूष गोयल श्री राकेश कुमार सिंह श्री आशुतोष अग्निहोत्री श्री के.वी. प्रताप श्री मनीष तिवारी श्री सुनील कुमार वर्णवाल (दिनांक 03.12.2020 से) सुश्री अलकनंदा दयाल (दिनांक 01.06.2020 तक) श्री कृष्ण बहादुर सिंह (दिनांक 21.09.2020 तक) श्री अनुज शर्मा (दिनांक 08.10.2020 तक) श्री सत्येन्द्र गर्ग (दिनांक 04.11.2020 तक)	संयुक्त सचिव
सुश्री धरित्री पंडा	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक
श्री सुशील पाल	मुख्य लेखा नियंत्रक

अनुलग्नक–II
(संदर्भ पैरा 1.2)

गृह मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट (दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार)

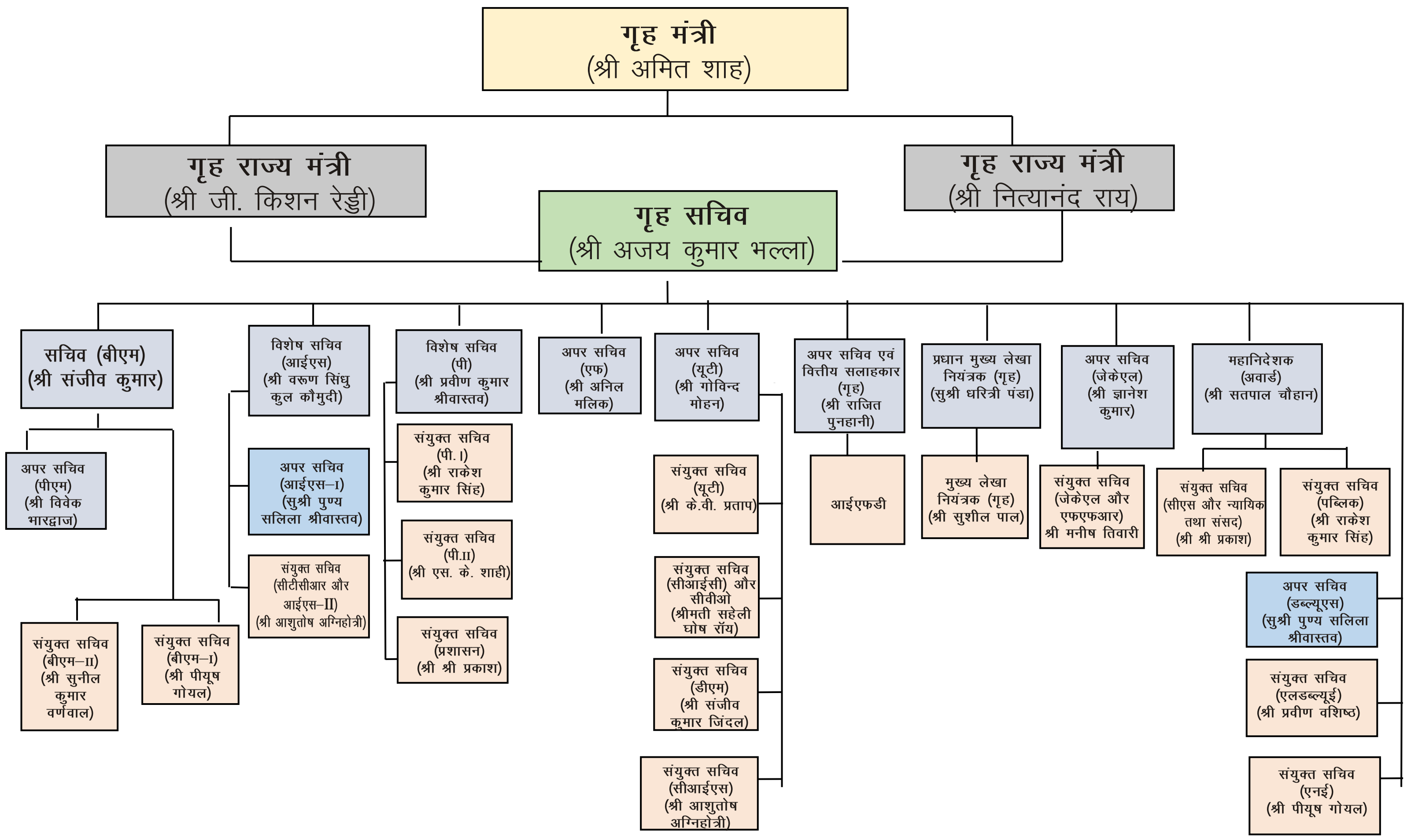

अनुलग्नक–III
(संदर्भ पैरा 2.41)

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के "अंतर्गत विधिविरुद्ध एसोसिएशनों" और/अथवा "आतंकवादी संगठनों" के रूप में घोषित पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवादी/विद्रोही संगठनों की सूची

	समूह का नाम	के रूप में सूचीबद्ध/घोषित
असम		
(i)	यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)	आतंकवादी संगठन और विधिविरुद्ध एसोसिएशन
(ii)	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी)	–तदैव–
(iii)	कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (केएलओ)	आतंकवादी संगठन
मणिपुर		
(i)	पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और इसकी राजनीतिक शाखा रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ)	आतंकवादी संगठन और विधिविरुद्ध एसोसिएशन
(ii)	यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसकी सशस्त्र शाखा मणिपुर पीपुल्स आर्मी (एमपीए)	–तदैव–
(iii)	पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (पीआरईपीएके)	–तदैव–
(iv)	कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी)	–तदैव–
(v)	कांगलेई योल कान्बा लूप (केवाईकेएल)	–तदैव–
(vi)	कोऑर्डिनेशन कमेटी [कोर–कॉम]	विधिविरुद्ध एसोसिएशन
(vii)	अलाएंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कंगलेईपाक (एएसयूके)	–तदैव–
(viii)	मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एमपीएलएफ)	आतंकवादी संगठन
मेघालय		
(i)	हिन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी)	विधिविरुद्ध एसोसिएशन
(ii)	गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जीएनएलए)	आतंकवादी संगठन
त्रिपुरा		
(i)	ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ)	आतंकवादी संगठन और विधिविरुद्ध एसोसिएशन
(ii)	नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी)	–तदैव–
नागालैंड		
(i)	द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन/के]	आतंकवादी संगठन और विधिविरुद्ध एसोसिएशन

अनुलग्नक–IV
(संदर्भ पैरा 2.44)

वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक (दिनांक 31.12.2020 तक) सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को उपलब्ध करायी गई सहायता का राज्य–वार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

जारी की गई निधियां	असम	नागालैंड	मणिपुर	त्रिपुरा	मेघालय	अरुणाचल प्रदेश	कुल
2015–16	140.07	67.61	45.78	12.98	12.63	0.93	**280.00**
2016–17	148.70	61.48	31.86	36.62	9.19	12.15	**300.00**
2017–18	287.74	13.16	34.02	21.82	16.19	32.07	**405.00**
2018–19	137.05	42.34	32.35	9.05	11.74	17.48	**250.00**
2019–20	210.86	12.82	34.26	39.22	9.69	13.15	**320.00**
2020–21 (दिनांक 31.12.2020 तक)	––	3.98	4.26	1.28	1.25	17.71	**28.48**

अनुलग्नक–V
(संदर्भ पैरा 2.46)

वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक (दिनांक 31.12.2020 तक) पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात सीएपीएफ/सेना को नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम (सीएपी) के तहत जारी की गई निधि का ब्यौरा

(लाख रु. में)

संगठन	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (दिनांक 31.12.2020 तक)
बीएसएफ	150.00	150.00	150.00	300.00	400.00	350.00
सीआरपीएफ	150.00	150.00	150.00	250.00	270.00	300.00
आईटीबीपी	100.00	80.00	100.00	80.00	80.00	100.00
एसएसबी	70.00	70.00	70.00	140.00	150.00	150.00
असम राइफल्स	350.00	350.00	550.00	330.00	350.00	350.00
सेना	180.00	180.00	180.00	68.00	50.00	50.00
कुल	**1000.00**	**980.00**	**1200.00**	**1168.00**	**1300.00**	**1300.00**

अनुलग्नक–VI
(संदर्भ पैरा 2.47)

विगत पांच वर्षों और चालू वित्त वर्ष (दिनांक 31.12.2020 तक) के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाओं पर हुए व्यय/इसके लिए जारी की गई निधि का वर्ष–वार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

वर्ष	व्यय/जारी की गई निधियां
2015–16	76.45
2016–17	86.00
2017–18	86.00
2018–19	90.00
2019–20	100.00
2020–21 (दिनांक 31.12.2020 तक)	42.12

अनुलग्नक–VII
(संदर्भ पैरा 2.51)

वर्ष 2014 से 2020 के दौरान सुरक्षा की राज्य–वार स्थिति

अरुणाचल प्रदेश

वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	33	09	86	--	02	07	--	46	49
2015	36	05	55	03	01	03	01	17	33
2016	50	07	59	02	--	04	02	49	25
2017	61	09	44	--	03	03	01	43	27
2018	37	12	69	02	01	02	--	60	17
2019	36	02	106	02	12	02	--	44	34
2020	21	07	72	02	--	15	09	37	21

असम

वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	246	102	319	04	168	102	43	265	94
2015	81	49	645	--	09	30	17	413	27
2016	75	51	366	04	29	15	05	298	14
2017	33	16	204	03	06	13	02	120	05
2018	28	15	133	01	07	13	03	92	06
2019	17	--	131	--	--	49	22	85	10
2020	15	05	79	--	02	2616*	421*	73	02

*अभी सत्यापित किया जाना है।

मणिपुर

वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	278	23	1052	08	16	80	73	515	29
2015	229	41	805	24	15	04	02	252	26
2016	233	09	518	11	11	--	--	116	25
2017	167	22	558	08	23	74	10	127	40
2018	127	10	404	07	08	--	--	99	30
2019	126	09	476	--	07	--	--	92	15
2020	97	07	259	03	--	02	--	92	09

मेघालय									
वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	179	35	173	06	24	59	20	97	110
2015	123	25	121	07	12	78	45	53	87
2016	68	15	59	--	08	205	78	57	52
2017	28	06	13	--	02	37	14	12	18
2018	15	03	17	01	04	19	10	103	01
2019	02	--	06	--	01	01	--	04	--
2020	05	--	--	--	--	01	--	12	--

मिजोरम									
वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	03	--	--	--	--	03	--	31	14
2015	02	--	04	03	--	--	--	19	13
2016	--	--	02	--	--	--	--	05	01
2017	--	--	05	--	--	--	--	16	--
2018	03	--	--	--	--	114	44	02	--
2019	--	--	--	--	--	--	--	13	--
2020	--	--	--	--	--	--	--	05	--

नागालैंड									
वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	77	12	296	--	01	--	--	150	65
2015	102	29	268	09	09	13	01	74	78
2016	58	05	198	--	--	16	03	80	51
2017	19	04	171	01	03	02	--	87	12
2018	42	04	181	03	03	--	--	64	63
2019	42	01	217	02	01	16	01	74	49
2020	23	02	222	--	--	04	--	84	33

त्रिपुरा									
वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	08	--	08	02	01	40	15	--	08
2015	01	--	02	--	--	15	03	--	03
2016	--	--	--	--	--	27	05	--	--
2017	--	--	--	--	--	01	--	--	--
2018	--	--	--	--	--	13	01	--	--
2019	--	--	--	--	--	90	44	--	--
2020	01	--	14	--	--	06	04	02	03

अनुलग्नक–VIII
(संदर्भ पैरा 6.2)

संघ राज्य क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल और जनसंख्या

क्र.सं.	संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में)	जनसंख्या (जनगणना 2011)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8,249	3,79,944
2.	चंडीगढ़	114	10,54,686
3.	दादरा और नागर हवेली तथा दमण एवं दीव	603	5,86,956
4.	लक्षद्वीप	32	64,429
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,483	1,67,53,235
6.	पुदुचेरी	479	12,44,464
	कुल	**10,960**	**2,00,83,714**

(नोटः जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या के आंकड़ों को अध्याय–XIV में अलग से दर्शाया गया है)

अनुलग्नक–IX
(संदर्भ पैरा 6.2)

वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 (ब.अ.) के दौरान बजट अनुमान/संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2019-20			2020-2021			2021-2022
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वर्ष 2020–21 (31.01.2021 तक) वास्तविक व्यय	ब.अ.
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4887.58	5029.16	5007.34	5234.26	4824.97	3846.80	5317.41
2.	चंडीगढ़	4753.12	4868.99	4829.55	5138.10	4154.91	3861.25	4661.12
3.	दादरा और नागर हवेली तथा दमण एवं दीव	3103.37	3249.51	3242.73	3520.52	1418.43	1964.62	2204.59 (दिनांक 26.01.2020 से संघ राज्य क्षेत्रों को मिला दिया गया)
4.	लक्षद्वीप	1303.49	1324.61	1314.00	1376.46	1349.71	910.00	1440.56
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1112.00	1037.00	1022	1116.00	1116.00	570.60	957.51
6.	पुदुचेरी	1601.00	1601.00	1600.99	1703.02	1703.02	1023.80	1729.79

(नोटः– जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बजट प्रावधानों को अध्याय–XIV में अलग से दर्शाया गया है)

अनुलग्नक–X
(संदर्भ पैरा 7.3)

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की अधिकृत संख्या का राज्य–वार विभाजन

क्र.सं.	राज्य/कैडर	दिनांक 01.01.2021 की स्थिति के अनुसार अधिकारियों की अधिकृत संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	144
2.	एजीएमयू	309
3.	असम–मेघालय	195
4.	बिहार	242
5.	छत्तीसगढ़	142
6.	गुजरात	208
7.	हरियाणा	144
8.	हिमाचल प्रदेश	94
9.	झारखंड	149
10.	कर्नाटक	215
11.	केरल	172
12.	मध्य प्रदेश	305
13.	महाराष्ट्र	317
14.	मणिपुर	91
15.	नागालैंड	75
16.	ओडिशा	195
17.	पंजाब	172
18.	राजस्थान	215
19.	सिक्किम	32
20.	तमिलनाडु	276
21.	तेलंगाना	139
22.	त्रिपुरा	69
23.	उत्तर प्रदेश	517
24.	उत्तराखंड	73
25.	पश्चिम बंगाल	347
26.	जम्मू एवं कश्मीर	147
	कुल	**4984**

अनुलग्नक–XI
(संदर्भ पैरा 7.33)

असम राइफल्स की ऑपरेशनल उपलब्धियां

क्र.सं.	कार्रवाई	मात्रा संख्या/राशि	राशि, जहां लागू हो (करोड़ रु. में)
विद्रोही			
(क)	मारे गए	08	-
(ख)	गिरफ्तार किए गए	394	-
(ग)	आत्मसमर्पण करने वाले	07	-
अन्य गिरफ्तारियां			
(घ)	सिविलियन	318	-
(ङ)	शस्त्र विक्रेता एवं मादक पदार्थ विक्रेता	46	-
(च)	म्यांमार के नागरिक	42	-
युद्धक भंडारों की बरामदगी			
(छ)	विभिन्न हथियार	243	-
(ज)	विभिन्न गोलाबारूद	11675	-
(झ)	विभिन्न मैगजीन	107	-
(ञ)	हैण्ड ग्रेनेड/चीन निर्मित हैण्ड ग्रेनेड	23	-
(ट)	आईईडी	07	-
(ठ)	डेटोनेटर्स	100110	-
निषिद्ध मदों की बरामदगी			
(ड)	अफीम (किग्रा.)	5.455	0.544
	गांजा (किग्रा.)	628	0.18
(ढ)	हेरोइन (किग्रा.)	7.528	21.75
(ण)	ब्राउन शुगर (किग्रा.)	104.319	443.4
(त)	प्रतिबंधित मादक पदार्थ (गोलियां)	3887071	122.476
(थ)	प्रतिबंधित मादक पदार्थ	68.45	56.74
(द)	अवैध शराब (बोतल)	72158	4.031
(ध)	मेरिजुआना (किग्रा.)	39.490	0.429
(न)	सोना (किग्रा.)	3.563	1.480
(प)	म्यांमार की नकली करेंसी (कयात)	15,300	-
(फ)	नकद (रुपए में)	53,09,876	0.398
(ब)	विदेशी सिगरेट (डिब्बे)	6799	12.869
(भ)	सुपारी/पान सुपारी (किग्रा.)	672263	19.61
(म)	काली मिर्च (किग्रा.)	54700	3.422
(य)	लकड़ियां (लट्ठे)	3546	14.698
		कुल	**₹ 702.027**

अनुलग्नक–XII
(संदर्भ पैरा 7.65)

सशस्त्र सीमा बल की ऑपरेशनल उपलब्धियां

(क) जब्ती/गिरफ्तारी

क्र.सं.	मदें	मामलों की सं.	मात्रा किग्रा. में	मात्रा सं. में	गिरफ्तारियों की सं.
1	नार्कोटिक्स	159	4860.30	0	180
2	एफआईसीएन	1	0.00	0	9
3	भारतीय मुद्रा	74	0.00	0	128
4	अन्य मुद्राएं	30	0.00	0	49
5	निषिद्ध सामग्री/वर्जित वस्तुएं	2552	0.00	0	2972
6	वन उत्पाद	242	0.00	0	150
7	वन्य जीव उत्पाद	50	0.00	0	71
8	मवेशी	237	0.00	2664	271
9	सोना	4	9.58	0	15
10	चांदी	4	31.12	0	5
11	साइकोट्रोपिक सिंथेटिक ड्रग्स	5	0	0	8
	कुल	**3358**	**4901**	**2664**	**3858**

(ख) हथियार

क्र.सं.	विवरण	मामलों की सं.	मात्रा सं/किग्रा. में	गिरफ्तारियों की सं.
1	फैक्ट्री में निर्मित हथियार	24	121	21
2	देश में निर्मित हथियार	76	192	101
कुल		**100**	**313**	**122**

(ग) गोला–बारूद विस्फोटक आदि				
क्र.सं.	**विवरण**	**मामलों की सं.**	**मात्रा सं./किग्रा. में**	**गिरफ्तारियों की सं.**
1.	कारतूस	77	3690 सं.	99
2.	डेटोनेटर	15	2801 सं.	20
3.	हैंड ग्रैनेड	7	208 सं.	9
4.	आईईडी	6	16 सं.	10
5.	निओजेल स्टिक	1	79	0
6.	बम	5	120 सं.	10
7.	गन पाउडर	5	1 सं.	8
8.	विस्फोटक	5	3 सं.	1
9.	जिलेटिन स्टिक	2	805	–
10.	एम्युनिशन नाइट्रेट	1	10 किग्रा.	1
	कुल	**124**		**158**

(घ) गिरफ्तारियां		
1	माओवादी/माओवादी लिंकमैन	89
2	माओवादी आत्मसमर्पणकर्ता	1
3	उग्रवादी/आतंकवादी	1
4	मारे गए माओवादी/लिंकमैन	7
5	मारे गए उग्रवादी/आतंकवादी	6
6	अवैध घुसपैठिए (विदेशी)	12
7	पीपल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई)	1
8	अन्य अपराधी/असामाजिक तत्व	4021
	कुल	**4138**

(ङ) दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 के दौरान मानव तस्करी के मामले						
मामले	**पीड़ित पुरुष**	**पीड़ित महिला**	**कुल पीड़ित**	**तस्कर पुरुष**	**तस्कर महिला**	**कुल तस्कर**
70	44	72	116	62	3	65

(च) श्वानों की ऑपरेशनल उपलब्धि	
श्वानों का ट्रेड	**जब्त की गई मदें**
विस्फोटक	1. .315 एमएम देशी राइफल – 01 2. .31 एसएमआईएम गोला–बारूद– 02 राउंड 3. 7.62 एमएम गोला–बारूद– 215 राउंड 4. पिस्तौल (एफएम)– 05 5. पिस्तौल (सीएम)– 02 6. राइफल– 03 7. बैरल– 01 8. ग्रेनेड– 192 9. आरपीजी– 14 10. पिस्तौल मैगजीन– 01 11. एसएलआर मैगजीन – 02 12. एके 47 राइफल मैगजीन –01 13. 7.62 एमएम (एसएलआर) गोला–बारूद –200 राउंड 14. 7.62 एमएम (एके 47) गोला–बारूद– 117 राउंड 15. 5.56 एमएम गोला–बारूद– 50 राउंड 16. 22 एमएम गोला–बारूद– 15 राउंड 17. खाली कार्टेज– 09 18. बुलेट हेड– 04 19. 36 एचई ग्रेनेड – 03 20. इग्नाइटर सेट– 03 21. सेफ्टी रिंग –01 22. गोला–बारूद (7.63 माउजर जीएफएल) –40 राउंड 23. चाइनीज हैंड ग्रेनेड– 01 24. मैगजीन एम –16 (अमेरिका निर्मित) – 01 (बड़ी) 25. मैगजीन एम –16 (अमेरिका निर्मित) – 01 (छोटी) 26. 7.63 एमएम पिस्टल गोला–बारूद– 80 राउंड 27. आईईडी – 08 28 सरी – विस्फोटक 04 पैकेट और सल्फर 100 ग्राम
स्वापक जासूसी श्वान	गांजा– 1.41 करोड़ रुपये मूल्य का 182 किग्रा.

अनुलग्नक–XIII
(संदर्भ पैरा 9.131)

वर्ष 2020–2021 के दौरान एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से आवंटित और जारी की गई निधियां

(दिनांक 07.01.2021 की स्थिति के अनुसार)
(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	एसडीआरएफ का आवंटन			एसडीआरएफ से जारी निधियां		एनडीआरएफ से जारी निधियां
		केंद्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	पहली किस्त	दूसरी किस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1,119.00	372.00	1491.00	559.50	559.50	--
2.	अरुणाचल प्रदेश	250.00	28.00	278.00	125.00	125.00	--
3.	असम	772.00	86.00	858.00	386.00	386.00	--
4.	बिहार	1416.00	472.00	1888.00	708.00	708.00	--
5.	छत्तीसगढ़	432.00	144.00	576.00	216.00	--	--
6.	गोवा	12.00	3.00	15.00	6.00	--	--
7.	गुजरात	1324.00	441.00	1765.000	662.00	662.0	--
8.	हरियाणा	491.00	164.00	655.00	245.50	245.50	--
9.	हिमाचल प्रदेश	409.00	45.00	454.00	204.50	204.50	2.90
10.	झारखंड	568.00	189.00	757.00	284.00	--	--
11.	कर्नाटक	791.00	263.00	1054.00	395.50	395.50	577.84
12.	केरल	314.00	105.00	419.00	157.00	--	--
13.	मध्य प्रदेश	1820.00	607.00	2427.00	910.00	910.00	611.61
14.	महाराष्ट्र	3222.00	1074.00	4296.00	1611.00	1611.00	268.59
15.	मणिपुर	42.00	5.00	47.00	21.00	--	26.53
16.	मेघालय	66.00	7.00	73.00	33.00	33.00	16.52
17.	मिजोरम	47.00	5.00	52.00	23.50	--	--
18.	नागालैंड	41.00	5.00	46.00	20.50	20.50	--

19.	ओडिशा	1604.00	535.00	2139.00	802.00	--	500.00
20.	पंजाब	495.00	165.00	660.00	325.925 (247.50+ 78.425) #	--	--
21.	राजस्थान	1481.00	494.00	1975.00	740.50	740.50	68.65
22.	सिक्किम	50.00	6.00	56.00	25.00	25.00	73.86
23.	तमिलनाडु	1020.00	340.00	1360.00	510.00	510.00	--
24.	तेलंगाना	449.00	150.00	599.00	224.50	224.50	--
25.	त्रिपुरा	68.00	8.00	76.00	34.00	--	12.93
26.	उत्तर प्रदेश	1933.00	645.00	2578.00	966.50	--	--
27.	उत्तराखंड	937.00	104.00	1041.00	468.50	--	--
28.	पश्चिम बंगाल	1011.00	337.00	1348.00	505.50	505.50	2250.28 (1000.00+ 1250.28)
	कुल	22,184.00	6799.00	28,983.00	11,170.425	7866.00	4409.71

पूर्ववर्ती वर्ष अर्थात 2019–20 के लिए केंद्रीय हिस्से का बकाया शामिल है।

अनुलग्नक–XIV
(संदर्भ पैरा 9.136)

एनडीएमए द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की सूची

क्र. सं.	निम्नलिखित पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संबंधी दिशा–निर्देश	तैयार करने/जारी करने का मास और वर्ष
1.	भूकंप प्रबंधन	अप्रैल 2007
2.	रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन	अप्रैल 2007
3.	राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी	जुलाई 2007
4.	चिकित्सा तैयारी प्रबंधन और व्यापक हताहत प्रबंधन	अक्टूबर 2007
5.	बाढ़ प्रबंधन	जनवरी 2008
6.	चक्रवात प्रबंधन	अप्रैल 2008
7.	जैविक आपदा प्रबंधन	जुलाई 2008
8.	नाभिकीय और रेडियोलोजिकल आपात स्थिति प्रबंधन	फरवरी 2009
9.	भू–स्खलनों और हिमस्खलनों का प्रबंधन	जून 2009
10.	रासायनिक (आतंकवाद) आपदाओं का प्रबंधन	जून 2009
11.	आपदा में मनो–सामाजिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं	दिसंबर 2009
12.	दुर्घटना कार्रवाई प्रणाली	जुलाई 2010
13.	सुनामियों का प्रबंधन	अगस्त 2010
14.	आपदा के परिणामस्वरूप मरने वालों का प्रबंधन	अगस्त 2010
15.	शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का प्रबंधन	सितंबर 2010
16.	सूखा प्रबंधन	सितंबर 2010
17.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना एवं संचार प्रणाली	फरवरी 2012
18.	स्केलिंग, उपस्कर का प्रकार और अग्निशमन सेवाओं के लिए प्रशिक्षण	अप्रैल 2012
19.	त्रुटिपूर्ण भवनों और अवसंरचनाओं की भूकंपीय रिट्रोफिटिंग	जून 2014
20.	स्कूल सुरक्षा नीति	फरवरी 2016
21.	अस्पताल की सुरक्षा	फरवरी 2016
22.	राहत के लिए न्यूनतम मानक	फरवरी 2016
23.	संग्रहालय	मई 2017
24.	सांस्कृतिक विरासत स्थल और परिसर	सितंबर 2017
25.	नाव सुरक्षा	सितंबर 2017
26.	कार्य योजना की तैयारी –गरज और प्रकाश/हल्की बूंदाबांदी/ धूल भरी आंधी/ओलावृष्टि और तेज हवा की रोकथाम और प्रबंधन	मार्च 2019
27.	आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अस्थाई आश्रय	सितंबर 2019
28.	विकलांगता समावेशी आपदा जोखिम में कमी	सितंबर 2019
29.	भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति	सितंबर 2019
30.	कार्य योजना की तैयारी – लू की रोकथाम और प्रबंधन (संशोधित दिशानिर्देश)	अक्टूबर 2019
31.	हिम झील के फटने से बाढ़ के प्रबंधन पर दिशानिर्देश (जीएलओएफ)	अक्टूबर 2020

अनुलग्नक–XV
(संदर्भ पैरा 9.156)

दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के लिए एनडीआरएफ की ऑपरेशनल उपलब्धियां

क्र.सं.	घटनाओं का प्रकार		उपलब्धियां			
			बचाए गए	सुरक्षित निकाले गए	शव	मवेशी
1	बाढ़		2412	25931	0	521
2	डूबने के मामले		06	0	259	0
3	भूस्खलन		03	428	60	0
4	सीएसएसआर/भवन ढहना		14	0	66	0
5	नाव पलटना		10	0	10	0
6	बोरवेल की घटनाएं		0	0	03	0
7	मेला/उत्सव		1	0	0	0
8	आग लगने की घटनाएं		0	0	08	0
9	वाहन संबंधी घटनाएं		0	01	06	0
10	सीबीआरएन घटनाएं		0	20	0	0
11	चक्रवात	अम्फन	0	पश्चिम बंगाल में 8,13,092 और ओडिशा में 2,37,296 से अधिक लोगों को बड़े पैमाने पर सुरक्षित निकालने में राज्य प्रशासन की सहायता की गई।	0	7650
		निसर्ग	0	महाराष्ट्र में 36,964 और गुजरात में 47,000 से अधिक लोगों को बड़े पैमाने पर सुरक्षित निकालने में राज्य प्रशासन की सहायता की गई।	0	0
		निवार	44	तमिलनाडु में 2,27,317 और पुदुचेरी में 3,397 से अधिक लोगों को बड़े पैमाने पर सुरक्षित निकालने में राज्य प्रशासन की सहायता की गई।	0	0
		बरेवी	0	तमिलनाडु में 1,67,666 और केरल में 177 से अधिक लोगों को बड़े पैमाने पर सुरक्षित निकालने में राज्य प्रशासन की सहायता की गई।	0	32
12	अन्य कोई घटना		12	0	8	1
	कुल		2502	29,954 और ऊपर उल्लिखित विभिन्न चक्रवातों के दौरान लोगों को बड़ी संख्या में सुरक्षित निकालने में राज्य प्रशासन की सहायता की गई।	420	8204

अनुलग्नक–XVI
(संदर्भ पैरा 11.7)

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम (नया नाम 'पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता') के तहत जारी निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार)
अरुणाचल प्रदेश	3.05	2.69	3.42	1.03	0.00	0.00
असम	62.59	4.68	5.48	5.67	0.00	0.00
मणिपुर	7.79	8.37	1.98	5.99	10.75	0.00
मेघालय	8.28	0.67	2.60	3.66	6.63	0.00
मिजोरम	5.41	8.12	6.66	8.38	34.63	0.00
नागालैंड	13.78	18.05	13.88	18.89	17.29	0.00
सिक्किम	0.22	1.96	2.39	0.36	0.00	0.00
त्रिपुरा	7.00	1.40	1.63	7.08	4.97	0.00
जम्मू और * कश्मीर	35.88	34.54	48.00	32.69	40.20	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.44	5.58	4.09	3.35	27.49	0.00
उत्तराखंड	3.74	8.53	4.35	13.60	5.43	0.00
कुल	**148.18**	**94.59**	**94.48**	**100.70**	**147.39**	**0.00**

* दिनांक 30.10.2019 तक

अनुलग्नक–XVII
(संदर्भ पैरा 11.7)

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम (नया नाम 'पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता') के तहत जारी निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार)
आंध्र प्रदेश	32.56	41.10	31.62	50.81	75.36	0.00
तेलंगाना	16.32	29.40	22.60	64.17	57.58	0.00
बिहार	26.57	19.15	5.73	13.18	9.42	0.00
छत्तीसगढ़	14.24	1.73	2.02	8.56	8.35	0.00
गोवा	0.13	0.18	0.21	0.21	0.00	0.00
गुजरात	23.75	43.22	33.05	52.62	41.19	0.00
हरियाणा	14.74	19.29	14.04	12.95	18.48	0.00
झारखंड	22.44	1.64	1.91	9.91	7.08	0.00
कर्नाटक	39.45	72.04	17.12	11.39	14.61	0.00
केरल	2.01	11.09	16.12	17.78	54.01	0.00
मध्य प्रदेश	26.80	21.86	30.47	37.97	14.45	0.00
महाराष्ट्र	50.88	12.80	9.78	9.58	65.98	0.00
ओडिशा	19.46	26.22	19.87	35.10	42.45	0.00
पंजाब	20.67	27.60	20.07	36.52	31.33	4.15*
राजस्थान	34.18	34.54	40.38	62.59	27.28	0.00
तमिलनाडु	63.90	89.24	15.54	68.87	56.62	0.00
उत्तर प्रदेश	69.99	35.80	28.20	118.67	62.75	0.00
पश्चिम बंगाल	35.52	12.31	48.94	46.93	46.53	0.00
कुल	**513.61**	**499.21**	**357.67**	**657.81**	**633.47**	**4.15***

*गृह मंत्री/गृह सचिव आकस्मिकता रिजर्व के तहत जारी।

अनुलग्नक–XVIII
(संदर्भ पैरा 15.39)

सारणी 1: अनुमानित जन्मदर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि और नवजात मृत्यु दर, 2018

भारत/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	जन्म दर			मृत्यु दर			प्राकृतिक वृद्धि दर			नवजात मृत्यु दर		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारत	20	21.6	16.7	6.2	6.7	5.1	13.8	14.9	11.6	32	36	23
बड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र												
1. आंध्र प्रदेश	16	16.4	15.3	6.7	7.4	5	9.4	9	10.3	29	33	21
2. असम	21.1	22.2	14.6	6.4	6.6	5.1	14.7	15.6	9.5	41	44	20
3. बिहार	26.2	26.8	21.9	5.8	5.9	5.1	20.3	20.9	16.8	32	32	30
4. छतीसगढ़	22.5	24	17.8	8	8.6	6.3	14.5	15.4	11.6	41	42	35
5. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	14.7	16.2	14.7	3.3	3.7	3.3	11.4	12.5	11.4	13	8	13
6. गुजरात	19.7	21.6	17.4	5.9	6.3	5.3	13.8	15.3	12.1	28	33	20
7. हरियाणा	20.3	21.7	18	5.9	6.6	4.9	14.4	15.1	13.2	30	33	25
8. जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख	15.4	17	11.7	4.9	5.1	4.2	10.5	11.8	7.5	22	23	20
9. झारखंड	22.6	24	18.1	5.4	5.7	4.5	17.1	18.3	13.6	30	31	26
10. कर्नाटक	17.2	18.1	15.9	6.3	7.2	4.8	10.9	10.8	11	23	25	20
11. केरल	13.9	13.8	14	6.9	7.1	6.7	7.1	6.8	7.4	7	9	5
12. मध्य प्रदेश	24.6	26.6	19.1	6.7	7.1	5.5	17.9	19.5	13.6	48	52	36
13. महाराष्ट्र	15.6	15.9	15.2	5.5	6.3	4.5	10.1	9.6	10.7	19	24	14
14. ओडिशा	18.2	19.2	13.4	7.3	7.6	5.9	10.9	11.6	7.5	40	41	31
15. पंजाब	14.8	15.3	14	6.6	7.7	5.1	8.2	7.7	8.9	20	21	19
16. राजस्थान	24	24.9	21.3	5.9	6.1	5	18.1	18.7	16.3	37	41	26
17. तमिलनाडु	14.7	14.8	14.6	6.5	7.8	5.3	8.3	7.1	9.3	15	18	12
18. तेलंगाना	16.9	17.2	16.5	6.3	7.5	4.5	10.6	9.7	12	27	30	21
19. उत्तर प्रदेश	25.6	26.6	22.5	6.6	7	5.3	19	19.6	17.2	43	46	35
20. उत्तराखंड	16.7	16.8	16.4	6.2	6.5	5.3	10.6	10.4	11.1	31	31	29
21.पश्चिम बंगाल	15	16.5	11.5	5.6	5.6	5.7	9.3	10.8	5.8	22	22	20
छोटे राज्य												
1. अरुणाचल प्रदेश	17.9	18.4	15.4	6	6.2	4.7	11.9	12.2	10.7	37	38	28
2. गोवा	12.4	12	12.7	5.9	7	5.1	6.4	5	7.5	7	8	7
3. हिमाचल प्रदेश	15.7	16.2	10.3	6.9	7.1	4.8	8.8	9.1	5.5	19	20	14

4. मणिपुर	14.3	14.5	13.9	4.5	4.2	5	9.8	10.4	8.8	11	12	9
5. मेघालय	22.1	24	13.6	5.8	6.1	4.5	16.3	17.9	9	33	35	17
6. मिज़ोरम	14.8	17.5	12.1	4.1	4	4.3	10.7	13.5	7.8	5	7	2
7. नागालैंड	12.9	13.7	12.2	3.5	4.2	2.7	9.5	9.5	9.4	4	5	3
8. सिक्किम	16.3	15.2	17.9	4.5	5.2	3.5	11.8	10.1	14.5	7	8	6
9. त्रिपुरा	13	13.7	11.2	5.5	5	6.5	7.5	8.7	4.7	27	26	31
संघ राज्य क्षेत्र												
1. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	11.2	12	10.3	5.3	6.4	4	5.9	5.6	6.3	9	12	3
2. चंडीगढ़	13.3	18.7	13.2	4.3	3.4	4.3	9	15.3	8.8	13	4	13
3. दादरा एवं नागर हवेली	22.9	20.1	25.1	3.8	4.6	3.3	19.1	15.6	21.8	13	19	9
4. दमन एवं दीव	19.6	15.8	20.4	4.5	5.5	4.3	15.1	10.3	16.1	16	19	16
5. लक्षद्वीप	15.3	21.6	13.7	5.6	7.1	5.3	9.7	14.5	8.4	14	14	14
6. पुद्दुचेरी	13.7	13.6	13.7	6.9	7.9	6.6	6.8	5.7	7.1	11	9	12

नोटः छोटे राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए नवजात मृत्यु दर तीन वर्ष की अवधि 2016–18 पर आधारित है।

अनुलग्नक–XIX
(संदर्भ पैरा 15.43)

लिंग और आवास के आधार पर जन्म के समय अनुमानित जीवनकाल, भारत और बड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, 2014–18,

भारत एवं बड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल			ग्रामीण			शहरी		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
भारत	**69.4**	**68.2**	**70.7**	**68.0**	**66.7**	**69.3**	**72.6**	**71.5**	**73.8**
आंध्र प्रदेश	70.0	68.7	71.4	69.0	67.6	70.7	72.6	72.0	73.3
असम	66.9	66.1	67.9	65.8	64.9	66.7	73.7	73.1	74.5
बिहार	69.1	69.4	68.7	68.7	69.1	68.3	71.9	72.2	71.5
छतीसगढ़	65.2	63.7	66.6	64.3	62.9	65.6	68.5	67.2	70.1
दिल्ली	75.3	73.8	77.0	72.9	70.4	75.3	75.4	73.9	77.1
गुजरात	69.9	67.8	72.3	68.5	65.5	71.8	71.8	70.7	72.9
हरियाणा	69.8	67.7	72.3	68.6	66.5	71.1	71.9	69.7	74.4
हिमाचल प्रदेश	72.9	69.6	76.8	72.6	69.2	76.6	77.0	74.5	80.6
जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख	74.0	72.2	76.2	72.7	71.0	74.7	77.2	74.9	79.9
झारखंड	69.1	69.9	68.5	68.3	69.3	67.4	72.0	71.7	72.3
कर्नाटक	69.4	67.9	70.9	67.7	66.0	69.5	72.4	71.5	73.5
केरल	75.3	72.5	77.9	75.4	72.5	78.1	75.1	72.5	77.7
मध्य प्रदेश	66.5	64.8	68.5	65.3	63.4	67.4	70.5	69.2	72.0
महाराष्ट्र	72.5	71.3	73.8	71.1	70.0	72.2	74.4	72.9	76.0
उड़ीसा	69.3	68.0	70.8	68.7	67.4	70.3	72.0	71.0	73.0
पंजाब	72.7	71.0	74.8	71.6	70.0	73.5	74.4	72.3	77.5
राजस्थान	68.7	66.5	71.6	67.6	65.1	70.3	72.2	71.8	72.8
तमिलनाडु	72.1	70.2	74.2	70.2	68.3	72.4	74.0	72.1	76.1
तेलंगाना	69.6	68.6	70.8	68.2	66.7	69.8	71.8	71.5	72.1
उत्तर प्रदेश	65.3	64.8	65.8	64.3	63.6	64.9	68.7	68.6	68.8
उत्तराखंड	70.9	67.9	74.3	70.7	67.4	74.4	71.1	69.1	73.5
पश्चिम बंगाल	71.6	70.7	72.6	70.5	69.4	71.7	73.8	73.2	74.4

*: भारत में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

अनुलग्नक–XX
(संदर्भ पैरा 16.32)

गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता/अनुशासनिक मामलों का ब्यौरा

(दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	मद	राजपत्रित		अराजपत्रित	
		मामले	अधिकारी	मामले	अधिकारी
1.	दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार सतर्कता/अनुशासनिक मामलों की संख्या	197	199	1301	1304
2.	दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक शुरु किए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामले	67	74	4736	4760
3.	दिनांक 31.12.2020 तक निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामले	40	53	4811	4837
4.	दिनांक 31.12.2020 को सतर्कता/ अनुशासनिक मामले (1+2–3)	224	220	1226	1227
5.	निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई (क्रम सं. 3 के ब्यौरे के संदर्भ में)				
	(क) बर्खास्तगी	04	04	146	141
	(ख) निष्कासन	00	01	235	246
	(ग) अनिवार्य सेवानिवृत्ति	01	08	61	62
	(घ) रैंक/वेतन आदि में कटौती	07	07	434	435
	(ड.) वेतन वृद्धि रोकना	02	07	524	534
	(च) पदोन्नति रोकना	01	01	00	00
	(छ) वेतन से वूसली के आदेश	00	00	1258	1261
	(ज) निंदा	06	06	1260	1260
	(झ) चेतावनी	00	00	288	288
	(ञ) असंतोष	04	04	05	05
	(ट) दोषमुक्ति	10	10	196	199
	(ठ) मामलों का स्थानांतरण	00	00	03	03
	(ड) कार्यवाही रोकी गई	03	03	31	32
	(ढ) पेंशन में कटौती	02	02	02	02
	(ण) त्यागपत्र स्वीकृत	00	00	14	14
	(त) यूनिट में बंद	00	00	45	45
	(थ) क्वार्टर गार्ड में बंद	00	00	271	272
	(द) अन्यत्र स्थानांतरण	00	00	00	00
	(ध) स्थगन	00	00	23	23
	(न) इंस्टी. एरिया से निष्कासन	00	00	09	09
	(प) न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही रोकी गई	00	00	06	06
	(फ) जांच के बाद बंद किए गए मामले/मृत्यु के कारण निपटाए गए/बेनामी/छद्म नाम वाले मामले/अतिरिक्त गार्ड/कर्तव्य	00	00	00	00
	कुल (क से फ)	**40**	**53**	**4811**	**4837**

अनुलग्नक–XXI
(संदर्भ पैरा 16.53)

दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के संबंध में बकाया निरीक्षण पैरा (आईपी) का ब्यौरा

क्र. सं.	संगठन का नाम	दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार बकाया निरीक्षण पैरा की संख्या	दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 के दौरान प्राप्त निरीक्षण पैरा की संख्या	दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 के दौरान निपटाए गए निरीक्षण पैरा की संख्या	दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार लंबित निरीक्षण पैरा की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2066	206	189	2083
2	असम राइफल्स	100	132	55	177
3	बीपीआरएंडडी	24	0	0	24
4	बीएसएफ	418	37	43	412
5	सीआईएसएफ	401	32	42	391
6	सीआरपीएफ	263	40	22	281
7	चंडीगढ़	1655	179	144	1690
8	दादरा और नागर हवेली तथा दमण एवं दीव	1037	0	0	1037
9	राजभाषा विभाग	59	10	11	58
10	आसूचना ब्यूरो	132	13	34	111
11	आईटीबीपी	144	21	24	141
12	लक्षद्वीप	477	0	269	208
13	गृह मंत्रालय (मुख्य)	30	0	0	30
14	एनसीआरबी	8	0	0	8
15	एनआईसीएफएस	14	0	0	14
16	एसवीपीएनपीए	16	0	0	16
17	एनएसजी	76	0	0	76
18	आरजीआई	284	42	20	306
	कुल	**7204**	**712**	**853**	**7063**

अनुलग्नक–XXII
(संदर्भ पैरा 16.54)

पूर्व वार्षिक रिपोर्टों में शामिल की गई महत्वपूर्ण लेखा–परीक्षा टिप्पणियों पर "की गई कार्रवाई संबंधी नोट (एटीएन)" की स्थिति

क्र. सं.	वार्षिक रिपोर्ट का वर्ष	उन पैरा/पीएसी रिपोर्टों की संख्या, जिनके संबंध में "की गई कार्रवाई संबंधी नोट (एटीएन)" लेखा–परीक्षा द्वारा पुनरीक्षण किए जाने के बाद पीएसी को प्रस्तुत किये गये	उन पैरा/पीएसी रिपोर्टों का ब्यौरा, जिनके संबंध में एटीएन लंबित हैं		
			उन एटीएन की संख्या, जिन्हें मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजा गया	उन एटीएन की संख्या जिन्हें भेजा गया था, किन्तु उन्हें टिप्पणियों सहित वापस भेजा गया और जो मंत्रालय द्वारा लेखा–परीक्षा को पुनः प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रतीक्षारत है	उन एटीएन की संख्या, जिनका लेखा–परीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर दिया गया है, किंतु उन्हें मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1.	2016-17	17	0	0	0
2.	2017-18	18	0	0	0
3.	2018-19	18	0	0	0
4.	2019-20	वित्त मंत्रालय द्वारा "शून्य सूचना दी गई"			

अनुलग्नक–XXIII
(संदर्भ पैरा 16.54)

वर्ष 2020–21 के दौरान गृह मंत्रालय के संबंध में लेखा–परीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियों का सार और इन टिप्पणियों पर "की गई कार्रवाई संबंधी नोट (एटीएन)" की स्थिति

क्र.सं.	पैरा सं.	पैरा का विषय	एटीएन की स्थिति
वर्ष 2020 की रिपोर्ट संख्या 6 – संघ सरकार (सिविल)– बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र – मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए लेखा–परीक्षा की टिप्पणियों की अनुपालना			
1.	10.1	**गृह मंत्रालय** गृह मंत्रालय "वामपंथ उग्रवाद प्रभावित राज्यों में पुलिस स्टेशनों/आउटपोस्टों का निर्माण" की स्कीम के अंतर्गत राज्यों के पास अप्रयुक्त पड़ी हुई केंद्रीय सहायता की राशि की प्रभावी निगरानी करने में विफल रहा, जिसके फलस्वरूप कुल 52.18 करोड़ रुपये की बचत (उस राशि पर ब्याज सहित) हुई, जोकि इस स्कीम की पूर्णता के तीन वर्ष के बाद भी आठ राज्यों के पास बेकार पड़ी हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में, राज्य सरकार ने दो अतिरिक्त पुलिस स्टेशनों के निर्माण पर 3.79 करोड़ रुपये की बचत का उपयोग किया था, जोकि मंजूरी के अभाव में एक अनियमितता थी। लेखा–परीक्षा द्वारा टिप्पणी किये जाने पर, मंत्रालय ने 22.62 करोड़ रुपये की वसूली कर ली है जबकि 33.28 करोड़ रुपये अभी वसूल किए जाने हैं।	एटीएन तैयार किया जा रहा है।
2.	15.2	**संघ राज्य क्षेत्र–अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन** अंडमान लोक निर्माण विभाग ने निर्माण संविदा, जिसे मामले में फटकार के बाद समय से पूर्व बंद करना पड़ा था, पर हस्ताक्षर से पहले सभी आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की थी। इससे सुनामी प्रभावित क्षेत्र में सी–वॉल के निर्माण में देरी हुई, तट सुरक्षा की लागत में वृद्धि हुई और इसके फलस्वरूप 1.18 करोड़ रुपये का व्यर्थ खर्च भी हुआ, क्योंकि अधूरा कार्य बह गया था। 30.36 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वृद्धि के साथ इस कार्य के लिए पुनः स्वीकृति दी गई। प्रभावित क्षेत्र की बसावट सुनामी के बाद 15 वर्षों तक असुरक्षित रही।	एटीएन तैयार किया जा रहा है।

क्र.सं.	पैरा सं.	पैरा का विषय	एटीएन की स्थिति
3.	15.4	**सघ राज्य क्षेत्र–चंडीगढ़ प्रशासन** चंडीगढ़ नगर निगम (एमसीसी) ने सिंचाई के लिए पीने योग्य पानी के अन्यथा उपयोग करने के बजाय शोधित पानी की आपूर्ति करने के उद्देश्य से अपने सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के डिस्चार्ज के शोधन हेतु एक 10 एमजीडी क्षमता के मौजूदा टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट के अतिरिक्त 10 मिलियन गैलन/दिन (एमजीडी) की क्षमता वाले एक टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट और संबद्ध सुविधाओं की योजना एवं निर्माण करने के लिए एक परियोजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया। इस डिजाइन में सीवेज के पानी की पर्याप्त उपलब्धता का गलत तरीके से अनुमान लगाया गया और भूमिगत जलाशयों में से एक को पुराने नेटवर्क में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां कि दोनों संयंत्रों में आवश्यकता से कम डिस्चार्ज क्षमता वाले पंप स्थापित किए गए थे और पुराने एसटीपी का तकनीकी दृष्टि से उन्नयन नहीं किया गया था। इसके अलावा, एमसीसी ने टीटीपी के आउटपुट में अपेक्षित बीओडी स्तर अर्थात 5 मिलीग्राम/ली. को सुनिश्चित नहीं किया, जिसके कारण उपभोक्ताओं ने शोधित पानी को स्वीकार नहीं किया। इसके अतिरिक्त, एमसीसी योजनानुसार इस परियोजना के संचालन और रखरखाव की 43% लागत की वसूली भी नहीं कर सकी। शोधित पानी की आपूर्ति एमसीसी हार्टिकल्चर विंग के रख–रखाव वाले हरित स्थानों में निशुल्क की गई। एमसीसी ने टर्शरी वाटर कनेक्शनों की बिलिंग नहीं की। लेखा–परीक्षा में पाया गया कि परियोजना के पूरा होने के 6–7 वर्षों बाद भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके और परियोजना की व्यवहार्यता के बारे में लेखा–परीक्षा दल खुद भी आश्वस्त नहीं हो सका।	एटीएन तैयार किया जा रहा है।
4.	15.6	**चंडीगढ़ प्रशासन** सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, चंडीगढ़ ने सेवा कर के रूप में सोसाइटी ऑफ प्रमोशन ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, चंड़ीगढ़ को 64.83 लाख रुपए का अनियमित भुगतान किया था, जो लेखा–परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद वसूला गया।	एटीएन तैयार किया जा रहा है।

क्र.सं.	पैरा सं.	पैरा का विषय	एटीएन की स्थिति
5.	15.7	**चंडीगढ़ प्रशासन** चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एण्ड टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन (सिटको) ने चंडीगढ़ में संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय कैंटीन और नई दिल्ली में गेस्ट हाउस का संचालन बिना किसी प्रबंधन अथवा परिचालन व्यवस्था के किया तथा क्रमशः 8.27 करोड़ रुपए और 1.52 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।	एटीएन तैयार किया जा रहा है।
6.	15.11	**लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन** पोर्ट, शिपिंग और एविएशन निदेशालय, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र (यूटीएल) ने 29.18 करोड़ रुपए की राशि सरकारी खाते में जमा न करके अपने एसबी खाते में रखी थी, जो प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन है और, जिससे नकदी का अत्यधिक निष्फल प्रबंधन हुआ है।	एटीएन तैयार किया जा रहा है।
वर्ष 2020 की रिपोर्ट संख्या 15 – नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट का सार– ''दिल्ली पुलिस में जनशक्ति और लॉजिस्टिक प्रबंधन'' की कार्य–निष्पादन लेखा–परीक्षा			
7	पूर्ण रिपोर्ट	इस कार्य निष्पादन लेखा–परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह जांचना था कि क्या दिल्ली पुलिस अपनी जनशक्ति और लॉजिस्टिक्स का कुशलतापूर्वक और प्रभावी तरीके से प्रबंधन कर रही है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त, ध्यान देने योग्य दूसरा क्षेत्र संगठन की सभी इकाईयों में अवसंरचना की पर्याप्तता की जांच करना था। इस कार्य निष्पादन लेखा–परीक्षा में वर्ष 2013–14 से वर्ष 2018–19 तक, छः वर्षों की अवधि में मुख्य रूप से लॉ एंड आर्डर पुलिस (प्रादेशिक पुलिस जिले), सुरक्षा इकाई, पीसीआर, ऑपरेशन एवं कम्यूनिकेशन, विशेष सेल, व्यवस्था एवं लॉजिस्टिक्स, आईटी सेल और पीएचक्यू को शामिल किया गया है।	एटीएन तैयार किया जा रहा है ।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

https://mha.gov.in/ पर भी उपलब्ध